# नया भारत नई ऊर्जा

गेल (इंडिया) लिमिटेड

# वार्षिक रिपोर्ट 2023-24

नया **भारत**
नई **ऊर्जा**

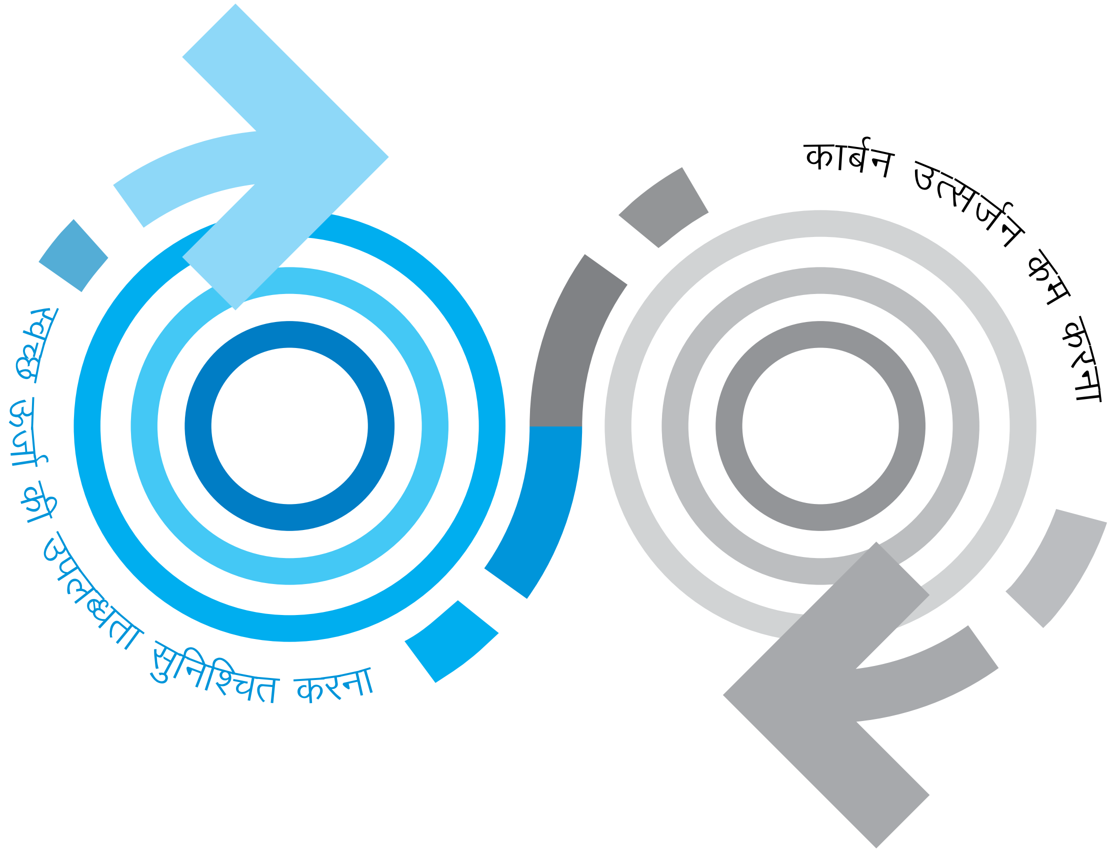


# विषय–सूची

गेल, विजयपुर

गेल, पाता


| | |
|---|---|
| अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश | 03 |
| कॉर्पोरेट परिदृश्य | 08 |
| निदेशक मंडल | 16 |
| बोर्ड की रिपोर्ट | 30 |
| प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण | 44 |
| निगमित नियंत्रण पर रिपोर्ट | 67 |
| सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट | 87 |
| व्यवसाय उत्तरदायित्व और सतत विकास रिपोर्ट | 94 |
| पांच वर्ष की रूपरेखा | 144 |
| पृथक वित्तीय विवरण | 152 |
| सीएंडएजी की टिप्पणियां – पृथक वित्तीय विवरणों पर अनुपूरक लेखापरीक्षा | 259 |
| समेकित वित्तीय विवरण | 262 |
| सीएंडएजी की टिप्पणियां – समेकित वित्तीय विवरणों पर अनुपूरक लेखापरीक्षा | 363 |
| शब्दावली | 368 |

# अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

> आपकी कंपनी बुनियादी ढांचे के विकास, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने, विविधीकरण, बाजार विस्तार और नवीकरणीय ऊर्जा की वृद्धि में अपनी वर्तमान गति को बनाए रखने का इरादा रखती है।

**संदीप कुमार गुप्ता**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रिय शेयरधारक,

वित्त वर्ष 2024 की वार्षिक रिपोर्ट आपके साथ साझा करना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, जो पूरे देश में ऊर्जा न्याय और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित कराने की दिशा में आपकी कंपनी के 40 वर्षों के सफर का लेखा–जोखा प्रस्तुत करती है।

वित्त वर्ष 2024 के दौरान, आपकी कंपनी ने कई क्षेत्रों में अपनी पिछली उपलब्धियों को बहुत पीछे छोड़ दिया। 16 जुलाई, 2024 को शेयर की कीमत ₹239.2 के साथ बाजार पूंजीकरण ₹1,57,276 करोड़ तक पहुंच गया। इस उल्लेखनीय प्रदर्शन को वित्त वर्ष 2023 के लिए 'उत्कृष्ट' समझौता ज्ञापन (एमओयू) रेटिंग के साथ मान्यता दी गई, जो इस विशिष्ट उपलब्धि का लगातार दूसरा वर्ष है। ये विशिष्ट उपलब्धियां कंपनी के बेहतर निष्पादन और उस पर निवेशकों के विश्वास को उजागर करती है।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वित्त वर्ष 2024 में आपकी कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन शानदार रहा। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 में ₹11,555 करोड़ का कर–पूर्व लाभ (पीबीटी) दर्ज किया, जो वित्त वर्ष 2023 के ₹6,584 करोड़ से 75% अधिक है। वित्त वर्ष 2024 में कर–पश्चात लाभ (पीएटी) ₹8,836 करोड़ था, जो वित्त वर्ष 2023 के ₹5,302 करोड़ से 67% अधिक है। वित्त वर्ष 2024 में प्रचालन से राजस्व ₹1,30,638 करोड़ है, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह ₹1,44,302 करोड़ था। आपकी कंपनी ने ₹11,426 करोड़ का अपना अब तक का सबसे अधिक पूंजीगत व्यय भी हासिल किया है। ये उपलब्धियाँ सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में अनिश्चित कारोबारी माहौल के बावजूद हासिल की गई हैं।

प्राकृतिक गैस क्षेत्र में अग्रणी कंपनी के रूप में अपने इतिहास को आगे बढ़ाते हुए, आपकी कंपनी ने ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करने और भारत की प्राकृतिक गैस आपूर्ति–मांग के अंतर को कम करने में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए हैं। हमने 2026 से शुरू होने वाले दो 10–वर्षीय एलएनजी आपूर्ति समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं; विटोल एशिया प्रा. लिमिटेड, सिंगापुर के साथ 1 एमएमटीपीए और एडीएनओसी गैस, यूएई के साथ 0.5 एमएमटीपीए। इसके अतिरिक्त, गेल को कतर एनर्जी एलएनजी और पीएलएल के बीच हस्ताक्षरित नए एलएनजी एसपीए से 4.5 एमएमटीपीए प्राप्त होगा, जिसकी आपूर्ति 2028 से 20 वर्षों के लिए शुरू होगी।

गेल ने दीर्घकालिक एलएनजी वेज़ल गेल ऊर्जा को सफलतापूर्वक शामिल और चार्टर किया है तथा एक नए एलएनजी वाहक के लिए 14 वर्ष का टाइम चार्टर पार्टी समझौता किया है। इस एलएनजी वाहक के लिए टाइम चार्टर 2025 के प्रारंभ में शुरू होगा। गेल के पांच एलएनजी वाहकों का बेड़ा कंपनी को अनुबंधित एलएनजी मात्रा को भारत में परिवहन करने में मदद करेगा।

आपकी कंपनी, लगभग 16,243 कि.मी. प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के मौजूदा नेटवर्क के साथ, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने में सबसे आगे रही है। हमने राष्ट्रीय गैस ग्रिड (एनजीजी) को पूरा करने की दिशा में लगातार प्रयास किए हैं, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और गैस आधारित अर्थव्यवस्था का आधार है।

गेल को यह गौरव प्राप्त हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केकेबीएमपीएल–II के कृष्णगिरि से कोयम्बटूर खंड और एमएनजेपीएल के नागपुर–झारसुगुड़ा खंड की आधारशिला रखी। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री ने धामरा–अंगुल पाइपलाइन और बरौनी–गुवाहाटी पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया, जो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना का हिस्सा है। गेल पूरे देश भर में लगभग 3,400 कि.मी. नई प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। प्रमुख परियोजनाओं में दुर्गापुर–हल्दिया पाइपलाइन और धामरा–हल्दिया पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल का हिस्सा), श्रीकाकुलम–अंगुल पाइपलाइन, मुंबई–नागपुर–झारसुगुड़ा पाइपलाइन, केकेबीएमपीएल का कृष्णगिरि–कोयम्बटूर खंड और गुरदासपुर–जम्मू पाइपलाइन शामिल हैं।

प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन में, वित्त वर्ष 2024 के दौरान इस नेटवर्क के माध्यम से औसत गैस ट्रांसमिशन 12% बढ़कर 120.46 एमएमएससीएमडी के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष में यह 107.28 एमएमएससीएमडी था। वित्त वर्ष 2024 में प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन खंड से राजस्व वित्त वर्ष 2023 में ₹ 6,661 करोड़ की तुलना में 54.5% बढ़कर ₹ 10,292 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण ट्रांसमिशन मात्रा में वृद्धि और प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन शुल्क में वृद्धि है।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके बोर्ड ने एलएनजी रिटेल वर्टिकल के गठन को मंजूरी दे दी है। ₹ 650 करोड़ के रणनीतिक निवेश के साथ, यह पहल स्वर्णिम चतुर्भुज, राष्ट्रीय राजमार्गों और खनन क्षेत्रों के साथ एलएनजी वितरण बुनियादी ढांचे और अंतिम मील कनेक्टिविटी के अवसरों की खोज करेगी, जिससे कम कार्बन उत्सर्जन वाले विकल्प ईंधन के रूप में एलएनजी उपलब्ध होगी।

आपकी कंपनी ने गेल, विजयपुर में भारत की पहली लघु स्तरीय एलएनजी (एसएसएलएनजी) स्किड को सफलतापूर्वक चालू किया, जो अलग–अलग स्रोतों और उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने में एसएसएलएनजी प्रौद्योगिकी की क्षमता को प्रदर्शित करता है। गैस बाजार के विकास को बढ़ावा देने और पूरे देश में पहुंच में सुधार करने की सरकारी प्राथमिकताओं के अनुरूप, एसएसएलएनजी को परिवहन, शहरी गैस वितरण (सीजीडी), रेलवे और अन्य क्षेत्रों में एलएनजी के उपयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।

गेल का शहरी गैस वितरण (सीजीडी) कारोबार पर विशेष फोकस है और गेल अपनी समूह कंपनियों के साथ अब भारत में सबसे बड़ी सीजीडी ऑपरेटर है। गेल समूह की कंपनियां देश भर में कुल 307 भौगोलिक क्षेत्रों में से 72 भौगोलिक क्षेत्रों में अधिकृत हैं। इस साल आपकी कंपनी ने अपनी समूह कंपनियों के साथ मिलकर 11.06 लाख पीएनजी कनेक्शन और 422 सीएनजी स्टेशन जोड़े हैं, इस तरह

पूरे देश में पीएनजी ग्राहकों की संख्या ~83.4 लाख और सीएनजी स्टेशनों की संख्या ~2770 हो गई है। पीएनजीआरबी द्वारा आयोजित नवीनतम सीजीडी राउंड में गेल समूह की कंपनी–त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड (टीएनजीसीएल) ने दो भौगोलिक क्षेत्र – मिजोरम और मणिपुर हासिल किए, जो देश के पूर्वोत्तर हिस्से तक हमारी पहुंच का विस्तार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके अलावा, पिछले साल, गेल के संयुक्त उद्यम महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) ने यूनिसन एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड (यूईपीएल) की पूरी इक्विटी हासिल कर ली थी। यूईपीएल को पीएनजीआरबी द्वारा महाराष्ट्र में दो भौगोलिक क्षेत्रों और कर्नाटक में एक भौगोलिक क्षेत्र अधिकृत किए गए थे।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पेट्रोकेमिकल व्यवसाय में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान, आपकी कंपनी का पेट्रोकेमिकल्स का कुल उत्पादन वित्त वर्ष 2023 में 442 टीएमटी की तुलना में 76% बढ़कर 777 टीएमटी हो गया और पेट्रोकेमिकल्स की बिक्री वित्त वर्ष 2023 में 399 टीएमटी की तुलना में 97% बढ़कर 787 टीएमटी हो गई। इस क्षेत्र में प्रचालन से राजस्व 58% बढ़कर ₹ 7,753 करोड़ हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह ₹ 4,917 करोड़ था। आपकी कंपनी ऊर्जा के उपयोग को कम करते हुए स्थायी व्यावसायिक प्रथाओं को एकीकृत करने के तरीकों की खोज में सक्रिय रूप से शामिल रही है। इसे ध्यान में रखते हुए, आपके बोर्ड ने सी2/सी3 लिक्विड पाइपलाइन बिछाने को मंजूरी दी है, जो इन हाइड्रोकार्बन को विजयपुर से सीधे पाता तक ले जाएगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 1,792 करोड़ है और इसे पूरा होने में 32 महीने लगेंगे।

आपकी कंपनी समझती है कि भावी व्यापार के विकास के लिए स्थायी व्यवसायिक प्रथाओं को अपनाने और कार्बन को हटाने की आवश्यकता है। मुझे यह साझा करते हुए गर्व हो रहा है कि आपकी कंपनी ऊर्जा रूपांतरण में अग्रणी बनने के लिए बेहतर स्थिति में है। आपके बोर्ड ने स्कोप 1 और 2 उत्सर्जन में 100% कमी हासिल करने के लिए नेट जीरो लक्ष्य को पाँच वर्ष कम कर 2040 से 2035 करने की मंजूरी दे दी है। गेल की ऊर्जा रूपांतर यात्रा के प्रमुख घटकों के रूप में विद्युतीकरण, हाइड्रोजन, सीबीजी आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए आपूर्ति मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा को लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

आपकी कंपनी एक स्थायी मूल्य श्रृंखला बनाने के लिए रणनीतिक विकल्प बना रही है, जिसमें ग्राहक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, भविष्य के लिए एक व्यापार मॉडल तैयार करना, ऊर्जा प्रबंधन में सुधार करना, ऊर्जा पोर्टफोलियो में विविधता लाना और पूंजी उत्कृष्टता और परियोजना क्षमताओं को आगे बढ़ाना शामिल है। गेल सतत पहल के भाग के रूप में रांची में एक सीबीजी संयंत्र स्थापित कर रहा है। इसमें 600 करोड़ (72 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवेश किया जाएगा, जिसका उत्पादन लक्ष्य 33 मिलियन कि.ग्रा. प्रति वर्ष है। अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, गेल इंदौर में प्रायोगिक हाइड्रोजन ब्लेंडिंग परियोजना चला रहा है और उसने विजयपुर, मध्य प्रदेश में देश का पहला मेगावाट स्केल ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर स्थापित किया है। इस 10 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर में अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से 4.3 टीपीडी हाइड्रोजन का उत्पादन करने की क्षमता है। गेल इलेक्ट्रोलाइजर के लिए ग्रीन पावर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विजयपुर में 20 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित कर रहा है।

आपकी कंपनी ने अपनी कॉर्पोरेट संस्कृति में संरक्षा को सफलतापूर्वक शामिल किया है। स्वास्थ्य, संरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) हमारे प्रचालन के लिए आवश्यक हैं, वित्त वर्ष 2024 में 95.75% का 'एचएसई स्कोर' प्राप्त किया गया है, जो 93.5% के लक्ष्य से अधिक है। यह संरक्षा और पर्यावरण मानकों के प्रति हमारे दृढ़ समर्पण को दर्शाता है।

कॉर्पोरेट नियंत्रण, पारदर्शिता और नैतिकता आपकी कंपनी की अखंडता और सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। लगातार 15वें वर्ष, कंपनी को सीएजी से "शून्य" टिप्पणियाँ प्राप्त हुई हैं, जो इसके सुदृढ़ प्रशासन को दर्शाती हैं। कंपनी की ऋण योग्यता उद्योग के सर्वश्रेष्ठ स्तर पर बराबर बनी हुई है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को 'बीएए3 स्थिर' पर बनाए रखा है, जो भारत की सॉवरेन रेटिंग और इंडिया रेटिंग्स द्वारा स्थिर आउटलुक के साथ "इंड एएए" के रूप में दीर्घकालिक जारीकर्ता रेटिंग की पुष्टि करती है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ट्राई–पार्टी रेपो सिस्टम (टीआरईपीएस) और क्लियरकॉर्प रेपो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम (सीआरओएमएस) में निवेश शुरू किया गया है। 2024 में, आपकी कंपनी को एक बार पुनः एफटीएसई4गुड इंडेक्स सीरीज में शामिल किया गया है, जलवायु परिवर्तन श्रेणी के तहत सीडीपी ग्लोबल ईसीजी रेटिंग में "ग" से "ख" स्तर पर अपग्रेड किया गया है, और कार्य केंद्रों में स्थायी फैक्ट्री ग्रीनको रेटिंग को अपनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

मुझे यह बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आपकी कंपनी ने सरकारी ई–मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल से अब तक का सबसे अधिक खरीद मूल्य हासिल किया है, जिसकी राशि लगभग 2700 करोड़ रुपए है। गेल ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से लगभग 56% खरीद के साथ खरीद लक्ष्य को पार कर लिया है, जिसमें महिलाओं और अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से क्रमशः लगभग 6% और 4% खरीद हुई, जो उप–लक्ष्यों से अधिक है।

आपकी कंपनी प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अपनी तकनीकी क्षमताओं में सुधार करने के लिए आरएंडडी के महत्व को पहचानती है। गेल आरएंडडी ने पाइपलाइन अखंडता प्रबंधन, एसएनजी, पीईएम जल इलेक्ट्रोलिसिस के लिए केटेलिस्ट विकास के प्रमुख क्षेत्रों में 4 नई परियोजनाएं शुरू की हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि

गेल को हाइड्रेट प्रक्रिया (आईआईटी–मद्रास) के साथ अपशिष्ट जल उपचार, वायरलेस संचार के लिए क्रॉस–लेयर प्रोटोकॉल वानेट और विधि (बिट्स–गोवा), ना–आयन बैटरी के लिए नोवेल बाई–फेज ना–टाइटेनेट उच्च–प्रदर्शन एनोड सामग्री (आईआईटी–बॉम्बे), ऊष्मा ऊर्जा के भंडारण के लिए धातु–हाइड्राइड आधारित थर्मोकेमिकल रिएक्टर कार्ट्रिज (आईआईएससी–बेंगलुरु और एक यूनिटाइज्ड (डीसी और एसी) पावर कंडीशनर (सीएफसीटी–चेन्नई) के साथ ग्रिड–स्वतंत्र ईंधन सेल प्रणाली) के क्षेत्रों में 5 भारतीय पेटेंट दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने अपना स्वयं का आरएंडडी केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है और रोडमैप के अनुसार प्रगति हो रही है।

आपकी कंपनी ने अपने ब्रांड की पहचान स्थापित करने और प्रतिस्पर्धी बने रहने में उल्लेखनीय प्रगति की है। आपकी कंपनी ने प्राकृतिक गैस क्षेत्र में देशव्यापी रुचि जगाने के लिए कई अभियान सफलतापूर्वक शुरू किए हैं, जिनमें 'स्वच्छ हवा के लिए एकजुटता', 'प्राकृतिक गैस के साथ खुशियों की एनर्जी' और 'जड़ों से फिर से जुड़ना' शामिल हैं। गेल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयोजित इन अभियानों ने पिछले साल सामूहिक रूप से 100 मिलियन से अधिक लोगों को जोड़ा। इस साल हमें कई पुरस्कार मिले जैसे एफआईपीआई द्वारा 'वर्ष की सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक गैस परिवहन कंपनी का पुरस्कार', वाराणसी में दुनिया के पहले फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) स्टेशन की स्थापना के लिए 'वर्ष की मिडस्ट्रीम परियोजना' श्रेणियों के लिए प्रतिष्ठित 'एशियन ऑयल एंड गैस अवार्ड्स 2023' और कुआलालंपुर, मलेशिया में आयोजित कार्यक्रम में बैकहाउलिंग के साथ एलएनजी के शिप–टू–शिप (एसटीएस) हस्तांतरण के जरिए एलएनजी शिपिंग लागत और उत्सर्जन में कमी, एमएसएमई मंत्रालय आदि द्वारा वित्त वर्ष 2022–23 के लिए उच्चतम खरीद श्रेणी (> ₹ 1000 करोड़) में अ.जा./अ.ज.जा. के स्वामित्व वाले एमएसई से दूसरे सबसे अधिक प्रतिशत खरीद के लिए पुरस्कार।

आपकी कंपनी की सीएसआर गतिविधियों का उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देना और हितधारकों के मूल्यों और आकांक्षाओं के साथ तालमेल बिठाना है। इस वर्ष, आपकी कंपनी ने आउटरीच बढ़ाने के लिए सांविधिक सीएसआर बजट से आगे बढ़कर काम किया। इन परियोजनाओं ने काफी प्रभाव डाला है, जिससे 13 लाख से अधिक लोगों के जीवन पर असर पड़ा है। उल्लेखनीय उदाहरणों में आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए उत्कर्ष परियोजना शामिल है, जिसमें 97% छात्र जेईई मेन्स और 100% नीट के लिए अर्हता प्राप्त कर चुके हैं; कई कौशल विकास कार्यक्रम जिन्होंने 1,500 से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार किया है'; और आरोग्य परियोजना के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट्स (एमएमयू) के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं का प्रावधान।

आपकी कंपनी समझती है कि व्यावसायिक सफलता के लिए मानव संसाधन महत्वपूर्ण हैं। गेल एचआर सेवाओं को बेहतर बनाने और कर्मचारी अनुभव को बढ़ाने के लिए कई पहलों को लागू कर रहा है जैसे ''वेलनेस आवर – स्पंदन'' जो कर्मचारी कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है। ''प्रोजेक्ट समन्वय'' जो एचआर सेवाओं को बेहतर बनाता है। ''युवा जुड़ाव मंच – ओजस'' जो युवा अधिकारियों के विकास और जुड़ाव का समर्थन करता है। ''गेल आभा'' कर्मचारियों के जीवनसाथी के लिए एक उद्यमी मंच।

भविष्य की ओर देखते हुए, गेल भारत सरकार के विज़न के साथ तालमेल बिठाने और शेयरधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी सतत विकास पर केंद्रित है और पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक जुड़ाव के लिए समर्पित है। देश में पेट्रोकेमिकल्स की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, आपकी कंपनी एक ग्रीनफील्ड इथेन क्रैकर स्थापित करने की व्यवहार्यता तलाश रही है। इसके अलावा, अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के माध्यम से कोयला गैसीकरण–आधारित यूरिया परियोजना स्थापित की जा रही है। आपकी कंपनी सिंथेटिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम में एक और कोयला गैसीकरण परियोजना की व्यवहार्यता पर भी काम कर रही है। आपकी कंपनी 1–जी 500 केएलपीडी बायो–इथेनॉल संयंत्र की स्थापना पर काम कर रही है और अपने प्रतिष्ठानों में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए सीओ2 मूल्य निर्धारण के क्षेत्र में उद्योग के नेताओं के साथ सहयोग कर रही है। इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक गैस और एलपीजी पाइपलाइनों के निर्माण/विस्तार की व्यवहार्यता पर भी काम चल रहा है।

आपकी कंपनी बुनियादी ढांचे के विकास, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने, विविधीकरण, बाजार विस्तार और नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि में अपनी वर्तमान गति को बनाए रखने का इरादा रखती है। आपकी कंपनी ऊर्जा रूपांतरण और अपने प्रचालन को कार्बन मुक्त बनाने के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एलएनजी और प्राकृतिक गैस की पहुंच भी बढ़ा रही है।

अपनी स्थापना के समय से ही आपकी कंपनी ने ग्राहकों, विक्रेताओं, भागीदारों, समुदायों, विनियामकों और अन्य हितधारकों के साथ मजबूत संबंध बनाने को प्राथमिकता दी है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के साथ बातचीत भी शामिल है। मुझे गेल की पहलों के प्रति उनके दृढ़ विश्वास और समर्थन के लिए सभी हितधारकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए गर्व हो रहा है।

गेल की विकास यात्रा के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए शेयरधारकों का आभार।

हस्ता./–
**संदीप कुमार गुप्ता**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

## मिशन

स्वच्छ ऊर्जा और इतर के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना

## विज़न

प्राकृतिक गैस मूल्य श्रृंखला और इतर क्षेत्रों में वैश्विक उपस्थिति, हितधारकों के लिए मूल्य सृजन और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के साथ अग्रणी बनना

### अपने विज़न को प्राप्त करने के लिए गेल की आकांक्षाएं:

#### thou dh x.koÙkk

कंपनी स्थायी रूप से उन्नत और पर्यावरण अनुकूल उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराकर लोगों के जीवन को बदलने का प्रयास करती है।

#### fgrèkkjd

कंपनी स्थायी मूल्य का सृजन करके अपने व्यापक हितधारक समुदाय, अपने कर्मचारियों से लेकर ग्राहकों, भागीदारों और समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने की इच्छा रखती है। यह वंचित वर्ग को बेहतर परिणाम देने, मूल्य सृजित करने और आर्थिक अवसरों का सृजन करने के लिए जिम्मेदार है।

#### LoPN Åtkl vkj ml ls brj

कंपनी प्राकृतिक गैस, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य स्वच्छ वैकल्पिक ऊर्जा सहित श्रेष्ठ, टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और कुशल ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देती है।

#### i;kZoj.kh; ftEenkjh

कंपनी प्रचालन संरक्षा, कर्मचारी स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण के उच्चतम स्तर को बढ़ावा देती है। इसके अलावा यह पर्यावरण और समुदाय पर पड़ने वाले इसके नकारात्मक प्रभाव को कम करने का भी प्रयास करती है।

## गेल के कोर मूल्य

### सत्यनिष्ठा और नैतिकता

यह लोगों के साथ व्यवहार करने में पारदर्शी, निष्पक्ष और सुसंगत है। यह अपनी सभी गतिविधियों में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और विश्वास पर जोर देता है तथा व्यक्तिगत और संस्थागत अखंडता के उच्चतम स्तर को प्रदर्शित करता है।

### उत्कृष्टता

यह निरंतर सुधार और सबक सीखते हुए उन सभी व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों में उत्कृष्टता के शिखर को प्राप्त करने का प्रयास करता है जहां इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति है।

### सम्मान

यह लोगों में विश्वास करता है, कर्मचारियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पहचानता है और उनके अद्वितीय योगदान, टीमवर्क, गरिमा, अधिकारों और गोपनीयता का सम्मान करता है।

### प्रौद्योगिकी और अभिनवता

यह उद्यमशीलता की भावना का सम्मान करता है और लगातार नई प्रौद्योगिकियों के विकास, नए विचारों/उत्पादों की शुरुआत, उन्नत प्रक्रियाओं, बेहतर सेवाओं और प्रबंधन प्रक्रियाओं का समर्थन करता है।

### ग्राहक

यह अपने ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बेहतर उत्पाद और सेवाएं प्रदान करके तथा स्थायी मूल्य का सृजन करके उनकी पहली प्राथमिकता बनने के लिए अथक प्रयास करता है।

### संरक्षा

इसका उद्देश्य पर्यावरण का सम्मान करने के साथ–साथ अपने कार्यबल और इसके आसपास के समुदायों के लिए एक सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करना है।

# गेल का सफर

**1984**
गेल की स्थापना: प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन और विपणन कंपनी

**1987**
भारत की पहली प्राकृतिक गैस पाइपलाइन–एचवीजे का शुभारंभ

**1999**
पाता में पहला पेट्रोरसायन संयंत्र

**2001**
जेएलपीएल एलपीजी ट्रांसमिशन पाइपलाइन का शुभारंभ

**2011**
- अमेरिका में शेल गैस एक्रिज हासिल करने वाली पहली पीएसयू
- अमेरिका में सहायक कंपनी

**2012**
- 2,200 कि.मी. दाहेज–विजयपुर–
- दादरी–नांगल–भटिंडा पाइपलाइन नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित

**2013**
- महारत्न का दर्जा हासिल किया
- दाभोल एलएनजी टर्मिनल और दाभोल–बेंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित
- अमेरिका में कोव प्वाइंट एलएनजी
- टर्मिनल में क्षमता बुकिंग

**2015**
- गदीशपुर–हल्दिया –बोकारो– धामरा पाइपलाइन परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ
- पाता में दुगनी पेट्रोरसायन उत्पादन क्षमता

**2016**

- ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित

**2017**

- बेंगलुरु सीजीडी परियोजना का उद्घाटन
- भुवनेश्वर में सीएनजी स्टेशनों का उद्घाटन
- भुवनेश्वर में पीएनजी और सीएनजी आपूर्ति का शुभारंभ

**2018**

- तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के कार्य का शुभारंभ
- वाराणसी सीजीडी परियोजना का उद्घाटन
- अमेरिका से भारत का पहला एलएनजी कार्गो गेल के पहले चार्टर किराए के पोत से प्राप्त
- रूस के साथ दीर्घकालिक अनुबंध के तहत पहला एलएनजी कार्गो प्राप्त
- कटक में सीएनजी स्टेशनों का उद्घाटन

**2019**

- जमशेदपुर सीजीडी परियोजना का उद्घाटन
- रांची सीजीडी परियोजना का उद्घाटन
- पटना सीजीडी परियोजना का उद्घाटन
- 'प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा' का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित

**2021**

- कोच्चि–मेंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित
- डोभी–दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित

**2022**

- वाराणसी में सीएनजी नौकाओं का समर्पण
- बोकारो–अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित

**2023**

- जेबीएफ पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का अधिग्रहण

**2024**

- धामरा–अंगुल पाइपलाइन का शुभारंभ
- बरौनी–गुवाहाटी पाइपलाइन का शुभारंभ
- विजयपुर–औरैया पाइपलाइन का शुभारंभ
- बाजार पूंजीकरण 1.5 ट्रिलियन रुपए से अधिक तक पहुँच गया
- 1.5 एमएमटीपीए एलएनजी सौदा हासिल किया गया
- पहला 10 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया गया
- एलएनजी रिटेल वर्टिकल शुरू किया गया
- भारत का पहला एसएसएलएनजी स्किड चालू किया गया
- स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन के लिए नेट जीरो लक्ष्य को 5 साल घटाकर अर्थात 2035 किया गया

## राष्ट्र की प्रगति में योगदान

भारत में बिकने वाली प्राकृतिक गैस (एनजी) में **48%** से अधिक का योगदान

भारत में कुल प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन पाइपलाइनों के **65%** का प्रचालन

भारत के लगभग **42%** सीएनजी स्टेशनों (सीजीडी जेवी/गेल गैस) का प्रचालन

- **सहायक कंपनियां**
  - **घरेलू**
    - बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड
    - ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड
    - गेल गैस लिमिटेड
    - गेल मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (पूर्व में जेबीएफ पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के रूप में जानी जाती थी)
    - कोंकण एलएनजी लिमिटेड
    - त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड
  - **विदेशी**
    - गेल ग्लोबल (सिंगापुर) पीटीई. लिमिटेड
    - गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक.
    - गेल ग्लोबल (यूएसए) एलएनजी एलएलसी (गेल ग्लोबल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) (यूएसए) इंक.
- **अन्य जेवी/संबद्ध कंपनियां**
  - **घरेलू**
    - इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड
    - ओएनजीसी पेट्रो एडिशन्स लिमिटेड
    - ओएनजीसी त्रिपुरा पॉवर कंपनी लिमिटेड
    - पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड
    - रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड
    - तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
  - **विदेशी**
    - एलएलसी भारत एनर्जी ऑफिस
    - साउथ ईस्ट एशिया गैस पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड
    - तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड
    - एलएनजी जपोनिका शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड

# समूह व्यापार संरचना

हरित भविष्य के लिए आपकी कंपनी की प्रतिबद्धता को देश और दुनिया के कुछ हिस्सों में व्याप्त सहायक और संयुक्त उद्यमों (जेवी)/संबद्ध कंपनियों के इसके नेटवर्क द्वारा सशक्त किया गया है।

## शहर गैस जेवी/संबद्ध कंपनियां

### घरेलू

- अवंतिका गैस लिमिटेड
- भाग्यनगर गैस लिमिटेड
- सेंट्रल यू.पी. गैस लिमिटेड
- ग्रीन गैस लिमिटेड
- इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
- महानगर गैस लिमिटेड
- महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड
- वडोदरा नेचुरल गैस लिमिटेड

### विदेशी

- चाइना गैस होल्डिंग्स लिमिटेड
- फेयम गैस

## गेल का विविधकृत पोर्टफोलियो

गेल का लक्ष्य अपनी बाजार स्थिति का लाभ उठाकर तथा मूल्य सृजन के क्षेत्रों को बढ़ाकर अपने पोर्टफोलियो की मूल्य क्षमता को अधिकतम करना है।

# प्रमुख व्यापार पोर्टफोलियो

**एलपीजी और तरल हाइड्रोकार्बन**

- 5 प्रोसेसिंग संयंत्र
- 1.4 एमएमटीपीए क्षमता
- 4.58 एमएमटीपीए एलपीजी ट्रांसमिशन क्षमता

**पेट्रोकेमिकल्स**

- 15% घरेलू बाजार हिस्सेदारी
- पाता में 810 केटीए और बीसीपीएल में 280 केटीए की क्षमता

**नगर गैस**

- कुल 307 भौगोलिक क्षेत्रों में से 72 नगर/भौगोलिक क्षेत्र
- सहायक कंपनियां – गेल गैस लि., बंगाल गैस और टीएनजीसीएल + 8 घरेलू सीजीडी जेवी

**नवीकरणीय**

- 118 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता
- 17 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता

**गैस ट्रांसमिशन और विपणन**

- लगभग 16,243 कि.मी. का प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क
- ~15.5 एमएमटीपीए का दीर्घकालिक पोर्टफोलियो

**अन्वेषण और उत्पादन**

- 13 ब्लॉकों में भागीदारी
- अमेरिका और म्यांमार में उपस्थिति

## गेल की व्यापक वैश्विक उपस्थिति

शीर्ष 10 वैश्विक एलएनजी पोर्टफोलियो विपणकर्ताओं में शामिल

लगभग 15.5 एमएमटीपीए का एलएनजी पोर्टफोलियो

**रूस**
भारत एनर्जी ऑफिस

**चीन**
चाइना गैस

**सिंगापुर**
गेल ग्लोबल (सिंगापुर) प्रा. लिमिटेड

**मिस्र**
- दो खुदरा गैस कंपनियों में इक्विटी

**म्यांमार**
- ए1 एवं ए3 ईएंडपी ब्लॉक
- एसईएजीपी

**अमेरिका**
- गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक
- गेल ग्लोबल (यूएसए) एलएनजी एलएलसी

# मूल्य सृजन

## इनपुट

### वित्तीय पूंजी

- ₹ 11,426 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय
- ₹ 6,575.10 करोड़ रुपए की प्रदत्त इक्विटी

### विनिर्मित पूंजी

- 16,243 कि.मी. का गैस नेटवर्क
- 2,040 कि.मी. एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क का स्वामित्व और प्रचालन
- 118 मेगावाट का पवन और 17 मेगावाट की सौर विद्युत क्षमता

### बौद्धिक पूंजी

- आरएंडडी में ₹ 250.20 करोड़ रुपए का निवेश

### मानव पूंजी

- कुल कर्मचारी 5,038 (निदेशक मंडल सहित)
- कुल 1,78,282 मानव घंटों का प्रशिक्षण
- एफटीई के प्रशिक्षण और विकास पर औसत खर्च ₹ 33,812.38

### सामाजिक और संबंध पूंजी

- ₹ 175.71 करोड़ सीएसआर व्यय
- विभिन्न कार्य केंद्रों में 16 विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए
- एमएसई से 25% खरीद का लक्ष्य
- ग्राहक मूल्य प्रबंधन (सीवीएम) किया गया

### प्राकृतिक पूंजी

- कुल ऊर्जा खपत का 5,09,12,004 जीजे
- 22.49 मिलियन मी2 पानी की खपत

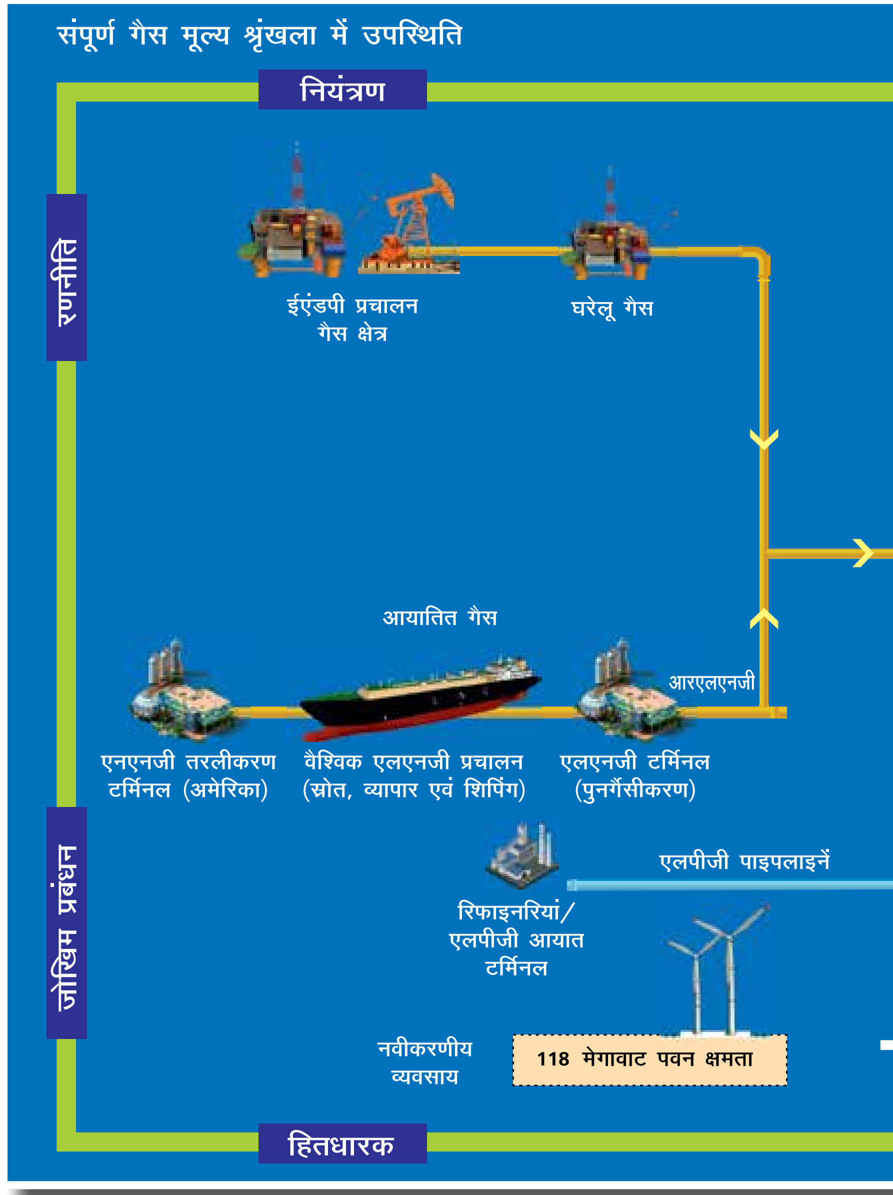


## परिणाम

- भारत में बिकने वाली प्राकृतिक गैस के ~48% से अधिक योगदान के साथ देश की प्रगति में योगदान
- भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस कंपनी

# मॉडल

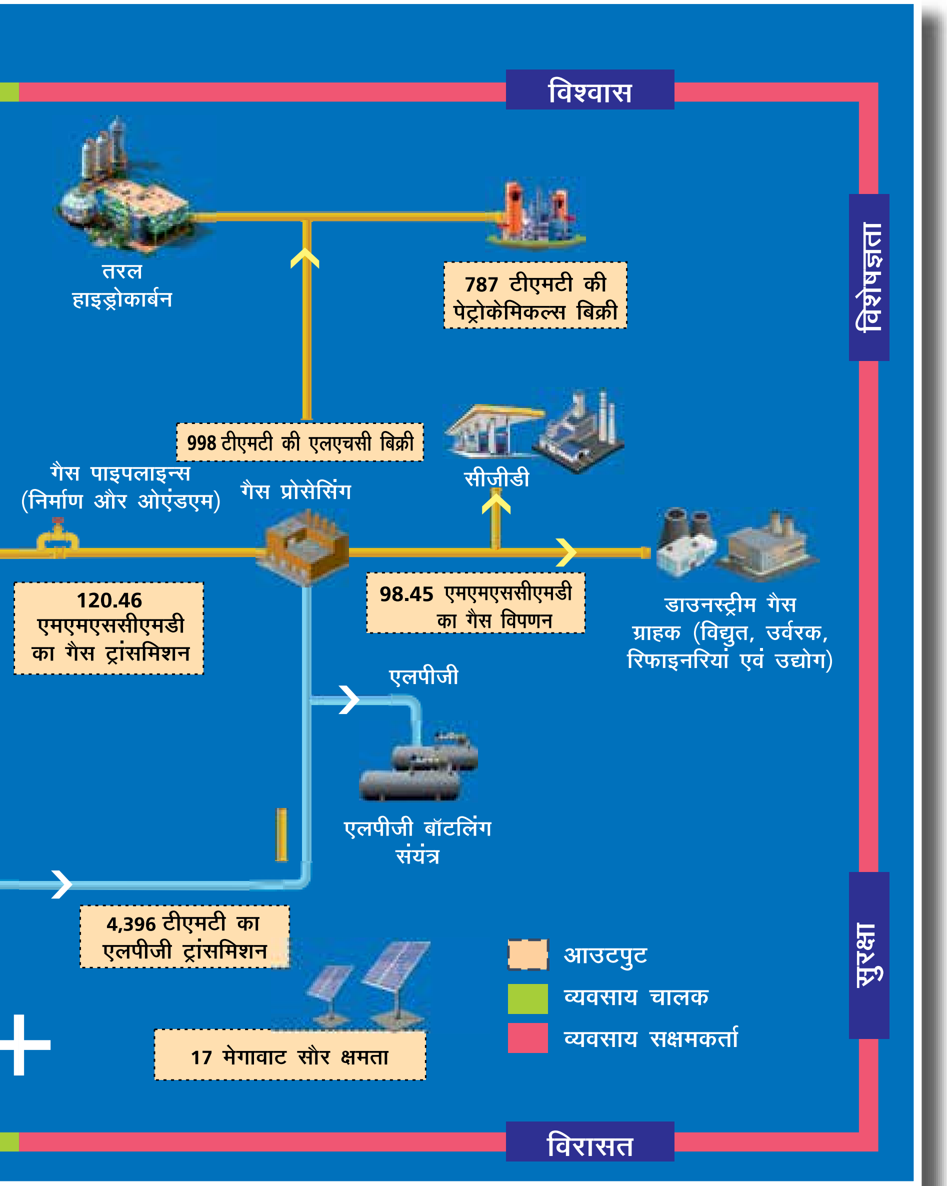


## आउटपुट

### वित्तीय पूंजी

- प्रचालनों से ₹ 1,30,638 करोड़ का राजस्व
- कर पूर्व लाभ ₹ 11,555 करोड़
- प्रति शेयर आय ₹ 13

### विनिर्मित पूंजी

- 120.46 एमएमएससीएमडी का गैस ट्रांसमिशन
- 4.369 एमएमटीपीए का एलपीजी थ्रूपुट
- जीपीयू से लगभग 0.99 मिलियन मी.टन का कुल तरल हाइड्रोकार्बन उत्पादन

### बौद्धिक पूंजी

- मुख्य रूप से हरित हाइड्रोजन, सीओ2, उपयोग जैसे उभरते क्षेत्रों पर सहयोगात्मक अनुसंधान कार्य

### मानव पूंजी

- >93 प्रशिक्षण प्रभावकारिता स्कोर के साथ कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का 80% कवरेज हासिल किया गया
- कर्मचारी टर्नओवर दर 3.49%
- वित्त वर्ष 2023–24 में एचएसई स्कोर 95.4%, जिसने 93.5% के उत्कृष्ट लक्ष्य को पार कर लिया

### सामाजिक और संबंध पूंजी

- सीएसआर कार्यक्रम के माध्यम से 13,34,034 से अधिक लाभार्थी
- एमएसई से ₹ 1,963 करोड़ की खरीद (कुल पात्र मूल्य का 56.51%)
- ग्राहक संतुष्टि स्कोर 91%
- सरकारी ई–मार्केटप्लेस (जेम) से ₹ 2,704 करोड़ रुपए की खरीद

### प्राकृतिक पूंजी

- कुल प्रचालन जीएचजी उत्सर्जन 3,33,62,900 टीसीओ2ई
- 2035 तक नेट जीरो 100: स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य
- 2040 तक 35% जीएचजी स्कोप 3 उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य

भारत के लगभग 40% सीएनजी स्टेशन का संचालन

₹ 1.5 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण

सीएसआर पर पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2.47% (समायोजन सहित) से अधिक खर्च किया गया

# निदेशक मंडल

**श्री दीपक गुप्ता**
निदेशक (परियोजना)
(डीआईएन 09503339)

**श्री संदीप कुमार गुप्ता**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 07570165)

**श्री आयुष गुप्ता**
निदेशक (मा.सं.)
(DIN 09681775)

**श्री राजीव कुमार सिंघल**
निदेशक (व्यापार विकास)
(डीआईएन 09230386)
(28.11.2023 से)

**श्री राकेश कुमार जैन**
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन 08788595)

**श्री संजय कुमार**
निदेशक (विपणन)
(डीआईएन 08346704)
(15.06.2023 से)

# निदेशक मंडल

**श्री आशीष जोशी**
सरकार द्वारा नामित निदेशक
(डीआईएन 09005888)
(18.10.2023 से)

**श्री कुशाग्र मित्तल**
सरकार द्वारा नामित निदेशक
(डीआईएन 09026246)
(16.05.2023 से)

**श्री अखिलेश जैन**
गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक
(डीआईएन 07731983)

**श्री शेर सिंह**
गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक
(डीआईएन 09404758)

**श्री संजय कश्यप**
गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक
(DIN 09402360)

**डॉ. नंदगोपाल नारायणसामी**
गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक
(डीआईएन 06535490)

**श्रीमती कंगाबम इनोचा देवी**
गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक
(डीआईएन 07812922)

**प्रो. डॉ. रविकांत कोल्हे**
गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक
(डीआईएन 09406892)

**श्री एम.वी. अय्यर**
निदेशक (व्यापार विकास)
(डीआईएन 08198178)
(31.10.2023 तक)

**श्री प्रवीण मल खनूजा**
सरकार द्वारा नामित निदेशक
(डीआईएन 09746472)
(16.05.2023 - 17.10.2023)

**डॉ. नवनीत मोहन कोठारी**
सरकार द्वारा नामित निदेशक
(डीआईएन 02651712)
(18.04.2023 तक)

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए हितधारकों के लिए मूल्य की रक्षा और सृजन के लिए नेतृत्व और रणनीतिक दिशा प्रदान करता है। बोर्ड को 13 समितियों का समर्थन प्राप्त है, जो उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में मदद करती हैं। ये समितियाँ विशिष्ट कार्यों को संभालती हैं, जिससे बोर्ड अधिक प्रभावी ढंग से निर्णय ले पाता है।

**आप गेल की निगमित नियंत्रण संरचना, समितियों और तंत्रों के बारे में 'निगमित नियंत्रण पर रिपोर्ट' में पढ़ सकते हैं, जो बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा है।**

# गेल के बोर्ड की समितियां

## लेखापरीक्षा समिति
- श्री अखिलेश जैन – अध्यक्ष
- निदेशक (विपणन)
- प्रो. डॉ. रविकांत कोल्हे

**स्थायी आमंत्रित सदस्यः**

निदेशक (वित्त)

आईए के प्रमुख

## व्यापार विकास और विपणन समिति
- निदेशक (वित्त) – अध्यक्ष
- निदेशक (विपणन)
- निदेशक (बीडी)
- श्री कुशाग्र मित्तल
- डॉ. नंदगोपाल नरायणासामी

## निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआर)
- सीएमडी – अध्यक्ष
- निदेशक (एचआर)
- श्री अखिलेश जैन
- श्री संजय कश्यप

## अधिकार प्राप्त संविदा एवं प्रापण समिति (ईसीपीसी)
- सीएमडी – अध्यक्ष
- सभी कार्यात्मक निदेशक

## अधिकार प्राप्त समिति (प्राकृतिक गैस, एलएनजी एवं पेट्रोकेमिकल्स)
- सीएमडी – अध्यक्ष
- निदेशक (वित्त)
- निदेशक (विपणन)
- निदेशक (बीडी)

## वित्त समिति
- प्रो. डॉ. रविकांत कोल्हे – अध्यक्ष
- निदेशक (वित्त)
- निदेशक (परियोजना)
- श्री शेर सिंह

## मानव संसाधन समिति
- सीएमडी – अध्यक्ष
- सभी कार्यात्मक निदेशक

## नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
- डॉ. नंदगोपाल नारायणसामी – अध्यक्ष
- श्री कुशाग्र मित्तल
- श्री शेर सिंह

**स्थायी आमंत्रित सदस्यः**

निदेशक (वित्त)

निदेशक (मा.सं.)

## परियोजना समिति
- सीएमडी – अध्यक्ष
- निदेशक (वित्त)
- निदेशक (परियोजना)
- श्री कुशाग्र मित्तल
- संबंधित कार्यात्मक निदेशक

## जोखिम प्रबंधन समिति
- श्री शेर सिंह – अध्यक्ष
- निदेशक (वित्त)
- निदेशक (विपणन)
- निदेशक (बीडी)
- श्रीमती कंगाबम इनोचा देवी

**स्थायी आमंत्रित सदस्यः**

मुख्य जोखिम अधिकारी

विभागाध्यक्ष – कॉर्पोरेट रणनीति

विभागाध्यक्ष – राजकोष

विभागाध्यक्ष – कॉर्पोरेट बीआईएस

ईडी (पीसी–ओएंडएम)

ईडी (ओएंडएम–सीओ)

ईडी (विपणन–गैस)

## हितधारक शिकायत निवारण समिति
- श्री संजय कश्यप – अध्यक्ष
- निदेशक (वित्त)
- श्रीमती कंगबाम इनोचा देवी
- विषय से संबंधित विवाद के मामले में संबंधित कार्यात्मक निदेशक को शामिल नहीं किया जाता जैसेः
  - i) परियोजनाओं से संबंधित विवाद के लिए – निदेशक (मा.सं.)
  - ii) विपणन संबंधी विवाद के लिए – निदेशक (बीडी)
  - iii) मानव संसाधन संबंधी विवाद के लिए – निदेशक (परियोजना), और
  - iv) बीडी संबंधित विवाद के लिए – निदेशक (विपणनं)

## हितधारक संबंध समिति
- श्रीमती कंगबाम इनोचा देवी – अध्यक्ष
- निदेशक (वित्त)
- निदेशक (मा.सं.)

## सतत विकास समिति
- सीएमडी – अध्यक्ष
- निदेशक (परियोजना)
- निदेशक (बीडी)
- डॉ. नंदगोपाल नारायणसामी
- श्री संजय कश्यप

# वित्तीय वर्ष 2023–24 में पुरस्कार और मान्यता

गेल को मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित कार्यक्रम में "मिडस्ट्रीम प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर" और "इनोवेशन अवार्ड" श्रेणियों के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय "एशियन ऑयल एंड गैस अवार्ड्स 2023" से सम्मानित किया गया।

गेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री संदीप कुमार गुप्ता को मुंबई में आयोजित 32वें विश्व एचआरडी कांग्रेस एवं पुरस्कार समारोह में 'सीईओ विद एचआर ओरिएंटेशन' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

गेल को जून 2023 में नई दिल्ली में दो श्रेणियों (i) 'वर्ष की सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक गैस परिवहन कंपनी पुरस्कार' और (ii) 'वर्ष की सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित परियोजना पुरस्कार' में प्रतिष्ठित 'एफआईपीआई ऑयल एंड गैस अवार्ड्स 2022' से सम्मानित किया गया।

गेल को अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं विकास संगठन (आईएफटीडीओ) द्वारा वैल्यू फॉर मनी श्रेणी के अंतर्गत प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार काहिरा, मिस्र में आयोजित 50वें आईएफटीडीओ विश्व सम्मेलन एवं स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान प्रदान किया गया।

अगस्त 2023 में सिंगापुर में सीएमओ एशिया अवार्ड्स के 14वें संस्करण में, गेल के निदेशक (वित्त) को सीएफओ श्रेणी में प्रतिष्ठित "उत्कृष्टता के लिए सीएफओ नेतृत्व पुरस्कार" से सम्मानित किया गया।

गेल को नई दिल्ली में बरौनी–गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए 'सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजनाओं के लिए उपलब्धि पुरस्कार' श्रेणी में सीआईडीसी द्वारा '15वां विश्वकर्मा पुरस्कार 2024' प्राप्त हुआ।

# वित्तीय उपलब्धियां

गेल विजयपुर संयंत्र

# प्रमुख वित्तीय उपलब्धियां (पृथक)

## सकल बिक्री (रूपए करोड़ में)

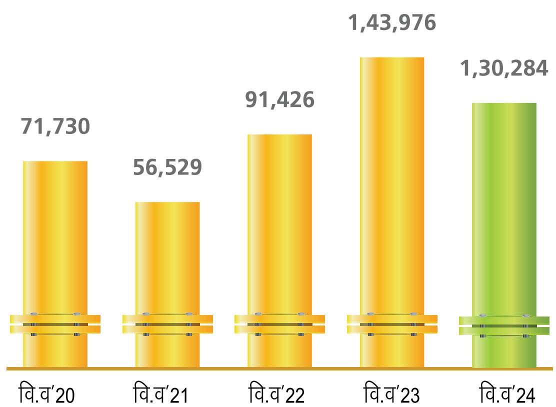


## सकल मार्जिन (ईबीआईटीडीए) (रूपए करोड़ में)

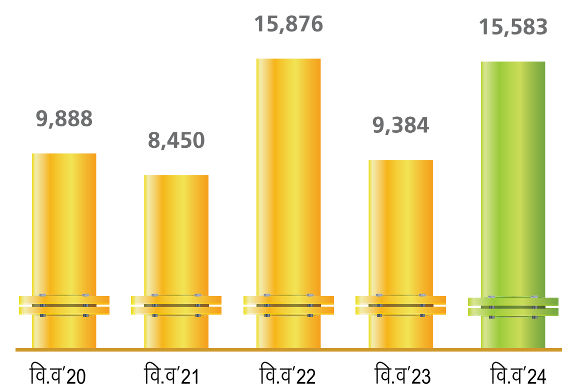


## कर पूर्व लाभ (रूपए करोड़ में)

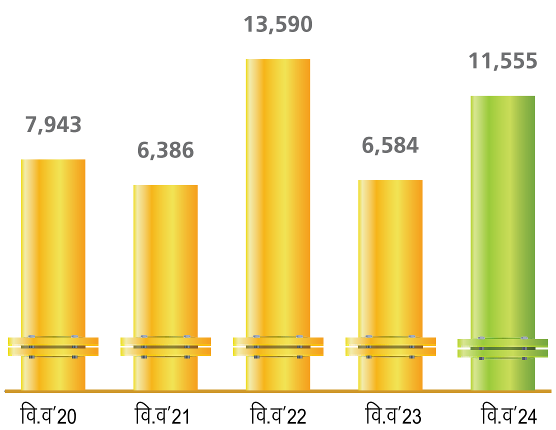


## कर पश्चात लाभ (रूपए करोड़ में)

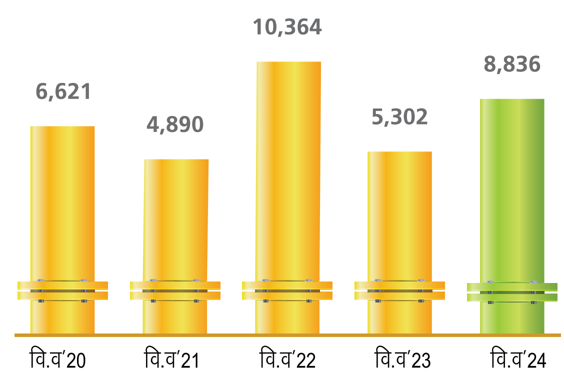

## शेयरधारकों की निधि (करोड़ में)

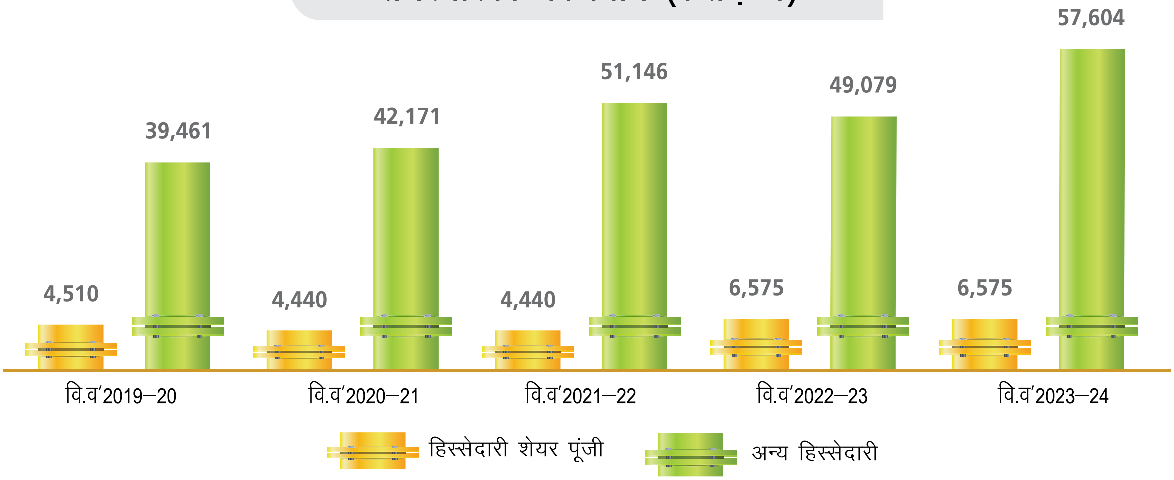


## प्रति शेयर ईपीएस, डीपीएस एवं बुक वैल्यू (रुपये में)

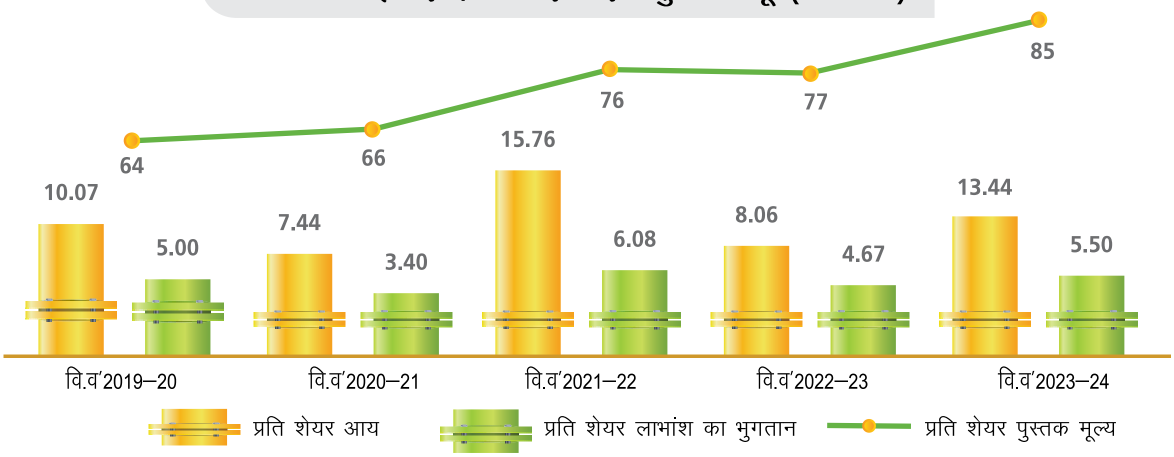


नोटः ईपीएस, डीपीएस और बुक वैल्यू 31–03–2024 तक क्लोजिंग कैपिटल पर आधारित हैं। गत वर्ष के आंकड़े तदनुसार पुनः प्रस्तुत किए गए हैं।

## बाजार पूंजीकरण – बीएसई (रुपए करोड़ में)

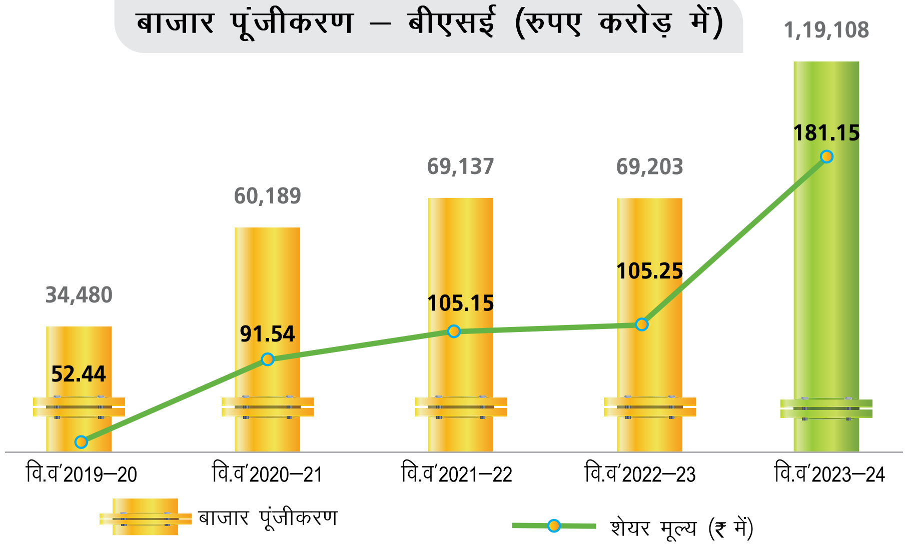


नोटः वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान बोनस शेयर जारी किए गए। गत वर्षों के शेयर मूल्य में तदनुसार परिवर्तन किया गया है

# प्रचालन निष्पादन उपलब्धियां

## पेट्रोकेमिकल्स बिक्री (टीएमटी)

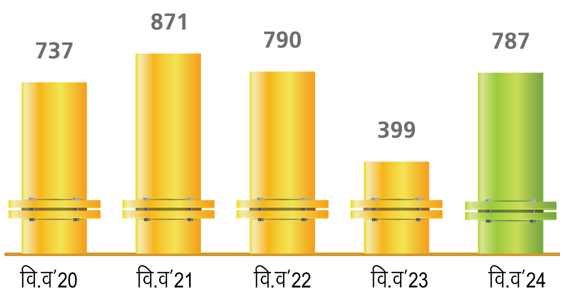


## तरल हाइड्रोकार्बन बिक्री (टीएमटी)

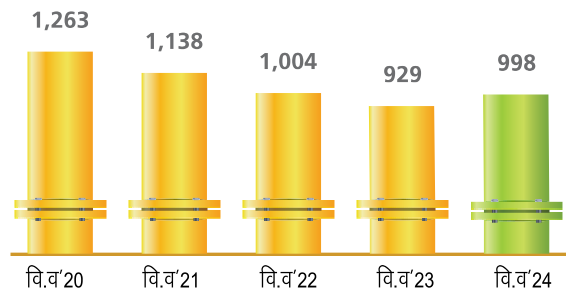


## एलपीजी ट्रांसमिशन (टीएमटी)

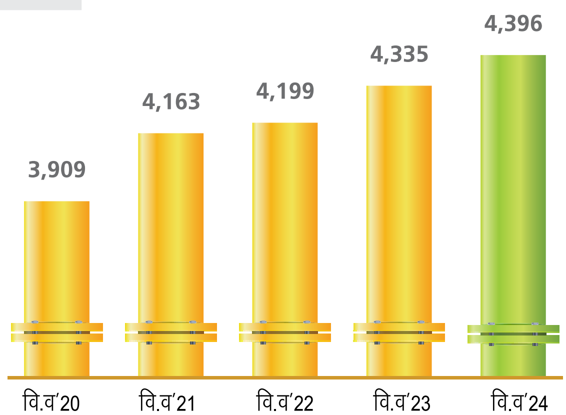


## गैस वॉल्यूम ट्रेंड (एमएमएससीएमडी)

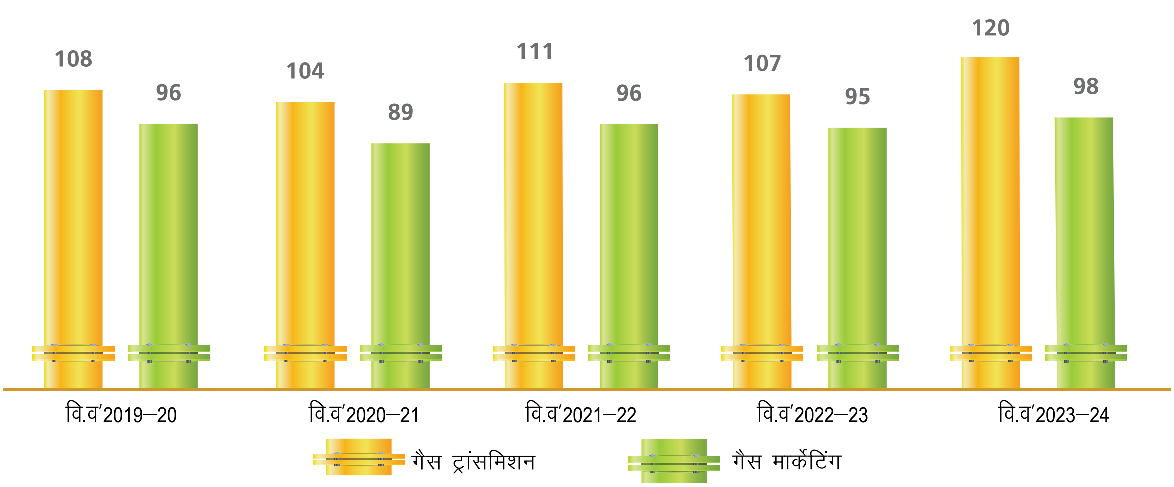

# प्रचालन निष्पादन उपलब्धियां

## गैस विपणन मिश्रण

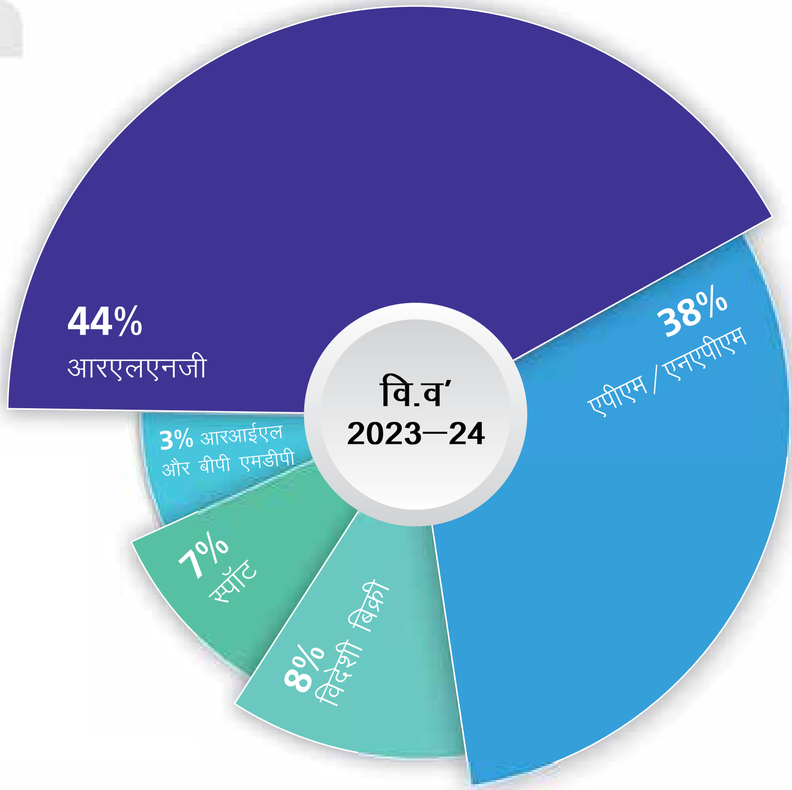


## गैस ट्रांसमिशन मिश्रण

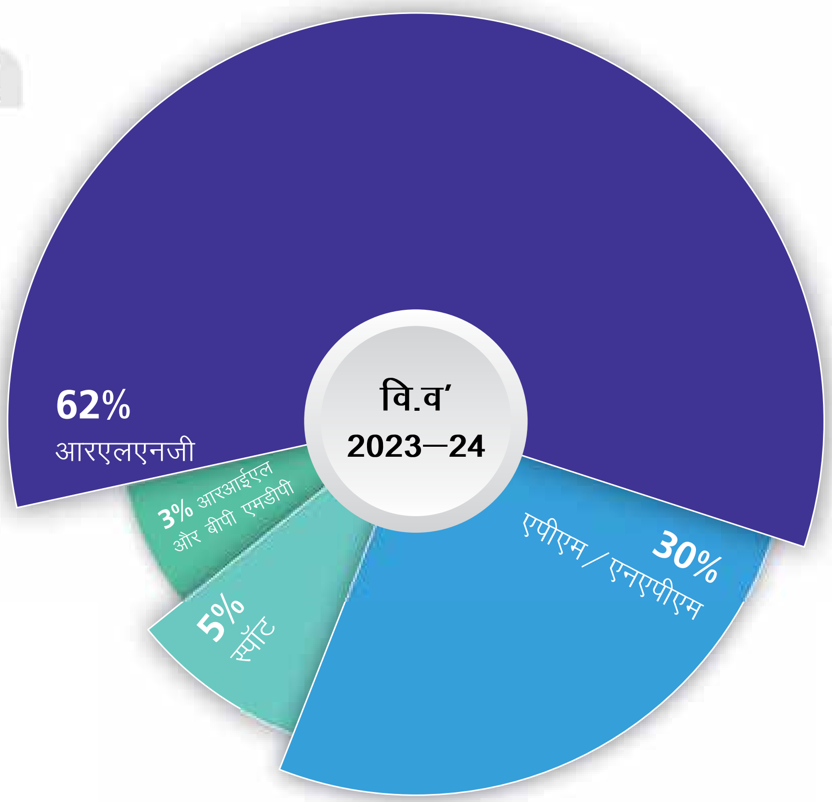

# प्राकृतिक गैस क्षेत्रवार बिक्री

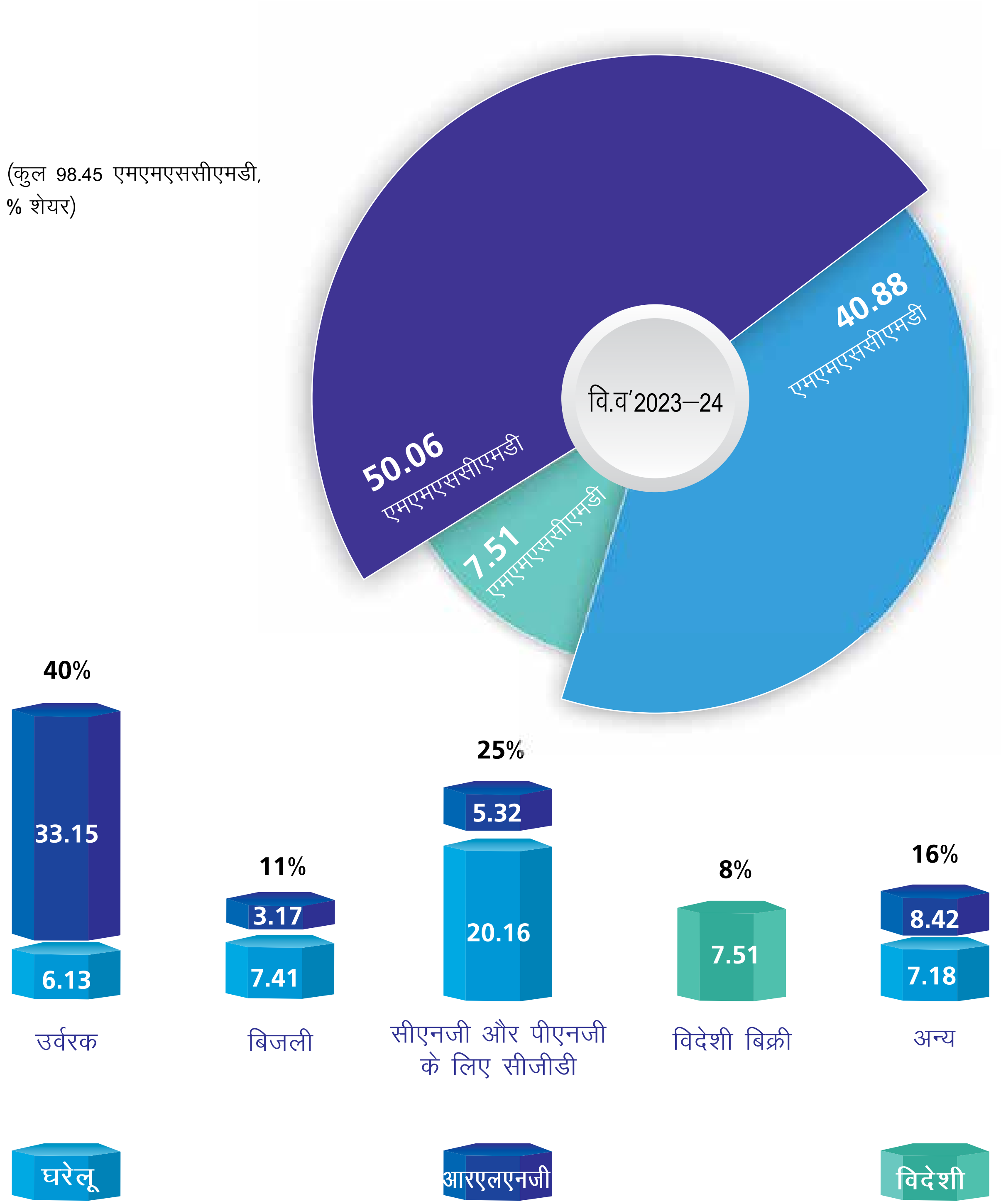


- आयातित गैस में मुख्य रूप से लॉन्ग टर्म आरएलएनजी और स्पॉट गैस शामिल हैं
- घरेलू गैस के प्रमुख स्रोत ओएनजीसी (एपीएम और एमडीपी), राव्वा, राव्वा सैटेलाइट, सीबीएम आदि हैं।
- उर्वरक, बिजली और सीजीडी कंपनियों से प्राकृतिक गैस की सबसे अधिक मांग

* अन्य में इस्पात, रिफाइनरियां, स्पंज आयरन, पेट्रोकेमिकल्स, गेल आंतरिक खपत आदि शामिल हैं।

# कुल आय के प्रतिशत के रूप में लागत एवं लाभ

- उपभोग की गई सामग्री की खरीद और लागत 80%
- कर्मचारी लाभ व्यय 2%
- वित्त लागत 0%
- मूल्यह्रास और परिशोधन 3%
- विद्युत, ईंधन और पानी शुल्क 3%
- भंडार और अतिरिक्त पुर्जे (आरएंडएम व्यय सहित) 1%
- अन्य व्यय और असाधारण मदें 2%
- कर व्यय 2%
- कर पश्चात् लाभ 7%

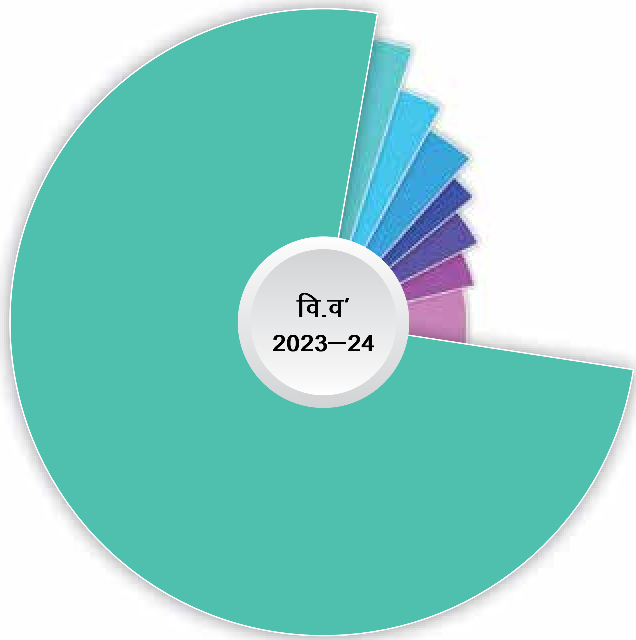


- उपभोग की गई सामग्री की खरीद और लागत 87%
- कर्मचारी लाभ व्यय 1%
- वित्त लागत 0%
- मूल्यह्रास और परिशोधन 0%
- विद्युत, ईंधन और पानी शुल्क 3%
- भंडार और अतिरिक्त पुर्जे (आरएंडएम व्यय सहित) 1%
- अन्य व्यय और असाधारण मदें 1%
- कर व्यय 1%
- कर पश्चात् लाभ 4%

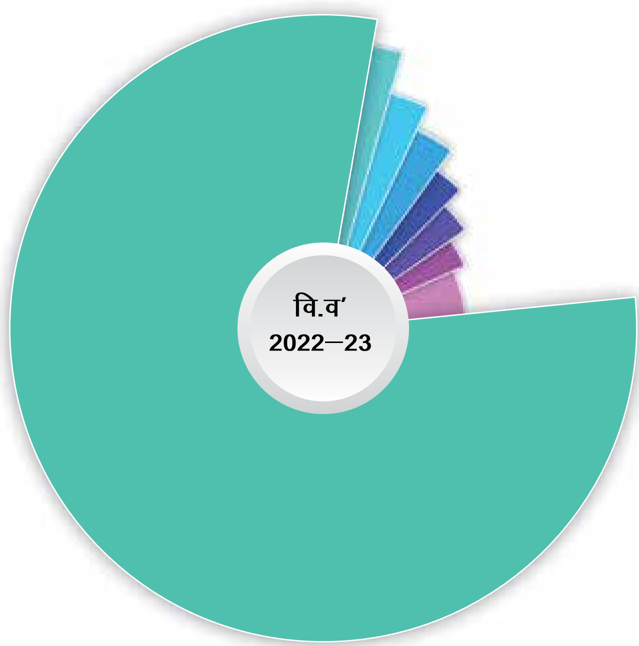

# प्रमुख वित्तीय उपलब्धियां (समेकित)

## सकल बिक्री (रुपए करोड़ में)

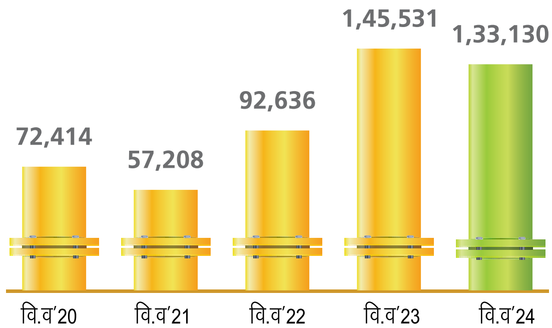


## सकल मार्जिन (ईबीआईटीडीए) (रुपए करोड़ में)

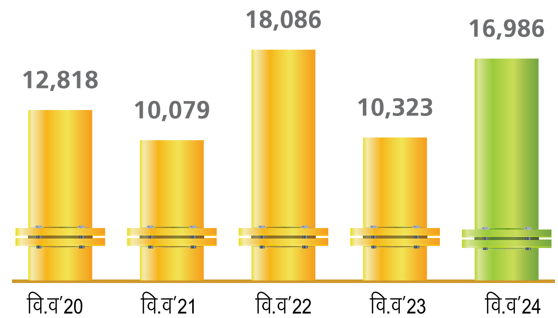


## कर पूर्व लाभ (रुपए करोड़ में)

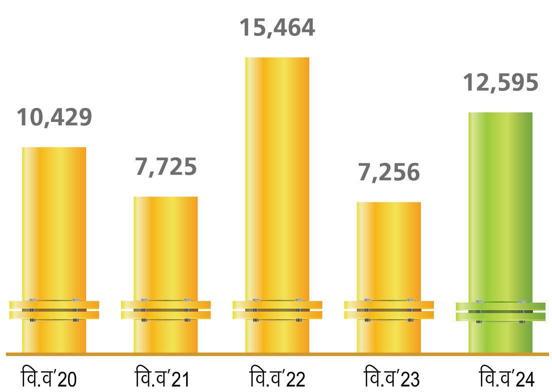


## कर पश्चात लाभ (रुपए करोड़ में) (अल्पसंख्यक ब्याज को छोड़कर)

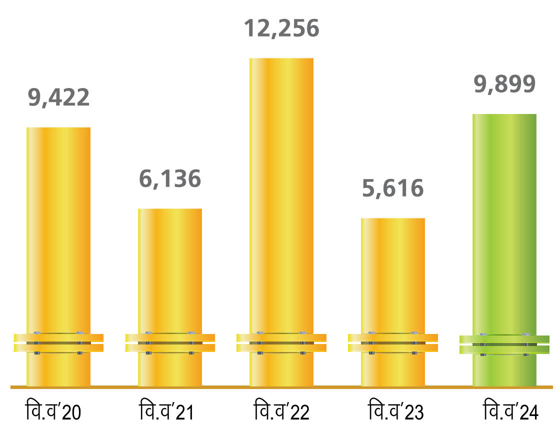

# बोर्ड की रिपोर्ट

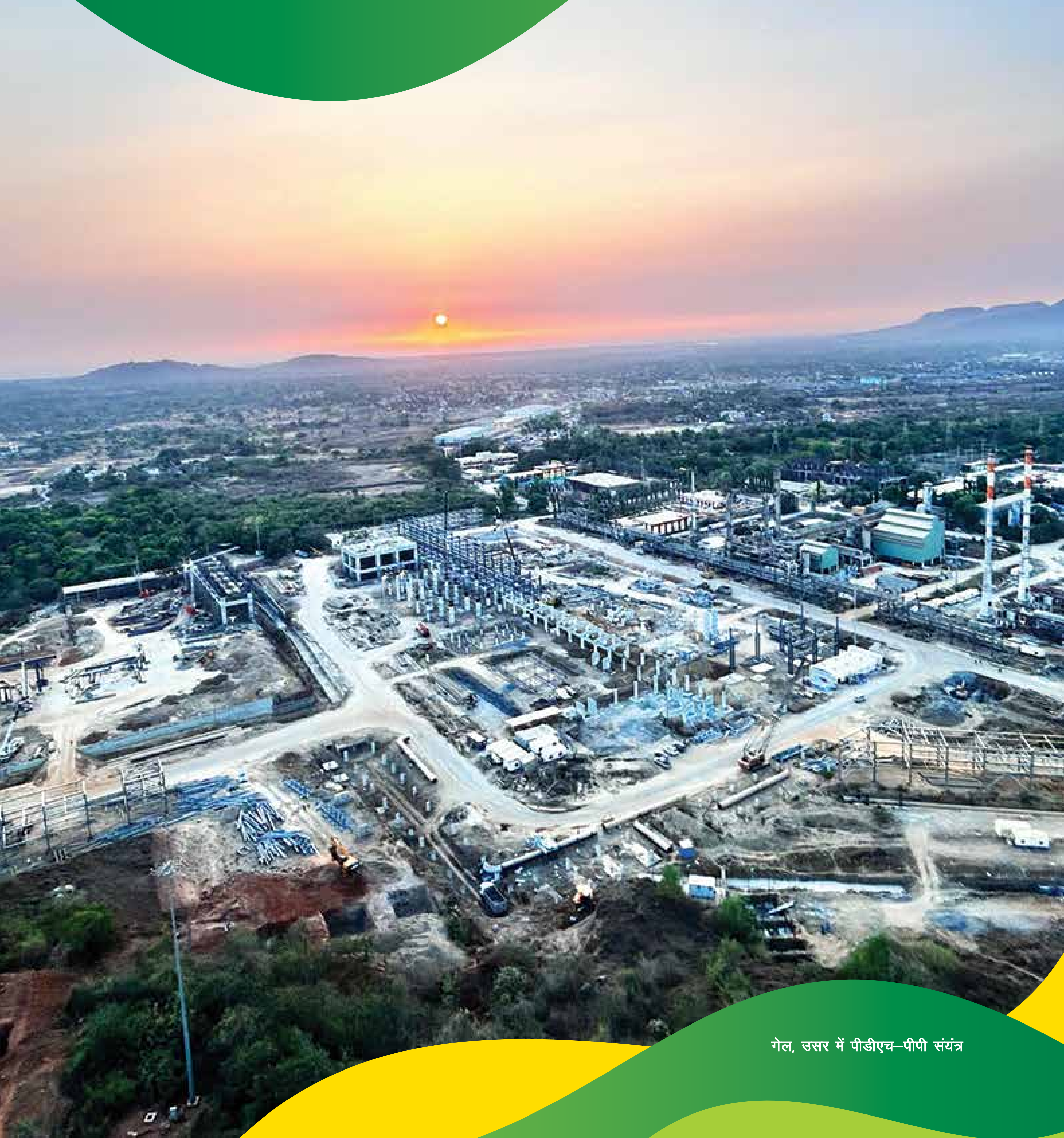

गेल, उसर में पीडीएच–पीपी संयंत्र

# बोर्ड की रिपोर्ट

**प्रिय शेयरधारकों,**

निदेशक मंडल की ओर से, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए लेखापरीक्षित पृथक और समेकित वित्तीय विवरणों के साथ आपकी कंपनी की 40वीं बोर्ड की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है:

## वित्तीय निष्पादन

**i. वित्त वर्ष 2023–24 के लिए पृथक आधार पर वित्तीय विशेषताएं निम्नानुसार हैं:**

| विवरण | वित्त वर्ष 2023–24 | | वित्त वर्ष 2022–23 | |
|---|---|---|---|---|
| | अमेरिकी डॉलर मिलियन में | (₹ करोड़ में) | अमेरिकी डॉलर मिलियन में | (₹ करोड़ में) |
| संचालन से राजस्व | 15,706 | 1,30,638 | 18,181 | 1,44,302 |
| अन्य आय | 265 | 2,208 | 338 | 2,685 |
| बिक्री की लागत (वित्त लागत, मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय को छोड़कर) | 14,098 | 1,17,263 | 17,337 | 1,37,603 |
| सकल लाभ | 1,873 | 15,583 | 1,182 | 9,384 |
| वित्तीय लागत | 84 | 697 | 39 | 312 |
| मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय | 400 | 3,331 | 313 | 2,488 |
| कर पूर्व लाभ (पीबीटी) | 1,389 | 11,555 | 830 | 6,584 |
| कर व्यय | 327 | 2,719 | 162 | 1,282 |
| कर पश्चात लाभ (पीएटी) | 1,062 | 8,836 | 668 | 5,302 |
| पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश | - | - | 55 | 438 |
| चालू वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश | 435 | 3,616 | 331 | 2,630 |
| बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व में (से) निवल अंतरण | - | - | - | - |
| सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण | - | - | - | - |
| विनियोग के बाद निवल अधिदेश | 628 | 5,220 | 282 | 2,234 |
| | **(अमेरिकी डॉलर)** | **(₹ में)** | **(अमेरिकी डॉलर)** | **(₹ में)** |
| प्रति शेयर आय | 0.16 | 13.44 | 0.10 | 8.04 |
| प्रति शेयर बही मूल्य | 1.02 | 85.37 | 0.94 | 77.35 |

**टिप्पण:** निम्नलिखित विनिमय दरों का उपयोग गणना करते समय किया जाता है:

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए: औसत दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 83.18 और समापन दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 83.78 (केवल प्रति शेयर बही मूल्य के लिए)

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए: औसत दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 79.37 और समापन दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 82.57 (केवल प्रति शेयर बही मूल्य के लिए)

**ii. वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए समेकित आधार पर प्रमुख वित्तीय विशेषताएं**

कंपनी अधिनियम 2013 **"अधिनियम"** के प्रावधानों के अनुसार, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 **"सेबी (एलओडीआर) विनियम"**, और लागू लेखा मानकों, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के लेखा–परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

समेकित वित्तीय परिणामों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

| विवरण | वित्त वर्ष 2023–24 | | वित्त वर्ष 2022–23 | |
|---|---|---|---|---|
| | अमेरिकी डॉलर मिलियन में | (₹ करोड़ में) | अमेरिकी डॉलर मिलियन में | (₹ करोड़ में) |
| संचालन से राजस्व | 16,050 | 1,33,500 | 18,379 | 1,45,875 |
| कर पूर्व लाभ | 1,514 | 12,595 | 914 | 7,256 |
| कर पश्चात् लाभ | 1,191 | 9,903 | 705 | 5,596 |
| घटाः अल्पतता का हिस्सा | 0.5 | 4 | (3) | (20) |
| समूह के लिए लाभ | 1,190 | 9,899 | 708 | 5,616 |

**टिप्पण:** निम्नलिखित विनिमय दरों का उपयोग गणना करते समय किया जाता है:

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए: औसत दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 83.18
वित्त वर्ष 2022–23 के लिए: औसत दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 79.37

**व्यापार अवलोकन**

**i. पाइपलाइन ट्रांसमिशन**

- **प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन**

  आपकी कंपनी ने पूरे देश में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के नेटवर्क का विस्तार ~16,243 कि.मी. तक कर दिया है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान इस नेटवर्क के माध्यम से औसत गैस ट्रांसमिशन 12% बढ़कर 120.46 एमएमएससीएमडी के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 107.28 एमएमएससीएमडी था। वित्त वर्ष 2023–24 में प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन क्षेत्र से प्रचालन से राजस्व वित्त वर्ष 2022–23 में ₹6,661 करोड़ की तुलना में 54.5% बढ़कर ₹10,292 करोड़ हो गया है, जिसका मुख्य कारण ट्रांसमिशन मात्रा में वृद्धि और प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन शुल्क में बढ़ोत्तरी है। देश के प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन में आपकी कंपनी की हिस्सेदारी ~65% है।

- **द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) ट्रांसमिशन**

  आपकी कंपनी एलपीजी ट्रांसमिशन के लिए 2040 कि.मी. एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क का स्वामित्व और संचालन करती है, जिसमें मुख्य रूप से 1,427 कि.मी. जामनगर–लोनी पाइपलाइन (जेएलपीएल) शामिल है जो भारत के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों को जोड़ती है और देश के दक्षिणी भाग में स्थित 610 कि.मी. विजाग–सिकंदराबाद पाइपलाइन (वीएसपीएल) पूर्वी तट को जोड़ती है।

  जेएलपीएल और वीएसपीएल नेटवर्क ने मिलकर वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 4.396 एमएमटीपीए का अब तक का उच्चतम थ्रूपुट हासिल किया, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 में यह 4.335 एमएमटीपीए था। वित्त वर्ष 2023–24 में एलपीजी ट्रांसमिशन से प्रचालन से राजस्व वित्त वर्ष 2022–23 में ₹ 722 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹ 732 करोड़ हो गया। एलपीजी उत्पादन में गेल की भारतीय एलपीजी बाजार में लगभग 10% और एलपीजी बिक्री में 7% हिस्सेदारी है।

**ii. प्राकृतिक गैस विपणन**

- प्राकृतिक गैस (एनजी) व्यापार आपकी कंपनी के मुख्य व्यवसायों में से एक बना हुआ है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 94.91 एमएमएससीएमडी की तुलना में 98.45 एमएमएससीएमडी का अब तक का सबसे अधिक बिक्री आंकड़ा हासिल किया। वित्त वर्ष 2023–24 में प्राकृतिक गैस विपणन से प्रचालन से राजस्व ₹1,14,590 करोड़ था, जबकि वित्त वर्ष

गेल के सीएमडी श्री संदीप कुमार गुप्ता नागपुर–जबलपुर पाइपलाइन के शिलान्यास समारोह में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय गैस ग्रिड के 3डी मॉडल के बारे में बताते हुए

2022–23 में यह ₹1,35,290 करोड़ था। देश के घरेलू गैस बाजार में आपकी कंपनी की हिस्सेदारी ~48% है।

**उर्वरक क्षेत्र:** आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान देश में उर्वरक क्षेत्र में खपत होने वाली गैस के लगभग 67% की आपूर्ति की। इस वित्त वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने वाणिज्यिक यूरिया उत्पादन प्राप्त करने के लिए विभिन्न उर्वरक संयंत्रों जैसे मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, पानागढ़, हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल), गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी को गैस की आपूर्ति की।

**बिजली क्षेत्र:** आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान देश में गैस आधारित बिजली संयंत्रों द्वारा खपत की जाने वाली गैस के लगभग 43% की आपूर्ति की। पिछले कुछ वर्षों में, कंपनी ने विभिन्न बिजली उत्पादकों के साथ उनकी बंद पड़ी यूनिटों को चालू करने के लिए सफलतापूर्वक सहयोग किया है। गेल बिजली क्षेत्र के ग्राहकों को संकट की अवधि के दौरान मांग को पूरा करने के लिए अल्प सूचना आवश्यकता सहित प्राकृतिक गैस की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने में भी सफल रहा है।

### iii. पेट्रोकेमिकल्स

आपकी कंपनी के पास पाता कॉम्प्लेक्स में 810 किलो टन प्रति वर्ष (केटीए) की नेमप्लेट पॉलिमर उत्पादन क्षमता है। गेल की सहायक कंपनी ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल) के पास गेल की 70: इक्विटी है और इसकी क्षमता 280 केटीए है। बीसीपीएल संयंत्र का विपणन अधिकार गेल के पास है, जिससे कुल विपणन पोर्टफोलियो 1090 केटीए हो गया है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, आपकी कंपनी का पेट्रोकेमिकल्स का कुल उत्पादन वित्त वर्ष 2022–23 में 442 टीएमटी की तुलना में 75% बढ़कर 777 टीएमटी हो गया और पेट्रोकेमिकल्स की बिक्री वित्त वर्ष 2022–23 में 399 टीएमटी की कुल बिक्री की तुलना में वित्त वर्ष 2023–24 में 97% बढ़कर 787 टीएमटी हो गई। इस खंड से प्रचालन से राजस्व 58% बढ़कर ₹7,753 करोड़ हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 में यह ₹4,917 करोड़ था। देश के कुल पेट्रोकेमिकल उत्पादन में आपकी कंपनी की हिस्सेदारी ~15% है और देश की कुल पेट्रोकेमिकल बिक्री में हिस्सेदारी ~11.1% है।

आपकी कंपनी ने वायर और केबल क्षेत्र में आशाजनक वृद्धि का लाभ उठाने के लिए राफिया क्षेत्र के लिए एक्सट्रूजन कोटिंग / लेमिनेशन के लिए उपयुक्त नए वायर और केबल ग्रेड का उत्पादन शुरू कर दिया है। गेल अपने आगामी पीपी संयंत्रों में यूएसएआर और पाता में "जी–पोल" ब्रांड नाम से पॉलीप्रोपाइलीन उत्पादों का उत्पादन करेगा। आपकी कंपनी लगातार अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार कर रही है और वित्त वर्ष 2023–24 में पॉलिमर के निर्यात के लिए भूटान, घाना और नाइजीरिया के साथ हाथ मिलाया है।

### iv. द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) और अन्य द्रव हाइड्रोकार्बन (एलएचसी)

आपकी कंपनी के पास देश में चार स्थानों पर पाँच गैस प्रोसेसिंग यूनिटें (जीपीयू) हैं, जिनकी कुल एलपीजी और एलएचसी उत्पादन क्षमता 1425 केटीए है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, जीपीयू से कुल एलएचसी उत्पादन वित्त वर्ष 2022–23 में 934 टीएमटी की तुलना में बढ़कर 996 टीएमटी हो गया और वित्त वर्ष 2023–24 में बिक्री बढ़कर 998 टीएमटी हो गई, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 में कुल बिक्री 929 टीएमटी थी। वित्त वर्ष 2023–24 में एलएचसी से प्रचालन से राजस्व ₹5,076 करोड़ था, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 में यह ₹5,570 करोड़ था।

### v. अन्वेषण और उत्पादन (ईएंडपी)

तेल और गैस क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, आपकी कंपनी ने सावधानीपूर्वक निवेश करके अपनी अपस्ट्रीम गतिविधियों में लचीलापन दिखाया है। इसके अलावा, आपकी कंपनी संभावित अवसरों की खोज जारी रखेगी और आगामी घरेलू बोली दौरों में सक्रिय रूप से शामिल रहेगी।

आपकी कंपनी के 13 ईएंडपी ब्लॉकों में भागीदारी हित (पीआइ) है, जिनमें से 10 भारत में, 2 ब्लॉक म्यांमार में और ईगल फोर्ड बेसिन, टेक्सास, अमेरिका (पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी – गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक. के माध्यम से) में 1 शेल गैस एकड़ जमीन है। विभिन्न परिसंघों के अनुसार इन ब्लॉकों (पीआई) में 2,668 वर्ग कि.मी. 2 की एकड़ जमीन है। इनमें से आपकी कंपनी तीन तटीय ब्लॉकों में ऑपरेटर है। (i) कैम्बे बेसिन में सीबी–ओएनएन–2010 / 11 और सीबी–ओएनएचपी–2017 / 12 क्रमशः एनईएलपी–IX और ओएएलपी–I बोली दौर के दौरान प्रदान किए गए, तथा (ii) राजस्थान के बाड़मेर–सांचोर बेसिन में आरजे–ओएनएचपी–2021 / 1 ओएएलपी–VII बोली दौर के दौरान प्रदान किए गए।

एमएनजेपीएल के नागपुर झारसुगुड़ा खंड का शिलान्यास और धामरा अंगुल पाइपलाइन का उद्घाटन

हाइड्रोकार्बन की बिक्री से राजस्व 5 उत्पादक ब्लॉकों अर्थात् म्यांमार में ए–1 और ए–3 (ऑपरेटर–पोस्को इंटरनेशनल), भारत में सीबी–ओएनएन–2000/1 (ऑपरेटर–जीएसपीसी), सीबी–ओएनएन–2003/2 (ऑपरेटर–जीएसपीसी) और सीबी–ओएनएन–2010/11 (ऑपरेटर–गेल) के अलावा ईगल फोर्ड, अमेरिका में शेल गैस एकड़ क्षेत्रफल से उत्पादन से उत्पन्न हो रहा है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान ईएंडपी गतिविधियों से ₹1,033 करोड़ का परिचालन राजस्व उत्पन्न हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 में यह ₹1,134 करोड़ था।

vi. **नवीकरणीय ऊर्जा (आरई)**

आपकी कंपनी के लिए नवीकरणीय ऊर्जा मुख्य फोकस है, और यह इस क्षेत्र का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। इसमें अपनी खुद की अक्षय ऊर्जा बिजली परियोजनाओं को विकसित करना और अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने कौशल में सुधार करना शामिल है। ये प्रयास स्थायी ऊर्जा प्रथाओं और हरित भविष्य की ओर बढ़ने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

आपकी कंपनी के पास अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 135 मेगावाट है, जिसमें से ~118 मेगावाट पवन ऊर्जा और ~17 मेगावाट सौर ऊर्जा से है। इन परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली का आंशिक रूप से ग्रिड से ली गई बिजली के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। इससे बिजली की लागत को किफायती बनाने के अलावा कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलती है। आपकी कंपनी नई अक्षय परियोजनाओं को लागू करके अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान बिजली उत्पादन गतिविधियों से ₹53.33 करोड़ का राजस्व उत्पन्न हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 में ₹64.26 करोड़ का राजस्व उत्पन्न हुआ था। इसके अलावा, भारत सरकार (जीओआई) हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप, आपकी कंपनी इंदौर, मध्य प्रदेश में नगर गैस नेटवर्क में हाइड्रोजन मिश्रण के लिए एक प्रायोगिक परियोजना संचालित कर रही है।

नवीन एवं वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप, गेल ने मध्य प्रदेश के गेल विजयपुर में अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया है, जिसका उद्घाटन 24 मई, 2024 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव श्री पंकज जैन ने किया। इस हरित हाइड्रोजन संयंत्र में अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा 10 मेगावाट पीईएम (प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन) इलेक्ट्रोलाइजर यूनिट के माध्यम से 99.999% (मात्रा के अनुसार) शुद्धता के 4.3 टीपीडी हाइड्रोजन का उत्पादन करने की क्षमता है। प्रारंभ में इस यूनिट से उत्पादित हाइड्रोजन का उपयोग विजयपुर में मौजूदा संयंत्र में चल रही विभिन्न प्रक्रियाओं और उपकरणों में कैप्टिव उद्देश्य के लिए प्राकृतिक गैस के साथ ईंधन के रूप में किया जाएगा।

खुले उपयोग के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने के अलावा, गेल 10 मेगावाट पीईएम इलेक्ट्रोलाइजर के लिए हरित ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विजयपुर में लगभग 20 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र (ग्राउंड माउंटेड और फ्लोटिंग दोनों) भी स्थापित कर रहा है।

vii. **सतत विकास और नेट जीरो**

आपकी कंपनी अपने मूल्य श्रृंखला में पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) को एकीकृत करने में दृढ़ता से विश्वास करती है और इसका उद्देश्य अगली पीढ़ी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने में योगदान देना है। आपकी कंपनी, भारत की शीर्ष गैस ट्रांसमिशन और वितरण इकाई होने के नाते, अपने संचालन और निर्णय लेने में स्थिरता को शामिल करके, देश के ऊर्जा क्षेत्र को एक स्थायी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। कंपनी के स्थिरता रोडमैप को स्वच्छ और सुलभ ऊर्जा और देश में प्राकृतिक गैस की बढ़ती मांग को देखते हुए भारत की राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) रणनीति के आधार पर सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। आपकी कंपनी को जलवायु परिवर्तन श्रेणी के तहत सीडीपी ग्लोबल ईएसजी रेटिंग 2023 में "ग" से "ख" स्तर पर अपग्रेड किया गया है।

एक जिम्मेदार ऊर्जा कंपनी होने के नाते और अपने कार्बन मुक्त वातावरण बनाने के लक्ष्यों को और तेज करने के लिए, आपकी कंपनी ने 2035 तक स्कोप–1 और स्कोप–2 उत्सर्जन में 100% कमी और 2040 तक स्कोप–3 उत्सर्जन में 35% की कमी हासिल करने के लिए एक नेट जीरो रणनीति और स्पष्ट संगठन–व्यापी कार्बन रोडमैप विकसित किया है। रोडमैप "विज्ञान–आधारित नेट–जीरो महत्वाकांक्षा और कार्य योजना" पर एक विस्तृत अध्ययन करने के बाद विकसित किया गया है।

viii. **अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) और स्टार्ट–अप**

आपकी कंपनी के बोर्ड ने हाल ही में गेल में आरएंडडी केंद्र की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। आंतरिक अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) केंद्र की स्थापना अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, प्रायोगिक संयंत्रों और संपूर्ण प्राकृतिक गैस मूल्य श्रृंखला और अगली पीढ़ी के ईंधन में अत्याधुनिक अनुसंधान करने की सुविधाओं से लैस होगी।

एमएनजेपीएल के नागपुर झारसुगुड़ा खंड का शिलान्यास और धामरा अंगुल पाइपलाइन का उद्घाटन

आपकी कंपनी की स्टार्ट–अप पहल 'पंख' नवीन या उच्च विकास क्षमता वाले स्टार्ट–अप में निवेश को नई तकनीक पर तकनीकी जानकारी/प्रतिस्पर्धात्मक उन्नति प्राप्त करने और/या प्रासंगिक तकनीक तक पहुंचने और/या ऐसी कंपनियों की सफलता पर समाज को लाभ के संदर्भ में दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करने के अवसर के रूप में देखती है। इस पहल के तहत, विशिष्ट क्षेत्रों में काम कर रहे नए और आशाजनक स्टार्ट–अप में वित्त–पोषण के लिए ₹ 100 करोड़ का प्रारंभिक कोष बनाया गया है। गेल ने इसमें शामिल जोखिमों को कम करने के लिए अपने निवेश के लिए एक पोर्टफोलियो दृष्टिकोण अपनाया है। स्टार्ट–अप में निवेश विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जिनमें एआई, लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रिक आवाजाही, पोषण, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, पाइप निरीक्षण, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण, जैव उत्पाद, आईओटी, उद्योग 4.0 (प्रक्रिया सुधार), सामाजिक कारणों के क्रेडिट लाइन उत्पाद के साथ फिनटेक क्षेत्र शामिल हैं। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, आपकी कंपनी ने ₹ 1.0 करोड़ की वित्तीय प्रतिबद्धता के साथ 01 स्टार्ट–अप के साथ निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

आपकी कंपनी ने अब तक 35 स्टार्ट–अप को ₹ 70.69 करोड़ की कुल निवेश प्रतिबद्धता और ₹ 65.39 करोड़ के कुल संवितरण के साथ समर्थन दिया है। इनमें से कुछ स्टार्ट–अप्स के मूल्यांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2023–24 में, गेल द्वारा समर्थित चार स्टार्ट–अप्स ने गेल द्वारा आरंभिक निवेश की तुलना में अधिक मूल्यांकन पर धन जुटाया।

### ix. नगर गैस वितरण (सीजीडी)

माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी रविदास में नावों के लिए फ्लोटिंग री–फ्यूलिंग सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन करते हुए

गेल समूह के भीतर सीजीडी कंपनियां पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) में काम कर रही हैं। पीएनजीआरबी द्वारा आयोजित नवीनतम सीजीडी दौर में, गेल समूह की कंपनी–त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड (टीएनजीसीएल) ने 2 भौगोलिक क्षेत्र – मिजोरम और मणिपुर हासिल किए हैं, जो देश के पूर्वोत्तर भाग तक हमारी पहुँच बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसके अलावा, पिछले वर्ष के दौरान, गेल के संयुक्त उद्यम महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) ने यूनिसन एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड (यूईपीएल) की पूरी इक्विटी हासिल कर ली है। यूईपीएल को पीएनजीआरबी द्वारा महाराष्ट्र में 2 भौगोलिक क्षेत्र और कर्नाटक में 1 भौगोलिक क्षेत्र अधिकृत किया गया है। इसके साथ गेल और गेल समूह की कंपनियाँ पूरे देश में कुल 307 भौगोलिक क्षेत्रों में से 72 भौगोलिक क्षेत्र संचालित कर रही हैं। प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र जहां गेल और गेल समूह की कंपनियां काम कर रही हैं, उनमें वाराणसी, कटक, भुवनेश्वर, पटना, रांची, जमशेदपुर, दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, देहरादून, वडोदरा, इंदौर, कोटा, ग्वालियर, मैंगलोर आदि शामिल हैं। इस वर्ष, आपकी कंपनी ने अपनी समूह कंपनियों के साथ मिलकर 11.06 लाख पीएनजी कनेक्शन और 422 सीएनजी स्टेशन जोड़े हैं, जो कुल मिलाकर देश भर में ~83.4 लाख पीएनजी ग्राहक और ~2770 सीएनजी स्टेशन हैं। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान सीजीडी कारोबार से राजस्व बढ़कर पृथक आधार पर ₹595.44 करोड़ और समेकित आधार पर ₹11,851.69 करोड़ हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 में पृथक आधार पर ₹488.05 करोड़ और समेकित आधार पर ₹11,286.69 करोड़ था।

गेल गैस लिमिटेड (आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) बेंगलुरु सहित 16 भौगोलिक क्षेत्रों में सीजीडी परियोजनाओं का क्रियान्वयन और प्रचालन कर रही है। वर्तमान में, गेल गैस लिमिटेड की 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां (जेवीसी) हैं और ये जेवीसी 9 भौगोलिक क्षेत्रों में सीजीडी परियोजना का क्रियान्वयन कर रही हैं। गेल गैस लिमिटेड ने अपनी जेवीसी के साथ मिलकर 9.77 लाख घरों को जोड़ा है और 570 सीएनजी स्टेशनों के माध्यम से वाहनों के लिए स्वच्छ ईंधन की आवश्यकताओं को पूरा किया है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, गेल गैस ने अपनी जेवीसी के साथ मिलकर 1.1 लाख घरेलू पीएनजी कनेक्शन हासिल किए हैं और 122 सीएनजी स्टेशन स्थापित किए हैं।

माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने 17 राज्यों में 201 सीएनजी स्टेशन और भारत की पहली लघु–स्तरीय एलएनजी यूनिट राष्ट्र को समर्पित की

सीजीडी विस्तार के लिए बेंगलुरु आपकी कंपनी का प्रमुख फोकस बना हुआ है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान बेंगलुरु भौगोलिक क्षेत्र में 44 सीएनजी स्टेशन स्थापित किए गए और लगभग 37,008 घरेलू पीएनजी कनेक्शन प्रदान किए गए।

**x. परियोजना क्रियान्वयन**

माननीय प्रधानमंत्री ने कोच्चि – कूट्टनद – बेंगलुरु – मंगलौर पाइपलाइन (केकेबीएमपीएल।।) के कृष्णगिरि से कोयंबटूर खंड और मुंबई–नागपुर–झारसुगुड़ा पाइपलाइन (एमएनजेपीएल) के नागपुर–जबलपुर खंड और नागपुर–झारसुगुड़ा खंड की आधारशिला रखी, साथ ही पीएम ऊर्जा गंगा योजना के तहत विजयपुर–औरैया पाइपलाइन, धामरा–अंगुल पाइपलाइन, सुल्तानपुर–झज्जर पाइपलाइन और बरौनी–गुवाहाटी पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके अतिरिक्त, पूरे गेल देश में लगभग 3400 कि.मी. प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। इनमें प्रमुख हैं दुर्गापुर–हल्दिया पाइपलाइन, धामरा–हल्दिया पाइपलाइन, श्रीकाकुलम–अंगुल पाइपलाइन, मुंबई–नागपुर–झारसुगुड़ा, केकेबीएमपीएल का कृष्णगिरि–कोयंबटूर खंड और गुरदासपुर–जम्मू पाइपलाइन। इसके अलावा, गेल ने विजयपुर में भारत की पहली लघु–स्तरीय एलएनजी यूनिट की स्थापना की है, जो अलग–अलग स्रोतों और उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ने में एसएसएलएनजी प्रौद्योगिकी की क्षमता को प्रदर्शित करती है।

पेट्रोकेमिकल व्यवसाय के अंतर्गत, आपकी कंपनी महाराष्ट्र के उसर में 500 केटीए प्रोपेन डिहाइड्रोजनेशन और पॉलीप्रोपाइलीन (पीडीएच–पीपी) संयंत्र स्थापित कर रही है, जिसके 2025 में चालू होने की उम्मीद है। यह प्रोपलीन के उत्पादन के लिए प्रोपेन डिहाइड्रोजनेशन तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला संयंत्र होगा। विभिन्न परियोजना–संबंधी गतिविधियाँ जोर–शोर से चल रही हैं और इसके 2025 में आरंभ होने की उम्मीद है। इसके अलावा, आपकी कंपनी उसर में पीडीएच–पीपी संयंत्र में उत्पादित हाइड्रोजन के लिए कार्बन तीव्रता का आकलन भी कर रही है। आपकी कंपनी पाता में 60 केटीए पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) संयंत्र और उसर में 50 केटीए आइसोप्रोपेनॉल (आईपीए) यूनिट भी स्थापित कर रही है।

आपकी कंपनी, गेल की एक सहायक कंपनी कोंकण एलएनजी लिमिटेड (केएलएल) के तहत महाराष्ट्र में 5 एमएमटीपीए दाभोल टर्मिनल की वाणिज्यिक संचालक है। ब्रेकवाटर सुविधाओं से संबंधित कमीशनिंग गतिविधियाँ तेजी से पूरी की जा रही हैं। गेल मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (जीएमपीएल), आपकी कंपनी की 100% सहायक कंपनी 1.25 केटीए शुद्ध टेरेफ्थेलिक एसिड (पीटीए) संयंत्र की परिसंपत्तियों और मशीनरी का पुनरुद्धार कर रही है और इसका लक्ष्य 2025 में चालू करना और उत्पादन शुरू करना है।

**xi. कंप्रेस्ड जैव–गैस**

नेट जीरो आकांक्षाओं और आयात में कमी के उद्देश्यों के साथ, गेल ने हाल ही मैसर्स ट्रूअल्ट बायोएनर्जी लिमिटेड (टीबीएल) के साथ एक टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें लीफिनिटी बायोएनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एलबीपीएल) में इक्विटी का अधिग्रहण शामिल है। इस रणनीतिक कदम में 10 कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) संयंत्रों की स्थापना के लिए लगभग ₹ 600 करोड़ का निवेश शामिल है, जिसका सामूहिक उत्पादन लक्ष्य 33 मिलियन कि.ग्रा. से अधिक है, और यह गेल की आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कई सीबीजी संयंत्र स्थापित करने की प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण घटक होगा। कंपनी रांची में 5 टन प्रति दिन (टीपीडी) सीबीजी उत्पादन क्षमता वाला अपना पहला सीबीजी संयंत्र स्थापित कर रहा है।

**xii. विदेशी व्यापार**

आपकी कंपनी प्राकृतिक गैस मूल्य श्रृंखला के साथ परियोजनाओं/उपक्रमों में अपनी भागीदारी के माध्यम से लगातार अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार कर रही है। अमेरिका, कतर, ऑस्ट्रेलिया आदि से लगभग 14 एमएमटीपीए के एलएनजी पोर्टफोलियो के साथ, कंपनी अग्रणी वैश्विक एलएनजी कंपनियों में से एक के रूप में उभरी है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलएनजी व्यापार व्यवसाय में सक्रिय रूप से शामिल है। गेल ने 2026 से शुरू होने वाले दो 10–वर्षीय एलएनजी आपूर्ति समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं; विटोल, सिंगापुर से 1 एमएमटीपीए और एडीएनओसी गैस, यूएई से 0.5 एमएमटीपीए।

आपकी कंपनी म्यांमार में दो अपतटीय ईएंडपी ब्लॉकों (ए–1 और ए–3) में एक परिसंघ का हिस्सा है। इन ब्लॉकों से लगभग 15.33 एमएमएससीएमडी गैस का उत्पादन किया जा रहा है और दक्षिण पूर्व एशिया गैस पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड (एसईएजीपी) के माध्यम से चीन और म्यांमार को आपूर्ति की जा रही है, जिसमें गेल भी एक इक्विटी भागीदार है।

आपकी कंपनी तुर्कमेनिस्तान से भारत में गैस के आयात के लिए तुर्कमेनिस्तान–अफगानिस्तान–पाकिस्तान–भारत (टीएपीआई) प्राकृतिक गैस परियोजना में भारत सरकार की नामिती है।

आपकी कंपनी मिस्र के दो सीजीडी कंपनियों, अर्थात फयूम गैस कंपनी (एफजीसी) और नेशनल गैस कंपनी (नैटगैस) में इक्विटी हिस्सेदारी है। आपकी कंपनी एक प्रमुख सीजीडी कंपनी चाइना गैस होल्डिंग्स लिमिटेड (चाइना गैस) में भी इक्विटी भागीदार है।

आपकी कंपनी ने 2011 में ह्यूस्टन, टेक्सास में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक. ('जीजीयूआई') का गठन किया और शेल गैस परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया; और गेल ग्लोबल (यूएसए) एलएनजी एलएलसी ('जीजीयूएलएल'), मार्च, 2013 में डोमिनियन कोव पॉइंट पर प्राकृतिक गैस की सोर्सिंग, पाइपलाइन परिवहन और द्रवीकरण व्यवस्था के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली स्टेपडाउन सहायक कंपनी बनाई। आपकी कंपनी ने 2004 में एलएनजी ट्रेडिंग के लिए सिंगापुर में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में गेल ग्लोबल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड (जीजीएसपीएल) का भी गठन किया।

आपकी कंपनी ने ओएनजीसी विदेश सिंगापुर प्रा. लिमिटेड, आईओसीएल सिंगापुर प्रा.लिमिटेड, ऑयल इंडिया इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर रूस में व्यावसायिक अवसरों की खोज के लिए भारत एनर्जी ऑफिस एलएलसी (बीईओ), मॉस्को, रूस का गठन किया है।

आपकी कंपनी की मैसर्स एलएनजी जैपोनिका शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ('जैपोनिका') में भी इक्विटी हिस्सेदारी है।

## सहायक/संबद्ध/संयुक्त उद्यम

आपकी कंपनी ने विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों जैसे नगर गैस वितरण (गेल गैस लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, महानगर गैस लिमिटेड आदि), पेट्रोरसायन उत्पादन (ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड, ओएनजीसी पेट्रो–एडिशंस लिमिटेड), गेल मैंगलोर पॉलिमर लिमिटेड), एलएनजी पुनः गैसीकरण (कोंकण एलएनजी लिमिटेड, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड), एलएनजी शिपिंग (एलएनजी जापोनिका शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड), गैस ट्रेडिंग (गेल ग्लोबल (सिंगापुर) प्रा. लिमिटेड), और शेल गैस (गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक) और एलएनजी सोर्सिंग (गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक) लिए विभिन्न सहायक कंपनियों/संबद्ध/संयुक्त उद्यम कंपनियों का गठन किया है।

आपकी कंपनी गेल के साथ तालमेल रखने वाली या विविध क्षेत्रों में कंपनियों के अधिग्रहण की निरंतर खोज में रहती है। इक्विटी निवेश के अवसरों की नियमित आधार पर जांच की जाती है।

सहायक कंपनियों/संबद्ध कंपनियों/संयुक्त उद्यम कंपनियों ने आपकी कंपनी की व्यावसायिक विस्तार गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के पहले प्रावधान के अनुसार आपकी कंपनी की सहायक कंपनियों, संबद्ध कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला एक विवरण, जिसमें इस अवधि के दौरान कंपनी के समग्र प्रदर्शन में इन कंपनियों के व्यक्तिगत योगदान को शामिल किया गया है, इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाले समेकित वित्तीय विवरणों के तहत दिया गया है।

सभी संबंधित पक्षों के साथ किए गए अनुबंध या व्यवस्था/लेन–देन निष्पक्ष आधार पर थे और व्यवसाय के सामान्य क्रम में वर्ष के दौरान किसी भी सहायक/संयुक्त उद्यम कंपनी में निवेश बंद नहीं हुआ है।

## लाभांश

आपकी कंपनी को लगातार लाभांश देने वाली कंपनी होने पर गर्व है। निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान ₹ 6,575.10 करोड़ की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 55% अर्थात ₹ 5.50 प्रति इक्विटी शेयर की दर से इक्विटी शेयरधारकों को वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के मुनाफे में से ₹ 3,616.30 करोड़ की राशि के अंतरिम लाभांश के भुगतान को मंजूरी दी थी। अंतरिम लाभांश का भुगतान फरवरी, 2024 में किया गया था।

दावा न किए गए लाभांश का विवरण कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट खंड में शामिल है, जो बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा है।

## राजकोष में योगदान

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 में शुल्कों, करों और अन्य के माध्यम से राजकोष में ₹ 16,536.35 करोड़ का योगदान दिया है, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 में यह ₹ 14,446 करोड़ था।

## समझौता–ज्ञापन (एमओयू) प्रदर्शन

आपकी कंपनी और इसके प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) के बीच हर साल समझौता–ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाते हैं ताकि उसमें निर्धारित लक्ष्यों के माध्यम से कंपनी के प्रदर्शन का आकलन किया जा सके और उसे बढ़ाया जा सके। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए समझौता–ज्ञापन पर सचिव (पीएंडएनजी), भारत सरकार और आपकी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के बीच हस्ताक्षर किए गए।

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए आपकी कंपनी के समझौता–ज्ञापन का मूल्यांकन किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2022–23 के लिए समझौता–ज्ञापन का मूल्यांकन डीपीई द्वारा पूरा कर लिया गया है और गेल ने 91.00 अंक हासिल किए हैं, जो 'उत्कृष्ट' रेटिंग के अनुरूप है।

## कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ईएसओपी)

आपकी कंपनी ने कोई कर्मचारी स्टॉक विकल्प प्रदान नहीं किया है, इसलिए कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 12(9) और नियम 16(4) के तहत ईएसओपी के संबंध में प्रकटीकरण की आवश्यकता लागू नहीं होती।

## भारत के राष्ट्रपति द्वारा विनिवेश

आपकी कंपनी भारत सरकार (जीओआई) द्वारा प्रवर्तित है। 31 मार्च, 2024 तक भारत सरकार की शेयरधारिता 51.52% है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान भारत सरकार द्वारा गेल के शेयरों का कोई विनिवेश नहीं किया गया।

## कंपनी की क्रेडिट रेटिंग

- **घरेलू रेटिंग**

  आपकी कंपनी को आईसीआरए, केयर और इंडिया रेटिंग्स द्वारा स्थिर दृष्टिकोण के साथ 'एएए' की उच्चतम घरेलू क्रेडिट रेटिंग बनाए रखी गई है। यह भारत में उच्चतम घरेलू दीर्घकालिक क्रेडिट रेटिंग को दर्शाता है, और इसलिए, कंपनी के न्यूनतम क्रेडिट जोखिम को दर्शाता है।

- **अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग**

  इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी, मूडीज इंटरनेशनल, सिंगापुर ने स्थिर आउटलुक के साथ 'बीएए3' की दीर्घकालिक कॉरपोरेट इश्यूअर रेटिंग दी है जो भारत की सॉवरेन रेटिंग के बराबर है। इसके अलावा, फिच रेटिंग्स ने स्थिर दृष्टिकोण के साथ 'बीबीबी–' की दीर्घकालिक जारीकर्ता रेटिंग दी है, जो भारत की सॉवरेन रेटिंग के बराबर है। इन दोनों अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों से पता चलता है कि आपकी कंपनी की रेटिंग अब भारत की सॉवरेन रेटिंग तक सीमित है और भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार होने पर इसे अपग्रेड किया जा सकता है।

## कर नियोजन और प्रबंधन

- वित्त वर्ष 2018–19 के लिए आपकी कंपनी की ₹ 695.73 करोड़ की मांग को महाराष्ट्र वैट विभाग ने सुधार आदेश जारी करके खारिज कर दिया।
- ₹ गेल को एलएनजी जहाज चार्टरिंग शुल्क पर करों को रोकने के लिए आयकर अधिनियम 239क की धारा के तहत ₹ 78.52 करोड़ का रिफंड आदेश मिला।
- आपकी कंपनी को अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (एईओ) टी3 स्थिति से मान्यता प्राप्त थी, जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा आयातकों और निर्यातकों के लिए सुविधा का उच्चतम स्तर है। एईओ विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) के तत्वावधान में मानकों के सुरक्षित ढांचे के तहत एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव श्री पंकज जैन द्वारा विजयपुर में 10 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन

अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा को बढ़ाना और वैध वस्तुओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है।

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात बिक्री कर मामले में गुजरात बिक्री कर विभाग द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया, जिसमें गुजरात से प्राकृतिक गैस के स्टॉक हस्तांतरण के लिए गेल के खिलाफ ₹ 5,000 करोड़ की मांग की गई थी।

### ऋण और नकदी प्रबंधन

कंपनी ने दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋणों और अपने स्वयं की निधियों का समझदारी से संयोजन करके अपनी नकदी आवश्यकताओं का प्रबंधन किया। इससे कंपनी को नियोजित पूंजीगत व्यय को प्रभावित किए बिना अपनी पूंजी की लागत को कम करने में मदद मिली। लागत को और कम करने के लिए, कंपनी कम ब्याज दरों पर पुराने ऋणों को पुनर्वित्त करने की कोशिश करती है और प्रतिस्पर्धी दरों पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से दीर्घकालिक और अल्पकालिक सुविधाओं के लिए नए ऋण प्राप्त करती है। ये उपाय दीर्घकालिक उधार की समग्र लागत को कम करने में मदद करती हैं।

बड़े कॉरपोरेट्स को अपने अतिरिक्त उधार का 25% ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से जुटाना आवश्यक है। वित्त वर्ष 2023 में, गेल ने अधिकांश आवश्यक धनराशि ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से जुटाई। हालांकि, वित्त वर्ष 2024 में, गेल ने सस्ते वैकल्पिक वित्तपोषण स्रोतों का उपयोग किया और वित्त वर्ष 2026 तक अनुमत समय–सीमा का लाभ उठाया। इस रणनीति ने गेल को ऋण प्रतिभूतियों पर निर्भर रहने के बजाय प्रतिस्पर्धी स्रोतों से उधार लेकर अपनी वित्तपोषण लागतों को कम करने में मदद की।

अधिशेष निधियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए, गेल ने निजी म्यूचुअल निधियों और ट्राई–पार्टी रेपो सिस्टम (टीआरईपीएस) और क्लियरकॉर्प रेपो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम (सीआरओएमएस) में अपनी अधिशेष निधियों का निवेश शुरू करके नई वित्तीय प्रणाली शुरू की है, जिससे निवेश की उच्च सुरक्षा और मौजूदा बाजार स्थितियों के आधार पर आकर्षक रिटर्न सुनिश्चित हो रहा है।

### ऋण, निवेश और कॉर्पोरेट गारंटी का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत कवर किए गए निवेश, ऋण और गारंटी का विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत वित्तीय विवरणों का हिस्सा है।

### सतर्कता

आपकी कंपनी का कॉर्पोरेट सतर्कता विभाग आईएसओ–9001:2015 आईएसओ की आवश्यकताओं के अनुपालन में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली अपनाने के लिए प्रमाणित है।

संविदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के बारे में कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए, विभिन्न गेल स्थानों पर विशेष प्रशिक्षण आयोजित किए गए और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के मार्गदर्शन में 30 अक्तूबर से 5 नवंबर 2023 तक कॉर्पोरेट कार्यालय और साइट कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) 2023 मनाया गया, जिसका विषय था **"भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें"**।

वर्ष 2023–24 के दौरान सतर्कता मामलों का सारांश इस प्रकार है:

| शिकायत / विस्तृत जांच | प्रारंभिक शेष (01.04.2023 तक) | वर्ष के दौरान प्राप्त | कुल | वर्ष के दौरान निस्तारण | 31.03.2024 को अंतिम शेष (जांच के अधीन) |
|---|---|---|---|---|---|
| शिकायतें | 20 | 103 | 123 | 108 | 15 |
| विस्तृत जांच | 3 | 14 | 17 | 14 | 3 |

### ग्राहक संबंध

ग्राहक निष्ठा और संतुष्टि आपकी कंपनी के व्यवसाय के केंद्र में है और इसके दीर्घकालिक विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है। गेल अपनी रणनीतियों की समीक्षा करता है, अपने दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित करता है तथा बेहतर सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित व्यावसायिक पहल करता है। यह अपने ग्राहकों को स्थायी संबंध बनाने और बेहतर ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक संचालन के बारे में सूचित रखने में विश्वास रखता है।

### सूचना प्रणाली और प्रौद्योगिकी

आपकी कंपनी हमेशा नवीनतम तकनीक का उपयोग करके और अपने सिस्टम में लगातार सुधार करके अग्रणी बने रहती है। अब, यह अपने मौजूदा सैप सिस्टम को नवीनतम सैप एस/4 एचएएनए प्लेटफॉर्म पर अपग्रेड कर रही है। यह अपग्रेड कंपनी को वास्तविक समय विश्लेषण, स्मार्ट ऑटोमेशन और अधिक सरल प्रक्रियाओं का उपयोग करने देगा, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर प्रदर्शन और उपयोगकर्ता अनुभव प्राप्त होंगे।

डिजिटलीकरण प्रयासों के भाग के रूप में, आपकी कंपनी ने केंद्रीय नोडल व्यवसाय क्षेत्र से चालान को केंद्रीकृत करने के लिए एनजी ट्रांसमिशन व्यवसाय में अपनी चालान पद्धति को नया रूप दिया है। इसके अलावा, इसने गेल मैनेजमेन्टल पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के लिए सैप का कार्यान्वयन किया है और गेल की पॉलिमर, सीजीडी और एलएचसी व्यवसाय यूनिटों के लिए वित्तीय आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (एफएससीएम) समाधान पेश किया है। इन उपायों का उद्देश्य क्रेडिट प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में परिचालन दक्षता को बढ़ाना है। गेल बैंक

गारंटी/एसबीएलसी को डिजिटाइज करने के लिए स्विफ्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई–बीजीध्एसबीएलसी को अपनाने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है जो पूरी तरह से सुरक्षित, कागज रहित और निर्बाध लेनदेन को सक्षम करेगी।

आपकी कंपनी ने पीएनजीआरबी के एकीकृत/समन्वित टैरिफ आदेशों के कार्यान्वयन के लिए सैप और ओपन एक्सेस पोर्टल में आवश्यक आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक शामिल किया है। गेल ने छोटे पैमाने पर एलएनजी संचालन के लिए पैकेज विकसित किया है और सैप ट्रेजरी और जोखिम प्रबंधन मॉड्यूल पर ट्रस्ट अकाउंटिंग शुरू की है।

### कॉर्पोरेट संचार

गेल ने स्वच्छ ऊर्जा तक पहुँच को आगे बढ़ाने के लिए देश भर में उत्साह जगाया है, जो वास्तव में सराहनीय है। पिछले वर्ष के दौरान गेल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयोजित 'एक साथ स्वच्छ हवा के लिए', 'प्राकृतिक गैस के साथ खुशियों की ऊर्जा' और 'जड़ों से फिर से जुड़ना' सहित विभिन्न अभियानों के माध्यम से 100 मिलियन से अधिक व्यक्तियों तक स्वच्छ ऊर्जा का संदेश पहुँचा गया। यह व्यापक जुड़ाव सभी के लिए स्वच्छ और अधिक स्थायी ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने के लिए आपकी कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

### प्राथमिकता वर्ग का प्रतिनिधित्व

आपकी कंपनी आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देशों और भारत सरकार की नीतियों और प्रक्रियाओं से संबंधित समय–समय पर जारी किए गए अन्य निर्देशो/दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है।

31 मार्च, 2024 तक कर्मचारियों की कुल संख्या और उनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, बेंचमार्क दिव्यांगजनों के प्रतिनिधित्व के संबंध में समूहवार विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

| समूह | नामावली में कर्मचारियों की कुल संख्या | अ.जा. | अ.ज.जा. | ओबीसी | पी डब्ल्यू बीडी | सामान्य के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ए | 3988 | 649 | 294 | 929 | 68 | 60 |
| बी | 302 | 31 | 14 | 101 | 9 | - |
| सी | 706 | 139 | 38 | 259 | 29 | 4 |
| डी | 35 | 11 | 2 | 9 | - | - |
| सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशक और सीवीओ | 7 | - | - | - | - | - |
| **कुल योग (31.03.2024 तक)** | **5038** | **830** | **348** | **1298** | **106** | **64** |
| 31.03.2023 को कुल कर्मचारियों की संख्या | | | | | | |
| **कुल योग** | **4,823** | **779** | **328** | **1197** | **97** | **40** |

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान आपकी कंपनी में कुल 384 नए कर्मचारी शामिल हुए। 31 मार्च, 2024 तक कंपनी की कुल जनशक्ति 5038 (सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशक और सीवीओ सहित) थी, जिसमें 16% कर्मचारी अ.जा. श्रेणी के, 7% अ.ज.जा. श्रेणी के और 26% ओबीसी श्रेणी के थे। इसके अलावा, कुल कर्मचारियों में से 7.46% अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं और कुल कार्यबल का 2.1% बेंचमार्क दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूबीडी) श्रेणी से संबंधित है। 31 मार्च, 2024 तक आपकी कंपनी के कार्यबल में 344 महिला कर्मचारी (अर्थात इसके कर्मचारियों का 6.83%) शामिल हैं। कंपनी छोड़कर जाने की दर 0.85% है।

### राजभाषा

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की निगरानी और समीक्षा करने के लिए कारपोरेट और कार्य केंद्र स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां हर तिमाही में बैठक करती हैं।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 154 हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं जिनमें 3146 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। भाषाई सद्भाव का प्रचार करने और कर्मचारियों को अपने दैनिक कार्यों में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए प्रेरित करने के लिए आपकी कंपनी में 14 से 29 सितंबर, 2023 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। 10 जनवरी, 2024 को गेल में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया।

संसदीय राजभाषा समिति की प्रथम उप–समिति ने राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करने के लिए गेल हरिद्वार, विशाखापत्तनम, राजमुंदरी, झाबुआ, भोपाल जोनल, बेंगलुरु, गांधार, हजीरा, कराईकल, चेन्नई जोनल और चंडीगढ़ जोनल कार्यालय का निरीक्षण किया।

आपकी कंपनी को 14 सितंबर, 2023 को पुणे, महाराष्ट्र में हिंदी दिवस समारोह के दौरान भारत सरकार की राजभाषा नीति के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों श्रेणी 'ए' क्षेत्र में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022–23 के लिए प्रथम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

### कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न के संबंध में प्रकटीकरण

आपकी कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण पर एक ठोस नीति लागू की है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के संबंध में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

| | | |
|---|---|---|
| क) | वित्तीय वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या | शून्य |
| ख) | वित्तीय वर्ष के दौरान दायर शिकायतों की संख्या | शून्य |
| ग) | वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या | शून्य |
| घ) | वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | शून्य |

### सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से खरीद

आपकी कंपनी सामाजिक रूप से जिम्मेदार एक व्यावसायिक संगठन है तथा यह विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं को अपनी सार्वजनिक खरीद नीति (पीपीपी) के माध्यम से पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। यह एमएसई को उचित अवसर देती है, तथा उन्हें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है और सतत विकास में योगदान देती है।

एमएसई के लिए अपनी सार्वजनिक क्रय नीति (पीपीपी) को लागू करते समय, आपकी कंपनी निम्नलिखित आवंटन पर ध्यान केंद्रित करती है: एमएसई से खरीद का 25%, अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 4% और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 3%।

उक्त नीति के संदर्भ में, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, आपकी कंपनी ने एमएसई से ₹1,963 करोड़ की कुल खरीद की, जो लगभग ₹3,474 करोड़ की वार्षिक खरीद के कुल पात्र मूल्य का लगभग 56% है। अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से की गई खरीद ₹ 142 करोड़ है जो वार्षिक खरीद के कुल पात्र मूल्य का लगभग 4.08% है और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से ₹231 करोड़ है जो वार्षिक खरीद के कुल पात्र मूल्य का लगभग 6.65% है।

इसके अलावा, एमएसई के लिए 20 विक्रेता विकास कार्यक्रम (4 विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम/विशेष रूप से अ.जा./अ.ज.जा. और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए व्यावहारिक सत्र सहित) आयोजित किए गए थे।

आपकी कंपनी पहले से ही तीनों सेवा प्रदाताओं (अर्थात मैसर्स माईंड सॉल्यूशंस, मैसर्स ए टीआरईडीएस, और मैसर्स आरएक्सआईएल) के व्यापार प्राप्ति ई–छूट प्रणाली (टीआरईडीएस) पोर्टल पर पंजीकृत है और एमएसई विक्रेताआ को टीआरईडीएस के माध्यम से भुगतान भी कर रही है।

### सरकारी ई–मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से खरीदः

सरकारी ई–मार्केटप्लेस (जेम) सरकार द्वारा संचालित ई–कॉमर्स पोर्टल है। यह विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की ऑनलाइन आसान खरीद करने और उसमें समर्थ बनाने के लिए वन–स्टॉप सुविधा है।

आपकी कंपनी के सभी कार्य केंद्र जेम पोर्टल पर पंजीकृत हैं और केवल जेम के माध्यम से पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करते हैं।

वित्त वर्ष 2023–24 में, गेल ने ₹1,900 करोड़ की खरीद योजना की तुलना में जेम के माध्यम से ₹2,704 करोड़ की खरीद की (जो कि वर्ष में कुल पात्र खरीद का 25% से अधिक है)।

सीएंडपी विक्रेता बैठक में निदेशक (परियोजनाएं)

### सूचना का अधिकार (आरटीआई)

पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुरूप पूरी कंपनी में एक उपयुक्त तंत्र स्थापित किया गया है। आपकी कंपनी ने अपनी सभी यूनिटों/कार्यालयों में आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय में 01 केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और 01 लिंक–सीपीआईओ/नोडल अधिकारी (ऑनलाइन आरटीआई), 59 सहायक सीपीआईओ और 26 प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को नामित किया है।

आपकी कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर आरटीआई दिशा–निर्देश और संबंधित जानकारी होस्ट की है और इसे https://gailonline.com/ RTI.html पर देखा जा सकता है। इसके अलावा, आरटीआई आवेदनों पर एमआईएस रिपोर्ट, रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल और सीपीआईओ/लिंक–सीपीआईओ और एसीपीआईओ के संपर्क विवरण भी उसी लिंक के तहत वेब–होस्ट किए गए हैं।

आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत स्वप्रेरणा से खुलासे के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर एक समर्पित पेज होस्ट किया है, जिसके माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में बड़ी मात्रा में जानकारी सक्रिय आधार पर रखी जाती है। ऐसा कामकाज को अधिक पारदर्शी बनाने और व्यक्तिगत आरटीआई आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता को कम करने के लिए किया जा रहा है।

इसके अलावा, आपकी कंपनी को जुलाई, 2016 से भारत सरकार–डीओपीटी ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल पर लाइव कर दिया गया है और तब से गेल ऑनलाइन मोड के माध्यम से भी जानकारी प्रदान कर रहा है। लगभग 80% आरटीआई आवेदन/प्रथम चरण की अपीलें ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्राप्त होती हैं। प्राप्त सभी आरटीआई आवेदनों (ऑनलाइन/भौतिक रूप से) पर आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है और तदनुसार निर्धारित समय–सीमा के भीतर जानकारी प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए, आपकी कंपनी के कॉर्पोरेट आरटीआई सेल में प्राप्त आरटीआई आवेदनों और प्रथम चरण की आरटीआई अपीलों के संबंध में निपटान दर 100% है। कुल 907 आरटीआई आवेदनों और 94 आरटीआई अपीलों का आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय–सीमा के भीतर निपटारा किया गया। इसके अलावा, केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में दूसरे चरण की आरटीआई अपीलों के संबंध में कुल 24 सुनवाई हुई। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान सीआईसी द्वारा सभी 24 दूसरे चरण की अपीलों का गेल के पक्ष में निपटारा किया गया।

### जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन, पता लगाए गए प्रमुख जोखिमों और उनके उपशमन सहित जोखिम प्रबंधन गतिविधियों का विवरण प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण खंड में शामिल किया गया है, जो बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा है।

### प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34 और निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.5 के संदर्भ में, विस्तृत प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण इस रिपोर्ट का हिस्सा है जो अनुलग्नक–क के रूप में संलग्न है।

### निगमित शासन

आपकी कंपनी का मानना है कि अच्छा कॉर्पोरेट शासन एक सकारात्मक संगठनात्मक संस्कृति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, निगमित शासन पर एक रिपोर्ट इस रिपोर्ट का हिस्सा है जो **अनुलग्नक–ख** के रूप में संलग्न है।

बोर्ड की बैठकों और संरचना, विचारार्थ विषयों सहित बोर्ड की सांविधिक समितियों, निदेशकों की नियुक्ति पर कंपनी की नीति और उनके पारिश्रमिक, कंपनी में उनकी शेयरधारिता, व्हिसल ब्लोअर प्रणाली की स्थापना का विवरण, वार्षिक आम बैठक से संबंधित विवरण, घोषित लाभांश से संबंधित सूचना, निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) विवरण और अन्य मामलों का ब्यौरा, आदि निगमित शासन पर रिपोर्ट में इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

विनियामकों या अदालतों या अधिकरणों द्वारा भविष्य में आपकी कंपनी के बने रहने की स्थिति और संचालन को प्रभावित करने के संबंध में कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है।

सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 30क में निर्दिष्ट कोई समझौता कंपनी के शेयरधारकों, प्रमोटरों, प्रमोटर समूह संस्थाओं, संबंधित पक्षों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और कर्मचारियों द्वारा नहीं किया गया है या निष्पादित नहीं किया गया है।

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने सेबी (एलओडीआर) विनियमों, 2015 और निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों में शामिल शर्तों के संबंध में आपकी कंपनी के अनुपालन की जांच की है और उसे प्रमाणित किया है। प्रमाण–पत्र इस रिपोर्ट का हिस्सा है जो **अनुलग्नक–ग** के रूप में संलग्न है।

### व्यापार उत्तरदायित्व और सतत विकास रिपोर्ट

सेबी ने 10 मई, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 34 (2) (च) में संशोधन किया और शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों (बाजार पूंजीकरण के अनुसार) के लिए वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में व्यावसायिक जिम्मेदारी और सतत विकास रिपोर्ट (बीआरएसआर) प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया। आपकी कंपनी ने पर्यावरण, सामाजिक और शासन के दृष्टिकोण से कंपनी द्वारा की गई पहलों का वर्णन करते हुए व्यावसायिक जिम्मेदारी और सतत विकास रिपोर्ट (बीआरएसआर) को अपनाया है और यह वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

### विनियामक या न्यायालय का आदेश

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण या विनियामक प्राधिकरण का कोई आदेश या निर्देश नहीं था, जो कंपनी की वर्तमान समस्या के रूप में स्थिति को प्रभावित करता हो या जिसने कंपनी के व्यावसायिक संचालन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया हो।

### लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

लेखा परीक्षकों ने वर्ष के लिए अपनी रिपोर्ट में कंपनी के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के किसी भी मामले की रिपोर्ट नहीं की है।

### कंपनी को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन

वित्त वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ नहीं हुई हैं। कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

### सचिवीय मानकों का अनुपालन

कंपनी ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस–1) और आम बैठकों (एसएस–2) के संबंध में लागू सचिवीय मानकों का पालन किया है।

### लेखा परीक्षक और लेखापरीक्षा रिपोर्टें

**i. सांविधिक लेखापरीक्षक**

आपकी कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा की जाती है। मैसर्स गांधी मिनोचा एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली और मैसर्स कीर्तने एंड पंडित एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को वित्त वर्ष 2023–24 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया।

सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां स्व–व्याख्यात्मक हैं। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

**ii. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) लेखापरीक्षा**

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा करते हैं। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर सीएंडएजी की समीक्षा और टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनती हैं।

अन्य लेखापरीक्षाओं से सीएंडएजी के पैराः ऊपर उल्लिखित वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा के अलावा, सीएंडएजी विभिन्न प्रकृति की लेखा परीक्षाएँ भी करता है। वर्ष 2023–24 के दौरान, सीएंडएजी द्वारा प्रकाशित एक पैरा का निपटान किया गया। 31 मार्च 2024 तक, गतिरोध राहत के अनियमित भुगतान, कर्मचारी को भत्ते पर आयकर का अनियमित भुगतान, निजी बिजली उत्पादकों को लाभ, आरआईएल से वसूली न होना, छोड़े गए ईएंडपी ब्लॉक, अर्ध वेतन/बीमारी अवकाश/अर्जित अवकाश के नकदीकरण के लिए अनियमित भुगतान, अवकाश नकदीकरण पर ईपीएफ अंशदान के नियोक्ता के हिस्से के प्रति अनियमित भुगतान, पेट्रोकेमिकल उत्पादन और परियोजना प्रबंधन, तेल और गैस ट्रांसमिशन पाइपलाइनों की सुरक्षा तैयारी, अपने कर्मचारियों को विशेष मौद्रिक प्रशंसा, शिफ्ट भत्ते के रूप में अधिकारियों को दिए गए लाभ, ओएंडएम दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण निष्फल व्यय, वाहनों के संचालन और रखरखाव व्यय के भुगतान के रूप में अधिकारियों को दिए गए लाभ से संबंधित तेरह (13) सीएजी प्रकाशित पैरा बंद होने के लिए लंबित हैं।

इन लेखापरीक्षा पैराओं के उत्तर समय–समय पर दिए गए हैं और ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और सीएजी की समीक्षा के अधीन हैं।

**iii. लागत लेखा परीक्षक**

आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के तहत निर्धारित लागत लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रख रही है।

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए निम्नानुसार छह लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की हैः

| क्र. सं. | लागत लेखा परीक्षक का नाम | क्षेत्र |
|---|---|---|
| 1 | मैसर्स आर.जे. गोयल एंड कंपनी, नई दिल्ली | उत्तरी क्षेत्र–I |
| 2 | मैसर्स चंद्रा वाधवा एंड कंपनी, नई दिल्ली | उत्तरी क्षेत्र–II |
| 3 | मैसर्स शोम एंड बनर्जी, कोलकाता | मध्य क्षेत्र |
| 4 | मैसर्स ए.बी.के. एंड एसोसिएट्स, मुंबई | पश्चिमी क्षेत्र |
| 5 | मैसस धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, पुणे | दक्षिणी क्षेत्र |
| 6 | मैसस मणि एंड कंपनी, कोलकाता | पूर्वी क्षेत्र |

मैसर्स आर.जे. गोयल एंड कंपनी, नई दिल्ली प्रमुख लागत लेखा परीक्षक हैं।

प्रमुख लागत लेखापरीक्षक द्वारा लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर निर्धारित प्रपत्र में केंद्र सरकार को दाखिल की जाती है। वित्त वर्ष 2022–23 के लिए लागत लेखा परीक्षकों द्वारा लागत रिकॉर्ड में कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

39वीं वार्षिक आम सभा

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के तहत निर्धारित समय अवधि के भीतर दाखिल की जाएगी।

**iv. आंतरिक लेखा परीक्षक**

आपकी कंपनी में एक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है, जिसकी अध्यक्षता कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है। आपकी कंपनी ने चयनित साइटों के आंतरिक लेखापरीक्षा को भी आउटसोर्स किया था और प्रत्येक क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान चार आंतरिक लेखापरीक्षा फर्म नियुक्त की थीं। आंतरिक लेखापरीक्षा फर्म का विवरण इस प्रकार हैः–

| क्र.सं. | आंतरिक लेखा परीक्षक का नाम | क्षेत्र |
|---|---|---|
| 1 | मैसर्स जी एस माथुर एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स | उत्तरी |
| 2 | मैसस निरंजन एंड नारायण, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स | दक्षिणी |
| 3 | मैसस बंदोपाध्याय भौमिक एंड कंपनी कॉस्ट अकाउंटेंट्स | पूर्वी |
| 4 | मैसस के जी सोमानी एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स | पश्चिमी |

उपर्युक्त आंतरिक लेखापरीक्षा फर्मों ने आंतरिक लेखापरीक्षा टीम की विस्तारित शाखा के रूप में कार्य किया और पारंपरिक लेखापरीक्षा के स्थान पर लागत दक्षता के अलावा लेखापरीक्षा प्रथाओं एवं पद्धतियों, जोखिम आधारित लेखापरीक्षा और प्रौद्योगिकी आधारित लेखापरीक्षा तकनीकों में नई समझ प्रदान की। इसके अलावा, उन्होंने स्टॉक के भौतिक सत्यापन और डिजिटलीकरण में सहायता प्रदान की है। इन सभी के परिणामस्वरूप आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सुदृढ़ हुई है।

**अ. सचिवीय लेखा परीक्षक**

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स को सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया है। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट, जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 और अन्य लागू कानूनों के लागू प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि करती है, **अनुलग्नक–घ** के रूप में बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा बनती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक मंडल को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई प्रत्येक योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी पर स्पष्टीकरण या टिप्पणी प्रदान करना आवश्यक है।

सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों और उस पर कंपनी की प्रतिक्रिया **अनुलग्नक–घ1** में शामिल हैं।

## निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(त) के प्रावधानों का अनुपालन करने से छूट दी गई है। आपकी कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है और स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसलिए, ऐसे विवरण बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल नहीं हैं।

## निगमित सामाजिक जिम्मेदारी

आपकी कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि अपने हितधारकों के विकास में निर्णायक भूमिका निभाने की दिशा में प्रतिबद्धता समाज के वंचित वर्गों के उत्थान से जुड़ी है, जो अपने संचालन के क्षेत्रों में और उसके आसपास रहते हैं। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के सिद्धांत आपकी कंपनी की कॉर्पोरेट संस्कृति में गहराई से अपनाए गए हैं। प्रयासों को बढ़ाने के लिए, कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्षों के अतिरिक्त व्यय को समायोजित करने के बाद पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का ₹175.71 करोड़ अर्थात् 2.47% खर्च किया है।

कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के तहत अपेक्षित सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट **अनुलग्नक–ड.** में प्रस्तुत की गई है।

आपकी कंपनी की सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट https://www.gailonline.com/CSRPolicy.html पर भी उपलब्ध है।

## ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ड) की आवश्यकता के अनुसार, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी अपनाने के संरक्षण और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय का विवरण अनुलग्नक–च में दिया गया है जो बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा है।

## संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्थाओं का विवरण

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ज) की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी अधिनियम नियम, 2013 की धारा 188(1) में उल्लिखित संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण निर्धारित प्रपत्र एओसी–2 में **अनुलग्नक–छ** के रूप में संलग्न है।

आपकी कंपनी ने संबंधित पक्ष लेनदेन से निपटने के लिए नीति तैयार की है और इसे कंपनी की वेबसाइट https://www.gailonline.com/pdf/InvestorsZone/RPTPolicy24042024.pdf पर भी होस्ट किया गया है।

## कर्मचारियों का विवरण

अधिनियम की धारा 134(3)(ड.) के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। परिणामस्वरूप, अधिनियम की धारा 178(3) के तहत निदेशकों की नियुक्ति और अन्य मामलों पर कंपनी की नीति का विवरण नहीं दिया गया है। इसी तरह, सरकारी कंपनी के लिए अधिनियम की धारा 197 भी छूट प्राप्त है। परिणामस्वरूप, प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक का औसत कर्मचारी के पारिश्रमिक के अनुपात और कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के नाम और अन्य विवरण दिखाने वाले विवरण सहित अन्य ऐसे विवरणों के खुलासे की कोई आवश्यकता नहीं है, जो यदि वित्तीय वर्ष के दौरान/उसके हिस्से में कार्यरत थे, तो नियमों में निर्धारित सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे थे, ये कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(1)/(2) के साथ अधिनियम की धारा 197(12) के अनुसार प्रदान नहीं किए गए हैं।

## वार्षिक विवरणी

वार्षिक विवरणी को अपनी कंपनी की वेबसाइट https://gailonline.com/IZAnnualReports.html पर होस्ट किया गया है।

## लाभांश वितरण नीति

सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 43क के अनुसार, आपकी कंपनी ने एक लाभांश वितरण नीति तैयार की है। लाभांश का भुगतान कंपनी की लाभांश वितरण नीति के अनुसार किया जाता है।

कंपनी की लाभांश वितरण नीति कंपनी की वेबसाइट http://gailonline.com/pdf/InvestorsZone/GAIL%20Dividend%20Distribution%20Policy.pdf पर उपलब्ध है।

## डिपोजिट स्वीकार करना

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान जनता से कोई डिपोजिट स्वीकार नहीं किया है और इस प्रकार, 31 मार्च, 2024 तक मूलधन या ब्याज की कोई राशि बकाया नहीं थी।

## निधियां जुटाना

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, आपकी कंपनी ने अधिमान्य आवंटन या योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से कोई इक्विटी फंड नहीं जुटाया है।

### विदेशी मुद्रा आय और व्यय

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान विदेशी मुद्रा आय ₹ 14,017.39 करोड़ और व्यय ₹ 49,466.03 करोड़ थी, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान विदेशी मुद्रा आय ₹ 28,136.38 करोड़ और व्यय ₹ 69,228.61 करोड़ थी।

### निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

01 अप्रैल 2023 से आपकी कंपनी के निदेशक मंडल/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

**नियुक्तियाँ:**

- श्री प्रवीण मल खनूजा, सरकारी नामित निदेशक 16.05.2023 से
- श्री कुशाग्र मित्तल, सरकारी नामित निदेशक 16.05.2023 से
- श्री संजय कुमार, निदेशक (विपणन) 15.06.2023 से
- श्री आशीष जोशी, सरकारी नामित निदेशक 18.10.2023 से
- श्री राजीव कुमार सिंघल, निदेशक (व्यवसाय विकास) 28.11.2023 से

**कार्यकाल समाप्तिः**

- डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, सरकार द्वारा नामित निदेशक 18.04.2023 तक
- श्री प्रवीण मल खानूजा, सरकार द्वारा नामित निदेशक 17.10.2023 तक
- श्री महेश विश्वनाथन अय्यर, निदेशक (व्यवसाय विकास) 31.10.2023 तक

बोर्ड निवर्तमान निदेशकों द्वारा कंपनी के साथ उनकी संबद्धता के दौरान दी गई मूल्यवान सेवाओं के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

### स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) तथा सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 25(8) के अनुसार स्वतंत्र निदेशक से यह पुष्टि करते हुए आवश्यक घोषणा प्राप्त हुई है कि:

- ये अधिनियम की धारा 149(6) तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम के विनियम 16(1)(ख) में निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।
- उन्होंने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के तहत भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान द्वारा रखे गए स्वतंत्र निदेशकों के डेटा बेस के साथ पंजीकरण कराया है।

### स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम

स्वतंत्र निदेशकों के प्रशिक्षण/परिचय कार्यक्रम का विवरण कंपनी की वेबसाइट https://www.gailonline.com/pdf/InvestorsZone/FamiliarizationProgramme01042024.pdf पर उपलब्ध हैं।

### आचार संहिता

सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 और निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुसार, बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

### दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016

दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया है; इसलिए वित्तीय वर्ष के अंत में उनकी स्थिति के साथ–साथ वर्ष के दौरान दिवालिया और दिवालियापन संहिता, 2016 (2016 का 31) के तहत किए गए आवेदन या किसी भी कार्यवाही के विवरण का खुलासा करने की आवश्यकता लागू नहीं है।

### निदेशक उत्तरदायित्व वक्तव्य

आपके निदेशक इस बात की पुष्टि करते हैं कि उन्होंने:

i) 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं की तैयारी में सामग्री विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ–साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया है;

ii) ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें लगातार लागू किया तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति और समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी के लाभ का एक वास्तविक और उचित दृष्टिकोण देने के लिए उचित और विवेकपूर्ण हैं;

iii) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के रखरखाव हेतु उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई;

iv) 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं को भविष्य में सतत रूप से बने रहने वाली कंपनी के आधार पर तैयार किया;

v) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की गईं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं; और

vi) कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं।

### आभार

आपके निदेशक भारत सरकार, विशेषकर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विभिन्न राज्य सरकारों, विनियामक और सांविधिक प्राधिकारियों से प्राप्त सहायता, मार्गदर्शन और सहायता के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक और लेखा परीक्षकों से प्राप्त रचनात्मक सुझावों को स्वीकार करते हैं, और उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए आभारी हैं।

आपके निदेशक सभी हितधारकों, व्यापार भागीदारों और गेल परिवार के सदस्यों को आपकी कंपनी में उनकी आस्था, भरोसे और विश्वास को बनाए रखने के लिए भी धन्यवाद देते हैं।

हमने जो कुछ हासिल किया है, वह आपकी कंपनी के कर्मचारियों के अथक और संगठित प्रयासों के बिना संभव नहीं होता; हम उनकी प्रतिबद्धता के लिए तहे दिल से सराहना करते हैं।

आपके निदेशक निवर्तमान बोर्ड सदस्यों से प्राप्त सहायता, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए भी अपना आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक और कर्मचारी विश्वास के साथ भविष्य के लिए तैयार हैं और सभी हितधारकों के लिए परस्पर बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध हैं।

**कृते बोर्ड और उनकी ओर से**
**हस्ता./–**
**संदीप कुमार गुप्ता**
**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
**(डीआईएन: 07570165)**

**स्थान: नई दिल्ली**
**दिनांक: 10.07.2024**

गेल को प्राधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (एईओ) टी3 दर्जा प्राप्त हुआ

# प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

गेल, दाभोल एलएनजी टर्मिनल पर
जारी ब्रेक–वाटर निर्माण कार्य

अनुलग्नक–क

# प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

## 1. उद्योग संरचना और विकास

### 1.1 ऊर्जा क्षेत्र

वित्त वर्ष 2023 में, भारत ने 7% से अधिक की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर के साथ मजबूत आर्थिक विकास हासिल किया। भारत की आबादी 1.4 बिलियन है, जो विश्व की आबादी का 17% है तथा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। अपने प्रयासों के बावजूद, 1850 से 2019 तक भारत का ऐतिहासिक उत्सर्जन पूर्व–औद्योगिक युग के बाद से दुनिया के कुल कार्बन डाइ–ऑक्साइड उत्सर्जन का 4% से भी कम है। वर्तमान में, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत के 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है।

भारत लगभग 932 एमटीओई ऊर्जा खपत के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्राथमिक ऊर्जा उपभोक्ता है। भारत दुनिया की कुल ऊर्जा का लगभग ~6.3% उपयोग करता है। 2023 में भारत की ऊर्जा खपत 2022 की तुलना में 7.3% बढ़ी। वैश्विक स्तर पर, कुल ऊर्जा खपत 2022 के स्तर से 2% बढ़ी, जो पिछले दस वर्षों की औसत वृद्धि से 0.6% अधिक है।

भारत की ऊर्जा योजना का उद्देश्य सतत विकास के लिए वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हुए ऊर्जा तक उचित पहुँच सुनिश्चित करना है। अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है और उसने पहले ही अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 40% गैर–जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। मई 2024 में, भारत ने 250 गीगावाट की अधिकतम बिजली मांग को पूरा करके एक रिकॉर्ड बनाया, जिसमें गैर–सौर मांग 234.3 गीगावाट के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गई।

भारत में प्राकृतिक गैस की भूमिका स्थिरता के मुद्दों, ग्लोबल वार्मिंग और भारत की जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं के कारण अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। प्राकृतिक गैस दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में अक्षय ऊर्जा का पूरक है। बढ़ते शहरीकरण, बढ़ती औद्योगिक गतिविधि और अप्रत्याशित मौसम के कारण 2030 तक भारत की अधिकतम बिजली की मांग 350 गीगावाट (जीडब्ल्यू) से अधिक होने की उम्मीद है। प्राकृतिक गैस अधिक प्रदूषणकारी ईंधन को बदलने, वायु गुणवत्ता में सुधार और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में मदद करती है। यह स्वच्छ, सस्ती ऊर्जा की बढ़ती जरूरत को पूरा कर सकती है तथा कोयले और तेल, जिनमें उच्च उत्सर्जन होता है, की जगह ले सकती है। प्राकृतिक गैस पर स्विच करने के लिए कम निवेश की आवश्यकता होती है और उत्सर्जन में काफी कमी आती है।

भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत, देश ने जलवायु परिवर्तन का समाधान करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त, व्यापक और आम सहमति से प्रेरित दृष्टिकोण बनाने के लिए काम किया। भारत ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन बनाने में मदद की, जो जैव ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करने और 500 बिलियन डॉलर के आर्थिक अवसर पैदा करने के लिए सरकारों, संगठनों और उद्योगों को एक साथ लाता है। भारत अब दुनिया में इथेनॉल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। भारत में इथेनॉल मिश्रण 2014 में 1.5% से बढ़कर 2023 में 12% हो गया, जिससे कार्बन उत्सर्जन में लगभग 42 मिलियन मीट्रिक टन की कमी आई।

दीर्घकालिक अनुमानों के अनुसार, भविष्य में प्राकृतिक गैस सबसे तेजी से बढ़ने वाला जीवाश्म ईंधन होगा, जबकि कोयला और तेल के जल्द ही चरम पर पहुंचने की उम्मीद है। बी.पी. सांख्यिकीय समीक्षा 2023 से पता चलता है कि प्राकृतिक गैस एकमात्र जीवाश्म ईंधन है जिसके सभी परिदृश्यों (त्वरित, नेट जीरो और नई गति) में बढ़ने का अनुमान है। ऐतिहासिक रूप से, प्राकृतिक गैस क्षेत्र भी अन्य जीवाश्म ईंधनों की तुलना में अच्छी दर से बढ़ा है।

### 1.2 वैश्विक गैस क्षेत्र

दुनिया के प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में गैस का हिस्सा 23.3% है। यह कई देशों के पावर ग्रिड के लिए जरूरी है। यह विकसित देशों में अल्प से मध्यम अवधि के लिए और विकासशील देशों में मध्यम से दीर्घावधि के लिए बिजली का विश्वसनीय आधार है। हालाँकि, जैसे–जैसे सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आम होते जाएँगे, गैस धीरे–धीरे सहायक भूमिका निभाएगी। यह अतिरिक्त बिजली प्रदान करेगी और बड़ी बैटरी भंडारण प्रणालियों के साथ मिलकर बिजली ग्रिड को स्थिर करने में मदद करेगी।

उद्योग में, गैस महत्वपूर्ण बनी हुई है, खासकर रसायन बनाने के लिए। लंबी अवधि में, यह ब्लू हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए एक प्रमुख स्रोत बन जाएगा। इस बीच, भविष्य के सभी अनुमानों में तेल और कोयले का उपयोग कम होता रहने की उम्मीद है।

2023 में वैश्विक गैस की मांग स्थिर रही। वैश्विक गैस आपूर्ति में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का व्यापार अधिक महत्वपूर्ण हो गया। एलएनजी आपूर्ति में अधिकांश वृद्धि उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और मध्य पूर्व से हुई, जबकि उभरते एशिया में सबसे अधिक मांग में वृद्धि देखी गई। 2023 में, अमेरिका के साथ कतर और ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का अग्रणी एलएनजी आपूर्तिकर्ता (114 बीसीएम) बन गया। एलएनजी अब वैश्विक स्तर पर कारोबार की जाने वाली सभी गैस का लगभग 59% हिस्सा बनाती है, और एलएनजी निर्यात 1.8% बढ़कर 549 बीसीएम हो गया है। ऑस्ट्रेलिया से अपने एक–तिहाई आयात के साथ, चीन जापान को पछाड़कर सबसे बड़ा एलएनजी आयातक बन गया। भारत ने 31 बीसीएम आयात किया, जिससे यह 2023 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक बन गया।

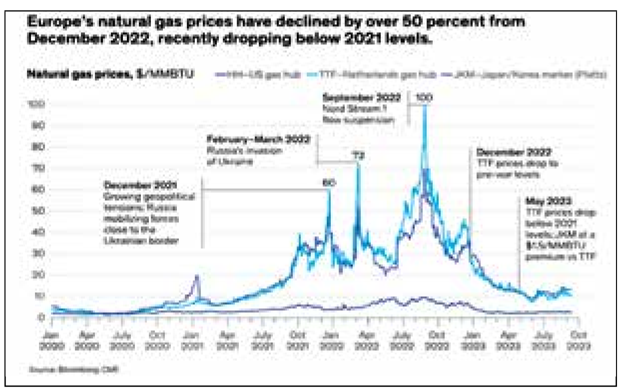


ग्लोबल एनर्जी पर्सपेक्टिव 2023 के अनुसार, ऊर्जा परिवर्तन में प्राकृतिक गैस के बहुत महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है क्योंकि इसके कई उपयोग हैं। 2030 के बाद भी प्राकृतिक गैस की वैश्विक मांग में वृद्धि जारी रहने की संभावना है, लेकिन ऊर्जा परिवर्तन की प्रगति के साथ इसमें धीरे–धीरे कमी आएगी।

छठी रणनीति समीक्षा बैठक

प्राकृतिक गैस का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, जिसमें बिजली उत्पादन, हीटिंग और उच्च तापमान वाली औद्योगिक प्रक्रियाएँ शामिल हैं। पेट्रोकेमिकल और उर्वरक बनाने के लिए भी यह आवश्यक है। ऊर्जा परिवर्तन के दौरान, प्राकृतिक गैस अक्षय स्रोतों से बिजली उत्पादन को संतुलित करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह तब तक विश्वसनीय समर्थन प्रदान करेगी जब तक कि ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियाँ व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं हो जातीं। ब्लू हाइड्रोजन उत्पादन में प्राकृतिक गैस की आवश्यकता उन नीतियों से प्रेरित है जो आपूर्ति को सुरक्षित करने और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

2035 तक वैश्विक गैस मांग के लगभग 10–15 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

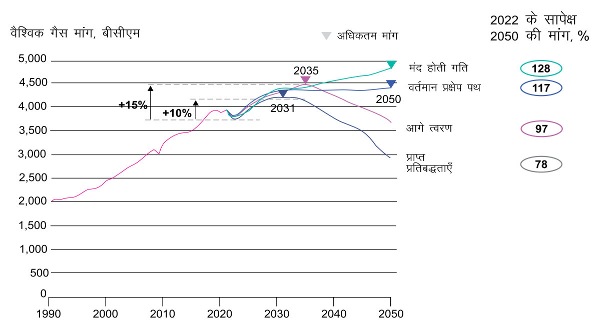


स्रोतः आईईए; मैकिन्से एनर्जी सॉल्यूशंस का वैश्विक ऊर्जा परिप्रेक्ष्य 2023

प्राकृतिक गैस की मांग में मुख्य रूप से बिजली क्षेत्र के कारण वृद्धि होने की उम्मीद है। इस वृद्धि का अधिकांश हिस्सा एशिया से आएगा, जिसमें मध्यम अवधि में उत्तरी अमेरिका भी योगदान देगा। यह वृद्धि एशिया में कोयले से गैस की ओर बदलाव और आसियान देशों, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बिजली क्षेत्रों में बढ़ती मांग से प्रेरित है। इसके विपरीत, यूरोप में गैस की मांग 2050 तक धीरे–धीरे कम होने की उम्मीद है, जो क्षेत्र के नेट जीरो लक्ष्यों के अनुरूप है। वैश्विक गैस आपूर्ति में एलएनजी की हिस्सेदारी भी बढ़ने की उम्मीद है।

ऊर्जा परिवर्तन की प्रगति के बावजूद, प्राकृतिक गैस के अपनी बहुमुखी प्रतिभा के कारण ऊर्जा मिश्रण में महत्वपूर्ण बनी रहने की उम्मीद है। अल्पावधि में, प्राकृतिक गैस की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, एलएनजी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी क्योंकि यह उच्च मांग वाले क्षेत्रों को दूर–दराज के आपूर्ति स्रोतों से जोड़ने में मदद करती है।

## 1.3 भारत ऊर्जा क्षेत्र

दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में, भारत ऊर्जा प्राप्त करने, शहरीकरण और आय के बढ़ते स्तर में वृद्धि के कारण ऊर्जा खपत में भी ठोस वृद्धि की संभावना देख रहा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है तथा आईईए और बीपी जैसी सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां अगले दो दशकों में ऊर्जा खपत में निरंतर और वृद्धि की भविष्यवाणी कर रही हैं।

देश में बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए, भारत को ऊर्जा के सभी रूपों अर्थात् जीवाश्म ईंधन और कम कार्बन उत्सर्जन वाले ईंधन दोनों को अपनाने की आवश्यकता होगी। भारत की आर्थिक वृद्धि का उसकी ऊर्जा मांग से गहरा संबंध है, इसलिए, तेल और गैस की आवश्यकता के और बढ़ने का अनुमान है, जिससे यह क्षेत्र निवेश के लिए काफी अनुकूल हो जाएगा। बढ़ते बुनियादी ढांचे और सहायक पर्यावरण नीतियों के कारण प्राकृतिक गैस की खपत के लिए भारत का मध्यमावधि दृष्टिकोण ठोस बना हुआ है।

भारत प्राकृतिक गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, जैव ईंधन क्षेत्रों, हाइड्रोजन आदि में निवेश करके अपनी ऊर्जा बॉस्केट को विविध बना रहा है। सरकार ने बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देने, प्राथमिक ऊर्जा में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने और हाइड्रोकार्बन के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियों और उदारीकरण के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय लागू किए हैं। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों और किफायती भंडारण प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से अपनाने से आने वाले समय में ऊर्जा परिदृश्य बदल जाएगा।

## 1.4 भारत के गैस क्षेत्र का विकास

भारत की प्राकृतिक गैस खपत का रुझान (एमएमएससीएमडी)

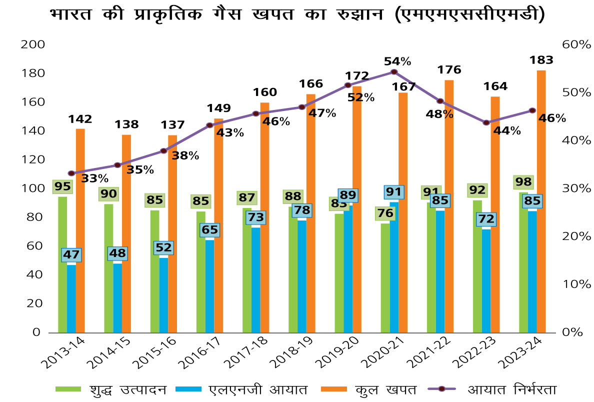


**चित्र 1: भारत में प्राकृतिक गैस की खपत का रुझान – स्रोत पीपीएससी**

दक्षिण कोरिया में "गेल ऊर्जा" एलएनजी पोत का नामकरण समारोह

2023–24 में, भारत में घरेलू गैस उत्पादन में वृद्धि और एलएनजी की कम कीमतों के कारण सभी क्षेत्रों में गैस की मांग में वृद्धि देखी गई। घरेलू गैस उत्पादन ने गैस आपूर्ति वृद्धि में 6% का योगदान दिया। एलएनजी आयात और गहरे पानी में गैस उत्पादन में वृद्धि के कारण 2022–23 में भारत की कुल गैस आपूर्ति में 11% की वृद्धि हुई।

भारतीय एलएनजी कंपनियों ने छह दीर्घकालिक एलएनजी आपूर्ति समझौते किए हैं, जिनमें से पांच 2026 से शुरू होंगे। भारतीय गैस एग्रीगेटर्स, इंडियन ऑयल (आईओसीएल) और गेल ने कुल 3.5 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए, जबकि एक नए प्रवेशकर्ता – दीपक फर्टिलाइजर ने इक्विनोर एएसए के साथ एक दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसके अतिरिक्त, पेट्रोनेट एलएनजी ने कतर एनर्जी एलएनजी के साथ अपने 7.5 एमएमटी अनुबंध को 2028 से 20 वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया।

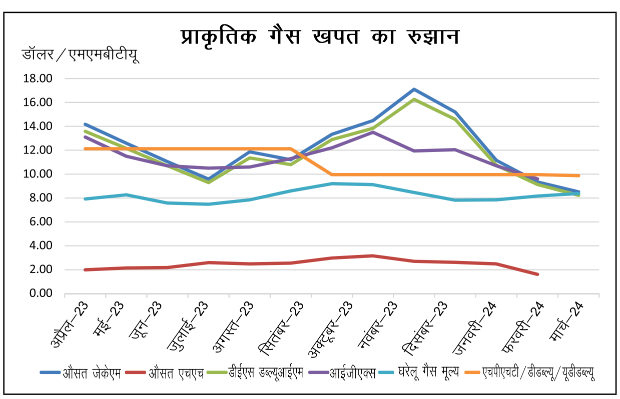


**स्रोतः 1पीपीएसी, ईआईए, एसएपी ग्लोबल प्लैट्स[1]**

भारत सरकार का लक्ष्य प्राथमिक ऊर्जा बास्केट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा 5.7% से बढ़ाकर 15% करना है, जो कि वर्तमान स्तर ~188 एमएमएससीडी से बढ़कर ~500 एमएमएससीडी हो गया है, जो कि वर्तमान स्तर से लगभग 2.7 गुना वृद्धि है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों की ओर से व्यापक प्रयासों, सरकार की ओर से नीतिगत सुधारों और संपूर्ण गैस मूल्य श्रृंखला में भारी निवेश की आवश्यकता होगी। विभिन्न क्षेत्रों में गैस के उपयोग का ऐतिहासिक पैटर्न नीचे दिया गया है:

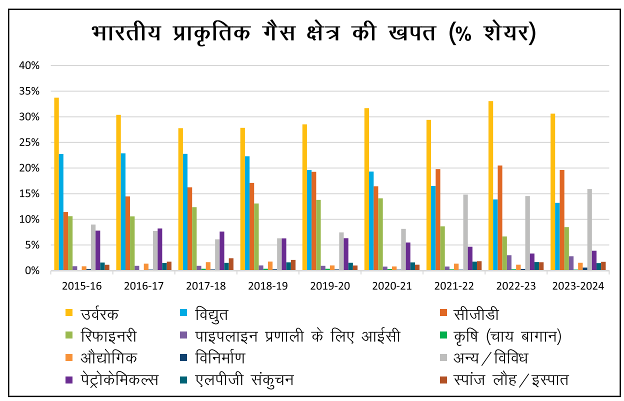


स्रोतः पीपीएसी

तालिका से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि शीर्ष तीन प्रमुख उपभोक्ताओं के बीच खपत पैटर्न में बदलाव आया है। जबकि उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस का प्रमुख उपभोक्ता बना हुआ है, सीजीडी क्षेत्र अब विद्युत क्षेत्र को पीछे छोड़कर प्राकृतिक गैस का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है।

भारत का ऊर्जा क्षेत्र महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जिसमें ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि, निकट भविष्य में देश के ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की महत्वपूर्ण भूमिका होने की उम्मीद है। गैस की मांग में अगली बड़ी वृद्धि रिफाइनरियों, रासायनिक उद्योगों और लौह एवं इस्पात संयंत्रों से आने की उम्मीद है, जहाँ इसका उपयोग फीडस्टॉक, ईंधन और विभिन्न प्रक्रियाओं में किया जाएगा। राष्ट्रीय गैस ग्रिड (एनजीजी) का कार्य पूरा होने पर जो रिफाइनरियाँ वर्तमान में जुड़ी हुई नहीं हैं, वे गैस पर स्विच करने में सक्षम होंगी, जिससे गैस का उपयोग बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त, ब्लास्ट फर्नेस के लिए गैस का उपयोग और डायरेक्ट रिडक्शन आयरन (डीआरआई–स्पंज आयरन) बनाने से भी गैस की मांग बढ़ सकती है।

बिजली क्षेत्र को किसी भी गैस आधारित अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालकों में से एक माना जाता है। यदि हम अमेरिका का उदाहरण

[1]औसत जेकेएमः औसत जापान कोरिया मार्कर; औसत एचएचः औसत हेनरी हब; आईजीएक्सः भारतीय गैस एक्सचेंज; एचपीएचटीः उच्च दबाव और उच्च तापमान; डीडब्ल्यूः गहरे पानीय यूडीडब्ल्यूः अल्ट्रा गहरा पानी
[2]https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=427&t=3

लें, तो 43% से अधिक बिजली गैस से, 21.4% नवीकरणीय ऊर्जा से, 18.6% परमाणु ऊर्जा से और 16.2% कोयले से आती है। हालांकि, भारत में दो–तिहाई से अधिक बिजली कोयला आधारित संयंत्रों से आती है और बिजली उत्पादन में गैस की हिस्सेदारी मात्र 6% है। भारतीय बिजली क्षेत्र को एक उच्च खपत विद्युत नीति, 24x7 बिजली के लिए गैस–आरई एकीकरण तथा स्वास्थ्य और प्रदूषण लागत को ध्यान में रखते हुए मेरिट ऑर्डर डिस्पैच की समीक्षा जैसे सुधारों की आवश्यकता है। ये सुधार प्राथमिक ऊर्जा बास्केट में गैस की हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। हालांकि, प्राकृतिक गैस की खपत में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए इसे बेसलोड ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना होगा। देश में विशेष रूप से गर्मियों के मौसम में उच्च बिजली की मांग को पूरा करने में मदद के लिए, भारत सरकार ने गैस आधारित बिजली संयंत्रों को चालू किया है। गैस आधारित उत्पादन स्टेशनों से अधिकतम बिजली उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 11 के तहत सभी गैस आधारित उत्पादन स्टेशनों को निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य उच्च मांग के समय गैस आधारित विद्युत संयंत्रों से उपलब्ध विद्युत का अधिकतम उपयोग करना है।

भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आयातक रहा है। 2013 से एलएनजी आयात में 5.6% की सीएजी दर से वृद्धि हुई है तथा सीमित घरेलू प्राकृतिक गैस उत्पादन और प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने के सरकार के लक्ष्य के कारण इसमें और वृद्धि होने जा रही है। वित्त वर्ष'24 के दौरान देश में एलएनजी आयात 31 बीसीएम (~85 एमएमएससीएमडी) था। भविष्य में, हम परिवहन क्षेत्र में, विशेष रूप से लंबी दूरी के वाहनों में, एलएनजी का अधिक उपयोग होते देखेंगे।

शहरी प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ने और पेट कोक और भट्ठी तेल जैसे प्रदूषणकारी ईंधन पर प्रतिबंध लगने के कारण, अधिक औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहक गैस का उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। यह भी उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में प्राकृतिक गैस को जीएसटी के तहत शामिल किया जाएगा, जिससे छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) की मांग बढ़ सकती है क्योंकि उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलेगा।

सरकारी नीतियों, उद्योग की पहलों, तथा विकासकर्ताओं और आपूर्तिकर्ताओं के प्रयासों से हम देश को गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं।

### 1.5 प्राकृतिक गैस क्षेत्र का दृष्टिकोण

पूर्वी और पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों से उत्पादन में वृद्धि के कारण भारत का घरेलू गैस उत्पादन 2027–28 तक अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचने की उम्मीद है। स्पॉट बाजार मूल्य में उतार–चढ़ाव के प्रभाव को कम करने के लिए, भारत नए दीर्घकालिक अनुबंध प्राप्त करने पर काम कर रहा है। परिवहन, रिफाइनरियों और उद्योगों द्वारा संचालित एलएनजी की बढ़ती मांग के साथ, भारत की प्राकृतिक गैस की मांग 2040 तक दोगुनी होने का अनुमान है।

### 1.6. भारतीय पेट्रोकेमिकल क्षेत्र

भारत में पिछले दो दशकों में पेट्रोकेमिकल की मांग में जोरदार वृद्धि देखी गई है और अगले दो दशकों तक इसके सुदृढ़ बने रहने की उम्मीद है। भारत में पेट्रोकेमिकल क्षेत्र उम्मीद की किरण के के रूप में उभरा है। ऐतिहासिक रूप से, भारत में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की खपत जीडीपी वृद्धि की तुलना में 1.3–1.5 गुना अधिक तेजी से बढ़ी है। यह रुझान अगले 15–20 वर्षों तक जारी रहने की उम्मीद है, जिससे भारतीय पेट्रोकेमिकल बाजार वैश्विक स्तर पर सबसे आकर्षक बाजारों में से एक बन जाएगा।

वर्तमान में, भारतीय रासायनिक और पेट्रोकेमिकल उद्योग का मूल्य +190 बिलियन है, जिसमें पेट्रोकेमिकल क्षेत्र का हिस्सा +51 बिलियन है। इस खंड में पर्याप्त वृद्धि का अनुभव होने का अनुमान है, जिसके 2040 तक +1,000 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इस विस्तार के भीतर, पेट्रोकेमिकल उद्योग के +370 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय पेट्रोकेमिकल उद्योग आयात पर बहुत अधिक निर्भर करता है। 2022 में, पूरे पेट्रोकेमिकल मूल्य श्रृंखला में कुल आयात ₹2,04,404 करोड़ होने का अनुमान है। विशेष रूप से, शीर्ष 52 उत्पादों सहित पेट्रोकेमिकल अंतिम उत्पादों का आयात ₹1,30,328 करोड़ था।

भारत की बढ़ती मांग और पेट्रोकेमिकल आयात पर भारी निर्भरता के कारण, देश को घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए 2035 तक 15 से अधिक बड़े पैमाने पर पेट्रोकेमिकल सुविधाओं की आवश्यकता हो सकती है। पेट्रोकेमिकल क्षेत्र वैश्विक तेल और गैस उद्योग के लिए एक प्रमुख विकास चालक होने की उम्मीद है, जो 2030 तक अतिरिक्त मांग का एक–तिहाई से अधिक हिस्सा होगा।

आयात पर अपनी उच्च निर्भरता और मजबूत मांग वृद्धि के साथ, भारत नए पेट्रोकेमिकल निवेश के लिए एक प्रमुख बाजार बन गया है। अगले 10 वर्षों में मांग में प्रति वर्ष लगभग 8% की वृद्धि होने की उम्मीद है। इस अवधि के दौरान पेट्रोकेमिकल विकास में वैश्विक वृद्धि में भारत का योगदान 10% से अधिक होने का अनुमान है।

मजबूत मांग के रुझान के कारण, भारत के पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। आने वाले वर्षों में कई अरब डॉलर की परिसंपत्तियाँ या तो चालू हो चुकी हैं या ऑनलाइन आने वाली हैं। शुरुआत में, रिफाइनर और घरेलू पेट्रोकेमिकल कंपनियाँ दोनों ही अपनी उत्पादन क्षमता में पर्याप्त वृद्धि कर रही हैं। पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में रिफाइनरी से जुड़ी पेट्रोकेमिकल परिसंपत्तियों और साथ ही विविध फीडस्टॉक्स पर पेट्रोकेमिकल यूनिटों के निर्माण में निवेश देखा जा रहा है।

आईईडब्ल्यू 2024 के एक सत्र को संबोधित करते हुए निदेशक (परियोजना)

## 2. गेल का निष्पादन

### 2.1 प्रचालन निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए गेल का प्रचालन निष्पादन इस प्रकार है:

| विवरण | यूओएम | 2023–24 | | 2022–23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | मात्रा | प्रचालन से राजस्व* (₹ करोड़ में) | मात्रा | प्रचालन से राजस्व* (₹ करोड़ में) |
| प्राकृतिक गैस विपणन | एमएमएससीएमडी | 98.45 | 1,14,590 | 94.91 | 1,35,290 |
| प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन | एमएमएससीएमडी | 120.46 | 10,292 | 107.28 | 6,661 |
| एलपीजी गैस परिवहित | टीएमटी | 4,396 | 732 | 4,335 | 722 |
| पॉलिमर बिक्री | टीएमटी | 787 | 7,753 | 399 | 4,917 |
| तरल हाइड्रोकार्बन बिक्री | टीएमटी | 998 | 5,076 | 929 | 5,570 |

*अंतर खंड राजस्व सहित

## 2.2 वित्तीय निष्पादन

(₹ करोड़ में)

| विवरण | वित्त वर्ष 2023–24 | वित्त वर्ष 2022–23 | परिवर्तन वृद्धि/(कमी) |
|---|---|---|---|
| प्रचालन से राजस्व | 1,30,638 | 1,44,302 | (9)% |
| कर पूर्व लाभ | 11,555 | 6,584 | 76% |
| कर पश्चात् लाभ | 8,836 | 5,302 | 67% |

- **वित्तीय मापदंड** (₹ करोड़ में)

| विवरण | वित्त वर्ष 2023–24 | वित्त वर्ष 2022–23 |
|---|---|---|
| पूंजीगत व्यय | 11,426 | 9,099 |
| (समूह कंपनियों में इक्विटी योगदान सहित) | 49,556 | 44,284 |
| रिजर्व और अधिशेष (ट्रांजिशन रिजर्व, अन्य व्यापक आय और बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व को छोड़कर) अर्थात् फ्री रिजर्व | 56,131 | 50,860 |
| निवल मूल्य | 16,413 | 14,309 |
| कुल बकाया ऋण | | |

31 मार्च, 2024 तक विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में मूलधन या ब्याज की कोई राशि बकाया नहीं थी।

- **अनुपात विश्लेषण**

| विवरण | वित्त वर्ष 2023–24 | वित्त वर्ष 2022–23 |
|---|---|---|
| ऋण इक्विटी अनुपात | 0.29 | 0.22 |
| ऋण सेवा कवरेज अनुपात (गुना) | 3.31 | 3.91 |
| ब्याज कवरेज अनुपात (गुना) | 12.97 | 13.89 |
| निवल मूल्य पर वापसी (पीएटी/निवल मूल्य) (%) | 15.74 | 10.42 |
| नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (पीबीआईटी/नियोजित पूंजी) (%) | 14.34 | 9.64 |
| देनदार कारोबार (शुद्ध ऋण बिक्री (अर्थात सकल कारोबार)/औसत व्यापार प्राप्तियां) | 11.80 | 14.56 |
| मांग सूची कारोबार (बेची गई वस्तुओं की लागत/औसत मांग सूची) | 22.81 | 33.77 |
| वर्तमान अनुपात (वर्तमान परिसंपत्ति/वर्तमान देयताएं) | 0.92 | 0.92 |
| प्रचालन लाभ मार्जिन (प्रचालन आय (संचालन ईबीआईटी)/संचालन से राजस्व (निवल)) (%) | 7.71 | 3.20 |
| शुद्ध लाभ मार्जिन {कर पश्चात् लाभ (पीएटी)/प्रचालन से राजस्व (शुद्ध)} (%) | 6.79 | 3.68 |

कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान प्रचालन से ₹ 1,30,638 करोड़ का राजस्व दर्ज किया। कर से पहले लाभ ₹ 11,555 करोड़ रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 76% की वृद्धि है, जबकि कर पश्चात् लाभ ₹ 8,836 करोड़ रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 67% की वृद्धि है। लाभप्रदता में यह वृद्धि मुख्य रूप से गैस विपणन में बेहतर ट्रेडिंग मार्जिन और 01 अप्रैल 2023 से प्रभावी विनियमों के अनुसार पूंजीगत व्यय आदि के कारण नियामक प्राधिकरण द्वारा ट्रांसमिशन टैरिफ में संशोधन के कारण हुई है।

ऐसे सभी कारकों का पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमुख वित्तीय अनुपातों पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और इसके परिणामस्वरूप कंपनी का प्रचालन लाभ मार्जिन अनुपात वित्त वर्ष 2022–23 में 3.20% से 140% बढ़कर वित्त वर्ष 2023–24 में 7.71% हो गया। शुद्ध लाभ मार्जिन अनुपात वित्त वर्ष 2022–23 में 3.68% से 84% बढ़कर वित्त वर्ष 2023–24 में 6.79% हो गया। इन दोनों अनुपातों में वृद्धि मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान प्रचालन लाभ और कर पश्चात् लाभ में वृद्धि के कारण हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान कर पश्चात् लाभ में वृद्धि के कारण निवल मूल्य अनुपात पर रिटर्न वित्त वर्ष 2022–23 में 10.42% से 51% बढ़कर वित्त वर्ष 2023–24 में 15.74% हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान कर पश्चात् लाभ में वृद्धि के कारण नियोजित पूंजी अनुपात पर प्रतिफल वित्त वर्ष 2022–23 में 9.64% से 49% बढ़कर वित्त वर्ष 2023–24 में 14.34% हो गया। चालू वित्त वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उधार में वृद्धि के कारण ऋण से इक्विटी अनुपात वित्त वर्ष 2022–23 में 0.22 गुना से 32% बढ़कर वित्त वर्ष 2023–24 में 0.29 गुना हो गया। वर्ष के दौरान बेची गई वस्तुओं की औसत लागत में कमी और इन्वेंटरी–होल्डिंग अवधि वित्त वर्ष 2022–23 में ~11 दिनों से बढ़कर वित्त वर्ष 2023–24 में ~15 दिन हो जाने के कारण इन्वेंटरी कारोबार अनुपात वित्त वर्ष 2022–23 में 33.77 गुना से 32% घटकर वित्त वर्ष 2023–24 में 22.81 गुना हो गया। वर्ष के दौरान कारोबार में कमी आई है, जिसका मुख्य कारण प्राकृतिक गैस की कीमतों में कमी है और औसत देनदारों में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप देनदारों का कारोबार अनुपात वित्त वर्ष 2023–24 में 11.80 गुना हो गया है, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 में यह 14.56 गुना था।

- **बाजार पूंजीकरण**

कंपनी का बाजार पूंजीकरण (बीएसई) 31 मार्च, 2023 को ₹ 69,203 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2024 को ₹ 1,19,108 करोड़ हो गया, जिसका कारण शेयर की कीमत ₹ 105.25 प्रति शेयर से बढ़कर ₹ 181.15 प्रति शेयर हो जाना है।

## 3. भावी रूपरेखा

### 3.1 कार्यनीति

आपकी कंपनी भारत में गैस बाजारों के विस्तार के लिए नीतिगत रूपरेखा तैयार करने में सरकार के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है। रणनीति 2030 के कार्यान्वयन के लिए तैयार, आपकी कंपनी भावी ऊर्जा की ओर परिवर्तन करते हुए संगठन की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए नए सिरे से रणनीतिक दिशा तय करने के लिए काम कर रही है।

प्रौद्योगिकी क्षेत्र, बाजार, विनियामक प्रथाओं और व्यापक–नीति दिशा में तेजी से हो रहे बदलावों की गति को पहचानते हुए, कंपनी समय–समय पर 'रणनीति 2030' की समीक्षा करती रही है और इन रोमांचक लेकिन चुनौतीपूर्ण समय में विकास का मार्ग प्रशस्त किया है।

उपर्युक्त के अनुरूप, आपकी कंपनी की रणनीति कई महत्वाकांक्षी पहलों की रूपरेखा तैयार करना है। आपकी कंपनी गैस सोर्सिंग और विपणन, एलएनजी पोर्टफोलियो के विस्तार, नेशनल गैस ग्रिड (एनजीजी) के विस्तार, विकास और विस्तार जैसे विविध क्षेत्रों में नए अवसरों में उद्यम लगाने की क्षमताओं का लाभ उठाते हुए अपने मुख्य व्यावसायिक क्षेत्रों के पैमाने का विस्तार कर रही है, जिसमें गेल के विकास को बढ़ावा देने के लिए अगले दशक के लिए पीडीएचपीपी, सीजीडी, स्पेशलिटी केमिकल्स आदि में निवेश सहित पेट्रोकेमिकल्स पोर्टफोलियो शामिल है। कंपनी पाता पेट्रोकेमिकल संयंत्र के लिए शून्य–तरल डिस्चार्ज भी कार्यान्वित कर रही है।

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान 1,171 कि.मी. पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा किया है, जिससे पूरे देश में स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित हुई है। प्राकृतिक गैस ग्रिड (एनजीजी) को पूरा करने के अपने अथक प्रयास में, गेल को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कोच्चि–कूट्टनद–बेंगलुरु–मंगलुरु पाइपलाइन (केकेबीएमपीएल ।।) के कृष्णगिरि से कोयंबटूर खंड और मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा पाइपलाइन (एमएनजेपीएल) के नागपुर झारसुगुड़ा खंड की आधारशिला रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, साथ ही प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना

के तहत धामरा अंगुल पाइपलाइन और बरौनी–गुवाहाटी पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया गया।

राष्ट्र और उसके ग्राहकों के लिए प्राकृतिक गैस सुरक्षित करने के लिए, आपकी कंपनी कठोर प्रयास कर रही है। आपकी कंपनी ने ई–नीलामी में, घरेलू मोर्चे पर विभिन्न गैस ब्लॉकों से वित्त वर्ष 2023–24 में कुल 109.5 एमएमएससीएम की संचयी मात्रा प्राप्त की है, जबकि द्विपक्षीय समझौतों और गैस एक्सचेंज के माध्यम से भी सोर्सिंग की है। आपकी कंपनी प्रमुख वैश्विक एलएनजी उत्पादकों के साथ दीर्घकालिक एलएनजी सोर्सिंग के अवसरों की तेजी से खोज कर रही है। नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाने के अलावा, आपकी कंपनी अपेक्षित क्षमताओं और संसाधनों के निर्माण की दिशा में काम कर रही है। इस वित्तीय वर्ष में, विशेषकर ऊर्जा सुरक्षा में सुधार और भारत की प्राकृतिक गैस की मांग–आपूर्ति के अंतर को दूर करने में उल्लेखनीय उपलब्धियां देखी गईं। गेल ने 2026 से शुरू होने वाले दो 10–वर्षीय एलएनजी आपूर्ति समझौतों पर हस्ताक्षर किए; विटोल, सिंगापुर से 1 एमएमटीपीए और एडीएनओसी गैस, यूएई से 0.5 एमएमटीपीए। इसके अलावा, गेल कतर एनर्जी एलएनजी और पीएलएल के बीच हस्ताक्षरित नए एलएनजी एसपीए से 4.5 एमएमटीपीए की आपूर्ति करेगा। इस एलएनजी एसपीए के तहत आपूर्ति 2028 में 20 वर्षों की अवधि के लिए शुरू होगी। इसके अलावा, गेल ने दीर्घकालिक एलएनजी पोत, गेल ऊर्जा को सफलतापूर्वक शामिल किया है, उसे किराए पर लिया है और एक नए एलएनजी वाहक के लिए कूल कंपनी लिमिटेड, नॉर्वे, एक शुद्ध एलएनजी शिपिंग कंपनी के साथ 14 साल की टाइम चार्टर पार्टी के लिए भी अनुबंध किया है। एलएनजी वाहक के लिए टाइम चार्टर 2025 की शुरुआत में शुरू होगा और गेल के पास 14 साल की अवधि के बाद चार्टर को दो अतिरिक्त वर्षों तक बढ़ाने का विकल्प होगा।

विकसित फीडस्टॉक उपलब्धता परिदृश्य के अनुरूप, कंपनी ने प्रमुख उद्योग कंपनियों के साथ त्रिपक्षीय समझौता–ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग का उद्देश्य ईथेन और अन्य हाइड्रोकार्बन के आयात के अवसरों का पता लगाना है, साथ ही हजीरा टर्मिनल पर ईथेन निकासी बुनियादी ढांचे के विकास का मूल्यांकन करना है।

गेल देश भर में सीजीडी कंपनियों को ऊर्जा के इस नवीकरणीय, स्वदेशी और स्वच्छ स्रोत की आपूर्ति के माध्यम से देश में बायोगैस क्रांति की पटकथा लिख रहा है। गेल को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा देश भर में फैले संयंत्रों से बायोगैस/कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) के उठान के लिए सीबीजी–सीजीडी सिंक्रोनाइजेशन योजना को चालू करने और सीएनजी (टी) और पीएनजी (डी) खंडों में उपयोग के लिए सीजीडी कंपनियों को एक समान आधार मूल्य (यूबीपी) पर ऐसी बायोगैस/सीबीजी की आपूर्ति करने का अधिकार दिया गया है। 19.04.2021 को एक मामूली शुरुआत से, जब सीजीडी नेटवर्क में बायोगैस का पहला इंजेक्शन शुरू किया गया था, गेल अब पूरे भारत में 30 भौगोलिक क्षेत्रों में 100,000 से अधिक एससीएमडी की आपूर्ति कर रहा है।

## 3.2 अवसर और नई पहल

- **प्राकृतिक गैस विपणन**

आपकी कंपनी मौजूदा/उभरते क्षेत्रों में गैस की खपत के विस्तार पर काम करते हुए अपने मौजूदा ग्राहक आधार को मजबूत कर रही है। आपकी कंपनी ने जगदीशपुर–हल्दिया और बोकारो–धामरा पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) के साथ प्रमुख एंकर लोड ग्राहकों के साथ कनेक्टिविटी पूरी कर ली है, जिससे वे मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, पानागढ़, हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड, बरौनी, हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड, गोरखपुर और हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड, सिंदरी जैसे उर्वरक संयंत्रों को पूर्ण लोड, गैस की आपूर्ति कर सकेंगे। गेल ने संकट की अवधि के दौरान गैस आधारित बिजली उत्पादकों की मांग को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा, आपकी कंपनी पाइपलाइन के माध्यम से पड़ोसी देशों को प्राकृतिक गैस निर्यात करने का अवसर भी तलाश रही है।

आपकी कंपनी अपने संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों के साथ मिलकर प्रमुख राजमार्गों पर एलएनजी स्टेशनों के निर्माण की दिशा में भी काम कर रही है, ताकि एलएनजी का उपयोग हेवी–ड्यूटी वाहनों (एचडीवी) खंड में ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में किया जा सके। खनन क्षेत्र में भारी उपकरणों के लिए ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में एलएनजी का उपयोग शुरू करने के प्रयास भी चल रहे हैं, जो व्यावसायिक रूप से हाई–स्पीड डीजल (एचएसडी) का स्थान ले सकता है। गैस बाजार का विस्तार करने के प्रयास में, आपकी कंपनी के बोर्ड ने एलएनजी रिटेल वर्टिकल की स्थापना को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए ₹650 करोड़ का रणनीतिक निवेश किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य एलएनजी वितरण बुनियादी ढांचे के विकास के अवसरों का पता लगाना है।

- **स्रोत और व्यापार**

आपकी कंपनी ने खुद को एक प्रमुख वैश्विक एलएनजी कंपनी के रूप में स्थापित किया है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, आपकी कंपनी ने भारत में सीधे तौर पर 127 एलएनजी कार्गो का अब तक का सबसे अधिक आयात किया, जिसमें बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए स्पॉट आधार पर 15 एलएनजी कार्गो शामिल हैं। आपकी कंपनी भारत में बढ़ती डाउनस्ट्रीम गैस मांग को पूरा करने के लिए अग्रणी वैश्विक एलएनजी उत्पादकों/व्यापारियों के साथ दीर्घकालिक अनुबंध के अवसरों के लिए बाजार की तलाश कर रही है।

भारत में बदलती गैस मांग को पूरा करने और गेल के यूएस एलएनजी पोर्टफोलियो से एलएनजी लाने की माल ढुलाई लागत का प्रबंधन करने के लिए, आपकी कंपनी भारतीय बाजारों में एलएनजी की सस्ती और स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नवाचार कर रही है। इसमें पारंपरिक जहाज चार्टरिंग से इतर विभिन्न ढांचागत लेन–देन का पता लगाना भी शामिल है। ये ढांचागत लेन–देन अक्सर पूर्व निर्धारित कीमतों या फार्मुलों का उपयोग करते हैं, जो बाजार की अस्थिरता से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद करते हैं। हाल ही में, आपकी कंपनी ने यूएस एलएनजी कार्गो को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए एफओबी आधार पर टाइम स्वैप लेनदेन और तृतीय पक्ष बिक्री सहित विभिन्न सौदे पूरे किए हैं। भारत में बढ़ती गैस की मांग के साथ, आपकी कंपनी अपने स्वयं के जहाज चार्टर्स और डेस्टिनेशन स्वैप जैसे ढांचागत लेन–देन के मिश्रित उपयोग के माध्यम से अधिकांश यूएस एलएनजी कार्गो को भारत लाने की योजना बना रही है।

आपकी कंपनी ने बैकहॉल के साथ दुनिया का पहला शिप–टू–शिप (एसटीएस) ट्रांसफर और भारत का पहला एलएनजी कार्गो का एसटीएस ट्रांसफर सफलतापूर्वक संचालित करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। जून 2023 में, इसमें आपकी कंपनी द्वारा किराए पर लिए गए दो जहाज और जिब्राल्टर के पास एसटीएस संचालन शामिल थे। इस अभिनव दृष्टिकोण ने न केवल अवधारणा के प्रमाण का परीक्षण किया, बल्कि शिपिंग में कार्बन उत्सर्जन को कम करने, शिपिंग की लंबाई को बचाने और कुछ स्थितियों में लागत कम करने के प्रभावी तरीकों का भी प्रदर्शन किया।

इसके अलावा, आपकी कंपनी वस्तु मूल्य जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए हेजिंग में सक्रिय रूप से संलग्न है।

- **एलएनजी पुनर्गैसीकरण टर्मिनल**

कोंकण एलएनजी लिमिटेड (केएलएल) गेल की सहायक कंपनी है। आपकी कंपनी केएलएल के तहत महाराष्ट्र में 5 एमएमटीपीए दाभोल टर्मिनल की वाणिज्यिक ऑपरेटर है। ब्रेकवाटर सुविधाओं से संबंधित कमीशनिंग गतिविधियों के 100% पूरा होने के बाद, केएलएल पूरे वर्ष पूरी क्षमता से काम करने में सक्षम होगा। गेल केएलएल के दाभोल एलएनजी टर्मिनल की क्षमता को 5 से बढ़ाकर 6.3 एमएमटीपीए करने पर काम कर रहा है।

आपकी कंपनी ने पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के दाहेज टर्मिनल पर दीर्घकालिक आधार पर पुनर्गैसीकरण क्षमता भी बुक की है और टर्मिनल में बुक की गई क्षमता का कुशलतापूर्वक उपयोग कर रही है।

इसके अलावा, ओडिशा में धामरा एलएनजी टर्मिनल चालू हो गया है और वाणिज्यिक संचालन के लिए तैयार है। गेल ने 22 मई, 2023 को अपना पहला एलएनजी कार्गो उतारना शुरू किया। इससे गेल के पाइपलाइन नेटवर्क को भारत के पूर्वी हिस्से में अपना पहला आरएलएनजी फीडिंग पॉइंट मिला।

देश में प्राकृतिक गैस की बढ़ती मांग को देखते हुए, आपकी कंपनी प्रमुख मांग केंद्रों और पाइपलाइन बुनियादी ढांचे के पास एलएनजी रीगैसिफिकेशन टर्मिनल स्थापित करने के अवसरों की तलाश कर सकती है ताकि कुशल गैस निकासी सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी नए एलएनजी टर्मिनलों के लिए क्षमता बुकिंग या इक्विटी में भागीदारी या मौजूदा टर्मिनलों को अपग्रेड करने पर विचार कर सकती है।

- **प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन**

आपकी कंपनी नई प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को विकसित करके और अपनी मौजूदा प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के विस्तार द्वारा अपनी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बुनियादी ढांचे की लंबाई बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी कंपनी ने निर्माणाधीन नए गैस स्रोतों को अपनी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के साथ जोड़ने के लिए कदम उठाए हैं जिसमें अपनी पाइपलाइनों में और अधिक और नए गैस इंजेक्शन बनाने के लिए राजस्थान/गुजरात में कृष्णा गोदावरी (केजी) बेसिन, कावेरी बेसिन, झरिया, बोकारो और शहडोल में कोल बेड मीथेन (सीबीएम) खोजें, बोली मार्ग और निर्माणाधीन आरएलएनजी टर्मिनलों के माध्यम से घरेलू गैस के नए स्रोत शामिल हैं। इसके अलावा, देश में अन्य पाइपलाइन कंपनियों की प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के साथ आंतरिक कनेक्शन (आईसी) भी प्रदान किए जा रहे हैं।

विभिन्न औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस का उपभोग करने और अन्य वैकल्पिक ईंधन से हटने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें अंतिम मील कनेक्टिविटी (एलएमसी) प्रदान करने के अलावा, आपकी कंपनी देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 27 सीजीडी नेटवर्क को हुकिंग–अप कनेक्टिविटी (अर्थात ट्रंक नेचुरल गैस पाइपलाइन से सीजीडी नेटवर्क तक कनेक्टिविटी) भी प्रदान कर रही है और वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान गैस की आपूर्ति/परिवहन के लिए 5 नई अंतिम मील कनेक्टिविटी (एलएमसी) और मौजूदा एलएमसी सुविधाओं में 3 उन्नयन पूरे किए गए हैं।

गेल के स्टील पाइपलाइन बिछाने वाले व्यावसायिक साझेदारों के साथ परस्पर चर्चा बैठक में निदेशक (परियोजनाएं)

आपकी कंपनी ने वहां कारोबार की जाने वाली गैस का सुचारू ट्रांसमिशन सुनिश्चित करने के लिए नए गैस एक्सचेंज के साथ एक प्रक्रिया स्थापित की है। इसके अलावा, आपकी कंपनी देश की पहली गैस पाइपलाइन ऑपरेटर है जिसने ऑनलाइन ओपन एक्सेस पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे अपनी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में सामान्य कैरियर क्षमता को बुक करना आसान और अधिक पारदर्शी हो गया है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, पोर्टल ने लगभग ~14,250 क्षमता ट्रेंच (सीटी) अनुरोधों की प्रोसेसिंग की है।

- **राष्ट्रीय गैस ग्रिड (एनजीजी) का विकास**

प्राकृतिक गैस पाइपलाइन भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं और गैस आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए आवश्यक हैं। गेल राष्ट्रीय गैस ग्रिड के भाग के रूप में देश भर में अपनी पाइपलाइन अवसंरचना का विस्तार करने के लिए लगातार काम कर रहा है। चल रही पाइपलाइन परियोजनाओं के साथ, गेल पूरे भारत में अपने प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क को बढ़ा रहा है।

आपकी कंपनी अपनी अत्याधुनिक प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन पाइपलाइन प्रणाली के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और परिवहन के महान उद्देश्य को पूरा करना जारी रखेगी और भारत में विकास और औद्योगीकरण में योगदान देगी। गेल लगातार राष्ट्रीय गैस ग्रिड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और गेल के पाइपलाइन नेटवर्क के साथ स्थित संभावित ग्राहकों अर्थात औद्योगिक, वाणिज्यिक, घरेलू आदि को पाइपलाइन कनेक्टिविटी प्रदान कर रहा है और नए गैस स्रोतों को जोड़ रहा है।

प्राकृतिक गैस पाइपलाइन अवसंरचना देश में विभिन्न बिजली, उर्वरक, सीजीडी और अन्य उद्योगों की मौजूदा/भविष्य की प्राकृतिक गैस मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न गैस स्रोतों को विभिन्न गैस बाजारों से जोड़ती है। गैस पाइपलाइन अवसंरचना ने व्यापक औद्योगीकरण को सुगम बनाया है और देश के विभिन्न हिस्सों में महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन लाए हैं।

पिछले कुछ वर्षों में, एक प्रमुख गैस पाइपलाइन ऑपरेटर के रूप में गेल ने प्राकृतिक गैस पाइपलाइन अवसंरचना और प्राकृतिक गैस बाजार के विकास में योगदान दिया है। इसके पास 209.51 एमएमएससीएमडी क्षमता के साथ लगभग ~16,243 कि.मी. का गैस पाइपलाइन नेटवर्क मौजूद है। गेल का मौजूदा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क 20 राज्यों (आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल) और 3 केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, पुडुचेरी और दादरा नगर हवेली) को कवर करता है।

अनुमोदित परियोजनाओं की प्रगति स्थिति निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | परियोजनाएं | कुल लंबाई (कि.मी. में) | मार्च 24 तक चालू | कवर किए गए राज्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जगदीशपुर–हल्दिया और बोकारो–धामरा पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) | 2,561 | 2,267 | उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल |
| 2 | बरौनी–गुवाहाटी पाइपलाइन (बीजीपीएल) | 727 | 717 | बिहार, पश्चिम बंगाल और असम |
| 3 | कोयंबटूर से कृष्णागिरी पाइपलाइन (कोच्चि–कुट्टानाड–बेंगलुरु का हिस्सा–मंगलुरु पाइपलाइन चरण–II) | 901 | 579 | केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक |
| 4 | श्रीकाकुलम अंगुल पाइपलाइन (एसएपीएल) | 744 | 0 | ओडिशा और आंध्र प्रदेश |
| 5 | मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा पाइपलाइन (एमएनजेपीएल) | 1,755 | 0 | महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा |
| 6 | धामरा हल्दिया पाइपलाइन (डीएचपीएल) | 253 | 150 | ओडिशा और पश्चिम बंगाल |
| 7 | गुरदासपुर–जम्मू पाइपलाइन | 160 | 0 | पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू |

- **पेट्रोकेमिकल्स**

पेट्रोरसायन व्यवसाय क्षेत्र के तहत, आपकी कंपनी उसर, महाराष्ट्र में 500 केटीए प्रोपेन डिहाइड्रोजिनेशन और पॉलीप्रोपीलीन (पीडीएच–पीपी) संयंत्र स्थापित कर रही है, जिसके 2025 में चालू होने की उम्मीद है। यह भारत में पहला संयंत्र होगा जिसमें प्रोपलीन के उत्पादन के लिए प्रोपेन डिहाइड्रोजनीकरण तकनीक का उपयोग किया जाएगा। परियोजना से संबंधित विभिन्न गतिविधियाँ जोर–शोर से चल रही हैं। इसके अलावा, आपकी कंपनी ऊसर में पीडीएच–पीपी संयंत्र में उत्पादित हाइड्रोजन के लिए कार्बन तीव्रता का आकलन भी कर रही है। गेल ने संयंत्र के लिए प्रोपेन की 15 वर्ष की आपूर्ति के लिए बीपीसीएल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपकी कंपनी पाता में 60 केटीए पॉलीप्रोपीलीन (पीपी) संयंत्र और ऊसर में 50 केटीए आइसोप्रोपेनॉल (आईपीए) यूनिट भी स्थापित कर रही है।

गेल और बीपीसीएल ने उसर स्थित गेल के पेट्रोकेमिकल संयंत्र के लिए प्रोपेन की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

- **ईथेन सोर्सिंग**

अपने मौजूदा और भविष्य के पेट्रोकेमिकल संयंत्रों के लिए फीडस्टॉक्स में विविधता लाने के लिए, आपकी कंपनी संपूर्ण ईथेन मूल्य श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसमें ईथेन का स्रोत खोजना, इसे पानी के माध्यम से परिवहन करना, आयात टर्मिनल विकसित करना और अंतिम गंतव्य तक पाइपलाइन कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना शामिल है।

आयात अवसंरचना के लिए, आपकी कंपनी एक ईथेन टर्मिनल स्थापित करने पर विचार कर रही है। जल–जनित परिवहन के लिए, बहुत बड़े ईथेन वाहक (वीएलईसी) को टाइम–चार्टर करने की योजना है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत भारत में बहुत बड़े ईथेन क्रैकर्स के लिए एक बाजार विकसित करने की संभावना तलाश रही है। इसमें जहाज निर्माण कंपनियों, भारतीय शिपयार्ड और जहाज मालिकों के साथ चर्चा शामिल है। अंतर्देशीय परिवहन के लिए, आयातित ईथेन को ले जाने के लिए उपयुक्त पाइपलाइन मार्गों को खोजने के लिए एक सर्वेक्षण किया जा रहा है।

आपकी कंपनी ने ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) और शेल एनर्जी इंडिया (एसईआई) प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय समझौता–ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता–ज्ञापन ईथेन और अन्य हाइड्रोकार्बन के आयात के अवसरों की खोज और शेल एनर्जी टर्मिनल, हजीरा में निकासी बुनियादी ढांचे के विकास का आकलन करने पर केंद्रित है। इस समझौते का उद्देश्य तीनों पक्षों की संयुक्त शक्तियों का लाभ उठाकर दक्षता बढ़ाना और परियोजना में तेजी लाना है।

- **भारत में ईथेन क्रैकर**

देश में पेट्रोकेमिकल्स की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, आपकी कंपनी ग्रीनफील्ड ईथेन क्रैकर स्थापित करने की व्यवहार्यता का पता लगा रही है।

- **कोयला गैसीकरण**

आपकी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) के साथ गठित जेवी–तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के माध्यम से कोयला गैसीकरण आधारित यूरिया परियोजना स्थापित कर रही है। इस परियोजना में 2,200 एमटीपीडी अमोनिया और 3,850 एमटीपीडी यूरिया का उत्पादन करने की परिकल्पना की गई है।

गेल बोर्ड ने बर्धमान (पश्चिम बंगाल) में कोयले से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (एसएनजी) परियोजना के लिए सीआईएल के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन को मंजूरी दे दी है और विस्तृत व्यवहार्यता की जांच की जा रही है।

- **परामर्शी पहल**

भारत अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने और एक स्वच्छ, अधिक स्थायी ऊर्जा प्रणाली की ओर बढ़ने के लिए काम कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने इस प्रयास की तुलना पौराणिक कथाओं में सूर्य देवता के रथ को खींचने वाले सात घोड़ों से की है। उनका मानना है कि भारत की ऊर्जा रणनीति में सात मुख्य चालक होने चाहिए, जिनमें से एक अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक गैस का उपयोग बढ़ाना है।

प्राकृतिक गैस को पर्यावरण का अनुकूल ऊर्जा स्रोत माना जाता है, जो इसे 21वीं सदी के लिए उपयुक्त ईंधन बनाता है। अपने रासायनिक गुणों के कारण यह सबसे स्वच्छ और सबसे कुशल हाइड्रोकार्बन है। देश को डीकार्बोनाइजेशन और ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में ले जाने के लिए, सरकार ने प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल की हैं, जिसका लक्ष्य 2030 तक देश के प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में इसकी हिस्सेदारी को लगभग 15% तक बढ़ाना है। प्राकृतिक गैस प्रगति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और संदर्भ के आधार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विकास को बढ़ा सकती है।

यह उम्मीद की जाती है कि आयातित एलएनजी पर भारत की निर्भरता बढ़ेगी। यह देखते हुए कि ऊर्जा परिदृश्य बाजार और भू–राजनीतिक उतार–चढ़ाव के प्रति संवेदनशील है, भंडारण बफर की अनुपस्थिति भारत की ऊर्जा जरूरतों को बाजार के दबाव और अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ सकता है। भंडारण बफर होने से बाजार में मूल्य अंतर का लाभ उठाने में भी मदद मिल सकती है। हाल ही में, गेल ने एक अन्य तेल पीएसयू के साथ मिलकर भूमिगत गैस भंडारण की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एक अध्ययन शुरू किया है।

जीवाश्म ईंधन के स्वच्छ उपयोग की पहल के तहत, कोयला गैसीकरण संयंत्र प्राकृतिक गैस ग्रिड के निकट स्थापित किए जा सकते हैं। इससे इन संयंत्रों से उत्पादित गैस या हाइड्रोजन को सीधे प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों में इंजेक्ट किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक गैस का उपयोग प्लास्टिक और रसायनों जैसे विभिन्न उत्पादों के उत्पादन में ईंधन या फीडस्टॉक के रूप में किया जा सकता है, जिससे इन उद्योगों के कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी।

भारत में राष्ट्रीय गैस ग्रिड विकसित करने के लिए विभिन्न पाइपलाइन परियोजनाएँ चल रही हैं, जो देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर भागों सहित दूरदराज के क्षेत्रों में गैस उपलब्ध कराएगी। इसका समर्थन करने के लिए, सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे पाइपलाइन विकास के लिए अनुदान प्रदान करना और उर्वरक संयंत्रों जैसे प्रमुख ग्राहकों को पुनर्जीवित करना। पूरे भारत में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार करने के अलावा, सरकार अंतिम उपभोक्ताओं तक प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और पहुँच बढ़ाने के लिए सीजीडी बुनियादी ढाँचा विकसित करने पर भी काम कर रही है।

आपकी कंपनी के लिए एक उभरता हुआ विकास क्षेत्र जैविक कचरे के एनारोबिक फर्मन्टेशन से उत्पादित बायोगैस का विपणन है। बायोगैस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 1 अक्तूबर, 2018 को सतत (सस्ते परिवहन के लिए स्थायी विकल्प) पहल शुरू की। इस पहल का उद्देश्य बायोमास कचरे से आर्थिक मूल्य निकालना

है ताकि कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) का उत्पादन किया जा सके और इसे परिवहन वाहनों के लिए वैकल्पिक ईंधन (सीबीजी के समान) के रूप में उपयोग किया जा सके।

नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, प्राकृतिक गैस में नवीकरणीय संसाधनों के बीच सुगम उपलब्धता की चुनौती का समाधान करने और ग्रिड को संतुलित करने में मदद करने की क्षमता है। प्राकृतिक गैस एक सुगम ऊर्जा भंडारण माध्यम के रूप में कार्य कर सकती है, जो अधिकतम उपयोग अवधि के दौरान अधिक मांग से राहत देती है और ग्रिड को स्थिर करती है। यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए एक मूल्यवान पूरक बनाता है, क्योंकि यह नवीकरणीय उत्पादन कम होने पर विश्वसनीय बैकअप बिजली प्रदान करता है।

परिवहन क्षेत्र और वाहन क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को स्वच्छ आवाजाही समाधान के रूप में स्थापित करने के लिए बिजली वितरण और चार्जिंग बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होगी। इस बीच, तेजी से बढ़ते शहर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के माध्यम से, प्राकृतिक गैस उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ आवाजाही एजेंडे का समर्थन करने के लिए काम कर रही है। यह नेटवर्क वाहनों को ईंधन देने के लिए तत्काल और स्वच्छ विकल्प प्रदान करता है, जिससे ईवी बुनियादी ढांचे के विकास के दौरान अंतर को पाटने में मदद मिलेगी।

हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए, सीजीडी अवसंरचना का उपयोग अंतिम उपयोग के लिए प्राकृतिक गैस के साथ हाइड्रोजन को मिश्रित करने के लिए किया जा सकता है। प्रायोगिक परियोजनाओं द्वारा सीजीडी नेटवर्क में हाइड्रोजन को मिश्रित करने की व्यवहार्यता स्थापित करने के बाद, तकनीकी सीमाओं के अधीन, हाइड्रोजन मिश्रण का एक इष्टतम स्तर शुरू किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, भविष्य के हाइड्रोजन बैकबोन अवसंरचना को विकसित करने के लिए, ईंधन की प्रकृति और अंतिम उपभोक्ताओं जैसे तालमेल पर विचार करते हुए, मौजूदा गैस पाइपलाइन अवसंरचना के उपयोग के अधिकार (आरओयू) का लाभ उठाया जा सकता है। यह दृष्टिकोण मौजूदा बुनियादी ढांचे का कुशलतापूर्वक उपयोग करके हाइड्रोजन–आधारित ऊर्जा प्रणाली में परिवर्तन को सुविधाजनक बना सकता है।

पिछले कुछ वर्षों में, गेल ने गैस को पर्यावरण अनुकूल ईंधन के रूप में बढ़ावा देने और भारत में गैस के लिए बाजार के अवसरों को उजागर करने के लिए उद्योग के कार्यक्रमों में भाग लिया है। गेल एफआईपीआई, सीआईआई, फिक्की, सीएसई, टेरी, नीति आयोग आदि सहित विभिन्न भारतीय उद्योग संघों के साथ संवाद कर रहा है। कंपनी गैस क्षेत्र में आवश्यक स्थायी ऊर्जा नीतियों और सुधारों पर अंतर्राष्ट्रीय गैस यूनियन, एडीबी और विश्व बैंक जैसे वैश्विक संघों के साथ भी काम करती है। गेल नियमित रूप से पीएनजीआरबी के साथ बातचीत करता है ताकि उन्हें वर्तमान उद्योग की स्थिति और दृष्टिकोण के बारे में जानकारी मिल सके। इसके अतिरिक्त, गेल भारत में प्राकृतिक गैस की वकालत करने और बाजार के विकास का समर्थन करने के लिए थिंक टैंक और सरकारी निकायों के साथ सहयोग करता है।

- **हरित ऊर्जा पहलें**

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन उर्वरक उत्पादन और पेट्रोलियम शोधन में हाइड्रोजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक आशाजनक वैकल्पिक ईंधन है। इसमें जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता को कम करने और इन औद्योगिक प्रक्रियाओं के कार्बन उत्सर्जन को कम करने की क्षमता है। जीवाश्म ईंधन से प्राप्त फीडस्टॉक की जगह ग्रीन हाइड्रोजन उर्वरकों, रसायनों, पेट्रोकेमिकल्स और स्टील के उत्पादन से होने वाले उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त, हाइड्रोजन का उपयोग लंबी दूरी के परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा के लंबी अवधि के भंडारण के लिए ईंधन के रूप में किया जा सकता है, जो स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों में बदलाव का समर्थन करता है।

रणनीति 2030 के अनुरूप, आपकी कंपनी जैविक और अजैविक दोनों तरीकों से अपने अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए विभिन्न अवसरों की खोज कर रही है।

अप्रैल 2021 में सीबीजी–सीजीडी सिंक्रोनाइजेशन योजना के शुभारंभ के बाद से, कंपनी ने इस योजना को देश भर में सफलतापूर्वक संचालित किया है। योजना के अब तक के कार्यान्वयन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

क. वित्त वर्ष 2023–24 के लिए, सीबीजी–सीजीडी सिंक्रोनाइजेशन योजना के तहत बायोगैस/सीबीजी की बिक्री 12,813 टन है।

ख. वित्त वर्ष 2023–24 के अंत में सिंक्रो योजना के तहत संचयी बायोगैस/सीबीजी की बिक्री 25 एमएमएससीएम से अधिक है।

ग. सीबीजी–सीजीडी सिंक्रोनाइजेशन योजना के तहत 30 सीजीडी जीए को 100,000 एससीएमडी से अधिक बायोगैस/सीबीजी की आपूर्ति/इंजेक्शन की जा रही है।

घ. 59 सीबीजी उत्पादकों और 30 सीजीडी कंपनियों के साथ 88 त्रिपक्षीय समझौते (टीपीए) किए गए हैं।

नेट जीरो भविष्य का समर्थन करने के लिए, आपकी कंपनी कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) के उत्पादन में विभिन्न व्यावसायिक अवसरों की खोज कर रही है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सतत (सस्ते परिवहन के लिए स्थायी विकल्प) पहल के भाग के रूप में, कंपनी ने अपने रिटेल आउटलेट्स और अपने संयुक्त उद्यमों में विपणन अनुबंध के लिए सीबीजी उत्पादकों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी ने संभावित सीबीजी उत्पादकों को कुल 403 आशय–पत्र (एलओआई) जारी किए हैं।

आपकी कंपनी ने सीबीजी उत्पादन संयंत्र स्थापित करके सीबीजी व्यवसाय में उतरने का निर्णय भी लिया है। कंपनी रांची में 5 टन प्रति दिन (टीपीडी) सीबीजी उत्पादन क्षमता का अपना पहला सीबीजी संयंत्र स्थापित कर रही है। कंपनी को भूमि आवंटन सहित बेंगलुरु में सीबीजी संयंत्र स्थापित करने के लिए कर्नाटक सरकार से अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

आपकी कंपनी ने पंजाब राज्य में कृषि अवशेषों पर आधारित 10 सीबीजी संयंत्र स्थापित करने के लिए पंजाब अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (पीईडीए) के साथ समझौता–ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

भारत सरकार के 'राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन' के अनुरूप, गेल ने मध्य प्रदेश के गेल विजयपुर में अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया है, जिसका उद्घाटन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव श्री पंकज जैन ने किया। इस ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की क्षमता 10 मेगावाट पीईएम (प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन) अर्थात इलेक्ट्रोलाइजर यूनिटों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा 4.3 टीपीडी हाइड्रोजन का उत्पादन करने की है।

आपकी कंपनी ने गुजरात में 500 केएलपीडी बायो इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने की व्यवहार्यता और पेट्रोकेमिकल/केमिकल संयंत्र, सौर और पवन परिसंपत्तियों से संबंधित अन्य व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने के लिए मैसर्स गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड (जीएसीएल) के साथ समझौता–ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

आपकी कंपनी ने सौर ऊर्जा के विकास के लिए कुछ पहल की हैं जैसे (i) सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए बीएचईएल के साथ समझौता– ज्ञापन; (ii) कैप्टिव खपत के लिए नवीकरण ीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना; (iii) राजस्थान में सौर परियोजनाएं विकसित करने के लिए राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग के साथ समझौता–ज्ञापन; (iv) उत्तर प्रदेश में सौर परियोजना विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता–ज्ञापन; और (v) कॉर्पोरेट भागीदार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के साथ सहयोग।

- **लघु–स्तरीय द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एसएसएलएनजी)**

भारत की पहली एसएस–एलएनजी सुविधा, विजयपुर

भारत ने हाल ही कुछ वर्षों से शहर गैस वितरण नेटवर्क का व्यापक विस्तार किया है, जिससे प्राकृतिक गैस की मांग में वृद्धि हुई है।

भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल बाजार को देखते हुए, गेल ने प्राकृतिक गैस द्रवीकरण यूनिटों की स्थापना करके लघु स्तर पर एलएनजी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की योजना बनाई है। ये यूनिटें पूरे भारत में वर्चुअल पाइपलाइनों और एलएनजी ईंधन भरने वाले स्टेशनों के माध्यम से प्राकृतिक गैस की वितरित खपत की सुविधा प्रदान करेंगी। यह पहल परिवहन, नगर गैस वितरण (सीजीडी), रेलमार्ग और अन्य उद्योगों में एलएनजी के उपयोग को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। इसके अतिरिक्त, द्रवीकरण सुविधाएँ छोटे गैस क्षेत्रों के दोहन को सक्षम कर सकती हैं जो बड़ी पाइपलाइनों के लिए व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं, इस प्रकार इन क्षेत्रों से गैस के कुशल हस्तांतरण में सहायता मिलती है।

आपकी कंपनी उन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की मांग को पूरा करने के लिए छोटी द्रवीकरण सुविधाएं स्थापित करने की योजना बना रही है जो पाइपाइन से जुड़े नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, आप एसएसएलएनजी (लघु–स्तरीय तरलीकृत प्राकृतिक गैस) स्किड्स की तैनाती के माध्यम से रूकी हुई गैस परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की खोज कर रहे हैं और भारत में द्रवीकरण स्किड्स के निर्माण की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं।

आपकी कंपनी ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के प्रायोगिक उत्पादन के लिए दो छोटे पैमाने के द्रवीकरण स्किड का ऑर्डर दिया है। इस वर्ष, आपकी कंपनी गेल, विजयपुर में भारत की पहली एसएसएलएनजी स्किड को सफलतापूर्वक चालू किया। मालिकाना मोबाइल द्रवीकरण तकनीक का उपयोग करते हुए, ये स्किड नए शहर गैस वितरण क्षेत्रों में द्रवीकरण के माध्यम से प्राकृतिक गैस वितरित करने, अलग–अलग क्षेत्रों में गैस को द्रवीकृत करने और एलएनजी ईंधन स्टेशनों और बंकरिंग की स्थापना का समर्थन करने में सहायता करेंगे। यह प्रयास पहली बार भारत में पोर्टेबल और स्केलेबल द्रवीकरण यूनिटों को प्रस्तुत करेगा।

- **परियोजना संचय ।।**

लाभदायक वृद्धि के लिए संसाधनों का अनुकूलन करने और प्रचालन प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए 2015 में परियोजना 'संचय' (लाभ अधिकतमीकरण) शुरू की गई थी।

फरवरी 2024 में, डेटा–संचालित तकनीकों के माध्यम से प्रचालन दक्षता बढ़ाने और नई खोज को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए गेल में परियोजना संचय ।। शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य गेल के लाभ को बढ़ाने के लिए उन्नत डेटा विश्लेषण का उपयोग करके सुधार करने की रणनीतियों को लागू करना है। इसमें उन्नत डेटा विश्लेषण और नवाचार के माध्यम से लाभ में सुधार करने हेतु लिए निरंतर काम करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) बनाना शामिल है। इस पहल का उद्देश्य गेल के कर्मचारियों को इन प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल करना भी है।

## 4. जोखिम, चुनौतियाँ और न्यूनीकरण

### 4.1 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) विनियामक ढांचा

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, पीएनजीआरबी ने पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों के संबंध में विभिन्न संशोधन और विनियमन अधिसूचित किए हैं।

पीएनजीआरबी ने संबंधित मामलों में विभिन्न आदेश और निर्णय भी जारी किए हैं। उक्त विनियमनों, संशोधनों, प्राधिकरणों, आदेशों और निर्णयों का विवरण पीएनजीआरबी की आधिकारिक वेबसाइट (www.pngrb.gov.in) पर उपलब्ध है और इनका व्यवसाय पर अलग–अलग प्रभाव पड़ता है। पीएनजीआरबी के ये विनियम, संशोधन, प्राधिकरण, आदेश, निर्णय पीएनजीआरबी बेंच, अपीलीय न्यायाधिकरण और न्यायालयों के समक्ष अपील योग्य हैं और तदनुसार, आपकी कंपनी से संबंधित उनमें से कुछ अपील के विभिन्न चरणों में भी हैं। पीएनजीआरबी द्वारा किए गए विनियमनों में किसी भी अंतिम परिवर्तन का समय और सामग्री आपकी कंपनी के नियंत्रण में नहीं है। हालाँकि, क्षेत्रीय मुद्दों पर पीएनजीआरबी के साथ नियमित बातचीत, विनियामक बोर्ड द्वारा आयोजित सार्वजनिक परामर्श अभ्यासों में भागीदारी और विनियामक को लिखित रूप में तार्किक प्रस्तुतियाँ देना आपकी कंपनी को विनियमनों में किसी भी अचानक या अप्रत्याशित परिवर्तन से जुड़े जोखिमों का अनुमान लगाने या उन्हें कम करने में मदद करता है।

वर्ष के दौरान, पीएनजीआरबी ने प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और सीजीडी नेटवर्क के संबंध में विभिन्न संशोधनों और विनियमों को अधिसूचित किया है। प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के संबंध में, विनियामक प्रावधानों के आधार पर, पीएनजीआरबी ने आपकी कंपनी की नौ (09) परस्पर जुड़ी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को एकीकृत करके, एक एकीकृत शुल्क निर्धारित किया है, जिसे 01 अप्रैल, 2023 से प्रभावी रूप से जोनल टैरिफ में विभाजित किया गया है।

इस अवधि के दौरान, पीएनजीआरबी ने 01 अप्रैल, 2023 से प्रभावी एकीकृत टैरिफ विनियमों को भी अधिसूचित किया है। इसके तहत, एकीकृत टैरिफ की गणना राष्ट्रीय गैस ग्रिड सिस्टम (एनजीजीएस) में शामिल सभी घटक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए भारित औसत जोनल टैरिफ (पीएनजीआरबी द्वारा अनुमोदित) के रूप में की जाती है और उसके बाद इसे तीन जोनों में जोनल एकीकृत टैरिफ में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला जोन गैस स्रोत से 300 कि.मी.तक की दूरी को कवर करता है, दूसरा जोन 300 कि.मी. से अधिक और 1200 कि.मी. तक और तीसरा जोन 1200 कि.मी. से अधिक होता है। इसके तहत, एनजीजीएस से जुड़ी पाइपलाइनों से जुड़े देश भर के सभी ग्राहकों को उनके स्थान के आधार पर लागू एकल क्षेत्रीय एकीकृत शुल्क का भुगतान करना होगा।

### 4.2 प्राकृतिक गैस की कीमतें

आपकी कंपनी वर्तमान में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से खरीदी गई प्राकृतिक गैस का विपणन करती है।

आपकी कंपनी घरेलू प्राकृतिक गैस की बिक्री पर विपणन मार्जिन अर्जित करती है। इसके अलावा, भारत सरकार ने 24 दिसंबर, 2015 की अपनी अधिसूचना में, जो 18 नवंबर, 2015 से लागू है, घरेलू गैस की आपूर्ति के लिए विपणन मार्जिन की सीमा ₹ 200 प्रति 1000 एससीएम तय की है।

उपर्युक्त के अलावा, आपकी कंपनी मुख्य रूप से गुजरात के दाहेज में पीएलएल से आयातित प्राकृतिक गैस खरीदती है। इस तरह के री–गैसीफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस (आरएलएनजी) की खरीद और बिक्री कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्य सूचकांक पर आधारित हैं। इसके अलावा, आपकी कंपनी दुनिया भर के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से सीधे एलएनजी का आयात भी करती है और इसे गुजरात के दाहेज और केरल के कोच्चि स्थित पीएलएल के रीगैसीफिकेशन टर्मिनलों, महाराष्ट्र के दाभोल स्थित केएलएल के रीगैसीफिकेशन टर्मिनल, गुजरात के हजीरा स्थित शेल एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले हजीरा एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड के

नाम से जाना जाता था) टर्मिनल और ओडिशा के धमारा एलएनजी टर्मिनल पर री–गैसीफाइड कराती है। इस तरह के एलएनजी आयात या तो तीन वर्ष से अधिक अवधि के दीर्घकालिक समझौते, तीन वर्ष तक के मध्यम अवधि के समझौते या स्पॉट कार्गो खरीद के तहत होते हैं। दीर्घकालिक और मध्यम अवधि के आयात के तहत, बिक्री मूल्य काफी हद तक खरीद मूल्य पर आधारित होता है। हालांकि, स्पॉट कार्गो आयात के तहत, बिक्री मूल्य मांग और आपूर्ति परिदृश्य और ग्राहक की सामर्थ्य पर निर्भर करता है। एलएनजी स्पॉट कार्गो का आयात अंतिम उपभोक्ताओं की सामर्थ्य एवं आवश्यकता और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एलएनजी की उपलब्धता के गहन आकलन पर आधारित है।

आपकी कंपनी मूल्य और सूचकांक जोखिम को कम करने के लिए हेजिंग लेनदेन भी कर रही है।

### 4.3 एलएनजी पोर्टफोलियो

आपकी कंपनी बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की मांग को पूरा करने और राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ दीर्घकालिक एलएनजी अनुबंध करने के अवसरों की खोज कर रही है।

''गेल ऊर्जा'' एलएनजी पोत

अपनी प्रणाली में सुधार के एक भाग के रूप में, आपकी कंपनी ने एलएनजी, जहाज चार्टरिंग और पोत सेवाओं से संबंधित पूछताछ के प्रबंधन के लिए ईमेल प्रणाली से वेब–आधारित पोर्टल पर परिवर्तन किया है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, आपकी कंपनी ने 2026 से शुरू होने वाले दो 10–वर्षीय एलएनजी आपूर्ति समझौतों पर हस्ताक्षर किए अर्थात विटोल, सिंगापुर से 1 एमएमटीपीए और एडीएनओसी गैस, यूएई से 0.5 एमएमटीपीए। इसके अतिरिक्त, गेल कतर एनर्जी एलएनजी और पीएलएल के साथ 2028 से 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत एलएनजी आपूर्ति खरीद समझौते (एसपीए) द्वारा 4.5 एमएमटीपीए का ऑफटेक करेगा। गेल ने लंबी अवधि के एलएनजी वेजल, गेल ऊर्जा को भी शामिल किया है और किराए पर लिया है। एक नए एलएनजी वाहक के लिए कूल कंपनी लिमिटेड, नॉर्वे के साथ 14–वर्षीय टाइम चार्टर पार्टी पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें चार्टर को दो अतिरिक्त वर्षों तक बढ़ाने का विकल्प है। गेल के पांच एलएनजी वाहकों का बेड़ा भारत में यूएस अनुबंधित एलएनजी मात्रा के परिवहन की सुविधा प्रदान करेगा।

कच्चे तेल और एलएनजी की कीमतों में बदलाव, एलएनजी कार्गो की कमी, घरेलू गैस उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि और एलएनजी अनुबंधों पर अपस्ट्रीम आपूर्तिकर्ताओं द्वारा चूक से होने वाले जोखिम के कारण एलएनजी को बाजार जोखिम का सामना करना पड़ता है। आपकी कंपनी अनुबंधात्मक ढांचे के भीतर डाउनस्ट्रीम आपूर्ति में कटौती लागू करने, जहां भी आवश्यक हो, स्पॉट बाजारों से पुनःपूर्ति मात्रा प्राप्त करने आदि जैसे उपशमन उपाय कर रही है। कंपनी प्रमुख उत्पादकों/व्यापारियों के साथ दीर्घकालिक एलएनजी मात्रा के अनुबंध की संभावना के लिए बाजार की खोज कर रही है।

### 4.4 अक्षय ऊर्जा सहित बिजली

भारत कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता को तेज गति से बढ़ा रहा है। अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो में वृद्धि के साथ, ग्रिड की स्थिरता उद्योग के लिए सबसे अहम है। प्राकृतिक गैस आधारित बिजली संयंत्र ग्रिड स्थिरता प्रदान करने के लिए संतुलन बनाने का कार्य कर सकते हैं क्योंकि गैस संयंत्र कोयला आधारित संयंत्रों की तुलना में परिवर्तन करने के लिए अधिक तेज़ी से प्रतिक्रिया कर सकते हैं और उत्सर्जन को कम करने में आगे और मदद कर सकते हैं। हालांकि, प्राकृतिक गैस आधारित बिजली संयंत्र में कुछ ढांचागत समस्याएं हैं जिनका नीतिगत हस्तक्षेप करके समाधान किए जाने की आवश्यकता है। आपकी कंपनी विद्युत क्षेत्र द्वारा प्राकृतिक गैस के ऑफटेक को बढ़ाने/पुनर्जीवित करने के लिए मामला–दर–मामला आधार पर और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के गहन समन्वय के साथ काम कर रही है।

### 4.5 पॉलिमर, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) और अन्य द्रव हाइड्रोकार्बन (एलएचसी)

आपकी कंपनी पेट्रोकेमिकल, एलपीजी और अन्य एलएचसी उत्पादों का विपणन भी कर रही है। इन उत्पादों की कीमतें मांग और आपूर्ति को प्रभावित करने वाले वैश्विक और घरेलू कारकों से प्रभावित और निर्धारित होती हैं। आपकी कंपनी ने पेट्रोकेमिकल उत्पादों की स्थिर खपत सुनिश्चित करने के लिए बाजार में स्वीकार्य उत्पादों की एक श्रृंखला विकसित की है और पाता (उ.प्र.) और डिब्रूगढ़ (असम) में उत्पादन सुविधाओं के साथ अपने पोर्टफोलियो को अनुकूल बनाया है। एलपीजी विपणन पीएसयू तेल विपणन कंपनियों के साथ गहन समन्वय करके तय किया जाता है।

कम कीमत और उच्च इनपुट लागत के कारण पेट्रोकेमिकल का मुनाफा कम होने का जोखिम होता है और फीडस्टॉक की उच्च लागत के कारण प्रचालन के अव्यवहारिक होने का भी जोखिम होता है।

आपकी कंपनी के उत्पादों की प्रचालन श्रेणी में मुनाफे के प्रबंधन के लिए निरंतर उपाय किए जाते हैं।

- फीडस्टॉक की सस्ती उपलब्धता।
- पॉलिमर ग्रेड अनुकूलन।
- पॉलिमर की बढ़ी हुई बिक्री सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ समन्वय।
- रुपया–डॉलर विनिमय दर, आयातित मूल्य आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बेंचमार्क की समय–समय पर निगरानी और उचित कार्रवाई।
- नेपाल को पॉलिमर का निर्यात पुनः आरंभ किया गया।

### 4.6 विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव जोखिम

आपकी कंपनी, बड़े पैमाने पर एलएनजी, पूंजीगत सामान और विभिन्न नई परियोजनाओं के लिए भंडार और अतिरिक्त पुर्जों का आयात करती है, तथा संचालन और रखरखाव करती है। आपकी कंपनी में विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंधन के लिए एक अनुमोदित विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन नीति विद्यमान है जिसकी वित्तीय वर्ष के दौरान समीक्षा की गई है। अनुमोदित नीति के अनुसार आपकी कंपनी की विदेशी मुद्रा के अल्पकालिक और दीर्घकालिक जोखिम की निगरानी की जा रही है।

### 4.7 वस्तु मूल्य जोखिम

प्राकृतिक गैस के मूल्य जोखिम के प्रबंधन के लिए आपकी कंपनी में एक प्राकृतिक गैस मूल्य जोखिम प्रबंधन नीति है। अनुमोदित नीति के अनुसार आंतरिक खपत के साथ–साथ विभिन्न डाउनस्ट्रीम ग्राहकों को बेचने के लिए उपयोग की जाने वाली प्राकृतिक गैस के मूल्य जोखिम की निगरानी की जा रही है। जब भी बाजार में ऐसे अवसर उत्पन्न होते हैं, आपकी कंपनी आयातित प्राकृतिक गैस की कीमतों में उतार–चढ़ाव से उत्पन्न होने वाले मूल्य जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न डेरिवेटिव की लेनदेन करती है।

### 4.8 प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा जोखिम

विभिन्न जोखिम गैस परिवहन और वितरण जैसे प्राकृतिक गैस

पाइपलाइनों के विस्फोट, भूकंप, सुनामी, आतंकवादी गतिविधियों आदि से जुड़े हैं। इन जोखिमों को इन परियोजनाओं के डिजाइन चरण से ही कम किया जा रहा है। तथापि, ऐसे प्राकृतिक या मानव निर्मित जोखिम आकस्मिक घटनाएं हैं और इन्हें पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसी कोई घटना होती है, तो कंपनी पर व्यापक देनदारियां आ जाती हैं। ऐसी घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिए, आपकी कंपनी के पास आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना मौजूद है।

आपकी कंपनी 2023–24 तक भूकंप और आतंकवाद के लिए अतिरिक्त कवरेज के साथ मानक अग्नि और विशेष जोखिम पॉलिसी (एसएफएसपी) ले रही थी। पहली बार, गेल ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए मेगा जोखिम बीमा कवर लिया है। इसे मैसर्स न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (मुख्य बीमाकर्ता के रूप में) को ₹ 1.57 लाख करोड़ की बीमा राशि के लिए प्रदान किया गया था। मेगा बीमा कवरेज एसएफएसपी की तुलना में अधिक व्यापक है और पहले नुकसान के आधार पर लाइन पैक सहित मशीनरी ब्रेक डाउन और पाइपलाइन जैसे अतिरिक्त जोखिम कवरेज को कवर करता है।

### 4.9 जोखिम प्रबंधन ढांचा (आरएम)

जोखिम प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है और आपकी कंपनी ने अपनी समग्र रणनीतिक और प्रचालन प्रथाओं के साथ जोखिम प्रबंधन को एकीकृत करने की दृष्टि से एक व्यापक उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचा स्थापित किया है।

जोखिम प्रबंधन के घटकों को कंपनी के व्यवसाय मॉडल और रणनीतियों, संगठनात्मक संरचना, संस्कृति, जोखिम श्रेणी और समर्पित संसाधनों द्वारा परिभाषित किया जाता है। जोखिम प्रबंधन एक सतत और विकसित होने वाली प्रक्रिया है, जो कंपनी की संस्कृति और रणनीति के साथ जुड़ी होती है।

कंपनी ने बोर्ड की एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का गठन किया है और इसकी भूमिका सेबी एलओडीआर विनियम 2015 में निर्दिष्ट है। इसका प्राथमिक उद्देश्य जोखिम प्रबंधन के लिए एक ढांचागत दृष्टिकोण द्वारा समर्थित स्थायी और स्थिर व्यावसायिक विकास सुनिश्चित करना है। ईआरएम ढांचे में संगठन के लिए जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को डिजाइन करना, लागू करना, निगरानी करना, समीक्षा करना और लगातार सुधार करना शामिल है। गेल में ईआरएम ढांचा आईएसओ 31000:2018 (जोखिम प्रबंधन – सिद्धांत और दिशानिर्देश) की आवश्यकताओं और ट्रेडवे कमीशन (सीओएसओ) के प्रायोजक संगठनों की समिति की सिफारिशों को शामिल करने के बाद डिजाइन किया गया है। आपकी कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे की संरचना इस प्रकार है:

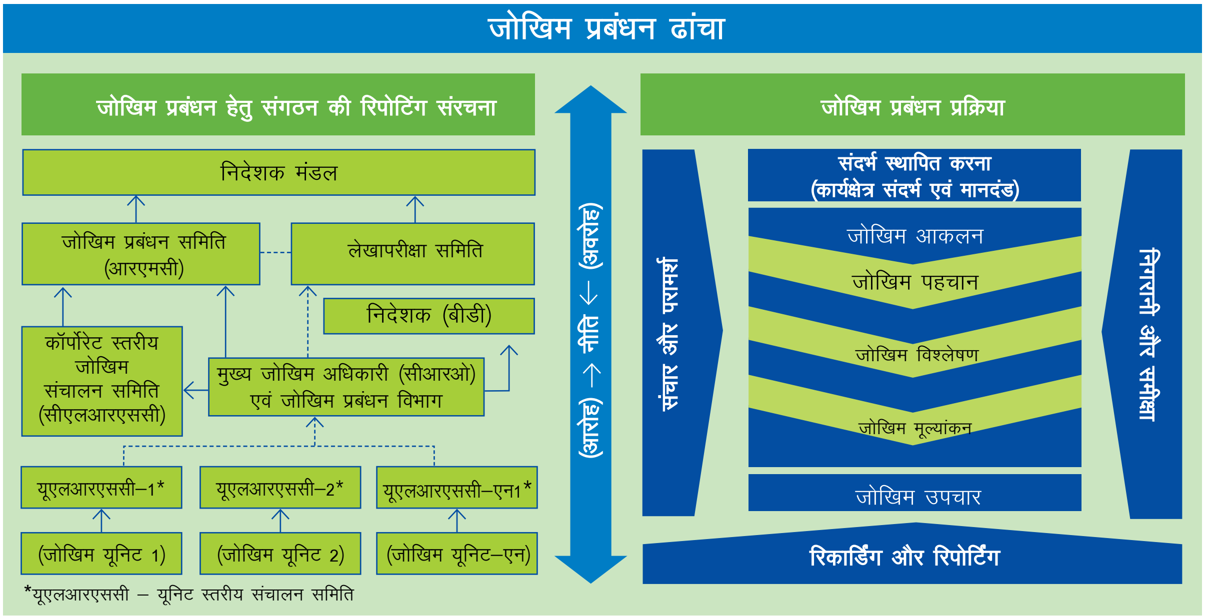


आपकी कंपनी में संगठन और इसके हितधारकों की सुरक्षा और मूल्यवर्धन के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति और प्रक्रिया उपलब्ध है जिसका उद्देश्य मौजूदा सांविधिक विनियमों के अनुपालन में निर्णयकर्ताओं द्वारा अपेक्षित/अनुमानित और मौजूदा जोखिमों के निष्पक्ष प्रबंधन के लिए एक जोखिम आसूचना ढांचा स्थापित करना है ताकि आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिरता में सुधार और उद्देश्यों की स्पष्ट उपलब्धि सुनिश्चित हो सके।

- **जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण**

आपकी कंपनी जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक ढांचागत 'अवरोह' और 'आरोह' दृष्टिकोण का उपयोग करती है। 'अवरोह' दृष्टिकोण अंतर्दृष्टि को दूर करने और प्रमुख जोखिमों पर स्पष्टता प्रदान करने में मदद करता है जबकि 'आरोह' दृष्टिकोण व्यापक जोखिम पहचान और प्राथमिकता को सुनिश्चित करने में मदद करता है, साथ ही इसमें ऐसी प्रक्रियाएं शामिल हैं जो एक मजबूत जोखिम प्रबंधन संस्कृति सुनिश्चित करने वाली कंपनी में निर्णय लेने को नियंत्रित करता है।

- **जोखिम की पहचान**

आपकी कंपनी व्यापार और वित्तीय जोखिमों के साथ–साथ गैर–वित्तीय जोखिमों जैसे जलवायु परिवर्तन, ईंधन की कीमतों, ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षा सहित विभिन्न प्रकार के जोखिमों का आकलन करती है जो भविष्य में व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं और उस पर प्रभाव डाल सकते हैं। इस चरण में जोखिम के स्रोतों, प्रभावों के क्षेत्रों, घटनाओं (परिस्थितियों में परिवर्तन सहित) और उनके कारणों और उनके संभावित परिणामों की पहचान शामिल है। इस चरण का उद्देश्य उन घटनाओं के आधार पर जोखिमों की एक व्यापक सूची तैयार करना है जो उद्देश्यों की प्राप्ति को बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, गति दे सकते हैं या देरी कर सकते हैं।

किसी अवसर का लाभ न उठाने से जुड़े जोखिमों की पहचान करना महत्वपूर्ण है। व्यापक पहचान महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चरण में पहचाने न गए जोखिम को आगे के विश्लेषण में शामिल नहीं किया जाएगा।

बदलते कारोबारी परिदृश्य और आपकी कंपनी के विभिन्न अन्य गतिविधियों में विस्तार में, व्यावसायिक जोखिमों और उनकी उपशमन योजनाओं का नियमित आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। शीर्ष कॉर्पोरेट स्तर के प्रमुख जोखिम निम्नानुसार हैं:

i. उपयोग का अधिकार (आरओयू)/भूमि प्राप्त करने में देरी के कारण परियोजना निष्पादन में देरी का जोखिम।

ii. गैस ट्रांसमिशन पाइपलाइन के कम उपयोग से राजस्व की हानि होगी।

iii. गेल का पुनर्गठन जोखिम (गेल की पाइपलाइन परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण और परिवहन प्रणाली ऑपरेटर (टीएसओ) के निर्माण के कारण चुनौतियां)

iv. प्रणाली को दुर्भावनापूर्ण हमलों से बचाने के लिए अपर्याप्त नियंत्रण के परिणामस्वरूप डेटा की हानि और संचालन में व्यवधान की संभावना

v. (क) उद्योग की कम मांग, कम कीमत और उच्च इनपुट लागत के कारण पेट्रोरसायन के मार्जिन में कमी का जोखिम।

(ख) फीडस्टॉक की उच्च लागत के कारण पाता संयंत्र के प्रचालन का अव्यावहारिक होने का जोखिम।

vi. (क) कच्चे तेल की कीमतों/एलएनजी की कीमतों में प्रतिकूल उतार–चढ़ाव, एलएनजी कार्गो की कमी और घरेलू गैस की मात्रा में अपेक्षित वृद्धि के संदर्भ में एलएनजी का बाजार जोखिम।

(ख) अपस्ट्रीम आपूर्तिकर्ता द्वारा एलएनजी अनुबंध में चूक का जोखिम।

vii. निम्नलिखित में/से रिसाव जोखिम के मामले में विस्फोट/उच्च मृत्यु दर –

(क) एलपीजी और एनजी पाइपलाइनें और उनके आरटी/एसवी स्टेशन (सभी कार्यस्थल)

(ख) संयंत्रः पेट्रोकेमिकल और जीपीयू/सी2–सी3 रिकवरी संयंत्र (सभी कार्यस्थल)।

(ग) गेल सीजीडी एनजी पाइपलाइनें।

viii. तीसरे पक्ष के नुकसान और अतिक्रमण का जोखिम।

ix. प्रतिकूल विनियामक परिवर्तनों का जोखिम।

x. ओएनजीसी सुविधाओं के बंद होने और गेल की आंतरिक खपत के लिए एपीएम/गैर–एपीएम गैस के आवंटन में कमी के कारण गेल के कारोबार पर प्रभाव।

उपर्युक्त सभी शीर्ष कॉर्पोरेट प्रमुख जोखिमों के साथ–साथ उपशमन उपायों की निगरानी शीर्ष प्रबंधन द्वारा बारीकी से की जा रही है। पहचाने गए जोखिमों की गहराई से जांच की जाती है और कॉर्पोरेट स्तरीय जोखिम संचालन समिति (सीएलआरएससी) द्वारा तिमाही समीक्षा, जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) द्वारा द्विवार्षिक समीक्षा, लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड द्वारा वार्षिक समीक्षा की जाती है।

### 5. निवेशक से संबंध और जुड़ाव

निवेशकों की अपेक्षाओं को पूरा करने में कंपनियों को सक्षम बनाने में निवेशक संबंध (आईआर) आज की अस्थिर दुनिया में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कंपनी की निवेशक संबंध गतिविधियों का उद्देश्य सूचना और द्विपक्षीय संचार के माध्यम से शेयरधारकों, निवेशकों और विश्लेषकों सहित हितधारकों के साथ विश्वास को बढ़ावा देना और विश्वास कायम करना है।

इन उद्देश्यों को हर समय आगे बढ़ाने के लिए आपकी कंपनी लगातार आवश्यक जानकारी का खुलासा करती है और विभिन्न निवेशक संबंध गतिविधियों का संचालन करती है। निवेशक समुदाय के साथ निकटता से जुड़ने से कंपनी को निवेशकों का विश्वास हासिल करने में मदद मिलती है, जिससे वह आईआर कार्यक्रम से अधिकतम मूल्य प्राप्त करने में सक्षम होती है।

आपकी कंपनी निवेशक समुदाय से बढ़ती रुचि आकर्षित कर रही है तथा पारदर्शी और अनुपालन द्वारा उनके प्रश्नों का उत्तर दे रही है। इसके अतिरिक्त, गेल विश्लेषकों और निवेशकों के लिए साइट विजिट की व्यवस्था करता है ताकि परियोजना विकास में प्रत्यक्ष समझ प्रदान की जा सके, जिससे उन्हें कंपनी के संचालन को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सके।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, आपकी कंपनी ने निवेशक संबंधों और जुड़ाव के लिए निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियाँ आयोजित कीं:

क) निवेशकों और विश्लेषकों की बैठक 2023 का आयोजन

ख) वित्त वर्ष '24 की पहली तिमाही और वित्त वर्ष '24 की दूसरी तिमाही/पहली छमाही, वित्त वर्ष '24 की तीसरी तिमाही के वित्तीय परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद अर्निंग कॉल का आयोजन।

ग) देश के शीर्ष ब्रोकरेज हाउस द्वारा आयोजित 12 घरेलू निवेशक सम्मेलन और 02 अंतर्राष्ट्रीय निवेशक सम्मेलन/नॉन डील रोडशो में भाग लिया।

घ) मार्च 2024 में गेल, विजयपुर में निवेशकों/विश्लेषकों के साथ परस्पर चर्चा–सह–कार्यस्थल दौरे का आयोजन किया गया, जिसमें नए व्यावसायिक विकास, जैसे लघु–स्तरीय एलएनजी, ग्रीन हाइड्रोजन और सौर संयंत्र के साथ–साथ मौजूदा संयंत्र संचालन और कंपनी के विकास के लिए इसके महत्व को प्रदर्शित किया गया।

निवेशकों और विश्लेषकों की बैठक – 2024

इन सभी बैठकों/सम्मेलनों में कंपनी के शीर्ष प्रबंधन/वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस तरह की बैठक आयोजित करने और अर्निंग कॉल की व्यवस्था करने के अलावा, कंपनी ने आवश्यकता के आधार पर निवेशकों के साथ कार्यालय बैठक की भी व्यवस्था की।

निवेशकों और विश्लेषकों के साथ जानकारी साझा करने के लिए आपकी कंपनी के प्रयासों को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। यह कंपनी की खुलेपन और हितधारकों के साथ जुड़ने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सेबी (अंतरंग व्यापार का प्रतिशेध) विनियम, 2015 और सेबी (अंतरंग व्यापार का प्रतिशेध) (संशोधन) विनियम, 2018 के अनुरूप, गेल के इंट्रानेट पर संरचित ढांचागत डेटाबेस प्रणाली पहले से ही मौजूद है,

(i) तत्काल रिश्तेदारों के संदर्भ में नामित व्यक्ति(यों) से आवश्यक खुलासे प्राप्त करने के लिए,

(ii) कर्तव्यों को आगे बढ़ाने के लिए अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) साझा करना।

निवेशक प्रस्तुति(यां) और उल्लिखित दिशानिर्देश स्टॉक एक्सचेंजों के साथ साझा किए जाते हैं और आपकी कंपनी की वेबसाइट पर भी होस्ट किए जाते हैं।

## 6. क्षमता विकास

### 6.1 मानव पूंजी

31 मार्च, 2024 तक, आपकी कंपनी में 5038 (पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य सतर्कता अधिकारी सहित) कर्मचारी थे। आपकी कंपनी का मानना है कि कोई कंपनी मानव पूंजी में जितना अधिक निवेश करती है, उसकी उत्पादकता, नवाचार और सफलता की संभावना अधिक हो जाती है।

आपकी कंपनी के पास प्रशिक्षण और सलाह के माध्यम से अपनी मानव पूंजी विकसित करने के लिए समर्पित संसाधन हैं। इस दिशा में गेल द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. ओजेएएस, 35 वर्ष या उससे कम आयु के अधिकारियों के लिए एक युवा कार्यकारी मंच बनाया गया था, ताकि उन्हें जुड़ने, कार्य करने और अपनी क्षमताओं को विकसित करने का अवसर प्रदान किया जा सके। यह मंच मिलेनियल और जेन जेड कर्मचारियों को लक्षित जुड़ाव पहल शुरू करने में सक्षम बनाता है।

गेल कर्मचारियों के लिए स्पंदन सत्र में निदेशक (मा.सं.)

ii. स्पंदन, एक अभिनव पहल है जिसमें 'मासिक कल्याण घंटे' का पालन किया जाता है, यह एक विशिष्ट अभ्यास है जिसमें सभी स्थानों के कर्मचारी गतिविधियों की एक श्रृंखला के माध्यम से अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ाने के लिए समय समर्पित करने के लिए एकत्रित होते हैं।

iii. प्रोजेक्ट समन्वय, मानव संसाधन विस्तार प्रयासों का एक हिस्सा है, जिसमें दिल्ली/एनसीआर कार्यालयों के मानव संसाधन प्रतिनिधियों ने मानव संसाधन के महत्वपूर्ण मुद्दों/मामलों को समझने और मानव संसाधन सेवा वितरण में सुधार के लिए कर्मचारियों की प्रतिक्रिया/राय एकत्र करने के लिए विभिन्न साइटों/संयंत्रों का दौरा किया।

iv. आरोहण एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य युवा मानव संसाधन पेशेवरों को उनके कौशल विकसित करने में मदद करना है। यह एक साथ सीखने और अपने काम और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के नए तरीकों की खोज करने पर केंद्रित है।

v. गेल मेडिकल अटेंडेंस नियमों के तहत उन्नत स्वास्थ्य सेवा प्रावधानों की शुरूआत। देश भर के सभी प्रमुख कार्य केंद्रों पर कैशलेस दवा वितरण सुविधा शुरू की गई है।

vi. निदेशक (मा.सं.) के नेतृत्व में कार्य केंद्रों के कर्मचारियों के साथ आयोजित टाउनहॉल बैठकें, कर्मचारियों के बीच खुली बातचीत और रचनात्मक जुड़ाव को सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आपकी कंपनी के पास अध्ययन के उद्देश्य से छुट्टी देने की एक सुपरिभाषित नीति है, जो 5 वर्ष या उससे अधिक अनुभव वाले कर्मचारियों को अध्ययन के उद्देश्य से अवकाश लेने की सुविधा प्रदान करती है।

नियमित प्रदर्शन फीडबैक उन प्रमुख पहलुओं में से एक है जिसके माध्यम से प्रदर्शन संस्कृति हासिल की जाती है। कार्यशालाओं के माध्यम से 'फीडबैक देने की कला' पर विशेष जोर दिया गया है।

निदेशक (मा.सं.) की अध्यक्षता में टाउनहॉल बैठक

मानव पूंजी में सुधार का एक प्रमुख निर्णायक कारक कर्मचारियों और उनके परिवारों को प्रदान किए गए बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता के माध्यम से विभिन्न कार्य स्थानों पर प्रदान किए जा रहे जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। कंपनी इस पहलू को उच्च महत्व देती है और यह सुनिश्चित करती है कि कर्मचारियों को टाउनशिप, अस्पताल, स्कूल, क्लब, खेल सुविधाओं आदि जैसी सर्वोत्तम सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त हो। स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे का रखरखाव मानव संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है।

मानव पूंजी प्रबंधन के संबंध में आपकी कंपनी का ध्यान व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा करने, व्यवसाय को बनाए रखने और आवश्यक कार्य–निष्पादन प्रदान करने के साथ–साथ सुरक्षित और स्वस्थ कार्य माहौल प्रदान करना है। कार्यनीतिक और लक्षित विकास कार्यक्रमों तथा कर्मचारी संबद्धता पहल के माध्यम से, आपकी कंपनी कर्मचारी आधार का निर्माण कर रही है जो एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए उनकी क्षमता और प्रतिभा का लाभ उठा सकती है जहां स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच प्रदान की जाती है।

2023–24 के लिए प्रति कर्मचारी मूल्य वर्धन ₹ 358.58 लाख था। प्रति कर्मचारी मूल्य वर्धन उपलब्ध संसाधनों और व्यावसायिक अवसरों का अधिकतम और उत्पादक उपयोग करने पर जोर देता है।

### 6.2 नेतृत्व विकास कार्यक्रम

आने वाले वर्षों की चुनौतियों का संज्ञान लेते हुए, कंपनी ने निरंतर विकास पैटर्न को जारी रखने के लिए 2030 तक अपनी व्यावसायिक रणनीति को परिभाषित किया है। नई परियोजनाओं का नेतृत्व ऐसी कंपनियों द्वारा किया जाना चाहिए जिनके पास कंपनी के लिए नए अवसरों की सक्रिय रूप से तलाश करके और समर्थन देकर उद्यमशीलता से कार्य करने का साहस हो। बोर्ड ने अपने नीचे के तीन स्तरों पर अधिकारियों के लिए उत्तराधिकार योजना नीति को मंजूरी दे दी है। नीति के तहत उत्तराधिकार योजना प्रक्रिया के लिए अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली को विस्तार से

गेल, पाता में गेल आभा शोकेस

सूचीबद्ध किया गया है। यह ई–7 से ई–9 ग्रेड के बीच विशिष्ट भूमिका (यूआर) की पहचान करता है। उक्त स्तरों में यूआर के लिए, आवश्यक और वांछित योग्यता और अनुभव के संदर्भ में विनिर्देश तैयार किए गए हैं।

ई–7 से ई–9 ग्रेड में सभी पहचानी गई विशिष्ट भूमिकाओं के लिए उत्तराधिकार और स्टाफिंग मौजूदा कैरियर प्रगति/डीपीसी और प्लेसमेंट/एपीई नीति ढांचे के माध्यम से संचालित की जाती है। प्रत्येक लक्ष्य यूआर के लिए भूमिका विशिष्टताओं को एपीई/डीपीसी के समय संभावित उत्तराधिकारी की तैयारी के स्तर का आकलन करने के लिए संदर्भित किया जाएगा।

आपकी कंपनी का मानना है कि क्षमता निर्माण और कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि इसकी कार्यनीतिक योजनाओं के सफल निष्पादन की कुंजी है। आने वाली चुनौतियों से निपटने के एक भाग के रूप में, आपकी कंपनी ने नेतृत्व विकास और करियर योजना को सुविधाजनक बनाने के लिए एक एकीकृत नेतृत्व विकास ढांचा और उत्तराधिकार योजना ढांचा तैयार किया है।

विकास कार्यनीति में निम्नलिखित बहुआयामी प्रतिभा विकास कार्यकलाप शामिल हैं:

- 360 डिग्री फीडबैक प्रक्रिया
- वरिष्ठ प्रबंधन विकास केंद्र (एसएमडीसी) प्रक्रिया
- केंद्रित विकास कार्यक्रम

360 डिग्री फीडबैक का उद्देश्य संबंधित कार्यपालकों को उनके साथियों, अधीनस्थों और वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से प्रभावी प्रतिक्रिया प्रदान करना है।

वरिष्ठ प्रबंधन विकास केंद्र (एसएमडीसी) प्रक्रिया मुख्य प्रबंधक (ई–5) ग्रेड और उससे ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए शुरू की गई है। एसएमडीसी संगठन में बेहतर और प्रेरक नेतृत्व सुनिश्चित करने के लिए एक सहायता है। एसएमडीसी प्रक्रिया के इनपुट के आधार पर, अधिकारियों को प्रमुख बी–स्कूलों में योग्यता–विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा इन्हें पुस्तकों और ई–लर्निंग मॉड्यूल के साथ पूरक बनाया जाता है।

इसके अतिरिक्त, सभी नए पदोन्नत महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक (ई–7 और ई–8) स्तर के कार्यपालकों को एक ढांचागत प्रबंधन विकास कार्यक्रम भी प्रदान किया जाता है।

आपकी कंपनी निदेशकों के लिए मास्टर क्लास और बोर्ड रूम प्रभावशीलता जैसे क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से बोर्ड के पदों के लिए कार्यकारी निदेशक और मुख्य महाप्रबंधक के स्तर पर गेल के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को तैयार कर रही है।

### 6.3 शिक्षा और विकास

गेल प्रशिक्षण संस्थान (जीटीआइ) ने विशेष रूप से गैस ट्रांसमिशन और वितरण, नगर गैस वितरण, गैस प्रोसेसिंग, पेट्रोकेमिकल्स और एलएनजी के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास और पेशेवर प्रशिक्षण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संपूर्ण तेल और गैस बिरादरी के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं।

जीटीआइ ने अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के दौरान भौतिक मोड में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। जीटीआइ (नोएडा और जयपुर) ने कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन (टीएनए) के आधार पर लगभग 292 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत 4,565 से अधिक कर्मचारियों को कवर किया।

कर्मचारियों को सार्वजनिक उद्यम सेटअप में सार्वजनिक धन को संभालने की जटिलताओं के बारे में सिखाने के लिए विभिन्न कार्य केंद्रों पर केस स्टडी के माध्यम से सतर्कता जागरूकता पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। वर्ष 2023–24 के दौरान, गेल के विभिन्न कार्य केंद्रों/कार्यालयों में 700 से अधिक अधिकारियों को शामिल करते हुए जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा (पीआईडीपीआई) सहित सतर्कता जागरूकता पर कार्यक्रम आयोजित किए गए।

वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारियों को वर्तमान रुझानों के साथ अपने ज्ञान को अद्यतन करने और भविष्य की चुनौतियों पर काबू पाने के लिए विभिन्न सम्मेलनों और सेमिनारों में नामित किया गया।

वैश्विक कारोबारी माहौल और भारत के भावी विकास पथ के अनुरूप, अक्षय और वैकल्पिक ऊर्जा (सौर और पवन ऊर्जा), विशेष रसायन, एनजी पाइपलाइन में हाइड्रोजन परिवहन, उद्योग 4.0 और स्वचालन और उभरती अर्थव्यवस्था में हाइड्रोजन की भूमिका जैसे उभरते क्षेत्रों में क्षमता निर्माण कार्यक्रम आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और आईसीटी मुंबई आदि जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों की मदद से आयोजित किए गए। वर्ष 2023–24 के दौरान, गेल की रणनीति और अन्य उभरते व्यावसायिक क्षेत्रों के अनुरूप पिछले तीन वर्षों में लगभग 700 अधिकारियों के साथ 249 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

जीटीआइ को एएसएमई बी31.8 और एएसएमई 31.8एस कोड जैसे एएसएमई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अधिकृत प्रशिक्षण प्रदाता (एटीपी) के रूप में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (एएसएमई) द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। गेल के पास अधिकृत प्रशिक्षण प्रशिक्षक (एटीआइ) के रूप में प्रमाणित अपने स्वयं के विषय विशेषज्ञ हैं, जो आंतरिक प्रतिभागियों के

माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा वाराणसी में गेल उत्कर्ष केंद्र का दौरा

साथ–साथ बाहरी संगठनों के प्रतिभागियों के लिए एएसएमई बी31.8 और एएसएमई बी31.8एस मानक पर विभिन्न सत्र ले रहे हैं।

जीटीआई ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल, इंद्रप्रस्थ गैस सहित तेल और गैस के क्षेत्र में विभिन्न संगठनों के अधिकारियों और दुनिया भर के विभिन्न प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया है। जीटीआई ने विकासशील और पड़ोसी देशों के लिए आयोजित आईटीईसी (भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग) कार्यक्रम के तहत क्षमता निर्माण पहल के माध्यम से भारत की विकास साझेदारी में विदेश मंत्रालय के साथ भागीदारी की और जनवरी 2024 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली और लेखा परीक्षा केंद्र (आईसीआईएसए) के माध्यम से सैप वातावरण में वित्तीय लेखा परीक्षा पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

ज्ञान प्रबंधन पहल के एक भाग के रूप में, 16वें ज्ञान और अनुभव साझाकरण सेमिनार का आयोजन 4–5 जनवरी 2024 के दौरान किया गया। सेमिनार के दौरान व्यवसाय की पांच श्रेणियों में 20 चयनित पेपर प्रस्तुत किए गए और प्रत्येक श्रेणी में पुरस्कार दिए गए।

उद्योग–अकादमिक सहयोग के तहत, गेल स्नातक इंजीनियरिंग कार्यक्रम के छात्रों के लिए प्राकृतिक गैस इंजीनियरिंग नामक वैकल्पिक पाठ्यक्रम के लिए संकाय/विषय वस्तु विशेषज्ञ प्रदान करके शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्रदान कर रहा है। गेल ने लगातार छठे बैच के लिए स्नातक इंजीनियरिंग छात्रों के लिए एक कार्यक्रम (वित्त वर्ष 2023–24 की अंतिम तिमाही के दौरान) आयोजित किया।

गेल आभा, पाता और विजयपुर में गेल के दूरस्थ स्थानों पर तैनात गेल कर्मचारियों के जीवनसाथियों के लिए उद्यमशीलता के क्षेत्र में शिक्षा, और मार्गदर्शन की एक पहल है, जिसे आईआईटी, मद्रास की टीम की मदद से जीटीआई, नोएडा द्वारा संचालित किया जा रहा है।

### 6.4 कौशल विकास कार्यक्रमः

आपकी कंपनी रायबरेली में कौशल विकास संस्थान (एसडीआई) और गुना और नगराम में गेल कौशल संस्थान में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हाइड्रोकार्बन क्षेत्र कौशल परिषद (एचएसएससी) और अन्य क्षेत्र कौशल परिषदों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से कौशल भारत मिशन का समर्थन करने के लिए सक्रिय भूमिका निभा रही है। वर्ष 2023–24 के दौरान अमरावती में एक और गेल कौशल संस्थान भी स्थापित किया गया है।

विभिन्न गेल कौशल संस्थान (गुना–408, नगराम–133 और अमरावती–177) में लाभदायक रोजगार पाने के लिए वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान बड़ी संख्या में युवाओं को विभिन्न नौकरी भूमिकाओं में प्रशिक्षित किया गया।

कौशल विकास संस्थान (एसडीआई), रायबरेली को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत कौशल प्रशिक्षण के लिए एनएसडीसी के साथ सरकारी प्रशिक्षण भागीदार (जीटीपी) के रूप में पंजीकृत और अनुमोदित किया गया है, जो आत्मनिर्भर मॉडल की दिशा में एक कदम है। संस्थान को 5–स्टार रेटिंग से मान्यता–प्राप्त और संबद्ध किया गया है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कुल 536 युवाओं (146 महिलाओं सहित) को लाभकारी रोजगार के लिए कुशलता से प्रशिक्षित किया गया।

## 7. स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन

### 7.1 कॉर्पोरेट एचएसई नीतिः

आपकी कंपनी ने कॉर्पोरेट स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) नीति तैयार की है, जो एचएसई पर शीर्ष प्रबंधन की प्रतिबद्धताओं को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है। यह अपने व्यावसायिक क्षेत्रों में और अपने विभिन्न हितधारकों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण को महत्व प्रदान करके सतत विकास के माध्यम से मूल्य उत्पन्न करने का प्रयास करती है, जो उच्चतम स्तर की सुरक्षा, कर्मचारी स्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने के विजन के अनुरूप है।

आपकी कंपनी नवीनतम प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण को अपनाकर सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में अग्रणी बनने के लिए प्रतिबद्ध है। व्यावसायिक क्षेत्रों के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयंत्रों, पाइपलाइनों और इसकी सुविधाओं का डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जाता है।

आपकी कंपनी ठेके पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को सुरक्षित कार्य करने की आदतें और व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, ताकि संगठन के भीतर सकारात्मक एचएसई संस्कृति बनाई जा सके, जिम्मेदारी तय हो और किसी भी असुरक्षित कार्य को अधिसूचित करने और रोकने का अधिकार भी हो, जैसा कि उचित समझा जाए।

गेल में विस्तृत एकीकृत स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली लागू है, जो व्यवसाय के सभी क्षेत्रों में एचएसई के प्रति शीर्ष प्रबंधन की प्रतिबद्धता और कर्मचारी की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं प्रदान करती है।

### 7.2 सुरक्षा निष्पादन

एचएसई स्कोर सिस्टम एक अनूठा टूल है, जिसे ओएंडएम प्रतिष्ठानों के प्रदर्शन को मापने के लिए विकसित किया गया है, ताकि एचएसई मामलों से संबंधित एचएसई प्रबंधन प्रणाली और प्रबंधन शासन के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।

आपकी कंपनी ने निरंतर सुधार के लिए गहन एचएसई प्रदर्शन के

मूल्यांकन हेतु विभिन्न अखंडता पहलुओं को शामिल करने, महत्वपूर्ण कानूनी/वैधानिक आवश्यकताओं की निगरानी, महत्वपूर्ण प्रचालन और रखरखाव मापदंडों की निगरानी आदि के लिए पाइपलाइनों, प्रक्रिया संयंत्रों और नगर गैस वितरण नेटवर्क सुविधाओं के एचएसई स्कोर सिस्टम में संशोधन किया है। संशोधित प्रणाली में विशिष्ट भार के साथ पूर्व–निर्धारित मापदंडों के माध्यम से नेतृत्व प्रतिबद्धता, कर्मचारी भागीदारी, मानक संचालन प्रक्रियाएं, संचालन और रखरखाव, आपातकालीन तैयारी, सुरक्षा लेखापरीक्षा आदि जैसे एचएसई प्रबंधन प्रणाली के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं।

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 में 93.5% के उत्कृष्ट लक्ष्य की तुलना में 95.75% का 'एचएसई स्कोर' हासिल किया है।

### 7.3 सुरक्षा प्रशिक्षण एवं जागरूकता

कार्यस्थल से जुड़े खतरों और जोखिमों को जानने–समझने के लिए एचएसई प्रशिक्षण और जागरूकता को एचएसई प्रबंधन प्रणाली के प्रमुख घटकों में से एक के रूप में पहचाना गया है ताकि हानि से बचने के उपायों को लागू किया जा सके। आपकी कंपनी के नियमित कर्मचारियों को तकनीकी, व्यावहारिक, प्रबंधन और कार्यात्मक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नोएडा और जयपुर में एक उत्कृष्ट प्रशिक्षण संस्थान हैं। इसके अलावा, विभिन्न स्तर के कर्मचारियों और अन्य हितधारकों को ढांचागत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) और पीएनजीआरबी कोड/मानकों के अनुसार, प्रतिष्ठानों के स्तर पर एक आंतरिक प्रचालन और सुरक्षा प्रशिक्षण प्रणाली स्थापित की गई है।

आपकी कंपनी ने चालू वर्ष के दौरान विभिन्न विशिष्ट एचएसई प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं:

- 26 अक्तूबर 2023 को "जोखिम और लचीलापन: प्रभावी सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में चुनौतियां और अवसर" पर 20वीं वार्षिक एचएसई कार्यशाला आयोजित की गई। ओएंडएम साइटों के अग्नि और सुरक्षा प्रभारियों के साथ–साथ ओएंडएम अधिकारी, एचएसई और पर्यावरण अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया।
- टीईआरआई के सहयोग से 30 जनवरी 2024 को गेल जुबली टॉवर, नोएडा में "सतत विकास और प्लास्टिक मुक्त संगठन" पर एक दिवसीय कर्मचारी सहभागिता कार्यशाला आयोजित की गई। सभी ओएंडएम प्रतिष्ठानों ने भी ऑनलाइन मोड के माध्यम से कार्यक्रम में भाग लिया।
- खतरे की पहचान पर क्षमता निर्माण के एक भाग के रूप में, गेल प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा के समन्वय में ओएंडएम और एचएसई समूह के लिए खतरे और संचालन अध्ययन पर 03 प्रमाणित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और प्रतिभागियों के 01 बैच को विशेष क्यूआरए सॉफ्टवेयर के मात्रात्मक जोखिम मूल्यांकन (क्यूआरए) पर व्यावहारिक अनुभव दिया गया।
- वर्ष के दौरान 325 से अधिक ओएंडएम कर्मियों को शामिल करते हुए एसएपी में परिवर्तन प्रबंधन (एमओसी) के कार्यान्वयन पर 15 परिचय कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- ओएंडएम कर्मियों के लिए आर्क सुरक्षा और आकाशीय बिजली से सुरक्षा पर 02 विद्युत सुरक्षा कार्यशालाएं/वेबिनार आयोजित किए गए।
- गेल के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए निर्माण सुरक्षा और घटना रिपोर्टिंग प्रणाली पर एक वेबिनार आयोजित किया गया और इसमें 170 से अधिक कर्मियों ने भाग लिया।
- विश्वव्यापी औद्योगिक घटनाओं (अतीत में घटित) पर केस स्टडीज को मासिक आधार पर कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रसारित किया जाता है और केस स्टडीज से प्राप्त मुख्य सीखों पर गेल प्रतिष्ठानों में मासिक सुरक्षा दिवस बैठक के दौरान चर्चा की जाती है, जो हर महीने की 10 तारीख को आयोजित की जाती है।

### 7.4 सुरक्षा ऑडिट

आपकी कंपनी ने ओएंडएम सुविधाओं की आंतरिक तकनीकी और सुरक्षा ऑडिट करने के लिए एक ढांचागत प्रक्रिया स्थापित की है। पीएनजीआरबी और अन्य नियमों, ओआईएसडी मानकों, प्रबंधन शासन आदि के संबंध में सुधार क्षेत्रों की पहचान करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा (सक्रिय सुरक्षा लेखापरीक्षा और आंतरिक लेखापरीक्षा–कॉर्पोरेट) वर्ष में कम से कम एक बार आंतरिक टीम द्वारा आयोजित किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कॉर्पोरेट टीम द्वारा पाइपलाइनों और गैस प्रोसेसिंग संयंत्रों को कवर करते हुए 25 आंतरिक तकनीकी और सुरक्षा ऑडिट किए गए। उपर्युक्त के अलावा, विद्युत सुरक्षा पहलुओं के संबंध में विभिन्न अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ओएंडएम प्रतिष्ठानों की 02 विद्युत सुरक्षा ऑडिट की गईं।

आपकी कंपनी लागू कोड और मानकों के संबंध में कमियों की पहचान करने और सुधार क्षेत्रों, यदि कोई हो, की पहचान करने के लिए ओएंडएम प्रतिष्ठानों की सुरक्षा ऑडिट करती है। लागू केंद्रीय और राज्य विनियमों के अनुसार, तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों (टीपीआईए) द्वारा प्रतिष्ठानों के विभिन्न ऑडिट किए जाते हैं:

- तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार की एक तकनीकी शाखा, विभिन्न ओआईएसडी मानकों और दिशानिर्देशों के संबंध में अनुरूपता की जांच करने के लिए 3/4 साल में एक बार गैस प्रोसेसिंग संयंत्रों, पेट्रोकेमिकल्स और एनजी/एलपीजी पाइपलाइनों की सुरक्षा ऑडिट करती है। तदनुसार, ओआईएसडी ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान गेल प्रतिष्ठानों के 03 बाहरी सुरक्षा ऑडिट किए हैं।
- गेल, एलपीजी भंडारण एवं रखरखाव सुविधाओं, एनजी/एलपीजी पाइपलाइनों और सीजीडी नेटवर्क के तकनीकी और सुरक्षा ऑडिट तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी (टीपीआईए) द्वारा किए जा रहे हैं जिन्हें पीएनजीआरबी द्वारा लागू पीएनजीआरबी विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विधिवत अनुमोदित किया जाता है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान गेल प्रतिष्ठानों के लिए अनुमोदित टीपीआईए द्वारा 18 पीएनजीआरबी टी4एस ऑडिट किए गए।
- खतरनाक रसायनों के निर्माता, भंडारण और आयात नियम (एमएसआईएचसी), 1989 के अनुरूप प्रमुख प्रतिष्ठानों का बाह्य सुरक्षा ऑडिट वर्ष में एक बार किया जाता है। ईएसए पर अनुपालन रिपोर्ट समय–समय पर ओआईएसडी, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) और पीएनजीआरबी को प्रस्तुत की जाती है।

### 7.5 व्यावसायिक स्वास्थ्य

आपकी कंपनी ने कर्मचारियों के व्यावसायिक स्वास्थ्य की निगरानी और उसे बढ़ाने के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य, स्वच्छता उपाय और चिकित्सा निगरानी कार्यक्रम लागू करने हेतु व्यावसायिक स्वास्थ्य दिशानिर्देश तैयार किए हैं। गेल में व्यावसायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए कॉर्पोरेट व्यावसायिक स्वास्थ्य समिति की तीन महीने में एक बार बैठक होती है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान ओएंडएम प्रतिष्ठानों में नियमित कर्मचारियों की व्यावसायिक स्वास्थ्य जांच भी की गई।

व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रणाली/सुविधाओं की प्रभावशीलता की जांच के लिए वित्त वर्ष 2023–24 में एलपीजी पंपिंग स्टेशन, नसीराबाद और विशाखापत्तनम में आंतरिक बहु–विषयक टीमों द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य ऑडिट भी किया गया।

### 7.6 एचएसई पहल और उपलब्धियां

आपकी कंपनी ने एचएसई प्रबंधन प्रणाली को और बेहतर करने के लिए विभिन्न पहल की हैं। कुछ महत्वपूर्ण एचएसई पहल और उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

- एचएसई प्रदर्शन और आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा के लिए सतत विकास समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- एचएसई अपवादों, पीएनजीआरबी विनियमों के संबंध में गैर–अनुरूपता, यदि कोई हो, और परिसंपत्तियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और अखंडता को बढ़ाने के लिए उनके समयबद्ध उपशमन उपायों आदि की समीक्षा के लिए 08 एचएसई समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं।

- परियोजना एचएसई समीक्षा बैठक 18 जुलाई, 2023 को आयोजित की गई थी।
- दिबियापुर में आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र (ईआरसी) की स्थापना के लिए पूंजीगत व्यय को गेल के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।
- गेल की विभिन्न स्थापनाओं से संबंधित 08 आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना (ईआरडीएमपी) को पीएनजीआरबी को प्रस्तुत करने से पहले पीएनजीआरबी सूचीबद्ध टीपीआईए द्वारा पुनः मान्यता दी गई।
- गेल के व्यावसायिक खंडों की स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण विनियामक आवश्यकताओं के तीसरे पक्ष के आकलन और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्यप्रणाली विकसित करने के लिए मैसर्स केपीएमजी को नियुक्त किया गया।
- गैस प्रोसेसिंग संयंत्रों, एनजी/एलपीजी पाइपलाइनों, नगर गैस वितरण नेटवर्क और परियोजनाओं के संबंध में पीएनजीआरबी आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना (ईआरडीएमपी) के लिए एक समान टेम्पलेट विकसित किया गया। ये टेम्पलेट साइटों को पीएनजीआरबी अखंडता प्रबंधन प्रणाली, एचएसई प्रबंधन प्रणाली, घटना रिपोर्टिंग प्रणाली, ईएचएसएम एसएपी आदि जैसी प्रणाली और प्रक्रियाओं के साथ जोड़कर संक्षिप्त और व्यापक ईआरडीएमपी दस्तावेज तैयार करने में मदद करेंगे ताकि विनियमों के उद्देश्य को पूरा किया जा सके।

गेल प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा में 20वीं वार्षिक एचएसई कार्यशाला

- स्वीकृत दिशा–निर्देशों के अनुसार वर्क परमिट को अनुकूलित और मजबूत करने के लिए सैप में वर्क परमिट सिस्टम को बेहतर बनाया गया है।
- गेल के नगर गैस वितरण नेटवर्क में मोबाइल वर्क परमिट एप्लीकेशन विकसित और शुरू किया गया है।
- गेल में एचएसई कार्यान्वयन का अवलोकन प्रदान करने के लिए, एक ईएचएसएम डैशबोर्ड विकसित किया गया है। विकसित पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन (ईएचएसएम) डैशबोर्ड एचएसई प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है।

## 8. नवाचार, अनुसंधान और विकास

आपकी कंपनी अपने व्यावसायिक प्रचालनों के कार्बन हटाने में तेजी लाने के लिए अनुसंधान एवं विकास आधारित नवाचार के परिणामों का लाभ उठाने पर लगातार जोर देती है। इसके लिए, आपकी कंपनी विभिन्न शैक्षणिक और शोध संस्थानों के साथ अपनी शोध साझेदारी का लगातार विस्तार करती है। यह सहक्रियात्मक खुला नवाचार दृष्टिकोण अनिश्चितता को कम करता है और शोध परिणामों की सफलता दर में सुधार करता है। इस वर्ष, आपकी कंपनी ने हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और ई–ईंधन के लिए कम लागत वाली उत्प्रेरक सामग्री विकसित करने और कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला एक कुकर विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

अक्षय ऊर्जा आपूर्ति के लिए भारत के ऊर्जा परिवर्तन के सफल कार्यान्वयन के लिए ऊर्जा आपूर्ति और गतिशीलता जैसे विभिन्न क्षेत्रों के बीच मजबूत परस्पर संबंध की आवश्यकता होती है, जिसे सेक्टर कपलिंग के रूप में लेबल किया जाता है। देश में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन उपलब्धता के विशाल नेटवर्क को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया के लिए अत्यधिक कुशल और स्थिर कैटेलिस्टों का विकास समय की मांग है और आपकी कंपनी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद–भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (सीएसआईआर–आईआईपी) देहरादून के साथ सहयोग कर रही है और मीथेनेशन प्रक्रिया के लिए उच्च गतिविधि और उत्कृष्ट स्थिरता वाले गैर–कीमती निकल समर्थित कैटेलिस्टों के विकास को लक्षित कर रही है। ई–मीथेन उत्पादन के माध्यम से ग्रीनहाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) का अतिरिक्त उपयोग करना संभव है जो जलवायु संरक्षण लक्ष्य में योगदान देता है।

स्वच्छ हाइड्रोजन से ऊर्जा मूल्य श्रृंखला को डीकार्बोनाइज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। हालांकि, हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला का विस्तार करने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर, ईंधन सेलों और हाइड्रोजन भंडारण प्रणालियों में महत्वपूर्ण शोध चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए। इसके लिए, आपकी कंपनी पीईएम इलेक्ट्रोलाइजर्स के लिए किफायती और स्थायी धातु ऑक्साइड आधारित इलेक्ट्रोकैटेलिस्ट्स के विकास और पीईएम ईंधन सेल के लिए प्लैटिनम आधारित कैटेलिस्टों के लिए स्वदेशी स्केलेबल सिंथेटिक प्रोटोकॉल के विकास के लिए सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज (सीईएनएस), बेंगलुरु के साथ साझेदारी कर रही है। इसके अलावा, आपकी कंपनी लिक्विड ऑर्गेनिक हाइड्रोजन कैरियर्स (एलओएचसी) के माध्यम से हाइड्रोजन के व्यावहारिक और किफायती भंडारण के विकास के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद–राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (सीएसआईआर–एनसीएल), पुणे के साथ सहयोग कर रही है। इसके अलावा, आपकी कंपनी 1कि. वॉट पीईएम ईंधन सेल के स्वदेशी विकास के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) और हाई एनर्जी बैटरी प्राइवेट लिमिटेड, त्रिची के सहयोग से उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी) के माध्यम से एक सहयोगी शोध कार्य भी कर रही है। यह उम्मीद की जाती है कि हाइड्रोजन उत्पादन/उपयोग पर ये शोध प्रयास हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए "राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन" में भारत सरकार की पहल का समर्थन करेंगे।

इसके अलावा, भारत सरकार के स्वच्छ खाना पकाने के मिशन के तहत आपकी कंपनी 1 किलोवाट की सौर ऊर्जा से चलने वाली कुकिंग प्रणाली विकसित करने पर काम कर रही है, जो इंडक्टिव हीटिंग प्रणाली और थर्मल ऊर्जा भंडारण का उपयोग करती है। यह प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजाइन की गई है। यह परियोजना दुर्गापुर में सीएसआईआर के केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (सीएमईआरआई) और जयपुर में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (सीईईआरआई) के सहयोग से चलाई जा रही है।

विभिन्न शोध संस्थानों के साथ सहयोग के अलावा, आपकी कंपनी ने व्यापक प्रशिक्षण के माध्यम से तेल और गैस अधिकारियों की क्षमता निर्माण और तेल और गैस उद्योगों के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए मिशन मोड दृष्टिकोण के माध्यम से किफायती और व्यवहार्य समाधान विकसित करने के लिए आईआईटी–बॉम्बे में तेल, गैस और ऊर्जा (सीओई–ओजीई) हेतु उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए अन्य केंद्रीय तेल और गैस पीएसयू के साथ भागीदारी की है।

आपकी कंपनी के बोर्ड ने गेल में आरएंडडी केंद्र की स्थापना के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। प्रस्तावित अनुसंधान एवं विकास केंद्र में संपूर्ण प्राकृतिक गैस मूल्य श्रृंखला में अत्याधुनिक अनुसंधान करने के लिए सभी उन्नत उपकरणों, प्रायोगिक संयंत्रों और सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक प्रयोगशालाएँ होंगी।

आपकी कंपनी संयंत्र संचालन की सुरक्षा, दक्षता, स्थिरता और लागत प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए नवाचार पहलों के तहत विभिन्न तकनीकी आधुनिकीकरण भी करती है।

इस वर्ष, आपकी कंपनी ने दो भारतीय पेटेंट दायर किए हैं और उसे 12 पेटेंट प्रदान किए गए हैं। अब तक, आपकी कंपनी को नवीन

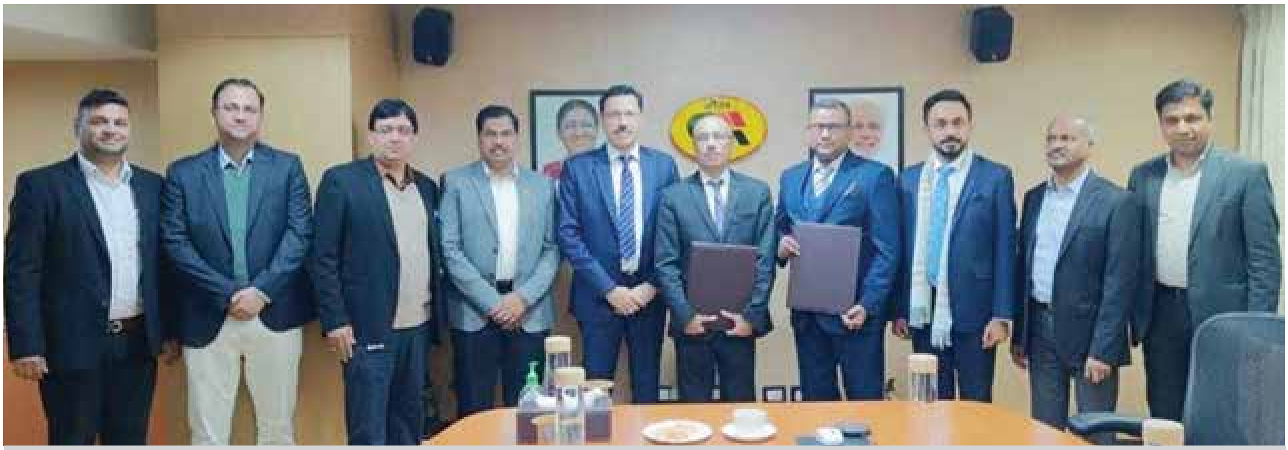

एमएस ट्रूअल्ट बायोएनर्जी लिमिटेड के साथ टर्म शीट पर हस्ताक्षर

अवधारणाओं, उत्पादों और प्रक्रियाओं के लिए कुल 32 पेटेंट (भारतीय श्रेणी के तहत 29 और विदेशी श्रेणी के तहत 3) प्रदान किए गए हैं।

### 9. सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन

आपकी कंपनी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के माध्यम से ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने और व्यावसायिक प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी कंपनी प्रभावी गुणवत्ता प्रथाओं, नवाचार और मानकीकरण के कार्यान्वयन के माध्यम से निरंतर और सतत सुधार के लिए प्रयास करती है। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली को विभिन्न पाइपलाइनों और प्रक्रिया यूनिटों के साथ–साथ कॉर्पोरेट और विपणन कार्यालयों में भी लागू किया गया है। आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों की भागीदारी के साथ गुणवत्ता सर्किल परियोजनाएं चलाती है जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों में उच्च मनोबल और उत्पादकता में वृद्धि होती है। ग्राहक मूल्य प्रबंधन और ग्राहक संतुष्टि सूचकांक सर्वेक्षणों के माध्यम से ग्राहकों के विचारों को जाना जा रहा है। आपकी कंपनी को यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान ग्राहक संतुष्टि सूचकांक 91% रहा है।

### 10. स्थिरता पहल

आपकी कंपनी हमारी मूल्य श्रृंखला में पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) को एकीकृत करने में दृढ़ विश्वास रखती है और अगली पीढ़ी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने में योगदान करती है। आपकी कंपनी, भारत की शीर्ष गैस डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते, अपने स्थिर प्रचालन और निर्णय द्वारा देश के ऊर्जा क्षेत्र को स्थायी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। स्थिरता, पर्यावरण के पारिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक तत्वों के संदर्भ में कंपनी के प्रचालन की जांच करके दीर्घकालिक मूल्य बनाने की एक विधि है। कंपनी का स्थिरता रोडमैप भारत की स्वच्छ और सुलभ ऊर्जा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) रणनीति और देश में प्राकृतिक गैस की बढ़ती मांग के आधार पर सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। इन कार्यों के परिणामस्वरूप, आपकी कंपनी को जलवायु परिवर्तन श्रेणी के तहत सीडीपी ग्लोबल ईएसजी रेटिंग 2023 में 'सी' से 'बी' स्तर पर अपग्रेड किया गया है।

एक जिम्मेदार ऊर्जा कंपनी होने के नाते और कार्बन हटाने के अपने लक्ष्यों को और तेज करने के लिए, आपकी कंपनी ने 2035 तक स्कोप–1 और स्कोप–2 उत्सर्जन में 100: कमी और 2040 तक स्कोप–3 उत्सर्जन में 35: कमी हासिल करने के लिए एक नेट जीरो रणनीति और स्पष्ट संगठन–वार कार्बन रोडमैप विकसित किया है। यह रोडमैप "विज्ञान–आधारित नेट–जीरो महत्वाकांक्षा और कार्य योजना" पर एक विस्तृत अध्ययन करने के बाद विकसित किया गया है।

कंपनी ने अपने नेट जीरो विजन के अनुरूप "पेट्रोकेमिकल, गैस प्रोसेसिंग और पेट्रोलियम रिफाइनरियों का डीकार्बोनाइजेशनः प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और जीवन चक्र मूल्यांकन" शीर्षक से अध्ययन करने के लिए आईआईटी बॉम्बे के तत्वावधान में तेल, गैस और ऊर्जा में उत्कृष्टता केंद्र (सीओईओजीई) के साथ एक समझौता–ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। आपकी कंपनी ने अपने प्रतिष्ठानों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सीओ2 मूल्यांकन के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए मैसर्स लैंजाटेक इंक, अमेरिका के साथ एक समझौता–ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ (एफआईपीआई), नई दिल्ली के माध्यम से "भारत के ऊर्जा क्षेत्र में कार्बन अवशोषक उपयोग और भंडारण की भूमिका" पर एक क्षेत्रीय अध्ययन किया गया है।

नेट जीरो आकांक्षाओं और आयात में कमी के उद्देश्यों के अनुरूप, आपकी कंपनी ने मैसर्स ट्रूअल्ट बायोएनर्जी लिमिटेड के साथ एक टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें लीफिनिटी बायोएनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में इक्विटी का अधिग्रहण शामिल है, जिसके तहत पूरे भारत में 10 सीबीजी संयंत्रों की स्थापना की जाएगी, जिसका सामूहिक सीबीजी उत्पादन लक्ष्य ~33 मिलियन कि.ग्रा. प्रति वर्ष होगा।

### 11. पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण/नवीकरणीय ऊर्जा विकास

आपकी कंपनी प्रमाणित एकीकृत प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करके पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रणाली में गुणवत्ता प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन और व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन शामिल हैं। एक अग्रणी ऊर्जा कंपनी के रूप में, आपकी कंपनी देश के लिए एक स्थायी ऊर्जा भविष्य बनाने पर केंद्रित है। कॉर्पोरेट एचएसई नीति और एक सतत विकास नीति के साथ, हमारा लक्ष्य पर्यावरणीय नुकसान को रोकने के साथ–साथ स्थायी प्रथाओं के अनुरूप विकास को बढ़ावा देना है। आपकी कंपनी समुदायों की मदद करने, पर्यावरण की रक्षा करने और हितधारकों की जिम्मेदारी से सेवा करने के लिए समर्पित है। स्थिरता विकास समिति सतत विकास नीति का समर्थन करती है और कंपनी के स्थिरता लक्ष्यों को लागू करने और संबंधित जोखिमों और प्रदर्शन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

आपकी कंपनी प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में अपने काम के माध्यम से कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसने देश भर में पाइपलाइनों का एक विशाल नेटवर्क बनाकर कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने में बहुत प्रगति की है। यह नेटवर्क बिजली उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, और शहरी गैस वितरण जैसे उद्योगों को स्वच्छ ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करता है। प्राकृतिक गैस पारंपरिक ईंधन की तुलना में 50 से 60% कम कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) छोड़ती है और कुल मिलाकर कम ग्रीनहाउस गैसों का उत्पादन करती है। कोयले के विपरीत, प्राकृतिक गैस को शुद्ध करने में बहुत कम पानी का उपयोग होता है और भूजल को दूषित करने का जोखिम नहीं होता है। जब पाइपलाइनों में गैस के रूप में या बंद कंटेनरों में तरल के रूप में

परिवहित किया जाता है, प्राकृतिक गैस पर्यावरण के अनुकूल है और लगभग कोई वायु प्रदूषण नहीं करती है। जब बिजली उत्पादन या परिवहन ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, प्राकृतिक गैस अन्य ईंधन की तुलना में बहुत कम मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड (एसओएक्स) नाइट्रोजन ऑक्साइड (एनओएक्स) पारा (एचजी) और निलंबित कण पदार्थ (एसपीएम) उत्सर्जित करती है– प्राकृतिक गैस का उपयोग हानिकारक उत्सर्जन को कम करके वायु की गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में व्यापक सुधार किया जा सकता है।

आपकी कंपनी के प्रचालन और रखरखाव (ओएंडएम) प्रतिष्ठान पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का पालन करते हैं, और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से वैध पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से खतरनाक कचरे को संभालने की अनुमति के साथ–साथ वायु और जल सहमति प्राप्त की गई है, जो पर्यावरण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। पर्यावरणीय कारकों की नियमित रूप से आंतरिक टीम और स्वतंत्र तृतीय–पक्ष एजेंसियों द्वारा उन्नत तकनीक का उपयोग करके जाँच की जाती है। इन आकलनों के आधार पर रिपोर्ट राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को भेजी जाती हैं। मजबूत पर्यावरण प्रबंधन को बनाए रखने के लिए, प्रक्रिया संयंत्रों और पाइपलाइनों का नियमित रूप से ऑडिट किया जाता है। चूंकि कंपनी ईंधन और फीडस्टॉक के लिए प्राकृतिक गैस का उपयोग करती है, इसलिए प्रदूषक उत्सर्जन लगातार राष्ट्रीय मानकों से नीचे है। कंपनी प्रभावी प्रदूषक फैलाव के लिए लंबे स्टैक और सभी भट्टियों और बॉयलरों में लो एनओएक्स बर्नर का उपयोग करती है। लोडिंग सुविधाओं में उत्सर्जन को और कम करने के लिए इसमें एक वेपर–रिटर्न सर्किट लगा होता है। पाता और विजयपुर में कंपनी के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में स्टैक एयर और परिवेशी वायु की निरंतर निगरानी के लिए प्रणाली मौजूद है। ये अत्याधुनिक स्थायी परिवेशी वायु निगरानी स्टेशन वास्तविक समय में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और शोर के स्तर को मापते हैं। ये प्रयास पर्यावरण की देखभाल और विनियामक अनुपालन के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं।

आपकी कंपनी अपने विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए समर्पित है। यह सभी प्रमुख स्थलों पर वनरोपण, हरित पट्टी बनाने और उसे बनाए रखने में महत्वपूर्ण प्रयास करती है। इसके अलावा, ये हरित क्षेत्र कई तरह के देशी पौधों और जानवरों के लिए आवास प्रदान करते हैं। इन हरित पट्टियों के भीतर बड़े जलाशय विभिन्न जलीय जीवन का भी पोषण करते हैं। कंपनी स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम करती है और इन हरित पट्टियों को पोषित और संरक्षित करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करती है। किसी भी पर्यावरणीय मुद्दे को समय पर रोकने और उसका समाधान करने के लिए गेल यूनिटों के आसपास पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर नियमित सर्वेक्षण और अध्ययन किए जाते हैं।

आपकी कंपनी हमेशा विभिन्न जल प्रबंधन पहलों जैसे कि ताजे पानी की खपत में कमी, वर्षा जल संचयन प्रणाली/वर्षा जल संग्रह प्रणाली, अपशिष्ट जल निर्वहन की निगरानी और प्रबंधन, अपशिष्ट जल उपचार और हमारी पर्यावरण नीति, स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के आधार पर पुनर्चक्रण प्रणाली के माध्यम से साइटों पर जल संरक्षण के लिए अभिनव और स्मार्ट दृष्टिकोण को प्रोत्साहित और समर्थन करती है। आपकी कंपनी जल को एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन मानती है और इसलिए इसकी खपत पर कड़ी निगरानी और नियंत्रण रखा जाता है। इसके अलावा, गंदे पानी के उत्सर्जन को कम करने और उसे साफ करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाया जाता है। आपकी कंपनी पानी का अधिक से अधिक दोबारा इस्तेमाल और रीसाइकलिंग करती है। आपकी कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि सभी डिस्चार्ज संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं। सभी स्थानों पर संचालन अत्याधुनिक, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हैं। उपचारित अपशिष्ट जल का पूरी कंपनी में दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, तथा गंदे पानी को रीसाइकिल करने के बाद उसका उपयोग संयंत्र और टाउनशिप क्षेत्रों में बागवानी के लिए किया जाता है। गेल खतरनाक या गैर–खतरनाक के रूप में वर्गीकरण के आधार पर अपशिष्ट को सावधानीपूर्वक अलग करके, साफ करके और उसका निपटान करके कुशल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध है। पानी और अपशिष्ट जल के नमूनों का नियमित विश्लेषण आंतरिक और बाहरी प्रयोगशालाओं दोनों द्वारा किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे गुणवत्ता मानकों और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

आपकी कंपनी ने बेहतर प्रबंधन प्रक्रियाओं के माध्यम से ऊर्जा दक्षता में सुधार करने के लिए विभिन्न पहल शुरू की हैं। इन प्रयासों में प्रतिस्थापन और रेट्रोफिटिंग के माध्यम से कुशल तकनीकों को अपनाना, सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करना, ऊर्जा दक्षता प्रशिक्षण और कार्यशालाएँ प्रदान करना और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और उपशमन के उपाय शामिल है। अत्यधिक कुशल एकीकृत ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली ऊर्जा खपत की निगरानी करना, ऊर्जा ऑडिट करना और ऊर्जा दक्षता उपायों को लागू करना आसान बनाती है। इन पहलों के माध्यम से, आपकी कंपनी ऊर्जा उपयोग को अनुकूलित करने, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और सतत विकास लक्ष्यों में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

वर्ष 2023–24 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण पहल और उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

- **गेल, पाता में प्रायोगिक स्तर पर माइक्रोबियल रूट के माध्यम से अवशोषित सीओ2 का उपयोग:**

  माइक्रोबियल रूट के माध्यम से प्रायोगिक स्तर पर सीओ2 अवशोषक संयंत्र (1 टीपीडी) चालू है। सूक्ष्म शैवाल के विभिन्न उपभेदों का अध्ययन प्रयोगशाला–पैमाने पर किया गया ताकि सूक्ष्म शैवाल के कुशल उपभेदों का उपयोग करके सीओ2 का अवशोषण करने के लिए इष्टतम स्थितियों की पहचान की जा सके। रेसवे रिएक्टर में संदूषण से बचने के लिए माइक्रोबियल रूट के माध्यम से सीओ2 अवशोषित करने की प्रायोगिक स्तरीय परियोजना के लिए शेड का निर्माण किया गया।

- **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्लूएम) नियम, 2016 के तहत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) अनुपालन:**
  - गेल पाता प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ जून 2023 से आयातक के रूप में पंजीकृत है।
  - वार्षिक ईपीआर लक्ष्य के अनुसार ईपीआर प्रमाणपत्रों की खरीद करके ब्रांड मालिक और आयातक के रूप में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) दायित्वों को पूरा किया गया।
  - प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत ब्रांड मालिक और आयातक (प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री) के रूप में वित्त वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के केंद्रीकृत ईपीआर पोर्टल पर प्रस्तुत की गई।
  - कर्मचारियों और आसपास के लोगों के बीच पर्यावरण जागरूकता फैलाने और उन्हें विभिन्न जीवन मिशन पहलों को अपनाने का आग्रह करने के लिए विभिन्न प्रतिष्ठानों पर 05.06.2023 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया।

- **जीरो लिक्विड डिस्चार्ज:**

  पाता में ₹ 500 करोड़ के पूंजी निवेश के साथ जीरो लिक्विड डिस्चार्ज परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है और इसे ~30 महीने की अवधि में पूरा किया जाएगा। परियोजना के लिए सलाहकार को नियुक्त कर लिया गया है और साइट–सक्षम गतिविधियाँ प्रगति पर हैं। गेल, विजयपुर पहले से ही जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के आधार पर संचालित किया जा रहा है।

- **ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना:**

  सरकार द्वारा हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के क्रम में, गेल ने मध्य प्रदेश के गेल विजयपुर में अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया है, जिसका उद्घाटन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस

मंत्रालय के सचिव श्री पंकज जैन ने किया। इस ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की क्षमता 10 मेगावाट पीईएम (प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन) इलेक्ट्रोलाइजर यूनिट के माध्यम से अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा 4.3 टीपीडी हाइड्रोजन का उत्पादन करने की है।

- **गेल का नेट जीरो रोड मैपः**

  भारत के 2070 तक नेट जीरो हासिल करने के दृष्टिकोण के अनुरूप, आपकी कंपनी ने 'विज्ञान–आधारित नेट जीरो महत्वाकांक्षा और कार्य योजना' पर एक व्यापक अध्ययन पूरा किया और 2035 तक स्कोप–1 और स्कोप–2 उत्सर्जन में 100% कमी और 2040 तक स्कोप–3 उत्सर्जन में 35% कमी हासिल करने का इरादा किया।

- **ग्रीनको रेटिंगः**

  गेल दाभोल बैंगलोर पाइपलाइन (डीबीपीएल) को ग्रीनको प्लैटिनम प्रमाणन प्राप्त हुआ है और गेल पाता को ग्रीनको गोल्ड रेटिंग से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त, पांच अन्य गेल साइटों (झाबुआ, विजयपुर, गंधार, वाघोडिया और वीएसपीएल) को ग्रीनको सिल्वर रेटिंग से सम्मानित किया गया है।

- **वृक्षारोपणः**

  गेल ने व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जिसके माध्यम से वित्त वर्ष 2023–24 में 45,000 पेड़ लगाए गए हैं।

- **जीवन चक्र आकलन (एलसीए):**

  पॉलिमर और एलएचसी उत्पादों के लिए जीवन चक्र आकलन (एलसीए) अध्ययन किया जा रहा है, ताकि पर्यावरण हॉटस्पॉट की पहचान आईआईटी बॉम्बे के माध्यम से की जा सके। गेट टू गेट एलसीए रिपोर्ट पूरी हो चुकी है। इसके अलावा, उत्पाद–विशिष्ट एलसीए के लिए आईआईटी बॉम्बे द्वारा डेटा संग्रह और मूल्यांकन किया जा रहा है।

## 12. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

आपकी कंपनी में विशिष्ट और कुशल आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां हैं। इसके व्यवसाय का व्यवस्थित, नैतिक और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए इसकी व्यावसायिक यूनिटों और सेवा संस्थाओं के लिए संगठनात्मक संरचना, नियमावली और मानक संचालन प्रक्रियाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई हैं। कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली दक्षता, विश्वसनीयता, लेखा रिकॉर्ड की पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय और प्रबंधन जानकारी की समय पर तैयारी सुनिश्चित करती है। विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ढांचा और जोखिम नियंत्रण मैट्रिक्स (आरसीएम) मौजूद है और प्रबंधन द्वारा इसकी लगातार समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, यह सभी लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन, कंपनी की परिसंपत्तियों का अधिकतम उपयोग और सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है।

आपकी कंपनी में स्वतंत्र और अभिन्न आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है जिसमें व्यावसायिक और तकनीकी क्षेत्र से संबंधित पहलुओं को कवर करने वाले दक्ष पेशेवर हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग कार्यात्मक रूप से लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट करता है और प्रशासनिक रूप से निदेशक (वित्त) को रिपोर्ट करता है। लेखापरीक्षा कार्य लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा व्यावसायिक प्रक्रियाओं की जोखिम–आधारित लेखापरीक्षा के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता की जांच करती है। आंतरिक लेखापरीक्षा के मिशन के अनुरूप "व्यापक और गुणवत्तापूर्ण लेखापरीक्षा सेवाएँ प्रदान करना, जो व्यवसाय संचालन की दक्षता को सुविधाजनक बनाता है, सूचना की अखंडता को बढ़ाता है और संचालन प्रक्रियाओं में सुधार करने वाली सिफारिशों के परिणामस्वरूप, कंपनी को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है", महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को इसके मूल कारण और प्रभाव के साथ प्रबंधन को सूचित किया जाता है। लेखापरीक्षा समिति नियमित रूप से आंतरिक लेखापरीक्षा और सीएंडएजी लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की समीक्षा करती है।

## 13. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रूप में समुदायों, पर्यावरण और प्रक्रिया में शामिल अन्य सभी हितधारकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझती है और स्वीकार करती है। आपकी कंपनी में सीएसआर कार्य का उद्देश्य सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना और कंपनी के संचालन और विकास के साथ आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक उद्देश्यों को एकीकृत करना है। आपकी कंपनी के दृष्टिकोण के अनुरूप, सीएसआर पहल समाज और उन समुदायों में मूल्य सृजन को बढ़ाने का प्रयास करती है, जिसमें वह अपनी सेवाओं, आचरण और पहल के माध्यम से काम करती है, ताकि गरीबी उन्मूलन को गति प्रदान की जा सके, समाज के लिए निरंतर विकास को बढ़ावा दिया जा सके, समृद्ध और समावेशी भारत के विकास में योगदान देने के दीर्घकालिक लक्ष्य के साथ समुदाय और पिरामिड के निचले भाग में रहने वाले लोगों का विकास किया जा सके।

आपकी कंपनी ने पहचाने गए विषयगत क्षेत्रों, अर्थात स्वास्थ्य और पोषण पर व्यय के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है।

## 14. लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली)

भारत का मिशन लाइफ लोगों को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ने के लिए सशक्त बनाना चाहता है। 'पर्यावरण के लिए जीवन शैली (लाइफ)' की अवधारणा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में कॉप26 में पेश किया था, जिसमें व्यक्तियों और संस्थानों के वैश्विक समुदाय से लाइफ को नासमझी और विनाशकारी उपभोग की बजाय "पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए "सोच–समझकर और जानबूझकर उपयोग" की दिशा में एक अंतरराष्ट्रीय जन आंदोलन के रूप में चलाने का आह्वान किया गया था। लाइफ प्रत्येक व्यक्ति पर ऐसा जीवन जीने का व्यक्तिगत और सामूहिक कर्तव्य डालता है जो पृथ्वी के हित में हो और इसे नुकसान न पहुँचाए। जो लोग ऐसी जीवनशैली अपनाते हैं उन्हें लाइफ के तहत ग्रह अनुकूल लोगों के रूप में जाना जाता है।

**मिशन लाइफ के लिए गेल द्वारा थीम–वार पहल इस प्रकार हैं:**

ऊर्जा परिवर्तन में प्रौद्योगिकियों को बदलना और मौजूदा ऊर्जा स्रोतों को बदलने के लिए कदम उठाना शामिल है। जबकि प्राकृतिक गैस वर्तमान में एक स्वच्छ परिवर्तनकारी ईंधन है, यह भविष्य के लिए अंतिम स्वच्छ ईंधन नहीं है। इसलिए, गेल उत्सर्जन को कम करने के लिए वैकल्पिक हरित ईंधन स्रोतों की खोज कर रहा है, जैसे कंप्रेस्ड बायो–गैस (सीबीजी), ग्रीन हाइड्रोजन और इथेनॉल–मिश्रित पेट्रोल। आपकी कंपनी के पास वैकल्पिक ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता लगभग ~135 मेगावाट है, और आपके नेट जीरो रोडमैप के भाग के रूप में कई नई अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की योजना बनाई गई है।

आपकी कंपनी परिचालन डीकार्बोनाइजेशन पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें ऊर्जा दक्षता, ईंधन स्विच, विद्युतीकरण, कार्बन अवशोषण और उपयोग आदि के माध्यम से अपने प्रत्यक्ष आंतरिक ग्रीन हाउस गैसों (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी और पहल को अपनाना शामिल है।

आपकी कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उसके प्रचालन से विभिन्न साइटों पर जल संसाधनों की आपूर्ति और गुणवत्ता पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। गेल ने अपने संचालन को लचीला बनाने के लिए भविष्य में किसी भी जल संबंधी जोखिम का सक्रिय रूप से मूल्यांकन और उपशमन किया है। यह पानी की मांग की निगरानी के लिए नियमित रूप से जल ऑडिट (आंतरिक और तीसरे पक्ष दोनों) करता है। यह अपनी पर्यावरण नीति, राष्ट्रीय, स्थानीय और क्षेत्रीय दिशा–निर्देशों के आधार पर विभिन्न पहलों जैसे कि ताजे पानी की कम खपत, वर्षा जल संचयन/संग्रह प्रणाली, गंदे पानी के डिस्चार्ज की निगरानी एवं प्रबंधन, अपशिष्ट जल उपचार और पुनर्चक्रण

के माध्यम से साइटों पर पानी बचाने के नए तरीकों को प्रोत्साहित और समर्थन करती है।

आपकी कंपनी जागरूकता पैदा करके और एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग से बचने के लिए व्यवस्था स्थापित करके अपने सभी प्रचालनों और कार्यालयों में एकल उपयोग प्लास्टिक से बचने के लिए प्रतिबद्ध है।

आपकी कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि अपशिष्ट पदार्थों का निपटान इस तरह से किया जाए कि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर उनका प्रभाव कम से कम हो। यह संसाधन कुशल प्रौद्योगिकी को तैनात करके अपने प्रचालन में परिपत्र अर्थव्यवस्था को लागू करने का प्रयास करती है। आपकी कंपनी प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का पालन करती है जिसमें सभी साइटों पर खतरनाक और गैर–खतरनाक कचरे को कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनर्चक्रण करना और जिम्मेदारी से निपटान करना शामिल है।

आपकी कंपनी ईंधन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने और छोटी दूरी के लिए साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष के दौरान अपने विभिन्न स्थलों पर नियमित रूप से कार्यक्रम आयोजित करती है, जिससे न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि एक स्वच्छ, हरित और स्वस्थ वातावरण बनाने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा, आपकी कंपनी स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए अपने टाउनशिप में ओपन जिम, मनोरंजन और खेल सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करती है और कर्मचारियों को योग दिवस, वॉकथॉन, मैराथन आदि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है।

आपकी कंपनी के पास प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है जिसमें ई–कचरा निपटान शामिल है, जो अधिकृत विक्रेताओं को शामिल करके अत्यंत सावधानी और जिम्मेदारी के साथ किया जाता है। गेल की साइटों ने रीसाइक्लिंग के लिए अपने अपशिष्ट संग्रह का प्रबंधन करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी योजना प्रस्तुत की है।

गेल मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

## 15. पुरस्कार एवं सम्मान

- गेल को एफआईपीआई द्वारा प्रतिष्ठित "वर्ष की सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक गैस परिवहन कंपनी का पुरस्कार" से सम्मानित किया गया।
- गेल को एफआईपीआई द्वारा विजयपुर–औरैया पाइपलाइन परियोजना के लिए "वर्ष की सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित परियोजना का पुरस्कार" मिला।
- गेल (इंडिया) लिमिटेड को वाराणसी में दुनिया के पहले फ्लोटिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) स्टेशन की स्थापना के लिए "वर्ष की मिडस्ट्रीम परियोजना" श्रेणियों के लिए प्रतिष्ठित "एशियाई तेल और गैस पुरस्कार 2023" और मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित कार्यक्रम में बैकहॉलिंग के साथ एलएनजी के शिप–टू–शिप (एसटीएस) हस्तांतरण के माध्यम से एलएनजी शिपिंग लागत और उत्सर्जन में कमी के लिए "इनोवेशन अवार्ड" से सम्मानित किया गया।
- श्री संदीप कुमार गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने 32वें विश्व मानव संसाधन विकास कांग्रेस और पुरस्कार में "सीईओ विद एचआर ओरिएंटेशन" पुरस्कार प्राप्त किया।
- श्री राकेश कुमार जैन, निदेशक (वित्त) को उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के 10वें संस्करण में सीएफओ श्रेणी में उत्कृष्टता के लिए 'पब्लिक सेक्टर सीएफओ ऑफ द ईयर' पुरस्कार और सीएमओ एशिया पुरस्कारों के 14वें संस्करण में 'सीएफओ लीडरशिप अवार्ड' मिला।
- श्री आयुष गुप्ता, निदेशक (मा.सं.) को इकोनॉमिक टाइम्स एचआर वर्ल्ड द्वारा 2024 के शीर्ष 50 एचआर थॉट लीडर्स की लीग में शामिल किया गया है और उन्हें मार्च 2024 में गवर्नेंस नाउ 10वें पीएसयू अवार्ड्स द्वारा 'एचआर लीडरशिप अवार्ड' से सम्मानित किया गया है।
- गेल विजयपुर को विज्ञान भवन में आयोजित पुरस्कार समारोह में द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएमएआई) द्वारा लागत प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 18वें राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में विनिर्माण – सार्वजनिक क्षेत्र – मध्यम श्रेणी के तहत प्रथम स्थान प्रदान किया गया है।
- गेल की बरौनी–गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजना की श्रेणी में निर्माण उद्योग विकास परिषद – विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- गेल को ईटी नाउ वर्कफोर्स ऑफ द फ्यूचर समिट में प्रगतिशील कार्यस्थल होने की प्रतिष्ठित मान्यता मिली है।
- गेल को आईएफटीडीओ (अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण और विकास संगठनों का महासंघ) द्वारा प्रशिक्षण और विकास के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है।
- गेल को विक्रेता चालान प्रबंधन (वीआईएम) प्रणालियों के लिए गेल में वित्त परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी के लाभ उठाने को मान्यता देने के लिए 'द डिसरप्टर – बेस्ट फाइनेंस ट्रांसफॉर्मेशन' श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित एसएपी एसीई पुरस्कार – 2023 से सम्मानित किया गया।
- गेल को गवर्नेंस नाउ पीएसयू अवार्ड्स द्वारा 'सीएसआर प्रतिबद्धता' श्रेणी और 'राष्ट्र निर्माण' श्रेणी में प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला।
- गेल को मैसर्स बीडब्ल्यू बिजनेस वर्ल्ड द्वारा भारत की सबसे स्थायी कंपनी (पीएसयू श्रेणी में) के रूप में सम्मानित किया गया।
- गेल, विजयपुर ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, मुंबई से प्रशंसा पत्र प्रमाणपत्र जीता।
- कैलारस कंप्रेसर स्टेशन और पाइपलाइनों को सुरक्षा परिषद, मध्य प्रदेश चैप्टर का डायमंड 5 स्टार एचएसई सुरक्षा पुरस्कार मिला।
- कोच्चि–कूट्टनाद–बैंगलोर–मैंगलोर पाइपलाइन (केकेबीएमपीएल) को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, केरल चैप्टर द्वारा श्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया।
- इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, इंडिया ने सर्वोत्तम अभिनव सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के लिए निम्नलिखित गेल साइटों को पुरस्कृत किया:
  - गैस प्रोसेसिंग यूनिट, विजयपुर
  - गैस प्रोसेसिंग यूनिट, गांधार
  - जामनगर–लोनी पाइपलाइन (जेएलपीएल) मनसारामपुरा, जयपुर
  - क्षेत्रीय पाइपलाइन नेटवर्क, वडोदरा
  - अगरतला पाइपलाइन नेटवर्क
  - चैनसा कंप्रेसर स्टेशन
  - एनसीआर गैस ओएंडएम, नोएडा

- दाभोल–बेंगलुरु (डीबीपीएल) एनजी पाइपलाइन को मैसर्स नेशनल सेफ्टी काउंसिल, कर्नाटक चैप्टर द्वारा उत्तम सुरक्षा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया।
- 8वें एपेक्स इंडिया सेफ्टी अवार्ड्स के दौरान, गेल के गैस प्रोसेसिंग प्लांट, गांधार को 'प्लेटिनम अवार्ड' से सम्मानित किया गया, और विशाखापत्तनम–सिकंदराबाद एलपीजी पाइपलाइन और वडोदरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को 'गोल्ड अवार्ड' से सम्मानित किया गया।
- कैलारस कंप्रेसर स्टेशन और पाइपलाइनों को एपेक्स इंडिया फाउंडेशन द्वारा 'प्लेटिनम अवार्ड' – सेफ्टी कल्चर अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ।
- गेल को वित्त वर्ष 2022–23 के लिए ₹ 1000 करोड़ से अधिक की कुल खरीद की उच्चतम श्रेणी में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अ.जा./अ.ज.जा. स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद के दूसरे उच्चतम प्रतिशत का पुरस्कार दिया गया है।
- गेल पाता ने 14वें एक्सीड एनवायरनमेंट अवार्ड 2023 में "स्थिरता और पर्यावरण" श्रेणी के तहत प्लेटिनम पुरस्कार जीता।
- गेल ने पर्यावरण जागरूकता पर ब्रांडेड सामग्री के लिए "गोवा फेस्ट एबी वन शो साउथ एशिया अवार्ड 2023" में स्वर्ण पदक जीता।
- गेल ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन (पीएमए) द्वारा डोभी दुर्गापुर पाइपलाइन परियोजना के लिए राष्ट्रीय परियोजना उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 जीता।
- गेल को 'ऊर्जा क्षेत्र में सर्वोत्तम सुरक्षा प्रथाओं' की श्रेणी के अंतर्गत प्रतिष्ठित डीएससीआई उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है।
- गेल पाता ने पर्यावरण उत्कृष्टता के लिए 'प्लेटिनम' जीता और गेल वाघोडिया ने एपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड में ऊर्जा दक्षता के लिए 'प्लेटिनम' पुरस्कार जीता।
- गेल की दाभोल–बेंगलुरू पाइपलाइन को 'ग्रीनको प्लेटिनम प्रमाणन' प्राप्त हुआ। गेल में पहली प्लेटिनम रेटिंग, गेल झाबुआ कंप्रेसर स्टेशन को 'ग्रीनको सिल्वर रेटिंग' से सम्मानित किया गया और गेल चैनसा ने सीआईआई–सोहराबजी गोदरेज द्वारा ग्रीनको कांस्य रेटिंग हासिल की।
- गेल विजाग–सिकंदराबाद एलपीजी पाइपलाइन (वीएसपीएल) को सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में उनके प्रयासों की स्वीकृति के रूप में सीआईआई–ग्रीनको रेटिंग सिल्वर रेटिंग से सम्मानित किया गया।
- गेल को ऊर्जा संरक्षण और ईंधन दक्षता (सक्षम 2023) में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
- गेल ने गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना" के तहत "प्रथम पुरस्कार" जीता।
- गेल पाता ने ग्रीनटेक पर्यावरण पुरस्कार 2023 के तहत "स्थिरता और पर्यावरण" पुरस्कार जीता।
- गेल पाता ने "रूफ–टॉप सोलर" श्रेणी में सीआईआई प्रदर्शन उत्कृष्टता पुरस्कार, 2023 के तहत "प्रदर्शन में नेतृत्व" पुरस्कार जीता।
- गेल (इंडिया) लिमिटेड ने 3 अप्रैल, 2023 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में "जोखिम प्रबंधन श्रेणी" में "ग्रो केयर इंडिया – गोल्ड अवार्ड" जीता।
- गेल को आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स, 2024 में जीवाश्म ईंधन श्रेणी में कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- गेल, अगरतला को गोल्ड श्रेणी में 'ग्रो केयर इंडिया व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पुरस्कार 2023' से सम्मानित किया गया है।

**चेतावनी विवरण**

कंपनी के उद्देश्यों, रणनीतियों, अनुमानों एवं आकलनों, अपेक्षाओं आदि को दर्शाने वाली बोर्ड की रिपोर्ट तथा प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण में दिए गए विवरण विद्यमान कानूनों और विनियमों के अर्थ में "भावी विवरण" और प्रगतिशील हो सकते हैं। अपने स्वभाव से, भावी विवरणों के लिए आपकी कंपनी को अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है और वे अंतर्निहित जोखिमों और अनिश्चितताओं के अधीन होते हैं। भावी विवरण जिसमें कई अंतर्निहित पहचाने गए/गैर–पहचाने गए जोखिम और अनिश्चितताएं शामिल हैं, वास्तविक परिणाम अपेक्षाओं से भौतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के संचालन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में वैश्विक और घरेलू मांग और आपूर्ति की स्थिति, सरकारी नियमों/कर कानूनों में बदलाव, देश के भीतर आर्थिक विकास और मुकदमेबाजी और औद्योगिक संबंध जैसे कारक शामिल हैं। चूंकि इन मान्यताओं के अंतर्निहित कारक समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए जिन अनुमानों पर वे आधारित हैं, उनमें भी तदनुसार परिवर्तन होने की संभावना रहती है। ये भावी विवरण केवल आपकी कंपनी के मौजूदा इरादों, विश्वासों और अपेक्षाओं को दर्शाते हैं। आपकी कंपनी किसी भी भावी विवरण को संशोधित या अद्यतन करने के लिए कोई दायित्व नहीं मानती है, चाहे वह नई जानकारी, भावी घटनाओं, या अन्यथा के कारण हो। पाठकों को आगाह किया जाता है कि वे भावी कथनों पर अत्यधिक विश्वास न करें।

**निवेशकों और विश्लेषकों के लिए विजयपुर स्थान का एक साइट दौरा आयोजित किया गया, ताकि उन्हें पीईएम इलेक्ट्रोलाइजर संयंत्र और लघु–स्तरीय एलएनजी (एसएस एलएनजी) सुविधा जैसी परियोजनाओं की प्रगति दिखाई जा सके।**

vuqyXud&[k

# निगमित शासन पर रिपोर्ट

## 1. निगमित शासन पर कंपनी का सिद्धांत

निगमित शासन का तात्पर्य उस पद्धति से है जिसमें किसी कंपनी को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधित किया जाता है कि उसके सभी हितधारकों को उसकी आय और संपत्ति में उचित हिस्सा मिले और सभी भौतिक जानकारी का खुलासा हो। अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन में किसी कंपनी की अपने व्यवसाय को कानूनी, नैतिक और पारदर्शी तरीके से चलाने की प्रतिबद्धता शामिल होती है। निगमित शासन में कंपनी के प्रबंधन, उसके बोर्ड, उसके शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के बीच संबंधों की एक व्यवस्था शामिल होती है। निगमित शासन वह ढांचा भी प्रदान करता है जिसके माध्यम से कंपनी के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने और निगरानी के साधन भी प्रदान किए जाते हैं।

पारदर्शिता, अखंडता और जवाबदेही तीन सिद्धांत हैं जो गेल में निगमित शासन का मार्गदर्शन करते हैं। शासन प्रणाली का उद्देश्य शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों, ठेकेदारों, विक्रेताओं और बड़े पैमाने पर समाज सहित सभी हितधारकों के लिए मूल्य को अधिकतम करने के लिए कंपनी के व्यवसाय के नैतिक और जिम्मेदार आचरण के उच्च मानक स्थापित करना है। इसका उद्देश्य कंपनी और उसके हितधारकों के बीच विश्वास के रिश्ते को मजबूत करना तथा कंपनी को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करना है।

गेल में निगमित शासन हमारी मूल्य प्रणाली को दर्शाता है। प्रभावी निगमित शासन के माध्यम से, बोर्ड एक ऐसी संस्कृति को स्थापित करने और बनाए रखने का प्रयास करता है जो गेल को अपने उद्देश्य को पूरा करने और टिकाऊ साझेदारी का निर्माण करके तथा ईमानदारी और नैतिकता, सम्मान, ग्राहक, सुरक्षा, उत्कृष्टता और प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के अपने मूल मूल्यों को बनाए रखते हुए अपने दीर्घकालिक रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी।

गेल प्रशासन, नैतिकता और सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों का उपयोग करके व्यवसाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने पर ध्यान केंद्रित करती है। शासन मानकों को विश्व स्तर पर बेंचमार्क किया गया है और हम दुनिया भर में अपनाई जा रही उभरती सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का प्रयास करते हैं।

## 2. निदेशक मंडल

### i. संदर्भ की शर्तें

ठोस निगमित शासन ढांचे के अनुरूप, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 {सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015)}, कंपनी अधिनियम, 2013, लोक उद्यम विभाग (निगमित शासन के लिए डीपीई दिशानिर्देश) द्वारा जारी सीपीएसई, 2010 के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देश आदि सहित सभी सांविधिक, महत्वपूर्ण और भौतिक जानकारी को समय–समय पर बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

### ii. संरचना

कंपनी भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सरकारी कंपनी है। निदेशकों को भारत सरकार द्वारा नामित/नियुक्त किया जाता है।

निदेशक मंडल में कार्यकारी (कार्यात्मक) और गैर–कार्यकारी निदेशक शामिल होते हैं। 31 मार्च, 2024 को, बोर्ड में 14 (चौदह) निदेशक थे, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित 6 (छह) कार्यात्मक निदेशक, 8 (आठ) गैर–कार्यकारी निदेशक {जिसमें 2 (दो) सरकारी नामित निदेशक तथा 6 (छह) स्वतंत्र निदेशक} शामिल थे।

इसके अलावा 31 मार्च, 2024 को उपस्थिति, अन्य निदेशकों की संख्या और प्रत्येक निदेशक की समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता का विवरण निम्नानुसार है:

| निदेशक का नाम और पदनाम | कार्यकाल के दौरान भाग ली गई बैठकों की संख्या | पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति | 31 मार्च, 2024 को अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद | 31 मार्च, 2024 को अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जहां व्यक्ति निदेशक की श्रेणी के साथ निदेशक है | 31 मार्च, 2024 को अन्य कंपनियों में समिति सदस्यता | 31 मार्च, 2024 को अन्य कंपनियों की समितियों में अध्यक्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A- dk;kRed funs'kd ¼iw.kZdkfyd½ | | | | | | |
| श्री संदीप कुमार गुप्ता<br>अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | 13 | लागू नहीं | 4 | • महानगर गैस लिमिटेड – अध्यक्ष<br>• पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड– निदेशक | • पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड – हित धारक संबंध समिति | - |
| श्री एम.वी. अय्यर निदेशक (व्यवसाय विकास) (31.10.2023 तक)* | 6 | हाँ | - | - | - | - |
| श्री राकेश कुमार जैन, निदेशक (वित्त) और सीएफओ | 13 | हाँ | 4 | • इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड –निदेशक | - | • गेल गैस लिमिटेड– लेखापरीक्षा समिति |
| श्री दीपक गुप्ता<br>निदेशक (परियोजनाएं) | 13 | हाँ | 4 | - | • ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड – लेखा परीक्षा समिति | - |

| निदेशक का नाम और पदनाम | कार्यकाल के दौरान भाग ली गई बैठकों की संख्या | पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति | 31 मार्च, 2024 को अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद | 31 मार्च, 2024 को अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जहां व्यक्ति निदेशक की श्रेणी के साथ निदेशक है | 31 मार्च, 2024 को अन्य कंपनियों में समिति सदस्यता | 31 मार्च, 2024 को अन्य कंपनियों की समितियों में अध्यक्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| श्री आयुष गुप्ता निदेशक (एचआर) | 11 | हाँ | 4 | - | - | - |
| श्री संजय कुमार, निदेशक (विपणन) (15.06.2023 से)** | 10 | हाँ | 4 | - | • गेल गैस लिमिटेड– लेखापरीक्षा समिति | - |
| श्री राजीव कुमार सिंघल, निदेशक (व्यवसाय विकास) (28.11.2023 से) | 5 | लागू नहीं | 3 | - | - | - |
| **II-** xj&dk;dkjh fun'kd ¼ljdkjh ukfer½ | | | | | | |
| डॉ. नवनीत मोहन कोठारी (18.04.2023 तक) | 1 | नहीं | - | - | - | - |
| श्री प्रवीण मल खनूजा (16.05.2023 से 17.10.2023 तक) | 6 | नहीं | - | - | - | - |
| श्री कुशाग्र मित्तल (16.05.2023 से) | 10 | नहीं | - | - | - | - |
| श्री आशीष जोशी (18.10.2023 से) | 4 | लागू नहीं | - | - | - | - |
| **III.** xj&dk;dkjh fun'kd Lor=½ | | | | | | |
| श्री अखिलेश जैन | 13 | हाँ | - | - | - | - |
| श्री शेर सिंह | 13 | हाँ | - | - | - | - |
| श्री संजय कश्यप | 13 | हाँ | - | - | - | - |
| डॉ. नंदगोपाल नारायणसामी | 13 | हाँ | - | - | - | - |
| श्रीमती कंगबाम इनौचा देवी | 13 | हाँ | 1 | - | - | - |
| प्रो. डॉ. रविकांत कोल्हे | 13 | हाँ | - | - | - | - |

* पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) ने दिनांक 27.03.2023 के अपने पत्र सं. सीए–31022/1/2022–पीएनजी(41186) के माध्यम से श्री एम.वी. अय्यर, निदेशक (व्यवसाय विकास), गेल को 14.06.2023 तक निदेशक (विपणन), गेल के पद का अतिरिक्त प्रभार बढ़ाया।

** पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिनांक 31.10.2023 के अपने पत्र सं. सीए–31022/2/2023–पीएनजी (47901) के माध्यम से श्री संजय कुमार, निदेशक (विपणन) को 01.11.2023 से तीन महीने की अवधि के लिए या पद पर नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक (व्यवसाय विकास) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा।

fVIif.k;k%

1. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है निदेशकों द्वारा धारित निदेशक पद में, सार्वजनिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड और विदेशी कंपनियों के निदेशक पद शामिल हैं।

2 समिति की सदस्यता/अध्यक्षता केवल लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति के लिए मानी जाती है।

3. कंपनी की 39वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार, 23 अगस्त, 2023 को आयोजित की गई थी।

4. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए संबंधित निदेशक(कों) से प्राप्त प्रकटीकरण के आधार पर:

   i. निदेशक आपस में एक–दूसरे से संबंधित नहीं हैं और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों से भी संबंधित नहीं हैं। स्वतंत्र निदेशक(कों) ने घोषणा की है कि वे सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 में प्रदान किए गए स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

   ii. बोर्ड में कोई भी निदेशक 10 (दस) से अधिक समिति (समितियों) का सदस्य या सभी सार्वजनिक कंपनियों में 5 (पांच) से अधिक समिति (समितियों) का अध्यक्ष नहीं है, जिसमें वह एक निदेशक है।

   iii. किसी भी गैर–कार्यकारी निदेशक के पास कंपनी का कोई इक्विटी शेयर नहीं है।

   iv. 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी गैर–कार्यकारी निदेशक का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं था।

   v. 31 मार्च, 2024 से पहले निदेशकों के कार्यकाल की समाप्ति की स्थिति में, अन्य कंपनियों के बोर्ड में निदेशक पद और समिति की स्थिति का विवरण प्रदान नहीं किया गया है।

5. कंपनी के बोर्ड में योग्य सदस्य शामिल हैं जो आवश्यक कौशल, दक्षता और विशेषज्ञता रखते हैं जो उन्हें बोर्ड और बोर्ड स्तरीय समितियों में प्रभावी योगदान देने की अनुमति देते हैं। गेल (इंडिया) लिमिटेड भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी है, निदेशकों को नियुक्त/नामांकित करने की शक्ति भारत सरकार के पास निहित है। कंपनी के सभी निदेशक अर्थात

कार्यकारी, गैर–कार्यकारी निदेशकों को भारत सरकार द्वारा प्रत्येक श्रेणी के निदेशकों के लिए एक अच्छी तरह से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कंपनी के लिए आवश्यक कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताओं के आधार पर नियुक्त/नामांकित किया जाता है। इसके मद्देनजर, निदेशक मंडल ने कंपनी के व्यवसाय के संदर्भ में एक निदेशक द्वारा आवश्यक मुख्य कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताओं की सूची की पहचान नहीं की है, जैसा कि सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के तहत आवश्यक है।

6. सचिवीय मानकों के अनुसार निदेशकों को बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने की सुविधा प्रदान करने के लिए वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का भी उपयोग किया जाता है।

7. वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी के बोर्ड के सभी स्वतंत्र निदेशकों को भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) की वेबसाइट पर स्वतंत्र निदेशक के डेटाबैंक में पंजीकृत किया गया।

### iii. बैठक का विवरण

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, बोर्ड की 13 (तेरह) बैठकें आयोजित की गईं – वर्ष 2023 में 17 अप्रैल, 18 मई, 14 जून, 30 जून, 31 जुलाई, 26 अगस्त, 6 अक्तूबर, 31 अक्तूबर, 28 नवंबर, 29 दिसंबर और वर्ष 2024 में 29 जनवरी, 31 जनवरी और 14 मार्च।

### iv. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 की आवश्यकता के अनुसार वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान गैर–स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक 23 अगस्त, 2023 को आयोजित की गई थी।

### v. बोर्ड में शामिल करना और प्रशिक्षण/उत्तराधिकार योजना

नियुक्ति पर, नव नियुक्त निदेशकों को उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों तथा उनके कानूनी और विनियामक दायित्वों पर आवश्यक जानकारी का विवरण देने वाली एक स्वागत किट प्रदान की जाती है। नवनियुक्त निदेशकों को कंपनी के व्यवसाय और उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी पर एक प्रस्तुति दी जाती है।

इसके अलावा, कंपनी ने कंपनी के बोर्ड सदस्यों के लिए एक प्रशिक्षण नीति तैयार की है। कंपनी के निदेशकों को निगमित शासन, निदेशकों की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों और डीपीई, कार्यक्षेत्र और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित अन्य उद्योग से संबंधित मामलों पर सम्मेलनों में भाग लेने के लिए समय–समय पर नामित किया जाता है।

स्वतंत्र निदेशकों के प्रशिक्षण/परिचय कार्यक्रमों का विवरण कंपनी की वेबसाइट https://www.gailonline.com/pdf/ InvestorsZone/FamiliarizationProgramme01042024.pdf पर उपलब्ध है।

## 3. बोर्ड की समितियां

बोर्ड समितियां कंपनी के शासकीय ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और इनका गठन उन विशिष्ट क्षेत्रों/गतिविधियों से निपटने के लिए किया जाता है जो कंपनी से संबंधित हैं और जिन्हें करीब से देखने की जरूरत है। बोर्ड विभिन्न समितियों के संदर्भ की शर्तों का गठन, समनुदेशन, सह–चयन और निर्धारण करता है। समितियों के सभी निर्णय और सिफारिशें सूचना या अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष रखी जाती हैं। निर्णय के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित कार्यवृत्त समिति के सदस्यों और संबंधित विभाग/समूह को भी परिचालित किए जाते हैं। समितियों के कार्यवृत्त को समिति की अगली बैठक में सदस्यों द्वारा और बोर्ड की बैठक में सभी निदेशकों की जानकारी के लिए नोट किए जाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। की गई कार्रवाई रिपोर्ट जिसमें की गई कार्रवाई की आवश्यकता होती है और समिति(यों) को वापस रिपोर्ट की जाती है, भी नियमित आधार पर संबंधित समिति को प्रस्तुत की जाती है।

वर्तमान में, बोर्ड की 13 समितियां हैं जिनमें पांच सांविधिक समितियां शामिल हैं अर्थात लेखापरीक्षा समिति, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति। बोर्ड की सांविधिक समितियों का विवरण नीचे दिया गया है और बोर्ड की अन्य समितियों के बारे में जानकारी अलग से वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

### क. लेखापरीक्षा समिति

#### i. संदर्भ की शर्तें

लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तों में वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख, लेखा परीक्षकों के लिए शुल्क निर्धारण की सिफारिश करना, प्रदान की गई किसी भी अन्य सेवाओं के भुगतान के लिए लेखा परीक्षकों को भुगतान की मंजूरी, वार्षिक और तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा, सांविधिक/ आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन की समीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा, आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा, सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा, व्हिसल ब्लोअर तंत्र की समीक्षा, संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेन का अनुमोदन या किसी भी बाद में संशोधन; अंतर–कॉर्पोरेट ऋण और निवेश की जांच; कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां भी आवश्यक हो; आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन, कंपनी में नैतिकता के सभी पहलुओं से निपटना, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण की समीक्षा, गैर–सूचीबद्ध सहायक कंपनी द्वारा किए गए निवेश की समीक्षा, धारक कंपनी द्वारा सहायक कंपनी में ₹ 100 करोड़ से अधिक या सहायक कंपनी की परिसंपत्ति के आकार का 10%, जो भी मौजूदा ऋण/अग्रिम/निवेश सहित कम हो, से अधिक ऋण और/या अग्रिम के उपयोग की समीक्षा करना।

लेखापरीक्षा समिति की भूमिका, उत्तरदायित्व और शक्तियां सेबी एलओडीआर विनियम, 2015; कंपनी अधिनियम, 2013; समय–समय पर जारी डीपीई दिशानिर्देश के अनुसार हैं।

#### ii. संरचना

31 मार्च, 2024 तक, लेखापरीक्षा समिति में श्री अखिलेश जैन अध्यक्ष के रूप में, श्री संजय कुमार और प्रो. डॉ. रविकांत कोहले सदस्य के रूप में शामिल थे। समिति के सभी सदस्यों को वित्तीय और प्रबंधन मामलों में अपेक्षित अनुभव है।

निदेशक (वित्त) और आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रमुख लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। समिति को आवश्यक जानकारी/स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए, जब भी आवश्यक हो, अन्य कार्यात्मक निदेशकों और वरिष्ठ कार्यात्मक अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिनिधियों ने समिति की बैठकों में भाग लिया जिसमें तिमाही वित्तीय परिणाम/वित्तीय विवरणों पर विचार किया गया। जब भी लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट से संबंधित मामलों पर विचार किया जाता है तो लागत लेखा परीक्षकों के प्रतिनिधियों को भी लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

#### iii. बैठक विवरण

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की 10 (दस) बैठकें आयोजित की गईं: वर्ष 2023 में 18 अप्रैल, 28 अप्रैल, 18 मई, 28 जून, 17 जुलाई, 31 जुलाई, 6 अक्तूबर, 31 अक्तूबर और वर्ष 2024 में 29 जनवरी और 13 मार्च। बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार थी:

| क्र.सं. | सदस्य | बैठकों की संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | कार्यकाल के दौरान आयोजित | उपस्थिति |
| 1. | श्री अखिलेश जैन – अध्यक्ष | 10 | 10 |
| 2. | प्रो. डॉ. रविकांत कोल्हे | 10 | 10 |
| 3. | श्री आयुष गुप्ता (19.06.2023 तक) | 3 | 3 |
| 4. | श्री संजय कुमार (20.06.2023 से) | 7 | 6 |

### iv. सतर्कता तंत्र – व्हिसल ब्लोअर और धोखाधड़ी रोकथाम नीति

कंपनी ने 'व्हिसल ब्लोअर नीति' लागू की है जिसमें कर्मचारी किसी भी अनुचित गतिविधि की सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं जिसके परिणामस्वरूप किसी भी कर्मचारी द्वारा कानूनों, नियमों, विनियमों या आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है।

यह नीति असाधारण मामलों में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच की अनुमति देती है। इसके अलावा, किसी भी शिकायत की जांच के दौरान, व्हिसल ब्लोअर नीति के तहत, शिकायत की सामग्री को छोड़कर, शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता की पहचान को जांच के लिए सौंपी गई नामित एजेंसी द्वारा, यहां तक कि लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को भी प्रकट नहीं किया जाता है।

व्हिसल ब्लोअर नीति के लिंक पर निम्नलिखित लिंक द्वारा पहुंचा जा सकता है– https://gailonline.com/pdf/others/Circular_Whistle%20Blower%20Policy_12.02.2019-english.pdf

इसके अलावा, कंपनी ने धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी को रोकने, उसका पता लगाने और त्वरित निपटान की अनुमति देने के लिए धोखाधड़ी रोकथाम नीति तैयार की है। सभी स्तरों पर संगठन के भीतर अपनाई गई प्रणाली को उचित रूप से संप्रेषित किया गया है और कंपनी की वेबसाइट https://www.gailonline.com/pdf/others/FraudPreventionPolicyRev01withSOPonFPPRev00.pdf पर प्रदर्शित किया गया है।

लेखापरीक्षा समिति व्हिसल ब्लोअर प्रणाली और धोखाधड़ी रोकथाम नीति के तहत प्राप्त शिकायतों की समीक्षा तभी करती है, जब उक्त नीतियों के तहत कोई शिकायत प्राप्त होती है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान व्हिसल ब्लोअर नीति और धोखाधड़ी रोकथाम नीति के तहत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

उक्त तंत्र सभी सीपीएसई के लिए अपेक्षित केन्द्रीय सतर्कता आयोग के तत्वावधान में स्थापित सतर्कता व्यवस्था के अतिरिक्त है।

## ख. हितधारक संबंध समिति

### i. संदर्भ की शर्तें

समिति की संदर्भ की शर्तों में अन्य बातों के साथ–साथ, कंपनी के शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों और अन्य सुरक्षा धारकों के हित के विभिन्न पहलुओं तथा रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरएंडटीए) से संबंधित मामलों को जारी करने को मंजूरी देने, डुप्लिकेट शेयर प्रमाण–पत्र, सूचीबद्ध इकाई के सुरक्षा धारकों की शिकायतों को हल करने के लिए, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण/संचरण से संबंधित शिकायतें, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होना, नए/डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने, आम बैठक आदि, शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करने, आरएंडटीए द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध इकाई द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा करने, विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा करने के लिए सूचीबद्ध इकाई द्वारा दावा न किए गए लाभांश की मात्रा को कम करने तथा कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट/सांविधिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने पर विचार किया जाता है।

हितधारक संबंध समिति की भूमिका सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और समय–समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार है।

### ii. संयोजन

31 मार्च, 2024 तक, हितधारक संबंध समिति में श्रीमती कंगबाम इनोचा देवी अध्यक्ष के रूप में, श्री राकेश कुमार और श्री आयुष गुप्ता सदस्य के रूप में शामिल थे।

### iii. बैठक और अन्य विवरण

2023–24 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान, समिति की 2 (दो) बैठकें आयोजित की गई थी: 20 दिसंबर 2023 और 14 मार्च 2024 को। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार थी:

| क्र. सं. | सदस्य | बैठकों की संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | कार्यकाल के दौरान आयोजित | उपस्थिति |
| 1. | श्रीमती कंगबाम इनोचा देवी – अध्यक्ष | 2 | 2 |
| 2. | श्री आयुष गुप्ता | 2 | 2 |
| 3. | श्री दीपक गुप्ता (19.06.2023 तक) | शून्य | लागू नहीं |
| 4. | श्री राकेश कुमार जैन (20.06.2023 से) | 2 | 2 |

सेबी स्कोर्स/स्टॉक एक्सचेंज/कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए)/डिपॉजिटरी/अन्य सांविधिक प्राधिकारियों जिनमें शेयरधारकों/एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड से प्राप्त दैनिक अनुरोध, आरएंडटीए या कंपनी शामिल हैं, को शिकायत माना जाता है। संबंधित तिमाहियों के दौरान प्राप्त और निवारण की गई शिकायतों की स्थिति बोर्ड के समक्ष रखी जा रही है।

वर्ष 2023–24 के दौरान सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य सांविधिक निकायों के माध्यम से शेयरधारकों/निवेशकों से 886 शिकायतें प्राप्त हुई, जो लाभांश की प्राप्ति, वार्षिक रिपोर्ट आदि जैसे मामलों से संबंधित थीं। 31 मार्च, 2024 को 5 शिकायतें लंबित थीं जिनका सांविधिक समय–सीमा के भीतर समाधान कर दिया गया है।

कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं कि शेयरधारक से संबंधित मामलों/मुद्दों को उचित प्राथमिकता दी जाए और इन्हें आरएंडटीए द्वारा उचित समय के भीतर हल किया जाए।

सदस्य(यों) को उनके अनुरोध, यदि कोई हो, दर्ज करने की सुविधा के लिए, आरएंडटीए और कंपनी के नामित ई–मेल आईडी admin@mcsregistrars.com और shareholders@gail.co.in हैं जिसका सदस्य(यों) की सूचना के लिए पर्याप्त रूप से खुलासा किया जाता है। इसके अलावा, शेयरधारकों को नवीनतम घटनाक्रम और तिमाही अनुपालन के बारे में अद्यतन जानकारी देने के लिए कंपनी की वेबसाइट https://www.gailonline.com पर 'निवेशक संबंध' नामक एक अलग समर्पित खंड है जिसमें वित्तीय जानकारी, शेयरधारिता पैटर्न, निगमित शासन रिपोर्टें; कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों की वार्षिक रिपोर्टें, स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित जानकारी, विभिन्न

प्रेस विज्ञप्तियों सहित सामान्य जानकारी, समाचार–पत्र प्रकाशन, नोटिस, आदि, नीतियां, निवेशक की जानकारी अर्थात् लाभांश घोषणा, निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) हस्तांतरण, भुगतान न किया गया लाभांश, लाभांश इतिहास, आदि शामिल होता है।

## ग. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

### i. संदर्भ की शर्तें

इस समिति के विचारार्थ विषय हैं

क. निष्पादन संबंधित वेतन (पीआरपी) पूल पर विचार–विमर्श करना और निर्णय लेना तथा कर्मचारियों को पीआरपी के वितरण की नीति।

ख. बोर्ड द्वारा विचार किए जाने से पहले पीआरपी के अलावा अन्य वेतन और भत्तों से संबंधित मुद्दों की जांच करना।

ग. निदेशक की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मानदंडों का निर्धारण तथा निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की बोर्ड को सिफारिश करना; स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना; बोर्ड विविधता पर नीति तैयार करना; निदेशक बनने के लिए पात्र व्यक्तियों की पहचान करना जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है, और बोर्ड को उनकी नियुक्ति और हटाने की सिफारिश करना।

घ. वरिष्ठ प्रबंधन को देय सभी पारिश्रमिक, जो कोई भी हों, की बोर्ड को सिफारिश करना।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की भूमिका सेबी एलओडीआर विनियम, 2015; कंपनी अधिनियम, 2013 और समय–समय पर संशोधित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, 2010 के लिए निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देश के अनुसार हैं।

### ii. बोर्ड का निष्पादन मूल्यांकन

कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है और स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन भारत के राष्ट्रपति, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से किया जाता है। इसलिए, स्वतंत्र निदेशकों सहित व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन नियुक्ति प्राधिकारी होने के नाते भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कंपनियों को बोर्ड और उसकी समितियों के मूल्यांकन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(त) के प्रावधानों का अनुपालन करने से छूट दी गई है।

### iii. संरचना

31 मार्च 2024 तक, कंपनी की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में डॉ. नंदगोपाल नारायणसामी अध्यक्ष के रूप में तथा श्री कुशाग्र मित्तल और श्री शेर सिंह सदस्य के रूप में शामिल थे।

निदेशक (वित्त) और निदेशक (मा.स.) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं।

### iv. बैठक और अन्य विवरण

वित्त वर्ष 2023–24 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की 2 (दो) बैठकें 13 जुलाई और 22 सितंबर, 2023 को आयोजित की गईं। बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार थी:

| क्र. सं. | सदस्य | बैठकों की संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | कार्यकाल के दौरान आयोजित | उपस्थिति |
| 1. | डॉ नंदगोपाल नारायणसामी – अध्यक्ष | 2 | 2 |
| 2. | डॉ. नवनीत मोहन कोठारी (18.04.2023 तक) | शून्य | लागू नहीं |
| 3. | श्री शेर सिंह | 2 | 2 |
| 4. | श्री संदीप कुमार गुप्ता (19.04.2023 से 24.05.2023 तक) | शून्य | लागू नहीं |
| 5. | श्री कुशाग्र मित्तल (25.05.2023 से) | 2 | 2 |

### v. निदेशकों का पारिश्रमिक

कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए इसके कार्यात्मक निदेशकों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। सरकार द्वारा नामित निदेशकों को कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है। स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड और समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए आकस्मिक खर्चों के अलावा क्रमशः ₹ 40,000/– और ₹ 30,000/– के सिटिंग शुल्क का भुगतान किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | निदेशक का नाम | वेतन और भत्ते | पीएफ में अंशदान | अन्य लाभ और अनुलाभ | निष्पादन संबंधित भुगतान | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री संदीप कुमार गुप्ता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | 68.21 | 10.20 | - | 13.36 | 91.77 |
| 2. | श्री एम.वी. अय्यर निदेशक (व्यवसाय विकास) (31.10.2023 तक)' | 102.49 | 6.10 | - | 18.40 | 126.99 |
| 3. | श्री राकेश कुमार जैन निदेशक (वित्त) और सीएफओ | 69.22 | 9.94 | - | 21.64 | 100.80 |
| 4. | श्री दीपक गुप्ता निदेशक (परियोजनाएं) | 66.36 | 9.78 | - | 21.30 | 97.44 |
| 5. | श्री आयुष गुप्ता निदेशक (एचआर) | 64.45 | 9.30 | - | 17.85 | 91.60 |
| 6. | श्री संजय कुमार, निदेशक (विपणन) (15.06.2023 से) | 53.96 | 8.03 | - | 16.95 | 78.94 |
| 7. | श्री राजीव कुमार सिंघल, निदेशक (व्यवसाय विकास) (28.11.2023 से) | 27.22 | 3.49 | - | - | 30.72 |

*सिफारिश में सेवानिवृत्ति लाभ शामिल हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई स्टॉक–विकल्प योजना शुरू नहीं की थी।

कार्यकारी निदेशकों का सेवा अनुबंध पांच वर्ष या सेवानिवृत्ति तक, जो भी पहले हो, के लिए है। सेवा से पृथकता के मामले में तीन महीने की नोटिस अवधि या उसके एवज में वेतन आवश्यक है। स्वतंत्र निदेशकों को आमतौर पर भारत सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा, भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी नामित निदेशकों को बोर्ड में शामिल होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है।

कंपनी स्वतंत्र निदेशकों को औपचारिक नियुक्ति पत्र जारी करती है। इसके अलावा, सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 46 के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें कंपनी की वेबसाइट के लिंक: https://www.gailonline. com/IZInvestorInformation.html पर उपलब्ध हैं।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, निदेशक मंडल और उसकी समिति(यों) की बैठकों में भाग लेने के लिए कंपनी द्वारा भुगतान की गई रिवर्स चार्ज प्रणाली के तहत वस्तु और सेवा कर को छोड़कर, स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान की गई बैठक शुल्क का विवरण इस प्रकार है:

| क्र. सं. | स्वतंत्र निदेशक (कों) का नाम | बोर्ड की बैठकों की संख्या में भाग लिया | समिति (समितियों) की बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया | राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री अखिलेश जैन | 13 | 17 | 10.30 |
| 2. | श्री शेर सिंह | 13 | 5 | 6.70 |
| 3. | श्री संजय कश्यप | 13 | 10 | 8.20 |
| 4. | डॉ. नंदगोपाल नारायणस्वामी | 13 | 11 | 8.50 |
| 5. | श्रीमती कंगबाम इनौचा देवी | 13 | 4 | 6.40 |
| 6. | प्रो. डॉ. रविकांत कोल्हे | 13 | 14 | 9.40 |

### vi. 31.03.2024 को निदेशक (कों) द्वारा धारित इक्विटी शेयर

किसी भी निदेशक के पास कंपनी में कोई इक्विटी शेयर नहीं है, जैसा कि उन्होंने कंपनी को अपने नाम से, लाभकारी मालिक के रूप में, की गई घोषणाओं के अनुसार किया है।

## घ. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

### i. संदर्भ की शर्तें

सीएसआर समिति के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ–साथ, सीएसआर नीति तैयार करना और बोर्ड को सिफारिश करना, खर्च की जाने वाली राशि की सिफारिश करना और समय–समय पर कंपनी की सीएसआर नीति की निगरानी करना तथा बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित कोई अन्य गतिविधि करना शामिल है।

सीएसआर समिति की भूमिका कंपनी अधिनियम, 2013; डीपीई दिशानिर्देशों और समय–समय पर संशोधित अन्य सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार होगी।

### ii. संरचना

31 मार्च, 2024 को कंपनी की सीएसआर समिति में श्री संदीप कुमार गुप्ता अध्यक्ष के रूप में, तथा श्री आयुष गुप्ता, श्री अखिलेश जैन और श्री संजय कश्यप सदस्य के रूप में शामिल थे।

### iii. बैठक और अन्य विवरण

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, सीएसआर समिति की 7 (सात) बैठकें 2023 में 17 अप्रैल, 20 जून, 26 सितंबर, 13 नवंबर, 29 दिसंबर और 2024 में 16 फरवरी और 4 मार्च को आयोजित की गईं। बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार थी:

| क्र. सं. | सदस्य | बैठकों की संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | कार्यकाल के दौरान आयोजित | उपस्थिति |
| 1. | श्री संदीप कुमार गुप्ता | 7 | 7 |
| 2. | श्री अखिलेश जैन | 7 | 7 |
| 3. | श्री संजय कश्यप | 7 | 7 |
| 4. | श्री आयुष गुप्ता | 7 | 6 |

सीएसआर गतिविधियों और उस पर किए गए व्यय का विवरण निदेशकों की रिपोर्ट/प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में एक अलग खंड में विस्तार से दिया गया है। नीति के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) में निर्धारित अनुसार, हर साल पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% कंपनी के विभिन्न सीएसआर कार्यक्रमों के लिए निर्धारित किया जाता है, जो प्रभावी परिणाम देने के लिए बनाए गए हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुरूप स्थिरता, मापनीयता और पारदर्शिता को अधिकतम करने के लिए अपने सीएसआर कार्यक्रमों की पहचान, कार्यान्वयन, रखरखाव और निगरानी में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करती है।

## ङ. जोखिम प्रबंधन समिति

### i. संदर्भ की शर्तें

जोखिम प्रबंधन समिति के विचारार्थ विषय हैं:

1) एक विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

   क. विशेष रूप से वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, स्थिरता (विशेष रूप से, ईएसजी से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या समिति द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य जोखिम सहित सूचीबद्ध कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान के लिए एक ढांचा।

   ख. पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम को कम करने के उपाय।

   ग. व्यवसाय निरंतरता योजना।

2) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियां मौजूद हैं;

3) जोखिम प्रबंधन प्रणाली की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करना;

4) जोखिम प्रबंधन नीति की समय–समय पर समीक्षा करने के लिए, दो वर्ष में कम से कम एक बार, बदलते उद्योग की गतिशीलता और विकसित जटिलता पर विचार करना;

5) निदेशक मंडल को अपनी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाइयों की प्रकृति और सामग्री के बारे में सूचित करना;

6) मुख्य जोखिम अधिकारी (यदि कोई हो) की नियुक्ति, हटाने और पारिश्रमिक की शर्तें जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी।

जोखिम प्रबंधन योजना, साइबर सुरक्षा की निगरानी और समीक्षा।

जोखिम प्रबंधन समिति, निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित रूपरेखा के अनुसार, अन्य समितियों के साथ अपनी गतिविधियों का समन्वय करेगी, जहां ऐसी समिति की गतिविधियों के साथ कोई दोहराव हो।

जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिका सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के अनुसार होगी; कंपनी अधिनियम, 2013 और समय–समय पर संशोधित जोखिम प्रबंधन नीति को मंजूरी देना।

### ii. संरचना

31 मार्च, 2024 तक कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति में श्री शेर सिंह अध्यक्ष के रूप में तथा श्री राकेश कुमार जैन, श्री संजय कुमार, श्री राजीव कुमार सिंघल और श्रीमती कंगबाम इनोचा देवी सदस्य के रूप में शामिल थे।

जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में निम्नलिखित स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं:

i) मुख्य जोखिम अधिकारी, ii) विभागाध्यक्ष – कॉर्पोरेट रणनीति, iii) विभागाध्यक्ष–कोषागार, iv) विभागाध्यक्ष– कॉर्पोरेट बीआईएस, v) ईडी (पीसी–ओएंडएम), vi) ईडी (ओएंडएम–सीओ) और vii) ईडी (विपणन–गैस)।

### iii. बैठक और अन्य विवरण

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की 2 (दो) बैठकें 2023 में 1 अगस्त को और 2024 में 11 जनवरी को आयोजित की गईं। बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार थी:

| क्र. सं. | सदस्य | बैठकों की संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | कार्यकाल के दौरान आयोजित | उपस्थिति |
| 1. | श्री शेर सिंह (अध्यक्ष) | 2 | 2 |
| 2. | श्री एम.वी. अय्यर (20.06.2023 से 31.10.2023 तक) | 1 | 0 |
| 3. | श्री राकेश कुमार जैन | 2 | 2 |
| 4. | श्री दीपक गुप्ता (19.06.2023 तक) | शून्य | लागू नहीं |
| 5. | श्रीमती कंगबाम इनोचा देवी | 2 | 2 |
| 6. | श्री संजय कुमार (20.06.2023 से) | 2 | 2 |
| 7. | श्री राजीव कुमार सिंघल (28.11.2023 से) | 1 | 1 |

एक ठोस जोखिम प्रबंधन ढांचा कंपनी की व्यावसायिक कार्यनीति और संचालन का समर्थन करता है। व्यापार विस्तार और हितों से उत्पन्न होने वाले नए और उभरते जोखिमों के लिए जोखिम प्रबंधन ढांचे को लगातार अद्यतन किया जाता है।

जोखिमों का मूल्यांकन किया जाता है, उनकी मात्रा निर्धारित की जाती है और उन्हें प्राथमिकता दी जाती है तथा विभिन्न चरणों में उपशमन योजनाओं की समीक्षा और निगरानी की जाती है। जोखिम प्रबंधन नीति और प्रक्रियाओं की समय–समय पर समीक्षा की जाती है और जोखिम प्रबंधन समिति, लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड द्वारा इनकी निगरानी की जाती है। जोखिम प्रबंधन ढांचे को निदेशकों की रिपोर्ट के प्रबंधन और चर्चा विश्लेषण खंड में विस्तार से दिया गया है।

## च. वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण:

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान हुए परिवर्तनों सहित वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण vu|yXud&[k1 के रूप में संलग्न है।

## 4. सामान्य निकाय बैठकें

### i. स्थान और समय – पिछली तीन एजीएम

पिछली तीन एजीएम के दौरान पारित विशेष संकल्पों का स्थान, समय और विवरण इस प्रकार है:

| वित्तीय वर्ष | 2020–21 | 2021–22 | 2022–23 |
|---|---|---|---|
| , th,e | 37oÈ | 38oÈ | 39oÈ |
| fnukd vkj le; | 09.09.2021 को प्रातः 11:30 बजे | 26.08.2022 को प्रातः 11:30 बजे | 23.08.2023 को प्रातः 11:30 बजे |
| LFkku | कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) | कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) | कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) |
| ikfjr fo'k"k ldYi | - | कंपनी बहिर्नियमावली के वस्तु खंड में संशोधन | - |
| fooj.k | - | गेल एक ऐसी संस्कृति को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए नए व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रवेश करने की संभावना तलाश रहा था जो कंपनी को उसके दीर्घकालिक रणनीतिक उद्देश्यों और सतत विकास हासिल करने में सक्षम बनाएगी। इसलिए, कंपनी की बहिर्नियमावली में संशोधन के लिए कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी मांगी गई थी। | - |

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान सदस्यों की कोई असाधारण आम बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

ii. **डाक मतपत्र**

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित किसी भी मद में डाक मतपत्र के माध्यम से कोई प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी।

## 5. संचार के साधन

वित्तीय निष्पादन पर प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी का समय पर प्रकटीकरण सुशासन के मूल में है। इस दिशा में उठाए गए प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:

- frekgh@okf"kd foÙkh; ifj.kke% कंपनी के तिमाही गैर–लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम और लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणाम निर्धारित अवधि के भीतर घोषित किए जाते हैं। परिणाम प्रमुख समाचार–पत्रों जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड आदि में प्रकाशित किए जाते हैं। इसके अलावा, इन्हें कंपनी की वेबसाइट https:// www.gailonline.com/IZFinancialResult.html पर भी डाला जाता है और तिमाही अधार पर ई–मेल के माध्यम से शेयरधारकों को भी साझा किया जाता है।
- ,uÃ,ih,l ¼,u,lÃ byDV'ª,fud ,fIyds'ku çk1Ç1x flLVe½ vkj ch,lÃ d,ikjV vuqikyu vkj lqphc)rk dæ% एनएसई और बीएसई ने कॉरपोरेट्स के लिए वेब–आधारित एप्लिकेशन विकसित किए हैं। वित्तीय परिणाम, शेयरधारिता पैटर्न, निगमित शासन रिपोर्ट आदि जैसे आवधिक अनुपालन इलेक्ट्रॉनिक रूप से एनईएपीएस और बीएसई सूची केंद्र पर दर्ज किए जाते हैं।
- lekpkj foKfIr] çLrqfr;k vkfn% कंपनी संस्थागत निवेशकों और विश्लेषकों आदि के साथ संवाद करने के लिए वार्षिक आधार पर निवेशकों की बैठक आयोजित करती है। आधिकारिक समाचार/प्रेस विज्ञप्तियां और प्रस्तुतियाँ, निवेशकों/विश्लेषकों को की गई कांफ्रेंस कॉल की प्रतिलिपि समय–समय पर कंपनी की वेबसाइट पर डाली जाती है तथा स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित की जाती है।
- oc lkbV% कंपनी की वेबसाइट www.gailonline.com में 'निवेशक क्षेत्र' नामक एक समर्पित खंड है जिसमें शेयरधारकों के लिए अद्यतन प्रासंगिक जानकारी है।
- okf"kd fjikVZ% वार्षिक रिपोर्ट जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ बोर्ड की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, निगमित शासन रिपोर्ट, पृथक लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल हैं, को सदस्यों और अन्य पात्र लोगों को परिचालित किया जाता है। वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। इसे कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाता है जिसे निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है– https://gailonline.com/IZAnnualReports.html
- बैठक के दौरान दिए गए vè;{k dk Hkk"k.k@foKfIr को शेयरधारकों की सूचना के लिए कंपनी की वेबसाइट पर भी डाला जाता है।
- Ldksl ¼lsch f'kdk;r fuokj.k ç.kkyh½% सेबी निवेशकों की शिकायतों को एक केंद्रीकृत वेब–आधारित शिकायत निवारण प्रणाली अर्थात् स्कोर्स में प्रोसेस करता है। इस प्रणाली के माध्यम से, शेयरधारक कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है, कंपनी/आरटीए शिकायत पर की गई कार्रवाई को अपलोड करता है जिसे शेयरधारक द्वारा देखा जा सकता है। कंपनी और शेयरधारक सेबी के माध्यम से ऑनलाइन स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।
- LekV vkMhvkj ikVy% सेबी ने सदस्यों और सूचीबद्ध इकाई के बीच किसी भी सेवा संबंधी शिकायत से संबंधित किसी भी अनसुलझे मुद्दे के लिए एक सामान्य ओडीआर (ऑनलाइन विवाद समाधान) पोर्टल की स्थापना के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति बाजार में विवादों के ऑनलाइन समाधान के लिए परिपत्र और दिशा–निर्देश जारी किए हैं, जिसमें इसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट शामिल हैं। स्मार्ट ओडीआर पोर्टल तक पहुँचने के लिए लिंक गेल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
- fuos'kdk dk i=% शेयरधारकों को हर वर्ष अवैतनिक/दावा न किए गए लाभांश/शेयरों का दावा करने के लिए नियमित अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं।
- gfjr igy% Ãesy ds ekè;e ls 'k;jèkkjdk dk egRoi.k lpuk Hkstuk% कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई हरित पहल के संदर्भ में, सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से दस्तावेजों की सर्विस की अनुमति देने के लिए, कंपनी पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न संचार/दस्तावेज जैसे वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम का नोटस, एनएसीएच सूचना आदि ई–मेल के माध्यम से उन शेयरधारकों को भेज रही है जिन्होंने डीपी/आरएंडटीए के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत की है।
- fufn"V Ãey&vkÃMh% कंपनी के पास निवेशक सेवा के लिए एक निर्दिष्ट ईमेल–आईडी है: shareholders@gail.co.in.
- एमसीए/सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, सभी पात्र शेयरधारकों को केवल ई–मेल के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट भेजी गई थी।

  पात्र शेयरधारकों को ईमेल भेजने से पहले सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से शेयरधारकों के पंजीकृत ईमेल–आईडी को अद्यतन/सत्यापित करने के भी प्रयास किए गए हैं।
- आयकर अधिनियम, 1961 के नए अधिनियमित प्रावधानों का पालन करने और सभी पात्र शेयरधारकों को लाभांश पर टीडीएस की कटौती से छूट के संबंध में उन्हें आवश्यक दस्तावेज (फॉर्म 15जी, फॉर्म 15एच, फॉर्म 10एफ, घोषणा–एनआरआई, एफपीआई, एफआईआई) जमा करने का अवसर देने के लिए पत्र भेजा गया था।

## 6. सामान्य शेयरधारक सूचना

- vkxkeh okf"kd vke lHkk ¼,th,e½ दिनांक, समय और स्थान

  कंपनी की 40वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, 28 अगस्त, 2024 को प्रातः 11.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो वीडियो साधनों के माध्यम से निर्धारित की गई है।
- ykHkka'k fooj.k

  वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, निदेशक मंडल/हितधारकों ने लाभांश के भुगतान को मंजूरी दी, जिसके लिए रिकॉर्ड तिथि/बुक क्लोजर तिथि और लाभांश भुगतान की तारीखें निम्नलिखित विवरण के अनुसार हैं:

| क्र.सं. | घोषित लाभांश | लाभांश के अनुमोदन की तिथि | लाभांश | रिकॉर्ड तिथि | लाभांश भुगतान तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अंतिम लाभांश 2023–24 | 29.01.2024 | 55% (₹ 5.50/– प्रति शेयर) | 06.02.2024 | 09.02.2024 |

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार, कंपनी सदस्यों को भुगतान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग कर रही है। जहां लाभांश भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाता है, ऐसे प्रेषण के संबंध में सदस्यों को अलग से सूचना भेजी जा रही है। जहां लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से नहीं किया जा सकता है, उसका भुगतान वारंट/डीडी द्वारा किया जाता है, जिस पर बैंक खाता विवरण मुद्रित होता है।

- fuo'kd f'k{kk vkj lj{kk dk"k ¼vkÃÃih,Q½

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अनुसार, भुगतान के लिए देय होने की तारीख से सात साल की अवधि के लिए बकाया और बकाया लाभांश राशि को केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में स्थापित आईईपीएफ में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने वित्त वर्ष 2015–16 के लिए दावा न किए गए/अवैतनिक अंतिम लाभांश और वित्त वर्ष 2016–17 के लिए अंतरिम लाभांश के लिए आईईपीएफ में ₹ 2.32 करोड़ की राशि हस्तांतरित की है। 31.03.2024 तक आईईपीएफ में ₹ 6.89 करोड़ हस्तांतरित किए जा चुके हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) और निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 (आईईपीएफ नियम, 2016) के नियम 6(5) की आवश्यकता के अनुसार, सभी शेयर जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, उन्हें आईईपीएफ प्राधिकरण खाते में स्थानांतरित किया जाना है। इस संबंध में, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, 29,232 शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण खाते में स्थानांतरित किए गए हैं।

इसके अलावा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिनांक 30.10.2023 के पत्र के अनुसार, 6,225 शेयर {सरकारी एस्क्रो खाते में पड़े} में स्थानांतरित कर दिए गए हैं, जिनमें भारत सरकार की धारिता के रूप में दिखाए गए 3,183 शेयर शामिल हैं। तदनुसार, 06.02.2024 से गेल में भारत सरकार की शेयरधारिता 3,183 शेयरों से घटकर 3,38,75,76,864 शेयर (51.52%) रह गई है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान आईईपीएफ प्राधिकारी खाते में भुगतान/दावा न किए गए लाभांश और शेयरों के अंतरण की बाद की देय तिथियां निम्नानुसार हैं:

| वित्तीय वर्ष | लाभांश का प्रकार | लाभांश (%) | भुगतान न किए गए लाभांश का दावा करने की अंतिम तिथि | आईईपीएफ में अंतरण की देय तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | अंतिम | 27 | 11.10.2024 | 11.11.2024 |
| 2017-18 | अंतरिम | 76.50 | 11.02.2025 | 11.03.2025 |

आईईपीएफ को भुगतान/दावा न की गई राशि के अंतरण के बाद, कंपनी/आरएंडटीए के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा। जिन सदस्यों ने अभी तक अपने लाभांश वारंट को नहीं भुनाया है, वे ऐसे वारंट के एवज में डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए आरएंडटीए/कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। तथापि, जिन शेयरधारकों का भुगतान/दावा न किया गया लाभांश आईईपीएफ को अंतरित किया गया है, वे कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और भारत सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसे दावों के संबंध में रिफंड के पात्र होंगे। अधिक विवरण https:// www.gailonline.com/IZInvestorsZone.html और https:// www.gailonline.com/IZGeneralInformation.html. पर उपलब्ध हैं।

कंपनी ने आईईपीएफ नियम, 2016 के अनुसार कंपनी की वेबसाइट पर दावा न किए गए लाभांश के संबंध में जानकारी अपलोड की है।

- vU; fooj.k

सदस्य पता/बैंक विवरण/लाभांश अधिदेश/ईमेल आईडी में परिवर्तन, यदि कोई हो, के लिए संपर्क कर सकते हैं –

i) यदि शेयर ***भौतिक मोड*** में हैं, तो आरएंडटीए/कंपनी को।

ii) यदि शेयर ***इलेक्ट्रॉनिक मोड*** में रखे जाते हैं, तो उनके डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) को।

बैंक खाता विवरण और उनके बैंकरों के एमआईसीआर कोड, जैसा कि उनके डीपी के रिकॉर्ड में उल्लेख किया गया है, लाभांश वारंट पर ओवरप्रिंटिंग या राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस के माध्यम से लाभांश के प्रेषण, जहां भी लागू हो, के लिए उपयोग किया जाता है। लाभांश संबंधी गतिविधियों पर एक विस्तृत संदर्भ नोट 'निवेशक संबंध' के तहत कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

LV,d ,Dlpt ij çfrHkfr;k dh lph cukuk

| स्टॉक एक्सचेंज और पता | सुरक्षा कोड |
|---|---|
| bfDoVh 'k;j | |
| बीएसई लिमिटेड | 532155 |
| नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड | गेल–ईक्यू |
| आईएसआईएन | INE129A01019 |
| tMhvkj | |
| लंदन स्टॉक एक्सचेंज | जीएआईडी गेली |
| xj&ifjorluh; Mcpj | |
| बीएसई लिमिटेड | 974439 |
| नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड | गेल |
| आईएसआईएन | INE129A08014 |

कंपनी ने 20.12.2022 को निजी प्लेसमेंट के आधार पर 7.34% असुरक्षित, सूचीबद्ध, रेटेड, कर योग्य, गैर–संचयी, प्रतिदेय, गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर (श्रृंखला– I) आवंटित किए थे, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 10,00,000/– (दस लाख रुपए) था, जो कुल मिलाकर ₹ 1575,00,00,000 (एक हजार पाँच सौ पचहत्तर करोड़ रुपए) था। इन्हें एनएसई और बीएसई लिमिटेड के थोक ऋण बाजार (डब्ल्यूडीएम) खंड में सूचीबद्ध किया गया है। ये डिबेंचर आवंटन की तारीख से 5वें वर्ष के अंत में प्रतिदेय होंगे। बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड, (पताः – 4 सी और डी सिद्धिविनायक चेम्बर्स, गांधी नगर, एमआईजी क्रिकेट क्लब के सामने, बांद्रा ईस्ट, मुंबई–400051), उपर्युक्त डिबेंचर सीरीज के लिए डिबेंचर ट्रस्टी है। कंपनी ने प्लेसमेंट मेमोरेंडम की शर्तों के अनुसार उक्त डिबेंचर पर ब्याज का समय पर भुगतान किया था।

वित्तीय वर्ष 2023–24 से संबंधित कंपनी के सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और बांडों के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को मांग पर किया गया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए नेशनल स्क्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को वार्षिक अभिरक्षा शुल्क का भुगतान भी कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी की प्रतिभूतियों को व्यापार से निलंबित नहीं किया गया था।

- ckt kj eY; MkVk ¼foÙk o"kZ 2023&24½

| माह | गेल बीएसई | | | गेल एनएसई | | | बाजार पूंजीकरण (₹ करोड़ में) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | उच्च (₹ में) | निम्न (₹ में) | मात्रा (माह के अंतिम दिन को ट्रेड किए गए शेयरों की संख्या) | उच्च (₹ में) | निम्न (₹ में) | मात्रा (माह के अंतिम दिन को ट्रेड किए गए शेयरों की संख्या) | गेल बीएसई (माह के अंतिम मूल्य पर आधारित) | गेल एनएसई (माह के अंतिम मूल्य पर आधारित) |
| अप्रैल '23 | 110.70 | 104.30 | 1,09,70,563 | 111.00 | 104.30 | 1,93,07,001 | 70,517.94 | 70,550.82 |
| मई '23 | 113.95 | 102.95 | 1,36,90,568 | 113.95 | 102.95 | 1,01,76,487 | 68,972.80 | 68,907.04 |
| जून '23 | 108.65 | 103.20 | 1,74,23,227 | 108.70 | 103.30 | 1,61,08,372 | 69,038.55 | 69,071.42 |
| जुलाई '23 | 122.85 | 104.70 | 2,09,99,191 | 122.95 | 104.70 | 6,49,86,613 | 78,243.69 | 78,309.44 |
| अगस्त '23 | 122.35 | 111.50 | 1,52,80,449 | 122.35 | 111.50 | 1,26,26,049 | 75,646.52 | 75,613.65 |
| सितम्बर '23 | 129.50 | 115.55 | 2,00,90,493 | 129.55 | 115.55 | 1,45,05,102 | 81,761.36 | 81,794.24 |
| अक्तूबर '23 | 132.45 | 116.20 | 2,15,76,482 | 132.45 | 116.15 | 3,32,12,394 | 78,605.32 | 78,572.44 |
| नवम्बर '23 | 134.20 | 117.40 | 1,70,14,506 | 134.20 | 117.40 | 8,20,83,861 | 86,561.19 | 86,725.56 |
| दिसम्बर '23 | 164.25 | 132.35 | 4,73,94,072 | 164.30 | 132.35 | 5,73,70,272 | 1,06,549.49 | 1,06,582.37 |
| जनवरी '24 | 177.10 | 155.85 | 4,42,69,798 | 177.00 | 155.75 | 2,91,40,358 | 1,13,486.22 | 1,13,486.22 |
| फरवरी '24 | 187.80 | 166.30 | 2,65,63,187 | 187.85 | 166.35 | 1,94,75,687 | 1,20,061.32 | 1,19,831.19 |
| मार्च '24 | 196.35 | 165.60 | 1,66,61,103 | 196.35 | 165.55 | 1,05,19,502 | 1,19,107.93 | 1,19,042.18 |

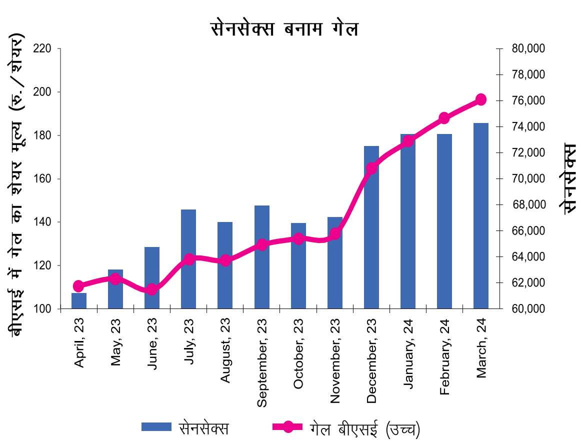


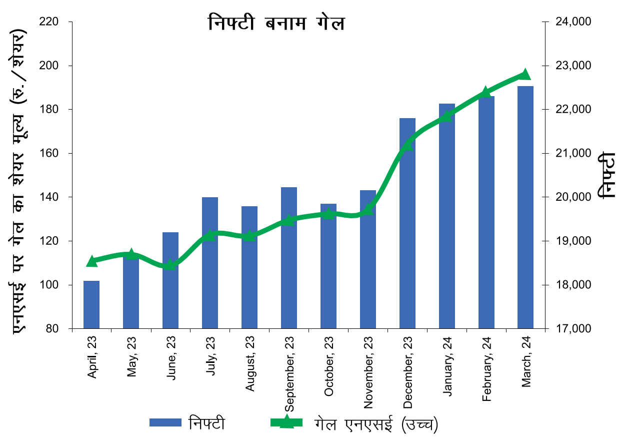


- 'k;j vrj.k ç.kkyh

  MheV vrj.k% कंपनी के शेयरों का अनिवार्य रूप से डीमैट रूप में कारोबार किया जा रहा है और ये भारत में दोनों डिपॉजिटरी अर्थात् एनएसडीएल और सीडीएसएल के तहत व्यापार के लिए उपलब्ध हैं। एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड कंपनी का डिपॉजिटरी इंटरफेस और शेयर ट्रांसफर एजेंट है।

- Hkkfrd vrj.k% सेबी ने अपने दिनांक 25.01.2022 के परिपत्र के माध्यम से यह अनिवार्य कर दिया है कि सभी सूचीबद्ध संस्थाएँ प्रतिभूतियों को केवल डीमटेरियलाइज्ड रूप में जारी करेंगी। तदनुसार, कंपनी सेबी अधिसूचना के अनुसार डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, ट्रांसमिशन, ट्रांसपोजिशन आदि के अनुरोधों पर विचार कर रही है और उन्हें संबोधित कर रही है। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.gailonline.com पर निवेशक संबंध

खंड देखें।

- 'k;jèkkfjrk dk forj.k

31 मार्च, 2024 को कंपनी की शेयरधारिता का वितरण नीचे दिया गया है:

| धारित शेयरों की संख्या | शेयरों की संख्या | कुल की तुलना में % | शेयरधारकों की संख्या | कुल की तुलना में % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,02,576 | 0.00 | 1,02,576 | 8.36 |
| 2–10 | 14,92,440 | 0.02 | 2,51,567 | 20.50 |
| 11–50 | 87,51,402 | 0.13 | 3,08,028 | 25.10 |
| 51–100 | 1,35,91,574 | 0.21 | 1,65,889 | 13.52 |
| 101–200 | 2,11,89,702 | 0.32 | 1,39,429 | 11.36 |
| 201–750 | 6,59,90,836 | 1.00 | 1,65,717 | 13.50 |
| 751–5000 | 13,82,10,711 | 2.10 | 83,435 | 6.80 |
| 5001–10000 | 4,43,90,172 | 0.68 | 6,128 | 0.50 |
| 10001–15000 | 1,88,14,806 | 0.29 | 1,515 | 0.12 |
| 15001 और उससे अधिक | 6,26,25,65,424 | 95.25 | 2,925 | 0.24 |
| dqy | **6,57,50,99,643** | **100.00** | **12,27,209** | **100.00** |

- 31 ekp] 2024 rd 'kh"kZ 10 'ks;jèkkjd

| क्र.सं. | शेयरधारक(कों) का नाम | शेयर | % |
|---|---|---|---|
| 1 | भारत के राष्ट्रपति | 3,38,75,76,864 | 51.52 |
| 2 | एलआईसी । वार्षिकी नॉन–पार | 46,66,98,486 | 7.10 |
| 3 | ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 32,67,16,386 | 4.97 |
| 4 | इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 16,33,58,190 | 2.48 |
| 5 | एसबीआई आर्बिट्रेज ऑपर्च्यूनिटी फंड | 16,10,13,285 | 2.45 |
| 6 | कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड | 10,26,23,383 | 1.56 |
| 7 | एचडीएफसी लार्ज और मिड कैप फंड | 7,04,33,548 | 1.07 |
| 8 | भारत 22 ईटीएफ | 6,38,22,112 | 0.97 |
| 9 | एनपीएस ट्रस्ट – ए/सी एलआईसी पेंशन फंड स्कीम – कॉर्पोरेट सीजी | 5,54,63,739 | 0.84 |
| 10 | क्वांट म्यूचुअल फंड – क्वांट एब्सोल्यूट फंड | 5,00,05,000 | 0.76 |
| | dqy | **4,84,77,10,993** | **73.72** |

## दिनांक 31.03.2024 तक शेयरधारिता प्रोफाइल

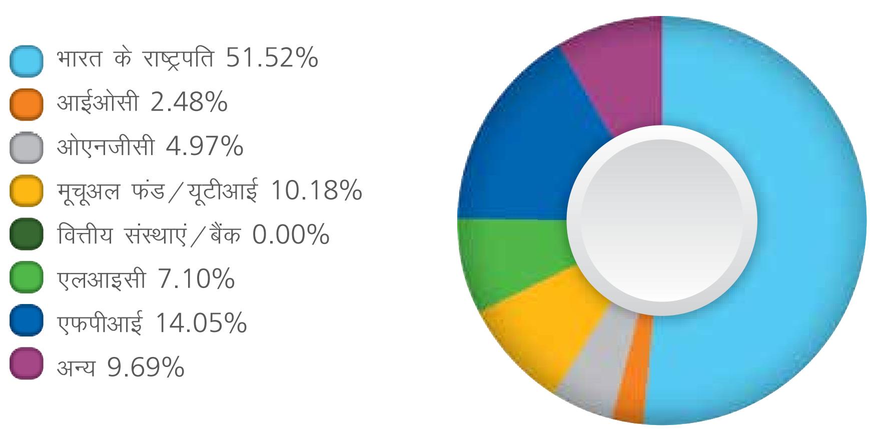


- cdk;k thMhvkj@,Mhvkj@okjaV ;k ifjorZuh; midj.k

31 मार्च, 2024 तक कुल 79,56,832 जीडीआर बकाया थे, जो 477,40,994 (0.73%) इक्विटी शेयरों का प्रतिनिधित्व करते थे। एक जीडीआर छह अंतर्निहित इक्विटी शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। जीडीआर को इक्विटी शेयरों में बदलने से कुल इक्विटी पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध जीडीआर के समापन मूल्य को दर्शाने वाले जीडीआर का प्रदर्शन निम्नानुसार दिया गया है:

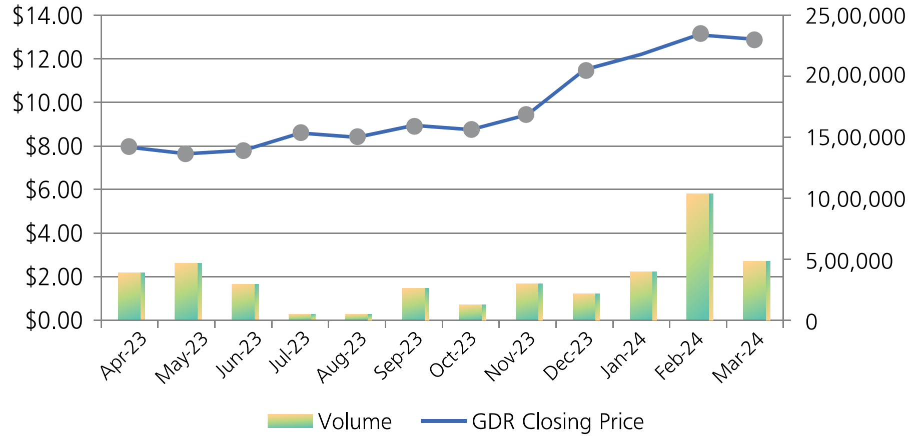


- 'k;jkk vkj udnh dk MhesV djuk%

31 मार्च, 2024 तक, कंपनी के पास 12,27,209 शेयरधारक थे, जिनमें से 12,26,658 शेयरधारक डीमैट मोड में इक्विटी शेयर रखे हुए थे और 551 शेयरधारक भौतिक मोड में इक्विटी शेयर रखे हुए थे। कंपनी के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन INE129A01019 है और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा कंपनी को आवंटित कारपोरेट पहचान सं. L40200DL1984GOI018976 है।

- 'k;j iwth y[kkijh{kk fjikVZ dk lekèkku

प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) और कुल जारी/प्रदत्त पूंजी के साथ भौतिक मोड में कुल शेयर पूंजी के साथ समाधान करने के लिए तिमाही आधार पर शेयर पूंजी लेखापरीक्षा की है। लेखा परीक्षक ने पुष्टि की है कि कुल जारी/प्रदत्त पूंजी, भौतिक रूपों में शेयरों की कुल संख्या और एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास रखे गए डीमैटरियलाइज्ड शेयरों की कुल संख्या के अनुरूप है।

- oLrq eY; tkf[ke ;k fons'kh eæk tkf[ke vkj cpko xfrfofèk;k

ग्राहकों के लिए खरीदे गए प्राकृतिक गैस के आयात और गैस की आंतरिक खपत पर मूल्य जोखिम का प्रबंधन करने और एलपीजी/एलएचसी उत्पादों की बिक्री और ईएंडपी ब्लॉकों से उत्पादित कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की बिक्री के लिए कंपनी में एक अनुमोदित वस्तु मूल्य जोखिम प्रबंधन नीति है। कंपनी ने आयातित एलएनजी की खरीद और बिक्री से जुड़े विभिन्न सूचकांकों की अस्थिरता से उत्पन्न होने वाले मूल्य जोखिम को कम करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान विभिन्न बचाव लेनदेन किए हैं।

इसके अलावा, कंपनी ने विदेशी मुद्रा जोखिम के संबंध में ब्याज और मुद्रा जोखिम के प्रबंधन के लिए विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन नीति को मंजूरी दी है। कंपनी ने अब तक लिए गए विभिन्न विदेशी मुद्रा ऋणों से संबंधित ब्याज और मुद्रा जोखिम का प्रबंधन किया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान गेल में उनकी कमोडिटी हेजिंग स्थिति सहित जोखिम प्रबंधन गतिविधियों के संबंध में प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:

1. हेजिंग सहित वस्तुओं के संबंध में सूचीबद्ध कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति

   (ऐसी नीति में वस्तुओं के लिए कंपनी के कुल जोखिम, कंपनी द्वारा सामना की जाने वाली वस्तु जोखिम, हेज्ड जोखिम आदि को नीचे निर्दिष्ट अनुसार ध्यान में रखा जाएगा)

2. पूरे वर्ष के दौरान इकाई द्वारा सामना किए गए वस्तु और वस्तु जोखिमों के लिए सूचीबद्ध इकाई जोखिम:

   क) सूचीबद्ध इकाई का कुल जोखिम: ₹ 37,281.35 करोड

   ख) विभिन्न वस्तुओं के लिए सूचीबद्ध कंपनी का जोखिम:

| वस्तु का नाम | विशेष वस्तु के लिए जोखिम भारतीय रुपए में | विशेष वस्तु के लिए मात्रा के अनुसार जोखिम | वस्तु डेरिवेटिव्स के माध्यम से बचाव किए गए ऐसे जोखिम का % | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | घरेलू बाजार | | अंतरराष्ट्रीय बाजार | | कुल |
| | | | ओटीसी | एक्सचेंज | ओटीसी | एक्सचेंज | |
| प्राकृतिक गैस | ₹31,965.05 करोड़ | 475.49 टीबीटीयू | शून्य | शून्य | 13.70% | शून्य | 13.70% |
| एलपीजी और एलएचसी | ₹ 4,283 करोड़ | 999 टीएमटÞ TMT | शून्य | शून्य | 4.00% | शून्य | 4.00% |
| ईएंडपी – कच्चा तेल | ₹ 46.30 करोड़ | 80,358 बीबीएल | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| ईएंडपी – प्राकृतिक गैस | ₹ 987 करोड़ | 14.66 टीबीटीयू | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

fVIi.kh 1) जोखिम में बैक टू बैक आधार पर बेची गई मात्रा शामिल नहीं है।

2) जोखिम वित्तीय वर्ष 2023–24 से संबंधित है।

ग. वर्ष के दौरान सूचीबद्ध इकाई द्वारा सामना किए गए वस्तु जोखिम और उनका प्रबंधन कैसे किया गया है: कंपनी में ग्राहकों के लिए खरीदे गए प्राकृतिक गैस के आयात या गैस की आंतरिक खपत और एलपीजी/एलएचसी उत्पादों की बिक्री और ईएंडपी ब्लॉकों से उत्पादित कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की बिक्री पर मूल्य जोखिम का प्रबंधन करने के लिए एक अनुमोदित वस्तु मूल्य जोखिम प्रबंधन नीति है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान विभिन्न सूचकांकों की अस्थिरता से उत्पन्न होने वाले मूल्य जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न बचाव लेनदेन किए हैं।

- ie[k l;= LFky

  कंपनी के प्रमुख संयंत्र स्थान निम्नलिखित हैं: –

xy ¼bfM;k½fyfeVM] ikrk
डाकघर पाता – 206241
जिला औरैया (उ.प्र.)

,yihth fjdojh IykV] fot;iqj
गेल कॉम्प्लेक्स विजयपुर –
473112जिला गुना (म.प्र.)

,yihth fjdojh l;=] ok?kkfM;k
जीआईडीसी औद्योगिक एस्टेट
वाघोडिया – 391760
जिला बड़ौदा (गुजरात)

,yihth fjdojh çkstDV] xèkkj
ग्राम रोजनतंकरिया ताल
अमोद, जिला भरूच – 392140
(गुजरात)

i=&0;ogkj gsrq irk
xsy ¼bafM;k½ fyfeVsM
16] HkhdkZ,th dkek Iysl] vkj-d- iqje] uÃ fnYyh & 110066

Qksu% 91–11–26172580 / 26182955
QSDl u-% 91–11–26185941
osclkbV% www.gailonline.com
Ã&esy% shareholders@gail.co.in

शेयरधारक कंपनी के आरएंडटीए से यहां संपर्क कर सकते हैं:
एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड

;fuV% xsy ¼bafM;k½ fyfeVsM
एफ–65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया
फेज– I, नई दिल्ली–110020
Qksu% 91–11–41406149 / 50 / 51 / 52
QSDl% 91–11–41709881
osclkbV% www.mcsregistrars.com
Ã&esy% admin@mcsregistrars.com

## 7. प्रकटीकरण

### क. नीतियां

क. कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 23 के संदर्भ में एक संबंधित पार्टी लेनदेन नीति तैयार की है। यह नीति कंपनी की वेबसाइट https://www.gailonline.com/pdf/InvestorsZone/RPTPolicy24042024.pdf पर उपलब्ध है।

ख. भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 के अनुसरण में, बोर्ड ने कंपनी में उनकी स्थिति के आधार पर उन्हें उपलब्ध अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के आधार पर नामित व्यक्तियों द्वारा कंपनी के शेयरों की खरीद और/या बिक्री को रोकने के उद्देश्य से "अंतरंग व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता" और "अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के उचित प्रकटीकरण के लिए आचरण और प्रक्रिया संहिता" निर्धारित की है। उपरोक्त सभी को सेबी (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) संशोधन विनियम, 2018 में संशोधन के अनुरूप संशोधित किया गया है। इस संहिता का उद्देश्य किसी भी मूल्य संवेदनशील जानकारी के दुरुपयोग को रोकने और कंपनी के शेयरों में सौदे करके किसी भी अंतरंग व्यापार गतिविधि को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर शेयरधारकों के हितों की रक्षा करना है। अंतरंग व्यापार का संशोधित कोड कंपनी की वेबसाइट https://www.gailonline.com/pdf/InvestorsZone/GAIL-Insider%20Trading%20Code%202018- 10.04.2019.pdf पर उपलब्ध है और इसके लिए संशोधित आचार संहिता और प्रक्रिया अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी का उचित प्रकटीकरण कंपनी की वेबसाइट https://www.gailonline. com/pdf/InvestorsZone/GAIL-Principles-of-Fair-Disclosures.pdf पर उपलब्ध है।

ग. कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज(जों) को घटनाओं या सूचनाओं के प्रकटीकरण की आवश्यकता का पता लगाने और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 30(4) के तहत निर्दिष्ट घटनाओं और सूचनाओं की भौतिकता निर्धारित करने के लिए मानदंडों को परिभाषित करने के लिए भौतिकता और प्रकटीकरण के निर्धारण हेतु एक नीति तैयार की है। यह नीति कंपनी की वेबसाइट https://www.gailonline.com/pdf/InvestorsZone/GAIL-PolicyforDeterminationofMaterialityandDisclosure_25062024.pdf पर उपलब्ध है।

घ. सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 43क की आवश्यकता के अनुसार, लाभांश वितरण नीति को कंपनी की वेबसाइट https://www.gailonline.com/pdf/InvestorsZone/GAIL%20Dividend%20Distribution%20Policy. pdf पर डाला गया है।

### ख. पुष्टि और अनुपालन

क. 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक की अवधि के लिए, कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण विनियम, 2015 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए हैं। नीति को संशोधित रूप में कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 की वेबसाइट पर होस्ट किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं हुआ है, जिसका बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता हो। वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय विवरण के नोट सं. 45 में "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" के विवरण का प्रकटीकरण किया गया है।

ख. कंपनी के निदेशक मंडल ने बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों की आचार संहिता को अपनाया है। कोड की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट https://www.gailonline.com/pdf/InvestorsZone/CodeofConductason09042019.pdf पर उपलब्ध है। बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

ग. कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज(जों), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय/डीपीई को निर्धारित समय के भीतर निर्दिष्ट प्रारूप में निगमित शासन पर रिपोर्ट दायर की है।

घ. कंपनी के सीईओ और सीएफओ ने अन्य बातों के साथ–साथ सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के तहत अपेक्षित वित्तीय विवरणों की शुद्धता, आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता और बोर्ड और लेखापरीक्षा समिति को प्रमाणित अन्य मामलों की पुष्टि की।

ड. कंपनी ने, कंपनी पर लागू कानूनों के अनुपालन को कवर करते हुए ऑनलाइन कानूनी अनुपालन प्रबंधन प्रणाली लागू की है। एक अनुपालन रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसे बोर्ड की समीक्षा के लिए द्विवार्षिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है।

च. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान (अर्थात् वित्त वर्ष 2023–24), 01.01.2023 से गेल में बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और गैर–यूनियनाकृत पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन के निरंतर कार्यान्वयन के संबंध में राष्ट्रपति के निर्देश, पेटोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिनांक 16.02.2023 के पत्र के माध्यम से प्राप्त हुए हैं; और यह गेल में 01.01.2023 से अगले 3 वर्षों के लिए लागू है।

छ. बही खातों में व्यय की कोई भी मद डेबिट नहीं की गई है, जो व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए न हो या व्यय जो व्यक्तिगत प्रकृति के हों।

इसके अलावा, प्रशासनिक और कार्यालय व्यय और वित्तीय व्यय वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कुल व्यय का क्रमशः 2.28% और 0.57% है, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 में यह क्रमशः 1.67% और 0.22% था।

ज. बोर्ड की बैठक और आम बैठक में लागू सभी सचिवीय मानकों का विधिवत अनुपालन किया जाता है।

झ. वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले अपने पद से त्याग–पत्र नहीं दिया।

ञ. किसी भी संशोधन के साथ संस्था द्वारा प्राप्त सभी क्रेडिट रेटिंग की सूची को निदेशकों की रिपोर्ट में देखा जा सकता है।

ट. वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान अधिमान आवंटन या योग्य संस्थान प्लेसमेंट के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया गया।

ठ. मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स, प्रक्टिसिंग कंपनी सचिव ने प्रमाणित किया है कि कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को बोर्ड/एमसीए या ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

ड. वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, ऐसा कोई उदाहरण नहीं था, जहां बोर्ड ने बोर्ड की किसी भी समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया हो, जो अनिवार्य रूप से आवश्यक है।

ढ. सांविधिक लेखा परीक्षकों (मैसर्स एआर एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली (30.06.2023 तक) और मैसर्स गांधी मनोचा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली) तथा मैसर्स कीतर्न एंड पंडित, एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क संस्था में सभी कंपनियों जिसमें सांविधिक लेखापरीक्षक एक हिस्सा है, को सूचीबद्ध कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा समेकित आधार पर भुगतान की गई सभी सेवाओं का कुल शुल्क ₹ 1.77 करोड़ है।

ण. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण बोर्ड की रिपोर्ट 2023–24 में दिया गया है।

## ग. लंबित मामलों/गैर–अनुपालन के उदाहरणों का प्रकटीकरण

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी को बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड दोनों से सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है और कंपनी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक न होने के कारण 30.06.2023, 30.09.2023 और 31.12.2023 को समाप्त तिमाही के लिए उनके द्वारा ₹13,57,000/– का संचयी जुर्माना लगाया गया है। चूंकि गेल एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है और स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। तदनुसार, कंपनी ने लगाए गए जुर्माने को माफ करने के लिए बीएसई और एनएसई से अनुरोध किया है।

इसके अलावा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड ने सेबी एलओडीआर विनियमन, 2015 के विनियमन 23(9) के तहत संबंधित पार्टी लेनदेन के प्रकटीकरण को देर से प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक पर ₹5,900/– का जुर्माना लगाया है। गैर–अनुपालन न तो कंपनी द्वारा किसी लापरवाही या चूक के कारण था, बल्कि केवल कंपनी द्वारा सामना किए गए तकनीकी मुद्दों के कारण था। कंपनी ने जुर्माना माफ करने के लिए एनएसई के साथ मामला उठाया है।

कंपनी वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनिवार्य अपेक्षाओं का पूरी तरह से अनुपालन कर रही थी।

इसके अलावा, सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 की अनुसूची V के भाग ग की अनिवार्य आवश्यकता के अलावा, अनुसूची II के भाग ड. में निर्दिष्ट निम्नलिखित विवेकाधीन/गैर–अनिवार्य आवश्यकताओं को निम्नानुसार लागू किया गया है:

- कंपनी की अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है जो कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जिसे कंपनी की बहिर्नियमावली के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- वित्तीय परिणाम व्यापक रूप से प्रकाशित किए जा रहे हैं और कंपनी की वेबसाइट पर भी डाले जा रहे हैं।
- कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए अपने वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों से कोई अर्हता प्राप्त नहीं की है।
- कंपनी में एक आंतरिक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है जो कार्यात्मक रूप से लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट करता है और प्रशासनिक रूप से निदेशक (वित्त) को रिपोर्ट करता है।
- लोक उद्यम विभाग ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देश, 2010 तैयार किए हैं। कंपनी इन दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है।

## 8. सहायक कंपनियां – निगरानी ढांचा

कंपनी अपने प्रतिनिधियों को सहायक कंपनियों के बोर्ड में नामित करती है। इसके अलावा, सहायक कंपनियों के निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त समय–समय पर कंपनी के बोर्ड के समक्ष रखे जाते हैं। सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 24 और निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, सहायक कंपनियों के प्रदर्शन की, अन्य बातों के साथ–साथ, लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड द्वारा निम्नानुसार समीक्षा की जाती है:

(i) गैर–सूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किए गए निवेश;

(ii) समेकित वित्तीय विवरण जिसमें सहायक कंपनियों आदि के वित्तीय विवरण शामिल हैं,

(iii) कंपनी की सहायक कंपनियों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण लेनदेन और व्यवस्थाओं का आवधिक विवरण

सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 16 के अनुसार, कंपनी ने 'सामग्री सहायक कंपनी(कंपनियों) के लिए नीति' तैयार की है। यह कंपनी की वेबसाइट https://www.gailonline.com/pdf/InvestorsZone/GAILMaterialSubsidiarypolicyFinal2021. pdf पर उपलब्ध है।

सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों, 2010 के अनुसार कंपनी में कोई सामग्री गैर–सूचीबद्ध सहायक कंपनी नहीं है।

## 9. अनुपालन प्रमाणपत्र

सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 की अनुसूची V (ड.) के तहत निर्धारित निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करने वाले कंपनी के लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

अनुलग्नक–ख1

## 2023–24 के दौरान परिवर्तनों सहित वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण

| नाम | पदनाम | एसएमपी बनने की तिथि | सेवानिवृत्ति तिथि |
|---|---|---|---|
| श्री रमन चड्ढा | कार्यकारी निदेशक (सीएसपीए) | 01-04-2017 | 31-10-2023 |
| श्री कृष्ण बल्लभ सिंह | कार्यकारी निदेशक (ईआर और परियोजनाएं) | 01-04-2017 | 31-10-2023 |
| श्री राजीव कुमार सिंघल | कार्यकारी निदेशक (बीडी और ईएंडपी) | 01-07-2018 | 29-02-2028 |
| श्री श्याम सुंदर अग्रवाल | कार्यकारी निदेशक (ओएंडएम–सीओ) | 01-04-2019 | 31-08-2026 |
| श्री प्रसून कुमार | कार्यकारी निदेशक (पीडी) | 01-04-2019 | 30-11-2027 |
| श्री सत्यब्रत बैरागी | कार्यकारी निदेशक (विपणन–शिपिंग और अंतर्राष्ट्रीय एलएनजी) | 01-04-2019 | 31-07-2026 |
| श्री अजय त्रिपाठी | कार्यकारी निदेशक (पीसी–ओ एंड एम) | 01-04-2020 | 30-09-2030 |
| श्री गौतम चक्रवर्ती | मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जीजीएल) | 01-04-2020 | 30-04-2026 |
| श्री अतुल रस्तोगी | कार्यकारी निदेशक (बीआईएस) | 01-05-2020 | 31-08-2023 |
| श्री राम मोहन राव कर्णाती | प्रबंध निदेशक (बीजीएल)/ईडी | 01-07-2020 | 30-06-2025 |
| श्री आलोक कुमार नस्कर | कार्यकारी निदेशक (पीसी–सीओ) | 01-04-2021 | 30-11-2028 |
| श्री आशु सिंघल | प्रबंध निदेशक–एमजीएल/ईडी | 01-04-2021 | 30-06-2029 |
| श्री अतुल कुमार त्रिपाठी | कार्यकारी निदेशक (परियोजना) | 01-04-2021 | 31-12-2029 |
| श्री ए. कविराज | कार्यकारी निदेशक (विपणन–शिपिंग और अंतर्राष्ट्रीय एलएनजी) | 01-04-2021 | 31-01-2024 |
| श्री शशि मेनन | कार्यकारी निदेशक (एफ एंड ए) | 01-04-2021 | 30-06-2025 |
| श्री कमलेश शर्मा | कार्यकारी निदेशक (विपणन–आरटी) | 01-04-2021 | 30-11-2024 |
| श्री पंकज पटेल | कार्यकारी निदेशक (आरएम और टीक्यूएम) | 01-05-2021 | 31-05-2024 |
| श्री सुनीत वर्मा | कार्यकारी निदेशक (विपण्पन–सीए, जेवी, आरईटी–एलएनजी) | 01-05-2021 | 30-11-2023 |
| श्री सच्चिदानंद यादव | कार्यकारी निदेशक (सीबीजी) | 01-07-2021 | 31-01-2028 |
| श्री सुप्रिया हल्दर | कार्यकारी निदेशक (सी एंड पी) | 01-04-2022 | 31-01-2026 |
| श्री अनुपम मुखोपाध्याय | प्रबंध निदेशक, बीजीसीएल/ईडी | 01-04-2022 | 30-06-2028 |
| श्री सुमित किशोर | कार्यकारी निदेशक (एमकेटीजी–गैस) | 01-04-2022 | 31-07-2028 |
| श्री शालिग्राम मौआर | कार्यकारी निदेशक (ओएंडएम–एसआर) और जेडएनएल ईडी | 01-04-2022 | 31-03-2027 |
| श्री हरीश कुमार श्रीवास्तव | कार्यकारी निदेशक (एमकेटीजी–पीसी) | 01-04-2022 | 31-01-2027 |
| श्री महेश कुमार अग्रवाल | कंपनी सचिव | 01-04-2022 | 31-05-2037 |
| श्री कमल किशोर चाटीवाल | प्रबंध निदेशक–आईजीएल/ईडी | 01-07-2022 | 31-12-2028 |
| श्रीमती ज्योति दुआ | कार्यकारी निदेशक (आईए) | 01-04-2023 | 31-08-2026 |
| श्री अनूप गुप्ता | कार्यकारी निदेशक (सीएसआर एवं मानव संसाधन) | 01-04-2023 | 30-09-2026 |
| श्री विकास गुप्ता | कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन) | 01-04-2023 | 30-09-2024 |
| श्री विवेक विश्वास वाठोडकर | कार्यकारी निदेशक (ओ एंड एम–डब्ल्यूआर) और क्षेत्रीय कार्यकारी | 01-04-2023 | 31-01-2025 |
| श्री संजीव कुमार | कार्यकारी निदेशक (आरएंडडी, एसडी, स्टार्टअप और रिन्यू) | 01-05-2023 | 31-10-2026 |
| श्री संजय अग्रवाल | कार्यकारी निदेशक (प्रशिक्षण) | 01-06-2023 | 30-06-2028 |
| श्री पंकज वालिया | कार्यकारी निदेशक (एफ एंड ए) | 01-07-2023 | 31-12-2023 |
| श्रीमती नलिनी मल्होत्रा | कार्यकारी निदेशक (एफ एंड ए) | 01-07-2023 | 31-01-2028 |
| श्री रतीश कुमार दास | प्रबंध निदेशक, सीयूजीएल/ईडी | 01-07-2023 | 31-10-2026 |

*28.11.2023 से निदेशक (व्यवसाय विकास) के रूप में नियुक्त

अनुलग्नक – ग

## निगमित शासन पर लेखापरीक्षक का प्रमाण–पत्र

**गेल (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों के लिए**

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम–2015") और लोक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश) द्वारा जारी किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देश, 2010 में निर्धारित है।

### प्रबंधन की जिम्मेदारी

निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी में सूचीबद्धता विनियम–2015 और डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

### लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

1. हमारी जिम्मेदारी निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन की जांच करने तक सीमित है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

2. कंपनी द्वारा निगमित शासन की आवश्यकताओं की शर्तों के अनुपालन पर उचित आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से हमने कंपनी द्वारा बनाए गए बही खातों और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच की है।

3. हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी विशेष उद्देश्यों (संशोधित 2016) के लिए रिपोर्ट या प्रमाण–पत्र पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार कंपनी के प्रासंगिक रिकॉर्ड की जांच की है। मार्गदर्शन नोट के लिए यह आवश्यक है कि हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता की नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें। हमने गुणवत्ता मानक (एसक्यूसी) 1, फर्मों के गुणवत्ता नियंत्रण, जो लेखापरीक्षा और ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी और अन्य आश्वासन और संबंधित सेवा संबद्धता की समीक्षा करती हैं, की प्रासंगिक लागू आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

### राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित को छोड़कर, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया है:

क) जैसा कि निगमित शासन रिपोर्ट के पैरा सं. 3x(ii) में कहा गया है, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना द्वारा सरकारी कंपनियों को धारा 134(3)(च) के प्रावधानों के अनुपालन के लिए प्रदान की गई छूट को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने सूचीबद्धता विनियम–2015 के विनियम 17(10) का अनुपालन नहीं किया है, जिसके लिए संपूर्ण निदेशक मंडल द्वारा स्वतंत्र निदेशकों और सूचीबद्धता विनियम, 2015 के विनियम 25(4) द्वारा निष्पादन मूल्यांकन अपेक्षित है, जिसके गैर–स्वतंत्र निदेशकों, अध्यक्ष और समग्र रूप से निदेशक मंडल के निष्पादन के संबंध में समीक्षा की आवश्यकता है। तथापि, सूचीबद्धता समझौते के तहत समान छूट भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में विचाराधीन है।

ख) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) के तहत गैर–अनुपालन के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है, जिसके खिलाफ कंपनी ने छूट के अनुरोध के साथ उत्तर प्रस्तुत किया है। बीएसई और एनएसई ने 14 दिसंबर, 2023 के पत्रों के माध्यम से विनियमन 23(9) (30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए) का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाया, जिसके लिए कंपनी ने जुर्माना माफ करने के लिए एनएसई के साथ मामला उठाया है।

हम आगे उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

### उपयोग पर प्रतिबंध

प्रमाणपत्र कंपनी के सदस्यों को केवल भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुपालन करने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है, और इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, हम किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिसे यह रिपोर्ट दिखाई गई है या जिसके हाथ में यह हमारी पूर्व लिखित सहमति के बिना आ सकती है, किसी भी दायित्व या देखभाल के किसी भी देयता या कर्तव्य को स्वीकार नहीं करते हैं।

**कृते गांधी मिनोचा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 00458N

हस्ता./–
**मनोज भारद्वाज**
(भागीदार)
सदस्यता सं.: 098606
यूडीआईएनः 24098606BKEHKZ4331

**कृते कीर्तने एंड पंडित एलएलपी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म नं.: 105215W/W100057

हस्ता./–
**चिराग गर्ग**
भागीदार
सदस्यता नं.: 540579
यूडीआईएनः 24540579BKGSRI8151

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 13 जून, 2024

अनुलग्नक –घ

## सचिवालय लेखा–परीक्षा रिपोर्ट
## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
## {कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में }

**सेवा में,**

**सदस्य,**

**गेल (इंडिया) लिमिटेड**

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में और **गेल (इंडिया) लिमिटेड** (जिसे बाद में गेल/कंपनी कहा गया है) द्वारा अच्छी कॉरपोरेट प्रथाओं के अनुपालन में सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से की गई कि इसने हमें कॉर्पोरेट संचालन/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन के लिए उचित आधार प्रदान किया और इस पर मैंने अपनी राय व्यक्त की है।

गेल के बही खातों, कागजात, लघु बही खातों, फॉर्म और दाखिल की गई रिटर्न तथा अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्ड और कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों को सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान, हम एतद्द्वारा यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह कि कंपनी में उचित बोर्ड–प्रक्रिया और अनुपालन–प्रणाली विद्यमान है और उसका नीचे दर्शाए अनुसार ढंग से अनुपालन किया गया है:

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए गेल द्वारा रखे गए बही–खातों, लघु बही खातों, फार्मों, दाखिल रिटर्न और अन्य अभिलेखों की प्रावधानों के अनुसार जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(iii) भंडार अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उप–नियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक इसके अधीन बनाए गए नियम एवं विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित नियम और दिशानिर्देश: –

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018;

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999;

(ड.) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2021;

(च) कंपनी अधिनियम और ग्राहक से निपटने के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993;

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को सूची से हटाना) विनियम, 2021;

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम, 2018;

(vi) कंपनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत की गई आंतरिक अनुपालन व्यवस्था के अंतर्गत आवधिक प्रमाण–पत्र के आधार पर कंपनी को सूचीबद्ध करने के लिए, नीचे सूचीबद्ध किए गए अन्य विशिष्ट लागू कानूनों (उद्योग के लिए लागू) के अधीन अनुपालन/प्रक्रिया/प्रणाली:

1) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934
2) पेट्रोलियम नियम, 2002
3) ऑयलफील्ड (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948
4) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959
5) पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम, 1962
6) विस्फोटक अधिनियम 1884 और भारतीय विस्फोटक नियम 1983
7) गैस सिलेण्डर नियम 2004
8) तेल उद्योग विकास अधिनियम, 1974
9) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, 2006
10) सॉल्वेंट, राफिनेट एंड स्लॉप (अधिग्रहण, बिक्री, संग्रहण और ऑटोमोबाइल में उपयोग की रोकथाम) आदेश, 2000
11) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए विशिष्टता) विनियम, 2008
12) पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और आपूर्ति का रखरखाव) आदेश, 1999
13) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और पर्यावरण (संरक्षण नियम, 1986)
14) खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और निपटान) नियम, 1989
15) ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000
16) जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर नियम, 1978
17) बैटरियां (प्रबंधन और निपटान) नियम, 2001
18) केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989
19) जल (प्रदूषण नियंत्रण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
20) वायु (प्रदूषण नियंत्रण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
21) खतरनाक रसायन निर्माण, संग्रहण और आयात नियम, 1989

22) एसएमपीवी (यू) नियम, 1999 द्वारा संशोधित अनुसार स्थिर और मोबाइल दबाव वेसल्स (अनफार्यड) नियम, 1981
23) भारतीय वन अधिनियम, 1927
24) ओजोन अवमूल्यन पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000
25) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
26) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951
27) भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी (वैश्विक समुद्री संकट और सुरक्षा प्रणाली का संचालन के लिए वाणिज्यिक रेडियो ऑपरेटर प्रमाण–पत्र दक्षता और लाइसेंस) नियम, 1994
28) भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933
29) खान अधिनियम, 1952
30) शस्त्र अधिनियम, 1959

हमने लागू खंडों के अनुपालन की भी निम्नानुसार जांच की है:

(क) भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी और केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित सचिवीय मानक।

(ख) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड के साथ इक्विटी सूचीकरण करार, एनएसई के साथ ऋण सूचीकरण करार तथा लंदन स्टॉक एक्सचेंज के साथ जीडीआर सूचीकरण करार; और

(ग) सीपीएसई (डीपीई दिशानिर्देश) के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देश।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन उपर्युक्त अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

**टिप्पणी सं. 1**

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1)(ख) और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.1 और 3.1.4 का अनुपालन न करना; कंपनी के पास 16.05.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की इष्टतम संख्या नहीं है।

**हम आगे रिपोर्ट करते हैं** कि कंपनी ने अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में 16.05.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि को छोड़कर, निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, जिसका गठन कंपनी अधिनियम, 2013, डीपीई दिशानिर्देश और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार किया जाना है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

**हम आगे रिपोर्ट करते हैं** कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

**हम आगे रिपोर्ट करते हैं** कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी में उपर्युक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव डालने वाली कोई विशिष्ट घटना/कार्य नहीं हुआ है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 17(1)/23(9) के तहत गैर–अनुपालन के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है जिसके विरुद्ध कंपनी ने छूट अनुरोधों के साथ प्रतिक्रियाएँ प्रस्तुत की हैं।

एनएसई और बीएसई ने विनियमन 17(1) के तहत गैर–अनुपालन के लिए जीएसटी सहित ₹27,14,000 का कुल जुर्माना लगाया है, अर्थात (एनएसई और बीएसई द्वारा ₹2,71,400 प्रत्येक, ₹5,42,800 प्रत्येक और ₹5,42,800 प्रत्येक) और प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के 23(9) के तहत गैर–अनुपालन के लिए जीएसटी सहित ₹5,900 प्रत्येक, निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित – अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न करना और संबंधित पार्टी लेनदेन के खुलासे को केवल एक दिन की देरी से प्रस्तुत करना। गेल ने जुर्माना माफ करने के लिए कदम उठाया है।

**कृते अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स,**
कंपनी सचिव,
आईसीएसआई विशिष्ट कोड: P2003DE049100
साथी समीक्षा प्रमाणपत्र सं. 2725/2022

हस्ता./–
**सीएस. गरिमा ग्रोवर**
भागीदार
एसीएस सं.: 27100
सी.पी.सं.: 23626

**दिनांक: 04.05.2024**
**स्थान: नई दिल्ली**
यूडीआईएन: A027100F000306566

इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो 'अनलग्नक क' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है।

**अनुलग्नक–क**

प्रति,

सदस्यगण,

**गेल (इंडिया) लिमिटेड**

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए।

(i) सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। लेखापरीक्षा के लिए हमारे सामने प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के हमारे निरीक्षण के आधार पर, इन सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है।

(ii) हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था। हम मानते हैं कि अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाएं और प्रथाएं हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।

(iii) हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है और हमारी रिपोर्ट में अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा पहले ही बताई गई टिप्पणियों/अभ्युक्तियों/कमियों को शामिल नहीं किया गया है।

(iv) जहां–कहीं आवश्यक था, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के होने के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

(v) कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी और हमारी राय देने के लिए कि कंपनी के पास उचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन–तंत्र है या नहीं।

(vi) सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

**कृते अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स,**
**कंपनी सचिव,**
**आईसीएसआई विशिष्ट कोडः च2003क049100**
**साथी समीक्षा प्रमाणपत्र सं. 2725/2022**

**हस्ता./–**
**सीएस गरिमा ग्रोवर**
**भागीदार**
**एसीएस सं.: 27100**
**सी.पी.सं.: 23626**

**दिनांकः 04.05.2024**
**स्थानः नई दिल्ली**

**अनुलग्नक–घ1**

सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में की गई टिप्पणियाँ तथा उस पर कंपनी की प्रतिक्रिया निम्नानुसार हैः

| क्र.सं. | टिप्पणियाँ/अभ्युक्तियां | कंपनी की प्रतिक्रिया |
|---|---|---|
| 1 | भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1)(ख) तथा डीपीई दिशा–निर्देशों के खंड 3.1.1 और 3.1.4 का गैर–अनुपालनः कंपनी में 16.05.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की इष्टतम संख्या नहीं है। | स्वतंत्र निदेशकों की संख्या में कमी कंपनी द्वारा किसी लापरवाही या चूक के कारण नहीं थी तथा कंपनी ने जुर्माने की छूट का अनुरोध किया है। सरकारी कंपनी होने के कारण, सभी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) को नामितधनियुक्त करने का अधिकार भारत सरकार के पास है। गेल नियमित रूप से अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए भारत सरकार के साथ बातचीत कर रहा है। |
| 2 | एनएसई और बीएसई ने विनियमन 17(1) के तहत गैर–अनुपालन के लिए जीएसटी सहित ₹ 27,14,000 का कुल जुर्माना लगाया है, अर्थात (एनएसई और बीएसई द्वारा ₹ 2,71,400 प्रत्येक, ₹ 5,42,800 प्रत्येक और एनएसई और बीएसई द्वारा ₹ 5,42,800 प्रत्येक) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियिम, 2015 के विनियम 23(9) के तहत गैर–अनुपालन के लिए जीएसटी सहित ₹ 5,900 प्रत्येक, जो निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित है – अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न करना और संबंधित पार्टी लेनदेन के खुलासे को केवल एक दिन के लिए प्रस्तुत करने में देरी। गेल ने जुर्माना माफ करने का मामला उठाया है। | सरकारी कंपनी होने के नाते, सभी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) को नामित/नियुक्त करने का अधिकार भारत सरकार के पास है और स्वतंत्र निदेशकों की संख्या में कोई कमी कंपनी की किसी लापरवाही या चूक के कारण नहीं थी। कंपनी ने जुर्माना माफ करने का मामला उठाया है।<br><br>संबंधित पक्ष लेनदेन के संबंध में विनियम 23(9) के तहत प्रकटीकरण देर से प्रस्तुत करने के संबंध में गैर–अनुपालन कंपनी की किसी लापरवाही/चूक के कारण नहीं था, बल्कि एनईएपीएस पोर्टल पर आई तकनीकी समस्याओं के कारण था। कंपनी 31 अक्तूबर, 2023 को संबंधित पक्ष लेनदेन का प्रकटीकरण दाखिल नहीं कर सकी। तथापि, इसे 1 नवंबर, 2023 को सफलतापूर्वक दाखिल कर दिया गया। कंपनी ने जुर्माना माफ करने का मामला उठाया है। |

कंपनी ने ऊपर उल्लिखित को छोड़कर वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनिवार्य आवश्यकताओं का पूरी तरह से अनुपालन किया।

गेल पाता पेट्रोकेमिकल्स संयंत्र

**अनुलग्नक – ङ.**

# निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों (कंपनी {निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण, (किसी भी सांविधिक आंशोधन(नों) या वर्तमान में लागू पुनः अधिनियमन सहित}) पर वार्षिक रिपोर्ट,

**1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा**

आपकी कंपनी स्थानीय आबादी का जीवन स्तर बढ़ाने और आर्थिक कल्याण करने के लिए, सीएसआर परियोजनाओं को शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है जो अपने कार्य केंद्रों और उसके आसपास के समुदायों को लाभान्वित करती हैं और समय के साथ परिणाम देती हैं। आपकी कंपनी उभरते मुद्दों की पहचान करने, परियोजनाओं को विकसित करने और चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के प्रयास में समुदायों, सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य के साथ सहयोग करते हुए एक बहु–हितधारक दृष्टिकोण अपनाती है। आपकी कंपनी स्थिरता, मापनीयता और पारदर्शिता को अधिकतम करने के लिए अपने सीएसआर कार्यकलापों को पहचानने, उन्हें लागू करने, बनाए रखने और निगरानी में सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने का प्रयास करती है। आपकी कंपनी का मानना है कि, यह लोगों की जरूरतों को पूरा करने, समुदायों को लाभान्वित करने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कार्य कर रही है जो अंततः व्यापक समुदाय को सतत प्रगति के लक्ष्य की ओर ले जाएगा।

कंपनी के दृष्टिकोण के अनुरूप, सीएसआर नीति इस बात पर बल देती है कि अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से, आपकी कंपनी समाज/समुदाय में मूल्य सृजन को बढ़ाने का प्रयास करती है, जिसमें वह पर्यावरण की चिंता करते हुए समुदाय और समाज के लिए निरंतर विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी सेवाओं, आचरण और पहल के माध्यम से काम करती है।

सीएसआर कार्यक्रमों की पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ निगरानी तंत्र मौजूद है। साइट का दौरा, नियमित परियोजना रिपोर्टिंग, दस्तावेजी साक्ष्य, परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि जैसी विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से समय–समय पर निगरानी की जाती है।

जबकि आपकी कंपनी ने हमारे व्यावसायिक क्षेत्रों के आसपास के समुदायों के साथ काम करने के हमारे अनुभव के आधार पर, क़ानून की अनुसूची VII में पहचाने गए विभिन्न विषयों और क्षेत्रों पर सीएसआर परियोजनाओं और कार्यक्रमों को शुरू किया है, आपकी कंपनी ने अनुसूची में निर्धारित क्षेत्रों में से हस्तक्षेप किए जाने वाले सात प्रमुख क्षेत्रों को चुना है। ये सात **प्रमुख क्षेत्र** हमारे सभी सीएसआर कार्यकलापों के मूल में हैं, और इन्हें ठीक ही गेल हृदय कहा गया है।

Our CSR Umbrella

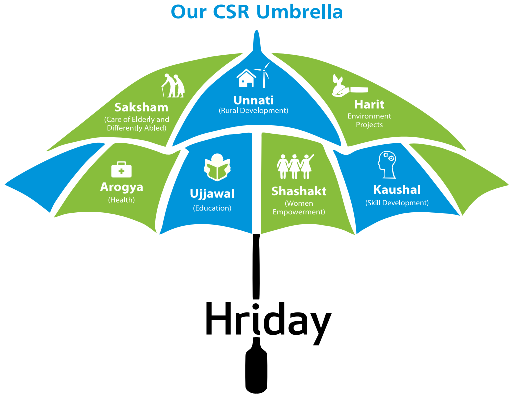


गेल का सीएसआर सिद्धांत

आपकी कंपनी की सीएसआर पहल से वित्त वर्ष 2023–24 में देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में 13 लाख से अधिक लोगों को लाभ हुआ है।

गेल आरोग्य के तहत, मोबाइल मेडिकल यूनिट के संचालन के माध्यम से घर–घर जाकर चिकित्सा देखभाल सुविधा प्रदान करके वंचित आबादी तक स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं का विस्तार किया गया, जिसमें एमसीआई पंजीकृत एमबीबीएस डॉक्टर, फार्मासिस्ट और एएनएम सहित पेशेवरों की योग्य टीम है, एसटीआई क्लीनिकों का संचालन, कुपोषित महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण किटों के वितरण, स्वास्थ्य शिविरों, सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों की खरीद, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं के लिए सहायता प्रदान की गई। आपकी कंपनी द्वारा की गई विभिन्न स्वास्थ्य पहलों ने मौजूदा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में अंतराल को पाटने में मदद की है और वर्ष के दौरान लगभग 12 लाख लोगों के जीवन को लाभ पहुँचाया है।

गेल कौशल के अंतर्गत लगभग 1500 व्यक्तियों को हाइड्रोकार्बन क्षेत्र, प्लास्टिक उत्पाद विनिर्माण, सैंपलिंग टेलर, दिव्यांगजनों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि से संबंधित व्यवसायों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इनमें से अधिकांश प्रशिक्षित लाभार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में लाभकारी रोजगार मिला है, जिनमें से प्रत्येक लाभार्थी अपने–अपने घरों में परिवर्तन, विकास और बेहतर अवसरों का माध्यम बन गया है।

गेल उज्ज्वल के तहत सीएसआर पहलों ने विभिन्न बुनियादी ढांचे के समर्थन, स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना, सुरक्षित पेयजल तक पहुंच प्रदान करने, एसटीईएम संसाधन केंद्रों की स्थापना, किशोर लड़कियों के लिए सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों की स्थापना और शैक्षिक डेस्क के साथ अभिनव स्कूल बैग के वितरण के माध्यम से सरकारी स्कूलों, ग्रामीण और शहरी मलिन बस्तियों में वंचित छात्रों को शिक्षा को बढ़ावा देकर 11200 से अधिक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सहायता की। गेल उत्कर्ष परियोजना के तहत 210 छात्रों को 3 उत्कर्ष केंद्रों– कानपुर, वाराणसी और हल्द्वानी में इंजीनियरिंग/मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए मुफ्त आवासीय कोचिंग प्रदान की गई। वित्त वर्ष 2023–24 के लाभार्थियों के बैच के लिए, परियोजना के तहत इंजीनियरिंग परीक्षा के लिए नामांकित कुल 180 छात्रों में से 174 छात्रों ने जेईई मेन्स (97% बैच परिणाम) उत्तीर्ण किया। इसके अलावा, मेडिकल प्रवेश परीक्षा कोचिंग के लिए नामांकित सभी 30 छात्राओं ने नीट (100: बैच परिणाम) उत्तीर्ण किया है।

गेल सक्षम के तहत लगभग 1780 दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) को क्षमता निर्माण और कौशल विकास सहायता के साथ सहायक उपकरण प्रदान किए गए। इस पहल ने दिव्यांगजनों को आत्मविश्वास और सम्मान की भावना हासिल करने, दूसरों पर निर्भरता कम करने के साथ–साथ आजीविका के अवसरों तक अधिक पहुंच हासिल करने में सशक्त बनाने में मदद की है।

गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए, गेल सीएसआर ने अपनी हरित पहल के तहत वाराणसी नगर निगम के सहयोग से पेट्रोल/डीजल से चलने वाली नावों को पर्यावरण अनुकूल कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस (सीएनजी) नावों में बदलने की दिशा में अपना समर्थन जारी रखा है। गेल ने खोरदा में 2 सीएनजी शवदाह गृह और ओडिशा के कटक जिले में 01 सीएनजी शवदाह गृह के निर्माण में भी सहयोग दिया है, जिससे स्थानीय लोगों के अंतिम संस्कार के लिए पर्यावरण अनुकूल ईंधन का विकल्प उपलब्ध हो सके। गेल सीएसआर ने अस्पताल और सार्वजनिक सेवा भवन के विस्तार के माध्यम से श्री बद्रीनाथ धाम शहर को आध्यात्मिक स्मार्ट शहर के रूप में निर्माण और पुनर्विकास के लिए भी अपना समर्थन जारी रखा है, जो तीर्थयात्रियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक अत्याधुनिक सुविधा होगी।

**सीएसआर के तहत सहयोगात्मक परियोजनाएं**

अपनी सहयोगी पहलों के भाग के रूप में, आपकी कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में छह कौशल विकास संस्थानों (एसडीआई) अर्थात् एसडीआई – रायबरेली, भुवनेश्वर, कोच्चि, विशाखापत्तनम, अहमदाबाद और गुवाहाटी को सहायता दी है। ये एसडीआई पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधान में सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से स्थापित किए गए हैं और भारत सरकार के "कौशल भारत मिशन" के अनुरूप हैं। वित्त वर्ष 2023–24 में, आपकी कंपनी ने 02 कौशल विकास संस्थानों (एसडीआई) अर्थात एसडीआई–रायबरेली और भुवनेश्वर के परिचालन व्यय के लिए ₹2.25 करोड़ की सहायता दी है।

**वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कुल सीएसआर व्यय ₹175.71 करोड़ है, अर्थात पिछले वित्तीय वर्षों के अतिरिक्त व्यय को समायोजित करने के बाद पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2.47%।**

इसके अलावा, अन्य अनिवार्य सीएसआर लक्ष्यों के संबंध में स्थिति इस प्रकार है:

| मद | वास्तव में प्राप्त (₹ करोड़ में) |
|---|---|
| वित्त वर्ष 2023–24 में कुल सीएसआर व्यय | 175.71 crs (2.47 %) |
| विषयगत क्षेत्रः (स्वास्थ्य और पोषण)<br>– लक्ष्य के मुकाबले 60 % कुल सीएसआर खर्च अर्थात ₹ 105.43 करोड़ | 118.78 करोड़ |
| स्वच्छता कार्य योजना. | 36.67 करोड़ |
| आकांक्षी जिले | 24.22 करोड़ |

सीएसआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और सीएसआर नीति के अनुपालन में है। इसके अलावा, सीएसआर गतिविधियों के लिए वितरित निधि का उपयोग बोर्ड द्वारा

## 2. सीएसआर समिति की संरचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के प्रावधानों के अनुपालन में, 31.03.2024 को बोर्ड की सीएसआर समिति में निम्नलिखित शामिल हैं:

| क्र. सं. | निदेशक का नाम | पदनाम/ निदेशकता की प्रकृति | वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या | वर्ष के दौरान भाग लेने के लिए पात्र सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या | वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या में भाग लिया |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | श्री संदीप कुमार गुप्ता | अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक/ अध्यक्ष सीएसआर समिति | 7 | 7 | 7 |
| 02. | श्री आयुष गुप्ता | निदेशक (एचआर)/सदस्य, सीएसआर समिति | 7 | 7 | 6 |
| 03. | श्री अखिलेश जैन | स्वतंत्र निदेशक/सदस्य, सीएसआर समिति | 7 | 7 | 7 |
| 04. | श्री संजय कश्यप | स्वतंत्र निदेशक/सदस्य, सीएसआर समिति | 7 | 7 | 7 |

## 3. वेब–लिंक प्रदान करें जहां कंपनी की वेबसाइट पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाओं की संरचना का खुलासा किया गया है।

(i) सीएसआर समिति की संरचना का वेब–लिंक: https://gailonline.com/RTI.html

(ii) सीएसआर नीति का वेब–लिंक: https://gailonline.com/CSRPolicy.html

(iv) बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का वेब–लिंक: https://www.gailonline.com/pdf/CSR/GAILCSRProjectsFY202324.pdf

## 4. कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014, यदि लागू हो तो नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन के वेब–लिंक के साथ कार्यकारी सारांश प्रदान करें।

कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में, वित्त वर्ष 2023–24 में पात्र सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा किया गया है। रिपोर्ट इस लिंक पर उपलब्ध हैं: https://www.gailonline.com/CSRIndex.html. वर्तमान में पात्र सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का कार्य चल रहा है। कार्य पूरा होने पर, इसे बोर्ड की सीएसआर समिति के समक्ष रखा जाएगा तथा इसे उपरोक्त लिंक पर वेबहोस्ट भी किया जाएगा।

5. (क) धारा 135 की उप–धारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ: ₹ 7538.29 करोड़
   (ख) धारा 135 की उप–धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: ₹ 150.77 करोड़
   (ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष – शून्य
   (घ) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो: ₹ 8.32 करोड़
   (ड.) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (ख+ग–घ): ₹ 142.45 करोड़
6. (क) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चालू परियोजना और चालू परियोजना के अलावा दोनों): खर्च की गई राशि – ₹ 167.68 करोड़
   (ख) प्रशासनिक उपरि शीर्ष में खर्च की गई राशि: ₹ 8.03 करोड़
   (ग) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो: शून्य
   (घ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (क+ख+ग): ₹ 175.71 करोड़
   (ड.) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:

| वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (₹ करोड़ में) | अव्ययित राशि (₹ करोड़ में) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | धारा 135 की उप–धारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि। | | धारा 135 की उप–धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में हस्तांतरित राशि | | |
| | राशि | अंतरण की तारीख | निधि का नाम | राशि | अंतरण की तारीख |
| 175.71 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

(च) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

| क्र. सं. | विवरण | राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|
| (i) | धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत (पिछले वर्षों के अतिरिक्त व्यय की भरपाई के बाद) | 142.45 |
| (ii) | वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि | 175.71 |
| (iii) | वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)] | 33.26* |
| (iv) | पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो | शून्य |
| (v) | आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)] | 33.26 |

*उपरोक्त 5(ड.) के अनुसार वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कुल सीएसआर दायित्व ₹142.45 करोड़ है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि की गणना तदनुसार ₹33.26 करोड़ (₹175.71 करोड़ – ₹142.45 करोड़) के रूप में की गई है।

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण: शून्य
8. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई या अर्जित की गई है: शून्य, गेल के लिए सीएसआर के माध्यम से कोई परिसंपत्ति बनाई या अर्जित नहीं की गई है।

   यदि हाँ, तो सृजित/अर्जित पूंजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें – शून्य

   वित्तीय वर्ष में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई ऐसी परिसंपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें:

| क्र. सं. | संपत्ति या परिसंपत्ति का संक्षिप्त विवरण (संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) | संपत्ति या परिसंपत्ति का पिनकोड | सृजन की तारीख | खर्च की गई सीएसआर राशि (₹ में) | पंजीकृत मालिक की कंपनी/प्राधिकारी/लाभार्थी का विवरण | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | |
| | | | | | सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो | नाम | पंजीकृत पता |
| लागू नहीं | | | | | | | |

(सभी फील्ड को राजस्व रिकॉर्ड में प्रदर्शित होने के अनुसार लिया जाना चाहिए, फ्लैट नंबर, मकान नंबर, नगर निगम कार्यालय/नगर निगम/ग्राम पंचायत को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और अचल संपत्ति के क्षेत्र के साथ–साथ सीमाएं भी निर्दिष्ट की जानी चाहिए)

9. यदि कंपनी धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण निर्दिष्ट करें: लागू नहीं।

हस्ता../–
**आयुष गुप्ता**
**निदेशक (एचआर)**
**(डीआईएन: 09681775)**

हस्ता../–
**संदीप कुमार गुप्ता**
**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
**और अध्यक्ष, सीएसआर समिति**
**(डीआईएन: 07570165)**

अनुलग्नक–च

# कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के अनुसार ऊर्जा, प्रौद्योगिकी अपनाने और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय का संरक्षण

## क. ऊर्जा का संरक्षण

### I. ऊर्जा के संरक्षण पर उठाए गए कदम या प्रभाव

एक जिम्मेदार ऊर्जा कंपनी के रूप में, गेल अपने ग्राहकों को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। यह आईएसओ–50001: ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली का पालन करते हुए अपने कार्य केंद्रों पर ऊर्जा–बचत उपायों को एकीकृत करने और उन्नत तकनीकों का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करता है। ऊर्जा की खपत को कम करना और पर्यावरण की रक्षा करना मुख्य व्यावसायिक लक्ष्य हैं। इसमें सुधार के क्षेत्रों को खोजने के लिए ऊर्जा ऑडिट और बेंचमार्किंग अध्ययन करना शामिल है।

गेल की देश भर में विभिन्न सुविधाओं पर लागू किए गए कुछ प्रमुख ऊर्जा संरक्षण उपाय इस प्रकार हैं:

**क. कंप्रेसर स्टेशनों पर ग्रिड बिजली आपूर्ति की शुरूआत:**

(i) विजयपुर–दादरी पाइपलाइन पर चैनसा कंप्रेसर स्टेशन ने जुलाई 2023 में जीईजी (गैस इंजन जेनरेटर) पावर से ग्रिड पावर में परिवर्तन किया है। इस कदम से यह लगभग 18,65,000 किलोवाट घंटे की वार्षिक विद्युत ऊर्जा बचत करने में सक्षम हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर ऊर्जा प्रबंधन के माध्यम से जीईजी में ईंधन गैस की बचत हुई है।

(ii) फरवरी 2024 तक जीईजी पावर से ग्रिड पावर में स्विच करने के लिए झाबुआ कंप्रेसर स्टेशन पर भी इसी तरह की योजना लागू की गई है। यह बदलाव लगभग 29,28,000 किलोवाट घंटे की वार्षिक ऊर्जा बचत और समकक्ष ईंधन गैस की बचत में महत्वपूर्ण कमी लाने में योगदान देगा।

**ख) हजीरा में गैस आफ्टर कूलर (जीएसी) संचालन का स्वचालन:**

हजीरा कंप्रेसर स्टेशन ने पीएलसी लॉजिक नियंत्रण के माध्यम से जीटीसी में जीएसी फैन मोटर्स के संचालन को स्वचालित कर दिया है। यह प्रणाली पंखों को सक्रिय और निष्क्रिय करने के लिए मुख्य मापदंड के रूप में तापमान का उपयोग करती है। इस उन्नयन के परिणामस्वरूप, पर्याप्त विद्युत ऊर्जा की बचत हुई है क्योंकि चलाने के लिए आवश्यक जीएसी पंखों की संख्या अनुकूलित और स्वचालित है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए अनुमानित ऊर्जा बचत लगभग 2,75,940 कि.वाट है।

**ग) पुराने उपकरणों को आधुनिक और नई पीढ़ी के ऊर्जा कुशल उपकरणों से बदलना:**

गेल के सभी प्रतिष्ठानों में पुराने और अकुशल एयर–कंडीशनिंग या प्रकाश व्यवस्था की पहचान करने और उन्हें नई पीढ़ी और ऊर्जा कुशल उपकरणों से बदलने का निरंतर अभियान चल रहा है। इस दिशा में, कुछ प्रतिष्ठानों में पारंपरिक एचपीएमवी/एचपीएसवी लैंप और अन्य प्रकाश व्यवस्था प्रणालियों को ऊर्जा कुशल एलईडी फिटिंग और प्रकाश व्यवस्था के साथ बदलने/रिट्रोफिटिंग करने से प्रति वर्ष लगभग 10,32,471 किलोवाट घंटे की अनुमानित ऊर्जा बचत होने की उम्मीद है।

**क) प्रचालन में लचीलेपन के लिए झाबुआ कंप्रेसर स्टेशन में संशोधन:**

गेल झाबुआ कंप्रेसर स्टेशन में कंप्रेसर सक्शन पर दबाव में कमी लाने के लिए एक मामूली सा आंतरिक संशोधन किया गया है और इससे लगभग 3705 एससीएमडी ईंधन गैस की बचत होने की उम्मीद है।

### ii. ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम:

**क) गेल का अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो:** गेल के पास 118 मेगावाट पवन ऊर्जा और 17 मेगावाट सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता है। उत्पादित सभी सौर ऊर्जा (रामगढ़, जैसलमेर में 5 मेगावाट संयंत्र को छोड़कर) केवल कैप्टिव उपयोग और आंतरिक रूप से खपत के लिए है। इसके अलावा, गेल के कुल अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो में से गुजरात में पवन ऊर्जा की 19.2 मेगावाट स्थापित क्षमता से उत्पादित बिजली को निम्नलिखित गेल प्रतिष्ठानों में खपत के लिए गेटको नेटवर्क के माध्यम से भेजा जा रहा है:

- हजीरा
- गांधार
- वाघोडिया
- समाखियाली
- कांडला

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान गेल द्वारा उत्पादित कुल अक्षय ऊर्जा लगभग 201 मिलियन यूनिट है।

**ख) नई नवीकरणीय ऊर्जा का समावेश:** गेल के विभिन्न प्रतिष्ठानों में, 1,489 किलोवाट पावर के समतुल्य कई ग्रिड–कनेक्टेड और ऑफ–ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं और निम्नलिखित विवरण के अनुसार नवीकरणीय सौर ऊर्जा का दोहन करने के लिए चालू किए गए हैं।

- **जेएलपीएल नेटवर्क:** 601 किलोवाट ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र
- **वडोदरा:** 139 किलोवाट ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र
- **कैलारस:** 7.5 किलोवाट ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र
- **खेड़ा:** 22 किलोवाट ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र
- **चैनसा:** 348 किलोवाट ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र
- **चेरलापल्ली:** 131 किलोवाट ग्रिड से जुड़े (नेट मीटरिंग) सौर ऊर्जा संयंत्र
- **केकेबीएमपीएल:** 5 किलोवाट ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र
- **मुंबई:** 100 किलोवाट ऑफ ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र
- **हजीरा:** 135 किलोवाट ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र

**ग) हरित हाइड्रोजन परियोजना:** गेल ने 10 मेगावाट प्रोटॉन एक्सचेंज पर आधारित 4.3 टीपीडी हरित हाइड्रोजन परियोजना शुरू की है गेल विजयपुर में मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण कार्य पूरा होने के अंतिम चरण में है। यह पीईएम इलेक्ट्रोलाइजर आज भारत में क्रियान्वित किए जा रहे सबसे बड़े आकार के इलेक्ट्रोलाइजर में से एक है और यह गेल द्वारा ऊर्जा परिवर्तन मार्ग की ओर कदम बढ़ाने की शुरुआत है।

**घ) कार्यान्वयन के अंतर्गत नई परियोजनाएँ:** गेल विजयपुर में निम्नलिखित 20 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएँ भी

गेल में कार्यान्वयन के अधीन हैं और अगले 1–2 वर्षों में चालू होने की उम्मीद है:

- 10 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सौर परियोजना
- कच्चे पानी के जलाशयों पर 7.8 मेगावाट फ्लोटिंग सौर परियोजना
- 1.8 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजना

**iii. ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश**

वर्ष के दौरान ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश लगभग ₹180 करोड़ है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:

| क्र. सं. | परियोजना का संक्षिप्त विवरण | पूंजी निवेश (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|
| 1 | चैनसा और झाबुआ में ग्रिड कनेक्टिविटी | 5.73 |
| 2. | विजयपुर में ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना | 149.63 |
| 3 | विजयपुर में 10 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर परियोजना (कार्यान्वयन के अधीन) | 21.25 |
| 4 | गेल के विभिन्न प्रतिष्ठानों में रूफ टॉप सोलर पावर सिस्टम | 3.22 |
| 5 | पुराने उपकरणों को नए ऊर्जा कुशल उपकरणों से बदलना/रिट्रोफिटिंग | 0.42 |
| **कुल** | | **180.25** |

## ख. प्रौद्योगिकी अपनाना

**I. प्रौद्योगिकी अपनाने की दिशा में किए गए प्रयास:**

गेल की नीति समय–समय पर स्थापित उपकरणों/यंत्रों की तकनीक के पुराना होने की समीक्षा करने और उन्हें नवीनतम अत्याधुनिक, विश्वसनीय और सुरक्षित प्रणालियों के साथ अपग्रेड करने की है। गेल द्वारा अपनाई गई प्रमुख तकनीकों में निम्नलिखित शामिल हैं:

**आयातित प्रौद्योगिकी**

1. **10 मेगावाट पीईएम इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग करके 4.3 टीपीडी ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना की स्थापना:** राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप, गेल ने 10 मेगावाट प्रोटॉन या पॉलिमर एक्सचेंज मेम्ब्रेन (पीईएम) प्रौद्योगिकी पर आधारित 4.3 टीपीडी ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का कार्यान्वयन किया है। परियोजना से उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन का सबसे पहले गेल के कार्बन उत्सर्जन को समायोजित करने के लिए आंतरिक रूप से उपभोग किया जाएगा और हाइड्रोजन की आवश्यकता वाले अन्य उपभोक्ताओं को आपूर्ति भी ग्रीन हाइड्रोजन बाजार विकास के भाग के रूप में सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

2. **विजयपुर में लघु–स्तरीय एनजी द्रवीकरण (एसएसएलएनजी) संयंत्र की स्थापना:** गेल ने 18 टीपीडी एलएनजी का उत्पादन करने के लिए नवंबर, 2023 में विजयपुर में एक प्रायोगिक परियोजना में भारत का पहला लघु–स्तरीय एलएनजी संयंत्र चालू किया है। एसएसएलएनजी संयंत्र की परिकल्पना पाइपलाइन से जुड़े नहीं होने वाले भौगोलिक क्षेत्रों में नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास को सुगम बनाने के लिए की गई है और साथ ही दूरदराज/अलग–थलग स्थानों पर छोटे प्राकृतिक गैस स्रोतों के मुद्रीकरण का मार्ग प्रशस्त करने और एलएनजी ईंधन स्टेशनों की स्थापना में सहायता करने के लिए की गई है। ये प्रयास भारत के प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस के अनुपात को बढ़ाने की व्यापक पहल का हिस्सा हैं।

**स्वदेशी प्रौद्योगिकी**

**गैस प्रवाह मीटरिंग के लिए डिजिटल ट्विन**

गैस प्रवाह मीटरिंग के लिए गेल ने एक आंतरिक डिजिटल ट्विन सॉफ्टवेयर विकसित किया है। गैस माप के लिए डिजिटल ट्विन सॉफ्टवेयर गेल में उद्योग 4.0 पहल कार्यान्वयन के अनुरूप है। यह आंतरिक रूप से विकसित सॉफ्टवेयर बाजार में उपलब्ध किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर की तुलना में कार्यक्षमताओं की व्यापक रेंज को कवर करता है। इस प्रणाली को 12 माप प्रणालियों में लगाया गया है और वर्तमान में इसे अतिरिक्त 25 माप प्रणालियों में लगाया जा रहा है। परिकल्पित लाभों में निम्नलिखित शामिल हैं:

क) संभावित विफलताओं या अशुद्धियों का शीघ्र पता लगाने के माध्यम से माप त्रुटियों की रोकथाम।

ख) स्वचालित/ऑनलाइन सत्यापन के माध्यम से गैस माप प्रणालियों के संचालन में मानवीय त्रुटि को समाप्त करते हुए सटीकता की गारंटी।

ग) ब्रेकडाउन और रखरखाव से जुड़ी लागत में कमी।

घ) विफलताओं के बीच लंबा औसत समय (एमटीबीएफ)।

ड.) बेहतर सिस्टम विश्वसनीयता।

**II. उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ प्राप्त:**

विभिन्न गेल यूनिटों द्वारा प्रौद्योगिकी परिनियोजन/तकनीकी उन्नयन के माध्यम से विभिन्न लाभ प्राप्त किए गए हैं जैसे:

क) संसाधनों के अनुकूलन के माध्यम से ऊर्जा दक्षता में सुधार

ख) जलवायु परिवर्तन के मुद्दों और डीकार्बोनाइजेशन का समाधान करना।

ग) सिस्टम अप्रचलन प्रबंधन

घ) बेहतर सिस्टम विश्वसनीयता

ड.) उन्नत प्रक्रिया सुरक्षा और संरक्षा तैयारी

च) आत्मनिर्भर भारत बनाने में योगदान

छ) बेहतर विनियामक अनुपालन

**III. आयातित प्रौद्योगिकी (वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित) के मामले में, निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत दी जाए:**

1. कनाडा से हाइड्रोजन के लिए पीईएम इलेक्ट्रोलाइजर
2. अर्जेंटीना से छोटे पैमाने पर एलएनजी द्रवीकरण संयंत्र

**IV. अनुसंधान एवं विकास/नवाचार पहल पर व्यय**

गेल विभिन्न अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोगात्मक तरीके से अनुसंधान कार्यों को आगे बढ़ाने और विभिन्न गेल सुविधाओं पर नवीन विकासात्मक परियोजनाओं को लागू करने के लिए अनुसंधान एवं विकास/नवाचार पहल के लिए पर्याप्त बजट आवंटित करता है।

इस वर्ष गेल ने अनुसंधान एवं विकास/नवाचार पहल के तहत ₹250.20 करोड़ खर्च किए हैं।

## ग. विदेशी मुद्रा आय और मुद्रा व्यय

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान विदेशी मुद्रा आय ₹ 14,017.39 करोड़ और व्यय ₹ 49,466.03 करोड़ रही, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान विदेशी मुद्रा आय ₹ 28,136.38 करोड़ और व्यय ₹ 69,228.61 करोड़ रही।

**अनुलग्नक–छ**

## प्रपत्र सं. एओसी–2

(अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (ज) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

**कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में संदर्भित उसके तीसरे प्रावधान के अंतर्गत कुछ नजदीकी लेनदेनों सहित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटन के लिए प्रपत्र**

1. **ऐसे अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेनों का विवरण जो स्वतंत्र नहीं हैं –**

   गेल (इंडिया) लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान सबंधित पक्षों, जो स्वतंत्र नहीं हैं, के साथ कोई अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन नहीं किया है।

2. **स्वतंत्र आधार पर सामग्री अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेनों का विवरण**

   क. **संबंधित पक्ष का नाम और संबंध का प्रकार** – पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) जो गेल (इंडिया) लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है।

   ख **अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों का प्रकार** – रिगैसिफाइड तरलीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) की खरीद और एलएनजी गैसीकरण टर्मिनल(लों) की रिगैसिफिकेशन सुविधाओं का उपयोग

   ग. **अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की अवधि** – दिनांक 26.09.2003, 31.03.2010 (15.12.2017 को संशोधित) का रिगैसीकरण बिक्री क्रय करार तथा दिनांक 06.09.2012 का गैस क्रय करार, जो चल रहा है।

   घ. **मूल्य, यदि कोई हो, सहित अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेनों की विशेष शर्तें** – पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड द्वारा रिगैसिफिकेशन सुविधाएं, आरएलएनजी की आपूर्ति (दीर्घकालीन और तत्काल) प्रदान की जानी थी। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के साथ लेनदेन वित्तीय वर्ष 2023–24 में लगभग ₹ 30,884.34 करोड़ था।

   ङ. **निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन, यदि कोई हो, की तारीख** – लागू नहीं, क्योंकि अनुबंध कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में और स्वतंत्र था।

   च. **अग्रिमों के तौर पर अदा की गई राशि, यदि कोई हो** – शून्य

कृते बोर्ड और उनकी ओर से

हस्ता./–
**संदीप कुमार गुप्ता**
**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
**(डीआईएनः 07570165)**

# व्यवसाय उत्तरदायित्व और सतत विकास रिपोर्ट

गुजरात में गेल की गलियाना ई एवं पी फील्ड

# व्यवसाय उत्तरदायित्व और सतत विकास रिपोर्ट (बीआरएसआर) वित्त वर्ष 2023–24

## Hkkx d% lkekU; i;dVhdj.k

### I. सूचीबद्ध कंपनी का विवरण

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सूचीबद्ध कम्पनी की कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) : | L40200DL1984GOI018976 |
| 2. | सूचीबद्ध कम्पनी का नाम : | गेल (इंडिया) लिमिटेड |
| 3. | गठन का वर्ष : | 16/08/1984 |
| 4. | पंजीकृत कार्यालय पता : | 16, भीकाएजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066 |
| 5. | कॉरपोरेट पता : | 16, भीकाएजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066 |
| 6. | ई–मेल पता : | shareholders@gail.co.in |
| 7. | दूरभाष नम्बर : | + 91 1126182955 |
| 8. | वेबसाइट : | https://www.gailonline.com |
| 9. | वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है : | 2023–24 |
| 10. | स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं : | इक्विटी शेयर एनएसई और बीएसई में सूचीबद्ध<br>जीडीआरएस एलएसई में सूचीबद्ध है |
| 11. | प्रदत्त पूंजी : | 6,575.10 करोड़ रुपए |
| 12. | उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है: | |
| | नाम : | परिवेश चुग |
| | पदनाम : | कार्यकारी निदेशक (एसडी एवं नवीकरणीय) |
| | टेलीफोन नंबर : | 0120–2446400 |
| | ईमेल आईडी : | sustainability@gail.co.in |
| 13. | रिपोर्टिंग सीमा – क्या इस रिपोर्ट के तहत प्रकटीकरण पृथक आधार पर (अर्थात, केवल कंपनी के लिए) या समेकित आधार पर (अर्थात, कंपनी और सभी संस्थाओं के लिए जो एक साथ समेकित वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाते हैं) किया गया था। | पृथक |
| 14. | आश्वासन प्रदाता का नाम | एसआर एशिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश |
| 15. | प्राप्त आश्वासन का प्रकार | टाइप II उच्च आश्वासन/उचित आश्वासन |

### II. उत्पाद/सेवाएं

**16. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण** (कारोबार के 90% का लेखांकन)**:**

| क्र. सं. | मुख्य गतिविधि का विवरण | व्यावसायिक गतिविधि का विवरण | कंपनी के कारोबार का % |
|---|---|---|---|
| 1 | प्राकृतिक गैस विपणन | प्राकृतिक गैस, जैव ईंधन का विपणन | 82 |
| 2 | प्राकृतिक गैस और एलपीजी ट्रांसमिशन | पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस और एलपीजी का ट्रांसमिशन | 08 |
| 3 | पेट्रोकेमिकल्स | पॉलीएथीलिन का उत्पादन और विपणन | 06 |
| 4 | अन्य तरल हाइड्रोकार्बन (एलएचसी) उत्पादन | एलपीजी, प्रोपेन, पेंटेन, नेफ्था आदि का उत्पादन और विपणन | 03 |
| 5 | नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य | बिजली (पवन और सौर ऊर्जा) का उत्पादन तथा विद्युत क्रय करार (पीपीए) के माध्यम से बिक्री | 01 |

**17. कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं (कंपनी के कारोबार के 90% के लिए लेखांकन)**

| क्र. सं. | उत्पाद/सेवा | एनआईसी कोड | कुल कारोबार का % योगदान |
|---|---|---|---|
| 1 | ठोस, तरल और गैसीय ईंधन और संबंधित उत्पाद – कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (एनजी ट्रेडिंग) | 99611912 | 82 |
| 2 | प्राकृतिक गैस (एनजी ट्रांसमिशन) का पाइपलाइन के माध्यम से परिवहन | 99651312 | 08 |

| क्र. सं. | उत्पाद/सेवा | एनआईसी कोड | कुल कारोबार का % योगदान |
|---|---|---|---|
| | अन्य वस्तुओं की पाइपलाइन के माध्यम से परिवहन सेवाएं जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं (एन.ई.सी.) (एलपीजी ट्रांसमिशन) | | |
| 3 | प्राथमिक रूप में प्लास्टिक (पेटकेम) | 99611715 | 06 |
| 4 | ठोस, तरल और गैसीय ईंधन और संबंधित उत्पाद जो अन्य कहीं पर वर्गीकृत (एन.ई.सी.) नहीं है – (एलपीजी हाइड्रोकार्बन (एलएचसी) | 99611919 | 03 |
| 5 | बिजली (पवन और सौर ऊर्जा) और अन्य | 99611970 | 01 |

**III. प्रचालन**

**18. उन स्थानों की संख्या जहां कंपनी के संयंत्र और/या प्रचालन/कार्यालय स्थित हैं:**

| स्थान | संयंत्रों की संख्या | कार्यालयों की संख्या | कुल |
|---|---|---|---|
| **राष्ट्रीय** | 23<br>05 गैस प्रोसेसिंग संयंत्र,<br>01 पेट्रोकेमिकल संयंत्र,<br>08 प्राकृतिक गैस कंप्रेसर स्टेशन<br>09 एलपीजी पंपिंग/प्रेषण टर्मिनल | 48<br>01 मुख्यालय<br>13 पाइपलाइन क्षेत्रीय कार्यालय<br>13 अंचल विपणन कार्यालय<br>02 प्रशिक्षण संस्थान<br>20 सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम/संबद्ध कार्यालय | 72 |
| **अंतर्राष्ट्रीय** | 0 | 07 सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम/संबद्ध कार्यालय | 07 |

**19. बाज़ार, जहां कंपनी द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं:**

**क. स्थानों की संख्या**

| स्थान | संख्या |
|---|---|
| राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या) | 22 राज्य<br>04 केंद्र शासित प्रदेश |
| अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या) | 07 |

**ख. कंपनी के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का कितना योगदान है?**

कंपनी के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का कुल योगदान **0.04%** है।

**ग. विभिन्न प्रकार के ग्राहकों का संक्षिप्त विवरण:**

गेल के 4 व्यावसायिक खंड हैं जो निम्नानुसार है:

1. **प्राकृतिक गैस विपणन:** हमारे प्राकृतिक गैस के प्रमुख ग्राहक हैं:

   उर्वरक क्षेत्र: गैस की बिक्री **40%**

   शहरी गैस वितरण क्षेत्र: गैस की बिक्री **25%**

   बिजली क्षेत्र: गैस की बिक्री **11%**

   अन्य: **16%** गैस रिफाइनरी, स्टील, स्पंज आयरन, पेट्रोकेमिकल आदि जैसे उद्योगों को बेची जाती है।

   विदेश: **8%** प्राकृतिक गैस विदेशों में निर्यात की जाती है।

2. **प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन:** प्राकृतिक गैस पाइपलाइन देश में बिजली, उर्वरक, शहर गैस वितरण (सीजीडी) कंपनियों और अन्य उद्योगों को प्राकृतिक गैस पहुँचाती है।

3. **पेट्रोकेमिकल:** गेल हाई डेंसिटी पॉलीएथीलीन (एचडीपीई) और लीनियर लो डेंसिटी पॉलीएथीलीन (एलएलडीपीई) के आवश्यक ग्रेड की आपूर्ति करके ब्लो मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग, राफिया और मोनोफिलामेंट, फिल्म, पाइप, रोटो मोल्डिंग आदि जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करता है।

4. **तरल हाइड्रोकार्बन:** तरल हाइड्रोकार्बन खंड में, हमारे प्रमुख ग्राहक औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र में हैं।

**IV. कर्मचारी**

**20. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् विवरण:**

**क. कर्मचारी और कामगार (दिव्यांगों सहित)*:**

| क्र.सं. | विवरण | कुल (क) | पुरुष | | महिला | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | संख्या (ख) | % (ख/क) | संख्या (ग) | % (ग/क) |
| | **कर्मचारी** | | | | | |
| 1. | स्थायी (घ) | 4191 | 3889 | 93 | 302 | 07 |
| 2. | स्थायी के अलावा (ड.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
| 3. | कुल कर्मचारी* (घ + ड.) | **4191** | **3889** | **93** | **302** | **07** |
| | **कामगार** | | | | | |
| 4. | स्थायी (च) | 847 | 805 | 95 | 42 | 05 |
| 5. | स्थायी के अलावा (छ) | 13993 | 13541 | 96.77 | 452 | 3.23 |
| 6. | कुल कामगार (च + छ) | **14840** | **14346** | **96.67** | **494** | **3.33** |

*** बोर्ड सदस्य (पूर्णकालिक), सीवीओ और स्थायी कर्मचारी सहित: 5038**

**ख. दिव्यांग कर्मचारी और कामगार:**

| क्र.सं. | विवरण | कुल (क) | पुरुष | | महिला | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | संख्या (ख) | % (ख/क) | संख्या (ग) | % (ग/क) |
| | **दिव्यांग कर्मचारी** | | | | | |
| 1. | स्थायी (घ) | 72 | 64 | 88.9 | 08 | 11.1 |
| 2. | स्थायी के अलावा (ड.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | कुल कर्मचारी (घ + ड.) | **72** | **64** | **88.9** | **08** | **11.1** |
| | **दिव्यांग कामगार** | | | | | |
| 4. | स्थायी (च) | 34 | 29 | 85.3 | 05 | 14.7 |
| 5. | स्थायी के अलावा (छ) | 30 | 29 | 96.67 | 01 | 3.33 |
| 6. | कुल कामगार (च + छ) | **64** | **58** | **90.63** | **06** | **9.37** |

**21. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व**

| | कुल (क) | महिलाओं की संख्या और प्रतिशत | |
|---|---|---|---|
| | | संख्या (ख) | % (ख/क) |
| निदेशक मंडल | 14 | 01 | 07 |
| प्रमुख प्रबंधन कार्मिक | 1 (पूर्णकालिक निदेशकों को छोड़कर) | 0 | 0 |

**22. स्थायी कर्मचारियों और कर्मचारियों के लिए करोबार दर (पिछले 3 वर्षों के रुझान दर्शाएं)**

| श्रेणी | वित्त वर्ष 2023–24 (वर्तमान वित्त वर्ष में कारोबार दर) | | | वित्त वर्ष 2022–23 (पिछले वित्त वर्ष में कारोबार दर) | | | वित्त वर्ष 2021–22 (पिछले वित्त वर्ष में कारोबार दर) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पुरुष | महिला | कुल | पुरुष | महिला | कुल | पुरुष | महिला | कुल |
| स्थायी कर्मचारी | 3.84 | 3.79 | **3.83** | 4.29 | 5.39 | **4.37** | 4.82 | 3.73 | **4.75** |
| स्थायी कामगार | 2.38 | 0 | **2.28** | 2.61 | 0 | **2.55** | 2.16 | 2.74 | **2.19** |

कारोबार दर की गणना व्यवसाय उत्तरदायित्व और सतत विकास रिपोर्टिंग फॉर्मेट के मार्गदर्शन नोट के अनुसार की गई है (https://www.sebi.gov.in/sebi_data/commondocs/may-2021/Business responsibility and sustainability reporting by listed entitiesAnnexure2_p.PDF)

**V. होल्डिंग, सहायक और संबद्ध कंपनियां (संयुक्त उद्यम सहित)**

**23. (क) होल्डिंग/सहायक/संबद्ध कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के नाम**

| क्र. सं. | होल्डिंग/सहायक/संबद्ध कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का नाम (क) | क्या होल्डिंग/सहायक/संबद्ध/संयुक्त उद्यम है | सूचीबद्ध कंपनी द्वारा धारित शेयरों का % | क्या कॉलम क में दर्शाई गई कंपनी सूचीबद्ध कंपनी की व्यवसाय उत्तरदायित्व पहल में भाग लेती है? (हां/नहीं) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | गेल गैस लिमिटेड | सहायक | 100.00 | हाँ |
| 2. | त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड | सहायक | 48.98 | हाँ |
| 3. | कोंकण एलएनजी लिमिटेड | सहायक | 93.50 | हाँ |
| 4. | गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक | सहायक | 100.00 | नहीं |
| 5. | गेल ग्लोबल (सिंगापुर)– प्रा.लि. | सहायक | 100.00 | नहीं |
| 6. | बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड | सहायक | 89.88 | नहीं |
| 7. | अवंतिका गैस लिमिटेड | संयुक्त उद्यम | 49.99 | हाँ |
| 8. | भाग्यनगर गैस लिमिटेड | संयुक्त उद्यम | 48.73 | नहीं |
| 9. | सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड | संयुक्त उद्यम | 25.00 | हाँ |
| 10. | ग्रीन गैस लिमिटेड | संयुक्त उद्यम | 49.98 | नहीं |
| 11. | इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड | संबद्ध | 22.50 | हाँ |
| 12. | इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड | संयुक्त उद्यम | 20.00 | नहीं |
| 13. | एलएलसी भारत एनजी ऑफिस | संबद्ध | 20.00 | नहीं |
| 14. | एलएनजी जापोनिका शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड | संबद्ध | 26.00 | नहीं |
| 15. | महानगर गैस लिमिटेड | संबद्ध | 32.50 | हाँ |
| 16. | महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड | संयुक्त उद्यम | 22.50 | हाँ |
| 17. | ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड (ओपीएएल) | संबद्ध | 49.21 | हाँ |
| 18. | ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी (ओटीपीसी) | संबद्ध | 26.00 | हाँ |
| 19. | तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड | संयुक्त उद्यम | 33.33 | नहीं |
| 20. | वडोदरा गैस लिमिटेड (वीजीएल) | संयुक्त उद्यम | 32.93 | नहीं |
| 21. | पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड | संबद्ध | 12.50 | हाँ |
| 22. | फयूम गैस कंपनी | संबद्ध | 19.00 | नहीं |
| 23. | चाइना गैस होल्डिंग लिमिटेड | संबद्ध | 2.76 | नहीं |
| 24. | तापी पाइपलाइन कंपनी | संयुक्त उद्यम | 5.00 | नहीं |
| 25. | रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड | संबद्ध | 14.30 | नहीं |
| 26. | ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल) | संबद्ध | 70.00 | हाँ |
| 27. | गेल मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड | सहायक | 100.00 | नहीं |

**24.**

**VI. सीएसआर संबंधी विवरण**

| | | |
|---|---|---|
| (i) | क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है | **हाँ** |
| (ii) | कारोबार (₹ में) | **1,30,284 करोड़** |
| (iii) | निवल मूल्य* (₹ में) | **56,131 करोड़** |

*कंपनी अधिनियम के अनुसार

**VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन**

**25. राष्ट्रीय उत्तरदायी व्यवसाय आचरण दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर कष्ट शिकायतें**

| हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है | मौजूदा शिकायत निवारण तंत्र (हां/नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब–लिंक प्रदान करें) | वित्त वर्ष 2023–2024 वर्तमान वित्तीय वर्ष | | | वित्त वर्ष 2022–2023 वर्तमान वित्तीय वर्ष | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | टिप्पणियां | वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | टिप्पणियां |
| समुदाय | हाँ<br>वेबलिंक: https://pgportal.gov.in/Home/LodgeGrievance | 194 | 0 | | 261 | 0 | |
| निवेशक (शेयर धारकों के अलावा)<br>शेयरधारक | हाँ<br>https://www.gailonline.com/IZQuarterlyCompliances.html | 886 | 05 | | 1209 | 0 | |
| कर्मचारी और श्रमिक | हाँ<br>वेबलिंक: https://pgportal.gov.in/Home/LodgeGrievance<br>Further GAIL's grievance portal is available to employees through GAIL Intranet. | 40 | 03 | | 38 | 0 | |
| ग्राहक | हाँ<br>वेबलिंक: https://www.gailonline.com/onlineComplants.html<br>https://pgportal.gov.in/Home/LodgeGrievance | 35 | 0 | | 74 | 0 | |
| मूल्य श्रृंखला भागीदार | हाँ<br>Weblink:-<br>https://www.gailonline.com/onlineComplants.html<br>https://pgportal.gov.in/Home/LodgeGrievance | 09 | 0 | | 07 | 0 | |
| अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें) | हाँ<br>वेबलिंक: https://pgportal.gov.in/Home/LodgeGrievance<br>https://www.gailonline.com/pdf/others/PolicyforPreventionProhibitionAndRedressalOFSexualHarassmentOfWomenAtWorkplace25042023.pdf | 13 | 0 | | 34 | 0 | |

**26. कंपनी के सामग्री उत्तरदायी व्यवसाय आचरण मुद्दों का अवलोकन**

कृपया पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित भौतिक रूप से उत्तरदायी व्यवसाय आचरण एवं स्थिरता के मुद्दों को दर्शाएं, जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर प्रस्तुत करते हैं, इसकी पहचान करने के लिए तर्क, जोखिम से निपटने या कम करने के दृष्टिकोण के साथ–साथ इसके वित्तीय प्रभावों को निम्नलिखित प्रारूप में दर्शाएं:

| क्र. सं. | पहचानी गई सामग्री | बताएं कि क्या यह जोखिम है या अवसर (आर/ओ) | जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य | जोखिम के मामले में, अनुकूलन या इसे कम करने के उपाय | जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव दर्शाए) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव | जोखिम | संभावित जोखिम जैसे मौसम की अत्यधिक स्थिति में संयंत्रों का प्रचालन करना, जैसे अत्यधिक गर्मी, शीत लहरें, चक्रवात, अत्यधिक बारिश और बाढ़ जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। | संयंत्रों में जल भंडारण और निकासी की क्षमता बढ़ाना, अत्यधिक मौसम की स्थिति का सामना करने के लिए प्रक्रिया संयंत्रों को डिजाइन करना कुछ प्रमुख उपाय हैं जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिमों से निपटने में मदद करेंगे। इसके अलावा, इन अत्यधिक जलवायु घटनाओं के अनुकूल होने के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता संबंधी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। | नकारात्मक |
| 2 | डीकार्बोनाइजेशन और नेट–जीरो (जीएचजी उत्सर्जन) | जोखिम | जीएचजी उत्सर्जन में वृद्धि के परिणाम स्वरूप और ग्लोबल वार्मिंग के प्रतिकूल प्रभावों के कारण, देशों और कॉरपोरेट्स ने जीएचजी उत्सर्जन में कमी की दिशा में नेट जीरो का लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने और हरित ऊर्जा में परिवर्तन लाने के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। | जीएचजी उत्सर्जन में कमी को विभिन्न डीकार्बोनाइजेशन लीवर जैसे मौजूदा प्राकृतिक गैस आधारित उपकरणों का विद्युतीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, सीओ2 मूल्य वर्धन, कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी), ग्रीन हाइड्रोजन, ऊर्जा दक्षता परियोजनाएं और वनरोपण आदि के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। यह परिकल्पना की गई है कि नेट जीरो परियोजनाओं को लागू करने के लिए विभिन्न वित्तीय योजनाओं का उपयोग किया जाएगा | नकारात्मक |
| 3 | सभी के लिए सस्ती और सुलभ स्वच्छ ऊर्जा | अवसर | प्राकृतिक गैस अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन है। चूंकि गेल प्राकृतिक गैस विपणन और ट्रांसमिशन के व्यवसाय में है, इसलिए यह गेल को अधिक ग्राहकों को अपेक्षाकृत स्वच्छ और सस्ती ईंधन तक पहुंच प्रदान करके अपने व्यवसाय को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। | | सकारात्मक |
| 4 | संसाधन अनुकूलन (ऊर्जा, जल, सामग्री और उत्सर्जन प्रबंधन का प्रबंधन) | अवसर | गेल में, हम हमेशा जल, ऊर्जा और सामग्री जैसे संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए प्रयास करते हैं। हम मौजूदा प्राकृतिक गैस आधारित उपकरणों के विद्युतीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि, प्रक्रिया दक्षता में सुधार आदि की सक्रिय रूप से खोज कर रहे हैं। गेल ने ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 50001) भी लागू की है और समय–समय पर ऊर्जा लेखापरीक्षा भी की है। गेल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, पाता में एक जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट भी स्थापित कर रहा है। | | सकारात्मक |

| क्र. सं. | पहचानी गई सामग्री | बताएं कि क्या यह जोखिम है या अवसर (आर/ओ) | जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य | जोखिम के मामले में, अनुकूलन या इसे कम करने के उपाय | जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव दर्शाए) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | स्वास्थ्य और सुरक्षा | जोखिम | गेल का पाइपलाइन नेटवर्क और प्रोसेस प्लांट देश के सभी भागों में व्याप्त हैं। गेल सभी व्यावसायिक गतिविधियों और प्रचालनों में स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।<br>बड़ी मात्रा में हाइड्रोकार्बन को संभालने के कारण, हमारी परिसंपत्तियों, कर्मचारियों, हितधारकों की स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारे लिए चिंता का विषय है। | गेल के पास एक मजबूत 'स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली' है और वह ओआईएसडी, पीएनजीआरबी, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, पीईएसओ आदि जैसी विभिन्न एजेंसियों के सभी लागू दिशानिर्देशों का पालन करता है। हम एसओपी का पालन करके, पीपीई के उपयोग और विभिन्न सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करके किसी भी स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी घटना से बचने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। | नकारात्मक |
| 6 | मानव पूंजी प्रबंधन | अवसर | गेल एक मजबूत मानव पूंजी के महत्व को पहचानता है, जो लगातार व्यावसायिक विकास को बनाए रखने में मदद करता है। गेल कर्मचारियों को अनुकूल कार्य वातावरण और विकास के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न पहल करता है। | | सकारात्मक |
| 7 | सामुदायिक विकास (स्वदेशी लोगों के अधिकार, भूमि और संसाधन अधिकार) | अवसर | गेल नियमित रूप से स्थानीय समुदायों के साथ बातचीत करता है ताकि उनकी सबसे जरूरी आवश्यकताओं की पहचान की जा सके और वंचित लोगों के जीवन को समझा जा सके। गेल सीएसआर निधियों के जरिए समुदायों के उत्थान के लिए विभिन्न परियोजनाएँ चलाता है। | | सकारात्मक |
| 8 | व्यावसायिक नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अनुपालन (भ्रष्टाचार विरोधी, प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार, कर पारदर्शिता और रणनीति सहित), नियंत्रण में ईएसजी और रिपोर्टिंग में पारदर्शिता (बोर्ड की निगरानी, प्रबंधन की भूमिका, नेतृत्व और नीति वकालत, सरकार को भुगतान) | जोखिम | गेल के लिए सतत विकास प्राप्त करने के लिए नैतिक व्यावसायिक आचरण सर्वोपरि है। | गेल नैतिकता और विश्वास की संस्कृति को बढ़ावा देता है।<br>अनुशासन/उचित आचरण सुनिश्चित करने के लिए गेल के पास निम्नलिखित नियम/आदेश/नीतियाँ हैं:<br>बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता https://gailonline.com/pdf/InvestorsZone/CodeofConducta-son09042019.pdf<br>कार्यपालकों के लिए: गेल कर्मचारी (सीडीए) नियम 1986<br>गैर–कार्यपालकों के लिए : गेल के स्थायी आदेश | नकारात्मक |

| क्र. सं. | पहचानी गई सामग्री | बताएं कि क्या यह जोखिम है या अवसर (आर/ओ) | जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य | जोखिम के मामले में, अनुकूलन या इसे कम करने के उपाय | जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव दर्शाएं) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | आर्थिक प्रदर्शन, व्यवसाय वृद्धि और लाभप्रदता (ऊर्जा सुरक्षा, व्यवसाय मॉडल स्थिरता, बाजार की उपस्थिति) | अवसर | भारत ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 6.7% से बढ़ाकर 15% करने की योजना बनाई है। गेल भारत में अग्रणी गैस विपणन कंपनी है, जिसके पास लगभग 16,243 कि.मी. प्राकृतिक गैस पाइपलाइन हैं और यह देश में बिकने वाली प्राकृतिक गैस का लगभग 48% गैस की बिक्री करता है। प्राकृतिक गैस की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए गेल लगातार अपनी पाइपलाइन और सीजीडी नेटवर्क का विस्तार कर रही है।<br><br>प्रति व्यक्ति पेट्रोकेमिकल खपत भी बढ़ रही है और गेल इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए अपनी पेट्रोकेमिकल क्षमता का विस्तार कर रही है।<br><br>इसलिए मौजूदा व्यवसायों में वृद्धि और लाभप्रदता के लिए उपयुक्त अवसर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, गेल विकास को और बढ़ाने के लिए नए व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है। | | सकारात्मक |

गेल, विजयपुर में 10 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट

## खंड ख: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने की दिशा में स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

पी1 व्यवसाय को नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आचरण और नियंत्रण करना चाहिए।
पी2 व्यवसायों को ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हों और उनके पूरे जीवन चक्र में स्थिरता में योगदान दें।
पी3 व्यवसायों को सभी कर्मचारियों के हितों को बढ़ावा देना चाहिए।
पी4 व्यवसायों को सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, विशेषकर उन लोगों के प्रति जो वंचित, कमजोर और हाशिए पर हैं।
पी5 यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।
पी6 व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए और उसे बहाल करने के प्रयास करने चाहिए।
पी7 व्यवसाय, जब सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हों, तो उन्हें जिम्मेदार तरीके से ऐसा करना चाहिए।
पी8 व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को प्रोस्ताहित करना चाहिए।
पी9 व्यवसायों को अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए

| प्रकट किए जाने वाले प्रश्न | पी1 | पी2 | पी3 | पी4 | पी5 | पी6 | पी7 | पी8 | पी9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **नीति और प्रबंधन प्रक्रिया** | | | | | | | | | |
| 1. क. क्या गेल की नीति/नीतियों में एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्व शामिल हैं। (हां/नहीं) | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां |
| ख. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हां/नहीं) | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां |
| ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो | संदर्भ ए,बी, सी,जी, एच, आई,जे, एम, आर,एस, टी,यू | संदर्भ डी,एम, ओ | संदर्भ डी,एफ, आई, ओ | संदर्भ सी, डी, एफ, आई,के | संदर्भ एफ, आई, जे, के,एल | संदर्भ डी | संदर्भ ए, सी, डी | संदर्भ ई,डी, ई,एच, आई | संदर्भ डी,एम, एन, पी, क्यू,टी,यू |
| | बाह्य हितधारकों संबंधी प्रासंगिक सभी नीतियां गेल वेबसाइटः http://www.gailonline.com पर निम्नलिखित पते पर होस्ट की गई हैं।<br>**क. आचार संहिता**<br>1. **बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक**<br>https://gailonline.com/pdf/InvestorsZone/CodeofConductason09042019.pdf<br>2. **निष्पक्ष प्रकटीकरण और आचरण संहिता – अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए प्रथाएं और प्रक्रियाएं**<br>https://gailonline.com/pdf/InvestorsZone/GAIL-Principles-of-Fair-Disclosures.pdf<br>3. **आंतरिक व्यापार कोड द्वारा व्यापार को विनियमित करने, निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिता – आंतरिक व्यापार संहिता**<br>https://gailonline.com/pdf/InvestorsZone/GAIL-Insider%20Trading%20Code%202018-10.04.2019.pdf<br>**ख. धोखाधड़ी निवारण नीति**<br>https://www.gailonline.com/pdf/others/FraudPreventionPolicyRev01withSOPonFPPRev00.pdf<br>**ग. गेल (इंडिया) लिमिटेड और टीआईआई के बीच समझौता–ज्ञापन**<br>https://gailonline.com/pdf/others/MOU-With-TII-23rd.July-2007.pdf<br>**घ. सतत विकास नीति**<br>https://www.gailonline.com/pdf/Sustainability/Sustainability%20Policy10-02-2020.pdf<br>**ड. सीएसआर नीति**<br>https://gailonline.com/CSR_Ploicy.html | | | | | | | | |

| प्रकट किए जाने वाले प्रश्न | पी1 | पी2 | पी3 | पी4 | पी5 | पी6 | पी7 | पी8 | पी9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **च. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संदर्भ में आंतरिक शिकायत समिति का गठन**<br>https://www.gailonline.com/pdf/others/PolicyforPreventionProhibitionAndRedressalOFSexualHarassmentOfWomenAtWorkplace25042023.pdf<br>**छ. गेल सामग्री सहायक नीति**<br>https://gailonline.com/pdf/InvestorsZone/GAILMaterialSubsidiarypolicyFinal2021.pdf<br>**संबंधित पार्टी लेन–देन नीति**<br>https://gailonline.com/pdf/InvestorsZone/GAILRelatedPartyTransactionPolicyMarch2022.pdf<br>**भौतिकता और प्रकटीकरण के निर्धारण के लिए गेल नीति**<br>https://gailonline.com/pdf/InvestorsZone/GAILPolicyforDeterminationofMaterialityandDisclosure06102022.pdf<br>**ज. लाभांश वितरण नीति**<br>https://gailonline.com/pdf/InvestorsZone/GAIL%20Dividend%20Distribution%20Policy.pdf<br>**झ. निदेशक मंडल की विविधता संबंधी नीति**<br>https://gailonline.com/pdf/InvestorsZone/Policy%20on%20Diversity%20of%20Board.pdf<br>**ञ. व्हिसल ब्लोअर नीति**<br>https://www.gailonline.com/pdf/others/Circular_Whistle%20Blower%20Policy_12.02.2019-english.pdf<br>**ट. समान अवसर नीति**<br>https://www.gailonline.com/pdf/others/EqualOpportunityPolicyEnglish14022024.pdf<br>**ठ. सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा**<br>https://www.gailonline.com/pdf/others/PIDPI.pdf<br>**ड. गुणवत्ता नीति**<br>https://www.gailonline.com/pdf/others/GAILQualityPolicyinEnglish.pdf<br>**ढ. सूचना सुरक्षा नीति**<br>https://www.gailonline.com/pdf/others/Information-Security-Policy-Statement-12-feb-21.pdf<br>**ण. स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण नीति**<br>https://www.gailonline.com/pdf/others/CorporateHSEPolicyUpdated.pdf<br>**त. दस्तावेज संरक्षण नीति**<br>https://www.gailonline.com/pdf/others/Document%20Preservation%20%20Policy.pdf<br>**थ. सुलह नियम**<br>https://www.gailonline.com/pdf/others/GAIL_(INDIA)_LIMITED_CONCILIATION_RULES_2010.pdf<br>**द. धोखाधड़ी रोकथाम नीति के लिए नामित नोडल अधिकारी**<br>https://www.gailonline.com/pdf/others/NominatationofNodalOfficersforFraudPreventionPolicy04052023.pdf<br>**ध. हाइपर लिंकिंग नीति**<br>https://www.gailonline.com/HighperlinkingPolicy.html<br>**न. कॉपीराइट नीति**<br>https://www.gailonline.com/HighperlinkingPolicy.html<br>**प. आरटीआई**<br>https://www.gailonline.com/RTI.html | | | | | | | | |
| 2. क्या संस्था ने नीति को प्रक्रियाओं में बदला है। (हां/नहीं) | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां |
| 3. क्या सूचीबद्ध नीतियों में आपके मूल्य श्रृंखला भागीदार भी शामिल हैं? (हां/नहीं) | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां |

| प्रकट किए जाने वाले प्रश्न | पी1 | पी2 | पी3 | पी4 | पी5 | पी6 | पी7 | पी8 | पी9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणन/लेबल/मानकों का नाम (जैसे वन प्रबंधन परिषद, फेयरट्रेड, वर्षावन गठबंधन, ट्रस्टिया) मानकों (जैसे एसए 8000, ओएचएसएस, आईएसओ, बीआईएस) जिसे आपकी कंपनी द्वारा अपनाया गया है और प्रत्येक सिद्धांत में शामिल किया गया है। | सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ, 2015 के प्रावधान | आई एसओ 9001 | आई एसओ 45001 | सेबी विनियम, 2015 की अनुसूची II भाग घ (3) | सेबी विनियम, 2015 की अनुसूची II भाग घ (3) कंपनी अधि नियम 2013 की धारा 2(78) | आई एसओ 14001 आई एसओ 50001 ग्रीनको रेटिंग | एसडीजी और राष्ट्रीय प्रतिबद्ध ताएं | कंपनी अधि नियम की धारा 135 | आई एसओ 9001 आई एसओ 27001: 2013, एसडीजी |
| 5. विशिष्ट समय–सीमा के साथ कंपनी द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, ध्येय और लक्ष्य, यदि कोई हों।* | संदर्भ क | संदर्भ ख | संदर्भ ग | संदर्भ घ | संदर्भ ड. | संदर्भ च | संदर्भ छ | संदर्भ घ, ज, झ | संदर्भ ञ |
| | *गेल पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (पीएसई) है। निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन करने का अधिकार भारत सरकार के पास है। सांविधिक प्रावधानों के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति के लिए आवश्यक शेयरधारक की स्वीकृति भी ली जाती है। गेल हर साल लक्ष्य तय करने के लिए एमओपीएंडएनजी के साथ समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर करता है। ये लक्ष्य आर्थिक मापदंडों जैसे गैस विपणन, गैस ट्रांसमिशन, प्रचालन से राजस्व, शेयरधारकों को प्रतिलाभ, पूंजीगत व्यय, ईबीआईटीडीए, परिसंपत्ति कारोबार अनुपात, बढ़े हुए सीएनजी स्टेशनों/पीएनजी कनेक्शनों की संख्या आदि के साथ–साथ आरएंडडी/नवाचार पहलों पर व्यय, जेम पोर्टल से खरीद से संबंधित हैं। समझौता–ज्ञापन में विभिन्न अन्य अनुपालन मापदंडों से संबंधित लक्ष्य भी शामिल हैं। | | | | | | | | |
| | क. गेल निगमित शासन पर कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ, (एलओडीआर) विनियम 2015 के प्रावधानों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है जैसेः (i) निदेशक मंडल की संरचना (ii) बोर्ड समितियां (लेखापरीक्षा समिति) आदि) (iii) बोर्ड की बैठकें आयोजित करना (iv) प्रकटीकरण और पारदर्शिता | | | | | | | | |
| | ख. वर्ष 2023–24 के लिए अनुसंधान एवं विकास/नवाचार पहलों पर न्यूनतम व्यय का लक्ष्य ₹ 251.9 करोड़ है। | | | | | | | | |
| | ग. कंपनी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह, अग्निशमन सेवा सप्ताह, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया तथा जागरूकता एवं तैयारियों के लिए कई सेमिनार, कार्यक्रम, कार्यशाला, ऑनसाइट और ऑफसाइट मॉक ड्रिल आयोजित किए हैं। | | | | | | | | |
| | घ. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीद और समय पर भुगतान (एमएसई के माध्यम से माल और सेवाओं की खरीद का 25% (अ.जा./अ.ज.जा. एमएसई से 4% और महिला एमएसई से 3% सहित)। | | | | | | | | |
| | ड. गेल श्रम कानूनों के शून्य गैर–अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है। | | | | | | | | |
| | च. 2030 तक 1.7 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य | | | | | | | | |
| | छ. गेल अपने व्यवसाय से संबंधित आधिकारिक सार्वजनिक परामर्श में भाग लेता है। | | | | | | | | |
| | ज. डीपीई दिशानिर्देशः (i) सुगम्य भारत अभियान (ii) प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 का कार्यान्वयन (iii) सीपीएसई द्वारा सीएसआर व्यय | | | | | | | | |
| | झ. सरकारी ई–मार्केट प्लेस (जीईएम) पोर्टल से कुल खरीद का 25% | | | | | | | | |
| | ञ. गेल का नेट–जीरो लक्ष्यः 2035 तक स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन में 100% कमी और 2040 तक स्कोप 3 उत्सर्जन में 35% कमी | | | | | | | | |
| 6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और ध्येयों की तुलना में निष्पादन तथा यदि उन्हें पूरा नहीं किया जाता है तो उसके कारण। | संदर्भ क | संदर्भ ख | संदर्भ ग | संदर्भ घ | संदर्भ ड. | संदर्भ च | संदर्भ छ | संदर्भ घ, ज, झ | संदर्भ ञ |
| | क. कंपनी विनियम 17(1), 17(2क), 18(1), 19(1)/(2), 20 और 21, जो मुख्य रूप से बोर्ड और अन्य सांविधिक समितियों जैसे लेखापरीक्षा समिति, हितधारक संबंध समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और जोखिम प्रबंधन समिति के गठन से संबंधित है, सहित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर विनियम, 2015) का अनुपालन कर रही है। | | | | | | | | |

| प्रकट किए जाने वाले प्रश्न | पी1 | पी2 | पी3 | पी4 | पी5 | पी6 | पी7 | पी8 | पी9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | गेल की रणनीति भविष्य के कारोबारी परिदृश्यों के लिए विभिन्न मान्यताओं पर विचार करते हुए तैयार की गई है। भू–राजनीतिक और पर्यावरणीय मुद्दों के कारण विनियामक, बाजार और मूल्य जोखिम वैश्विक स्तर पर और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर तेल और गैस उद्योग में निहित हैं। ऐसे अप्रत्याशित परिदृश्यों के कारण जोखिमों को समझने के लिए गेल नियमित रूप से रणनीति की समीक्षा करता है। इससे रणनीति के कार्यान्वयन पर जोखिमों के उपशमन को सुनिश्चित करते हुए रणनीति को अद्यतन रखने में मदद मिलती है। जोखिमों की समीक्षा बोर्ड की एक बोर्ड स्तरीय उप–समिति, जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) द्वारा भी की जाती है।<br>भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ख) और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.1 और 3.1.4 का अनुपालन न करनाः कंपनी के पास 16.05.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। एनएसई और बीएसई ने गैर–अनुपालन के लिए कुल ₹ 27,14,000 का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा, एनएसई और बीएसई ने संबंधित पक्ष लेनदेन के खुलासे को एक दिन की देरी से प्रस्तुत करने के कारण कुल ₹11,800 का जुर्माना लगाया था।<br>गेल एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, इसलिए निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) को नामित/नियुक्त करने का अधिकार भारत सरकार (एमओपीएंडएनजी) के पास है।<br>गेल नियमित रूप से आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए एमओपीएंडएनजी के साथ बातचीत कर रहा है। इसलिए स्वतंत्र निदेशकों की संख्या में कमी गेल की किसी लापरवाही के कारण नहीं थी और इसलिए गेल ने एनएसई और बीएसई से जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, आरपीटी एक्सबीआरएल उपयोगिता में तकनीकी समस्या के कारण, गेल 31 अक्तूबर, 2023 की नियत तिथि पर संबंधित पार्टी लेनदेन का खुलासा दाखिल नहीं कर सका और इसे 1 नवंबर, 2023 को दाखिल किया। इसलिए यह देरी गेल की किसी लापरवाही/चूक के कारण नहीं बल्कि एनईएपीएस पोर्टल पर आई तकनीकी समस्याओं के कारण हुई। गेल जुर्माना माफ करने के लिए एनएसई और बीएसई के साथ वार्ता कर रहा है। | | | | | | | | |
| | ख. कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 में अनुसंधान एवं विकास/नवाचार पहल पर ₹ 250.20 करोड़ खर्च किए हैं। | | | | | | | | |
| | ग. वित्त वर्ष 2023–24 में एमएसई से की गई कुल खरीद का मूल्य ₹ 1963 करोड़, जो कुल खरीद का लगभग 56.51% है। | | | | | | | | |
| | घ. गेल को वित्त वर्ष 2023–24 में कोई मानवाधिकार शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। | | | | | | | | |
| | ड. गेल वर्ष 2035 तक स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन में 100% कमी और वर्ष 2040 तक स्कोप 3 उत्सर्जन में 35% कमी लाने की नेट–जीरो महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है। गेल के पास 135 मेगावाट का नवीकरणीय पोर्टफोलियो है जिसमें 118 मेगावाट पवन और 17 मेगावाट सौर ऊर्जा शामिल है। गेल निकट भविष्य में बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने की संभावना तलाश कर नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय को बढ़ाने के अपने प्रयासों को और तेज कर रहा है। गेल के बोर्ड ने महाराष्ट्र में 170 मेगावाट की कैप्टिव पवन परियोजना और उत्तर प्रदेश में 100 मेगावाट की कैप्टिव सौर परियोजना की स्थापना के लिए परियोजना–पूर्व गतिविधियों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, गेल पाता में 15 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सौर परियोजना की स्थापना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए "राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन" में भारत सरकार की पहल के भाग के रूप में, गेल ने इंदौर (म.प्र.) में मैसर्स आवंतिका गैस लिमिटेड के नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क में भारत की पहली हाइड्रोजन मिश्रित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति शुरू की। इसके अलावा, गेल ने विजयपुर (म.प्र.) में 4.3 टीपीडी का एक पीईएम इलेक्ट्रोलाइजर आधारित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया है, जिसे मई 2024 में चालू किया गया है। गेल बोर्ड ने बर्धमान, पश्चिम बंगाल में 'कोल टू एसएनजी' परियोजना के लिए मैसर्स कोल इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम के गठन को मंजूरी दे दी है। | | | | | | | | |
| | च. गेल सभी सार्वजनिक नीति परामर्शों में भाग लेता है और सुधार के लिए अपने व्यवसाय से संबंधित फीडबैक प्रदान करता है। यह अपने व्यवसाय पर लागू सभी विनियमों और नीतियों का अनुपालन और पालन भी करता है। | | | | | | | | |
| | छ. वित्त वर्ष 2023–24 में गेल ने विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं पर ₹ 175.71 करोड़ का सीएसआर व्यय किया है। यह पिछले वित्तीय वर्षों के अतिरिक्त व्यय को समायोजित करने के बाद पिछले 03 वर्षों के औसत कर–पूर्व लाभ का 2.47% है। ये सीएसआर परियोजनाएँ मुख्य रूप से गेल हृदय के सात प्रमुख क्षेत्रों अर्थात आरोग्य, हरित, कौशल, सक्षम, सशक्त, उज्ज्वल और उन्नति के अंतर्गत आती हैं। | | | | | | | | |
| | ज. वित्त वर्ष 2023–24 में, जेम पोर्टल के माध्यम से गेल की खरीद ₹ 2,704 करोड़ थी। | | | | | | | | |
| | झ. गेल के सभी प्रचालन स्थल कंपनी के लक्ष्यों के अनुरूप सक्रिय रूप से विभिन्न पहल कर रहे हैं जैसे सोलर पीवी और रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र, ऊर्जा दक्षता में सुधार और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण। गेल विद्युतीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, कंप्रेस्ड जैव गैस, जैव–इथेनॉल, हरित हाइड्रोजन और सीओ2 मूल्य–निर्धारण जैसी ऊर्जा परिवर्तन पहलों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। | | | | | | | | |
| | ञ. गेल विपणन क्षेत्रीय कार्यालय आईएसओ 9001:2013 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली से मान्यता–प्राप्त है। | | | | | | | | |

| प्रकट किए जाने वाले प्रश्न | पी1 | पी2 | पी3 | पी4 | पी5 | पी6 | पी7 | पी8 | पी9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **अभिशासन, नेतृत्व और निरीक्षण** | | | | | | | | | |
| 7. ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा वक्तव्य (सूचीबद्ध कंपनी को यह प्रकटीकरण करने के संबंध में छूट है)<br>कृपया गेल वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2023–24 में सीएमडी का संदेश देखें। | | | | | | | | | |
| 8. व्यवसाय उत्तरदायित्व नीति(यों) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार उच्चतम प्राधिकारी का विवरण। | बोर्ड की सतत विकास समिति (एसडीसी) | | | | | | | | |
| 9. क्या कंपनी में बोर्ड/ निदेशक की निर्दिष्ट समिति है जो स्थिरता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है? (हां/नहीं)। यदि हां, तो विवरण दें। | जी हां, गेल के पास कंपनी के व्यावसायिक उत्तरदायित्व प्रदर्शन का आकलन करने के लिए बोर्ड की एक सतत विकास समिति (एसडीसी) है। वित्त वर्ष 2023–24 में एसडीसी की 02 बार बैठक हुई। एसडीसी के कार्यक्षेत्र में सतत विकास योजना तैयार करना, उसकी निगरानी एवं क्रियान्वयन करना, सतत विकास रिपोर्ट, स्थिरता नीति को मंजूरी देना तथा एचएसई प्रदर्शन और आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा करना शामिल है।<br>इसके अलावा, गेल के पास बोर्ड की अन्य उप–समितियां हैं जैसे मानव संसाधन समिति, सीएसआर समिति आदि जो सतत विकास के अन्य पहलुओं को पूरा करती हैं। | | | | | | | | |

**10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:**

| समीक्षा के लिए विषय | क्या समीक्षा बोर्ड के निदेशक/समिति/ किसी अन्य समिति द्वारा की गई थी | | | | | | | | | आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/तिमाही/ अन्य कोई – कृपया निर्दिष्ट करें) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पी1 | पी2 | पी3 | पी4 | पी5 | पी6 | पी7 | पी8 | पी9 | पी1 | पी2 | पी3 | पी4 | पी5 | पी6 | पी7 | पी8 | पी9 |
| उपर्युक्त नीतियों की तुलना में निष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | वार्षिक/अर्धवार्षिक/तिमाही अनुपालन* | | | | | | | | |
| सिद्धांतों की प्रासंगिकता की सांविधिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन, और किसी गैर–अनुपालन में सुधार | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | | | | | | | | | |

*हम सभी सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहे हैं और आवश्यकता के अनुसार निष्पादन की समीक्षा की जाती है।

| | पी1 | पी2 | पी3 | पी4 | पी5 | पी6 | पी7 | पी8 | पी9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11. क्या कंपनी ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन कराया है? (हां/नहीं)। यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं।** | जी हां, गेल जीआरआई मानक के अनुसार सालाना बाहरी रूप से सुनिश्चित एक सतत विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इसके अलावा, गेल का बीआरएसआर भी तीसरे पक्ष द्वारा आश्वासित है।<br>बाहरी एजेंसी का नामः मैसर्स एसआर एशिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश | | | | | | | | |

**12. यदि ऊपर दिए गए प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है, अर्थात सभी सिद्धांत किसी नीति द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं, तो उसके कारण बताएं:**

| Questions | पी1 | पी2 | पी3 | पी4 | पी5 | पी6 | पी7 | पी8 | पी9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कंपनी अपने व्यवसाय में मूल सामग्री पर विचार नहीं करती (हां/नहीं) | लागू नहीं होता | | | | | | | | |
| कंपनी ऐसे स्तर पर नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने और लागू करने की स्थिति में है (हां/नहीं) | | | | | | | | | |
| कंपनी के पास कार्य के लिए वित्तीय या/मानव और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां/नहीं) | | | | | | | | | |
| इसे अगले वित्तीय वर्ष में करने की योजना है (हां/नहीं) | | | | | | | | | |
| कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें) | | | | | | | | | |

# खंड ग: सिद्धांत के अनुसार निष्पादन प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य संस्थाओं को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूल तत्वों को जोड़कर उनके निष्पादन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को "आवश्यक" और "नेतृत्व" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि इस रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए अनिवार्य प्रत्येक इकाई से आवश्यक संकेतकों का खुलासा करने की उम्मीद की जाती है, नेतृत्व संकेतक स्वेच्छा से उन संस्थाओं द्वारा प्रकट किए जा सकते हैं जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर की प्रगति की इच्छा रखते हैं।

**सिद्धांत 1: व्यवसायों को निष्ठा के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से स्वयं संचालित और शासित करना चाहिए।**

**आवश्यक संकेतक**

1. **वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत के आधार पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज:**

| खंड | आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या | प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और इसके प्रभाव | जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| निदेशक मंडल | वर्ष के दौरान 35 प्रशिक्षण कार्यक्रम/सेमिनार आयोजित किए गए। | व्यावसायिक परिचय कार्यक्रम, निदेशकों/केएमपी के लिए क्षमता निर्माण, जिसमें कानूनों, सीएसआर गतिविधियों आदि में प्रमुख विनियामक परिवर्तन शामिल हैं। | 100 |
| मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक | | | 100 |
| बीओडी और केएमपी के अलावा कर्मचारी | गेल ने अपने कर्मचारियों, कामगारों और वरिष्ठ नेतृत्व के लिए पूरे वर्ष विभिन्न विषयों पर कई प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं।<br>गेल में वर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों को कम से कम एक प्रशिक्षण देने की प्रशिक्षण नीति है। | 09 एनजीआरबीसी सिद्धांतों के अनुरूप तकनीकी, कार्यात्मक सुरक्षा, प्रबंधकीय और व्यवहार संबंधी विषय। | 15.26 |
| कामगार | | | 4.15 |

2. **वित्तीय वर्ष में विनियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही में भुगतान किए गए जुर्माने/शास्ति/दंड/पुरस्कार/चक्रवृद्धि ब्याज शुल्क/निपटान राशि का विवरण (कंपनी या निदेशकों/केएमपी द्वारा) निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें**

(टिप्पणी: कंपनी सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट और कंपनी की वेबसाइट पर बताए गए अनुसार भौतिकता के आधार पर प्रकटीकरण करेगी:

**मौद्रिक**

| | एनजीआरबीसी सिद्धांत | विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम | राशि (₹ में) | मामले का संक्षिप्त विवरण | क्या अपील की गई है? (हां/नहीं) |
|---|---|---|---|---|---|
| दंड/ जुर्माना | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| समाधान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| चक्रवृद्धि ब्याज शुल्क | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**गैर-मौद्रिक**

| | एनजीआरबीसी सिद्धांत | विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम | मामले का संक्षिप्त विवरण | क्या अपील की गई है? (हां/नहीं) |
|---|---|---|---|---|
| कारावास | 0 | 0 | 0 | 0 |
| सजा | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. **उपर्युक्त प्रश्न 2 में प्रदर्शित मामलों में से, उन मामलों में अपील/संशोधन का विवरण दिया गया है जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है।**

| मामले का विवरण | विनियामक/प्रवर्तन/एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम |
|---|---|
| 0 | 0 |

4. **क्या कंपनी में भ्रष्टाचार–रोधी या रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो तो नीति का वेब–लिंक प्रदान करें।**

रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए गेल केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा–निर्देशों और परिपत्रों का पालन करता है। सीवीसी के दिशा–निर्देशों के अनुसार, गेल ने अपनी निविदाओं के माध्यम से खरीद में सत्यनिष्ठा समझौता (आईपी) के प्रावधान को अपनाया है। आईपी निविदाओं में भारत सरकार और सीवीसी की स्थापित प्रक्रियाओं, नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और शिकायतों के समाधान, यदि कोई हो, के लिए एक स्वतंत्र मंच प्रदान करता है। वर्तमान में, गेल के पास सभी निविदाओं में आईपी शर्तों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए तीन स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) का एक पैनल है। गेल में अपने कर्मचारियों और निदेशकों के लिए एक व्हिसल ब्लोअर नीति भी लागू है। यह नीति कर्मचारियों को अनैतिक व्यवहार या धोखाधड़ी के बारे में वास्तविक चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए एक चैनल प्रदान करती है और किसी भी उत्पीड़न से व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा भी करती है। व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी के लिए लिंक– https://gailonline.com/pdf/others/Circular_Whistle Blower Policy_12.02.2019-english.pdf

धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी की रोकथाम और रिपोर्टिंग के लिए, गेल के पास धोखाधड़ी रोकथाम नीति है। यह नीति गेल के साथ निदेशकों, कर्मचारियों, ट्रेनी एप्रेंटिस, सलाहकार के रूप में काम करने वाले पूर्व कर्मचारियों, तदर्थ/अस्थायी/ठेके पर लगे व्यक्तियों, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार, ग्राहक, ऋणदाता, सलाहकार, सेवा प्रदाता, किसी बाहरी एजेंसी या उनके प्रतिनिधि, ऐसी एजेंसियों के कर्मचारी और/या किसी अन्य पक्ष द्वारा किए गए व्यावसायिक लेनदेन के संबंध में धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी पर लागू होती है।

गेल धोखाधड़ी रोकथाम नीति का लिंक–https://www.gailonline.com/pdf/others/FraudPreventionPolicyRev01withSOPonFPPRev00.pdf

5. **ऐसे निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/कामगार की संख्या जिनके विरुद्ध किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोप में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी**

वर्ष के दौरान, एक कार्यकारी निदेशक एवं एक मुख्य महाप्रबंधक के विरुद्ध सीबीआई द्वारा कार्रवाई की गई।

6. **हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:**

| | वित्त वर्ष 2023–24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष) | | वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष) | |
|---|---|---|---|---|
| | संख्या | टिप्पणियां | संख्या | टिप्पणियां |
| निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या | 0 | 0 | 0 | 0 |
| केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. **भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर विनियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा जुर्माना/दंड/कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

गेल का सतर्कता विभाग आंतरिक प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है, नियमित रूप से औचक निरीक्षण करता है, समय–समय पर निरीक्षण करता है, विस्तृत गहन निरीक्षण करता है और भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी या हितों के टकराव, यदि कोई हो, के लिए सीएजी/आंतरिक लेखापरीक्षा पैरा की जांच करता है। पाई गई खामियों का विश्लेषण किया जाता है और खामियों की पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणालीगत सुधार सुझाए जाते हैं। अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने, प्रक्रियाओं के स्वचालन के लिए मैनुअल हस्तक्षेप को कम करने के लिए निरंतर प्रणाली सुधार लाने के प्रयास किए जाते हैं। संविदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसके लिए गेल के विभिन्न स्थानों पर अनुकूल और विशेष प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं।

8. **निम्नलिखित प्रारूप में देय खातों के दिनों की संख्या (देय खाते '365)/खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत):**

| | वित्त वर्ष 2023–24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष) | वित्त वर्ष 2022–23 (वर्तमान वित्तीय वर्ष) |
|---|---|---|
| देय खातों के दिनों की संख्या | 23 | 21 |

नमो घाट, वाराणसी में तैरता सीएनजी स्टेशन

**9. व्यापार स्वतंत्रता**

ट्रेडिंग हाउस, डीलर और संबंधित पक्षों के साथ खरीद और बिक्री सान्द्रण संबंधी विवरण, संबंधित पक्षों के साथ ऋण एवं अग्रिम और निवेश को निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

| मापदंड | मेट्रिक्स | वित्त वर्ष 2023–24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष) | वित्त वर्ष 2022–23 पिछला वित्तीय वर्ष) |
|---|---|---|---|
| खरीद का सान्द्रण | कुल खरीद के : के रूप में ट्रेडिंग हाउस से खरीद | 47.22% | 14.76% |
| | ट्रेडिंग हाउस की संख्या जहाँ से खरीद की जाती है | 03 | 03 |
| | ट्रेडिंग हाउस से कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में शीर्ष 10 ट्रेडिंग हाउस से खरीद | 52.78% | 77.45% |
| बिक्री का सान्द्रण | कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में डीलरों/वितरकों को बिक्री | 42% | 20% |
| | डीलरों/वितरकों की संख्या जिन्हें बिक्री की जाती है | 147 | 172 |
| | डीलरों/वितरकों को कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में शीर्ष 10 डीलरों/वितरकों को बिक्री | 20% | 9% |
| आरपीटी का हिस्सा | खरीद (संबंधित पक्षों के साथ खरीद/कुल खरीद) | 44% | 44% |
| | बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री/कुल बिक्री) | 20% | 24% |
| | ऋण और अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण और अग्रिम/कुल ऋण और अग्रिम) | 80% | 76% |
| | निवेश (संबंधित पक्षों में निवेश/कुल निवेश) | 49% | 59% |

**नेतृत्व संकेतक**

**1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम:**

| आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या | प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत | जागरूकता कार्यक्रमों के तहत कवर किए गए मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) |
|---|---|---|
| 16 | सिद्धांत 1 – नैतिक, पारदर्शी और उत्तरदायी तरीके से व्यवसाय का संचालन: गेल के निविदा दस्तावेजों में भ्रष्ट/धोखाधड़ी/सांठगांठ/जबरदस्ती के व्यवहार के मामले में कार्रवाई और परिणाम स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं। गेल द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान भी इसी पर प्रकाश डाला गया है।<br>सिद्धांत 2 – व्यवसाय को वस्तुओं और सेवाओं को ऐसे तरीके से प्रदान करना चाहिए जो स्थायी और सुरक्षित हों: विक्रेताओं को वस्तुओं की पैकिंग और अग्रेषण के लिए हरित पैकेजिंग का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त गेल में ईंधन का बचत के लिए प्रमुख संयंत्रों में प्राप्ति अनुभाग का रणनीतिक चयन, हरित वेयरहाउस, बैटरी चालित गोदाम उपकरणों का उपयोग जैसे विभिन्न स्थाई उपाय है।<br>सिद्धांत 3 – व्यवसाय करते समय अपनी मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल सभी कर्मचारियों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए: गेल के निविदा दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से ठेकेदारों द्वारा सख्ती से पालन किए जाने वाले अनुपालनों को कानून बनाया गया है, जिसमें न्यूनतम मजदूरी, बोनस, छुट्टी, दुर्घटना बीमा आदि शामिल हैं, जो केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। ठेकेदारों को श्रम कानूनों और विनियमों के अनुसार उनकी जिम्मेदारियों के बारे में भी परामर्श दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में, गेल द्वारा सभी कार्य केंद्रों पर कुल 16 विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए, ताकि पारस्परिक और सतत विकास के लिए विक्रेताओं के बीच जागरूकता पैदा की जा सके और उन्हें जोड़ा जा सके। इनमें बीआरएसआर के सिद्धांतों के अनुरूप विषय शामिल थे। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:<br>• 07.03.2024 को अ.जा./अ.ज.जा./महिला उद्यमियों सहित एमएसई के साथ "विक्रेता विकास–सह– हैंडहोल्डिंग सत्र" आयोजित किया गया, जिसमें 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया।<br>• 02.11.2023 को एमएसई–विक्रेताओं के साथ "विक्रेता विकास–सह–हैंडहोल्डिंग सत्र" आयोजित किया गया, जिसमें 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया।<br>दाभोल बेंगलुरु पाइपलाइन (डीबीपीएल) में 75 जन–जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 8652 प्रतिभागी (आरओयू में ग्रामीण/स्थानीय जनता) शामिल हुए। | 100 |

2. **क्या बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने/प्रबंधन के लिए कंपनी में कोई व्यवस्था हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो उसका विवरण दें।**

जी हां, गेल नैतिकता और विश्वास की संस्कृति को बढ़ावा देता है। जब भी किसी निदेशक की किसी एजेंडे/मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी होती है, तो वे चर्चा में भाग लेने से बचते हैं। प्रत्येक निदेशक लिखित रूप में नोटिस देकर किसी कंपनी या निकाय की कॉर्पोरेट फर्म, या व्यक्तियों के अन्य संघ में अपनी रुचि का खुलासा करता है; और उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यह नीति सेबी (सूचीबद्धता बाध्याताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा शासित होती है। इसमें संबंधित पक्षों से जुड़े लेनदेन को संभालने के लिए भौतिकता नीतियां और सिफारिशें भी शामिल हैं। नीति का लिंक नीचे दिया गया है:

https://gailonline.com/pdf/InvestorsZone/GAILRelatedPartyTransactionPolicyMarch2022.pdf

**सिद्धांत 2: व्यवसायों को सामान और सेवाएं इस तरह से प्रदान करनी चाहिए कि वे स्थायी और सुरक्षित हों।**

**आवश्यक संकेतक**

1. **कंपनी द्वारा किए गए कुल आरएंडडी तथा पूंजीगत व्यय निवेश के लिए उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में आरएंडडी और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत।**

| | 2023-24 | 2022-23 | पर्यावरणीय सामाजिक प्रभावों के सुधार का विवरण |
|---|---|---|---|
| आरएंडडी (सहयोगी अनुसंधान कार्यों पर राजस्व व्यय)* | (8.14)<br>₹ 20.36 करोड़ | (7)<br>₹ 12.39 करोड़ | हमारे सहयोगी अनुसंधान एवं विकास प्रयास मुख्य रूप से पाइपलाइन परिसंपत्ति निगरानी एवं अखंडता प्रबंधन; प्राकृतिक गैस उपयोग/कंप्रेस्ड बायोगैस, पॉलिमर, कैटेलिस्ट विकास; सीओ2 उपयोग और अपशिष्ट प्रबंधन, एच2/ईंधन सेल/बैटरी आदि पर केंद्रित हैं। |
| पूंजीगत व्यय (नवाचार गतिविधियां) | (91.86)<br>₹ 229.84 करोड़ | (93)<br>₹ 168.32 करोड़ | प्रौद्योगिकी नवीनीकरण और आधुनिकीकरण कार्यों के माध्यम से विभिन्न गेल साइटों पर नवाचार और विकासात्मक परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जो सामान्य तौर पर बेहतर प्रक्रिया/दक्षता/सुरक्षा और/या लागत न्यूनीकरण के संदर्भ में लाभ लाती हैं। |
| **कुल** | **₹ 250.20 करोड़** | **₹ 180.71 करोड़** | |

2. **क) क्या स्थायी सोर्सिंग के लिए कंपनी में प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं)**

हां

**ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत निवेशों को स्थायी रूप से प्राप्त किया गया?**

जी हां, गेल के पास स्थायी सोर्सिंग के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

- निविदा दस्तावेज के आकार/मात्रा को कम करने और कागज के उपयोग में कमी लाने के लिए, डिजिटल पहल और व्यापार करने में आसानी के एक भाग के रूप में, गेल की निविदा वेबसाइट पर संविदा की सामान्य शर्तों (जीसीसी) का एक मानक दस्तावेज पहले से ही उपलब्ध है। जीसीसी को अब निविदा दस्तावेजों का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है।
- गेल ने परियोजनाओं में बड़े संविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए दस्तावेज ट्रांसमिटल प्रणाली शुरू की है। गेल अधिकारी द्वारा दस्तावेजों का प्रिंटआउट निकाले बिना डिजिटल माध्यम से बड़ी मात्रा वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित यह अनुबंध दस्तावेज ठेकेदार को ऑनलाइन प्रेषित किया जाता है, जो दस्तावेज पर प्रतिहस्ताक्षर करता है और इसे गेल को वापस भेजता है।
- गेल की निविदाओं में ग्रीन पैकेजिंग का प्रावधान शामिल किया गया है।
- एमएसई 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति
- घरेलू स्तर पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों (डीएमईपी) के लिए खरीद वरीयता की नीति
- सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017 के अनुसार खरीद वरीयता प्रदान करने की नीति
- घरेलू स्तर पर निर्मित लौह और इस्पात उत्पादों (डीएमआई एंड एसपी) के लिए वरीयता की नीति
- घरेलू स्तर पर निर्मित दूरसंचार उत्पादों, कार्यों और सेवाओं के लिए खरीद वरीयता की नीति
- ₹ 200 करोड़ से कम की कोई आईसीबी निविदा नहीं होती। असाधारण मामलों में, आईसीबी निविदाएँ केवल सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही जारी की जाएँगी।
- एमएसई 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के अनुरूप अ.जा./अ.ज.जा. और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई को वरीयता दी जा रही है।
- डीपीआईआईटी की स्टार्ट–अप नीति का पालन करना, जिसमें पंजीकृत स्टार्ट–अप को तकनीकी बीईसी को पूरा करने की अनिवार्य आवश्यकता से छूट दी गई है।

3. **(क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई–कचरा (ग) खतरनाक अपशिष्ट और (घ) अन्य अपशिष्ट के उनकी आयु पूरा होने पर उनके पुनः उपयोग, रिसाइकलिंग और निपटान के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का उल्लेख करें।**

गेल में एक सुपरिभाषित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है, जिसका लक्ष्य खतरनाक और गैर–खतरनाक दोनों तरह के कचरे को कम करना है। इसके अतिरिक्त, हम गेल की साइटों पर 3–आर कार्यनीति के तहत इस कचरे को कम करने, पुनः उपयोग करने, रिसाइकलिंग का भी पालन करते हैं, जिससे हमारे कचरे को कम करने का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में प्रगति तेज होती है। स्रोत पर ही कचरे को कम करने की और अधिक विचारों की खोज के लिए या संचालन में छोटे–छोटे बदलाव लाकर हम आंतरिक और बाहरी एजेंसियों (एसपीसीबी/तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा) के माध्यम से अपशिष्ट लेखापरीक्षा करते हैं, यह विनियमों के अनुसार हमारे अपशिष्ट प्रबंधन अनुपालन का पता लगाने में भी मदद करता है। संदर्भित वर्ष में अपशिष्ट लेखापरीक्षा के अनुसार, व्यवसाय संचालन या उत्पाद का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पाया गया था।

4. **क्या विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) कंपनी की गतिविधियों पर लागू होता है (हां/नहीं)। यदि हां, तो क्या कचरा संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें।**

जी हाँ। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत गेल पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लागू है। गेल पाता प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के साथ प्लास्टिक कच्चे माल के ब्रांड मालिक, प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री के आयातक और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के साथ निर्माता के रूप में पंजीकृत है। गेल, पाता को ब्रांड मालिक, आयातक और निर्माता के रूप में लागू सीपीसीबी/यूपीपीसीबी द्वारा प्रदान किए गए वार्षिक ईपीआर लक्ष्यों के अनुसार ईपीआर प्रमाणपत्रों की खरीद के माध्यम से ईपीआर पूरा किया जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) के मानदंडों के अनुसार, बैटरी अपशिष्ट को अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से पुनर्नवीनीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा, ई–कचरे को अधिकृत ई–कचरा एजेंसियों को निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार निपटाया जाता है।

**नेतृत्व संकेतक**

1. **क्या कंपनी ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) किया है? यदि हां, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?**

| एनआईसी कोड | उत्पाद/सेवा का नाम | कुल कारोबार का % योगदान | वह सीमा जिसके लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन किया गया था | क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा कराया गया (हां/नहीं) | सार्वजनिक डोमेन में सूचित परिणाम (हां/नहीं)। यदि हां, तो वेब–लिंक प्रदान करें |
|---|---|---|---|---|---|
| 33330 | नेफ्था | 0.56 | पाता संयंत्र के लिए गेट से गेट (सिस्टम बाउंड्री) के भीतर | हाँ | नहीं |
| 3411063 | पेंटेन | 0.50 | पाता संयंत्र के लिए गेट से गेट (सिस्टम बाउंड्री) के भीतर | हाँ | नहीं |
| 3411068 | प्रोपेन | 0.00 | पाता संयंत्र के लिए गेट से गेट (सिस्टम बाउंड्री) के भीतर | हाँ | नहीं |
| 3341004 | एलपीजी | 9.55 | पाता संयंत्र के लिए गेट से गेट (सिस्टम बाउंड्री) के भीतर | हाँ | नहीं |
| 3342004 | ईथीलीन | 0.00 | पाता संयंत्र के लिए गेट से गेट (सिस्टम बाउंड्री) के भीतर | हाँ | नहीं |
| 3342008 | प्रोपलीन | 2.99 | पाता संयंत्र के लिए गेट से गेट (सिस्टम बाउंड्री) के भीतर | हाँ | नहीं |
| 3337000 | मिश्रित ईंधन तेल | 1.69 | पाता संयंत्र के लिए गेट से गेट (सिस्टम बाउंड्री) के भीतर | हाँ | नहीं |

वर्तमान में एलसीए केवल 1 संयंत्र (अर्थात् पाता) के लिए आयोजित किया जाता है, भविष्य में अन्य संयंत्रों के लिए भी एलसीए आयोजित किया जाएगा।

2. **यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न होने वाली कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय समस्याएं और/या जोखिम हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, तो उसे कम करने की कार्रवाई के साथ–साथ संक्षेप में उसका वर्णन करें।**

| क्र.सं. | उत्पाद का नाम | जोखिम का विवरण | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|---|
| 1 | नेफ्था | **उच्च जोखिम:** ग्लोबल वार्मिंग<br>**मध्यम जोखिम:** समुद्री पारिस्थितिकी विषाक्तता, मानव कैंसर जनित विषाक्तता और मीठे पानी की पारिस्थितिकी विषाक्तता | नियमित रूप से परिचालन दक्षता में सुधार के उपाय किए जाते हैं, तथा यदि कोई रिसाव होता है तो उसे रोकने के लिए नियमित रूप से रिसाव की जांच की जाती है। |
| 2 | पेंटेन | | |
| 3 | प्रोपेन | | |
| 4 | एलपीजी | | |
| 5 | इथिलीन | | |
| 6 | पॉलीइथिलीन | | |
| 7 | मिश्रित ईंधन तेल | | |

3. **उत्पादन (निर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में रीसाइकल या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत।**

| इनपुट सामग्री दर्शाएं | कुल सामग्री की तुलना में रिसाइकल या पुनः उपयोग इनपुट सामग्री | |
|---|---|---|
| | वित्त वर्ष 2023–24 | वित्त वर्ष 2022–23 |
| पॉलीइथिलीन (3411067) | ~1 | ~1 |

4. **उत्पादों की आयु के पूरा होने पर निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार पुनः उपयोग, रीसाइकल और सुरक्षित रूप से निपटाई गई मात्रा की मात्रा (मीट्रिक टन में):**

प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन एवं विपणन तथा एलएचसी विपणन के मामले में कोई उत्पाद पैकेजिंग नहीं है। पॉलिमर पैकेजिंग के संबंध में, गेल ईपीआर के माध्यम से सीपीसीबी/यूपीपीसीबी द्वारा दिए गए लक्ष्यों के अनुसार ईपीआर प्रमाणपत्रों की खरीद करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है।

| | वित्त वर्ष 2023–24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष) | | | वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | पुनः उपयोग | रीसाइकल | सुरक्षित निपटान | पुनः उपयोग | रीसाइकल | सुरक्षित निपटान |
| प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) | 0 | 2972 | 0 | 0 | 2885 | 0 |
| ई–कचरा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| खतरनाक अपशिष्ट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अन्य अपशिष्ट | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनः दावा किए गए उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के % के रूप में)। (पुनर्प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री संबंधित श्रेणी में बेचे गए कुल उत्पादों के % के रूप में उत्पाद श्रेणी बताएं)**

| | संबंधित श्रेणी में बेचे गए कुल उत्पादों के : के रूप में पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री |
|---|---|
| उत्पाद श्रेणी बताएं | शून्य |

fl)kr 3% 0;olk;k dk lHkh de'pkfj;k dk lEeku djuk pkfg, vkj mudh dY;k.k dk c<kok nuk pkfg,] ftlesa mudh eY; J`[kyk,a Hkh 'kkfey gS

**आवश्यक संकेतक**

**1. क. कर्मचारियों के कल्याण के लिए उपायों का विवरणः**

| श्रेणी | द्वारा कवर किए गए कर्मचारियों का % | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल (क) | स्वास्थ्य बीमा | | दुर्घटना बीमा | | मातृत्व लाभ | | पितृत्व लाभ | | डे केयर सुविधाएं | |
| | | संख्या (ख) | % (ख/क) | संख्या (ग) | % (ग/क) | संख्या (घ) | % (घ/क) | संख्या (ड) | % (ड/क) | संख्या (च) | % (च/क) |
| **स्थायी कर्मचारी** | | | | | | | | | | | |
| पुरुष | 3,883 | 3,883 | 100 | 3,883 | 100 | लागू नहीं | लागू नहीं | 3,883 | 100 | 0 | 0 |
| महिला | 302 | 302 | 100 | 302 | 100 | 302 | 100 | लागू नहीं | लागू नहीं | 0 | 0 |
| **कुल** | **4,185** | **4,185** | **100** | **4,185** | **100** | **302** | **07** | **3,883** | **93** | **0** | **0** |
| **स्थायी कर्मचारियों के अलावा** | | | | | | | | | | | |
| पुरुष | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| महिला | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **कुल** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**ख. श्रमिकों के कल्याण के लिए उपायों का विवरणः**

| श्रेणी | द्वारा कवर किए गए कामगारों का % | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल (क) | स्वास्थ्य बीमा | | दुर्घटना बीमा | | मातृत्व लाभ | | पितृत्व लाभ | | डे केयर सुविधाएं | |
| | | संख्या (ख) | % (ख/क) | संख्या (ग) | % (ग/क) | संख्या (घ) | % (घ/क) | संख्या (ड) | % (ड/क) | संख्या (च) | % (च/क) |
| **स्थायी कर्मचारी** | | | | | | | | | | | |
| पुरुष | 805 | 805 | 100 | 805 | 100 | लागू नहीं | लागू नहीं | 805 | 100 | शून्य | 0 |
| महिला | 42 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | लागू नहीं | लागू नहीं | शून्य | 0 |
| **कुल** | **847** | **847** | **100** | **847** | **100** | **42** | **05** | **805** | **95** | **0** | **0** |
| **स्थायी कर्मचारियों के अलावा** | | | | | | | | | | | |
| पुरुष | 13541 | 13541 | 100 | 13541 | 100 | लागू नहीं | लागू नहीं | 13541 | 100 | शून्य | 0 |
| महिला | 452 | 452 | 100 | 452 | 100 | 452 | 100 | लागू नहीं | लागू नहीं | शून्य | 0 |
| **कुल** | **13993** | **13993** | **100** | **13993** | **100** | **452** | **3.23** | **13541** | **96.77** | **0** | **0** |

ग. कर्मचारियों और श्रमिकों (स्थायी और स्थायी के अलावा अन्य सहित) के कल्याण उपायों पर निम्नलिखित प्रारूप में व्ययः

| | वर्तमान वित्त वर्ष 2023–24 | पिछला वित्तीय वर्ष 2022–23 |
|---|---|---|
| कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में कल्याण उपायों पर किया गया व्यय | 0.18 % | 0.11 % |

2. **चालू वित्त वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण।**

| लाभ | वित्त वर्ष 2023–24 वर्तमान वित्तीय वर्ष | | | वित्त वर्ष 2022–23 पिछला वित्तीय वर्ष | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल कर्मचारियों के % के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या | कुल श्रमिकों के % के रूप में शामिल श्रमिकों की संख्या | कटौती की गई और प्राधिकरण को जमा की गई (हां/नहीं/लागू नहीं) | कुल कर्मचारियों के % के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या | कुल श्रमिकों के % के रूप में शामिल श्रमिकों की संख्या | कटौती की गई और प्राधिकरण को जमा की गई (हां/नहीं/लागू नहीं) |
| पीएफ | 100 | 100 | हाँ | 100 | 100 | हाँ |
| ग्रेच्यूटी | 100 | 100 | हाँ | 100 | 100 | हाँ |
| ईएसआई | 100 | 100 | हाँ | 100 | 100 | हाँ |
| अन्य | 0 | 0 | लागू नहीं | 0 | 0 | लागू नहीं |

3. **कार्यस्थलों तक पहुंच**

**क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी के परिसर/कार्यालय दिव्यांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में इकाई द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं?**

जी हां, हमारे कार्यालय दिव्यांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए व्हीलचेयर/लिफ्ट के माध्यम से सुलभ हैं। भवन संरचना में कोई भी संशोधन दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 के अनुसार दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

4. **क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार कंपनी में समान अवसर नीति है? यदि हां, तो नीति का वेब–लिंक प्रदान करें।**

जी हां। नीति का विवरण यहां से प्राप्त किया जा सकता हैः

https://www.gailonline.com/pdf/others/EqualOpportunityPolicyEnglish14022024.pdf

5. **पैतृक अवकाश लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों की काम पर लौटने तथा प्रतिधारण दर।**

| लिंग | स्थायी कर्मचारी (वित्त वर्ष 2023–24) | | स्थायी कामगार (वित्त वर्ष 2023–24) | |
|---|---|---|---|---|
| | काम पर लौटने की दर | प्रतिधारण दर | काम पर लौटने की दर | प्रतिधारण दर |
| पुरुष | 96.9 | 95.9 | 91.6 | 100 |
| महिला | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **कुल** | **98.45** | **97.95** | **95.8** | **100** |

6. **क्या कर्मचारियों और कामगारों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई प्रणाली मौजूद है? यदि हां, तो प्रणाली का संक्षेप में विवरण दें।**

| | हां/नहीं (यदि हां, तो प्रणाली का संक्षेप में विवरण दें) |
|---|---|
| स्थायी कामगार | जी हां, गेल के पास कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए शिकायत निवारण प्रणाली सहित कई ऑनलाइन शिकायत पोर्टल हैं। यह पोर्टल त्वरित समाधान और निगरानी के लिए 3–स्तरीय प्रणाली पर काम करता है। मानव संसाधन प्रभारी 10 दिनों की अवधि के भीतर शिकायत का समाधान करता है। इसके अलावा, देरी या असंतोषजनक समाधान या परिणाम के मामले में कॉर्पोरेट मानव संसाधन को शिकायत की जा सकती है। पूरी प्रक्रिया को शिकायत के 15 दिनों के भीतर पूरा करने के लिए बनाया गया है।<br>शिकायत पोर्टल का लिंक : https://www.gailonline.com/onlineComplants.html |
| स्थायी कामगारों के अलावा | |
| स्थायी कर्मचारी | |
| स्थायी कर्मचारियों के अलावा | |

7. **सूचीबद्ध कंपनी द्वारा मान्यता–प्राप्त संघ(घों) या यूनियनों में कर्मचारियों और कामगारों की सदस्यता:**

गेल में कर्मचारियों को बिना किसी प्रतिशोधात्मक परिणाम के किसी भी, समस्या को व्यक्त करने का अधिकार है। कर्मचारियों को सांविधिक प्रावधानों और आचार संहिता के दायरे में श्रमिक संघ या श्रमिक संघ बनाने या उसमें शामिल होने का विकल्प प्रदान करके यूनियन बनाने और सामूहिक सौदेबाजी की स्वतंत्रता के अधिकार को बरकरार रखा जा रहा है। वर्तमान में गेल में 02 संघ कार्यरत हैं, अर्थात गेल एम्पलाइज एसोसिएशन (जीईए) और गेल कर्मचारी संघ (जीकेएस)।

| श्रेणी | वित्त वर्ष 2023–24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष) | | | वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | संबंधित श्रेणी के कुल कर्मचारी/कामगार (क) | संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/कामगारों की संख्या, जो संघ(घों) या यूनियन(नों) का हिस्सा हैं (ख) | % (ख/क) | संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/कामगार (ग) | संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/कामगारों की संख्या, जो संघ(घों) या यूनियन(नों) का हिस्सा हैं (घ) | % (घ/ग) |
| कुल स्थायी कर्मचारी | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| पुरुष | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| महिला | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल स्थायी कामगार | | **847** | **100** | **823** | **823** | **100** |
| पुरुष | | 805 | 100 | 789 | 789 | 100 |
| महिला | 42 | 42 | 100 | 34 | 34 | 100 |

8. **कर्मचारियों और कामगारों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरणः**

| श्रेणी | वित्त वर्ष 2023–24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष) | | | | | वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल (क) | स्वास्थ्य और संरक्षा उपाय पर | | कौशल उन्नयन पर | | कुल (घ) | स्वास्थ्य और संरक्षा उपाय पर | | कौशल उन्नयन पर | |
| | | सं. (ख) | % (ख/क) | सं. (ग) | % (ग/क) | | सं. (ड.) | % (ड./घ) | सं. (च.) | % (च/घ) |
| **कर्मचारी** | | | | | | | | | | |
| पुरुष | 3883 | 617 | 15.89 | 1708 | 43.98 | 3,718 | 708 | 19.04 | 1,327 | 35.70 |
| महिला | 302 | 41 | 13.57 | 153 | 50.66 | 278 | 26 | 9.35 | 151 | 54.32 |
| **कुल** | **4185** | **658** | **15.72** | **1861** | **44.46** | **3,996** | **734** | **18.37** | **1,478** | **36.98** |
| **कामगार** | | | | | | | | | | |
| पुरुष | 805 | 203 | 25.21 | 131 | 16.27 | 789 | 160 | 20.28 | 130 | 16.48 |
| महिला | 42 | 06 | 14.28 | 07 | 16.66 | 34 | 0 | 0 | 07 | 20.59 |
| **कुल** | **847** | **209** | **24.69** | **138** | **16.29** | **823** | **160** | **19.44** | **137** | **16.65** |

9. **कर्मचारियों और कामगारों के प्रदर्शन और करियर विकास की समीक्षा का विवरणः**

| श्रेणी | वित्तीय वर्ष 2023–24 वर्तमान वित्तीय वर्ष | | | वित्तीय वर्ष 2022–23 पिछला वित्तीय वर्ष | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल (क) | सं. (ख) | % (ख/क) | कुल (ग) | सं. (घ) | % (घ/ग) |
| **कर्मचारी** | | | | | | |
| पुरुष | 3883 | 3883 | 100 | 3,722 | 3,722 | 100 |
| महिला | 302 | 302 | 100 | 278 | 278 | 100 |
| **कुल** | **4185** | **4185** | **100** | **4,000** | **4,000** | **100** |
| **कामगार** | | | | | | |
| पुरुष | 805 | 805 | 100 | 789 | 789 | 100 |
| महिला | 42 | 42 | 100 | 34 | 34 | 100 |
| **कुल** | **847** | **847** | **100** | **823** | **823** | **100** |

10. **स्वास्थ्य और संरक्षा प्रबंधन प्रणालीः**

क. क्या कंपनी द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और संरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां/नहीं)। यदि हां, तो ऐसी प्रणाली की कवरेज बताएं?

जी हां, गेल की एचएसई प्रबंधन प्रणाली को पेट्रोलियम उद्योग में संरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर ओआईएसडी मानक के अनुरूप तैयार किया गया है। स्वास्थ्य, संरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (एचएसईएमएस) का हिस्सा बनने के लिए 18 घटकों की पहचान की गई है जो गेल की सभी गतिविधियों पर लागू हैं।

एचएसई दस्तावेज सम्पूर्ण गेल प्रतिष्ठानों में कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक घटक के लिए आवश्यकताओं और दिशानिर्देशों का एक सेट प्रदान करता है। गेल ने एसएपी आधारित एचएसई प्रबंधन प्रणाली भी शुरू की है जिसमें व्यावसायिक स्वास्थ्य और संरक्षा आदि जैसी कई कार्यात्मकताएं हैं।

चिकित्सा विभाग वार्षिक आधार पर विभिन्न गेल प्रतिष्ठानों में सभी कर्मचारियों की व्यावसायिक स्वास्थ्य जांच करता है। इसके अलावा, गेल में व्यावसायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों की निगरानी के लिए कॉर्पोरेट व्यावसायिक स्वास्थ्य समिति तिमाही आधार पर बैठकें आयोजित करती है। व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रणाली/सुविधाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन आंतरिक बहु–विषयक टीमों द्वारा किए गए व्यावसायिक स्वास्थ्य अंकेक्षण के माध्यम से भी किया जाता है।

**ख. कार्य–संबंधी खतरों की पहचान करने और संस्था द्वारा नियमित और गैर–नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?**

गेल ने सैप आधारित एचएसई प्रबंधन प्रणाली शुरू की है जिसमें कई कार्यात्मकताएं हैं जैसे कि घटना प्रबंधन प्रणाली (जैसे संरक्षा अवलोकन, बाल–बाल बचने की रिपोर्टिंग और घटना की रिपोर्टिंग), जोखिम मूल्यांकन, जॉब संरक्षा विश्लेषण, परिवर्तन का प्रबंधन और संरक्षा ऑडिट/गतिविधि निगरानी। ये सभी कॉर्पोरेट एचएसई नीति के विभिन्न घटकों के साथ अंतर्निहित हैं। कर्मचारी बाल–बाल बचने वाली घटनाओं, कार्य से संबंधित खतरों को सैप आधारित एचएसई पोर्टल में दर्ज कर सकते हैं।

**ग. क्या गेल के पास काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और ऐसे जोखिमों से स्वयं को दूर करने के लिए श्रमिकों के लिए प्रक्रियाएं हैं। (हां/नहीं)**

जी हां, गेल में विभिन्न गेल साइटों पर संरक्षा अवलोकन (असुरक्षित कार्य/असुरक्षित स्थिति) और निकट–चूक की रिपोर्टिंग के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम है। ऑनलाइन सिस्टम कर्मचारियों को असुरक्षित कार्य/असुरक्षित स्थिति की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। संविदा कर्मचारी भी आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अपने गेल पर्यवेक्षक के माध्यम से ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट कर सकते हैं। गेल सुरक्षा से संबंधित घटनाओं का समाधान करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए ओआईएसडी, पीएनजीआरबी दिशानिर्देशों आदि का पालन करता है।

**घ. क्या संस्था के कर्मचारियों/कामगारों की गैर–व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है? (हां नहीं)**

जी हाँ।

**11. निम्नलिखित प्रारूप में सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण:**

| सुरक्षा घटना/संख्या | श्रेणी | वित्तीय वर्ष 2023–24 वर्तमान वित्तीय वर्ष | वित्त वर्ष 2022–23 पिछला वित्तीय वर्ष |
|---|---|---|---|
| चोट लगने से समय हानि आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर) (प्रति एक मिलियन व्यक्तियों द्वारा घंटों में किया गया काम) | कर्मचारी | 0 | 0.18 |
| | कामगार | 0.28 | 0 |
| कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य–संबंधी चोटें | कर्मचारी | 0 | 0 |
| | कामगार | 05 | 0 |
| हताहतों की संख्या | कर्मचारी | 0 | 0 |
| | कामगार | 02 | 04 |
| उच्च परिणाम वाली कार्य–संबंधी चोट या अस्वस्थता (हताहतों को छोड़कर) | कर्मचारी | 0 | 0 |
| | कामगार | 03 | 03 |

**12. एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।**

गेल ने एचएसई पर शीर्ष प्रबंधन की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए अपनी कॉर्पोरेट स्वास्थ्य, संरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) नीति तैयार की है। यह उच्चतम स्तर की संरक्षा, कर्मचारी स्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने के विजन के अनुरूप अपने व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यावसायिक स्वास्थ्य और संरक्षा को महत्व देकर सतत विकास के माध्यम से मूल्य उत्पन्न करने का प्रयास करती है।

- गेल प्रतिष्ठानों में व्यवहार आधारित संरक्षा (बीबीएस) को एक संरक्षा कार्य संस्कृति विकसित करने, ठेका श्रमिकों सहित सभी कर्मचारियों को कार्यस्थल सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसी भी असुरक्षित स्थिति/असुरक्षित कार्य की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए लागू किया गया है।
- कार्यस्थल पर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) (जैसे सूती वर्दी, सुरक्षा जूते और हेलमेट आदि) का उपयोग अनिवार्य है। विशेष कार्य के लिए उपयुक्त पीपीई के उपयोग का मार्गदर्शन करने के लिए पीपीई नियम मौजूद है। कार्य–विशिष्ट पीपीई भी सभी को उपलब्ध कराए जाते हैं और इसका उपयोग सख्ती से सुनिश्चित किया जाता है।

इसके अलावा, गेल ने अपने कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और संरक्षा अभ्यास शुरू किए हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

**कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यास:** गेल के लिए कर्मचारियों का स्वास्थ्य और संरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और ये विशेषताएँ हमारे मुख्य संगठनात्मक मूल्यों में अंतर्निहित हैं। कर्मचारियों (ठेका श्रमिकों सहित) के लिए स्वास्थ्य और संरक्षा अभ्यास मुख्य रूप से स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली द्वारा संचालित होते हैं, जिन्हें कार्यात्मक निदेशक द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है। कार्यस्थल संरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रबंधन की प्रतिबद्धता के अनुरूप, गेल के एचएसई प्रबंधन प्रणाली के अनुसार स्थायी कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित संरक्षा अभ्यास लागू किए गए हैं।

- प्रत्येक माह की 10 तारीख को विभिन्न प्रचालन एवं रखरखाव (ओएंडएम) प्रतिष्ठानों में मासिक संरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन, प्रभारी अधिकारी (ओआईसी) अपने प्रतिष्ठानों के संरक्षा संबंधी पहलुओं की समीक्षा करते हैं।
- विश्वव्यापी औद्योगिक घटनाओं (अतीत में घटित) पर केस स्टडीज मासिक आधार पर सभी कर्मचारियों को परिचालित की जाती हैं। ओएंडएम प्रतिष्ठानों में संरक्षा समीक्षा बैठकों के दौरान केस स्टडीज से सीखे गए सबक पर चर्चा की जाती है।

- सभी गैर–नियमित कार्यों के लिए कार्य सुरक्षा विश्लेषण किया जाता है ताकि कार्य से जुड़े खतरों/जोखिमों और उनके उपशमन उपायों की पहचान की जा सके। नियमित कार्यों को मानक संचालन प्रक्रियाओं के माध्यम से विनियमित किया जाता है।
- विभिन्न सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए प्रबंधन और गैर–प्रबंधन कर्मचारियों के सदस्यों वाली सुरक्षा समिति की बैठकें ओएंडएम प्रतिष्ठानों में आयोजित की जाती हैं।
- कार्यस्थल पर शोर, रोशनी और पर्यावरणीय वायु गुणवत्ता की निगरानी की जाती है ताकि इसे लागू नियमों और विनियमों द्वारा अनुशंसित निर्धारित सीमाओं के भीतर रखा जा सके।
- कोड/मानकों के अनुरूप कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और आगे सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए आंतरिक/बाहरी टीम द्वारा गेल प्रतिष्ठानों का सुरक्षा ऑडिट किया गया है।
- वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार नियमित कर्मचारियों को आंतरिक संरक्षा और प्रचालन प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

**ठेका श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य एवं संरक्षा अभ्यास:** गेल संयंत्रों, पाइपलाइनों और इसकी सुविधाओं के डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव के दौरान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार, व्यवसाय के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। गेल सभी ठेका श्रमिकों को संगठन के भीतर सकारात्मक एचएसई संस्कृति बनाने के लिए सुरक्षित कार्य प्रथाओं और व्यवहार को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। गेल स्वास्थ्य और सुरक्षा पर कारखाना अधिनियम एवं नियम तथा भवन और अन्य निर्माण कार्य अधिनियम 1996 के तहत निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन करता है। इस संबंध में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों का सारांश नीचे दिया गया है:

- ठेका कर्मचारियों को प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशमन, पीपीई का उपयोग, कार्यस्थल के खतरों आदि सहित विभिन्न सुरक्षा पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जाता है।
- कार्य परमिट प्रणाली का पालन किया जाता है और काम शुरू करने से पहले सभी श्रमिकों को सुरक्षा वार्ता दी जाती है।
- ऊंचाई पर काम करने और पोत प्रवेश जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच तैनाती से पहले सुनिश्चित की जा रही है।
- मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी), सुरक्षा सूचना, डेटा शीट, एमएसडीएस आदि प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाते हैं।
- संयंत्र के परिसर के अंदर रखरखाव गतिविधि के दौरान चिंगारी उत्पन्न न करने वाले उपकरणों का उपयोग किया जाता है।
- श्रमिकों को सुरक्षा सप्ताह, अग्निशमन सेवा दिवस जैसे कार्यक्रमों में भाग लेने और सुरक्षा सुझाव प्रस्तुत करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। यह उन्हें सुरक्षा प्रथाओं को अपनाने के लिए एक मंच प्रदान करता है और एचएसई प्रबंधन प्रणाली में निरंतर सुधार की दिशा में मदद करता है।

हाइड्रोकार्बन और जहरीली गैसों, रोशनी, शोर, पर्यावरण गुणवत्ता आदि की सांद्रता के स्तर का आकलन करने के लिए कार्यस्थल की समय–समय पर निगरानी की जाती है और इसे स्वीकार्य स्तर पर लाने के लिए उपयुक्त उपशमन उपाय किए जाते हैं।

**13. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:**

| | वित्त वर्ष 2023–24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष) | | | वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्ष के दौरान दायर | वर्ष के अंत में लंबित संकल्प | टिप्पणियां | वर्ष के दौरान दायर | वर्ष के अंत में लंबित संकल्प | टिप्पणियां |
| कार्य स्थितियां | 0 | 0 | - | 04 | 0 | - |
| स्वास्थ्य एवं संरक्षा | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |

**14. वर्ष का आकलन:**

| | आपके संयंत्रों और कार्यालयों का : जिनका मूल्यांकन किया गया था (कंपनी या सांविधिक प्राधिकारियों या तृतीय पक्षों द्वारा) |
|---|---|
| स्वास्थ्य एवं संरक्षा प्रथाएं | 100 |
| कार्य स्थितियां | 100 |

**15. सुरक्षा संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं तथा काम करने की स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/समस्याओं के समाधान के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

क) गेल ने ओएंडएम सुविधाओं की आंतरिक तकनीकी और सुरक्षा ऑडिट करने के लिए ढांचागत प्रक्रिया स्थापित की है। पीएनजीआरबी विनियमों, ओआईएसडी मानकों आदि के संबंध में सुधार क्षेत्रों की पहचान करने के लिए आंतरिक ऑडिट (सक्रिय सुरक्षा ऑडिट और आंतरिक ऑडिट) वर्ष में कम से कम एक बार आंतरिक टीम द्वारा किया जा रहा है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, कॉर्पोरेट टीम द्वारा पाइपलाइनों और गैस प्रोसेसिंग संयंत्रों को कवर करते हुए 25 आंतरिक तकनीकी और सुरक्षा ऑडिट किए गए। उपर्युक्त के अलावा, विद्युत संरक्षा के संबंध में विभिन्न अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ओएंडएम प्रतिष्ठानों की 02 विद्युत संरक्षा ऑडिट की गई।

ख) गेल लागू कोड और मानकों के संबंध में कमियों की पहचान करने और सुधार क्षेत्रों, यदि कोई हो, की पहचान करने के लिए ओएंडएम प्रतिष्ठानों की संरक्षा ऑडिट करता है। लागू केंद्रीय और राज्य विनियमों के अनुसार, तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों (टीपीआईए) द्वारा विभिन्न ऑडिट किए जाते हैं।

ग) तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी), भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक तकनीकी निदेशालय भी विभिन्न ओआईएसडी मानकों और दिशानिर्देशों के अनुरूपता की जांच करने के लिए 3/4 साल में एक बार गैस प्रोसेसिंग संयंत्रों, पेट्रोकेमिकल्स और एनजी/एलपीजी पाइपलाइनों की संरक्षा ऑडिट करता है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, ओआईएसडी ने गेल प्रतिष्ठानों की 03 बाहरी संरक्षा ऑडिट की हैं।

घ) एलपीजी भंडारण और हैंडलिंग सुविधाओं, एनजी/एलपीजी पाइपलाइनों और सीजीडी नेटवर्क जैसे गेल प्रतिष्ठानों की तकनीकी और संरक्षा ऑडिट पीएनजीआरबी द्वारा विधिवत अनुमोदित तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों द्वारा की जा रही है ताकि लागू पीएनजीआरबी विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, गेल प्रतिष्ठानों के लिए अनुमोदित टीपीआईए द्वारा 18 पीएनजीआरबी टी4एस ऑडिट किए गए।

ङ.) खतरनाक रसायनों के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम (एमएसआईएचसी), 1989 के अनुरूप, प्रमुख प्रतिष्ठानों का बाह्य संरक्षा ऑडिट (ईएसए) वर्ष में एक बार किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, ओआईएसडी और पीएनजीआरबी के अलावा 25 ईएसए किए गए हैं।

च) ईएसए पर अनुपालन रिपोर्ट समय–समय पर ओआईएसडी, पीईएसओ और पीएनजीआरबी को प्रस्तुत की जा रही है।

**नेतृत्व संकेतक**

1. **क्या कंपनी (क) कर्मचारियों (हां/नहीं) (ख) कामगारों (हां/नहीं) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई प्रतिपूरक पैकेज प्रदान करती है।**

जी हां, गेल में स्थायी कर्मचारियों और स्थायी कामगारों की मृत्यु के मामले में 'मृत्यु राहत कोष' नामक एक प्रतिपूरक पैकेज की व्यवस्था है। स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारी, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत आते हैं और जहाँ भी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (ईएसआई), 1948 लागू नहीं होता है, वहाँ मृत्यु/दिव्यांगता लाभ प्रदान करने के लिए ठेकेदार द्वारा बीमा पॉलिसी प्राप्त की जाती है। जहाँ ईएसआई अधिनियम, 1948 लागू होता है, वहाँ ठेका कर्मचारियों को ईएसआई अधिनियम, 1948 के तहत लाभ सुनिश्चित किया जाता है।

2. **मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा सांविधिक देय राशि काट ली गई है और जमा कर दी गई है, यह सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा किए गए उपायों का उल्लेख करें।**

गेल में यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत तंत्र है कि हमारे मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा सांविधिक बकाया राशि की उचित कटौती की गई है और इसे जमा किया गया है।

3. **उन कर्मचारियों/कामगारों की संख्या उपलब्ध कराएं, जिन्हें काम से संबंधित चोट/बीमारी/मृत्यु का सामना करना पड़ा है (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताया गया है), जिनका पुनर्नियुक्त किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार दिया गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार दिया गया है।**

| | प्रभावित कर्मचारियों/कामगारों की कुल संख्या | | पुनर्नियुक्त किए गए कर्मचारियों/कामगारों की संख्या और जिन्हें उपयुक्त रोजगार दिया गया है या जिसके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार दिया गया है | |
|---|---|---|---|---|
| | वित्त वर्ष 2023–24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष) | वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष) | वित्त वर्ष 2023–24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष) | वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष) |
| कर्मचारी | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कामगार | 02 | 0 | 0 | 0 |

4. **क्या कंपनी निरंतर रोजगार की सुविधा और सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप करियर समाप्ति का प्रबंधन करने के लिए परिवर्तन सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हां/नहीं)**

किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति जैसे करियर की समाप्ति से व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या और मानसिकता में बदलाव आता है। इस बदलाव के लिए तैयार रहने के लिए, गेल अपने उन कर्मचारियों के लिए कार्यशालाएँ आयोजित करता है, जो अगले कुछ महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इसका उद्देश्य आनंदमय जीवन को बढ़ावा देना है।

कार्यशाला में आनंदमय जीवन के चार स्तंभों को शामिल किया गया है, अर्थात व्यक्तिगत प्रभावशीलता, ध्यान साधना और भावनात्मक प्रभावशीलता, वित्तीय सुदृढ़ता, स्वास्थ्य और कल्याण (पोषण और शारीरिक स्वास्थ्य)।

यह कार्यशाला उपर्युक्त प्रत्येक स्तंभ पर जानकारी, विचार और सलाह देने के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें कई मुद्दों को शामिल किया गया है। 03 दिवसीय कार्यक्रम में संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों की प्रस्तुतियाँ शामिल हैं। यह प्रतिभागियों को सेवानिवृत्ति के बाद जीवन को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करने की योजना बनाने में मदद करता है।

कार्यशाला में सीखने के लिए खुलापन, सेवानिवृत्ति के आरपीएम (परिणाम, उद्देश्य, विधि), जीवन को रोचक बनाने वाले विचार, मानसिक विचार – सेवानिवृत्ति का सफर, तनाव और चिंता में कमी, स्पष्टता और उत्पादकता की अधिक भावना, भावनात्मक प्रभावशीलता, दैनिक फिटनेस दिनचर्या और स्वस्थ आदतें, 50 या उससे अधिक उम्र में स्वस्थ खानपान, रक्तचाप, शुगर, थायराइड, जोड़ों के दर्द, गठिया जैसी सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए घरेलू उपचार, वास्तविकता की जांच – वर्तमान नेटवर्क, कॉर्पस प्रबंधन, निधियों का लक्ष्य आधारित आवंटन, प्रभावी उपयोग के नियम और दावा न की गई निधियों की स्थिति की रोकथाम जैसे विषयों और उद्देश्यों को शामिल किया गया है।

कार्यशाला में वित्त से संबंधित मॉड्यूल को भी विस्तार से शामिल किया गया है, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद गेल से लाभ (पीआरएमएस और अधिवर्षिता लाभ), राष्ट्रीय पेंशन योजना, विभिन्न वार्षिकी प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुतियां, निवेश और वित्त पर सत्र शामिल हैं।

5. **मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:**

| | मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन किया गया था* |
|---|---|
| स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएं | 100 |
| कार्य स्थितियां | 100 |

*केवल गेल परिसर में काम करने वाले ठेका श्रमिकों, विक्रेताओं का मूल्यांकन किया गया।

**6. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और मूल्य श्रृंखला भागीदारों की कार्य स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/समस्याओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

मूल्य श्रृंखला साझेदारों की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं तथा कार्य स्थितियों के आकलन से कोई महत्वपूर्ण जोखिम/चिंता उत्पन्न नहीं हुई है।

**सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।**

**आवश्यक संकेतक**

**1. कंपनी के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान संबंधी प्रक्रियाओं का वर्णन करें।**

हितधारक सहभागिता गेल के व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कंपनी सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य बनाने के लिए हितधारकों की पहचान करने और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी लेती है। हितधारकों के साथ जुड़ाव और उनकी समस्याओं और हितों को समझना भौतिकता मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

गेल के लिए, हितधारक जुड़ाव हितधारकों की पहचान करने और प्राथमिकता देने की एक बहु–स्तरीय प्रक्रिया है, साथ ही जुड़ाव के तरीकों और पद्धतियों की पहचान करना और हितधारकों की अपेक्षाओं को प्रबंधित करना भी है। ऐसे व्यक्तियों और समूहों की एक सूची बनाई गई है जिनके हित कंपनी की गतिविधियों से प्रभावित होते हैं या प्रभावित हो सकते हैं तथा उन्हें आंतरिक और बाहरी हितधारक समूहों में वर्गीकृत किया गया है। आंतरिक हितधारकों में सभी कर्मचारी शामिल हैं जबकि प्रमुख बाहरी हितधारकों में शेष 12 हितधारक समूह शामिल हैं अर्थात सरकार और अन्य विनियामक, निवेशक, आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियां, उद्योग संघ, समुदाय, ठेकेदार/कार्यान्वयन एजेंसियां, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान, गैर–सरकारी संगठन/सिविल सोसायटी संगठन, बड़े पैमाने पर जनता और मीडिया।

**2. अपनी कंपनी के लिए प्रमुख के रूप में पहचाने गए हितधारक समूहों और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ने की अवधि की सूची बनाएं।**

| हितधारक समूह | क्या कमजोर और सीमांत समूह के रूप में पहचान की गई है (हां/नहीं) | संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार–पत्र, इश्तहार, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य | नियुक्ति की अवधि (वार्षिक/अर्धवार्षिक/तिमाही/अन्य –कृपया निर्दिष्ट करें) | इस तरह की संबद्धता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और समस्याओं सहित जुड़ने का उद्देश्य और कार्यक्षेत्र |
|---|---|---|---|---|
| **सरकार और अन्य विनियामक – बाहरी हितधारक** | नहीं | ईमेल, बैठकें, टेलीफोन पर बातचीत, समीक्षा, समझौता–ज्ञापन, तिमाही प्रगति रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट | वार्षिक, मासिक और आवश्यकता आधारित | • सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी मिशनों का समर्थन करना<br>• स्वच्छ गैस आधारित अर्थव्यवस्था परिवर्तन में सरकार का समर्थन करना<br>• संबंध बनाना<br>• समझौता–ज्ञापनों के माध्यम से निष्पादन मूल्यांकन<br>• प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करना<br>• प्रमुख निवेश योजनाओं पर चर्चा करना |
| **वित्तीय संस्थान – आंतरिक और बाहरी हितधारक** | नहीं | • निवेशकों के साथ बैठकें<br>• निवेशक संबंध (आईआर) कॉन्फ्रेंस/रोड शो में भाग लेना<br>• निवेश समुदाय के लिए साइट का दौरा आयोजित करना<br>• निवेश समुदाय के लिए कॉन्फ्रेंस कॉल की व्यवस्था करना<br>• विश्लेषक बैठकें आयोजित करना<br>• सार्वजनिक प्रकटीकरण और तिमाही वित्तीय परिणाम प्रकाशित करना<br>• प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करना<br>• शेयरधारकों के साथ पत्राचार करना | वार्षिक, तिमाही | • वित्तीय निष्पादन<br>• व्यापक भविष्य की रणनीतियाँ साझा करना<br>• प्रतिक्रिया प्राप्त करना और समस्याओं का समाधान करना<br>• प्रमुख निर्णयों पर शेयरधारकों से अनुमोदन लेना |

| हितधारक समूह | क्या कमजोर और सीमांत समूह के रूप में पहचान की गई है (हां/नहीं) | संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार–पत्र, इश्तहार, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य | नियुक्ति की अवधि (वार्षिक/अर्धवार्षिक/ तिमाही/अन्य –कृपया निर्दिष्ट करें) | इस तरह की संबद्धता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और समस्याओं सहित जुड़ने का उद्देश्य और कार्यक्षेत्र |
|---|---|---|---|---|
| **कर्मचारी– आंतरिक हितधारक** | नहीं | • संतुष्टि सर्वेक्षण<br>• सोशल मीडिया<br>• शिकायत निवारण<br>• सुझाव योजनाएं<br>• सीएमडी ओपन हाउस<br>• विभिन्न समितियां<br>• गेल दिवस समारोह<br>• ईमेल, जर्नल,<br>• कर्मचारी संघों और यूनियनों के साथ बैठकें<br>• टाउनहॉल<br>• 'समन्वय' – दिल्ली–एनसीआर मानव संसाधन अधिकारियों का स्थलों का दौरा | वार्षिक, तिमाही, मासिक, दैनिक | • गेल के व्यावसायिक लक्ष्यों, मूल्यों और सिद्धांतों पर पत्राचार<br>• प्रमुख परियोजनाओं की कार्य–योजना<br>• सर्वोत्तम प्रथाओं का कार्यान्वयन<br>• सीखने को सुविधाजनक बनाना और विकास करना<br>• प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों और कार्य योजनाओं की निगरानी करना<br>• समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना<br>• विचार सृजन, साझा करना और सीखना |
| **आपूर्तिकर्ता – बाहरी हितधारक** | जी हाँ, कंपनी के कुछ आपूर्तिकर्ता समाज के वंचित वर्ग से हैं | • आपूर्तिकर्ता के साथ बैठकें<br>• उद्योग सम्मेलन<br>• उच्च प्रबंधन स्तर की समिति तक पहुंच<br>• विक्रेता विकास कार्यक्रम/ विक्रेता कोचिंग कार्यक्रम<br>• अ.जा./अ.ज.जा. के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए व्यावहारिक कार्यक्रम<br>• आवश्यकता अनुसर सभी निविदाओं के लिए पूर्व–निविदा या पूर्व–बोली बैठक<br>• सूक्ष्म और लघु उद्यमों के साथ बैठकें<br>• ईमेल, टेलीफोनिक वार्तालाप, वीडियो कॉल | वार्षिक, तिमाही, मासिक, दैनिक | • प्रचालन संबंधी निर्णयों के बारे में जानकारी देना<br>• उनके प्रदर्शन डेटा/जानकारी को प्राप्त करना<br>• उनकी समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना<br>• विवाद समाधान<br>• संविदाओं की समीक्षा |
| **ग्राहक–बाहरी हितधारक** | नहीं | • वार्षिक ग्राहक बैठक<br>• अंचल ग्राहक बैठक<br>• ग्राहक परस्पर चर्चा बैठक<br>• ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण<br>• प्रदर्शनियाँ<br>• सेमिनार<br>• संगोष्ठी<br>• ईमेल, टेलीफोन पर बातचीत, वीडियो कॉल | • वार्षिक, तिमाही | • उनकी संतुष्टि के स्तर को समझना<br>• प्रचालन संबंधी समस्याओं का समाधान करना<br>• नए उत्पाद विकास पर प्रतिक्रिया प्राप्त करना |
| **गेल (इंडिया) लिमिटेड के संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियां – बाहरी हितधारक** | नहीं | • आवश्यकता आधारित बैठकें<br>• रिपोर्ट और समाचार–पत्र<br>• ईमेल, टेलीफोन पर बातचीत, वीडियो कॉल | आवश्यकता आधारित | • प्रमुख निवेश योजनाओं पर चर्चा<br>• प्रदर्शन डेटा साझा करना<br>• प्रमुख विषयों पर निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करना |

| हितधारक समूह | क्या कमजोर और सीमांत समूह के रूप में पहचान की गई है (हां/नहीं) | संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार–पत्र, इश्तहार, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य | नियुक्ति की अवधि (वार्षिक/अर्धवार्षिक/तिमाही/अन्य –कृपया निर्दिष्ट करें) | इस तरह की संबद्धता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और समस्याओं सहित जुड़ने का उद्देश्य और कार्यक्षेत्र |
|---|---|---|---|---|
| **उद्योग संघ – बाहरी हितधारक** | नहीं | • सेमिनार<br>• सम्मेलन<br>• उद्योग एक्सपो<br>• साक्षात्कार<br>• रिपोर्ट और समाचार–पत्र<br>• ईमेल, टेलीफोन पर बातचीत, वीडियो कॉल | आवश्यकता आधारित | • प्रमुख परियोजनाओं से संबंधित प्रदर्शन डेटा साझा करना<br>• सम्मेलनों और सेमिनारों में भाग लेना<br>• सार्वजनिक नीति में सहभागिता |
| **समुदाय – बाहरी हितधारक** | हाँ | • बैठकें और सीधी बातचीत<br>• सामुदायिक कार्यक्रम<br>• विश्लेषण और प्रभाव आकलन की आवश्यकता<br>• सीएसआर पहल संचार सामग्री कॉर्पोरेट<br>• टेलीफोन पर बातचीत | आवश्यकता आधारित | • आवश्यकता मूल्यांकन करने और सामुदायिक विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए समुदायों के साथ जुड़ना<br>• गंभीर घटनाओं पर उनकी समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना<br>• सामुदायिक शिकायत निवारण |
| **ठेकेदार/ कार्यान्वयन एजेंसियां बाहरी हितधारक** | जी हाँ, कंपनी के कुछ ठेकेदार समाज के वंचित वर्ग से हैं | • आवश्यकता–आधारित बैठकें<br>• बैठकें<br>• वेबसाइट<br>• ईमेल, टेलीफोन पर बातचीत, वीडियो कॉल | वार्षिक, तिमाही, मासिक, दैनिक | • प्रचालन संबंधी निर्णयों को सूचित करना<br>• अपने काम को कंपनी की नीतियों के अनुरूप बनाना<br>• उनके प्रदर्शन डेटा/जानकारी प्राप्त करना<br>• उनकी समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना<br>• कंपनी के दायित्वों जैसे ठेका नवीनीकरण, भुगतान आदि के बारे में बताना।<br>• विवाद समाधान<br>• संविदाओं की समीक्षा |
| **शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान – बाहरी हितधारक** | नहीं | • परियोजना बैठकें<br>• आवधिक समीक्षाएँ<br>• वेबसाइट<br>• सोशल मीडिया<br>• प्रेस<br>• ईमेल, टेलीफोन पर बातचीत, वीडियो कॉल | आवश्यकता आधारित | • गेल अनुसंधान और विकास गतिविधियों में भागीदार और भाग लेना |
| **गैर–सरकारी संगठन/ नागरिक समाज संगठन – बाहरी हितधारक** | नहीं | • परियोजना बैठकें<br>• वार्षिक समीक्षा<br>• ईमेल, टेलीफोन पर बातचीत, वीडियो कॉल | आवश्यकता आधारित | • सामुदायिक विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन<br>• गंभीर घटनाओं पर उनकी समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना |
| **बड़े पैमाने पर जनता–बाहरी हितधारक** | नहीं | • सोशल मीडिया अभियान/ पोस्ट आदि।<br>• सामुदायिक कार्यक्रम<br>• सीएसआर पहल<br>• कॉर्पोरेट संचार सामग्री<br>• प्रेस<br>• ई–मेल | वार्षिक, तिमाही, मासिक, दैनिक | • जनता के लिए गेल की पहल में भाग लेना और उसका समर्थन करना<br>• ब्रांड जागरूकता और बेहतर ब्रांड रिकॉल<br>• गंभीर घटनाओं पर उनकी समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना |

**नेतृत्व संकेतक**

1. **आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें या यदि परामर्श दिया जाता है, तो बोर्ड को इस तरह के परामर्श से फीडबैक कैसे प्रदान किया जाता है।**

वित्तीय निष्पादन पर प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी का समय पर प्रकटीकरण सुशासन का आधार है। इस दिशा में उठाए गए प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:

- **तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामः** कंपनी के तिमाही गैर लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम और लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणाम निर्धारित अवधि के भीतर घोषित किए जाते हैं। परिणाम कम से कम 02 प्रमुख समाचार–पत्रों (01 अंग्रेजी और 01 स्थानीय भाषा) में प्रकाशित किए जाते हैं। इसके अलावा, इन्हें कंपनी की वेबसाइट https://www.gailonline.com/IZFinancialResult.html पर भी होस्ट किया जाता है।
- एनईएपीएस (एनएसई इलेक्ट्रॉनिक एप्लिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम), एनएसई डिजिटल एक्सचेंज पोर्टल और बीएसई कॉर्पोरेट अनुपालन और लिस्टिंग सेंटर – एनएसई और बीएसई ने कॉर्पोरेट्स के लिए वेब–आधारित एप्लिकेशन विकसित किए हैं। वित्तीय परिणाम, शेयरधारिता पैटर्न, कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट आदि जैसे आवधिक अनुपालन एनईएपीएस, एनएसई डिजिटल एक्सचेंज पोर्टल और बीएसई लिस्टिंग सेंटर पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज किए जाते हैं।
- **प्रेस विज्ञप्ति, प्रस्तुतियाँ आदिः** गेल संस्थागत निवेशकों और विश्लेषकों आदि के साथ संवाद करने के लिए निवेशक सम्मेलनों का आयोजन करता है। आधिकारिक समाचार/प्रेस विज्ञप्तियाँ और प्रस्तुतियाँ, निवेशकों/विश्लेषकों को की गई कॉन्फ्रेंस कॉल की प्रतिलिपियाँ भी कंपनी की वेबसाइट पर होस्ट की जाती हैं और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित की जाती हैं।
- **वेबसाइटः** गेल की वेबसाइट www.gailonline.com 'निवेशक संबंध' पर समर्पित अनुभाग है जिसमें शेयरधारकों के लिए अद्यतन प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध है।
- **वार्षिक रिपोर्टः** वार्षिक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ पृथक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट शामिल है, जिसे सदस्यों और अन्य पात्र लोगों को वितरित किया जाता है। वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां संसद में भी प्रस्तुत की जाती हैं। इसे कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है, जिसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है– https://gailonline.com/IZAnnualReports.html
- बैठक के दौरान अध्यक्ष द्वारा दिया गया भाषण/संदेश शेयरधारकों की जानकारी के लिए गेल की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- **स्कोर्स (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली)** – सेबी निवेशकों की शिकायतों को एक केंद्रीकृत वेब–आधारित शिकायत निवारण प्रणाली अर्थात स्कोर्स पर प्रोसेस करता है। इस प्रणाली के माध्यम से, कोई शेयरधारक किसी कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है। कंपनी/आरटीए शिकायत पर की गई कार्रवाई को अपलोड करता है जिसे शेयरधारक देख सकते हैं। कंपनी और शेयरधारक सेबी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।
- **निवेशकों को पत्रः** शेयरधारकों को हर साल अवैतनिक/गैर–दावा किए गए लाभांश/शेयरों का दावा करने के लिए नियमित अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं।
- **हरित पहल** – कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई हरित पहल के संदर्भ में, सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से दस्तावेज प्रदान करने के लिए, गेल विभिन्न महत्वपूर्ण संचार/दस्तावेज जैसे वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना, एनसीएलटी सूचना आदि को ई–मेल के माध्यम से शेयरधारकों को डीपी/आरएंडटीए के साथ पंजीकृत उनके ई–मेल आईडी पर भेज रहा है।
- **नामित ईमेल–आईडीः** गेल के पास निवेशक सेवा के लिए एक नामित ईमेल–आईडी हैः shareholders@gail.co.in
- वार्षिक रिपोर्ट सभी पात्र शेयरधारकों को केवल ईमेल के माध्यम से भेजी जाती है। पात्र शेयरधारकों को ईमेल भेजने से पहले, सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से शेयरधारकों की पंजीकृत ईमेल आईडी को अपडेट/मान्य करने का भी प्रयास किया गया है।
- लाभांश पर टीडीएस कटौती से छूट के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का अनुपालन करने और सभी पात्र शेयरधारकों को उचित अवसर देने के लिए शेयरधारकों को आवश्यक दस्तावेज (फॉर्म 15छ, फॉर्म 15ज, फॉर्म 10च, घोषणा–निवासी शेयरधारक, एनआरआई, एफपीआई, एफआईआई, एआईएफ, आदि) प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए संदेश भेजा गया।

2. क्या पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन का समर्थन करने के लिए हितधारक परामर्श का उपयोग किया जाता है (हां/नहीं)। यदि हां, तो इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त जानकारी को कंपनी की नीतियों और गतिविधियों में कैसे शामिल किया गया, इसके उदाहरण सहित विवरण प्रदान करें।

जी हां, गेल उन मुद्दों की जांच करने के लिए भौतिकता मूल्यांकन प्रक्रिया आयोजित करता है जो हितधारकों की पहचान और प्राथमिकता देने की बहु–स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण हैं, जुड़ाव के साधनों और मोड की पहचान की जाती है अर्थात भौतिकता सर्वेक्षण और आमने–सामने बैठकर चर्चा। अंत में, कंपनी महत्वपूर्ण हितधारकों की पहचान करती है जो भौतिकता प्रक्रिया में शामिल हैं और प्रमुख भौतिक समस्याओं का आकलन करते समय उनके दृष्टिकोण पर विचार किया जाता है। इस हितधारक फीडबैक का उपयोग प्रमुख ईएसजी क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।

3. कमजोर/वंचित हितधारक समूहों की समस्याओं को दूर करने के लिए किए गए कार्यों और उनके साथ संपर्क स्थापित करने का उदाहरणों के साथ विवरण प्रदान करें।

गेल नियमित बैठकों के माध्यम से कमजोर/वंचित हितधारक समूहों की समस्याओं को दूर करता है। गेल कमजोर/वंचित हितधारक समूहों सहित स्थानीय समुदायों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए सीएसआर परियोजनाएं शुरू करता है। हमारे कई सीएसआर कार्यक्रमों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है।

गेल आरोग्य के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिटों के संचालन के माध्यम से घर–घर चिकित्सा देखभाल सेवाएं प्रदान करके वंचित आबादी तक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का विस्तार किया गया। गेल द्वारा शुरू की गई विभिन्न स्वास्थ्य पहलों ने मौजूदा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में कमियों को दूर करने में मदद की है।

गेल कौशल के तहत हाइड्रोकार्बन क्षेत्र, प्लास्टिक उत्पाद निर्माण, दृष्टिबाधित लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि के संबंध में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इन प्रशिक्षित लाभार्थियों में से अधिकांश को विभिन्न क्षेत्रों में लाभकारी रोजगार मिला है और प्रत्येक लाभार्थी संबंधित घरेलू आय में वार्षिक वृद्धि में योगदान दे रहा है। गेल सक्षम के तहत दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) को क्षमता निर्माण और कौशल विकास सहायता के साथ–साथ सहायता उपकरण प्रदान किए गए।

**सिद्धांत 5: व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।**

**आवश्यक संकेतक**

**1. कर्मचारी और कामगार जिन्हें निम्नलिखित प्रारूप में मानवाधिकारों के मुद्दों और कंपनी की नीति(यों) पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:**

| श्रेणी | वित्तीय वर्ष 2023–24 वर्तमान वित्तीय वर्ष | | | वित्त वर्ष 2022–23 पिछला वित्तीय वर्ष | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल (क) | कवर किए गए कर्मचारियों/कामगारों की संख्या (ख) | % (ख/क) | कुल (ग) | कवर किए गए कर्मचारियों/कामगारों की संख्या (घ) | % (घ/ग) |
| **कर्मचारी** | | | | | | |
| स्थायी | 4191 | 465 | 11.09 | 3,996 | 418 | 10.46 |
| स्थायी के अलावा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **कुल कर्मचारी** | **4191** | **465** | **11.09** | **3,996** | **418** | **10.46** |
| **कामगार** | | | | | | |
| स्थायी | 847 | 17 | 2.00 | 823 | 14 | 1.70 |
| स्थायी के अलावा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **कुल कर्मचारी** | **847** | **17** | **2.00** | **823** | **14** | **1.70** |

**2. निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों और कामगारों को भुगतान की गई न्यूनतम वेतन का विवरण:**

| श्रेणी | वित्त वर्ष 2023–24 वर्तमान वित्तीय वर्ष | | | | | वित्त वर्ष 2022–23 पिछला वित्तीय वर्ष | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल (क) | न्यूनतम वेतन के बराबर | | न्यूनतम वेतन से अधिक | | कुल (घ) | न्यूनतम वेतन के बराबर | | न्यूनतम वेतन से अधिक | |
| | | सं. (ख) | % (ख/क) | सं. (ग) | % (ग/क) | | सं. (ड) | % (ड./घ) | सं. (च) | % (च/घ) |
| **कर्मचारी** | | | | | | | | | | |
| स्थायी | 4185 | 0 | 0 | 4185 | 100 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 100 |
| पुरुष | 3883 | 0 | 0 | 3883 | 100 | 3,722 | 0 | 0 | 3,722 | 100 |
| महिला | 302 | 0 | 0 | 302 | 100 | 278 | 0 | 0 | 278 | 100 |
| स्थायी के अलावा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| पुरुष | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| महिला | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **कामगार** | | | | | | | | | | |
| स्थायी | 847 | 0 | 0 | 847 | 100 | 823 | 0 | 0 | 823 | 100 |
| पुरुष | 805 | 0 | 0 | 805 | 100 | 789 | 0 | 0 | 789 | 100 |
| महिला | 42 | 0 | 0 | 42 | 100 | 34 | 0 | 0 | 34 | 100 |
| स्थायी के अलावा | 13993 | 0 | 0 | 13993 | 100 | 17501 | 0 | 0 | 17501 | 100 |
| पुरुष | 13541 | 0 | 0 | 13541 | 100 | 17030 | 0 | 0 | 17030 | 100 |
| महिला | 452 | 0 | 0 | 452 | 100 | 471 | 0 | 0 | 471 | 100 |

**3. निम्नलिखित प्रारूप में पारिश्रमिक/मासिक वेतन/वेतन का विवरणः**

**क. औसत पारिश्रमिक/वेतनः**

| | पुरुष | | महिला | |
|---|---|---|---|---|
| | संख्या | संबंधित श्रेणी के पारिश्रमिक/वेतन/वेतन का मान | संख्या | संबंधित श्रेणी के पारिश्रमिक/वेतन/वेतन का मान |
| निदेशक मंडल (बीओडी) | 06 | 3,45,577 | 00 | 0 |
| प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक | 01 (पूर्ण कालिक निदेशकों के अलावा) | 2,51,978 | 00 | 0 |
| बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी | 3,888 | 1,74,253 | 302 | 1,46,901 |
| कामगार | 805 | 75,092 | 42 | 59,778 |

**ख. कंपनी द्वारा भुगतान किए गए कुल वेतन के % के रूप में महिलाओं को भुगतान किए गए सकल वेतन, निम्नलिखित प्रारूप में :**

| | वित्त वर्ष 2023–24 वर्तमान वित्तीय वर्ष | वित्त वर्ष 2022–23 पिछला वित्तीय वर्ष |
|---|---|---|
| महिलाओं को दिए जाने वाले सकल वेतन, कुल वेतन के % के रूप में | 6.0 | 5.7 |

**4. क्या आपके यहां कोई केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है जो मानवाधिकारों के प्रभावों या व्यवसाय के कारण या योगदान के मुद्दों का समाधान करने के लिए जिम्मेदार है? (हां/नहीं)।**

जी हां, किसी भी उल्लंघन के मामले में, मामले को यूनिट/कार्यालय/स्थापना के संबंधित प्रभारी अधिकारी के ध्यान में लाया जाता है।

**5. मानवाधिकारों के मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक प्रणालियों का उल्लेख करें।**

गेल में, मानवाधिकारों से संबंधित किसी भी कदाचार के प्रति हमारी शून्य सहनशीलता की नीति है। मानवाधिकार से संबंधित किसी भी मुद्दे का समाधान के लिए हमारे यहां अत्यधिक पारदर्शी और सुलभ आंतरिक प्रणाली है। कर्मचारियों की शिकायतें दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली है। पोर्टल यह सुनिश्चित करने के लिए त्रि–स्तरीय संरचना का उपयोग करता है कि शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए और प्रणाली की प्रायः निगरानी की जाती है। संबंधित मा. सं. प्रभारी शिकायत दर्ज करने और शिकायत पंजीकरण के 10 दिनों की अवधि के भीतर इसका समाधान करने के लिए जवाबदेह है। इसके अलावा, देरी या असंतोषजनक समाधान या परिणाम के मामले में निगमित मा.सं. को शिकायत भेजी जा सकती है। ऑनलाइन पोर्टल का लिंक नीचे दिया गया है:

https://www.gailonline.com/onlineComplaints.html

गेल में एक महिला प्रकोष्ठ है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिला कर्मचारियों की विकास संबंधी आवश्यकताओं को देखना है। प्रकोष्ठ सदस्य नियमित रूप से हमारी महिला कार्यबल के साथ उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं या किसी भी प्रकार के समर्थन की आवश्यकता को समझने के लिए संपर्क करते हैं।

**6. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्याः**

| | वित्त वर्ष 2023–24 वर्तमान वित्तीय वर्ष | | | वित्त वर्ष 2022–23 पिछला वित्तीय वर्ष | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्ष के दौरान दायर | वर्ष के अंत में लंबित निर्णय | टिप्पणियां | वर्ष के दौरान दायर | वर्ष के अंत में लंबित निर्णय | टिप्पणियां |
| यौन उत्पीड़न | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| कार्यस्थल पर भेदभाव | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| श्रम मजदूरी | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| बलात्/अनैच्छिक मजदूरी | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| वेतन | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| मानवाधिकार से जुड़े अन्य मुद्दे | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| अन्य कर्मचारी शिकायतें | 33 | 0 | - | 34 | 0 | - |

**7. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज की गई शिकायतें:**

| | 2023–24<br>वर्तमान वित्त वर्ष | वर्ष 2022–23<br>पिछला वित्तीय वर्ष |
|---|---|---|
| कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 (पीओएसएच) के तहत दर्ज की गई कुल शिकायतें | 0 | 0 |
| महिला कर्मचारियों/श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में पीओएसएच पर शिकायतें | 0 | 0 |
| पीओएसएच पर शिकायतों को सही ठहराया गया | 0 | 0 |

**8. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यापार समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हां/नहीं)**

गेल यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि कार्यबल में कोई भेदभाव और उत्पीड़न न हो। गेल के पास कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण पर एक समर्पित नीति है। यह कार्यस्थल पर सभी महिला कर्मचारियों और श्रमिकों पर लागू है, जिनमें ठेकेदारों के माध्यम से इनरोल महिलाएँ भी शामिल हैं। गेल में एक समर्पित शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसके तहत शिकायतों का संज्ञान लेने के लिए केंद्रीय/साइट स्तर पर आंतरिक शिकायत समिति बनाई गई है। विस्तृत जांच की जाती है और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाती है।

**9. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं कंपनी के व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हां/नहीं)**

जी हां

**10. वर्ष के लिए आकलन:**

गेल के संयंत्रों और कार्यालयों का मूल्यांकन वर्ष के दौरान विभिन्न प्राधिकारियों जैसे सांविधिक श्रम प्राधिकारियों, आंतरिक और तृतीय पक्ष लेखा परीक्षकों (टीपीए) द्वारा किया जाता है।

| | आपके संयंत्रों और कार्यालयों का प्रतिशत जिनका मूल्यांकन किया गया था (कंपनी या सांविधिक प्राधिकारियों या तृतीय पक्षों द्वारा) |
|---|---|
| बाल श्रम | 100 |
| बलात्/अनैच्छिक मजदूरी | 100 |
| यौन उत्पीड़न | 100 |
| कार्यस्थल पर भेदभाव | 100 |
| वेतन | 100 |
| अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें | लागू नहीं |

**11. उपर्युक्त प्रश्न 10 में मूल्यांकनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/समस्याओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

हमारे संयंत्रों और कार्यालयों में किए गए मूल्यांकन के दौरान कोई महत्वपूर्ण समस्या नहीं पाई गई है। फिर भी, भविष्य में किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए प्रथाओं और प्रणालियों का लगातार विश्लेषण और सुधार किया जा रहा है। इसमें कर्मचारियों और श्रमिकों के बीच जागरूकता सत्र आयोजित करना शामिल है।

## नेतृत्व संकेतक

**1. मानवाधिकार शिकायतों का समाधान करने के परिणामस्वरूप संशोधित/शुरू की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण।**

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान मानवाधिकार शिकायतों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण टिप्पणी नहीं की गई है, जिससे मौजूदा तंत्र में किसी प्रकार के संशोधन या किसी नई व्यावसायिक प्रक्रिया को शुरू करने की आवश्यकता हो।

**2. किए गए किसी भी मानवाधिकार विचार–विमर्श के दायरे और कवरेज का विवरण।**

गेल मानवाधिकारों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का सख्ती से पालन करता है। इनमें बाल श्रम अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम आदि शामिल हैं। गेल सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त दीर्घकालिक समझौते (एलटीएस) के अनुसार नियमित कामगारों को सांविधिक भुगतान सहित वेतन और लाभों का समय पर भुगतान करता है। इसके अलावा, गेल विभिन्न ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित ठेका श्रमिकों को मजदूरी और अन्य सांविधिक लाभों का भुगतान सुनिश्चित करता है। निविदाओं/कार्य आदेशों में विशिष्ट अनुबंध प्रावधानों को शामिल किया गया है और सभी ठेकेदारों को उनका पालन करना आवश्यक है। गेल विभिन्न विधियों के अनुसार उचित कार्य स्थितियों का प्रावधान भी सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, गेल यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी श्रमिक का शोषण न हो और कोई अनुचित श्रम प्रथा मौजूद न हो।

3. **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार, क्या कंपनी का परिसर/कार्यालय दिव्यांगजनों के लिए सुलभ है?**

जी हां, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षओं के अनुसार, हमारा कार्यालय शत–प्रतिशत दिव्यांगजनों के लिए सुलभ हैं।

4. **मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण**

| | मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यापार के मूल्य के आधार पर) जिनका मूल्यांकन किया गया था |
|---|---|
| **यौन उत्पीड़न** | 100 |
| **कार्यस्थल पर भेदभाव** | 100 |
| **बाल श्रम** | 100 |
| **बलात् श्रम/अनैच्छिक श्रम** | 100 |
| **वेतन** | 100 |
| **अन्य – कृपया उल्लेख करें** | लागू नहीं |

5. **उपर्युक्त प्रश्न 4 में मूल्यांकनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/समस्याओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

यह मूल्यांकन गेल के परिसर में कार्यरत मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए किया जाता है। उत्पन्न होने वाली समस्याओं का संविदा के प्रावधानों के अनुसार समाधान किया जाता है। हम अपने आपूर्तिकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण और जागरूकता पहल भी करते हैं।

**सिद्धांत 6: व्यवसायों को पर्यावरण की रक्षा और बहाली का सम्मान और प्रयास करना चाहिए।**

**आवश्यक संकेतक**

1. **निम्नलिखित प्रारूप में कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण:**

| मापदंड | वित्त वर्ष 2023–24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष) | वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष) |
|---|---|---|
| **नवीकरणीय स्रोत से** | | |
| कुल बिजली खपत (क) | 92,182 | 1,16,872 |
| कुल ईंधन खपत (ख) | 0 | 0 |
| अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (ग) | 0 | 0 |
| कुल ऊर्जा खपत (क+ख+ग) | 92,182 | 1,16,872 |
| **गैर–नवीकरणीय स्रोत से** | | |
| कुल ऊर्जा खपत (घ) | 18,57,562 | 14,99,471 |
| कुल ईंधन खपत (ङ.) | 4,74,49,561 | 4,66,73,781 |
| अन्य स्रोतों से ऊर्जा की खपत (च) | 15,12,699 | 17,75,211 |
| गैर–नवीकरणीय स्रोत से उपभोग की गई कुल ऊर्जा (घ+ङ.+च) | 5,08,19,822 | 4,99,48,463 |
| कुल ऊर्जा खपत (क+ख+ग+घ+ङ.+च) | 5,09,12,004 | 5,00,65,334 |
| प्रति रुपए कारोबार ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/प्रचालन से राजस्व) | 390.77 जीजे/₹ करोड़ | 347.73 जीजे/₹ करोड़ |
| क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित कारोबार के प्रति रुपए ऊर्जा तीव्रता<br>(पीपीपी के लिए समायोजित कुल ऊर्जा खपत/प्रचालन से राजस्व) | 8940.98 | 7956.15 |
| भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता | 10.33 | 12.55 |
| ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) – संबंधित मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है | लागू नहीं | लागू नहीं |

**टिप्पणी:** क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

जी हां, गेल (इंडिया) लिमिटेड {"गेल"} ने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की रिपोर्टिंग अवधि के लिए सतत विकास रिपोर्ट का एक स्वतंत्र आश्वासन कराने के लिए ब्यूरो ऑफ वेरिटास को नियुक्त किया है।

**2.** **क्या संस्था के पास भारत सरकार के निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचान की गई कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, प्रदान करें।**

जी हां, गेल का पाता संयंत्र ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) चक्र IV के तहत एक नामित उपभोक्ता है। जी हां, पीएटी– IV (वित्त वर्ष 2016–17 के आधार वर्ष) के साथ 6.1% की कटौती का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है।

**3.** **जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण का विवरण निम्न प्रारूप में उपलब्ध कराएं:**

| मापदंड | वित्त वर्ष 2023–24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष) | वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष) |
|---|---|---|
| **स्रोत से जल निकासी (किलोलीटर में)** | | |
| सतही जल | 1,99,58,086 | 1,49,14,811 |
| भूजल | 1,27,014 | 1,46,214 |
| तृतीय पक्ष जल | 6,30,082 | 6,34,354 |
| समुद्री जल/विलवणीकृत जल | 0 | 0 |
| अन्य | 17,78,353 | 18,11,297 |
| जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i+ii+iii+iv+v) | 2,24,93,749 | 1,75,06,677 |
| पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में) | 2,24,93,749 | 1,75,06,677 |
| प्रति रुपया कारोबार पानी की तीव्रता (पानी की कुल खपत/प्रचालन से राजस्व) | 172.65 कि.ली./₹ करोड़ | 121.59 कि.ली./₹ करोड़ |
| क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कारोबार की जल तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल जल खपत/ प्रचालन से राजस्व) | 3950 | 2782.08 |
| भौतिक उत्पादन के संदर्भ में जल की तीव्रता | 168.36 एम$^3$/₹ करोड़ | 175.90 एम$^3$/₹ करोड़ |
| जल तीव्रता (वैकल्पिक) – प्रासंगिक मीट्रिक, इकाई द्वारा चुना जा सकता है | लागू नहीं | लागू नहीं |

**टिप्पणी: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।**

जी हां, गेल ने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की रिपोर्टिंग अवधि के लिए बीआरएसआर और सतत विकास रिपोर्ट का स्वतंत्र आश्वासन देने के लिए मैसर्स एसआर एशिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को नियुक्त किया है।

**4. छोड़े गए पानी से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:**

| मापदंड | वित्तीय वर्ष 2023–24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष) | वित्तीय वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष) |
|---|---|---|
| गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार छोड़ा गया पानी (किलोलीटर में) | | |
| **(i) सतही जल** | | |
| – उपचार रहित | 0 | 0 |
| – उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें | **21,45,607**<br>हमारी सबसे बड़ी सुविधा, गेल पाता से छोड़े गए पानी की गुणवत्ता का औसत डेटा इस प्रकार है:<br>• पीएचः 7.5<br>• बीओडीः 18.2 मि.ग्रा./लीटर<br>• सीओडीः 72.9 मि.ग्रा./लीटर<br>• टीएसएसः 38.4 मि.ग्रा./लीटर<br>• तेल और ग्रीसः <2 मि.ग्रा./लीटर<br>• फिनोलः <0.5 मि.ग्रा./लीटर<br>• कुल क्रोमियम (सीआर के रूप में): <0.01 मि.ग्रा./लीटर<br>• हेक्सा वैलेंट क्रोमियमः <0.05 मि.ग्रा/लीटर<br>• सल्फाइड (एस के रूप में): <0.2 मि.ग्रा/लीटर | **21,97,609**<br>हमारे सबसे बड़े संयंत्र, गेल पाता से निकलने वाले पानी की गुणवत्ता के लिए औसत डेटा इस प्रकार है:<br>• पीएचः 7.5<br>• बीओडीः 21.2 मि.ग्रा./1<br>• सीओडीः 97.4 मि.ग्रा./1<br>• टीएसएसः 23.0 मि.ग्रा./1<br>• तेल और ग्रीसः 4 मि.ग्रा./1 से कम<br>• फिनोलः <0.5 मि.ग्रा./1<br>• कुल क्रोमियम (सीआर के रूप में): <0.01 मि.ग्रा./1<br>• हेक्सा वैलेंट क्रोमियमः <0.05 मि.ग्रा./1<br>• सल्फाइड (एस के रूप में): <0.2 मि.ग्रा./1 |
| **(ii) भूजल के लिए** | 0 | 0 |
| – उपचार रहित | 0 | 0 |
| – उपचार सहित–कृपया उपचार का स्तर बताएं | 0 | 0 |
| **(iii) समुद्री जल के लिए** | 0 | 0 |
| – उपचार रहित | 0 | 0 |
| – उपचार सहित–कृपया उपचार का स्तर बताएं | 0 | 0 |
| **(iv) तृतीय पक्ष को भेजा गया** | 0 | 0 |
| – उपचार रहित | 0 | 0 |
| – उपचार सहित–कृपया उपचार का स्तर बताएं | 0 | 0 |
| **(v) अन्य** | 0 | 0 |
| – उपचार रहित | 0 | 0 |
| – उपचार सहित–कृपया उपचार का स्तर बताएं | 0 | 0 |
| **कुल छोड़ा गया पानी (किलोलीटर में)** | **21,45,607** | **21,97,609** |

**टिप्पणीः बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।**

जी हां, गेल ने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की रिपोर्टिंग अवधि के लिए बीआरएसआर और सतत विकास रिपोर्ट का स्वतंत्र आश्वासन देने के लिए मैसर्स एसआर एशिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को नियुक्त किया है।

**5. क्या कंपनी ने शून्य तरल डिस्चार्ज के लिए कोई प्रणाली लागू की है? यदि हां, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का ब्यौरा दें।**

प्रक्रियाओं से निकलने वाले अपशिष्ट जल को अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (ईटीपी) के माध्यम से उपचारित किया जाता है। उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक उपचार शामिल हैं जैसे पीएच को समायोजित करना, निलंबित ठोस पदार्थों को हटाना और जैविक ऑक्सीजन मांग (बीओडी), रासायनिक ऑक्सीजन मांग (सीओडी), फिनोल, तेल और ग्रीस, साइनाइड, क्रोमियम आदि को स्वीकार्य सीमा से नीचे कम करना। उपचारित पानी का उपयोग बागवानी गतिविधियों के लिए किया जाता है। शेष पानी को परिसर के बाहर छोड़ दिया जाता है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) के अपशिष्ट मानदंडों का पालन करने के लिए नियमित रूप से निगरानी की जाती है। हमारे किसी भी साइट पर उपचारित अपशिष्ट के निर्वहन से कोई भी जल निकाय प्रभावित नहीं हुआ है। इसके अलावा, गेल पाता पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में एक जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयंत्र स्थापित कर रहा है।

6. **कृपया कंपनी द्वारा निम्नलिखित प्रारूप में वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें:**

| मापदंड | यूनिट | वित्त वर्ष 2023–24 वर्तमान वित्तीय वर्ष) | वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष) |
|---|---|---|---|
| **एनओएक्स** | मीट्रिक टन/वार्षिक | 1226 | 800 |
| **एसओएक्स** | मीट्रिक टन/वार्षिक | 715 | 520 |
| **पार्टिकुलेट मैटर (पीएम)** | मीट्रिक टन/वार्षिक | 355 | 243 |
| **ठोस कार्बनिक** | | 0 | 0 |
| **प्रदूषक (पीओपी)** | मीट्रिक टन/वार्षिक | 81 | 88 |
| **परिवर्तनशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)** | मीट्रिक टन/वार्षिक | 0 | 0 |
| **खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)** | मीट्रिक टन/वार्षिक | 488 | 713 |
| **अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें (सीओ)** | टन/वार्षिक | | |

**टिप्पणी: क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।**

जी हां, गेल ने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की रिपोर्टिंग अवधि के लिए बीआरएसआर और सतत विकास रिपोर्ट का स्वतंत्र आश्वासन देने के लिए मैसर्स एसआर एशिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को नियुक्त किया है।

7. **निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:**

| मापदंड | यूनिट | वित्तीय वर्ष 2023–24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष) | वित्तीय वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष) |
|---|---|---|---|
| **कुल स्कोप 1 उत्सर्जन** (सीओ$_2$, सीएच$_4$, एन$_2$ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ$_6$, एनएफ$_3$ का जीएचजी में विवरण, यदि उपलब्ध हो) | सीओ$_2$ समकक्ष मीट्रिक टन | 34,67,989 | 36,56,175 |
| **कुल स्कोप 2 उत्सर्जन** (सीओ$_2$, सीएच$_4$, एन$_2$ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ$_6$, एनएफ$_3$ का जीएचजी विवरण, यदि उपलब्ध हो) | सीओ$_2$ समकक्ष मीट्रिक टन | 3,86,108 | 3,19,380 |
| कुल स्कोप 1 + स्कोप 2 | सीओ$_2$ समकक्ष मीट्रिक टन | 38,54,097 | 39,75,555 |
| कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 प्रति रुपए कारोबार उत्सर्जन तीव्रता (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन/संचालन से राजस्व) | सीओ$_2$ समकक्ष/करोड़ रुपए का मीट्रिक टन | 29.58 | 28 |
| क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित कारोबार के प्रति रुपए कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित प्रचालन से कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन/राजस्व) | मीट्रिक टन सीओ2 समकक्ष/करोड़ पीपीपी के लिए समायोजित प्रचालन | 676.84 | 631.77 |
| भौतिक आउटपुट के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता | मीट्रिक टन सीओ2 समकक्ष/करोड़ | 23.80 | 21.28 |
| कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) – प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

**टिप्पणी: क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।**

जी हां, गेल ने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की रिपोर्टिंग अवधि के लिए बीआरएसआर और सतत विकास रिपोर्ट का स्वतंत्र आश्वासन देने के लिए मैसर्स एसआर एशिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को नियुक्त किया है।

8. **क्या कंपनी में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो विवरण दें।**

जी हाँ, गेल ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए विभिन्न परियोजनाएँ शुरू की हैं। कुछ परियोजनाएँ नीचे विस्तार से दी गई हैं:

| पहल | पहल के परिणाम |
|---|---|
| ऊर्जा कुशल एयर कंडीशनर (5 स्टार रेटेड) को अपनाना | 199 ऊर्जा कुशल 5 स्टार रेटेड एसी की स्थापना से वित्त वर्ष 2023–24 में कुल जीएचजी उत्सर्जन में 94 टीसीओ2ई की कमी आई है। |
| एलईडी लाइटें | गेल साइटों पर 398 अदक्ष प्रकाश बल्बों से ऊर्जा–बचत करने वाले एलईडी में बदलने से वित्त वर्ष 2023–24 में जीएचजी उत्सर्जन में 55 टीसीओ2ई की कमी आई है। |
| पाइपलाइन हाइड्रोलिक्स/लाइन पैक को बनाए रखने के लिए गैस टरबाइन संचालित कंप्रेसर (आरआर–डीएलई–जीटीसी) के साथ झाबुआ में डीवीपीएल–1 पाइपलाइन को संपीड़ित करने की परियोजना | गैस टरबाइन कंप्रेसर (जीटीसी) द्वारा ईंधन गैस की कुल बचत 6,64,938.77 एससीएम है।<br><br>वित्त वर्ष 2023–24 में कुल जीएचजी उत्सर्जन में 1,381.83 टीसीओ2ई की कमी आएगी। |
| पाता में 71 कम दक्षता वाली मोटरों को उच्च दक्षता वर्ग की मोटरों से बदला जाएगा। | इसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2023–24 में जीएचजी उत्सर्जन में 638 टीसीओ2ई की कमी आएगी। |
| विजयपुर–दादरी पाइपलाइन पर चैनसा कंप्रेसर स्टेशन जुलाई 2023 में गैस इंजन जनरेटर (जीईजी) से ग्रिड पावर में परिवर्तित हो गया। | इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2023–24 में जीएचजी उत्सर्जन में 1511 टीसीओ2ई की कमी आएगी। इसने ऊर्जा प्रबंधन में भी सुधार किया है और जीईजी में ईंधन गैस की खपत को कम किया है। |
| हजीरा कंप्रेसर स्टेशन ने पीएलसी लॉजिक कंट्रोल के माध्यम से जीटीसी में गैस आफ्टर कूलर (जीएसी) फैन मोटर्स के संचालन को स्वचालित कर दिया है। | इस अपग्रेड के परिणामस्वरूप, चलाने के लिए आवश्यक जीएसी पंखों की संख्या को अनुकूलित और स्वचालित करके पर्याप्त विद्युत ऊर्जा की बचत हासिल की गई। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए अनुमानित जीएचजी उत्सर्जन में कमी लगभग 224 टीसीओ2ई है। |
| प्री–फैब्रिकेटेड सबस्टेशन (पीएफएस) की स्थापना ने गेल झाबुआ में गैस टरबाइन जेनरेटर (जीटीजी) से ग्रिड में बिजली आपूर्ति स्रोत की पहली बार शिफ्टिंग की सुविधा प्रदान की। | झाबुआ कंप्रेसर स्टेशन 24 फरवरी 2024 से ग्रिड पावर में परिवर्तित हो गया, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2023–24 में जीएचजी उत्सर्जन में लगभग 2372 टीसीओ2ई की कमी आई। |
| आईई–3 ऊर्जा कुशल मोटर्स में परिवर्तन | 15 अदक्ष जीएसी मोटर्स को ऊर्जा कुशल आईई–3 मोटर्स से बदलने के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2023–24 में जीएचजी उत्सर्जन में लगभग 98 टीसीओ2ई की कमी आई है। |
| नवीकरणीय ऊर्जा पहल | पाता में छत पर सौर प्रणाली की स्थापना के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2023–24 में जीएचजी उत्सर्जन में 199 टीसीओ2ई की कमी आई है। |

9. **कंपनी द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान किया जाए:**

| मापदंड | वित्त वर्ष 2023–24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष) | वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष) |
|---|---|---|
| **उत्पन्न कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)** | | |
| प्लास्टिक कचरा (क) | 125 | 137 |
| ई–कचरा (ख) | 21.8 | 22.11 |
| जैव चिकित्सा अपशिष्ट (ग) | 4.25 | 0.21 |
| निर्माण और ध्वस्त मलबा (घ) | 0 | 0 |
| बैटरी अपशिष्ट (ड.) | 56.4 | 58.14 |
| रेडियोधर्मी अपशिष्ट (च) | 0 | 0 |
| अन्य खतरनाक अपशिष्ट<br>कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (छ) (बास्केट फिल्टर, खाली ड्रम, टार, तैलीय कीचड मी.टन में) | 2835 | 3392.44 |
| अन्य गैर–खतरनाक सृजित अपशिष्ट (ज)। कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो (कुल उत्पन्न अपशिष्ट/संचालन से राजस्व) | 4937 | 3136.94 |
| कुल (क+ख+ग+घ+ड.+च+छ+ज) | 7979.61 | 6746.84 |
| **प्रति रुपया कारोबार पर अपशिष्ट तीव्रता**<br>(कुल उत्पन्न अपशिष्ट/संचालन से राजस्व) | 0.06 | 0.05 |
| **क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कारोबार पर अपशिष्ट तीव्रता**<br>(कुल उत्पन्न अपशिष्ट/प्रचालन से राजस्व पीपीपी के लिए समायोजित) | 1.37 | 1.07 |

| मापदंड | वित्त वर्ष 2023–24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष) | वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष) |
|---|---|---|
| भौतिक उत्पादन के संदर्भ में अपशिष्ट तीव्रता | 0.06 | 0.05 |
| अपशिष्ट तीव्रता (वैकल्पिक) – प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है | NA | NA |
| **उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, रीसाइकलिंग, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति के माध्यम से प्राप्त कुल अपशिष्ट प्रचालन (मीट्रिक टन में)** | | |
| **कचरे की श्रेणी – ठोस (मी.टन)** | | |
| (i) रीसाइकल | 5112 | 2615.2 |
| (ii) पुनः उपयोग किया गया | 0 | 0 |
| (iii) अन्य रिकवरी ऑपरेशन | 0 | 0 |
| **कुल** | **5112** | **2615.2** |
| **उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार कुल अपशिष्ट का निपटान (मीट्रिक टन में)** | | |
| कचरे की श्रेणी – ठोस (मी.टन) | | |
| (i) भस्मीकरण | 3849 | 2809 |
| (ii) लैंडफिलिंग | 236 | 241 |
| (iii) अन्य निपटान संचालन | 2.12 | 7.48 |
| **कुल** | | **3057.48** |

**टिप्पणी: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।**

जी हां, गेल ने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की रिपोर्टिंग अवधि के लिए बीआरएसआर और सतत विकास रिपोर्ट का स्वतंत्र आश्वासन देने के लिए मैसर्स एसआर एशिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को नियुक्त किया है।

**10. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाए गए अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्यनीति और ऐसे कचरे के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का उल्लेख करें।**

- गेल का लक्ष्य खतरनाक और गैर–खतरनाक दोनों प्रकार के कचरे के उत्पादन को न्यूनतम करना है। गेल नवीन संसाधन कुशल प्रौद्योगिकियों तक पहुँच को सक्षम करके चक्रिय अर्थव्यवस्था की अवधारणा को लागू करने की आकांक्षा रखता है। गेल गेल साइटों पर उत्पन्न खतरनाक और गैर–खतरनाक कचरे को कम करने, पुनः उपयोग करने और रीसाइकल करने के 3आर सिद्धांत का पालन करता है। गेल के विभिन्न स्थलों पर अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:
- खतरनाक कचरे को अलग किया जाता है और समर्पित भंडारण स्थान में संग्रहीत किया जाता है। सभी खतरनाक कचरे को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा अधिकृत उपचार भंडारण और निपटान सुविधाओं (टीएसडीएफ) या रिसाइकिलरों को भेजा जाता है।
- प्लास्टिक कचरे और ई–कचरे को अलग किया जाता है और तीसरे पक्ष के रिसाइकिलरों को भेजा जाता है।
- बायोमेडिकल कचरे का निपटान सामान्य बायो–मेडिकल अपशिष्ट उपचार सुविधा (सीबीडब्ल्यूटीएफ) में किया जाता है।
- इस्तेमाल किए गए तेल का निपटान सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार एसपीसीबी द्वारा अधिकृत विक्रेताओं को किया जा रहा है।
- खतरनाक कचरे के परिवहन के दौरान परिवहन आपातकालीन कार्ड के अनुसार सुरक्षा सावधानियाँ बरती जाती हैं ताकि कोई रिसाव न हो।
- कार्यालयों/संयंत्रों में उत्पन्न ई–कचरे का निपटान अधिकृत रिसाइकिलरों के माध्यम से किया जाता है। टाउनशिप परिसर में नियमित रूप से ई–कचरा जागरूकता और संग्रह शिविर आयोजित किए जाते हैं।

**11. यदि कंपनी में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवक्षेत्र रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियम क्षेत्र आदि) में संचालन/कार्यालय हैं, जहां पर्यावरण अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:**

गेल का पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवक्षेत्र रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) के आसपास कोई कार्यालय स्थित नहीं है।

| क्र.सं. | प्रचालनों/कार्यालयों का स्थान | प्रचालनों का प्रकार | क्या पर्यावरण अनुमोदन/मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हां/नहीं)। यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है, यदि कोई हो। |
|---|---|---|---|
| शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

**12. वर्तमान वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:**

| परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण | ईआईए अधिसूचना संख्या | दिनांक | क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा आयोजित (हाँ/नहीं) | परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित (हाँ/नहीं) | संबंधित वेबलिंक |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

13. क्या कंपनी भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है, जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम (हां/नहीं)। यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर–अनुपालनों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

– जी हां, गेल अनुपालन करता है।

| क्र.सं. | कानून/विनियम/दिशानिर्देश निर्दिष्ट करें जिनका पालन नहीं किया गया था | गैर–अनुपालन का विवरण प्रदान करें | प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या अदालतों जैसी विनियामक एजेंसियों द्वारा लगाया गया कोई भी जुर्माना/ दंड/कार्रवाई | सुधारात्मक कार्रवाई की गई, यदि कोई हो |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

**नेतृत्व संकेतक**

**1. जल संकट वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और निर्वहन (किलोलीटर में):**

जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

(i) क्षेत्र का नाम: गंधार, जामनगर, झाबुआ

(ii) संचालन की प्रकृति: गंधार एक गैस प्रोसेसिंग यूनिट है, जामनगर एक एलपीजी प्राप्ति और पंपिंग स्टेशन है, झाबुआ एनजी कंप्रेसर स्टेशन है।

निम्नलिखित प्रारूप में जल निकासी, खपत और निर्वहन:

| मापदंड | वित्त वर्ष 2023–24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष) | वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष) |
|---|---|---|
| **स्रोत से जल निकासी (कि.ली.में)** | | |
| (i) सतही जल | 0 | 0 |
| (ii) भूजल | 42,828 | 27,423 |
| (iii) तृतीय पक्ष जल | 0 | 0 |
| (iv) समुद्री जल/अलवणीकृत जल | 0 | 0 |
| (v) अन्य (नगरपालिका) | 13,34,973 | 12,35,614 |
| जल निकासी की कुल मात्रा (कि.ली. में) | 13,77,801 | 12,63,037 |
| पानी की खपत की कुल मात्रा (कि.ली. में) | 13,77,801 | 12,63,037 |
| प्रति रुपए करोबार जल तीव्रता (पानी की खपत/कारोबार) | 10.58 कि.ली./करोड़ रुपए | 8.77 कि.ली./करोड़ रुपए |
| **पानी की तीव्रता** (वैकल्पिक) – कंपनी द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक का चयन किया जा सकता है | लागू नहीं | लागू नहीं |
| **गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार पानी का डिस्चार्ज (कि.ली. में)** | | |
| (i) सतही जल में | 0 | 0 |
| – कोई उपचार नहीं | 0 | 0 |
| – उपचार सहित – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें | 0 | 0 |
| (ii) भूजल में | 0 | 0 |
| – कोई उपचार नहीं | 0 | 0 |
| – उपचार सहित – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें | 0 | 0 |
| (iii) समुद्री जल में | 0 | 0 |
| – कोई उपचार नहीं | 0 | 0 |
| – उपचार सहित – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें | 0 | 0 |
| (iv) तृतीय पक्ष को भेजा गया | 0 | 0 |
| – कोई उपचार नहीं | 0 | 0 |
| – उपचार सहित – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें | 0 | 0 |

| मापदंड | वित्त वर्ष 2023–24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष) | वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष) |
|---|---|---|
| (अ) अन्य | 0 | 0 |
| – कोई उपचार नहीं | 0 | 0 |
| – उपचार सहित – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें | 0 | 0 |
| **कुल डिस्चार्ज पानी (कि.ली. में)** | **0** | **0** |

**टिप्पणी: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।**

जी हां, गेल ने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की रिपोर्टिंग अवधि के लिए बीआरएसआर और सतत विकास रिपोर्ट का स्वतंत्र आश्वासन देने के लिए मैसर्स एसआर एशिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को नियुक्त किया है।

2. **कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:**

| मापदंड | यूनिट | वित्तीय वर्ष 2023–24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष) | वित्तीय वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष) |
|---|---|---|---|
| **कुल स्कोप 3 उत्सर्जन** (सीओ2, सीएच4, एन2ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6, एनएफ3 जीएचजी में विवरण, यदि उपलब्ध हो) | सीओ2 समकक्ष मीट्रिक टन | 2,95,08,803 | 2,34,23,804 |
| **कुल स्कोप 3 उत्सर्जन प्रति रुपए कारोबार** | सीओ2 समकक्ष/ करोड़ रुपए का मीट्रिक टन | 226.49 | 159.76 |
| **कुल स्कोप 3 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक)** – कंपनी द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक का चयन किया जा सकता है | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

**टिप्पणी: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।**

जी हां, गेल ने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की रिपोर्टिंग अवधि के लिए बीआरएसआर और सतत विकास रिपोर्ट का स्वतंत्र आश्वासन देने के लिए मैसर्स एसआर एशिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को नियुक्त किया है।

3. **उपर्युक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 10 में बताए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों के साथ–साथ ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर कंपनी के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रदान करें।**

लागू नहीं होता।

4. **यदि कंपनी ने कोई विशिष्ट पहल की है या संसाधन दक्षता में सुधार के लिए नवीन प्रौद्योगिकी या समाधान का उपयोग किया है, या उत्सर्जन/अपशिष्ट डिस्चार्ज/अपशिष्ट उत्पन्न होने के कारण प्रभाव को कम किया है, तो कृपया उसका विवरण और साथ ही ऐसी पहल के परिणाम निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार प्रदान करें:**

| क्र. सं. | शुरू की गई पहल | पहल का विवरण (वेब–लिंक, यदि कोई हो, सार के साथ उपलब्ध कराया जाए) | पहल का परिणाम |
|---|---|---|---|
| 1. | अपशिष्ट सुधार | गेल आईआईटी कानपुर के साथ पेट्रोकेमिकल तैलीय कीचड़ से बबलिंग फ्लूइडाइज्ड बेड पायरोलिसिस प्रक्रिया का उपयोग करके मूल्य वर्धित रसायनों और ईंधन को पुनर्प्राप्त करने पर एक शोध परियोजना पर काम कर रहा है। | इस परियोजना का उद्देश्य मूल्यवान रसायनों और ईंधन को पुनर्प्राप्त करते हुए तैलीय कीचड़ निपटान की समस्या को कम करना है। |
| | | गेल हाइड्रेट प्रक्रिया का उपयोग करके अपशिष्ट जल को उपचारित करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ एक शोध परियोजना भी चला रहा है। | परियोजना का उद्देश्य एक अनुकूलित हाइड्रेट–आधारित अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली विकसित करना है जो आरओ आधारित अपशिष्ट जल शोधन के समान ही ऊर्जा कुशल होगी। |
| 2. | अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया | अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रियाओं को प्रकाशित किया गया और सभी संबंधित हितधारकों के साथ साझा किया गया ताकि परिसर में समग्र अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में एक तैयार गणना के रूप में काम किया जा सके। | • एक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विकास जो स्वास्थ्य, पर्यावरण और सौंदर्य पर अपशिष्ट के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में सक्षम हो।<br>• मौजूदा अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार उत्पन्न प्रत्येक पहचाने गए अपशिष्ट प्रवाह को शामिल करना और विभिन्न अपशिष्ट श्रेणियों के तहत वर्गीकरण करना।<br>• परिसर के अंदर सभी अपशिष्ट धाराओं और निपटान की कार्यप्रणाली के लिए निर्दिष्ट मध्यवर्ती अपशिष्ट भंडारण क्षेत्र का समावेश। |

5. **क्या कंपनी में व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों में/वेब लिंक का विवरण दें।**

जी हां, गेल में एक आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना (ईआरडीएमपी) है। इसमें किसी भी आपदा का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए घटना रिपोर्टिंग प्रणाली (आईआरएस) और निकासी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया शामिल है। गेल किसी भी दुर्घटना के दौरान किए जाने वाले उपयुक्त कार्यों के लिए जागरूकता और तैयारी लाने के लिए ऑन–साइट और ऑफ–साइट मॉक ड्रिल भी करता है।

गेल में गेल, नोएडा में डेटा सेंटर को प्रभावित करने वाली किसी भी आपदा के प्रबंधन के लिए एक समर्पित आपदा प्रबंधन टीम है। गेल के पास डेटा हानि रोकथाम नीति भी है, जो उसकी साख को नुकसान से बचाने और हमारे ग्राहकों पर प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए प्रतिबंधित, गोपनीय या संवेदनशील डेटा को नुकसान से बचाने के लिए डिजाइन की गई है। इन–स्कोप डेटा की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक आवश्यकता है, जिसमें डेटा तक पहुँचने और प्रभावी ढंग से काम करने की लचीलापन भी शामिल है। डेटा हानि को रोकने के लिए, नोएडा (डीसी) में गेल प्राइमरी डेटा सेंटर, जीटीआई, नोएडा (एनडीसी) में नियरलाइन डीसी और जयपुर (डीआर) में डिजास्टर रिकवरी सेंटर में बैक–अप उपलब्ध है।

6. **कंपनी की मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का खुलासा करें। इस संबंध में कंपनी द्वारा क्या उपशमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं?**

विभिन्न ग्राहकों को प्राकृतिक गैस और तरल हाइड्रोकार्बन की बिक्री के परिणामस्वरूप ग्राहक के परिसर में स्कोप–3 जीएचजी उत्सर्जन होता है। गेल ने वर्ष 2040 तक स्कोप–3 जीएचजी उत्सर्जन में 35: की कमी लाने का लक्ष्य रखा है और इसे प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा विकसित कर रहा है।

7. **मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन पर्यावरणीय प्रभावों के लिए किया गया था।**

मानकों पर 100% नए आपूर्तिकर्ताओं की जांच की जाती है।

**सिद्धांत 7: व्यवसाय, जब सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न होते हैं, तो उन्हें इस तरह से करना चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो।**

**आवश्यक संकेतक**

1. **व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या।**

वित्त वर्ष 2023–24 में, गेल 30 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों का हिस्सा था।

ख. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची बनाएं, जो इकाई का सदस्य/से संबद्ध है।

| व्यापार और उद्योग चैम्बरों/संघों का नाम | व्यापार और उद्योग चैम्बरों/संघों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय) |
|---|---|
| अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए) | भारत |
| सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप) | भारत |
| रसायन और पेट्रोकेमिकल्स निर्माता संघ (सीपीएमए) | भारत |
| पर्यावरण में प्लास्टिक के लिए भारतीय केंद्र (आईसीपीई) | भारत |
| अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण और विकास संगठन महासंघ (आईएफटीडीओ) | भारत |
| भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ (फिक्की) | भारत |
| भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) | भारत |
| भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ (एफआईपीआई) | भारत |
| भारतीय प्रशिक्षण और विकास सोसायटी | भारत |
| ऊर्जा और संसाधन संस्थान – व्यापार स्थिरता परिषद (टेरी) – सीबीएस | भारत |

2. **विनियामक प्राधिकारियों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर कंपनी द्वारा प्रतिस्पर्धा–विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, प्रतिस्पर्धा–विरोधी आचरण से संबंधित विनियामक प्राधिकारियों से कोई प्रतिकूल आदेश प्राप्त नहीं हुआ। पिछले वर्षों में दर्ज किए गए 05 मामले प्रतिस्पर्धा–विरोधी व्यवहार और अनुचित व्यापार प्रथाओं के क्षेत्रों में मुकदमेबाजी के अधीन हैं, जो वित्त वर्ष 2023–24 तक लंबित हैं।

**नेतृत्व संकेतक**

**1. कंपनी द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति की स्थिति का विवरणः**

| क्र. सं. | सार्वजनिक नीति का समर्थन | ऐसे समर्थन के लिए अपनाया गया तरीका | क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है? (हां/नहीं) | बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/तिमाही/अन्य–कृपया निर्दिष्ट करें) | वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | हां | गेल स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (स्कोप) का एक सक्रिय सदस्य है, जो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) के संपूर्ण स्पेक्ट्रम का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष निकाय है। यह अपने सदस्य पीएसयू को विभिन्न प्लेटफार्मों पर अपनी समस्याओं को उजागर करने में मदद करता है। गेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक स्कोप के अध्यक्ष हैं और निदेशक (मानव संसाधन) स्कोप के शासी परिषद के सदस्य हैं। | हाँ | जब भी आवश्यक हो | |
| 2. | हाँ | गेल फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) की कार्यकारी समिति का सदस्य और फिक्की हाइड्रोकार्बन समिति का सह–अध्यक्ष है। हाइड्रोकार्बन समिति देश की ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित इनपुट प्रदान करती है और भारत सरकार और इस क्षेत्र में लगे अन्य निकायों के प्रयासों को पूरक बनाती है। | हाँ | जब भी आवश्यक हो | |
| 3. | हाँ | गेल फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री (एफआईपीआई) का सदस्य है एफआईपीआई भारत में तेल उद्योग के लिए सरकार, विनियामक प्राधिकारियों, व्यापारियों के सार्वजनिक और प्रतिनिधि निकायों के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, ताकि संसाधनों के अनुकूलन, सुरक्षा, टैरिफ, निवेश, स्वस्थ पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर काम किया जा सके। गेल सहित तेल और गैस उद्योगों ने 'भारत के ऊर्जा क्षेत्र में सीसीयूएस की भूमिका' पर क्षेत्रीय अध्ययन के लिए एफआईपीआई को नियुक्त किया है। | हाँ | जब भी आवश्यक हो | |
| 4. | हाँ | गेल ने गैस समर्थन के क्षेत्रों जैसे भारत में प्राकृतिक गैस क्षेत्र में अनबंडलिंग और इसका प्रभाव, गैस बाजार केंद्रों और रणनीतिक अनिवार्यताओं का अध्ययन आदि में विभिन्न अध्ययन किए हैं। इसके अतिरिक्त, बैटरी मूल्य श्रृंखला में अवसर मानचित्रण, रिफाइनरी क्षेत्र में मांग का आकलन, इस्पात क्षेत्र और उद्योगों में ठोस और तरल प्रदूषण ाकारी ईंधन की खपत के प्रतिस्थापन के रूप में प्राकृतिक गैस की क्षमता पर अध्ययन किया गया है। इसके अलावा, जीएसटी समावेशन के बाद प्राकृतिक गैस की प्रतिस्पर्धात्मकता पर विश्लेषण किया गया है। गेल ने भारत में सीजीडी क्षेत्र के विकास के लिए नीतियों के निर्माण में भी सहायता की है। | हाँ | जब भी आवश्यक हो | |
| 5. | हां | गेल टेरी काउंसिल फॉर बिजनेस सस्टेनेबिलिटी (टेरी–सीबीएस) का सदस्य है, जो सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिशनर्स का एक उद्योग–नेतृत्व वाला संघ है। गेल ने टेरी में साइटों के स्थायी समन्वयकों के लिए ईएसजी पर 02 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। | हां | जब भी आवश्यक हो | |

**सिद्धांत 8: व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए।**

**आवश्यक संकेतक**

1. वर्तमान वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर गेल द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण।

| परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण | एसआईए अधिसूचना सं. | अधिसूचना की तिथि | क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित (हां/नहीं) | परिणाम सार्वजनिक डोमेन में प्रदर्शित (हां/नहीं) | संगत वेब लिंक |
|---|---|---|---|---|---|
| वित्त वर्ष 2023–24 में शॉर्टलिस्ट की गई सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन किया जा रहा है। अध्ययन के परिणाम बोर्ड की सीएसआर समिति के समक्ष रखे जाएंगे और उसके बाद इसे निम्नलिखित लिंक पर वेबहोस्ट किया जाएगा https://www.gailonline.com/CSRIndex.html | - | - | हां | - | - |

2. **निम्नलिखित प्रारूप में परियोजना(ओं) के बारे में जानकारी प्रदान करें जिसके लिए आपकी कंपनी द्वारा चल रहे पुनर्वास और बंदोबस्ती (आरएंडआर) किया जा रहा है।**

| क्र.सं. | परियोजना का नाम जिसके लिए आरएंडआर चल रहा है | राज्य | ज़िला | परियोजना से प्रभावित परिवारों की संख्या (पीएएफ) | आरएंडआर द्वारा कवर किए गए पीएएफ का : | वित्तीय वर्ष में पीएएफ को भुगतान की गई राशि (₹ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. **समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने की प्रणाली का उल्लेख करें।**

गेल सीपीग्राम्स (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली) पोर्टल पर प्राप्त समुदाय संबंधी शिकायतों का निवारण और समाधान करता है। सीपीग्राम्स भारत सरकार का एक पोर्टल है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एक मंच प्रदान करना है, जहाँ शिकायतों का समन्वयन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

गेल में अपनी सीएसआर परियोजनाओं के लिए नोडल अधिकारी भी हैं जो लगातार कार्यान्वयन एजेंसियों और संबंधित समुदायों के संपर्क में रहते हैं। नोडल अधिकारियों द्वारा प्राप्त किसी भी इनपुट/सुझाव/शिकायत का तुरंत समाधान किया जाता है।

4. **आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के अनुसार कुल इनपुट में इनपुट) :**

| | वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 | वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 |
|---|---|---|
| सीधे एमएसएमई/लघु उत्पादकों से प्राप्त | 56.51 | 46.09 |
| जिले के भीतर और पड़ोसी जिलों से सीधे प्राप्त किया गया | लागू नहीं | लागू नहीं |

5. **छोटे शहरों में रोजगार सृजन– निम्नलिखित स्थानों पर कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या गैर–स्थायी/ठेके के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों या श्रमिकों सहित) को कुल मजदूरी लागत के प्रतिशत के रूप में भुगतान की गई मजदूरी बताएं।**

| स्थान | वित्त वर्ष 2023–24 वर्तमान वित्तीय वर्ष (% में) | वित्त वर्ष 2022–23 पिछला वित्तीय वर्ष (% में) |
|---|---|---|
| ग्रामीण | 28 | 28 |
| अर्ध–शहरी | 16 | 17 |
| शहरी | 28 | 27 |
| महानगरीय | 28 | 28 |

**स्नेतृत्व संकेतक**

1. **सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें (संदर्भः उपरोक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1) :**

लागू नहीं होता।

2. **सरकारी निकायों द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों में आपकी कंपनी द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:**

गेल नामित आकांक्षी जिलों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 23 आकांक्षी जिलों में सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई जिलावार राशि इस प्रकार है:

| क्र.सं. | राज्य | आकांक्षी जिले | खर्च की गई राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | विशाखापत्तनम | 218.84 |
| 2 | असम | बारपेटा | 0.85 |
| 3 | बिहार | बेगुसराय | 31.68 |
| 4 | बिहार | गया | 50.06 |
| 5 | बिहार | मुजफ्फरपुर | 51.38 |
| 6 | बिहार | पूर्णिया | 36.09 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | कांकेर | 265.5 |
| 8 | छत्तीसगढ़ | महासमुंद | 265.5 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | चंबा | 1.1 |
| 10 | हरियाणा | नूह | 29.65 |
| 11 | झारखंड | रांची | 149.78 |
| 12 | झारखंड | कोडरमा | 18.38 |
| 13 | झारखंड | गिरिडीह | 250.74 |
| 14 | मध्य प्रदेश | गुना | 607.72 |
| 15 | महाराष्ट्र | औरंगाबाद | 78.1 |
| 16 | ओडिशा | ढेंकनाल | 36.09 |
| 17 | राजस्थान | सिरोही | 36 |
| 18 | त्रिपुरा | धलाई | 29.17 |
| 19 | उत्तर प्रदेश | सोनभद्र | 25 |
| 20 | उत्तर प्रदेश | श्रावस्ती | 29.5 |
| 21 | उत्तर प्रदेश | चित्रकूट | 26.98 |
| 22 | उत्तर प्रदेश | चंदौली | 147.4 |
| 23 | उत्तराखंड | हरिद्वार | 36.09 |
| | | **कुल योग** | **2421.6** |

1. **(क) क्या आपकी कंपनी में कोई वरीय खरीद नीति है जहां आप आपूर्तिकर्ताओं से खरीदारी को प्राथमिकता देते हैं जिसमें वंचित/कमजोर समूहो भी शामिल हैं? (हां/नहीं)**

जी हां।

**(ख) आप किन वंचित/कमजोर समूहों से खरीदारी करते हैं?**

गेल के पास एमएसई के लिए एक खरीद नीति है, जिसमें खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए उप–लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

**(ग) कुल खरीद (मूल्य के अनुसार) में इसका कितना प्रतिशत है?**

वित्त वर्ष 2023–24 में, वस्तुओं और सेवाओं के लिए लगभग ₹ 3,474 करोड़ की वार्षिक खरीद के कुल पात्र मूल्य में से एमएसई से की गई कुल खरीद का मूल्य ₹ 1,963 करोड़ है, जो कुल खरीद का लगभग 56.51% है। अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद, वार्षिक खरीद के कुल पात्र मूल्य का क्रमशः ₹142 करोड़ (4.08%) और ₹ 231 करोड़ (6.65%) थी।

4. **पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी कंपनी (चालू वित्तीय वर्ष में) के स्वामित्व या अधिग्रहित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण।**

| क्र.सं. | पारंपरिक ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा | स्वामित्व/अर्जित (हां/नहीं) | साझा लाभ (हां/नहीं) | लाभ हिस्सेदारी की गणना का आधार |
|---|---|---|---|---|
| | लागू नहीं | | | |

5. **बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी भी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है।**

| प्राधिकारी का नाम | मामले का संक्षिप्त विवरण | की गई सुधारात्मक कार्रवाई |
|---|---|---|
| लागू नहीं | | |

**6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण।**

वित्तीय वर्ष 2023–24 में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) परियोजनाओं के तहत कवर किए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या ~13 लाख है। इन सीएसआर परियोजनाओं के सभी लाभार्थी कमजोर या हाशिए पर पड़े समूहों से आते हैं।

| क्र.सं. | सीएसआर परियोजना | सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या | कमजोर और वंचित समूहों से लाभार्थियों का % |
|---|---|---|---|
| 1 | गेल उज्जवल (शिक्षा केंद्रित पहल) | 112698 | 100 |
| 2 | गेल आरोग्य (स्वास्थ्य देखभाल स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल) | 1195343 | 100 |
| 3 | गेल कौशल (कौशल प्रशिक्षण पहल) | 739 | 100 |
| 4 | गेल उन्नति (ग्रामीण विकास पहल) | 10000 | 100 |
| 5 | गेल सक्षम (दिव्यांग और बुजुर्गों से संबंधित पहल) | 1780 | 100 |
| 6 | गेल सशक्त (महिला सशक्तिकरण पहल) | 7248 | 100 |
| 7 | गेल हरित (पर्यावरणीय पहल) | 8006 | 100 |

**सिद्धांत 9: व्यवसायों को एक जिम्मेदार तरीके से अपने उपभोक्ताओं के साथ जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए।**

**आवश्यक संकेतक**

**1. उपभोक्ता शिकायतों और प्रतिक्रिया को प्राप्त करने और उनका उत्तर देने की प्रणाली का उल्लेख करें।**

गेल के ग्राहक अपनी शिकायतें ऑनलाइन, पत्रों, ईमेल के माध्यम से, विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और कॉर्पोरेट कार्यालय में गेल समन्वयकों के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से दर्ज कर सकते हैं। गेल ग्राहकों की प्रतिक्रिया और शिकायतों को प्राप्त करने के लिए गेल द्वारा प्रदान की जाने वाली उत्पाद गुणवत्ता और सेवाओं पर दो प्रकार के सर्वेक्षण भी करता है। ग्राहक संतुष्टि सूचकांक (सीएसआई) ग्राहकों से प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए गेल द्वारा एक इन–हाउस पहल है। गुणवत्ता और सेवाओं पर पूर्वनिर्धारित मापदंडों पर प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए गेल के सभी सक्रिय ग्राहकों को उनके ईमेल आईडी पर एक लिंक प्रदान किया जाता है। दूसरे, ग्राहक प्रतिक्रिया भी एसएपी के माध्यम से एकत्र की जाती है और समाधान के लिए आगे का विश्लेषण किया जाता है।

- पेट्रोकेमिकल – गेल के पास पॉलिमर उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में ग्राहकों की समस्याओं को दूर करने के लिए गेल पॉलिमर प्रौद्योगिकी केंद्र (जीपीटीसी) है और यह विभिन्न पॉलिमर ग्रेडों पर उपभोक्ताओं की उत्पाद–संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है। गेल कंसाइनमेंट स्टॉकिस्टों के माध्यम से अपने पॉलिमर उत्पादों की विशिष्टताओं और उनके अंतिम उपयोग अनुप्रयोगों के बारे में जानकारी भी प्रसारित करता है।

शिकायत के लिए लिंकः https://gailonline.com/onlineComlants.html

2. सभी उत्पादों/सेवाओं के कारोबार के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवा का कारोबार जिसमें निम्नलिखित के बारे में जानकारी होती हैः

| क्र. सं. | उत्पाद/सेवा | कुल कारोबार का % योगदान |
|---|---|---|
| 1 | ठोस, तरल और गैसीय ईंधन और संबंधित उत्पाद– कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (एनजी ट्रेडिंग) | **82** |
| 2 | प्राथमिक रूप में प्लास्टिक (पेटकेम) | **06** |
| 3 | प्राकृतिक गैस (एनजी ट्रांसमिशन) की पाइपलाइन के माध्यम से परिवहन<br>अन्य माल एनईसी (एलपीजी ट्रांसमिशन) की पाइपलाइन के माध्यम से परिवहन सेवाएं | **08** |
| 4 | ठोस, तरल और गैसीय ईंधन और संबंधित उत्पाद एनईसी – तरल हाइड्रोकार्बन (एलएचसी) | **03** |
| 5 | बिजली (पवन और सौर ऊर्जा) | 01 |

| प्रकार | कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में |
|---|---|
| उत्पाद के लिए प्रासंगिक पर्यावरण और सामाजिक मापदंड | सभी उत्पाद |
| सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग | सभी उत्पाद |
| रीसाइकलिंग और/या सुरक्षित निपटान | सभी उत्पाद |

**3. उपभोक्ता शिकायतों की संख्या**

| | वित्तीय वर्ष 2023–24 वर्तमान वित्तीय वर्ष | | वित्तीय वर्ष 2022–23 पिछला वित्तीय वर्ष | |
|---|---|---|---|---|
| | वर्ष के दौरान प्राप्त | वर्ष के अंत में लंबित निर्णय | वर्ष के दौरान प्राप्त | वर्ष के अंत में लंबित निर्णय |
| डाटा प्राइवेसी | 0 | 0 | 0 | 0 |
| विज्ञापन देना | 0 | 0 | 0 | 0 |
| साइबर सुरक्षा | 0 | 0 | 0 | 0 |
| आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी | 35 | 0 | 26 | 0 |
| प्रतिबंधित व्यापार आचरण | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अनुचित व्यापार व्यवहार | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अन्य | 54 | 0 | 48 | 0 |

**4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद रिकॉल के उदाहरणों का विवरण।**

| | संख्या | रिकॉल के लिए कारण |
|---|---|---|
| स्वैच्छिक रिकॉल | 0 | - |
| बलात रिकॉल | 0 | - |

**5. क्या कंपनी में साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई ढांचा/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का वेब–लिंक प्रदान करें।**

जी हाँ। गेल के पास सूचना सुरक्षा नीति है और उसने सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 27001:2013) लागू की है। गेल में एक समर्पित सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) भी है, जिसमें एक ठोस आईटी प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए किसी भी साइबर खतरे को खत्म करने हेतु एक उन्नत सतत खतरा–उपशमन प्रणाली है।

इसके अलावा, नेटवर्क कनेक्टिविटी और सूचना सुरक्षा जैसे निजी क्लाउड अवसंरचना को बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल और परियोजनाएं लागू की गई हैं। गेल में, साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद से निपटने के लिए एक संकट प्रबंधन योजना लागू है। प्रभावी नियंत्रण के लिए, कंपनी के पास एक घटना प्रबंधन टीम है। इसमें एक संकट प्रबंधन सेल (सीएमसी) और लेवल–।। घटना समाधान टीम शामिल है।

गेल में एक व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) और घटना प्रतिक्रिया (डीआर) प्रक्रियाएँ हैं। बीसीपी का परीक्षण आपदा रिकवरी (डीआर) ड्रिल टेस्ट के माध्यम से किया जाता है।

कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए ईमेल फिशिंग और एसएमएस फिशिंग अभियान नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। गेल प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा के माध्यम से कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण और जागरूकता सत्र आयोजित किए जाते हैं और कर्मचारियों को नियमित साइबर सुरक्षा सलाह भेजी जाती है।

गेल में शीर्ष साइबर सुरक्षा बैठक में मासिक आधार पर सूचना सुरक्षा/साइबर सुरक्षा रणनीति की समीक्षा और अद्यतन करने के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित तंत्र है। निदेशक मंडल भी सूचना सुरक्षा/साइबर सुरक्षा रणनीति की समीक्षा में शामिल है। सभी खतरों या फिशिंग गतिविधियों को हमारी आईटी प्रणाली द्वारा संरक्षित किया जाता है। हमारी नीतियां विभिन्न स्तरों पर इंटरलॉक सिस्टम के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच वाले कर्मचारियों के लिए सूचना सुरक्षा/साइबर सुरक्षा को नियमित करती हैं या हानिकारक साइटों तक पहुंच को सीमित करती हैं।

संवेदनशील और गोपनीय प्रकृति के कारण, साइबर सुरक्षा नीति को सार्वजनिक डोमेन में साझा नहीं किया जा सकता है। तथापि, गेल यह पुष्टि करना चाहेगा कि हमारे पास साइबर सुरक्षा की घटनाओं और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों से निपटने के लिए पर्याप्त तंत्र और प्रणालियां हैं।

https://gailonline.com/pdf/others/Information-Security-Policy-Statement-12-feb-21.pdf

**6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं के वितरण से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पाद रिकॉल के उदाहरणों की पुनः घटना; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर विनियामक प्राधिकारियों द्वारा की गई शास्ति/कार्रवाई।**

सुरक्षा उपकरणों में कंप्रोमाइस का ब्लॉकिंग संकेतक (आईओसी) को ब्लॉक करना, मैलवेयर को हटाना, सिस्टम संचार को ब्लॉक करना आदि साइबर सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के खिलाफ उठाए गए कुछ सुधारात्मक उपाय हैं।

**7. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:**

क. डेटा उल्लंघनों की घटनाओं की संख्या – शून्य

ख. ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत – 0

ग. डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो – लागू नहीं होता।

**नेतृत्व संकेतक**

1. **चैनल/प्लेटफ़ॉर्म जहां गेल के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।**

ग्राहक गेल की वेबसाइट पर ग्राहक क्षेत्र में हितधारक खंड के अंतर्गत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के ग्राहकों के लिए इसका लिंक नीचे दिया गया है।

https://gailonline.com/StakeHolders.html

इसके अलावा, ग्राहक कॉर्पोरेट कार्यालय और क्षेत्रीय विपणन कार्यालयों में विपणन विभाग से संपर्क कर सकते हैं। कॉर्पोरेट विपणन विभाग और क्षेत्रीय विपणन कार्यालयों का विवरण निम्नलिखित लिंक के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

https://gailonline.com/RTI.html

2. **उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।**

गेल के प्राकृतिक गैस, पेट्रोकेमिकल और एलएचसी उत्पादों के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग तथा स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण अनुपालन से संबंधित नीतियों के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए नियमित रूप से ग्राहकों से बातचीत/दौरे किए जा रहे हैं। इसके अलावा, सुरक्षित उत्पाद उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हमारे पेट्रोकेमिकल और तरल हाइड्रोकार्बन उत्पादों के ग्राहकों के साथ सामग्री सुरक्षा डेटा शीट (एमएसडीएस) भी साझा की जाती है।

पॉलिमर उत्पाद खतरनाक नहीं हैं। तथापि, गेल पॉलिमर प्रौद्योगिकी केंद्र (जीपीटीसी) द्वारा उनके सुरक्षित उपयोग और उचित निपटान पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं।

3. **क्या उपभोक्ताओं को आवश्यक सेवाओं के बाधित/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में सूचित करने के लिए प्रणाली मौजूद है।**

गैस विपणन के लिए क्षेत्रीय गैस प्रबंधन केंद्र (आरजीएमसी) स्थापित है जो गैस आपूर्ति में किसी भी व्यवधान/रोक के बारे में सूचित करने के लिए चौबीसों घंटे ग्राहकों के संपर्क में रहता है। उत्पादों/सेवाओं की आपूर्ति में किसी भी संभावित व्यवधान की स्थिति में, गेल क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ईमेल और टेलीफोन के माध्यम से ग्राहकों को पूर्व सूचना भेजी जाती है।

4. क्या कंपनी स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य उत्पाद के बारे में उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं)? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण दें। क्या आपकी कंपनी ने इकाई के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, इकाई के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या समग्र रूप से इकाई से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हां नहीं)

जी हां, गेल पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस बेचता है, जिसमें पूरे पाइपलाइन में पाइपलाइन मार्कर और औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय सोसाइटियों और उपभोक्ताओं के लिए उनके परिसर में सूचना प्रदर्शित करना शामिल है। इसके अलावा, गेल ट्रकों के माध्यम से तरल हाइड्रोकार्बन भी बेचता है, जो लागू स्थानीय कानूनों और मानकों जैसे कि बीआईएस, एपीआई, डीआईएन आदि के अनुसार आवश्यक जानकारी रखते हैं।

तथापि, प्रत्येक उत्पाद, अपने पीईएसओ वर्ग के आधार पर, संबंधित पीईएसओ वर्ग के ट्रक का उपयोग करके ले जाया जाएगा। आपातकालीन जानकारी हाइड्रोकार्बन रोड टैंकरों पर प्रदर्शित की जाती है, जिन्हें हैजकेम कहा जाता है।

उत्पाद विनिर्देश और एमएसडीएस कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। रिटेल आउटलेट्स पर, मूल्य निर्धारण जानकारी के साथ-साथ उत्पाद विवरण प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाते हैं।

पॉलिमर के मामले में, 25 कि.ग्रा. पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) बैग पर निम्नलिखित उत्पाद जानकारी प्रदर्शित की जाती है:

- ग्रेड का नाम
- बैच नंबर
- निर्माता विवरण
- भंडारण निर्देशों के लिए प्रतीक
- रीसाइक्लिंग जानकारी
- बैग के रखरखाव संबंधी निर्देश
- शुद्ध वजन
- विनिर्माण के लिए बीआईएस लोगो
- ग्राहक सहायता के लिए संपर्क ईमेल
- निर्देश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें प्लास्टिक शीट <50 माइक्रोन मोटाई, गैर-बुना कैरी बैग <60 जीएसएम, कैरी बैग <120 माइक्रोन मोटाई शामिल हैं"

इसके अलावा, टैंकरों के माध्यम से भेजे जाने वाले उत्पादों के लिए, गुणवत्ता रिपोर्ट और सामग्री सुरक्षा डेटा शीट (एमएसडीएस) इसके साथ भेजी जाती है। हाँ, गेल समग्र रूप से इकाई के उत्पादों/ सेवाओं का ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण करता है।

गेल द्वारा उत्पाद की गुणवत्ता और सेवाओं पर दो प्रकार के सर्वेक्षण किए जाते हैं, ताकि ग्राहकों की प्रतिक्रिया और शिकायतें प्राप्त की जा सकें। ग्राहक संतुष्टि सूचकांक (सीएसआई) गेल द्वारा ग्राहकों से प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए एक आंतरिक पहल है। गेल के सभी सक्रिय ग्राहकों को उनकी ईमेल आईडी पर गुणवत्ता और सेवाओं पर पूर्वनिर्धारित मापदंडों पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक लिंक प्रदान किया जाता है। दूसरे, ग्राहक प्रतिक्रिया भी एसएपी के माध्यम से एकत्र की जाती है और समाधान के लिए आगे विश्लेषण किया जाता है।

SR Asia
sustainability defined

# सामाजिक उत्तरदायित्व एशिया (एसआर एशिया)

**(आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणित)**

**कॉर्पोरेट कार्यालय:** 4एफ–सीएस–25, अंसल प्लाजा मॉल, वैशाली सेक्टर–1, गाजियाबाद (एनसीआर क्षेत्र), उत्तर प्रदेश 201010, भारत लैंडलाइन / मोबाइल: 91–120–4103023; +91– 9810059109 ईमेल: info@sr-asia.org द्य वेबसाइट: www.sr-asia.org

**पंजीकृत कार्यालय:** ए–39, एफएफ कॉम्प्लेक्स, ओखला फेज–3, नई दिल्ली–110020 भारत

**अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय:** बांग्लादेश, फिजी, इंडोनेशिया, भारत, जापान, मलेशिया, फिलीपींस सिंगापुर, श्रीलंका, वियतनाम

**सीआईएन सं.:** U93000DL2012NPL231376 **जीएसटी:** 07AAQCS9621N1ZI **उद्यम पंजीकृत सं.:** UDYAM-UP-29-0003108

**स्वतंत्र प्रैक्टिशनर का उचित आश्वासन वक्तव्य**

सेवा में

गेल (इंडिया) लिमिटेड

प्रस्तावना

एसआर एशिया एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो स्थिरता और आश्वासन सेवाओं के विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है और कई देशों में मौजूद है। हम अनुसंधान, सीएसआर परियोजना कार्यान्वयन, विकास परियोजनाओं, परियोजना प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों, एकीकृत और स्थिरता रिपोर्टिंग, ईएसजी रिपोर्टिंग, क्षमता निर्माण और तृतीय–पक्ष आश्वासन सेवाओं के माध्यम से स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। एसआर एशिया को अकाउंटेबिलिटी यूके द्वारा लाइसेंस प्राप्त है।

**कार्य का दायरा**

एसआर एशिया को गेल (इंडिया) लिमिटेड ('कंपनी') द्वारा सेबी के दिनांक 12 जुलाई 2023 के परिपत्र (सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी–एसईसी–2 / पी / सीआईआर / 2023 / 122) के अनुसार 01.04.2023 से 31.03.2024 तक की रिपोर्टिंग अवधि के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) अनुलग्नक– ।। में स्थिरता प्रकटीकरण का स्वतंत्र आश्वासन देने के लिए नियुक्त किया गया था।

हमने इस बात पर उचित आश्वासन दिया है कि क्या बीआरएसआर रिपोर्ट (अनुलग्नक– ।।) में कंपनी के स्थिरता प्रकटीकरण रिपोर्टिंग मानदंडों (नीचे दी गई तालिका देखें) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

| आश्वासन के अधीन आश्वासित स्थायी सूचना' (एएसआई) | आश्वासन की अवधि | रिपोर्टिंग मानदंड |
|---|---|---|
| बीआरएसआर रिपोर्ट (अनुलग्नक ।। देखें) | 01.04.2023 से 31.03.2024 तक | – सेबी द्वारा जारी बीआरएसआर प्रारूप के लिए मार्गदर्शी टिप्पणी<br>– भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के सूचीबद्धता दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं (सेबी एलओडीआर) का विनियम 34(2)(च) |

यह कार्य आश्वासन चिकित्सकों, इंजीनियरों, पर्यावरण और सामाजिक पेशेवरों सहित एक बहु–विषयक टीम द्वारा किया गया था।

**मूल्यांकन मानदंड और संदर्भ**

हमने अपना कार्य अंतर्राष्ट्रीय मानक आश्वासन संलग्नता (आईएसएई) 3000 (संशोधित) के अनुसार किया।

हमने बीआरएसआर रिपोर्ट पर एक उचित आश्वासन कार्य किया है और 10.07.2024 को एक स्वतंत्र आश्वासन वक्तव्य जारी किया है। एसआर एशिया अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (आईक्यूएमएस) को गुणवत्ता प्रबंधन फर्मों पर लागू करता है जो आईएएएसबी द्वारा जारी गैर–वित्तीय विवरणों, या अन्य आश्वासन या संबंधित सेवा अनुबंधों का मूल्यांकन या समीक्षा करते हैं। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। हमने अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता की स्वतंत्रता और अन्य नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

**निष्पादित कार्य**

1. मूल्यांकन के दौरान शामिल प्रक्रिया मालिकों के साथ उचित आश्वासन के लिए दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली को साझा करना।
2. सेबी परिपत्र के अनुसार अनुपलब्ध लागू डेटा, सूचना के संबंध में बीआरएसआर वित्त वर्ष 2023–24 की समीक्षा करना।
3. कार्यालयों और संयंत्रों अर्थात् गेल जुबली टॉवर और जीटीआई नोएडा (उत्तर प्रदेश) कॉर्पोरेट कार्यालय (नई दिल्ली), पाता (उत्तर प्रदेश), विजयपुर (मध्य प्रदेश), झाबुआ (मध्य प्रदेश), वाघोडिया (गुजरात), मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय (महाराष्ट्र) डेटा और सूचना की सटीकता की जाँच करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, चेरलापल्ली (तेलंगाना) और कोच्चि (केरल) में साइटों के लिए सत्यापन ऑनलाइन किया जाता है जिसका लक्ष्य विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त वास्तविक निष्कर्षों के साथ रिपोर्ट किए गए डेटा की तुलना करना है, ताकि उचित आश्वासन मानकों का पालन करते हुए इसकी सटीकता और पूर्णता की जाँच की जा सके। समीक्षा किए गए डेटा में सामग्री और ऊर्जा उपयोग, ऊर्जा की बचत, जल प्रबंधन, खतरनाक और गैर–खतरनाक अपशिष्ट, जीएचजी उत्सर्जन, वायु उत्सर्जन, पर्यावरण व्यय, स्वास्थ्य और सुरक्षा और श्रम प्रथाओं सहित अन्य आवश्यक संकेतक शामिल हैं।
4. आश्वासन वक्तव्य जारी करना।

**प्रयोजन या उद्देश्य**

उचित आश्वासन वक्तव्य गेल के उपयोगकर्ता और हितधारकों के लिए है। कंपनी, निम्नलिखित के लिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करती है और सुनिश्चित करती है:

- बीआरएसआर रिपोर्ट की तैयारी के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों को डिजाइन करना, लागू करना और बनाए रखना जो कि धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयान से मुक्त हो।
- रिपोर्टिंग से संबंधित लागू कानूनों और विनियमों, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट तैयार करने के लिए उपयुक्त मानदंडों का चयन या स्थापना करना, प्रमुख पहलुओं की पहचान करना, हितधारकों के साथ जुड़ाव, रिपोर्टिंग मानदंडों के अनुसार सामग्री तैयार करना और प्रस्तुत करना।
- प्रासंगिक रिपोर्ट/विवरण की तैयारी के लिए उपयोग किए जाने वाले लागू मानदंडों का खुलासा करना।
- रिपोर्टिंग मानदंडों के अनुसार डेटा और आंकड़ों को तैयार करना/उचित रूप से गणना करना।
- यह सुनिश्चित करना कि रिपोर्टिंग मानदंड प्रासंगिक स्पष्टीकरण के साथ वांछित उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हो।
- व्यक्तिपरक लक्ष्य, उद्देश्य और अन्य निष्पादन मापदंड स्थापित करना, तथा ऐसे लक्ष्यों, उद्देश्यों और निष्पादन मापदंड को प्राप्त करने के लिए कार्रवाइयों को लागू करना।
- रिपोर्ट में प्रकटीकरण का स्वामित्व लेने वाले प्रबंधन कर्मियों का विवरण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होना।
- कानून, विनियमन या लागू अनुबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
- परिस्थितियों के अनुसार उचित निर्णय लेना और अनुमान लगाना।
- रिपोर्टिंग मानदंडों के अनुसार आश्वासन के तहत सूचना के मापन या मूल्यांकन में किसी भी अंतर्निहित सीमाओं की पहचान करना और उनका उल्लेख करना।
- धोखाधड़ी को रोकना और उसका पता लगाना।
- ठत्त्ै रिपोर्ट की सामग्री का चयन करना, जिसमें इच्छित उपयोगकर्ताओं की पहचान करना और उनसे जुड़ना शामिल है ताकि उनकी सूचना आवश्यकताओं को समझा जा सके।

**आश्वासन वक्तव्य तैयार करने में अंतर्निहित सीमाएँ**

- कंपनी द्वारा बीआरएसआर सूचना तैयार करने के लिए प्रबंधन को वस्तुनिष्ठ लक्ष्य स्थापित करने या आधारभूत डेटा के संबंध में मानदंडों की व्याख्या करने, शामिल की जाने वाली सूचना की प्रासंगिकता के बारे में निर्धारण करने और रिपोर्ट की गई सूचना को प्रभावित करने वाले अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है।
- कुछ डेटा बिंदुओं की अखंडता स्थापित नहीं की जा सकी क्योंकि डेटा एकत्र करने और उसे सैप पर पोर्ट करने में आंतरिक नियंत्रण में जवाबदेही, जिम्मेदारी और अनुमोदन के प्रावधानों का अभाव है।
- कुछ साइटों पर जीएचजी लेखांकन प्रक्रिया आईएसओ 14064–1/2/3 के अनुसार मानकीकृत नहीं है।
- बीआरएसआर कोर मेट्रिक्स की कुछ मात्राओं का मापन, जिनमें से कुछ अनुमान हैं, पर्याप्त अंतर्निहित माप अनिश्चितता के अधीन हैं, जैसे कि जीएसजी उत्सर्जन, जल और ऊर्जा उपस्थिति। हमारी राय का समर्थन करने के लिए पर्याप्त उचित साक्ष्य प्राप्त करने से मात्रा और मेट्रिक्स में अनिश्चितता कम नहीं होती है।
- स्कोप–3 जीएचजी उत्सर्जन आंशिक रूप से रिपोर्ट किया गया है तथा यह बेचे गए उत्पादों और कर्मचारी वाहन श्रेणियों के उपयोग तक सीमित है। कुछ साइटों पर डेटा उपलब्ध नहीं है।
- जैव विविधता केवल वृक्षारोपण के संदर्भ में रिपोर्ट की गई है।
- बीआरएसआर और ई–स्थिरता मॉड्यूल में रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक कुछ डेटा बिंदुओं को प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
- जमीनी स्तर के कर्मचारियों में आंतरिक नियंत्रण सहित बीआरएसआर आवश्यकता और आश्वासन प्रक्रिया पर जागरूकता का स्तर कम है।
- हमने पेशेवर निर्णय लिया और पूरे अनुबंध के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखा।

**हमारे उत्तरदायित्व**

- हम बीआरएसआर में प्रकटीकरणों पर उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अनुबंध की योजना बनाने और उसे निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह सत्यापित करना कि उपर्युक्त खंड के अनुरूप रिपोर्टिंग मानदंड के अनुसार रिपोर्ट में कोई भी गलत बयान नहीं है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।
- हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं और हमारे द्वारा प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर एक स्वतंत्र राय बनाना, और
- गेल (इंडिया) लिमिटेड को हमारी उचित आश्वासन राय की रिपोर्ट करना।

**निषेधता**

हमारे आश्वासन दायरे में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं और इसलिए हम इस पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं:

- कंपनी के वित्तीय निष्पादन प्रकटीकरण से संबंधित डेटा।
- 'आश्वासन के दायरे' में उल्लिखित के अलावा कंपनी का संचालन।
- निर्धारित रिपोर्टिंग अवधि के बाहर डेटा और जानकारी, अर्थात 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक।

- कंपनी द्वारा प्रदान की गई राय, विश्वास, आकांक्षा, अपेक्षा, उद्देश्य या भविष्य के इरादों की अभिव्यक्ति का वर्णन करने वाले कथन।
- विनियामक प्राधिकारियों से संबंधित किसी भी पर्यावरणीय, सामाजिक और कानूनी मुद्दों का अनुपालन।
- प्रतिष्ठा के लिए कंपनी के पहलू से संबंधित कोई भी कथन।

**उचित आश्वासन राय**

हमने पेशेवर निर्णय लिया और पूरे कार्य के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखा।

हमने अपने उचित आश्वासन राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित किया।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि जानकारी विश्वसनीय है, हमने सीखा कि आंतरिक नियंत्रण कैसे काम करते हैं। इससे हमें अपने कार्य के लिए सही प्रक्रियाएँ बनाने में मदद मिली। हालाँकि, हमने यह मूल्यांकन नहीं किया कि ये नियंत्रण कितने प्रभावी हैं। अपने काम के दौरान, हमनेः

- उचित आश्वासन जानकारी तैयार करने में कंपनी द्वारा डेटा और प्रकटीकरण का मूल्यांकन किया।
- रिपोर्टिंग नीतियों की उपयुक्तता, उचित आश्वासन के अधीन सूचना की तैयारी में उपयोग की जाने वाली मात्रा निर्धारण विधियों और कंपनी द्वारा किए गए अनुमानों की उचितता का मूल्यांकन किया; और
- उचित आश्वासन के अधीन सूचना की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन किया।

**स्वतंत्रता, निष्पक्षता और क्षमता का विवरण**

एसआर एशिया इस बात की पुष्टि करता है कि आश्वासनकर्ता टीम और ग्राहकों के बीच कोई ऐसा संबंध नहीं है जो मूल्यांकन करने और वक्तव्य तैयार करने के लिए उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। आश्वासनकर्ता टीम को अपनी निष्पक्षता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष आश्वासन प्रोटोकॉल और पेशेवर नैतिक आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य है। हमने आश्वासन कार्य शुरू होने से पहले कार्य के जोखिमों के साथ–साथ टीम की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सत्यापित करने के लिए एक पूर्व–संबद्धता मूल्यांकन किया। आश्वासनकर्ता टीम के सदस्यों को बीआरएसआर कोर, आईएसओ 26000, एए1000 जवाबदेही मानकों और सिद्धांतों का ज्ञान है, और जीआरआई मानक जैसे विभिन्न रिपोर्टिंग नियमों, मानकों और सिद्धांतों के आधार पर सतत विकास रिपोर्ट मूल्यांकन में भी अनुभव है।

**बीरेंद्र रतूड़ी**
(निदेशक/टीम लीडर)
एसआर एशिया
दिनांकः 10 जुलाई 2024
स्थानः नई दिल्ली, भारत

बैकहॉल सहित दुनिया का पहला शिप–टू–शिप (एसटीएस) और भारत का पहला एलएनजी कार्गो का शिप–टू–शिप स्थानांतरण

# पांच वर्ष की रूपरेखा

मुंबई–नागपुर–झारसुगुड़ा पाइपलाइन के निष्पादन के दौरान पाइपलाइन को बिछाते हुए

## 31 मार्च 2024 तक परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

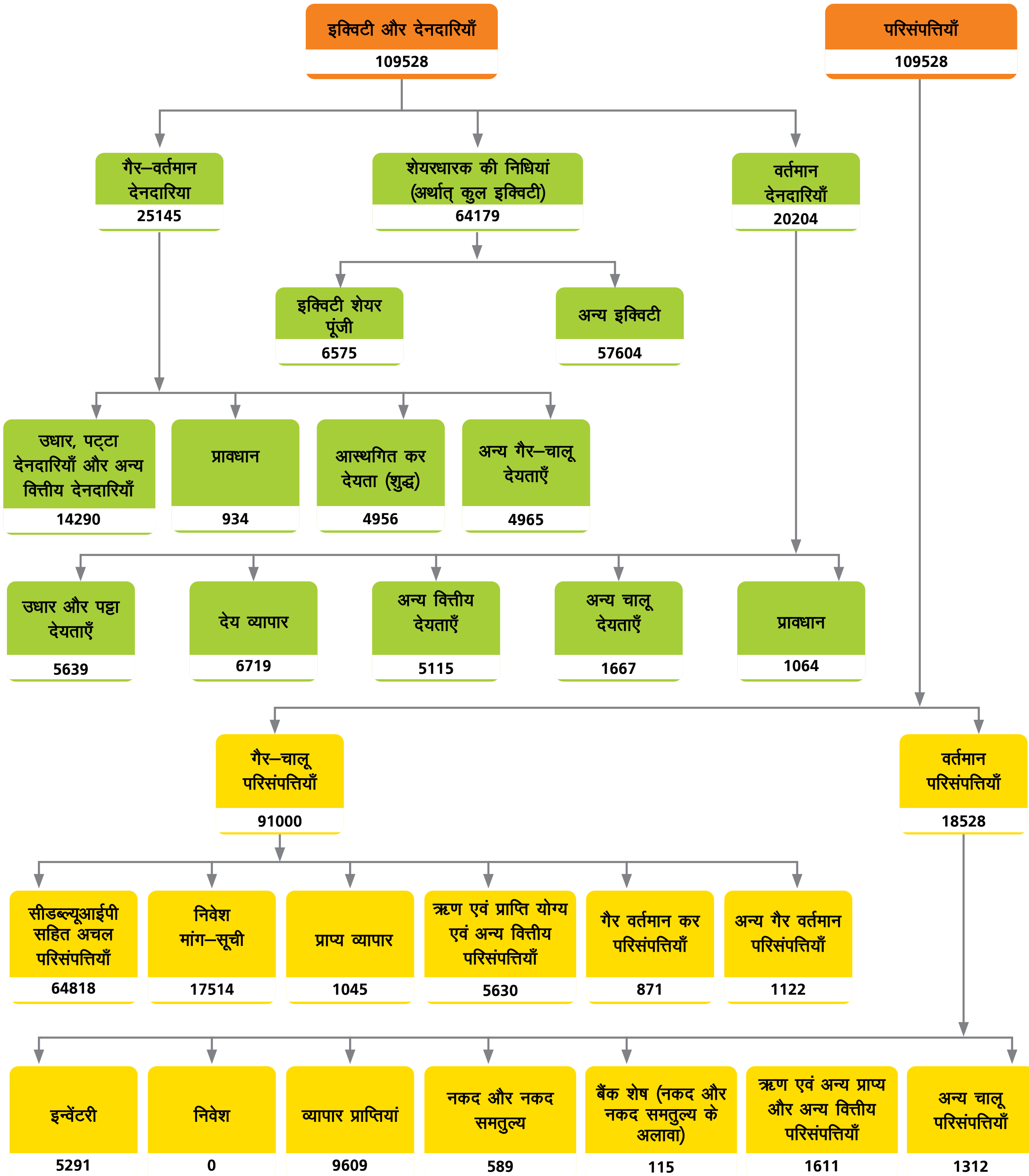

# पांच वर्षीय रूपरेखा (पृथक)

(₹ करोड़ में)

| | विवरण | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **(क) भौतिक निष्पादन** | | | | | |
| 1. | प्राकृतिक गैस विपणन (एमएमएससीएमडी में) | 96.26 | 89.20 | 96.24 | 94.91 | 98.45 |
| 2. | प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन (एमएमएससीएमडी में) | 108.37 | 104.20 | 110.98 | 107.28 | 120.46 |
| | स्थापित क्षमता (एमएमएससीएमडी में) | 206.10 | 206.10 | 206.10 | 206.10 | 209.51 |
| | क्षमता उपयोग % | 52.58% | 50.56% | 53.85% | 52.05% | 57.50% |
| 3. | एलपीजी ट्रांसमिशन (टीएमटी में) | 3,909 | 4,163 | 4,199 | 4,335 | 4,396 |
| | स्थापित क्षमता (टीएमटी में) | 3,830 | 3,830 | 3,830 | 4,580 | 4,580 |
| | क्षमता उपयोग % | 102.06% | 108.69% | 109.63% | 94.65% | 95.98% |
| 4. | एलपीजी उत्पादन (टीएमटी में) | 914 | 811 | 734 | 690 | 694 |
| | स्थापित क्षमता (टीएमटी में) | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 |
| | क्षमता उपयोग % | 92.71% | 82.26% | 74.43% | 69.98% | 70.40% |
| 5. | एसबीपी सॉल्वेंट/नेफ्था उत्पादन (टीएमटी में) | 87 | 65 | 65 | 56 | 54 |
| | स्थापित क्षमता (टीएमटी में) | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| | क्षमता उपयोग % | 70.37% | 52.21% | 52.18% | 45.16% | 43.57% |
| 6. | पेंटेन उत्पादन (टीएमटी में) | 31 | 20 | 26 | 23 | 25 |
| | स्थापित क्षमता (टीएमटी में) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| | क्षमता उपयोग % | 53.10% | 35.32% | 44.07% | 39.66% | 43.64% |
| 7. | प्रोपेन उत्पादन (टीएमटी में) | 234 | 241 | 177 | 165 | 222 |
| | स्थापित क्षमता (टीएमटी में) | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| | क्षमता उपयोग % | 90.97% | 93.59% | 68.96% | 64.20% | 86.39% |
| 8. | पॉलिमर – एचडीपीई और एलएलडीपीई (टीएमटी में) | 788 | 813 | 777 | 442 | 777 |
| | स्थापित क्षमता (टीएमटी में) | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| | क्षमता उपयोग % | 97.32% | 100.37% | 95.93% | 54.57% | 98.92% |
| | **(ख) आय विवरण** | | | | | |
| | **सकल बिक्री** | **71,729.57** | **56,528.98** | **91,425.57** | **1,43,975.92** | **1,30,283.53** |
| | उत्पाद शुल्क | 5.39 | 7.64 | 19.24 | 51.93 | 65.06 |
| | **शुद्ध बिक्री** | **71,724.18** | **56,521.34** | **91,406.33** | **1,43,923.99** | **1,30,218.47** |
| | **सकल मार्जिन (ईबिडटा)** | **9,887.85** | **8,449.59** | **15,875.89** | **9,383.60** | **15,582.61** |
| | मूल्यह्रास और परिशोधन | 1,835.99 | 1,907.88 | 2,111.17 | 2,488.07 | 3,330.82 |
| | वित्त लागत | 108.50 | 155.90 | 174.43 | 311.72 | 697.23 |
| | **कर पूर्व लाभ/(हानि)** | **7,943.36** | **6,385.81** | **13,590.29** | **6,583.81** | **11,554.56** |
| | **कर पश्चात् लाभ/(हानि)** | **6,620.63** | **4,890.18** | **10,363.97** | **5,301.51** | **8,836.48** |
| | अंतरिम लाभांश सहित लाभांश | 3,285.64 | 2,237.63 | 3,996.35 | 3,068.38 | 3,616.30 |
| | कॉर्पोरेट लाभांश कर | 656.87 | - | - | - | - |
| | **(ग) इक्विटी, देयताएं और संपत्तियां** | | | | | |
| **इक्विटी** | | | | | | |
| | इक्विटी शेयर पूंजी | 4,510.14 | 4,440.39 | 4,440.39 | 6,575.10 | 6,575.10 |
| | अन्य इक्विटी | 39,460.96 | 42,170.76 | 51,146.41 | 49,078.57 | 57,604.30 |
| | **शेयरधारक निधि** | **43,971.10** | **46,611.15** | **55,586.80** | **55,653.67** | **64,179.40** |
| **देनदारियां** | | | | | | |
| | सुरक्षित ऋण | 3,349.65 | 4,999.75 | 5,833.34 | 8,210.42 | 11,938.08 |
| | असुरक्षित ऋण | 2,207.15 | 990.95 | 519.42 | 6,098.32 | 4,475.00 |
| | स्थगित कर देयता (शुद्ध) | 4,497.19 | 4,502.23 | 4,767.28 | 4,662.78 | 4,955.78 |
| | अन्य गैर–चालू देयताएं | 5,015.65 | 6,153.33 | 7,584.71 | 7,608.53 | 8,624.08 |
| | वर्तमान देयताएँ (वर्तमान उधारी को छोड़कर) | 9,492.89 | 10,053.03 | 12,048.97 | 13,897.86 | 15,356.11 |
| | **कुल इक्विटी और देयता** | **68,533.63** | **73,310.44** | **86,340.52** | **96,131.58** | **1,09,528.45** |

# पांच वर्षीय रूपरेखा (पृथक)

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| **परिसंपत्तियाँ** | | | | | |
| निवल संयंत्र परिसंपत्ति एवं उपकरण (अमूर्त परिसंपत्ति और उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित) | 33,644.98 | 36,497.94 | 39,780.99 | 44,307.33 | 48,959.73 |
| पूंजीगत कार्य–प्रगति (अमूर्त सहित) | 10,581.88 | 11,903.41 | 13,071.31 | 13,662.48 | 15,858.73 |
| निवेश | 7,498.47 | 9,292.24 | 12,122.47 | 12,788.77 | 17,513.91 |
| अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियाँ | 5,694.35 | 5,963.74 | 6,496.97 | 6,619.61 | 8,668.11 |
| चालू परिसंपत्तियाँ | 11,113.95 | 9,653.11 | 14,868.78 | 18,753.39 | 18,527.97 |
| **कुल परिसंपत्तियां** | **68,533.63** | **73,310.44** | **86,340.52** | **96,131.58** | **1,09,528.45** |
| **निवल मूल्य** | **41,854** | **43,379** | **49,920** | **50,860** | **56,131** |
| **नियोजित पूंजी** | **52,431** | **56,973** | **67,610** | **71,544** | **85,446** |
| **राष्ट्रीय राजकोष में योगदान** | **9,460** | **7,967** | **13,090** | **14,446** | **16,536** |
| **बाजार पूंजीकरण–बीएसई** | **34,480** | **60,189** | **69,137** | **69,203** | **1,19,108** |
| **कर्मचारियों की संख्या** | **4,682** | **4,705** | **4,754** | **4,823** | **5,038** |
| **मूल्य वर्धन** | **11,567** | **10,117** | **18,055** | **10,528** | **18,065** |
| **प्रति कर्मचारी वर्धन मूल्य** | **2.47** | **2.15** | **3.80** | **2.18** | **3.59** |
| **वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय** | **6,114** | **6,982** | **7,738** | **9,099** | **11,426** |
| **(घ) नकदी प्रवाह** | | | | | |
| द्वारा प्रदत्त शुद्ध नकदी (उपयोग में) | | | | | |
| प्रचालन गतिविधियाँ | 6,888.10 | 8,372.80 | 8,954.99 | 2,808.01 | 11,848.19 |
| निवेश गतिविधियाँ | (6,828.94) | (4,169.80) | (4,614.79) | (6,553.33) | (8,002.40) |
| वित्तीय गतिविधियाँ | 338.39 | (3,539.11) | (4,184.86) | 2,551.53 | (3,430.97) |
| **(ड.) प्रमुख वित्तीय संकेतक** | | | | | |
| प्रदत्त पूंजी का प्रति रुपया शुद्ध मूल्य (₹) | 9.28 | 9.77 | 11.24 | 7.74 | 8.54 |
| ऋण से इक्विटी अनुपात | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.29 |
| ईबीआईटीडीए/सकल कारोबार (%) | 13.78 | 14.95 | 17.36 | 6.52 | 11.96 |
| निवेश की गई पूंजी पर रिटर्न (%) | 15.36 | 11.48 | 20.36 | 9.64 | 14.34 |
| निवल मूल्य पर रिटर्न (%) | 15.82 | 11.27 | 20.76 | 10.42 | 15.74 |
| निवेश की गई पूंजी पर सकल बिक्री (%) | 136.81 | 99.22 | 135.23 | 201.24 | 152.48 |
| लाभांश भुगतान अनुपात (%) (लाभांश कर सहित) | 59.55 | 45.76 | 38.56 | 57.88 | 40.92 |
| प्रति शेयर आय (₹) | 14.68 | 10.85 | 23.34 | 8.04 | 13.44 |
| प्रति शेयर लाभांश (₹) | 7.29 | 5.00 | 9.00 | 5.00 | 5.50 |

**टिप्पणियां**

| | |
|---|---|
| उधार | वर्तमान उधार में सुरक्षित और असुरक्षित दोनों ऋण शामिल हैं |
| नियोजित पूंजी | इक्विटी शेयर पूंजी+अन्य इक्विटी+दीर्घकालिक उधार+आस्थगित कर देयता (शुद्ध)+ दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वताएं |
| निवल मूल्य | इक्विटी शेयर पूंजी+अन्य इक्विटी (अन्य व्यापक आय और बॉन्ड ऋणमुक्ति रिजर्व को छोड़कर) |
| प्रदत्त पूंजी का प्रति रुपया निवल मूल्य | निवल मूल्य/इक्विटी शेयर पूंजी |
| ईबीआईटीडीए/सकल कारोबार (%) | ईबीआईटीडीए/सकल कारोबार |
| नियोजित पूंजी पर सकल बिक्री (%) | पीबीआईटी/नियोजित पूंजी |
| निवल मूल्य पर रिटर्न (%) | पीएटी निवल मूल्य |
| सकल बिक्री नियोजित पूंजी (%) | सकल बिक्री/नियोजित पूंजी |
| लाभांश भुगतान अनुपात (%) (लाभांश कर सहित) | (लाभांश+कॉर्पोरेट लाभांश कर)/ पीएटी |
| प्रति शेयर आय (₹) | पीएटी/अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या |
| प्रति शेयर लाभांश (₹) | लाभांश/इक्विटी शेयरों की संख्या |

# पांच वर्षीय रूपरेखा (पृथक)

(मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

| विवरण | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| **(क) आय विवरण** | | | | | |
| **सकल बिक्री** | **9,430.66** | **7,654.57** | **11,977.67** | **17,401.01** | **15,746.14** |
| उत्पाद शुल्क | 0.71 | 1.03 | 2.52 | 6.28 | 7.86 |
| **शुद्ध बिक्री** | **9,429.95** | **7,653.53** | **11,975.15** | **17,394.73** | **15,738.27** |
| **सकल मार्जिन ( ईबीआईटीडीए)** | **1,300.01** | **1,144.16** | **2,079.90** | **1,134.11** | **1,883.32** |
| मूल्यह्रास और परिशोधन | 241.39 | 258.35 | 276.58 | 300.71 | 402.56 |
| वित्त लागत | 14.27 | 21.11 | 22.85 | 37.67 | 84.27 |
| **कर पूर्व लाभ/(हानि)** | **1,044.35** | **864.70** | **1,780.47** | **795.72** | **1,396.49** |
| **कर पश्चात् लाभ/(हानि)** | **870.45** | **662.18** | **1,357.78** | **640.74** | **1,067.98** |
| अंतरिम लाभांश सहित लाभांश | 431.98 | 303.00 | 523.56 | 370.85 | 437.07 |
| कॉर्पोरेट लाभांश कर | 86.36 | - | - | - | - |
| **(ख) इक्विटी, देयताएं और परिसंपत्तियां** | | | | | |
| **इक्विटी** | | | | | |
| इक्विटी शेयर पूंजी | 592.97 | 601.27 | 581.74 | 794.67 | 794.67 |
| अन्य इक्विटी | 5,188.14 | 5,710.33 | 6,700.70 | 5,931.66 | 6,962.09 |
| **शेयरधारक निधि** | **5,781.11** | **6,311.60** | **7,282.43** | **6,726.33** | **7,756.76** |
| **देयता** | | | | | |
| सुरक्षित ऋण | 440.40 | 677.01 | 764.23 | 992.32 | 1,442.84 |
| असुरक्षित ऋण | 290.19 | 134.18 | 68.05 | 737.05 | 540.85 |
| आस्थगित कर देयता (शुद्ध) | 591.27 | 609.65 | 624.56 | 563.55 | 598.96 |
| अन्य गैर–चालू देयताएँ | 659.43 | 833.22 | 993.67 | 919.57 | 1,042.31 |
| वर्तमान देयताएँ (दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता को छोड़कर) | 1,248.08 | 1,361.28 | 1,578.54 | 1,679.70 | 1,855.95 |
| **कुल इक्विटी और देयता** | **9,010.47** | **9,926.94** | **11,311.48** | **11,618.51** | **13,237.67** |
| **परिसंपत्तियां** | | | | | |
| शुद्ध संयंत्र संपत्ति और उपकरण (अमूर्त परिसंपत्ति और उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति सहित) | 4,423.48 | 4,942.17 | 5,211.71 | 5,355.01 | 5,917.30 |
| पूंजीगत कार्य–प्रगति | 1,391.25 | 1,611.84 | 1,712.47 | 1,651.25 | 1,916.69 |
| निवेश | 985.86 | 1,258.26 | 1,588.17 | 1,545.66 | 2,116.74 |
| अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियाँ | 748.67 | 807.55 | 851.17 | 800.05 | 1,047.63 |
| चालू परिसंपत्तियाँ | 1,461.21 | 1,307.12 | 1,947.96 | 2,266.54 | 2,239.30 |
| **कुल परिसंपत्तियाँ** | **9,010.47** | **9,926.94** | **11,311.48** | **11,618.51** | **13,237.67** |
| **निवल मूल्य** | **5,502.76** | **5,873.89** | **6,540.07** | **6,146.91** | **6,784.03** |
| **नियोजित पूंजी** | **6,893.37** | **7,714.69** | **8,857.57** | **8,646.84** | **10,327.01** |
| **राष्ट्रीय राजकोष में योगदान** | **1,243.75** | **1,078.81** | **1,714.91** | **1,745.95** | **1,998.59** |
| **बाजार पूंजीकरण–एनएसई** | **4,533.27** | **8,150.24** | **9,057.64** | **8,363.90** | **14,395.45** |
| **कर्मचारियों की संख्या** | **4,682** | **4,705** | **4,754** | **4,823** | **5,038** |
| **मूल्य वर्धन** | **1,520.77** | **1,369.87** | **2,365.43** | **1,272.42** | **2,183.37** |
| **प्रति कर्मचारी मूल्य वर्धन** | **0.32** | **0.29** | **0.50** | **0.26** | **0.43** |
| **वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय** | **803.84** | **945.36** | **1,013.74** | **1,099.71** | **1,380.90** |
| **(ग) नकदी प्रवाह** | | | | | |
| **द्वारा प्रदत्त शुद्ध नकदी (उपयोग में)** | | | | | |
| प्रचालन गतिविधियाँ | 905.61 | 1,133.76 | 1,173.19 | 339.38 | 1,431.98 |
| निवेश गतिविधियाँ | (897.84) | (564.63) | (604.58) | (792.04) | (967.17) |
| वित्तीय गतिविधियाँ | 44.49 | (479.23) | (548.26) | 308.38 | (414.67) |
| # ₹ संबंधित वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को प्रचलित विनिमय दर पर अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित | 76.06 | 73.85 | 76.33 | 82.74 | 83.40 |

# पांच वर्षीय रूपरेखा (समेकित)

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| **(क) आय विवरण** | | | | | |
| **सकल बिक्री** | **72,414.28** | **57,208.12** | **92,636.04** | **1,45,531.30** | **1,33,129.64** |
| उत्पाद शुल्क | 59.28 | 56.35 | 103.99 | 206.73 | 271.08 |
| **शुद्ध बिक्री** | **72,355.00** | **57,151.77** | **92,532.05** | **1,45,324.57** | **1,32,858.56** |
| **सकल मार्जिन (ईबीआईटीडीए)** | **12,818.04** | **10,078.54** | **18,086.17** | **10,322.73** | **16,986.21** |
| मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय | 2,080.16 | 2,173.82 | 2,420.17 | 2,701.57 | 3,672.00 |
| वित्त लागत | 308.94 | 179.27 | 202.48 | 364.78 | 719.20 |
| **कर पूर्व लाभ/(हानि)** | **10,428.94** | **7,725.45** | **15,463.52** | **7,256.38** | **12,595.01** |
| **कर पश्चात् लाभ/(हानि) (अल्पसंख्यक हित को छोड़कर)** | **9,422.05** | **6,136.35** | **12,256.07** | **5,616.00** | **9,899.22** |
| अंतरिम लाभांश सहित लाभांश | 3,285.64 | 2,238.58 | 3,997.45 | 3,069.70 | 3,617.33 |
| कॉर्पोरेट लाभांश कर | 675.37 | - | - | - | - |
| **(ख) इक्विटी, देयताएं और परिसंपत्तियां** | | | | | |
| **इक्विटी** | | | | | |
| इक्विटी शेयर पूंजी | 4,510.14 | 4,440.39 | 4,440.39 | 6,575.10 | 6,575.10 |
| अन्य इक्विटी | 44,758.11 | 48,741.95 | 59,673.89 | 58,352.33 | 70,422.08 |
| **शेयरधारक निधि** | **49,268.25** | **53,182.34** | **64,114.28** | **64,927.43** | **76,997.18** |
| **गैर–नियंत्रित हित** | **87.04** | **97.49** | **191.18** | **179.55** | **198.60** |
| **देयता** | | | | | |
| सुरक्षित उधार | 3,510.93 | 5,118.50 | 5,833.34 | 9,298.52 | 13,283.42 |
| असुरक्षित उधार | 3,141.99 | 2,086.87 | 1,996.98 | 6,976.38 | 5,324.58 |
| आस्थगित कर देयता (शुद्ध) | 4,039.19 | 4,088.46 | 4,199.17 | 4,395.09 | 4,135.70 |
| प्रावधान सहित अन्य गैर–चालू देयताएँ | 5,270.15 | 6,226.95 | 7,493.98 | 7,687.97 | 7,687.97 |
| प्रावधान सहित वर्तमान देयताएँ (दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता को छोड़कर) | 9,596.63 | 12,731.04 | 12,730.47 | 14,315.81 | 15,838.49 |
| **कुल इक्विटी और देयता** | **74,914.18** | **83,531.65** | **96,559.40** | **1,07,780.75** | **1,23,465.94** |
| **परिसंपत्तियां** | | | | | |
| शुद्ध संयंत्र संपत्ति और उपकरण (अमूर्त परिसंपत्ति सहित) | 38,229.62 | 41,160.34 | 44,572.06 | 49,696.87 | 55,188.50 |
| पूंजीगत कार्य–प्रगति | 11,666.31 | 13,399.66 | 15,490.40 | 16,646.50 | 23,626.78 |
| निवेश/निवेश के लिए अग्रिम (लंबित आवंटन और अल्पावधि निवेश सहित) | 9,905.99 | 12,610.29 | 16,435.85 | 17,269.70 | 21,910.04 |
| अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियाँ (समेकन पर साख सहित) | 3,455.37 | 3,753.93 | 3,753.94 | 3,636.99 | 3,720.10 |
| **चालू परिसंपत्तियाँ** | **11,656.89** | **10,867.23** | **16,307.15** | **20,530.69** | **20,271.80** |
| **कुल परिसंपत्तियाँ** | **74,914.18** | **81,791.45** | **96,559.40** | **1,07,780.75** | **1,24,717.22** |
| **निवल मूल्य** | **46,251** | **48,857** | **57,373** | **58,871** | **64,878** |
| **नियोजित पूंजी** | **57,742** | **63,718** | **76,501** | **81,938** | **99,376** |
| **(ग) नकदी प्रवाह** | | | | | |
| द्वारा प्रदत्त शुद्ध नकदी (उपयोग में) | | | | | |
| प्रचालन गतिविधियाँ | 8,345.36 | 8,993.40 | 9,628.59 | 3,204.69 | 12,585.72 |
| निवेश गतिविधियाँ | (7,444.64) | (4,693.03) | (5,645.54) | (7,640.12) | (8,273.42) |
| वित्तीय गतिविधियाँ | 281.22 | (3,470.62) | (3,915.89) | 2,972.06 | (3,457.39) |
| **(घ) प्रमुख वित्तीय संकेतक** | | | | | |
| प्रदत्त पूंजी का प्रति रुपया निवल मूल्य (₹) | 10.25 | 11.00 | 12.92 | 8.95 | 9.87 |
| ईबीआईटीडीए/सकल कारोबार (%) | 17.70 | 17.62 | 19.52 | 7.09 | 12.76 |
| नियोजित पूंजी पर रिटर्न (%) | 18.60 | 12.41 | 20.48 | 9.30 | 13.40 |
| निवल मूल्य पर रिटर्न (%) | 20.37 | 12.56 | 21.36 | 9.54 | 15.26 |
| नियोजित पूंजी पर सकल बिक्री (%) | 125.41 | 89.78 | 121.09 | 177.61 | 133.97 |
| लाभांश भुगतान अनुपात (%) (लाभांश कर सहित) | 42.04 | 36.48 | 32.62 | 54.66 | 36.54 |
| प्रति शेयर आय (₹) | 13.93 | 9.07 | 18.40 | 8.52 | 15.06 |
| प्रति शेयर लाभांश (₹) | 7.29 | 5.04 | 9.00 | 5.00 | 5.50 |

विभिन्न अनुपातों के फार्मूले के लिए कृपया पांच वर्ष की रूपरेखा (पृथक) देखें

*कानून में बदलाव के कारण वित्त वर्ष 2020–21 से कॉर्पोरेट लाभांश कर लागू नहीं है!

# पांच वर्षीय रूपरेखा (समेकित)

(मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

| विवरण | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| (क) आय विवरण | | | | | |
| **सकल बिक्री** | **9,520.68** | **7,746.53** | **12,136.26** | **17,588.99** | **15,962.79** |
| उत्पाद शुल्क | 7.79 | 7.63 | 13.62 | 24.99 | 32.50 |
| **शुद्ध बिक्री** | **9,512.88** | **7,738.90** | **12,122.63** | **17,564.00** | **15,930.28** |
| **सकल मार्जिन (ईबीआईटीडीए)** | **1,685.25** | **1,364.73** | **2,369.47** | **1,247.61** | **2,036.72** |
| मूल्यह्रास और परिशोधन | 273.49 | 294.36 | 317.07 | 326.51 | 440.29 |
| वित्त लागत | 40.62 | 24.27 | 26.53 | 44.09 | 86.24 |
| **कर पूर्व लाभ/(हानि)** | **1,371.15** | **1,046.10** | **2,025.88** | **877.01** | **1,510.19** |
| **कर पश्चात् लाभ/(हानि) (अल्पसंख्यक ब्याज सहित)** | **1,238.77** | **830.92** | **1,605.67** | **678.75** | **1,186.96** |
| अंतरिम लाभांश सहित लाभांश | 431.98 | 303.13 | 523.71 | 371.01 | 433.73 |
| कॉर्पोरेट लाभांश कर | 88.79 | - | - | - | - |
| (ख) इक्विटी, देयताएं और परिसंपत्तियां | | | | | |
| **इक्विटी** | | | | | |
| इक्विटी शेयर पूंजी | 592.97 | 601.27 | 581.74 | 794.67 | 788.38 |
| अन्य इक्विटी | 5,884.58 | 6,600.13 | 7,817.88 | 7,052.49 | 8,443.89 |
| **शेयरधारक निधि** | **6,477.55** | **7,201.40** | **8,399.62** | **7,847.16** | **9,232.28** |
| **गैर–नियंत्रक ब्याज** | **11.44** | **13.20** | **25.05** | **21.70** | **23.81** |
| **देयता** | | | | | |
| सुरक्षित ऋण | 461.60 | 693.09 | 764.23 | 1,123.82 | 1,592.74 |
| असुरक्षित ऋण | 413.09 | 282.58 | 261.62 | 843.17 | 638.44 |
| आस्थगित कर देयता (शुद्ध) | 531.05 | 553.62 | 550.13 | 531.19 | 495.89 |
| प्रावधानों सहित अन्य गैर–चालू देयताएँ | 692.89 | 843.19 | 981.79 | 929.17 | 921.82 |
| प्रावधानों सहित वर्तमान देयताएँ (दीर्घकालिक ऋण और अल्पकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता को छोड़कर) | 1,261.72 | 1,433.22 | 1,667.82 | 1,730.22 | 1,899.10 |
| **कुल इक्विटी और देयता** | **9,849.35** | **11,020.31** | **12,650.26** | **13,026.44** | **14,804.07** |
| **परिसंपत्तियां** | | | | | |
| शुद्ध संयंत्र संपत्ति और उपकरण (अमूर्त परिसंपत्तियों सहित) | 5,026.25 | 5,573.51 | 5,839.39 | 6,006.39 | 6,617.33 |
| पूंजीगत कार्य–प्रगति | 1,533.83 | 1,814.44 | 2,029.40 | 2,011.90 | 2,832.95 |
| निवेश/निवेश के लिए अग्रिम (लंबित आवंटन और अल्पकालिक निवेश सहित) | 1,302.39 | 1,707.55 | 2,153.26 | 2,087.23 | 2,627.10 |
| **अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियाँ (समेकन पर साख सहित)** | **454.30** | **453.28** | **491.80** | **439.57** | **446.06** |
| **चालू परिसंपत्तियाँ** | **1,532.59** | **1,471.53** | **2,136.40** | **2,481.35** | **2,430.67** |
| **कुल परिसंपत्तियाँ** | **9,849.35** | **11,020.31** | **12,650.26** | **13,026.44** | **14,954.10** |
| **निवल मूल्य** | **6,080.81** | **6,615.70** | **7,516.39** | **7,115.16** | **7,779.08** |
| **निर्माणाधीन परिसंपत्तियों और निवेशों सहित नियोजित पूंजी** | **7,591.61** | **8,628.03** | **10,022.36** | **9,903.09** | **11,915.55** |
| (ग) नकदी प्रवाह | | | | | |
| द्वारा प्रदत्त शुद्ध नकदी (उपयोग में) | | | | | |
| प्रचालन गतिविधियाँ | 1,097.21 | 1,217.79 | 1,261.44 | 387.32 | 1,509.08 |
| निवेश गतिविधियाँ | (978.79) | (635.48) | (739.62) | (923.39) | (992.02) |
| वित्तीय गतिविधियाँ | 36.97 | (469.96) | (513.02) | 359.20 | (414.56) |
| **# संबंधित वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को प्रचलित विनिमय दर पर अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित** | **76.06** | **73.85** | **76.33** | **82.74** | **83.40** |

*कानून में बदलाव के कारण कॉर्पोरेट लाभांश कर वित्तीय वर्ष 2020–21 से लागू नहीं है।

SANGHVI
SANGHVI
SANGHVI
SANGHVI
SANGHVI
SANGHVI
SANGHVI
SANGHVI
SANGHVI

# पृथक वित्तीय विवरण

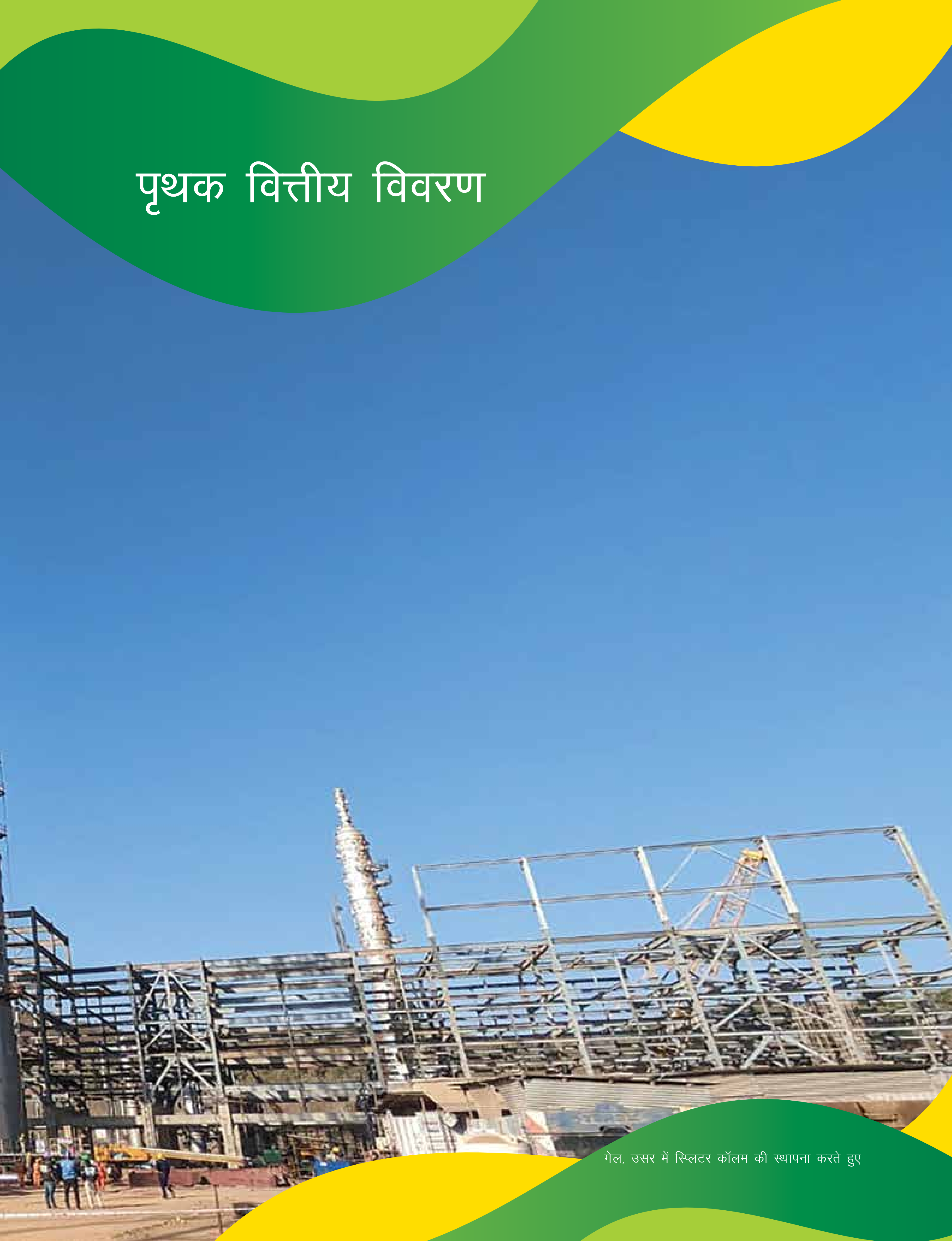

गेल, उसर में स्प्लिटर कॉलम की स्थापना करते हुए

# स्वतंत्र लेखापरीक्षको की रिपोर्ट

**गेल (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों के लिए**

**पृथक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट**

**राय**

हमने गेल (इंडिया) लिमिटेड (इसके बाद "कंपनी" के रूप में संदर्भित) के पृथक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2024 को पृथक तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि का पृथक विवरण (अन्य व्यापक आय), इक्विटी में परिवर्तन का पृथक विवरण और वर्ष के लिए नकद प्रवाह का पृथक विवरण, तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश (इसके बाद "पृथक वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त पृथक वित्तीय विवरण यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों ("इंड एएस") के अनुरूप कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित जानकारी और आम तौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों को कंपनी के 31 मार्च, 2024 तक के कार्यों की स्थिति, इसके लाभ, अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन, और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके नकदी प्रवाह को शामिल करते हुए सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

**राय का आधार**

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार पृथक वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के पृथक वित्तीय विवरण खंड की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्वों में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताएं जो अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत पृथक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, तथा हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

**मामले पर बल**

1. हम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा जारी किए गए विभिन्न अंतिम परिवहन टैरिफ आदेशों के संबंध में पृथक वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पण सं. 32 (।।।) पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिन्हें कंपनी द्वारा विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) में चुनौती दी गई है और कुछ ग्राहकों ने पीएनजीआरबी के इन आदेशों को न्यायालय में चुनौती दी है। जब भी मामला अंतिम रूप से तय हो जाएगा, तदनुसार समायोजन, यदि कोई हो, किया जाएगा।

2. हम कंपनी द्वारा निर्मित 'नेफ्था' के वर्गीकरण से संबंधित मामले में केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा अंतर राशि की मांग की पुष्टि करने वाले सीईएसटीएटी आदेश के संबंध में पृथक वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पण सं. 29(।)(क)(पपप) पर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें लागू दंड और उस पर ब्याज सहित ₹ 3,517 करोड़ शामिल हैं। मामले के गुण–दोष को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की है। प्राप्त कानूनी राय के आधार पर, कंपनी को अपने पक्ष में इस मामले में किसी भी संभावित निर्णय की उम्मीद नहीं है और तदनुसार आकस्मिक देयता के तहत इसे समाप्त कर दिया गया है।

उपरोक्त पैराओं में उल्लिखित मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

**प्रमुख लेखापरीक्षा मामले**

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के पृथक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से पृथक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में समाधान किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को महत्वपूर्ण माना है जिसे लेखापरीक्षा मामलों को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किया जाना है।

| क्र.सं. | मुख्य लेखापरीक्षा मामला | हमारी लेखापरीक्षा ने मुख्य लेखापरीक्षा मामले का कैसे समाधान किया |
|---|---|---|
| 1 | **भारतीय लेखा मानक 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" को अपनाने के मद्देनजर राजस्व की पहचान और माप**<br><br>हमने ऊपर मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचान की है क्योंकि भारतीय लेखा मानक 115 के तहत कंपनी द्वारा राजस्व की रिकॉर्डिंग में अलग–अलग प्रदर्शन दायित्वों की पहचान, पहचाने गए प्रदर्शन दायित्वों के लेन–देन मूल्य का निर्धारण, एक अवधि में मान्यता–प्राप्त राजस्व को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले आधार की उपयुक्तता से संबंधित कुछ प्रमुख निर्णय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय लेखा मानक 115 में ऐसे खुलासे शामिल हैं जिनमें अलग–अलग राजस्व और अवधि के संबंध में जानकारी का मिलान शामिल है, जिसके दौरान तुलन–पत्र की तारीख के बाद शेष प्रदर्शन दायित्वों को पूरा किया जाएगा।<br><br>पृथक वित्तीय विवरणों के लिए नोट 21 और 39 देखें। | <u>**प्रधान लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं**</u><br><br>हमने भारतीय लेखा मानक 115 के तहत राजस्व रिकॉर्ड करने के प्रभाव की पहचान करने के लिए कंपनी की प्रक्रिया का मूल्यांकन किया और लेखांकन नीति की उपयुक्तता की जाँच की। हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण निम्नानुसार शामिल था:<br><br>1. जहाँ भी लागू हो, भारतीय लेखा मानक 115 के कार्यान्वयन से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन का मूल्यांकन किया।<br><br>2 जारी और नए अनुबंधों का एक नमूना चुना गया और अलग–अलग प्रदर्शन दायित्वों की पहचान और लेनदेन मूल्य के निर्धारण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया। हमने इन नियंत्रणों के संचालन के संबंध में पूछताछ और अवलोकन, पुनः प्रदर्शन और साक्ष्य के निरीक्षण से जुड़ी प्रक्रियाओं का एक संयोजन किया।<br><br>3. भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड करने और प्रकट करने में उपयोग किए जाने वाले अनुबंधों और संबंधित सूचनाओं से संबंधित प्रासंगिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की पहुँच और परिवर्तन प्रबंधन नियंत्रणों का परीक्षण किया गया। |

| क्र.सं. | मुख्य लेखापरीक्षा मामला | हमारी लेखापरीक्षा ने मुख्य लेखापरीक्षा मामले का कैसे समाधान किया |
|---|---|---|
| | | **जारी और नए अनुबंधों का एक नमूना चुना गया और निम्नलिखित मूल प्रक्रियाओं का निष्पादन किया गया:**<br>1. इन अनुबंधों में अलग–अलग निष्पादन दायित्वों को पढ़ा गया, विश्लेषण किया गया और पहचान की गई।<br>2. कंपनी द्वारा इन निष्पादन दायित्वों की तुलना की गई, उन्हें पहचाना गया और दर्ज किया गया।<br>3. राजस्व की गणना के लिए उपयोग किए गए लेनदेन मूल्य को सत्यापित करने और परिवर्तनीय विचार के अनुमान के आधार का परीक्षण करने के लिए किसी भी परिवर्तनीय विचार सहित लेनदेन मूल्य निर्धारित करने के लिए अनुबंधों की शर्तों पर विचार किया गया। |
| 2 | **अनिश्चित कर स्थितियों और आकस्मिक देनदारियों का मूल्यांकन**<br>कंपनी कई क्षेत्राधिकारों में काम करती है और अप्रत्यक्ष कर मामलों को छोड़कर व्यापार के सामान्य कार्यों के दौरान अनेक मामलों पर स्थानीय कर अधिकारियों और पीएनजीआरबी जैसे अन्य विनियामक प्राधिकारियों द्वारा आवधिक चुनौतियों के अधीन है। हमने उपर्युक्त की मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचान की है क्योंकि इनमें विवादास्पद मामलों को शामिल करते हुए वास्तविक अनिश्चित कर स्थिति और आकस्मिक देनदारियों के संभावित परिणाम का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित लेखांकन और प्रकटीकरण पर प्रभाव पड़ता है।<br>पृथक वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पण 29(1) देखें। | **हमने इस संबंध में निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं लागू की हैं:**<br>1. प्रमुख कर मामलों और अन्य आकस्मिक देनदारियों की जानकारी प्राप्त की।<br>2. कंपनी द्वारा प्राप्त प्रमुख पत्राचारों, बाहरी कानूनी राय/परामर्शों को पढ़ा और उनका विश्लेषण किया।<br>3. वर्तमान और आस्थगित कर शेष का आकलन करने में कंपनी द्वारा की गई प्रमुख मान्यताओं का मूल्यांकन किया और उन्हें चुनौती दी।<br>4. कानूनी वरीयता और अन्य न्यायिक निर्णयों पर विचार करके विवादित मामलों के संभावित परिणाम के कंपनी के अनुमान का आकलन किया और उसे चुनौती दी।<br>5. अनिश्चित कर स्थितियों और आकस्मिक देनदारियों से संबंधित प्रस्तुति और विसंगतियों का आकलन और परीक्षण किया गया। |
| 3 | **व्युत्पन्न लेनदेन और बचाव लेनदेन का लेखांकन**<br>हमने उपर्युक्त मुख्य लेखापरीक्षा मामले की पहचान की है क्योंकि हेज (बचाव) लेखांकन ने वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, इसके लेखांकन की जटिलता, गणना और हेज संबंध स्थापित करने के लिए जटिल/कई धारणाओं को लिया गया है। इन व्युत्पन्न अनुबंधों से संबंधित मार्क से बाजार लाभ/हानि को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई है।<br>पृथक वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पण 58 देखें। | **हमने इस संबंध में निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं लागू की हैं:**<br>1. व्युत्पन्न लेनदेन की रिकॉर्डिंग और बचाव लेखांकन के आवेदन पर प्रबंधन के नियंत्रण की समझ प्राप्त की।<br>2. व्युत्पन्न लेनदेन की सटीकता और पूर्णता का परीक्षण किया।<br>3. हमने व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के मूल्यांकन के नमूने के आधार पर लागू और परीक्षण की गई मूल्यांकन पद्धतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने वाली मूल्यांकन रिपोर्ट पर भरोसा किया है।<br>4. मान्य है कि व्युत्पन्न वित्तीय लिखत नमूना आधार पर बचाव लेखांकन और बचाव प्रभावशीलता और गैर–प्रभावकारिता की परीक्षण सटीकता के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। |
| 4 | **तकनीकी मापदंड और व्यापक लेन–देन एकीकृत प्रणाली तथा उसमें शामिल जटिलताओं के माध्यम से राजस्व और सूची को मापने के लिए प्राकृतिक गैस व्यापार और पारेषण प्राप्त किया गया।**<br>हमने उपर्युक्त मुख्य लेखापरीक्षा मामले की पहचान की है क्योंकि गैस–पाइपलाइनों के माध्यम से बेची गई और स्टॉक में प्राकृतिक गैस की मात्रा के निर्धारण में प्राकृतिक गैस के विभिन्न तकनीकी पहलुओं जैसे दबाव, तापमान आदि का उपयोग शामिल है, जो गैस पाइपलाइन पर स्थापित माप उपकरणों से प्राप्त होता है। हमें सूचित किया गया था कि कार्यप्रणाली मानक है और पूरे उद्योग में उपयोग की जाती है। इससे 31 मार्च, 2024 तक बेची गई प्राकृतिक गैस और पाइपलाइन में स्टॉक की मात्रा को मान्य करने की जटिलता बढ़ जाती है।<br>पृथक वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पण 10 और 21 देखें। | **हमने इस संबंध में निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं लागू की हैं:**<br>1. हमने अपने आईटी विशेषज्ञों की सहायता से, लेखांकन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आईटी प्रणाली द्वारा प्राप्त मात्रा की सटीकता और पूर्णता पर नियंत्रणों का परीक्षण किया है।<br>2. हमने प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है कि आईटी प्रणाली राजस्व और सूची माप के उद्देश्य से प्राकृतिक गैस की मात्रा को प्राप्त करने के लिए एक मानक पद्धति लागू करती है।<br>3ए हमने प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए विभिन्न पहलुओं जैसे रूपांतरण कारक, मीटर रीडिंग इत्यादि को लागू करके मांग सूची के मूल्यांकन का सत्यापन किया है। |

पृथक वित्तीय विवरण

| क्र.सं. | मुख्य लेखापरीक्षा मामला | हमारी लेखापरीक्षा ने मुख्य लेखापरीक्षा मामले का कैसे समाधान किया |
|---|---|---|
| 5 | **कुछ सहायक कंपनियों में निवेश और अग्रिमों की वसूली योग्य राशि का मूल्यांकन**<br><br>कुछ सहायक कंपनियों में निवेश और अग्रिमों की वसूली योग्य राशियों के कंपनी के मूल्यांकन में उनके वसूली योग्य मूल्य और वाहक राशि की तुलना शामिल है। प्रबंधन भावी नकदी प्रवाह के प्रबंधन के अनुमानों के आधार पर वसूली योग्य राशि निर्धारित करता है। रियायती नकदी प्रवाह मॉडल में प्रयुक्त पूर्वोक्त मान्यताओं को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता होती है। भावी नकदी प्रवाह के पूर्वानुमान और छूट की अनिश्चितता के कारण, स्वाभाविक रूप से व्यक्तिपरक होने के कारण, इसमें प्रबंधन का निर्णय शामिल होता है और 31 मार्च, 2024 को कंपनी के निवेश के महत्व को देखते हुए हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना है।<br><br>पृथक वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणः 5, 7 और 7क देखें। | **हमने इस संबंध में निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं लागू की हैं:**<br><br>1. हमने प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए भावी नकदी प्रवाह के पूर्वानुमानों का आकलन, किया है मान्यताओं का मूल्यांकन किया है और अनुमानों की तुलना बाहरी रूप से उपलब्ध उद्योग, आर्थिक और वित्तीय आंकड़ों से की है।<br>2. प्रबंधन की योजना को समझ कर और पूर्वव्यापी परीक्षण करके राजस्व वृद्धि और ईबीआईटीडीए मार्जिन जैसी प्रमुख व्यावसायिक मान्यताओं की तर्कसंगतता का आकलन किया।<br>3. हमने निवेश के उचित मूल्य के निर्धारण में कंपनी की मूल्यांकन पद्धति का मूल्यांकन किया है। यह आकलन करते समय हमने प्रबंधन द्वारा नियुक्त मूल्यांकन विशेषज्ञ की व्यावसायिक क्षमता, निष्पक्षता और क्षमताओं का भी आकलन किया।<br>4. हमारे आंतरिक मूल्यांकन विशेषज्ञों की सहायता से नकदी प्रवाह पूर्वानुमानों में अपनाई गई प्रमुख मान्यताओं की तर्कसंगतता का आकलन किया।<br>5. हमने गत वर्ष की तुलना में कंपनी के निवेश के निष्पादन पर प्रबंधन के साथ विचार–विमर्श किया है ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि क्या नकदी प्रवाह पूर्वानुमानों में उपयोग किए गए इनपुट और अनुमान उपयुक्त थे या नहीं।<br>6. प्रमुख मान्यताओं के आसपास प्रबंधन की संवेदनशीलता विश्लेषण का मूल्यांकन किया है। |
| 6 | **निष्पादन संबंधी वेतन के लिए प्रावधान**<br><br>वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए निष्पादन संबंधी वेतन का प्रावधान लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा–निर्देशों के आधार पर किया गया है। रेटिंग कारकों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना बाकी है। | **हमने इस संबंध में निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं लागू की हैं:**<br><br>1. हमने डीपीई द्वारा जारी परिपत्र की समीक्षा की है और वित्त वर्ष 2023–24 के लिए प्रबंधन द्वारा साझा की गई गणनाओं को सत्यापित किया है ताकि यह सुनिश्चत किया सके कि परिपत्र में निर्धारित कार्यप्रणाली का पालन किया गया है और किए गए प्रावधान उचित है।<br>2. हमने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए गेल के समझौता–ज्ञापन (एमओयू) की स्व–मूल्यांकन रिपोर्ट का सत्यापन किया है, जहां वित्त वर्ष 2023–24 के लिए उपयोग की गई धारणाओं की तर्कसंगतता निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा रेटिंग को मंजूरी दी गई है।<br>3. हमने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए डीपीई द्वारा कंपनी के स्कोर और रेटिंग का उल्लेख करते हुए एमओयू रेटिंग भी प्राप्त की है। |

**पृथक वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी**

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशक की रिपोर्ट, निगमित शासन रिपोर्ट, व्यवसाय उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट तथा प्रबंधन चर्चा और वार्षिक रिपोर्ट का विश्लेषण शामिल है, लेकिन पृथक वित्तीय विवरण और उस पर हमारी रिपोर्ट शामिल नहीं है। निदेशक की रिपोर्ट, निगमित शासन रिपोर्ट, व्यवसाय उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट तथा वार्षिक रिपोर्ट की प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

पृथक वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

पृथक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी को पढ़ें, जब यह हमारे लिए उपलब्ध हो जाए और ऐसा करते हुए विचार करें कि क्या अन्य जानकारी पृथक वित्तीय विवरणों के साथ असंगत है या हमारी जानकारी के दौरान प्राप्त की गई सूचना हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बताई गई प्रतीत होती है।

जब हम ऐसी अन्य सूचना पढ़ते हैं और यह जब भी हमें उपलब्ध कराई जाती है और यदि हम मानते हैं कि इसमें कोई भौतिक गलत विवरण है, तो हमें अभिशासन के प्रभार वाले लोगों को मामले से अवगत कराना आवश्यक होता है।

**प्रथम वित्तीय विवरणों और प्रबंधन के लिए शासन का प्रभार सँभालने वालों की जिम्मेदारियाँ**

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन पृथक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में है जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन सहित अन्य व्यापक आय, परिवर्तनों का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जिसमें यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) को शामिल करते हुए, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की अन्य व्यापक आय, इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन शामिल है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी, अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय लेना और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, तथा पृथक वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हों, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और सामग्री के गलत कथन, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, से मुक्त होते हैं।

पृथक वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल कंपनी को भविष्य में कंपनी के बने रहने की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो प्रबंधन को समाप्त करने का इरादा न रखता

हो, तब तक कंपनी के भविष्य मे बने रहने से संबंधित मामलों का निपटान करने, जैसा लागू हो, और भविष्य मे लेखांकन के बने रहने के आधार का उपयोग करने या कंपनी के संचालन को बंद करने, या ऐसा करने का कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

**पृथक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां**

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से पृथक वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमे हमारी राय शामिल। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित कोई लेखापरीक्षा हमेशा ही किसी महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगी जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें वस्तुगत माना जाता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन पृथक वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हमः

- पृथक वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानते हैं और उनका आकलन करते हैं, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करते हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री गलत कथन का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने की संभावना अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं। अधिनियम की धारा 143(3)(प) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित विसंगतियों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।

- प्रबंधन और निदेशक मंडल की उपयुक्तता के आधार पर लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के उपयोग और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की भविष्य में बने रहने की क्षमता पर पर्याप्त संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में पृथक वित्तीय विवरणों में संबंधित विसंगतियों पर ध्यान आकर्षित करने, या यदि इस तरह की विसंगतियां अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने की आवश्यकता होती है। हमारा निर्देश हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षक साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी भविष्य में बने रहने के रूप में काम करना बंद कर सकती है।

- अलग–अलग वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं, विसंगतियों को शामिल करते हैं, और पृथक वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को दर्शाते हैं जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी विवरण प्रदान करते हैं जिन्हें इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों पर संवाद करते हैं जिन्हें हमारी स्वतंत्रता के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय करते हैं।

अभिशासन के जिम्मेदार लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के पृथक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए ये प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम इस मामले के बारे में सार्वजनिक असहमति को पूर्ववत न कर दें या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की उचित रूप से अपेक्षा की जाएगी तथा ऐसी सूचना से सार्वजनिक हित के लाभों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना होगी।

**अन्य मामले**

1 हम पृथक वित्तीय विवरणों के लिए कंपनी के पृथक वित्तीय विवरणों में संयुक्त रूप से नियंत्रित संचालन में आनुपातिक हिस्सेदारी के समावेश के संबंध में टिप्पण संख्या 45(II)(x) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कुल आनुपातिक हिस्सेदारी में ₹ 1,434.81 करोड की परिसंपत्तियां, ₹ 198.16 करोड की देनदारियां, ₹ 774.18 करोड़ का व्यय, ₹ 1,087.34 करोड़ की आय के साथ–साथ नकद प्रवाह विवरण बनाने वाले तत्वों और संबंधित प्रकटन शामिल हैं। उपर्युक्त राशियां इन कंपनियों के गैर–लेखापरीक्षित विवरणों के आधार पर शामिल की गई हैं। प्रबंधन का मानना है कि इससे कंपनी के पृथक वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए पृथक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पिछले संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई थी और उन्होंने दिनांक 18 मई, 2023 की अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वित्तीय विवरण सटीक थे।

उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

**अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट**

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित है, और इस तरह के जांच और संतुलन के आधार पर कंपनी के बही खातों और रिकार्डों के रूप में जैसा हमने उचित समझा और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम **"अनुलग्नक क"** में, उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक एक विवरण देते हैं।

2. जैसा कि भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत जारी निर्देशों/उप–निर्देशों के माध्यम से प्रबंधन से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, हम निर्दिष्ट मामले पर अपनी रिपोर्ट देते हैं जो **"अनुलग्नक–ख"** के रूप में संलग्न है।

3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं किः

   (क) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;

   (ख) हमारी राय में, कानून द्वारा अपेक्षित उचित बही खातों को कंपनी द्वारा रखा गया है, जैसा कि इन बही खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;

   (ग) पृथक तुलन–पत्र, लाभ और हानि का पृथक विवरण (अन्य

व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का पृथक विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए नकद प्रवाह का पृथक विवरण लेखा बही खातों के अनुरूप है;

(घ) हमारी राय में, उपरोक्त पृथक वित्तीय विवरण यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) का अनुपालन करते हैं।

(ड.) कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463(अ.) के अनुसार, एक सरकारी कंपनी होने के नाते अधिनियम की धारा 164 की उप–धारा (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं;

(च) हम कंपनी में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता पर अपनी राय के लिए **"अनुलग्नक–ग"** में एक रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं;

(छ) कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5, जून 2015 को जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ड.) के अनुसार, एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं; तथा

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः

i. कंपनी ने अपने पृथक वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों ने प्रभाव का प्रकट किया है – पृथक वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणः 29( I)(क) देखें;

ii. कंपनी ने व्युत्पन्न अनुबंधों को शामिल करते हुए लंबी अवधि के अनुबंधों पर, लागू कानून या लेखा मानकों के तहत, भौतिक नुकसान के लिए, यदि कोई हो, और निश्चित सीमा तक प्रावधान किया है।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित की जाने वाली आवश्यक राशियों को अंतरित करने में कोई विलंब नहीं किया है।

iv. (क) प्रबंधन ने कहा है कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में, कंपनी द्वारा किसी भी निधि का अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) जिसमें विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित कोई अन्य व्यक्ति या संस्था, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज की गई हो, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त–पोषण पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं) में उधार या निवेश करेगी या सुरक्षा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

(ख) प्रबंधन ने कहा है, कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("वित्त–पोषण पार्टियों") सहित किसी भी व्यक्ति(यों) या कंपनी (यों) से कोई निधियां प्राप्त नहीं की गई हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज की गई हो, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त–पोषण पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी या सुरक्षा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

(ग) निष्पादन की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और कि नियम 11(ड) के उपखंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन में किसी भी सामग्री का गलत विवरण शामिल है।

v. (क) गत वर्ष के लिए घोषित लाभांश के संबंध में वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान किया गया अंतिम लाभांश लागू अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है।

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान अंतरिम लाभांश की घोषणा की है। इसका भुगतान कंपनी द्वारा लागू अधिनियम की धारा 123 के अनुसार किया जाता है।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच शामिल थी, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी ने अपने बही खातों को बनाए रखने के लिए एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए इसे पूरे वर्ष संचालित किया गया है। इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

कृते **गांधी मिनोचा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 00458N

हस्ता./–
**भूपिन्द्र सिंह**
भागीदार
सदस्यता सं.: 092867
यूडीआईएनः 24092867BKAATZ9496

कृते **कीर्तन एंड पंडित एलएलपी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म नं.: 105215W/W100057

हस्ता./–
**चिराग गर्ग**
भागीदार
सदस्यता नं.: 540579
यूडीआईएनः 24540579BKGSRG3233

**स्थानः नई दिल्ली**
**दिनांकः 16 मई, 2024**

# स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक – क

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पृथक वित्तीय विवरणों पर गेल (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों को समसंख्यक तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के पैरा 1 में संदर्भित।

i. क) क. कंपनी ने आम तौर पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

ख. कंपनी ने आम तौर पर अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है,

ख) कंपनी भूमिगत/संयुक्त संचालन के तहत/कर्मचारियों के निवास पर रखी गई संपत्तियों को छोड़कर, पर्याप्त मूल्य वाली सभी संपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों के भौतिक सत्यापन का हर साल एक नियमित कार्यक्रम चला रही है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार देखी गई विसंगतियां महत्वपूर्ण नहीं थीं और उन्हें बही खातों में उचित रूप से दर्ज किया गया है।

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि वित्तीय विवरण में कंपनी के नाम पर ली गई सभी अचल संपत्तियों (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टे की व्यवस्था पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित की गई है) के अधिकार विलेखों का खुलासा किया गया है। अपवादों का विवरण संलग्न ''परिशिष्ट क'' में दिया गया है।

घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार की परिसंपत्ति सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(घ) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

ड.) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित है।

ii. क) हमारी राय में, प्रबंधन ने वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर मांग सूची का भौतिक सत्यापन (भंडार और अतिरिक्त पुर्जे और तृतीय पक्ष के पास पड़ी मांग सूची को छोड़कर) आयोजित किया है। हमें स्पष्ट किया गया है कि वर्ष के अंत में गैस का स्टॉक टर्मिनलों पर स्थापित टर्बाइन फ्लो मीटर/गैस क्रोमैटोग्राफ की रीडिंग के संदर्भ में लिया गया है, एलपीजी/पेंटेन/एसबीपी सॉल्वेंट का स्टॉक टैंक लेवल गेज माप के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है जो घनत्व के माप और तापमान के लिए सुधार घटक लगाने से टन भार में परिवर्तित हो जाते हैं। एलपीजी वाष्प की मात्रा को मानक सूत्रों द्वारा टन भार में परिवर्तित किया जाता है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय है कि प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भौतिक सत्यापन पर भौतिक सूची और बही खातों के बीच सूची के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10: या उससे अधिक की कोई भौतिक विसंगतियां नहीं पाई गईं।

ख) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी को वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर किसी बैंक या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर ₹ 5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। तथापि, कंपनी को बैंक से कुल मिलाकर ₹ 5 करोड़ से अधिक की असुरक्षित कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर की गई है, क्योंकि बैंक के साथ कंपनी द्वारा तिमाही विवरणी या विवरण की फाइलिंग लागू नहीं है।

iii. वर्ष के दौरान कंपनी ने निवेश किया है, गारंटी प्रदान की है, और सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम कंपनियों को असुरक्षित ऋण दिया है जिसके संबंध में –

क) अ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों को गारंटी दी है तथा सहायक और संबद्ध कंपनियों को निम्नलिखित विवरण के अनुसार ऋण दिया हैः

**(राशि करोड़ रुपए में)**

| विवरण | गारंटी | प्रतिभूति | ऋण | ऋण के रूप में अग्रिम |
|---|---|---|---|---|
| वर्ष के दौरान दी गई/प्रदान की गई कुल राशि | | | | |
| – सहायक कंपनियाँ | 2669.54 | – | 1676.00 | – |
| – संयुक्त उद्यम | – | – | – | – |
| – संबद्ध | – | – | – | – |
| – अन्य | – | – | – | – |
| उपरोक्त मामलों के संबंध में बैलेंस शीट की तारीख पर बकाया शेष | | | | |
| – सहायक कंपनियाँ | 15775.48 | – | 5031.52 | – |
| – संयुक्त उद्यम | 518.80 | – | – | – |
| – संबद्ध | 389.53 | – | – | – |
| – अन्य | – | – | – | – |

ब. चूंकि, कंपनी ने कोई ऋण प्रदान नहीं किया है या ऋण के रूप में अग्रिम प्रदान नहीं किया है, या स्थायी गारंटी, या सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के अलावा अन्य पार्टियों को सुरक्षा प्रदान नहीं की है, और इसलिए, प्रासंगिक खंड लागू नहीं होता है।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय है कि किए गए निवेश, प्रदान की गई गारंटी और कंपनी द्वारा प्रदान किए गए ऋण और गारंटी की निबंधन एवं शर्तें, प्रथम दृष्टया, कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय है कि ऋण के संबंध में, मूलधन की अदायगी और ब्याज के भुगतान की अनुसूची निर्धारित की गई है और ब्याज की प्राप्ति नियमित है, जहां यह बकाया है। मूलधन की अदायगी के लिए, अधिस्थगन दिया गया है और वर्ष के दौरान कोई भुगतान देय नहीं है।

घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, ऋण की कोई भी राशि 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय नहीं है।

ड.) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय है कि दिए गए ऋण की प्रकृति में कोई भी ऋण या अग्रिम, जो वर्ष के दौरान देय हो गया है, का नवीनीकरण या विस्तार नहीं किया गया है या एक ही पक्ष को दिए गए मौजूदा ऋणों के अतिदेय को निपटाने के लिए नया ऋण नहीं लिया गया है। हालांकि, कंपनी ने मैसर्स कोंकण एलएनजी लिमिटेड को दिए गए ऋण के लिए मासिक ब्याज भुगतान और संचित ब्याज की तिमाही किस्त को आस्थगित करने का निर्णय किया है, जो ब्याज की देय तिथि से पहले लिया गया था, जैसा कि नीचे विस्तृत रूप से बताया गया है:

1. अप्रैल 2023 से अप्रैल 2025 तक मासिक ब्याज भुगतान को स्थगित करना, और
2. नवीकरण की तारीख से मूल रूप से मार्च 2023 तक बकाया लेकिन बकाया संचित ब्याज के भुगतान को स्थगित करना, जो ₹ 251.84 करोड़ है, जिसे मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है, जिसका भुगतान दिसंबर 2025 से शुरू होकर 8 समान तिमाही किस्तों में किया जाना है, जो पहले दिसंबर 2023 था।

| नाम | नवीकरण की तिथि से मार्च 2023 तक अर्जित लेकिन देय नहीं विस्तारित संचित ब्याज की कुल राशि। | वर्ष के दौरान दिए गए कुल ऋणों का प्रतिशत |
|---|---|---|
| कोंकण एलएनजी लिमिटेड | ₹ 251.84 करोड़ | 15.04: |

च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय है कि कंपनी ने ऋण के रूप में कोई भी ऋण या अग्रिम नहीं दिया है जो या तो मांग पर या बिना किसी नियम या भुगतान की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना चुकाया जा सकता है।

iv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान दिए गए ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

v. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने डिपोजिट या राशि को स्वीकार नहीं किया है जिसे जमा माना जाता है। इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार धारा 73 से 76 के प्रावधान या अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

कंपनी विधि बोर्ड या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी न्यायालय या किसी अन्य ट्रिब्यूनल द्वारा धारा 73 से 76 के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

vi. यथा संशोधित कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 148 की उप–धारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा रखे गए खातों और रिकॉर्ड की व्यापक समीक्षा की है, और हमारी राय है कि, प्रथम दृष्टया, निर्धारित खाते और रिकॉर्ड बनाए रखे गए हैं। तथापि, हमने यह निर्धारित करने की दृष्टि से अभिलेखों की विस्तृत जांच नहीं की है कि वे सही और पूर्ण हैं या नहीं।

vii. क) कंपनी के रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी आम तौर पर माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क सहित उपयुक्त प्राधिकारियों को मूल्यवर्धित कर, उपकर और कोई अन्य सांविधिक देय निर्विवाद सांविधिक बकाया जमा करने में नियमित रही है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को लेखापरीक्षा के तहत देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई बकाया सांविधिक बकाया नहीं है।

ख) कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार और हमें कंपनी को दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण, आयकर या बिक्री कर या सेवा कर या सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या मूल्य वर्धित कर या उपकर या माल और सेवा कर और किसी भी अन्य सांविधिक देय राशि का सकल सांविधिक बकाया जो नहीं किया गया है विवाद के कारण जमा किया गया या विरोध के तहत जमा किया गया और जिस मंच पर विवाद लंबित है वह नीचे दिया गया है:

| क्र. सं. | सांविधि का नाम | देयता की प्रकृति | अवधि जिससे राशि संबंधित है | फोरम जहां विवाद लंबित है | कुल विवादित राशि (₹ करोड़ में) | विरोध/अपील में जमा की गई राशि (₹ करोड़ में) | जमा न की गई राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **संबंधित राज्यों का प्रवेश कर अधिनियम** | **प्रवेश कर/ दंड/ ब्याज** | 2001–02 से 2009–10 तक | वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण, उ.प्र. | 123.57 | 3.31 | 120.26 |
| | | | 2008–09 | संयुक्त आयुक्त, नोएडा | 0.69 | - | 0.69 |
| | | | 2015–16 से 2016–17 तक | राज्य कर (अपील), सेंट्रल डिवीजन पटना के संयुक्त आयुक्त | 0.16 | - | 0.16 |
| | | | 1999–00 से 2004–05 तक | माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद | 156.75 | 3.10 | 153.65 |
| | | **उप–योग** | | | **281.17** | **6.41** | **274.76** |
| 2 | केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 और संबंधित राज्य बिक्री कर/ वैट अधिनियम | **सीएसटी/ बिक्री कर/ वैट/दंड/ ब्याज** | 1992–94 और 2011–12 से 2014–15 | संयुक्त आयुक्त (अपील), बिक्री कर, मुंबई | 105.59 | 2.32 | 103.27 |
| | | | 2007–08 | बिक्री कर न्यायाधिकरण, मुंबई | 30.70 | 4.90 | 25.80 |
| | | | 2014–15 | ईटीओ, सोनीपत | 0.47 | - | 0.47 |
| | | | 2014–15 | वैट न्यायाधिकरण, हरियाणा | 19.26 | - | 19.26 |
| | | | 2013–14 | माननीय उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा | 18.25 | - | 18.25 |
| | | | 2003–04 | माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई | 0.63 | 0.03 | 0.60 |
| | | | 2017–18 | संयुक्त आयुक्त (अपील), उत्तराखंड | 7.39 | 0.31 | 7.08 |
| | | | 2019–20 | उपायुक्त, राज्य कर, उत्तराखंड | 34.39 | - | 34.39 |
| | | | अक्टूबर 2011 से दिसंबर 2011 | संयुक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर, त्रिची | 1.13 | - | 1.13 |
| | | | 2014–15 | राज्य कर न्यायाधिकरण, एर्नाकुलम | 0.77 | 0.07 | 0.70 |
| | | | **उप–योग** | | **218.58** | **7.63** | **210.95** |
| 3 | केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 | केंद्रीय उत्पाद शुल्क/ब्याज/ दंड | जुलाई 2011 से फरवरी 2012 | आयुक्त, डिब्रूगढ़ | 62.32 | - | 62.32 |
| | | | जनवरी 2008 से मार्च 2012 | माननीय सर्वोच्च न्यायालय | 3,516.71 | 20.00 | 3,496.71 |
| | | | जनवरी 2007 से सितंबर 2007 | सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, अहमदाबाद | 27.82 | 0.53 | 27.29 |
| | | | मई 2007 से मई 2009 | सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, कोलकाता | 38.57 | 0.66 | 37.91 |
| | | | अक्टूबर 2001 से अगस्त 2004 | सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई | 253.41 | - | 253.41 |
| | | | **उप–योग** | | **3,898.83** | **21.19** | **3,877.64** |
| 4 | **सीमा शुल्क अधिनियम,1962** | **सीमा शुल्क/ ब्याज/दंड** | मार्च 2006 | सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली | 0.53 | 0.46 | 0.07 |
| | | | मई 2015 से दिसंबर 2018 और सितंबर 2019 | माननीय उच्च न्यायालय, गुजरात | 656.78 | 10.00 | 646.78 |
| | | | जनवरी 2019 से अगस्त 2019 | आयुक्त (अपील), अहमदाबाद | 0.40 | 0.01 | 0.39 |
| | | | मई 2021 से अगस्त 2021 | सहायक आयुक्त, दहेज, गुजरात | 0.24 | - | 0.24 |
| | | **उप–योग** | | | **657.95** | **10.47** | **647.48** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | सामान और सेवा कर 2017 | जीएसटी/ ब्याज/दंड | जनवरी 2019 | माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद | 0.85 | 0.85 | - |
| | | | जुलाई 2017 से मार्च 2018 | उपायुक्त जीएसटी, वडोदरा | 0.66 | 0.03 | 0.63 |
| | | | जुलाई 2017 से मार्च 2018 | विशेष आयुक्त (अपील), दिल्ली | 0.09 | 0.01 | 0.08 |
| | | | 2017–18 और सितंबर 2018 से अक्टूबर 2019 | अपर आयुक्त, ग्रेड ।। (अपील) फिरोजाबाद | 2.18 | 0.08 | 2.10 |
| | | | नवंबर, 2017 | आयुक्त (अपील), लखनऊ | 10.66 | 0.47 | 10.19 |
| | | | नवंबर, 2017 | उपायुक्त (अपील), भोपाल | 0.21 | 0.01 | 0.20 |
| | | **उप–योग** | | | **14.65** | **1.45** | **13.20** |
| 6 | वित्त अधिनियम 1994 (सेवा कर) | सेवा कर/ब्याज/ दंड | अप्रैल 2009 से मार्च 2014 तक | सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली | 7.55 | - | 7.55 |
| 7 | आयकर अधिनियम, 1961 | आयकर/ ब्याज/दंड | वित्त वर्ष 2008–09 से वित्त वर्ष 2018–19 तक | न्यायालय निर्धारण अधिकारी (टीडीएस) | 0.40 | - | 0.40 |
| 8 | गुजरात नगर पालिका अधिनियम, 1963 | अधिसूचित क्षेत्र कर/ जीआईडीसी कर/ब्याज | 1998–99 से 2005–06 और 1985–86 से 2009–10 | माननीय उच्च न्यायालय, अहमदाबाद | 1.04 | - | 1.04 |
| | | **कुल (₹ करोड़ में)** | | | **5080.17** | **47.15** | **5033.02** |

viii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान, बही खातों में दर्ज नहीं किए गए किसी भी लेनदेन को आय के रूप में लौटाया या खुलासा नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (viii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

ix. क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने ऋण या अन्य उधारों की चुकौती में या किसी भी ऋणदाता को उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जाबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सावधि ऋण उन उदेद्श्यों के लिए लिए गए थे जिनके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।

घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई किसी भी राशि का दीर्घावधि उदेद्श्य के लिए उपयोग नहीं किया गया है।

ड.) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी कंपनी या व्यक्ति से कोई निधि नहीं ली है।

च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है।

x. क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(क) के प्रावधान लागू नहीं होते।

ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर का अधिमान आवंटन या निजी प्लेसमेंट (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(ख) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

xi. क) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, तत्कालीन कार्यकारी निदेशक और अन्य अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक साजिश की मांग और लोक सेवक द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने, लोक सेवक को प्रभावित करने के लिए अनुचित लाभ उठाने, वाणिज्यिक

संगठन द्वारा लोक सेवक को रिश्वत देने, उकसाने आदि के आरोपों पर सीबीआई जांच चल रही है। जांच की कार्यवाही प्रगति पर है। प्रबंधन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, इस स्तर पर कोई अनुमानित वित्तीय प्रभाव या अनुमानित राशि का पता नहीं लगाया जा सकता है।

ख) हमने वर्ष के दौरान और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी–4 में कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत नहीं की है।

ग) जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, तदनुसार, आदेश के खंड 3(xi)(x) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

xii. कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

xiii. हमारी राय में, कंपनी ने संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के प्रावधानों का अनुपालन किया है और लागू लेखा मानकों के अनुसार पृथक वित्तीय विवरणों में विवरण का खुलासा किया गया है।

xiv. क) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी की अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

ख) हमने लेखापरीक्षा की अवधि के लिए कंपनी की अब तक जारी आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार किया है।

xv. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 192 के तहत आने वाले निदशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

xiv. क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड (xvi)(क) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन नहीं किया है, इसलिए कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ख) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

ग) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित प्रमुख निवेष कंपनी (सीआईसी) नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ग) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

घ) समूह का हिस्सा बनने वाली संस्थाओं के प्रबंधन द्वारा साझा की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में, समूह (प्रमुख निवेष कंपनी (रिज़र्व बैंक) निवेश, 2016 में परिभाषित अनुसार) के भीतर कोई प्रमुख निवेश कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(घ) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

xvi. कंपनी के बही–खातों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को वित्तीय वर्ष में और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में नकद हानि नहीं हुई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(गअपप) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

xvii. वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xviii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

xvii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात के आधार पर, पुरानेपन और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निवेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और हमारी जांच के आधार पर मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य के आधार पर हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास होता कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई भी सामग्री संबंधी अनिश्चितता मौजूद है और कंपनी तुलन–पत्र की तारीख में मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। जब वे तुलन–पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हो जाते हैं। तथापि,

हमारा कहना है कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन–पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा कंपनी के रूप में और जब भी वे देय हो जाती हैं, चुका दिया जाएगा।

xviii. क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत व्यय किया है और अधिनियम के 135(5) और 135(6) के अनुसरण में ऐसी कोई भी अव्ययित राशि नहीं है जिसे धारा के अनुसार स्थानांतरित किया जाना है।

ख) चूंकि कोई अव्ययित राशि नहीं है जिसे अधिनियम की धारा 135(5) और 135(6) के अनुसार स्थानांतरित किया जाना है, इसलिए, आदेश के खंड 3(xx)(ख) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

कृते **गांधी मिनोचा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 00458N

**हस्ता./–**
**भूपिन्दर सिंह, भागीदार**
सदस्यता सं.: 09286
यूडीआईएन: 24092867BKAATZ9496

**कृते कीर्तने एंड पंडित एलएलपी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म नं.: 105215W/W100057

**हस्ता./–**
**चिराग गर्ग, भागीदार**
सदस्यता नं.: 540579
यूडीआईएन: 24540579BKGSRG3233

**स्थान: नई दिल्ली**
**दिनांक: 16 मई, 2024**

# कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2020 के अनुसार रिपोर्टिंग – कंपनी के नाम पर नहीं रखी गई अचल संपत्ति

## परिशिष्ट क

| संपत्ति का विवरण | सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में) | के नाम पर धारित | क्या प्रमोटर, निवेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी हैं | धारित संपत्ति की रेंज (वित्तीय वर्ष) | कंपनी के नाम पर नहीं होने का कारण |
|---|---|---|---|---|---|
| भूमि एसवी–6 – खजोद | 2.53 | डायमंड रिसर्च मर्केंटाइल सिटी लिमिटेड | नहीं | 2007–08 | मामला सूरत नगर निगम के पास लंबित |
| भूमि आईपी–2 अतिरिक्त सिलवासा | 0.06 | रमीलाबेन पाटकर/ एसएलएओ | नहीं | 2007–08 | मामला मुंबई, उच्च न्यायालय में लंबित है |
| भूमि एसवी–13 – दापचेरी | – | डेयरी विकास बोर्ड, महाराष्ट्र | नहीं | 2009–10 | मामला राजस्व प्राधिकारी, जिला कलेक्टर पालघर के पास लंबित |
| मोरा एचएलपीएल पाइपलाइन (डीयूपीएल) में भूमि | 7.36 | गुजरात सरकार | नहीं | 2022–23 | मामले को एसएलएओ के माध्यम से कलेक्टर सूरत के साथ उठाया जा रहा है। |
| भूमि – एसवी स्टेशन.–2, प्रधानपुर | 0.08 | श्री राम खेलावन एवं अन्य (प्लॉट नं. 448) और श्री. राम सेवक एवं अन्य (प्लॉट नं. 446) | नहीं | 2015–16 | डीएम कार्यालय, रायबरेली में लंबित |
| भूमि – एसवी स्टेशन – 3, नारायणपुर | 0.12 | बहु किसान | नहीं | 2015–16 | अधिग्रहण प्रक्रिया शुरु करने के लिए एसएलएओ के पास लंबित है। |
| भूमि – एसवी स्टेशन, – 4 महियामऊ दिबियापुर | 0.40 | बहु किसान | नहीं | 2015–16 | अधिग्रहण प्रक्रिया शुरु करने के लिए एसएलएओ के पास लंबित। |
| भूमि एसवी–2 लाखाबावल, जामनगर, गुजरात | 4.56 | सरकारी भूमि | नहीं | 1999–00 | अधिग्रहण प्रक्रिया शुरु करने के लिए एसएलएओ के पास लंबित। |
| फ्रीहोल्ड भूमि–एसवी 12 नैनोली क्षेत्र | 0.02 | महाराष्ट्र सरकार | नहीं | 2008–09 | मामला ग्राम पंचायत नानोली, मावल, पुणे के पास लंबित |
| फ्रीहोल्ड भूमि एसवी कोपर अलीबाग | 0.02 | आईपीसीएल | नहीं | 1995–96 | मामला तहसीलदार और तलाटी, अलीबाग के पास लंबित |
| धोकावाड़ा में फ्रीहोल्ड भूमि, तहसीलदार –अलीबाग | 0.00 | ओएनजीसी | नहीं | 1999–00 | नाम हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है। |
| भूमि आईपी–01–3, (भाग–3) सर्वेक्षण संख्या 37/21बी, पुर गांव, संगमेष्वर तहसील, रत्नागिरी जिला | 0.03 | बहु किसान | नहीं | 2012–13 | बहु किसान – भूमि मालिक के साथ मामला उठाने के लिए एजेंसी की सेवाएं ली गई |
| भूमि आईपी–01–4, (भाग–4) सर्वेक्षण संख्या 14/14, पुर गांव, संगमेष्वर तहसील, रत्नागिरी जिला | 0.03 | बहु किसान | नहीं | 2012–13 | बहु किसान – भूमि मालिक के साथ मामला उठाने के लिए एजेंसी की सेवाएं ली गई |
| भूमि आईपी–01–5, (भाग–5) सर्वेक्षण संख्या 37/28ए1, पुर गांव, संगमेष्वर तहसील, रत्नागिरी जिला | 0.01 | बहु किसान | नहीं | 2012–13 | बहु किसान – भूमि मालिक के साथ मामला उठाने के लिए एजेंसी की सेवाएं ली गई |
| भूमि–एसवी–05जी, मारकाइम गांव के सर्वेक्षण संख्या 391/1 पर, पोंडा तालुका, मारकाइम कम्यूनिटीडा, गोवा | 0.64 | गोवा सरकार | नहीं | 2011–12 | मामला गोवा सरकार के पास लंबित |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| भूमि आईपी–I कोल्हापुर–डीबीपीएल–I आईपी–I गांव–पुर 8/11 (20 गुंथा)37/15 | 0.16 | बहु किसान | नहीं | 2012–13 | बहु किसान – भूमि मालिक के साथ मामला उठाने के लिए एजेंसी की सेवाएं ली गईं |
| भूमि आईपी–I कोल्हापुर–डीबीपीएल–I आईपी–I गांव–पुर 9/11 (42 गुंथा) 37/16 | 0.33 | बहु किसान | नहीं | 2012–13 | बहु किसान – भूमि मालिक के साथ मामला उठाने के लिए एजेंसी की सेवाएं ली गईं |
| भूमि आईपी–I कोल्हापुर–डीबीपीएल–I आईपी–I गांव–पुर 10/11 (9 गुंथा)37/19 | 0.07 | बहु किसान | नहीं | 2012–13 | बहु किसान – भूमि मालिक के साथ मामला उठाने के लिए एजेंसी की सेवाएं ली गईं |
| भूमि आईपी–I कोल्हापुर–डीबीपीएल–I आईपी–I गांव–पुर 11/11 (10 गुंथा)37/2 | 0.08 | बहु किसान | नहीं | 2012–2013 | बहु किसान – भूमि मालिक के साथ मामला उठाने के लिए एजेंसी की सेवाएं ली गईं |
| भूमि रानासन गांव, तालुका और जिला गांधीनगर में | 0.00 | एकाधिक व्यक्ति | नहीं | 2002–03 | मामला राज्य सरकार के पास लंबित |
| भूमि तारखंडा गांव, तालुका हलोल, जिला पंच महल, गुजरात में | 0.00 | एकाधिक व्यक्ति | नहीं | 2005–06 | मामला राज्य सरकार के पास लंबित |
| भूमि – सीजेपीएल कन्हाई गांव से हीरो होंडा, हरियाणा | 1.22 | भूमि हरियाणा सहकारी विकास परिशद की है | नहीं | 2010–11 | मामला हरियाणा विकास प्राधिकरण के पास लंबित |
| भूमि 4.57 हेक्टेयर जीआईडीसी, वाघोडिया | 0.25 | गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) | नहीं | 1991–92 | मामला गुजरात सरकार के पास लंबित |
| पट्टा धारित भूमि – खानो, गोवा | 0.64 | सरकारी भूमि | नहीं | 2011–12 | मामला गोवा सरकार के पास लंबित |
| केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल–I– एसवी–14 पट्टा–सह–बिक्री | 0.01 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 2010–11 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल–I–एसवी–15 पट्टा–सह–बिक्री | 0.01 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 2010–11 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल–I–एसवी–17 पट्टा–सह–बिक्री | 0.00 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 2010–11 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल–I–एसवी–18 पट्टा–सह–बिक्री | 0.01 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 2010–11 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल–I–एसवी–21 पट्टा–सह–बिक्री | 0.08 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 2010–11 | मामला केआईएडीबी के पास लंबित |
| केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल–I–एसवी–16 पट्टा–सह–बिक्री | 0.01 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 2011–12 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल–I–एसवी–20 पट्टा–सह–बिक्री | 0.02 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 2011–12 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल–I–आईपी–05 पट्टा–सह–बिक्री | 0.08 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 2011–12 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल– I– आईपी–06 पट्टा–सह–बिक्री | 0.03 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 2011–12 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल– I–एसवी–22 पट्टा–सह–बिक्री | 0.10 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 2012–13 | मामला केआईएडीबी के पास लंबित |
| केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल– I–एसवी–12 पट्टा–सह–बिक्री | 0.01 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 2010–11 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल– I–एसवी–11 पट्टा–सह–बिक्री | 0.00 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 2011–12 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल– I–आईपी–07 पट्टा–सह–बिक्री | 0.08 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 2011–12 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल– I–आईपी–03 पट्टा–सह–बिक्री | 0.06 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 2011–12 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल– I–एसवी–19 पट्टा–सह–बिक्री | 0.11 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 2011–12 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल– I–एसवी–13 पट्टा–सह–बिक्री | 0.04 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 2011–12 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| केआईएडीबी–पट्टा भूमि 02 वर्ष डीबीपीएल– I–आईपी–06 पट्टा–सह–बिक्री | 1.08 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 2022–23 | मामला केआईएडीबी के पास लंबित |
| केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल–एसवी–09– पट्टा–सह–बिक्री | 0.02 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 2012–13 | मामला केआईएडीबी के पास लंबित |
| पट्टा एसवी, गांव सिंहवासा, तहसील और जिला गुना, मध्य प्रदेश | 0.00 | सरकारी भूमि | नहीं | 1995–96 | मामला राज्य सरकार के पास लंबित |
| एसवी, गांव मंडोला, तहसील और जिला बारां, राजस्थान, 325205 | 0.00 | श्री बिषन लाल | नहीं | 2007–08 | मामला राज्य सरकार के पास लंबित |
| पट्टा–पी 25 मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर, मध्य प्रदेश | 0.12 | सरकारी भूमि | नहीं | 2005–06 | पट्टा विलेख मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) के पास लंबित |
| बुढ़ा तहसील बरद, शिवपुरी, मध्य प्रदेश | 0.14 | सरकारी भूमि | नहीं | 2022–23 | मामला राज्य सरकार के पास लंबित |
| पट्टा धारित भूमि सर्वेक्षण सं. 99,100, एलूर गांव, परावुर तालुक और सर्वेक्षण सं.205/37, वडावुकोड–पुथेनक्रूज, एर्नाकुलम, केरल | 4.79 | फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (फैक्ट) | नहीं | 2010–11 | मामला फैक्ट के पास विचाराधीन |
| पट्टा धारित भूमि – 30.00 हेक्टेयर–(90 वर्ष), उत्तर प्रदेश | 1.33 | वन विभाग | नहीं | 2000–01 | मामला राज्य सरकार के पास समझौता के लिए लंबित |
| भूमि–एसवी 27 सेल बोकारो, जेएचबीडीपीएल, झारखंड | 0.43 | सेल, बोकारो | नहीं | 2019–20 | पट्टा करार का निष्पादन प्रक्रियाधीन |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| भूमि सीजीडी एमआरएस, डीसीयू, डीआरएस और सीएस प्लॉट नं. एनएस (पी), पटना | 0.24 | बिहार औद्योगिक–बियाडा | नहीं | 2022–23 | मामला प्राधिकरण के पास समझौते के लिए लंबित |
| भूमि कोको सीएनजी टाटीसिलवई, थाना सं. 173, रांची | 3.46 | झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जियाडा) | नहीं | 2019–20 | मामला प्राधिकरण के पास समझौते के लिए लंबित |
| भूमि कोको सीएनजी स्मार्ट सिटी एंड डीआरएस लतमा–243, रांची | 5.79 | रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेषन लिमिटेड (आरएससीसीएल) | नहीं | 2023–24 | मामला प्राधिकरण के पास समझौते के लिए लंबित |
| भूमि कोको सीएनजी खिरकियाघाट नमो घाट, वाराणसी | 4.48 | नगर निगम, वाराणसी | नहीं | 2020–21 | मामला नगर निगम कार्यालय के पास पट्टा करार प्रारूप चरण में लंबित |
| भूमि एक्सएलआरआई सोनारी, वार्ड सं. 06, खाता सं. 02, जमशेदपुर झारखंड सरकार | 7.01 | झारखंड सरकार | नहीं | 2022–23 | मामला राज्य सरकार के पास समझौते के लिए लंबित |
| भूमि शास्त्रीनगर, कदमा, वार्ड नं. 02, जमशेदपुर | 3.59 | झारखंड सरकार | नहीं | 2022–23 | मामला राज्य सरकार के पास समझौते के लिए लंबित |
| भूमि उलियान, कदमा, वार्ड नं. 02, जमशेदपुर | 4.27 | झारखंड सरकार | नहीं | 2022–23 | मामला राज्य सरकार के पास समझौते के लिए लंबित |
| भूमि सोनारी डीसीयू, वार्ड नं. 01, खाता नं. 622, जमशेदपुर | 3.19 | झारखंड सरकार | नहीं | 2019–20 | मामला राज्य सरकार के पास समझौते के लिए लंबित |
| भूमि जुगसलाई, वार्ड नं. 04, खाता नं. 02, जमशेदपुर | 2.15 | झारखंड सरकार | नहीं | 2019–20 | मामला राज्य सरकार के पास समझौते के लिए लंबित |
| | 61.35 | | | | |

लंदन और न्यूयॉर्क में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नॉन–डील रोड शो में गेल के निवेशक (वित्त) तथा विपणन एवं आईआर सेल के अधिकारीगण

## स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक – ख

### 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के पृथक वित्तीय विवरणों पर "गेल (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक सदस्यों की आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" विषय के पैरा 2 में संदर्भित।

| क्र.सं. | निर्देश/उप निर्देश | की गई कार्रवाई | पृथक वित्तीय विवरण पर प्रभाव |
|---|---|---|---|
| 1 | क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को प्रोसेस करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थों के साथ–साथ, यदि कोई हो, खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन की प्रोसेसिंग के निहितार्थ, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाए? | कंपनी आईटी प्रणाली, सैप, जो एक ईआरपी प्रणाली है, पर अपने बही खातों का लेखा–जोखा रखती है। सभी लेखांकन लेनदेन सैप पर रखे गए खातों में प्रोसेस किए जाते हैं।<br><br>की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी की आईटी प्रणाली के बाहर किसी भी लेखा लेनदेन प्रोसेस नहीं किया गया है। तदनुसार, हमारी राय में, लेखाओं की अखंडता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। | शून्य |
| 2 | क्या मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना है या ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के कारण ऋणदाता द्वारा किए गए डेबिट/ऋणों/ब्याज को माफ करने/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जाए?<br><br>क्या ऐसे मामलों का उचित हिसाब रखा जाता है? | की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के अनुसार और कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा मौजूदा ऋण या ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा किए गए डेबिट/ऋणों/ब्याज की छूट/बट्टे खाते में डालने के लिए कोई पुनर्गठन नहीं किया गया था। | शून्य |
| 3 | क्या केंद्रीय राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं। | परियोजना जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा पाइपलाइन परियोजना (जेएचबीडीपीएल) के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त अनुदान के संबंध में पृथक वित्तीय विवरणों के टिप्पण सं. 54 का संदर्भ लें।<br><br>हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया है और कंपनी के बही खातों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, इनका उपयोग इसकी निबंधन एवं शर्तों के अनुसार किया गया है। हमें किसी विचलन का सामना नहीं करना पड़ा। | शून्य |

कृते **गांधी मिनोचा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 00458N

हस्ता./–
**भूपिन्दर सिंह**
भागीदार
सदस्यता सं.: 092867
यूडीआईएनः 24092867BKAATZ9496

कृते **कीर्तने एंड पंडित एलएलपी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म नं.: 105215W/W100057

हस्ता./–
**चिराग गर्ग**
भागीदार
सदस्यता नं.: 540579
यूडीआईएनः 24540579BKGSRG3233

**स्थानः नई दिल्ली**
**दिनांकः 16 मई, 2024**

# स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक–ग

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पृथक वित्तीय विवरणों पर **गेल (इंडिया) लिमिटेड** के सदस्यों को समसंख्यक तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" विषय के पैरा 3(च) में संदर्भित।

**कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (प) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट**

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के पृथक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ गेल (इंडिया) लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग की तुलना में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की गई।

## आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पण में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन करने, उनकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, उनके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित अनुसार लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करने हेतु प्रभावी ढंग से काम कर रहे है।

## लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग की तुलना में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन टिप्पण") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पण और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों के अनुसार और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित समझे जाने के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की सीमा तक, जो दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू हैं, और इन्हें भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। इन मानक और मार्गदर्शन टिप्पण में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं तथा लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं। हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि क्या भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

## वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उदेद्श्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उन नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रेरित करता है जो –

(1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;

(2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदशकों के प्राधिकार के अनुसार किए जा रहे हैं; और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

## वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन का प्राधिकार इस्तेमाल करने, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत बयानी हो सकता है और जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भावी अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण यह अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा गलत हो सकती है।

## राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है, और 31 मार्च, 2024 तक वित्तीय रिपोर्टिंग के मुकाबले वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों की तुलना में आंतरिक नियंत्रण पर आधारित थे और जिसमें भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की तुलना में लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पण में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करना शामिल है।

हमने चिन्हित सुधार के क्षेत्रों पर विचार किया है जिन्हें कंपनी के 31 मार्च, 2024 के पृथक भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू किए गए लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार आगे और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। तथापि, सुधार के ये क्षेत्र कंपनी के पृथक भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करते हैं।

कृते **गांधी मिनोचा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 00458N

हस्ता./–
**भूपिन्दर सिंह,** भागीदार
सदस्यता सं.: 092867
यूडीआईएनः 24092867BKAATZ9496

कृते **कीर्तने एंड पंडित एलएलपी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म नं.: 105215W/W100057

हस्ता./–
**चिराग गर्ग,** भागीदार
सदस्यता नं.: 540579
यूडीआईएनः 24540579BKGSRG3233

**स्थानः नई दिल्ली**
**दिनांकः 16 मई, 2024**

# गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली
## 31 मार्च 2024 तक पृथक बैलेंस शीट

(₹ करोड़ में)

| क.सं. | विवरण | टिप्पण सं. | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|
| | परिसंपत्तियां | | | |
| 1 | गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां | | | |
| | क) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण | 2 | 42,265.71 | 39,414.32 |
| | ख) कार्यशील पूंजी | 3 | 15,858.73 | 13,662.48 |
| | ग) मूर्त परिसंपत्तियां | 4 | 3,116.85 | 2,854.97 |
| | घ) परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार | 2A | 3,577.17 | 2,038.04 |
| | ड.) वित्तीय परिसंपत्तियां | | | |
| | i) निवेश | 5 | 17,513.91 | 12,788.77 |
| | ii) व्यापार प्राप्तियां | 6 | 1,044.77 | 1,044.28 |
| | iii) ऋण | 7 | 5,313.01 | 3,317.06 |
| | iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 8 | 317.21 | 527.92 |
| | च) गैर–वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल) | 9 | 870.81 | 725.87 |
| | छ) अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां | 12 | 1,122.31 | 1,004.48 |
| | **mi&;ksx ¼1½** | | **91,000.48** | **77,378.19** |
| 2 | क) मांग सूची | | | |
| | ख) वित्तीय परिसंपत्तियां | 10 | 5,291.12 | 5,281.27 |
| | i) व्यापार प्राप्य | 6A | 9,609.08 | 10,366.30 |
| | ii) नकद तथा उसके समकक्ष | 11 | 588.59 | 173.77 |
| | iii) नकद तथा उसके समकक्ष के अलावा बैंक शेष | 11A | 114.65 | 228.19 |
| | iv) ऋण | 7A | 88.58 | 67.72 |
| | v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 8A | 1,523.43 | 1,800.35 |
| | ग) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां | 12A | 1,312.52 | 835.79 |
| | **उप–योग (2)** | | **18,527.97** | **18,753.39** |
| | **कुल परिसंपत्तियां (1+2)** | | **1,09,528.45** | **96,131.58** |
| | **इक्विटी तथा देयताएं** | | | |
| 1 | इक्विटी | | | |
| | क) इक्विटी शेयर पूंजी | 13 | 6,575.10 | 6,575.10 |
| | खद्ध अन्य इक्विटी | 14 | 57,604.30 | 49,078.57 |
| | **उप–योग (1)** | | **64,179.40** | **55,653.67** |
| | **देयताएं** | | | |
| 2 | गैर–वर्तमान देयताएं | | | |
| | क) वित्तीय देयताएं | | | |
| | i) उधार | 15 | 11,564.75 | 7,837.08 |
| | ii) पट्टा देयताएं | | 2,007.18 | 1,039.17 |
| | iii) अन्य वित्तीय देयताएं | 16 | 717.89 | 732.80 |
| | ख) प्रावधान | 17 | 933.71 | 799.26 |
| | ग) संविदा देयताएं | | 577.77 | 495.73 |
| | घ) आस्थगित कर देयता (निवल) | 20 | 4,955.78 | 4,662.78 |
| | ड.) अन्य गैर–वर्तमान देयताएं | 19 | 4,387.53 | 4,541.57 |
| | **उप–योग (2)** | | **25,144.61** | **20,108.39** |

(₹ करोड़ में)

| क.सं. | विवरण | टिप्पण सं. | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|
| **3** | वर्तमान देयताएं | | | |
| | क) वित्तीय देयताएं | | | |
| | i) उधार | 15A | 4,848.33 | 6,471.66 |
| | ii) पट्टा देयताएं | | 790.20 | 381.63 |
| | iii) व्यापार देयताएं | | | |
| | क) लघु उद्यमों एवं सूक्ष्म उद्यमों की कुल बकाया देयताएं | 18 | 329.47 | 337.10 |
| | ख) लघु उद्यमों एवं सूक्ष्म उद्यमों के अलावा लेनदारों के कुल बकाया देयताएं | 18 | 6,389.45 | 6,962.14 |
| | iv) अन्य वित्तीय देयताएं | 16A | 5,115.04 | 3,687.74 |
| | ख) अन्य वर्तमान देयताएं | 19A | 945.23 | 1,027.16 |
| | ग) संविदा देयताएं | | 721.57 | 608.70 |
| | घ) प्रावधान | 17A | 1,065.15 | 893.39 |
| | **उप–योग (3)** | | **20,204.44** | **20,369.52** |
| | **कुल इक्विटी और देयताएं (1+2+3)** | | **1,09,528.45** | **96,131.58** |

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और संलग्न टिप्पणियां पृथक वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

**निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**

हस्ता./–
**एम.के. अग्रवाल**
कंपनी सचिव
(डीआईएनः 69402)

हस्ता./–
**आर.के. जैन**
निदेशक (वित्त)
(डीआईएनः 08788595)

हस्ता./–
**एस.के. गुप्ता**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएनः 07570165)

हमारी समसंख्यक पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते **गांधी मिनोचा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म नं. 000458N
हस्ता./–
**भूपिन्दर सिंह**
भागीदार
सदस्यता सं.: 092867

कृते **कीर्तने एंड पंडित एलएलपी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म नं.: 105215W/W100057
हस्ता./–
**चिराग गर्ग**
भागीदार
सदस्यता नं.: 540579

**स्थानः नई दिल्ली**
**दिनांकः 16 मई 2024**

# गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली

## 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष का लाभ एवं हानि पृथक विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | टिप्पणी सं. | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| I | प्रचालनों से राजस्व (सकल) | 21 | 1,30,638.11 | 1,44,301.61 |
| II | अन्य आय | 22 | 2,207.89 | 2,684.70 |
| III | **कुल राजस्व (I+II)** | | **1,32,846.00** | **1,46,986.31** |
| IV | व्यय | | | |
| | उपभुक्त सामग्रियों की लागत | | 7,325.46 | 6,860.15 |
| | उत्पाद शुल्क | | 65.06 | 51.93 |
| | व्यापार में स्टॉक की खरीद | | 99,733.83 | 1,23,975.78 |
| | तैयार माल, व्यापार स्टॉक और प्रगति पर कार्य | 23 | (19.14) | (1,959.99) |
| | कर्मचारी लाभ व्यय | 24 | 2,072.16 | 1,717.38 |
| | वित्त लागत | 25 | 697.23 | 311.72 |
| | मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय | 26 | 3,330.82 | 2,488.07 |
| | अन्य व्यय | 27 | 8,086.02 | 6,957.46 |
| | **कुल व्यय (IV)** | | **1,21,291.44** | **1,40,402.50** |
| V | **कर पूर्व लाभ ( III + IV )** | | **11,554.56** | **6,583.81** |
| VI | **कर व्यय** | | | |
| | (1) वर्तमान कर | | | |
| | –वर्तमान वर्ष | | 2,602.20 | 1,277.47 |
| | –पूर्व अवधियों से संबंधित कर का समायोजन | | 1.06 | (52.37) |
| | (2) आस्थगित कर | | 114.82 | 57.20 |
| | **कुल कर व्यय** | | **2,718.08** | **1,282.30** |
| VII | **वर्ष हेतु लाभ (V-VI)** | | **8,836.48** | **5,301.51** |
| VIII | **अन्य व्यापक आय (ओसीआई)** | | - | |
| | (क) मद जिसे बाद की अवधियों में लाभ एवं हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा | | | |
| | नकद प्रवाह हेज लाभ/(हानि) पर निवल संचलन | | (289.65) | (689.16) |
| | घटाः उस पर का प्रभाव | | 72.90 | 173.45 |
| | **निवल ओसीआई जिसे लाभ एवं हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा (क)** | | **(216.75)** | **(515.71)** |
| | (ख) मदें जिन्हें बाद की अवधियों में लाभ एवं हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा | | - | |
| | (i) एफवीटीओसीआई इक्विटी शेयरों पर निवल लाभ/(हानि) | | 3,704.75 | (357.85) |
| | उस पर का आय कर का प्रभाव | | (233.81) | 1.25 |
| | | | **3,470.94** | **(356.60)** |
| | (ii) परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्माप लाभ/(हानि) | | 68.63 | 46.69 |
| | उस पर आयकर प्रभाव | | (17.27) | (11.75) |
| | | | **51.36** | **34.94** |
| | **निवल ओसीआई जिसे लाभ या हानि (ख) में पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा** | | **3,522.30** | **(321.66)** |
| | **वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (क+ख)** | | **3,305.55** | **(837.37)** |
| IX | **वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (VII+VII) (लाभ/(हानि) और अवधि के लिए ओसीआई भामिल है)** | | **12,142.03** | **4,464.14** |
| X | **प्रति इक्विटी शेयर आय (रुपए में) (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 10)** | **A** | | |
| | क) मूल | | 13.44 | 8.04 |
| | ख) प्रति शेयर कम की गई आय | | 13.44 | 8.04 |

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और संलग्न टिप्पणियां पृथक वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं। उपर्युक्त अवधि के दौरान कोई प्रचालन बंद नहीं किया गया।

**निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**

हस्ता./–
**एम.के. अग्रवाल**
कंपनी सचिव
(डीआईएनः 69402)

हस्ता./–
**आर.के. जैन**
निदेशक (वित्त)
(डीआईएनः 08788595)

हस्ता./–
**एस.के. गुप्ता**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएनः 07570165)

हमारी समसंख्यक पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते **गांधी मिनोचा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म नं. 000458N

हस्ता./–
**भूपिन्दर सिंह**
भागीदार
सदस्यता सं.: 092867

कृते **कीर्तने एंड पंडित एलएलपी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म नं.: 105215W/W100057

हस्ता./–
**चिराग गर्ग**
भागीदार
सदस्यता नं.: 540579

**स्थानः नई दिल्ली**
**दिनांकः 16 मई 2024**

# 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का पृथक विवरण

## क. इक्विटी शेयर पूंजी

**31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए**

इक्विटी शेयर पूंजी (जारी, अभिदान और प्रदत्त इक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10)

| विवरण | टिप्पण सं. | ₹ करोड़ में |
|---|---|---|
| 1 अप्रैल 2023 को | 13 | 6,575.10 |
| **31 मार्च 2024 को** | | 6,575.10 |

**31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए**

इक्विटी शेयर पूंजी (जारी, अभिदान और प्रदत्त इक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10)

| विवरण | टिप्पण सं. | ₹ करोड़ में |
|---|---|---|
| 1 अप्रैल 2022 को | 13 | 4,440.39 |
| वर्ष के दौरान शेयरों का बायबैक' | | (56.99) |
| वर्ष के दौरान शेयरों का बोनस इश्यूरु | | 2,191.70 |
| **31 मार्च 2023 को** | | 6,575.10 |

*वर्ष के दौरान कंपनी ने 190 प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर 5,69,85,463 इक्विटी शेयर वापस खरीदे।

# वर्ष के दौरान कंपनी ने 1:2 के अनुपात में बोनस शेयर इश्यू किए हैं।

## ख. अन्य इक्विटी (टिप्पणी सं. 14)

**31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए** (₹ करोड़ में)

| विवरण | आरक्षित और अधिशेष | | | आरक्षित और अधिशेष | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रतिधारित आय | सामान्य रिजर्व | आरक्षित पूंजी मोचन | इक्विटी शेयरों के एफवीटीओसीआई पर निवल (हानि)/ लाभ | नकद प्रवाह बचाव लाभ/(हानि) पर निवल संचलन | कुल |
| **1 अप्रैल 2023 को शेष** | **44,157.70** | **-** | **126.74** | **4,302.18** | **491.95** | **49,078.57** |
| वर्ष के लिए लाभ | 8,836.48 | | | | | 8,836.48 |
| परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनः माप लाभ/(हानि) (कर का निवल) | 51.36 | | | | | 51.36 |
| अंतरिम लाभांश | (3,616.30) | | | | | (3,616.30) |
| वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/ (हानि) | | | | | | |
| एफवीटीओसीआई इक्विटी शेयरों पर शुद्ध लाभ/(हानि) | | | | 3,470.94 | | 3,470.94 |
| नकदी प्रवाह पर निवल संचलन लाभ/(हानि) | | | | | (216.75) | (216.75) |
| **31 मार्च 2024 को शेष** | **49,429.24** | **-** | **126.74** | **7,773.12** | **275.20** | **57,604.30** |

**31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए** (₹ करोड़ में)

| विवरण | आरक्षित और अधिशेष | | | आरक्षित और अधिशेष | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रतिधारित आय | सामान्य रिजर्व | आरक्षित पूंजी मोचन | इक्विटी शेयरों के एफवीटीओसीआई पर निवल (हानि)/लाभ | नकद प्रवाह बचाव लाभ/(हानि) पर निवल संचलन | |
| **1 अप्रैल 2022 को शेष** | **41,904.72** | **3,505.49** | **69.76** | **4,658.78** | **1,007.66** | **51,146.41** |
| वर्ष के लिए लाभ | 5,301.51 | | | | | 5,301.51 |
| परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनः माप लाभ/(हानि) (कर का निवल) | 34.94 | | | | | 34.94 |
| वर्ष के दौरान रिजर्व में अंतरण | - | (56.98) | | | | (56.98) |
| वर्ष के दौरान रिजर्व से अंतरण | - | | 56.98 | | | 56.98 |
| शेयरों की बॉयबैक (बॉयबैक कर और व्यय सहित) | - | (1,271.90) | | | | (1,271.90) |
| शेयरों का बोनस इश्यू | (15.09) | (2,176.61) | | | | (2,191.70) |
| अंतिम लाभांश | (2,630.04) | | | | | (2,630.04) |
| अंतरिम लाभांश | (438.34) | | | | | (438.34) |
| वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/ (हानि) | | | | | | |
| एफवीटीओसीआई इक्विटी शेयरों पर शुद्ध लाभ/(हानि) | - | | | (356.60) | | (356.60) |
| नकदी प्रवाह पर निवल संचलन लाभ/(हानि) | - | | | | (515.71) | (515.71) |
| **31 मार्च 2023 को शेष** | **44,157.70** | **-** | **126.74** | **4,302.18** | **491.95** | **49,078.57** |

* मैसर्स एडवरब टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स अटेंटिव एआई सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में निवेश की बिक्री के कारण, उचित मूल्य लाभ (कर का निवल) को प्रतिधारित आय में पुनर्वर्गीकृत किया गया।

**निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**

हस्ता./–
**एम.के. अग्रवाल**
कंपनी सचिव
(डीआईएनः 69402)

हस्ता./–
**आर.के. जैन**
निदेशक (वित्त)
(डीआईएनः 08788595)

हस्ता./–
**एस.के. गुप्ता**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएनः 07570165)

हमारी समसंख्यक पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते **गांधी मिनोचा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म नं. 000458N
हस्ता./–
**भूपिन्दर सिंह**
भागीदार
सदस्यता सं.: 092867

कृते **कीर्तने एंड पंडित एलएलपी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म नं.: 105215W/W100057
हस्ता./–
**चिराग गर्ग**
भागीदार
सदस्यता नं.: 540579

**स्थानः नई दिल्ली**
**दिनांकः 16 मई 2024**

## गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली
## 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
## नकदी प्रवाह का पृथक विवरण

(₹ करोड़ में)

| | विवरण | समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च 2024 | 31 मार्च 2023 |
| क) | **परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | | |
| | 1 कर पूर्व लाभ | 11,554.56 | 6,583.81 |
| | **2 निम्नलिखित के लिए समायोजनः** | | |
| | मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय | 3,330.82 | 2,488.07 |
| | वित्त लागत | 697.23 | 311.72 |
| | निवेश पर लाभांश आय | (997.71) | (1,463.97) |
| | ब्याज आय | (885.07) | (679.77) |
| | निवेश की बिक्री पर (लाभ)/हानि | (4.83) | (6.81) |
| | कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान | 227.76 | 183.33 |
| | संभावित दायित्वों का प्रावधान | 147.10 | 45.21 |
| | संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान | (75.83) | 13.09 |
| | अन्य प्रावधान | (18.97) | 10.80 |
| | सरकारी अनुदान का परिशोधन | (137.70) | (100.79) |
| | वित्तीय गारंटी दायित्व का परिशोधन | (11.66) | (5.35) |
| | वित्तीय गारंटी पर संभावित ऋण हानि | 46.05 | 46.62 |
| | परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि (निवल) | 23.52 | 5.84 |
| | हानि/सीडब्ल्यूआईपी के लिए प्रावधान | 146.70 | 46.73 |
| | कमोडिटी डेरिवेटिव (नेट) पर एमटीएम हानि | (0.39) | (114.93) |
| | मद–हानि के लिए प्रावधान/(उलटना) (निवल) | - | 55.38 |
| | **उप–योग (2)** | **2,487.02** | **835.17** |
| | **3 कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ (1+2)** | **14,041.58** | **7,418.98** |
| | **4 कार्यशील पूंजी में परिवर्तन (नकद और नकद समकक्षों को छोड़कर)** | | |
| | व्यापार और अन्य प्राप्तियां | 864.22 | (2,064.59) |
| | मांग सूची | (3.09) | (2,265.76) |
| | व्यापार और अन्य देय | (306.33) | 1,237.14 |
| | **कार्यशील पूंजी में परिवर्तन (नकदी और नकद समकक्षों को छोड़कर)** | **554.80** | **(3,093.21)** |
| | **5 संचालन से उत्पन्न नकदी (3+4)** | **14,596.38** | **4,325.77** |
| | 6 प्रत्यक्ष कर का भुगतान | (2,748.19) | (1,517.76) |
| | **परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (5+6)** | **11,848.19** | **2,808.01** |
| ख) | **निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | | |
| | अचल परिसंपत्तियों की खरीद/सीडब्ल्यूआईपी | (7,051.28) | (7,419.10) |
| | अचल परिसंपत्तियों की बिक्री | 13.73 | 77.49 |
| | म्यूचुअल फंड में निवेश | (12,236.00) | (11,113.00) |
| | म्यूचुअल फंड की बिक्री | 12,240.83 | 11,119.81 |
| | अन्य कंपनियों में निवेश | (999.63) | (1,065.43) |
| | प्राप्त/दिया गया ऋण | (1,468.20) | 42.17 |
| | प्राप्त ब्याज | 358.69 | 482.50 |
| | निवेश पर प्राप्त लाभांश | 1,139.46 | 1,322.23 |
| | **निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह** | **(8,002.40)** | **(6,553.33)** |
| ग) | **वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | | |
| | उधार का भुगतान | (3,571.66) | (1,121.01) |
| | अवधि के दौरान उधार | 5,676.00 | 9,077.00 |

(₹ करोड़ में)

| | विवरण | समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च 2024 | 31 मार्च 2023 |
| | भुगतान की गई पट्टा देनदारियां | (715.48) | (350.96) |
| | भुगतान की गई पट्टा देनदारियों पर ब्याज | (109.37) | (76.29) |
| | शेयरों का बायबैक | | (1,328.88) |
| | भुगतान किया गया लाभांश | (3,619.49) | (3,067.94) |
| | भुगतान की गई वित्त लागत | (1,090.97) | (580.39) |
| | वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह | **(3,430.97)** | **2,551.53** |
| | नकद और नकद समकक्षों में निवल वृद्धि (क+ख+ग) | **414.82** | **(1,193.79)** |
| | अवधि के प्रारंभ होने पर नकद और नकद समकक्ष | 173.77 | 1,367.56 |
| | अवधि के बंद होने पर नकद और नकद समकक्ष | 588.59 | 173.77 |

**टिप्पणी:**

1. वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह में निम्नलिखित गैर–नकदी परिवर्तन शामिल हैं:

| | विवरण | 31 मार्च 2024 | 31 मार्च 2023 |
|---|---|---|---|
| | अवास्तविक विनिमय (लाभ)/उधार पर हानि | (5.11) | (6.08) |
| | अवास्तविक विनिमय (लाभ)/पट्टा देयताओं पर हानि | 20.68 | 88.35 |
| | पट्टे के माध्यम से परिसंपत्तियों का अधिग्रहण (अपफ्रंट प्रीमियम का निवल) | 2,071.79 | 408.66 |

2. नकद प्रवाह विवरण नकद प्रवाह के इंड एएस 7 विवरण के अनुसार अप्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करके तैयार किया गया है।
3. चालू वर्ष की प्रस्तुति/प्रकटीकरण के अनुरूप जहां भी आवश्यक हो, गत वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है।
4. नकद और नकद समकक्ष के लिए टिप्पण 11 देखें।

**निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**

हस्ता./–
**एम.के. अग्रवाल**
कंपनी सचिव
(डीआईएनः 69402)

हस्ता./–
**आर.के. जैन**
निदेशक (वित्त)
(डीआईएनः 08788595)

हस्ता./–
**एस.के. गुप्ता**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएनः 07570165)

हमारी समसंख्यक पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते **गांधी मिनोचा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म नं. 000458N
हस्ता./–
**भूपिन्दर सिंह**
भागीदार
सदस्यता सं.: 092867

कृते **कीर्तने एंड पंडित एलएलपी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म नं.: 105215W/W100057
हस्ता./–
**चिराग गर्ग**
भागीदार
सदस्यता नं.: 540579

**स्थानः नई दिल्ली**
**दिनांकः 16 मई 2024**

टिप्पण – क

# 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

**प्रति शेयर आय (ईपीएस)**

मूल और डाइल्यूटेड ईपीएस राशियों की गणना कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण वर्ष के लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। डाइल्यूटेड ईपीएस की गणना कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण वर्ष के लिए लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी शेयरों में सभी संभावित डाइल्यूटेड इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

निम्नलिखित मूल और डाइल्यूटेड ईपीएस गणना में उपयोग की जाने वाली आय और शेयर डेटा को दर्शाता है:

**(₹ करोड़ में)**

| विवरण | 31 मार्च 2024 | 31 मार्च 2023 |
|---|---|---|
| लाभ और हानि विवरण के अनुसार वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़ में) | 8,836.48 | 5,301.51 |
| मूल आय के लिए कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण लाभ | **8,836.48** | **5,301.51** |
| | **संख्या करोड़ में** | **संख्या करोड़ में** |
| मूल ईपीएस की गणना में इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या | 657.51 | 659.41 |
| डाइल्यूटेड ईपीएस की गणना में इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या | 657.51 | 659.41 |
| **प्रति इक्विटी शेयर आय (₹ में)** | | |
| मूल | 13.44 | 8.04 |
| डाइल्यूटेड आय | 13.44 | 8.04 |
| **प्रत्येक इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (₹ में)** | **10** | **10** |

# टिप्पण 1क: निगमित सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

## निगमित सूचना

गेल (इंडिया) लिमिटेड ("गेल" या "कंपनी") भारत में स्थित एक सार्वजनिक क्षेत्र की लिमिटेड कंपनी है (सीआईएन: L40200DL1984GOI018976) और इसे दिनांक 16 अगस्त, 1984 को निगमित किया गया था। कंपनी के इक्विटी शेयर भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। कंपनी की ग्लोबल डिपॉजिटरी प्राप्तियां (जीडीआर) लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। दिनांक 31 मार्च 2024 को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी पूंजी में भारत सरकार की हिस्सेदारी 51.52% है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 16, भीकाएजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली–110066 में स्थित है।

गेल भारत में सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली प्राकृतिक गैस प्रोसेसिंग और वितरण कंपनी है। कंपनी का एक विविध व्यापार पोर्टफोलियो है और प्राकृतिक गैस के सोर्सिंग और व्यापार, एलपीजी, तरल हाइड्रोकार्बन और पेट्रोरसायन के उत्पादन, पाइपलाइनों के माध्यम से प्राकृतिक गैस और एलपीजी के संचरण आदि में इसकी भागीदारी हैं। गेल की भारत और विदेशों में तेल और गैस ब्लॉक, नवीकरणीय ऊर्जा, सीजीडी, सीबीजी और ग्रीन हाइड्रोजन में भी भागीदारी है।

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के पृथक वित्तीय विवरणों को दिनांक 16 मई 2024 को निदेशक मंडल के एक संकल्प के अनुसार जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था।

## तैयारी का आधार

कंपनी के पृथक वित्तीय विवरण समय–समय पर यथा संशोधित और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों सहित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 के तहत कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड–एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

वित्तीय विवरणों को लेखांकन के प्रोद्भवन के आधार पर भविष्य में बने रहने वाली कंपनी के रूप में तैयार किया गया है। कंपनी ने कुछ मदों को छोड़कर परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए ऐतिहासिक लागत आधार अपनाया है जिन्हें एक अलग आधार पर मापा गया है और इस तरह के आधार को प्रासंगिक लेखा नीति में प्रकट किया गया है।

वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (₹) में प्रस्तुत किए जाते हैं और मूल्यों को निकटतम करोड़ (दो दशमलव तक) तक पूर्णांकित किया जाता है, जब तक कि अन्यथा संकेत न दिया जाए।

## 1. सामग्री लेखांकन नीतियां

### 1.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

क) वर्तमान संपत्तियों के मामले में, जहां ठेकेदारों को अंतिम भुगतान अभी भी लंबित है, उसे अनंतिम आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। जिसमें निपटान वर्ष में लागत और मूल्यहास में समायोजन के अधीन अनंतिम देयता शामिल है।

ख) भंडारण और पुर्जे, जो पीपीई की परिभाषा को पूरा करते हैं, अर्थात जिस कंपनी 12 महीने से अधिक अवधि के लिए उपयोग करने की इच्छा रखती है।

ग) पीपीई के प्रमुख निरीक्षण और ओवरहाल पर व्यय को पूंजीकृत किया जाता है, जब यह पीपीई की मान्यता मानदंडों को पूरा करता है।

घ) संयंत्रों/सुविधाओं और विशिष्ट सॉफ्टवेयर से संबंधित तकनीकी जानकारी/लाइसेंस शुल्क जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग हैं, अंतर्निहित परिसंपत्ति के भाग के रूप में पूंजीकृत हैं।

ङ) पर्यावरणीय व्यय के संबंध में निगमित पर्यावरण उत्तरदायित्व (सीईआर) वाली परियोजनाएं जो सीधे परियोजनाओं के लिए उत्तरदायी हैं, उन्हें सरकारी एजेंसी द्वारा परियोजना के अनुमोदन पर अंतर्निहित परिसंपत्ति के भाग के रूप में मान्यता दी जाती है।

च) सड़क, पुल, बिजली ट्रांसमिशन लाइन आदि जैसी सक्षम परिसंपत्तियाँ जो पीपीई की मान्यता मानदंडों को पूरा करती हैं, उन्हें अंतर्निहित परिसंपत्ति के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, यदि कंपनी सक्षम परिसंपत्तियों का उपयोग करने से दूसरों को प्रतिबंधित नकरे। यदि कंपनी सक्षम परिसंपत्तियों का उपयोग करने से दूसरों को प्रतिबंधित करती है तो सक्षम परिसंपत्तियों को अलग से पूंजीकृत किया जाता है।

छ) भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन पर, कंपनी ने दिनांक 01.04.2015 को मान्यता–प्राप्त अपने सभी पीपीई के वहन मूल्य को जारी रखने के लिए चुना है, जिसे पिछले जीएएपी के अनुसार मापा गया है और उस वहन मूल्य को पीपीई की मानी गई लागत के रूप में उपयोग किया गया है।

### 1.2 अमूर्त परिसंपत्तियां

क) अमूर्त परिसंपत्तियाँ जैसे उपयोग का अधिकार (आरओयू), सॉफ्टवेयर, लाइसेंस इत्यादि जो अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता मानदंडों को पूरा करती हैं, उन्हें अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

(ख) अनुसंधान चरण में किए गए व्यय को लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है और विकास चरण में, जब तक कि यह पूंजीगत प्रकृति का न हो, इसे भी लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

(ग) भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन पर, कंपनी ने दिनांक 01.04.2015 को मान्यता–प्राप्त अपनी सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के वहन मूल्य को पिछले जीएएपी के अनुसार मापना जारी रखने और उस वहन मूल्य को अमूर्त परिसंपत्तियों की मानी गई लागत के रूप में उपयोग करने का चयन किया है।

### 1.3 प्रकियाधीन पूंजीगत कार्य

क) जहां आरओयू का अधिग्रहण किया गया है, वहा जब भी कार्य आरम्भ होता है, तब फसल क्षतिपूर्ति का लेखांकन वास्तविक भुगतान/अनुमानित देयता के आधार पर पूंजीगत कार्य–प्रगति के तहत किया जाता है।

ख) पूंजीगत कार्य–प्रगति में पारगमन में सामग्री/उपकरण/सेवाएं आदि सहित निर्माण भंडार शामिल हैं, जो परियोजनाओं में उपयोग के लिए साइट पर प्राप्त की जाती हैं।

ग) निर्माण अवधि के दौरान किए गए सभी राजस्व व्यय, जो विशेष रूप से परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं, वे पूंजीकृत हैं।

घ) पूंजीगत भंडार का मूल्यांकन भारित औसत लागत पर किया जाता है, और जहां भी आवश्यक होता है, वहां मूल्य में संभावित कमी के लिए विशिष्ट प्रावधान किए जाते हैं।

### 1.4 अन्वेषण और विकास लागत

**क)** कंपनी अन्वेषण, विकास और उत्पादन गतिविधियों के लिए संबंधित मेजबान सरकारों और विभिन्न निगमित निकाय के साथ उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी) और राजस्व साझेदारी संविदा (आरएससी) की प्रकृति में निगमित या गैर–निगमित संयुक्त उद्यमों के माध्यम से किए गए तेल और गैस अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों के लेखांकन के लिए सफल प्रयास पद्धति का पालन करती है, जिसमें अन्वेषण और मूल्यांकन लागतें निम्नानुसार शामिल हैं:

(i) भूगर्भीय और भूभौतिकीय (जीएंडजी) लागत जिसमें भूकंपीय सर्वेक्षण, सतही पट्टा किराया आदि शामिल हैं, अन्वेषण और मूल्यांकन प्रस्तावों के लिए राजस्व व्यय के रूप में उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें ये व्यय की जाती हैं।

(ii) अन्वेषक/मूल्यांकन वेल की लागत को कार्यशील पूंजी पर – विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां/ कार्यशील पूंजी के रूप में लिया जाता है। इस तरह के अन्वेषी वेल को उस वर्ष में पूंजीकृत किया जाता है जिसमें उत्पादक संपत्ति बनाई जाती है। ऐसी लागतों को उस वर्ष के बट्टे खाते में डाल दिया जाता है जब शुष्क/परिव्यक्त निर्धारित किया जाता है।

(iii) सभी "अन्वेषी वेल की प्रगति" की लागत को लाभ एवं हानि विवरण में डेबिट किया जाता है, उन वेल को छोड़कर जिनके लिए पर्याप्त मात्रा में भंडार के उचित संकेत मिले हों तथा उद्यम रिजर्व और आर्थिक और परियोजना की परिचालन व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए पर्याप्त प्रगति कर रहा हो।

**ख) उत्पादन संपत्तियों का पूंजीकरण**

जब क्षेत्र/फील्ड में वेल प्रमाणित विकसित तेल और गैस भंडार की स्थापना पर व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार होते हैं, तब उत्पादन संपत्तियों को "पूर्ण वेल/ उत्पादक वेल" के रूप में पूंजीकृत किया जाता है

उत्पादन संपत्तियों की लागत में सफल अन्वेषी वेल, विकास वेल की लागत, सहायक उपकरणों की प्रारंभिक मूल्यह्रास सुविधाएं और अनुमानित भविष्य परित्याग लागत शामिल है।

**ग) उत्पादन संपत्तियों का ह्रास**

उत्पादन विधि की यूनिट (यूओपी)" का उपयोग करके उत्पादन संपत्तियां समाप्त हो जाती हैं। सभी पूंजीगत लागत के लिए प्रभारित उत्पादन की कमी या यूनिट की गणना वर्ष के दौरान उत्पादन के अनुपात में वर्ष के अंत में प्रमाणित विकसित भंडार के रूप में की जाती है।

**घ) उत्पादन संपत्तियों की उत्पादन लागत**

ऑपरेटर द्वारा दर्शाए उत्पादन लागत में कंपनी के हिस्से में मूल्यह्रास और सहायक उपकरण और सुविधाओं की लागू परिचालन लागत सहित प्री वेल शीर्ष और पोस्ट वेल शीर्ष व्यय शामिल हैं।

**ड.) संयुक्त प्रचालन के लिए लेखांकन**

कंपनी उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) और राजस्व हिस्सेदारी संविदा के माध्यम से दर्ज किए गए संयुक्त प्रचालन में अपने हितों के संबंध में, वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों, देयताओं, आउटपुट की बिक्री से राजस्व, संयुक्त प्रचालन यूनिट के खर्चों में अपने आनुपातिक हिस्से को मान्यता देती है।

## 1.5 विदेशी मुद्रा लेनदेन

क) कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया (₹) है।

ख) विदेशी मुद्रा में लेन–देन शुरू में लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर होते हैं।

ग) विदेशी मुद्राओं में नामित मौद्रिक मदें (जैसे नकदी, प्राप्य, ऋण, देय, आदि) जो रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया हैं, उन्हें उस तिथि को प्रचलित स्पॉट विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

घ) विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित गैर–मौद्रिक मदों (जैसे इक्विटी निवेश, संपत्ति संयंत्र और उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियां आदि) को उचित मूल्य पर मापी गई दरों के अलावा लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर लेखांकित किया जाता है।

ड.) निपटान या स्थानांतरण पर विनिमय अंतर के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि विवरण में विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव/वित्त लागत में शामिल किया जाता है।

च) विदेशी मुद्रा में उचित मूल्य पर मापी गई गैर–मौद्रिक वस्तुओं का विनिमय दरों का उपयोग उस तिथि पर किया जाता है जब उचित मूल्य निर्धारित किया जाता है। गैर–मौद्रिक वस्तुओं के परिवर्तन पर होने वाले लाभ या हानि को ऐसी वस्तु के उचित मूल्य के निर्धारण पर उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि के अनुरूप, या तो अन्य व्यापक आय या लाभ एवं हानि विवरण में, जैसा भी मामला हो, दर्ज किया जाता है।

## 1.6 उधार लेने की लागत

योग्य परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से उधार ली गई निधियों के लिए उधार लेने की लागत को उन परिसंपत्तियों की लागत में तब तक जोड़ा जाता है जब तक कि परिसंपत्ति उपयोग के लिए तैयार न हो जाए। यह इन निधियों को अस्थायी रूप से निवेश करने से अर्जित किसी भी आय को घटाने के बाद किया जाता है। अन्य उधार लेने की लागतों को उस वर्ष में व्यय के रूप में माना जाता है जब वे खर्च की जाती हैं।

## 1.7 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान तब तक दर्ज नहीं किए जाते जब तक कि यह उचित आश्वासन न हो कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों को पूरा करेगी और अनुदान प्राप्त होगा। मूल्यह्रास योग्य संपत्तियों के लिए, संपत्ति की लागत को पूर्ण मूल्य पर दिखाया जाता है, और अनुदान को आस्थगित आय के रूप में दर्ज किया जाता है। इस आस्थगित आय को तब परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर लाभ एवं हानि विवरण में आय के रूप में मान्यता दी जाती है। गैर–मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों के लिए, सरकारी अनुदानों के लिए कुछ दायित्वों को पूरा करना भी आवश्यक हो सकता है। ऐसे मामलों में, अनुदान को उन अवधियों में लाभ या हानि माना जाता है जब इन दायित्वों को पूरा करने की लागत खर्च की जाती हैं।

## 1.8 मांग सूची

क) पाइपलाइनों में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और प्राकृतिक गैस के स्टॉक का मूल्यांकन लागत पर पहले आओ पहले पाओ (एफआईएफओ) के आधार पर या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है।

ख) कच्चे माल और तैयार माल का मूल्यांकन भारित औसत लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। तैयार माल में उत्पाद शुल्क और जहां भी लागू हो, रॉयल्टी शामिल है।

ग) निर्माणाधीन वस्तुओं का मूल्यांकन भारित औसत लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। इसका मूल्यांकन भारित औसत लागत पर किया जाता है जहां तैयार माल जिसमें इन्हें शामिल किया जाना है, को भारित औसत लागत पर या उससे ऊपर बेचे जाने की उम्मीद है।

घ) माल के उत्पादन में उपयोग के लिए भंडार और पुर्जे तथा अन्य सामग्री का मूल्यांकन भारित औसत लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। इसका मूल्यांकन भारित औसत लागत पर किया जाता है, जहां तैयार माल जिसमें उन्हें शामिल किया जाएगा, को/या उससे अधिक लागत पर बेचे जाने की उम्मीद है।

ड.) अधिशेष/अप्रचलित स्टोर और पुर्जों का मूल्यांकन लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

च) पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण में उपयोग के लिए रखे गए अधिशेष/अप्रचलित पूंजी भंडारों का मूल्यांकन लागत से कम या निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

छ) पारगमन में आयातित एलएनजी का मूल्यांकन सीआईएफ मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो, पर किया जाता है।

ज) नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) का मूल्यांकन लागत

पर पहले आओ पहले पाओ (एफआईएफओ) के आधार पर या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है।

## 1.9 राजस्व मान्यता

कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 115 में परिवर्तन पर संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण को लागू किया है।

क) राजस्व की पहचान तब की जाती है जब वादा की गई सामग्री या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहकों को हस्तांतरित कर दिया जाता है, जो उस राशि को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में कितना भुगतान करने की उम्मीद करती है।

ख) जहां निष्पादन दायित्व समय के साथ पूरा हो जाता है, कंपनी रिपोर्टिंग तिथि तक निष्पादन पूर्णता के आधार पर इनपुट/आउटपुट पद्धति का उपयोग करके राजस्व का पता लगाती है। जहां निष्पादन दायित्व किसी समय पर पूरा हो जाता है, कंपनी राजस्व को तब दर्ज करती है जब ग्राहक संविदा में वादा की गई सामग्री और सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

ग) कंपनी सेवाओं की बिक्री के संबंध में राजस्व के लेखांकन में आउटपुट पद्धति का उपयोग करती है। आउटपुट पद्धति के उपयोग के लिए कंपनी को निष्पादन पूर्ण होने की तिथि उदाहरण के लिए कालातीत समय के आधार पर राजस्व की पहचान करने की आवश्यकता होती है। संविदा की अवधि के दौरान अनुमानों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है और कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समय के साथ पूरा हुए अपने निष्पादन दायित्वों की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को फिर से आकलन करती है।

घ) कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में अपने अनुमानित लेनदेन मूल्य को अपडेट करती है, ताकि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूद परिस्थितियों और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान परिस्थितियों में बदलाव, दंड, छूट और क्षति आदि को निष्ठापूर्वक प्रस्तुत किया जा सके।

ड.) बीमा दावों का हिसाब बीमाकर्ताओं द्वारा स्वीकार किए गए दावों के आधार पर किया जाता है।

च) दावों (ग्राहकों से विलंबित वसूली पर ब्याज सहित) को तब हिसाब में लिया जाता है, जब इस बात की पर्याप्त निश्चितता हो कि दावा वसूली योग्य हैं।

छ) प्राकृतिक गैस के न्यूनतम गारंटीकृत ऑफटेक (एमजीओ) के संबंध में देयता प्रदान नहीं की जाती है जहां इसे ग्राहकों से वसूली योग्य एमजीओ द्वारा सुरक्षित किया जाता है। वर्ष के दौरान एमजीओ के भुगतान/प्राप्तियों को प्राप्ति के आधार पर समायोजित किया जाता है।

ज) एलपीजी के परिवहन से संबंधित न्यूनतम प्रभार प्राप्ति के आधार पर दर्ज किए जाते हैं।

झ) ग्राहकों के साथ गैस बिक्री समझौते के अनुसार, गैस के वार्षिक उठान या भुगतान मात्रा (एटीओपीक्यू) के लिए प्राप्त राशि का हिसाब वसूली के आधार पर किया जाता है और देयता के रूप में दिखाया जाता है जब तक कि संविदा के अनुसार ग्राहक को गैस की डिलीवरी नहीं की जाती है।

ञ) लाभांश को तब मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, यह संभव है कि लाभांश से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और लाभांश की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

ट) कंपनी अपने सीजीडी ग्राहकों को हुकिंग–अप सुविधा प्रदान करती है, जिसके लिए अग्रिम प्राप्त राशि को संविदा देयताओं के अंतर्गत दर्शाया जाता है तथा हुकिंग–अप सुविधा के आरम्भ होने की तिथि से संविदा अवधि के दौरान आय के रूप में परिशोधित किया जाता है।

## 1.10 मूल्यह्रास/परिशोधन

### क) संपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

i. पीपीई पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में निर्दिष्ट पद्धति और उपयोगी अवधि के अनुसार, सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) पर अनुपातिक आधार पर (खरीदी गई परिसंपत्तियों के लिए मासिक अनुपातिक) प्रदान किया जाता है, जिसमें नीचे उल्लिखित परिसंपत्ति शामिल नहीं है जहां बाहरी/आंतरिक तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर अलग–अलग उपयोगी अवधि ली गई है:

| विवरण | वर्ष |
|---|---|
| कर्मचारियों के उपयोग के लिए प्रदान किया गया फर्नीचर | 6 वर्ष |
| कर्मचारियों के उपयोग के लिए प्रदान किए गए बिजली के उपकरण | 4 वर्ष |
| कर्मचारियों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराए गए मोबाइल फोन | 2 वर्ष |

ii. पीपीई की मूल लागत में मूल्य समायोजन के कारण मूल्यह्रास भावी रूप से लगाया जाता है।

iii. पट्टा धारित परिसंपत्तियों पर निर्मित अचल परिसंपत्तियों के मामले में अनुसूची II या पट्टा अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार उपयोगी अवधि पर मूल्यह्रास किया जाता है।

iv. पीपीई के अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी अवधि और मूल्यह्रास के तरीकों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो उसे भावी रूप से समायोजित किया जाता है। यदि पिछले अनुमानों से महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं तो भविष्य की अवधि के लिए मूल्यह्रास/परिशोधन संशोधित किया जाता है।

v. कंपनी ने तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर प्राकृतिक गैस/एलपीजी/सीजीडी नेटवर्क पाइपलाइनों के मामले को छोड़कर, परिसंपत्तियों की लागत के 5% पर पीपीई के अवशिष्ट मूल्य पर विचार किया है, अवशिष्ट मूल्य को 'शून्य' माना जाता है।

### ख) अमूर्त परिसंपत्तियां

i. उपयोग का अधिकार (आरओयू) अनिश्चित काल तक बना रहता है (जिस अवधि के लिए उनसे शुद्ध नकदी प्रवाह उत्पन्न करने की उम्मीद की जाती है, इस तथ्य को देखते हुए कि इन अधिकारों का उपयोग संबंधित पाइपलाइनों के जीवन के बाद भी किया जा सकता है) परिशोधन नहीं किया जाता है, लेकिन वार्षिक हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

ii. सॉफ्टवेयर और लाइसेंस आदि वाली अमूर्त परिसंपत्तियां पूंजीकरण की तारीख से उपयोगी अवधि पर स्ट्रेट लाइन पद्धति (एसएलएम) पर परिशोधित की जाती हैं, जिसे 5 वर्ष/वास्तविक उपयोग जीवन से अधिक नहीं माना जाता है।

iii. परिसंपत्तियों की हानि, यदि कोई हो, के बाद उसके शेष उपयोगी जीवन पर परिसंपत्तियों की संशोधित वहन राशि पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

### ग) उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियाँ (पट्टा धारित परिसंपत्तियाँ)

उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों का मूल्यह्रास पट्टा अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति से किया जाता है। यदि पट्टा धारित परिसंपत्तियों का स्वामित्व पट्टा अवधि के अंत

में कंपनी को हस्तांतरित हो जाता है, तो संपत्ति के उपयोगी अवधि के दौरान इसका मूल्यह्रास किया जाता है। भूमि से संबंधित उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास नहीं किया जाता है, लेकिन यदि कोई हानि होती है, तो उसके लिए जाँच की जाती है।

**घ) उपभोक्ताओं के परिसर में स्थापित पूंजीगत परिसंपत्ति सुविधाएं**

जिस भूमि का स्वामित्व कंपनी के पास नहीं है, उस भूमि पर उपभोक्ताओं के परिसर में स्थापित पूंजीगत परिसंपत्ति सुविधाओं का कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।। में निर्दिष्ट उपयोगी अवधि के अनुसार एसएलएम आधार पर मूल्यह्रास किया गया है।

### 1.12 कर्मचारी लाभ

(क) सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ उस लेखा अवधि में दर्ज किए जाते हैं जब कर्मचारी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

(ख) भविष्य निधि में कंपनी का योगदान इस उद्देश्य के लिए स्थापित एक अलग ट्रस्ट को भेजा जाता है, जो पात्र कर्मचारी के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत पर आधारित होता है तथा लाभ और हानि विवरण/सीडब्ल्यूआईपी में डेबिट किया जाता है। इसके अलावा, कंपनी भविष्य की अवधि में ब्याज की सांविधिक दर को पूरा करने के लिए निधि परिसंपत्तियों में किसी भी कमी के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार प्रावधान करती है, जिसकी क्षतिपूर्ति कंपनी द्वारा भविष्य निधि ट्रस्ट को की जाती है।

(ग) परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत कर्मचारी लाभ, जैसे कि सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना (पीआरएमएस), ग्रेच्युटी, टर्मिनल लाभ और मृतक कर्मचारियों के परिवारों के लिए सहायता, की गणना वर्ष के अंत में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की जाती है। संबंधित योजनागत परिसंपत्तियों से अधिक बीमांकिक देयता को वर्ष के दौरान मान्यता दी गई है।

(घ) अन्य दीर्घकालिक लाभों, जैसे अवकाश नकदीकरण, वित्तीय सहायता योजनाएं और दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार के लिए कर्मचारी लाभ की गणना वर्ष के अंत में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की जाती है।

(ड.) पुनर्मापन, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानि शामिल हैं, तुलन–पत्र में दर्ज किए जाते हैं और जिस वर्ष वे घटित होते हैं, उस वर्ष लाभ और हानि विवरण या अन्य व्यापक आय के माध्यम से प्रतिधारित आय में समायोजित किए जाते हैं। इन पुनर्मापन को बाद की अवधियों में लाभ और हानि विवरण में वापस नहीं लाया जाता है।

(च) कंपनी में कर्मचारी पेंशन लाभ के लिए एक परिभाषित अंशदान योजना भी है, जिसमें एक अलग ट्रस्ट या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में अंशदान किया जाता है।

### 1.13 गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर नकद उत्पादन इकाई की वहन राशि की समीक्षा की जाती है। यदि आंतरिक/बाह्य कारकों के आधार पर हानि का कोई संकेत मिलता है, तो हानि को स्वीकार किया जाता है जहां परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है।

### 1.14 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं, आकस्मिक परिसंपत्तियां और पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

(क) प्रावधान को मान्यता तब दी जाती है, जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कंपनी के पास वर्तमान में कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व हो, जिसका विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता हो, तथा यह संभावना हो कि दायित्व का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभ के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी।

(ख) प्रावधान के रूप में मान्यता–प्राप्त राशि, दायित्व के आसपास के जोखिमों और अनिश्चितताओं पर विचार करते हुए, रिपोर्टिंग तिथि पर वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक विचार का सबसे अच्छा अनुमान है।

(ग) जब किसी प्रावधान को निपटाने के लिए आवश्यक कुछ या सभी आर्थिक लाभ को किसी तीसरे पक्ष से वसूल किए जाने की उम्मीद होती है, तो प्राप्य को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह लगभग निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी और प्राप्य की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय प्रतिपूर्ति, यदि कोई हो, को निवल लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

(घ) आकस्मिक देयताएं संभावित दायित्व हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक भावी घटनाओं के घटने या न घटने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। जहां यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, दायित्व को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के कम होने की संभावना दूर न हो। आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आध ाार पर किया जाता है। प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है।

(ड.) विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस (एससीएन) को आम तौर पर दायित्व नहीं माना जाता है। हालांकि, जब एससीएन के खिलाफ मांग नोटिस जारी किए जाते हैं और कंपनी द्वारा विवादित माना जाता है, तो उन्हें विवादित दायित्वों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(च) आकस्मिक परिसंपत्तियां संभावित परिसंपत्तियां हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों में तब किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है। इनका लगातार मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में विकास उचित रूप से परिलक्षित हो।

(छ) माप में अनुमान की पर्याप्त डिग्री को शामिल करने वाले प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभावित होता है कि संसाधनों की कमी होगी। प्रत्येक मामले में ₹ 5 लाख से अधिक की आकस्मिक देयताओं/परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण लेखा टिप्पणी के माध्यम से किया जाता है, केवल तब जब निपटान/प्राप्ति की दूर–दूर तक संभावना न हो।

(ज) पूंजीगत लेखाओं पर निष्पादित किए जाने वाले शेष संविदाओं की अनुमानित राशि (कर और अग्रिमों के अलावा) का खुलासा प्रत्येक मामले में ₹ 5 लाख से अधिक है।

### 1.15 आय पर कर

**क) वर्तमान कर**

वर्तमान कर के लिए प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूलतः अधिनियमित हैं।

लाभ एवं हानि के बाहर मान्यता–प्राप्त वस्तुओं से संबंधित वर्तमान कर को या तो अन्य व्यापक आय या अन्य इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

**ख) आस्थगित कर**

आस्थगित कर की गणना तुलन–पत्र पद्धति का उपयोग करके परिसंपत्तियों और देयताओं के कर मूल्यों और उनकी रिपोर्ट की गई राशियों के बीच सभी अस्थायी अंतरों पर की जाती है। यह गणना कर दरों और कानूनों पर आधारित होती है जो रिपोर्टिंग तिथि तक प्रभावी या सहमत हो चुके होते हैं।

लाभ और हानि विवरण के बाहर मान्यता–प्राप्त वस्तुओं से संबंधित आस्थगित कर को भी इस विवरण के बाहर, या तो अन्य व्यापक आय में या इक्विटी में, दर्ज किया जाता है।

यदि आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को समायोजित करने का कानूनी अधिकार है तो उन्हें जोड़ा जाता है।

### 1.16 नकद और नकद समकक्ष

नकद और नकद समकक्ष में बैंक में नकदी, हाथ में नकदी, टीआरईपीएस/सीआरओएमएस और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली अल्पकालिक जमा राशियां शामिल होती हैं, जिनमें मूल्य हानि का जोखिम न्यूनतम होता है।

### 1.17 खंड रिपोर्टिंग

कंपनी का प्रबंधन संसाधन आवंटन के बारे में निर्णय लेने और प्रदर्शन का आकलन करने के लिए अपने व्यावसायिक खंडों के परिचालन परिणामों की निगरानी करता है। खंड प्रदर्शन का मूल्यांकन लाभ या हानि के आधार पर किया जाता है और इसे वित्तीय विवरणों वित्तीय विवरणों में लाभ या हानि की तरह ही मापा जाता है।

उत्पादों/सेवाओं की प्रकृति के आधार पर परिचालन खंडों की पहचान की गई है।

क) खंड राजस्व में खंड से सीधे संबंधित या खंड को सौंपे गए सभी राजस्व शामिल हैं, जिसमें खंडों के बीच लेनदेन से प्राप्त राजस्व भी शामिल है।

ख) खंड के परिणाम निर्धारित करने के लिए उन व्ययों पर विचार किया जाता है जो सीधे तौर पर पहचाने जा सकते हैं/खंडों के लिए आवंटित किए जा सकते हैं।

ग) ऐसे व्यय जो सम्पूर्ण कंपनी से संबंधित हों तथा जिन्हें विशिष्ट खंडों को नहीं सौंपा जा सकता हो, उन्हें गैर–आबंटनीय व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

घ) वह आय जो संपूर्ण कंपनी से संबंधित होती है और जिसे विशिष्ट खंडों को नहीं सौंपा जा सकता, उसे गैर–आबंटन योग्य आय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ड.) खंड परिसंपत्तियों में सीडब्ल्यूआईपी और देयताएं शामिल हैं जो सीधे तौर पर प्रत्येक खंड से जुड़ी हैं। गैर–आबंटन योग्य परिसंपत्तियाँ और देयताएं वे हैं जो पूरी कंपनी से संबंधित हैं और उन्हें किसी विशिष्ट खंड को नहीं सौंपा जा सकता है।

### 1.18 प्रति शेयर आय

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर धारकों को देय कर पश्चात् निवल लाभ को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर कम की गई आय की गणना वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और संभावित प्रति शेयर कम की गई आय के योग से कर पश्चात् समायोजित निवल लाभ को विभाजित करके की जाती है।

### 1.19 नकदी प्रवाह का विवरण

नकदी प्रवाह का विवरण भारतीय लेखा मानक 7, 'नकद प्रवाह का विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

### 1.20 उचित मूल्य मापन

कंपनी प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि पर उचित मूल्य पर डेरिवेटिव और विशिष्ट निवेशों (सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों को छोड़कर) सहित वित्तीय साधनों को मापती है।

वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर मापी गई या प्रकट की गई सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को उचित मूल्य पदानुक्रम में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण इनपुट के निम्नतम स्तर पर आधारित है जो समग्र उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:

(i) **स्तर 1** – समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर–समायोजित) बाजार मूल्य।

(ii) **स्तर 2** – मूल्यांकन तकनीकें जो उचित मूल्य माप के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विचार योग्य इनपुट का उपयोग करती हैं।

(iii) **स्तर 3** – मूल्यांकन तकनीकें जो उचित मूल्य माप के लिए अवलोकनीय इनपुट का उपयोग करती हैं, जिनका उपयोग तब किया जाता है जब इनपुट विचार योग्य उपलब्ध नहीं होते हैं।

तुलन–पत्र पर नियमित रूप से पहचानी जाने वाली परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए, कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन करके न्यूनतम स्तरीय इनपुट के आर पर, जो समग्र उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है। यह जाँच करती है कि क्या उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तरों के बीच कोई स्थानांतरण हुआ है।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के लिए, कंपनी परिसंपत्तियों और देयताओं को उनकी प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों के साथ–साथ उचित मूल्य पदानुक्रम में उनके स्तर के आधार पर वर्गीकृत करती है।

### 1.21 वित्तीय साधन

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करती है, जिसे बाद में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन और वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक नकदी प्रवाह विशेषताओं के आधार पर लाभ और हानि विवरणी के माध्यम से अन्य व्यापक आय अथवा उचित मूल्य द्वारा परिशोधित लागत, उचित मूल्य पर मापा जाता है।

#### (क) वित्तीय परिसंपत्तियां

**क) वर्गीकरण**

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करती है, जिसे बाद में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन और वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक नकदी प्रवाह विशेषताओं के आधार पर लाभ और हानि विवरणी के माध्यम से अन्य व्यापक आय अथवा उचित मूल्य द्वारा परिशोधित लागत, उचित मूल्य पर मापा जाता है।

**ख) प्रारंभिक मान्यता और माप**

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ एवं हानि विवरण, लेनदेन लागत जो वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है, के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं की जाती है।

**ग) बाद की माप**

बाद के माप के प्रयोजनों के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

i. **परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां**

डेरिवेटिव और विशिष्ट निवेशों के अलावा, एक वित्तीय परिसंपत्ति को परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि इसे संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के उद्देश्य से एक व्यवसाय मॉडल में रखा जाता है। वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह उत्पन्न करती हैं जो केवल बकाया राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान होता है।

ii. **अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां**

डेरिवेटिव और विशिष्ट निवेशों के अलावा, किसी वित्तीय परिसंपत्ति को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि इसे ऐसे व्यवसाय मॉडल में रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करना और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचना दोनों है। परिसंपत्ति की शर्तों के परिणामस्वरूप निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह होता है जो केवल बकाया राशि पर मूलधन और ब्याज भुगतान होता है। कंपनी ने अपने व्यवसाय मॉडल के आधार पर अन्य व्यापक आय में अपने इक्विटी निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन प्रस्तुत करने का एक अपरिवर्तनीय विकल्प भी बनाया है।

iii. **लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां**

किसी वित्तीय परिसंपत्ति जिसमें डेरिवेटिव शामिल हैं जिसे उपर्युक्त किसी भी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया गया है, का बाद में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्यांकन किया जाता है।

घ) **मान्यता रद्द करना**

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को प्राथमिक रूप से तब अमान्य कर दिया जाता है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो जाते हैं या कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया हो।

ड.) **सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और संबद्ध कंपनियों में निवेश**

i. कंपनी अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और संबद्ध कंपनियों में किए गए निवेश को लागत के आधार पर दर्ज करती है। यह हानि के संकेतों की जांच करती है और यदि कोई संकेत मिलता है, तो यह उचित मूल्य के आधार पर निवेश का मूल्यांकन करती है।

ii. जब कंपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और संबद्ध कंपनियों की ओर से वित्तीय गारंटी जारी करती है, तो यह शुरू में वित्तीय गारंटी को उनके उचित मूल्यों पर मापती है। इसके बाद, वह गारंटी को निम्न में से, जो भी अधिक हो, उस पर मापती है:

- भारतीय लेखा मानक 109 की हानि आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित हानि भत्ते की राशि, और
- शुरू में मान्यता प्राप्त राशि, भारतीय लेखा मानक 115 'ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व' के अनुसार मान्यता प्राप्त किसी भी संचयी आय को घटाकर, यदि लागू हो।

iii. कंपनी वित्तीय गारंटी के आरंभिक उचित मूल्य को वित्तीय गारंटी दायित्व के रूप में दर्ज की गई संगत देयता के साथ कथित निवेश के रूप में मान्यता देती है। इस तरह के कथित निवेश को सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम और संबद्ध कंपनियों में निवेश की वहन मूल्य राशि में जोड़ा जाता है। वित्तीय गारंटी दायित्व को वित्तीय गारंटी की शेष अवधि में लाभ और हानि विवरण में अन्य आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

च) **अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि**

कंपनी व्यापार प्राप्तियों, अनुबंध राजस्व प्राप्तियों और पट्टा प्राप्तियों सहित वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल का उपयोग करके हानि का आकलन करती है।

## (ख) वित्तीय देयताएं

क) **वर्गीकरण**

कंपनी सभी वित्तीय देयताओं को परिशोधित लागत पर मापी गई देयताओं के रूप में वर्गीकृत करती है, उन देयताओं के अलावा जो लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी जाती हैं। इस श्रेणी में आने वाली वित्तीय देयताओं जिसमें डेरिवेटिव भी शामिल हैं, को बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है।

ख) **प्रारंभिक मान्यता और माप**

सभी वित्तीय देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। ऋण, उधार और देयताओं के लिए, यह राशि किसी भी सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत के लिए समायोजित की जाती है। कंपनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार और अन्य देयताएं, ऋण और उधार (बैंक ओवरड्राफ्ट सहित) और व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण शामिल हैं।

ग) **बाद की माप**

वित्तीय देयताओं की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

i. **परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताओं**

प्रारंभिक मान्यता के बाद, ब्याज वाले ऋण और उधार को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है जब देयताओं को और साथ ही ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता नहीं दी जाती है।

परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम के साथ–साथ ईआईआर का हिस्सा होने वाली फीस या लागतों पर विचार करके की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में दर्ज किया जाता है।

ii. **लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं**

लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में व्यापार के लिए धारित वित्तीय देयताएं और लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देयताएं शामिल हैं। वित्तीय देयताओं को व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं। इस श्रेणी में ऐसे डेरिवेटिव वित्तीय उपकरण शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखा

मानक 109 के तहत हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया गया है। अंतर्निहित डेरिवेटिव को भी यहाँ वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग उपकरण के रूप में नामित न किया जाए।

व्यापार के लिए धारित देयताओं पर लाभ या हानि को लाभ एवं हानि विवरणी में दर्ज किया जाता है।

**घ) मान्यता हटाना**

वित्तीय दायित्व की मान्यता तब समाप्त हो जाती है जब दायित्व समाप्त हो जाता है, रद्द हो जाता है या समय–सीमा समाप्त हो जाती है।

### (ग) अंतर्निहित डेरिवेटिव्स

क) यदि किसी हाइब्रिड अनुबंध में ऐसा होस्ट है जो भारतीय लेखा मानक 109 के अंतर्गत एक परिसंपत्ति है, तो कंपनी अंतर्निहित डेरिवेटिव को अलग नहीं करती है। इसके बजाय, यह भारतीय लेखा मानक 109 की वर्गीकरण आवश्यकताओं को पूरे हाइब्रिड अनुबंध पर लागू करती है।

ख) यदि हाइब्रिड संविदा होस्ट है जो भारतीय लेखा मानक 109 के अंतर्गत एक परिसंपत्ति नहीं है, तो कंपनी होस्ट से अंतर्निहित डेरिवेटिव को अलग करती है और उचित मूल्य पर उपायों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता–प्राप्त उचित मूल्य में परिवर्तन के साथ मापती है, और केवल तभी जबः

(i) अंतर्निहित डेरिवेटिव की आर्थिक विशेषताएं और जोखिम होस्ट की आर्थिक विशेषताओं और जोखिमों से संबंधित नहीं हैं।

(ii) अंतर्निहित डेरिवेटिव के समान शर्तों वाला एक अलग साधन किसी डेरिवेटिव की परिभाषा को पूरा करेगा; तथा

(iii) लाभ या हानि में मान्यता–प्राप्त उचित मूल्य में परिवर्तन के साथ हाइब्रिड अनुबंध को उचित मूल्य पर नहीं मापा जाता है।

### (घ) वित्तीय साधनों का समायोजन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को समायोजित किया जाता है और शुद्ध राशि को तुलन–पत्र में रिपोर्ट किया जाता है यदि मान्यता–प्राप्त राशियों को समायोजित करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है, और परिसंपत्तियों को प्राप्त करने तथा देयताओं का एक–साथ निपटान करने के लिए निवल आधार पर निपटान करने का इरादा हो।

### (ड.) डेरिवेटिव वित्तीय साधन और बचाव लेखांकन

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और वस्तु मूल्य जोखिम के विरुद्ध बचाव के लिए वायदा मुद्रा संविदा, ब्याज दर स्वैप, क्रॉस–मुद्रा ब्याज दर स्वैप और वस्तु स्वैप संविदा जैसे डेरिवेटिव वित्तीय साधनों का उपयोग करती है।

**क) डेरिवेटिव संविदाएं जिन्हें हेजिंग लिखतों के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है**

i.. भारतीय लेखा मानक 109 के तहत जिन डेरिवेटिव्स को हेजिंग लिखतों के रूप में नामित नहीं किया गया है, उन्हें शुरू में उस तारीख को उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है जिस दिन एक डेरिवेटिव संविदा की जाती है और बाद में उसे उचित मूल्य पर फिर से मापा जाता है। डेरिवेटिव्स को वित्तीय परिसंपत्तियों को तब दर्ज किया जाता है जब उचित मूल्य सकारात्मक होता है और वित्तीय देयताओं के रूप में जब उचित मूल्य नकारात्मक होता है।

ii. डेरिवेटिव के उचित मूल्य में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को सीधे लाभ एवं हानि विवरणी में लिखा जाता है।

**ख) बचाव लिखतों के रूप में नामित डेरिवेटिव संविदाएं**

i. विदेशी मुद्रा और वस्तु हेज लेनदेन से होने वाले जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए भारतीय लेखा मानक 109 के तहत हेजिंग उपकरण के रूप में नामित डेरिवेटिव्स को नकदी प्रवाह हेज के रूप में दर्ज किया जाता है।

ii. कंपनी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों का पालन करते हुए हेजिंग लिखतों का उपयोग करती है। ये नीतियाँ लिखित सिद्धांत प्रदान करती हैं जो कंपनी की जोखिम प्रबंधन रणनीति के अनुरूप होती हैं।

iii. हेज लिखित को संविदा की शुरुआत में बचाव के रूप में नामित और प्रलेखित किया जाता है। उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन शुरुआत में और निरंतर आधार पर किया जाता है। नामित हेजिंग लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन का प्रभावी हिस्सा "नकद प्रवाह बचाव रिजर्व" के तहत "अन्य व्यापक आय" में दर्ज किया जाता है। अप्रभावी हिस्से को तुरंत लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है। नकद प्रवाह हेज रिजर्व में राशियों को उसी अवधि में लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, जब हेज वस्तु लाभ और हानि विवरण को प्रभावित करती है। यदि हेज वस्तु गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों या देयताओं की लागत को प्रभावित करती है, तो नकद प्रवाह हेज रिजर्व को उन गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों या देयताओं की प्रारंभिक वहन राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

iv. यदि हेजिंग संबंध अब हेज लेखांकन के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो हेज लेखांकन को संभावित रूप से बंद कर दिया जाता है। यदि हेजिंग लिखित समाप्त हो जाती है या बेच दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है या उसका प्रयोग किया जाता है, तो नकद प्रवाह हेजिंग रिजर्व में मान्यता–प्राप्त हेजिंग लिखितों पर संचयी लाभ या हानि नकद प्रवाह हेजिंग रिजर्व में रहती है, जब तक कि हेज प्रभावी नहीं था। नकद प्रवाह हेजिंग रिजर्व में पहले से मान्यता–प्राप्त संचयी लाभ या हानि को अंतर्निहित लेनदेन होने पर लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित कर दिया जाता है। यदि पूर्वानुमानित लेन–देन अब होने की उम्मीद नहीं है, तो नकदी प्रवाह हेजिंग रिजर्व में जमा राशि को लाभ एवं हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

## 1.22 पट्टे

कंपनी संविदा की शुरुआत में यह मूल्यांकन करती है कि क्या यह पट्टा है या इसमें पट्टा शामिल है। इसका मतलब है कि यह जाँच करना कि क्या संविदा भुगतान के बदले में किसी निश्चित अवधि के लिए किसी विशिष्ट परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देती है।

### एक पट्टेदार के रूप में

**क) पट्टे की पहचान करना**

कंपनी अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टों को छोड़कर सभी पट्टों के लिए एक सुसंगत मान्यता

और माप दृष्टिकोण का उपयोग करती है। यह पट्टा भुगतान करने के लिए पट्टा देयताओं और अंतर्निहित परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार के लिए उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को मान्यता देती है।

**ख) उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति (आरओयू) की प्रारंभिक मान्यता**

कंपनी पट्टा आरंभ तिथि पर उपयोग का अधिकार (आरओयू) परिसंपत्ति को मान्यता देती है, जो तब होता है जब अंतर्निहित परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है। आरओयू परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मापा जाता है, किसी भी संचित मूल्यह्रास और हानि को घटाया जाता है, और पट्टा देयताओं के किसी भी पुनर्मूल्यांकन के लिए समायोजित किया जाता है।

**ग) उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति (आरओयू) के बाद के माप**

आरओयू परिसंपत्तियों को पट्टे की शुरुआत से लेकर परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन या पट्टे की अवधि के अंत तक सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके परिशोधित किया जाता है। यदि पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति का स्वामित्व पट्टे के अंत में कंपनी को हस्तांतरित हो जाता है या यदि पट्टे में कोई खरीद विकल्प शामिल है जिसका कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने की संभावना है, तो मूल्यह्रास परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर आधारित होता है। इसके अतिरिक्त, आरओयू परिसंपत्ति को समय–समय पर किसी भी हानि से घटाया जाता है और पट्टे की देयता के कुछ पुनर्मापों के लिए समायोजित किया जाता है।

**पट्टा दायित्व की प्रारंभिक मान्यता**

पट्टा देयताओं को शुरू में पट्टा अवधि में भुगतान किए जाने वाले पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। पट्टा देयताओं के मापन में शामिल पट्टा भुगतान में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. निश्चित भुगतान, जिसमें महत्वपूर्ण निश्चित भुगतान शामिल है

ii. परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो एक सूचकांक या दर पर निर्भर करता है

iii. अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने वाली राशियां; और

iv. एक खरीद विकल्प, विस्तार विकल्प और शीघ्र समाप्ति के लिए दंड के तहत प्रति शेयर मूल्य केवल तभी होता है जब कंपनी उन विकल्पों का प्रयोग करने के लिए पूरी तरह से निश्चित हो।

**घ) बाद में पट्टा दायित्व का मापन**

पट्टा देयताओं को बाद में ब्याज की वृद्धि को दर्शाने के लिए बढ़ाया जाता है और पट्टा भुगतान के लिए कम किया जाता है। इसके अलावा, पट्टा देयताओं की वाहक राशि का पुनः मूल्यांकन किया जाता है कि क्या पट्टा अवधि में कोई आशोधन, परिवर्तन किया गया है (उदाहरण के लिए, इस तरह के पट्टा भुगतानों को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सूचकांक या दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप भविष्य के भुगतान में परिवर्तन) या अंतर्निहित परिसंपत्ति को खरीदने के विकल्प के मूल्यांकन में परिवर्तन किया गया है।

**ड.) अल्पकालिक पट्टे और कम मूल्य की परिसंपत्ति के पट्टे**

कंपनी अपने अल्पकालिक पट्टों पर अल्पकालिक पट्टा मान्यता छूट लागू करती है (अर्थात् वे पट्टे जिनकी पट्टे की अवधि शुरू होने की तारीख से 12 महीने या उससे कम है और जिसमें खरीद विकल्प शामिल नहीं है)। यह कम मूल्य की परिसंपत्तियां मान्यता छूट के पट्टे को भी लागू करती हैं। अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टों पर पट्टा भुगतान को लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

**एक पट्टेदार के रूप में**

जिन पट्टों में कंपनी किसी परिसंपत्ति सभी जोखिमों और स्वामित्व प्रदान करने को पर्याप्त रूप से अंतरित नहीं करती है, उन्हें परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रचालन पट्टे से किराया आय को पट्टा अवधि में सीधी रेखा आधार पर मान्यता दी जाती है।

पट्टों को वित्तीय पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब कंपनी से पट्टेदार को स्वामित्व अंतरण के सभी जोखिम और रीवार्ड पर्याप्त रूप में होते हैं। वित्त पट्टों के तहत पट्टेदारों से देय राशि को प्राप्ति के रूप में दर्ज किया जाता है और वित्त पट्टा आय को लेखा अवधि के लिए आवंटित किया जाता है ताकि पट्टे के संबंध में बकाया शुद्ध निवेश पर वापसी की निरंतर आवधिक दर को दर्शाया जा सके।

**अनुमान और पूर्वानुमान**

**पट्टेदार के रूप में छूट दर का निर्धारण**

कंपनी पट्टे में शामिल ब्याज दर को आसानी से निर्धारित नहीं कर सकती है, इसलिए, यह पट्टा देयताओं को मापने के लिए अपनी वृद्धिशील उधार दर (आईबीआर) का उपयोग करती है। कंपनी अपनी वृद्धिशील उधार दर का अनुमान लगाती है, जो ब्याज की वह दर है जिसे कंपनी को समान आर्थिक वातावरण में, उपलब्ध अवलोकनीय इनपुट (जैसे बाजार ब्याज दरें) का उपयोग करके पट्टा भुगतान के बराबर राशि उधार लेने के लिए चुकानी होगी।

**1.25 वर्तमान बनाम गैर–वर्तमान**

कंपनी तुलन–पत्र में परिसंपत्तियों और देयताओं को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर वर्तमान या गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत करती है:

**(क) किसी परिसंपत्ति को वर्तमान तब माना जाता है जब यह:**

i. सामान्य परिचालन अवधि में प्राप्त, बेची या उपभोग की जाने वाली अपेक्षित परिसंपत्तियाँ हो।

ii. मुख्य रूप से व्यापारिक उद्देश्यों के लिए रखी गई परिसंपत्तियाँ हो।

iii. रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त होने की अपेक्षित परिसंपत्तियाँ हो।

iv. नकद या नकद समतुल्य, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयताओं का निपटान करने के लिए उपयोग करने से प्रतिबंधित न किया गया हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर– वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

**(ख) किसी दायित्व को वर्तमान माना जाता है जब:**

i. सामान्य प्रचालन अवधि में इसका निपटारा होने की उम्मीद हो।

ii. यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखा गया हो।

iii. इसका निपटान रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर किया जाना हो, या

iv. रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए दायित्व के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देयताओं को गैर– वर्तमान देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

**1.26 हाल की लेखांकन घोषणाएँ – मानक जारी किए गए लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं हैं:**

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) नए भारतीय लेखा मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन जारी करता है। अब तक, 1 अप्रैल 2024 से लागू होने वाले नए या संशोधित मानकों के बारे में एमसीए द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

# टिप्पण: 1 ख: महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, अनुमान और पूर्वानुमान

कंपनी के पृथक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो पृथक वित्तीय विवरणों की तिथि पर राजस्व, व्यय, परिसंपत्ति और देयताओं की रिपोर्ट की गई मात्रा को प्रभावित करते हैं। अनुमान और पूर्वानुमानों का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है तथा ये प्रबंधन के अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित होते हैं, जिनमें भावी घटनाओं की अपेक्षाएं शामिल होती हैं जिन्हें परिस्थितियों में उचित माना जाता है। इन अनुमानों और पूर्वानुमानों के बारे में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिनके लिए भावी अवधि में प्रभावित परिसंपत्तियों या देयताओं की अग्रेनीत राशि के समायोजन की आवश्यकता होती है।

विशेष रूप से, कंपनी ने उन क्षेत्रों की पहचान की है जहां महत्वपूर्ण निर्णयों, अनुमानों और मान्यताओं की आवश्यकता होती है। इन क्षेत्रों में से प्रत्येक के बारे में अधिक जानकारी और वे विभिन्न लेखा नीतियों को कैसे प्रभावित करते हैं, नीचे दी गई हैं तथा ये वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियों में भी शामिल हैं। अनुमानों में परिवर्तन की भी संभावित रूप से गणना की जाती है।

### 1. अधिनिर्णय

कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निर्णय लिए हैं, जिनका पृथक वित्तीय विवरणों में शामिल राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है:

### 1.1 आकस्मिकताएं

आकस्मिक देयताएं और परिसंपत्तियां जो कंपनी के खिलाफ दावे के संबंध में व्यवसाय के सामान्य कार्यों से उत्पन्न हो सकती हैं जिनमें विधि, ठेकेदार, भूमि तक पहुंच और अन्य दावे शामिल होते हैं। उनकी प्रकृति से, आकस्मिकताओं का समाधान तभी होगा जब एक या अधिक अनिश्चित भावी घटनाएँ घटित होंगी या घटित होने से रह जाएंगी। आकस्मिकताओं के अस्तित्व और संभावित मात्रा के आकलन में स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण निर्णय लेने और भावी घटनाओं के परिणाम के बारे में अनुमानों का उपयोग शामिल है।

### 2. अनुमान और पूर्वानुमान

रिपोर्टिंग तिथि पर भविष्य और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख धारणाएं, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देयताओं की अग्रेनीत राशियों के समायोजन का व्यापक जोखिम शामिल है, नीचे दी गई हैं। कंपनी वित्तीय विवरण तैयार करते समय उपलब्ध मापदंडों पर अपनी मान्यताओं और अनुमानों को निर्धारित करती है। तथापि, मौजूदा परिस्थितियों और भावी विकास के बारे में धारणाएं बाजार परिवर्तन या कंपनी के नियंत्रण से परे उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं। ऐसे परिवर्तन होने पर इन्हें अनुमानों में दर्शाया जाता है।

### 2.1 गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यांकन करती है कि क्या कोई संकेत है कि कोई परिसंपत्ति खराब हो सकती है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, भावी नकदी प्रवाह के अनुमान को कर–पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है। उचित मूल्य निर्धारित करने में, हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी भी लेन–देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है।

### 2.2 परिभाषित लाभ योजनाएं

परिभाषित लाभ योजना की लागत और अन्य रोजगार के बाद के लाभ और इस तरह के दायित्व का वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। किसी बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ बनाना शामिल है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर, भावी वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और भावी पेंशन वृद्धि का निर्धारण शामिल है। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, परिभाषित लाभ दायित्व इन मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है।

### 2.3 वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य मापन

परिभाषित लाभ योजना की लागत और अन्य रोजगार के बाद के लाभ और इस तरह के दायित्व का वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। किसी बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ बनाना शामिल है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर, भावी वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और भावी पेंशन वृद्धि का निर्धारण शामिल है। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, परिभाषित लाभ दायित्व इन मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है।

### 2.4 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

वित्तीय परिसंपत्तियों के हानि प्रावधान चूक के जोखिम और अपेक्षित हानि दरों की धारणाओं पर आधारित हैं। कंपनी इन अनुमानों को बनाने और कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार स्थितियों के साथ–साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भावी अनुमानों के आधार पर, हानि गणना के लिए इनपुट का चयन करने में निर्णय का उपयोग करती है। सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों या संबद्ध कंपनियों में निवेश पर हुई हानि का हिसाब रियायती नकदी प्रवाह/निवल संपत्ति मूल्य पद्धति, बाहरी एजेंसियों की मूल्यांकन रिपोर्ट, निवेशकर्ता कंपनी के पिछले इतिहास आदि को ध्यान में रखकर लगाया जाता है।

## गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली

### टिप्पण: 2 – 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | | संचित मूल्यह्रास | | | | हानि* | | | | निवल ब्लॉक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 अप्रैल 2023 को | वर्ष के दौरान में वृद्धि | एयूसी से अधिग्रहण | वर्ष के दौरान बिक्री/निपटान | 31 मार्च 2024 को | 1 अप्रैल 2023 को | वर्ष के लिए | वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन | 31 मार्च 2024 को | 1 अप्रैल 2023 को | वर्ष के लिए | वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन | 31 मार्च 2024 को | 31 मार्च 2024 को |
| भूमि : फ्रीहोल्ड | 707.15 | 16.61 | 31.98 | (0.02) | 755.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 755.72 |
| भवन : कार्यालय/अन्य | 1,319.00 | 15.34 | 122.79 | (2.73) | 1,454.40 | 284.64 | 47.65 | (0.98) | 331.31 | - | - | - | - | 1,123.09 |
| भवन : आवासीय | 367.41 | 2.53 | 0.40 | (0.48) | 369.86 | 88.34 | 10.78 | (0.08) | 99.04 | - | - | - | - | 270.82 |
| बंक हाउस | 3.68 | 0.26 | - | (0.03) | 3.91 | 2.95 | 0.43 | (0.03) | 3.35 | - | - | - | - | 0.56 |
| संयंत्र और मशीनरी | 47,107.17 | 468.32 | 4,651.09 | (105.19) | 52,121.39 | 11,115.03 | 2,246.91 | (45.09) | 13,316.85 | 35.60 | 1.95 | (20.77) | 16.78 | 38,787.76 |
| रेलवे लाइन और साइडिंग | 0.27 | - | - | - | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.27 |
| विद्युत उपकरण | 519.66 | 30.00 | 30.79 | (14.45) | 566.00 | 307.38 | 56.15 | (11.24) | 352.29 | - | - | - | - | 213.71 |
| फर्नीचर और फिक्स्चर | 182.33 | 30.24 | 1.43 | (5.42) | 208.58 | 89.51 | 18.75 | (4.44) | 103.82 | - | - | - | - | 104.76 |
| कार्यालय उपकरण | 340.06 | 20.04 | 12.28 | (20.75) | 351.63 | 221.02 | 38.31 | (18.98) | 240.35 | - | - | - | - | 111.28 |
| अन्य उपकरण | 284.52 | 39.87 | 10.94 | (21.12) | 314.21 | 153.80 | 45.40 | (19.08) | 180.12 | - | - | - | - | 134.09 |
| परिवहन उपकरण | 13.06 | 2.48 | - | (0.04) | 15.50 | 6.37 | 1.06 | - | 7.43 | - | - | - | - | 8.07 |
| **ईएंडपी परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | | | | | |
| उत्पादक संपत्ति | 1,507.47 | - | 0.98 | - | 1,508.45 | 636.22 | 100.42 | - | 736.64 | - | 19.37 | - | 19.37 | 752.44 |
| सहायता उपकरण और सुविधाएं | 6.24 | - | - | - | 6.24 | 2.84 | 0.26 | - | 3.10 | - | - | - | - | 3.14 |
| **कुल** | **52,358.02** | **625.69** | **4,862.68** | **(170.23)** | **57,676.16** | **12,908.10** | **2,566.12** | **(99.92)** | **15,374.30** | **35.60** | **21.32** | **(20.77)** | **36.15** | **42,265.71** |

* परिसंपत्तियों की क्षति के लिए टिप्पण सं. 47 देखें

## टिप्पणः 2 – 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | | संचित मूल्यह्रास | | | | हानि* | | | | निवल ब्लॉक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 अप्रैल 2023 को | वर्ष के दौरान में वृद्धि | एयूसी से अधिग्रहण | वर्ष के दौरान बिक्री/निपटान | 31 मार्च 2024 को | 1 अप्रैल 2023 को | वर्ष के लिए | वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन | 31 मार्च 2024 को | 1 अप्रैल 2023 को | वर्ष के लिए | वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन | 31 मार्च 2024 को | 31 मार्च 2024 को |
| भूमि : फ्रीहोल्ड | 596.87 | 5.44 | 104.84 | - | 707.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 707.15 |
| भवन : कार्यालय/अन्य | 1,088.77 | 3.62 | 226.68 | (0.07) | 1,319.00 | 248.68 | 36.00 | (0.04) | 284.64 | - | - | - | - | 1,034.36 |
| भवन : आवासीय | 362.43 | 2.84 | 2.57 | (0.43) | 367.41 | 77.54 | 10.88 | (0.08) | 88.34 | - | - | - | - | 279.07 |
| बंक हाउस | 3.75 | 0.08 | - | (0.15) | 3.68 | 2.63 | 0.46 | (0.14) | 2.95 | - | - | - | - | 0.73 |
| संयंत्र और मशीनरी | 42,476.91 | 474.02 | 4,301.91 | (145.67) | 47,107.17 | 9,370.89 | 1,793.92 | (49.78) | 11,115.03 | 39.14 | (3.54) | - | 35.60 | 35,956.54 |
| रेलवे लाइन और साइडिंग | 0.27 | - | - | - | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.27 |
| विद्युत उपकरण | 445.28 | 43.35 | 38.87 | (7.84) | 519.66 | 263.49 | 51.08 | (7.19) | 307.38 | - | - | - | - | 212.28 |
| फर्नीचर और फिक्स्चर | 166.41 | 20.47 | 5.94 | (10.49) | 182.33 | 82.40 | 16.39 | (9.28) | 89.51 | - | | - | - | 92.82 |
| कार्यालय उपकरण | 299.22 | 29.53 | 34.51 | (23.20) | 340.06 | 205.58 | 37.04 | (21.60) | 221.02 | - | - | - | - | 119.04 |
| अन्य उपकरण | 255.86 | 42.14 | 5.00 | (18.48) | 284.52 | 132.13 | 38.32 | (16.65) | 153.80 | - | - | - | - | 130.72 |
| परिवहन उपकरण | 9.45 | 3.66 | - | (0.05) | 13.06 | 5.67 | 0.73 | (0.03) | 6.37 | - | - | - | - | 6.69 |
| **ई एंड पी परिसंपत्तियां** | | | | | | | | | | | | | | |
| उत्पादक संपत्ति | 993.24 | - | 514.23 | - | 1,507.47 | 537.42 | 98.80 | - | 636.22 | - | - | - | - | 871.25 |
| सहायता उपकरण और सुविधाएं | 6.24 | - | - | - | 6.24 | 2.42 | 0.43 | (0.01) | 2.84 | - | - | - | - | 3.40 |
| **कुल** | **46,704.70** | **625.15** | **5,234.55** | **(206.38)** | **52,358.02** | **10,928.85** | **2,084.05** | **(104.80)** | **12,908.10** | **39.14** | **(3.54)** | **-** | **35.60** | **39,414.32** |

*परिसंपत्ति की हानि के लिए टिप्पण सं. 47 देखें

## टिप्पणः 2क – 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए उपयोग का अधिकार

(₹ करोड़ में)

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | | संचित मूल्यह्रास | | | | निवल ब्लॉक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 अप्रैल 2023 को | वर्ष के दौरान जोड़ | एयूसी से अधिग्रहण | वर्ष के दौरान बिक्री/निपटान | 31 मार्च 2024 को | 1 अप्रैल 2023 को | वर्ष के लिए | वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन | 31 मार्च 2024 को | 31 मार्च 2024 को |
| भूमि : लीजहोल्ड | 822.66 | 215.93 | 49.72 | (5.13) | 1,083.18 | 56.93 | 31.39 | (0.02) | 88.30 | 994.88 |
| भवन : लीजहोल्ड | 69.32 | 18.19 | - | (6.68) | 80.83 | 40.50 | 16.13 | (6.66) | 49.97 | 30.86 |
| संयंत्र और मशीनरीः लीज़होल्ड | 1,800.57 | 2,006.98 | - | - | 3,807.55 | 560.99 | 696.90 | 0.01 | 1,257.90 | 2,549.65 |
| वाहनः लीजहोल्ड | 15.74 | 0.82 | - | (2.70) | 13.86 | 11.83 | 2.96 | (2.71) | 12.08 | 1.78 |
| **कुल** | **2,708.29** | **2,241.92** | **49.72** | **(14.51)** | **4,985.42** | **670.25** | **747.38** | **(9.38)** | **1,408.25** | **3,577.17** |

## टिप्पणः: 2क – 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए उपयोग का अधिकार

(₹ करोड़ में)

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | | संचित मूल्यह्रास | | | | निवल ब्लॉक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 अप्रैल 2023 को | वर्ष के दौरान जोड़ | एयूसी से अधिग्रहण | वर्ष के दौरान बिक्री/निपटान | 31 मार्च 2024 को | 1 अप्रैल 2023 को | वर्ष के लिए | वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन | 31 मार्च 2024 को | 31 मार्च 2024 को |
| भूमि : लीजहोल्ड | 287.60 | 532.86 | 5.12 | (2.92) | 822.66 | 30.60 | 29.24 | (2.91) | 56.93 | 765.73 |
| भवन : लीजहोल्ड | 58.87 | 12.66 | - | (2.21) | 69.32 | 26.88 | 15.51 | (1.89) | 40.50 | 28.82 |
| संयंत्र और मशीनरीः लीज़होल्ड | 1,414.88 | 388.15 | - | (2.46) | 1,800.57 | 202.32 | 361.16 | (2.49) | 560.99 | 1,239.58 |
| वाहनः लीजहोल्ड | 14.91 | 0.83 | - | - | 15.74 | 6.86 | 4.97 | - | 11.83 | 3.91 |
| **कुल** | **1,776.26** | **934.50** | **5.12** | **(7.59)** | **2,708.29** | **266.66** | **410.88** | **(7.29)** | **670.25** | **2,038.04** |

## टिप्पण: 3 – 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कार्यशील पूंजी

(₹ करोड़ में)

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | | प्रावधान और हानि | | | निवल ब्लॉक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 अप्रैल 2023 को | वर्ष के दौरान जमा/समायोजन | वर्ष के दौरान पूंजीकरण | सेवानिवृत्ति/ स्थानांतरण | 31 मार्च 2024 को | 1 अप्रैल 2023 को | वर्ष के लिए | 31 मार्च 2024 को | 31 मार्च 2024 को |
| **क. मूर्त** | | | | | | | | | |
| **संयत्र और मशीनरी** | | | | | | | | | |
| लाइनपाइप निर्माण और संबंधित सुविधाएं | 7,459.79 | 4,672.27 | (4,427.09) | 1,110.37 | 8,815.34 | 119.79 | 28.20 | 147.99 | 8,667.35 |
| प्रेषण/प्राप्ति टर्मिनल | 0.83 | 1.58 | (0.07) | - | 2.34 | - | - | - | 2.34 |
| कंप्रेसर स्टेशन | 1.38 | 12.34 | (12.15) | - | 1.57 | - | - | - | 1.57 |
| दूरसंचार/टेलीसुपरवाइजरी प्रणाली | 1.46 | - | (1.42) | - | 0.04 | - | - | - | 0.04 |
| अन्य | 698.41 | 948.83 | (709.73) | (0.19) | 937.32 | - | - | - | 937.32 |
| पेट्रोरसायन | 886.64 | 1,689.55 | (4.68) | - | 2,571.51 | - | - | - | 2,571.51 |
| प्रक्रीयाधीन अन्वेषण वेल | 252.72 | 11.09 | (0.34) | - | 263.47 | 141.97 | 63.45 | 205.42 | 58.05 |
| प्रक्रीयाधीन विकास वेल | 326.48 | 147.97 | (0.64) | - | 473.81 | - | 59.79 | 59.79 | 414.02 |
| भवन | 9.29 | 17.87 | (3.90) | - | 23.26 | 5.28 | - | 5.28 | 17.98 |
| लाइनपाइप, स्टॉक/ मार्गस्थ में पूंजीगत वस्तुएं | 4,300.37 | - | - | (1,110.47) | 3,189.90 | 7.85 | (4.73) | 3.12 | 3,186.78 |
| **ख. अमूर्त** | **-** | **1.77** | **-** | **-** | **1.77** | **-** | **-** | **-** | **1.77** |
| **कुल** | **13,937.37** | **7,503.27** | **(5,160.02)** | **(0.29)** | **16,280.33** | **274.89** | **146.71** | **421.60** | **15,858.73** |

## टिप्पण: 3 – 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कार्यशील पूंजी

(₹ करोड़ में)

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | | प्रावधान और हानि | | | निवल ब्लॉक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 अप्रैल 2023 को | वर्ष के दौरान जमा/समायोजन | वर्ष के दौरान पूंजीकरण | सेवानिवृत्ति/ स्थानांतरण | 31 मार्च 2024 को | 1 अप्रैल 2023 को | वर्ष के लिए | 31 मार्च 2024 को | 31 मार्च 2024 को |
| **क. मूर्त** | | | | | | | | | |
| **संयत्र और मशीनरी** | | | | | | | | | |
| लाइनपाइप निर्माण और संबंधित सुविधाएं | 7,665.40 | 4,555.79 | (4,760.17) | (1.23) | 7,459.79 | 11.05 | 108.74 | 119.79 | 7,340.00 |
| प्रेषण/प्राप्ति टर्मिनल | 42.08 | 4.04 | (45.29) | - | 0.83 | - | - | - | 0.83 |
| कंप्रेसर स्टेशन | 4.37 | 3.20 | (6.19) | - | 1.38 | - | - | - | 1.38 |
| दूरसंचार/टेलीसुपरवाइजरी प्रणाली | 2.03 | 0.07 | (0.64) | - | 1.46 | - | - | - | 1.46 |
| अन्य | 441.94 | 423.57 | (167.02) | (0.08) | 698.41 | - | - | - | 698.41 |
| पेट्रोरसायन | 248.11 | 638.65 | (0.12) | - | 886.64 | - | - | - | 886.64 |
| प्रक्रीयाधीन अन्वेषण वेल | 258.06 | 2.18 | (7.52) | - | 252.72 | 191.20 | (49.23) | 141.97 | 110.75 |
| प्रक्रीयाधीन विकास वेल | 592.95 | 240.24 | (506.71) | - | 326.48 | 14.19 | (14.19) | - | 326.48 |
| भवन | 13.06 | 70.13 | (73.90) | - | 9.29 | 5.28 | - | 5.28 | 4.01 |
| लाइनपाइप, स्टॉक/ मार्गस्थ में पूंजीगत वस्तुएं | 4,031.30 | 270.09 | (1.02) | - | 4,300.37 | 6.44 | 1.41 | 7.85 | 4,292.52 |
| **ख. अमूर्त** | **0.17** | **-** | **(0.17)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **कुल** | **13,299.47** | **6,207.96** | **(5,568.75)** | **(1.31)** | **13,937.37** | **228.16** | **46.73** | **274.89** | **13,662.48** |

## टिप्पण: 4 – 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | | संचित मूल्यह्रास और क्षति | | | | निवल ब्लॉक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 अप्रैल 2023 को | वर्ष के दौरान जमा | एयूसी से अधिग्रहण | वर्ष के दौरान बिक्री/निपटान | 31 मार्च 2024 को | 1 अप्रैल 2023 को | वर्ष के लिए | वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन | 31 मार्च 2024 को | 31 मार्च 2024 को |
| संपत्ति के उपयोग का अधिकार | 2,816.08 | 18.52 | 236.90 | (0.01) | 3,071.49 | 0.22 | (0.22) | - | - | 3,071.49 |
| सॉफ्टवेयर/लाइसेंस | 175.69 | 13.68 | 10.72 | (0.33) | 199.76 | 136.58 | 18.14 | (0.32) | 154.40 | 45.36 |
| **कुल** | **2,991.77** | **32.20** | **247.62** | **(0.34)** | **3,271.25** | **136.80** | **17.92** | **(0.32)** | **154.40** | **3,116.85** |

## टिप्पण: 4 – 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अमूर्त परिसंपत्तिया

(₹ करोड़ में)

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | | संचित मूल्यह्रास और क्षति | | | | निवल ब्लॉक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 अप्रैल 2023 को | वर्ष के दौरान जमा | एयूसी से अधिग्रहण | वर्ष के दौरान बिक्री/निपटान | 31 मार्च 2024 को | 1 अप्रैल 2023 को | वर्ष के लिए | वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन | 31 मार्च 2024 को | 31 मार्च 2024 को |
| संपत्ति के उपयोग का अधिकार | 2,483.50 | 14.30 | 318.71 | (0.43) | 2,816.08 | 0.22 | - | - | 0.22 | 2,815.86 |
| सॉफ्टवेयर/लाइसेंस | 165.25 | 0.51 | 10.23 | (0.30) | 175.69 | 113.85 | 23.03 | (0.30) | 136.58 | 39.11 |
| **कुल** | **2,648.75** | **14.81** | **328.94** | **(0.73)** | **2,991.77** | **114.07** | **23.03** | **(0.30)** | **136.80** | **2,854.97** |

## टिप्पण: 5 – निवेश – गैर– वर्तमान

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | राशि | शेयरों की संख्या | राशि |
| (क) | **सहायक कंपनियों में इक्विटी शेयरों में गैर–उद्धृत, लागत पर** | | | | |
| 1 | गेल ग्लोबल (सिंगापुर) प्रा. लिमिटेड<br>(इसमें ₹ 6.14 करोड़ का मानित निवेश शामिल है (गत वर्ष: ₹ 3.2 करोड) जो बिना किसी प्रतिफल के दी गई वित्तीय गारंटी के लिए गारंटी शुल्क के उचित मूल्य को दर्शाता है) | 71,00,000<br>(यूएसडी 1 प्रत्येक) | 48.08 | 71,00,000<br>(यूएसडी 1 प्रत्येक) | 45.14 |
| 2 | गेल गैस लिमिटेड<br>(₹ 50.32 करोड का मानित निवेश (गत वर्ष: ₹ 34.08 करोड़) के मानित निवेश सहित जो किसी प्रतिफल पर विचार किए बिना वित्तीय गारंटी के लिए गारंटी शुल्क के उचित मूल्य को दर्शाता है) | 2,00,00,00,000<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 2,050.32 | 2,00,00,00,000<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 2,034.08 |
| 3 | गेल ग्लोबल यूएसए इंक.<br>(₹ 7.34 करोड का मानित निवेश (गत वर्ष: 7.24) के मानित निवेश सहित जो किसी प्रतिफल पर विचार किए बिना वित्तीय गारंटी के लिए गारंटी शुल्क के उचित मूल्य को दर्शाता है) | 3,60,00,000<br>(यूएसडी 1 प्रत्येक) | 186.51 | 3,60,00,000<br>(यूएसडी 1 प्रत्येक) | 186.41 |
| | क्षति हानि के लिए प्रावधान | | (179.17) | | (179.17) |
| 4 | त्रिपुरा प्राकृतिक गैस कंपनी लिमिटेड | 14,69,388<br>(₹ 100 प्रत्येक) | 14.69 | 14,69,388<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 14.69 |
| 5 | बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड | 67,04,30,000<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 670.43 | 43,86,50,000<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 438.65 |
| 6 | कोंकण एलएनजी लिमिटेड*<br>(प्रत्येक ₹ 10 के 73,07,77,422 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर, प्रत्येक ₹ 10 के 19,44,11,603 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर ₹ 8.01 प्रति शेयर पर प्राप्त किए गए और प्रत्येक ₹ 10 के 13,97,52,264 इक्विटी शेयर, ₹ 1 पर अर्जित किए गए) | 1,06,49,41,289<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 886.45 | 1,06,49,41,289<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 886.45 |
| 7 | गेल मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (टिप्पणी सं. 35 देखें) | 71,30,00,000<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 713.00 | | - |
| | **अधिमान शेयरों में गैर–उद्धृत, लागत पर** | | | | |
| 1 | कोंकण एलएनजी लिमिटेड (10: संचयी अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयर) | 25,20,03,718<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 252.00 | 25,20,03,718<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 252.00 |
| | उप योग (क) | | **4,642.31** | | **3,678.25** |

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | राशि | शेयरों की संख्या | राशि |
| (ख) | **सहायक कंपनियों में इक्विटी शेयरों में गैर–उद्धृत, लागत पर** | | | | |
| 1 | सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड | 1,50,00,000<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 15.00 | 1,50,00,000<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 15.00 |
| 2 | ग्रीन गैस लिमिटेड<br>(₹ 83.39/– प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहीत 5,000 इक्विटी शेयर और ₹ 115/– प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहीत 22,40,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं) | 2,52,87,250<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 51.09 | 2,30,47,250<br>(₹10 each) | 23.09 |
| 3 | महाराष्ट्र प्राकृतिक गैस लिमिटेड | 2,25,00,000<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 22.50 | 2,25,00,000<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 22.50 |

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | राशि | शेयरों की संख्या | राशि |
| 4 | अवंतिका गैस लिमिटेड (₹ 29/– प्रति शेयर के प्रीमियम पर आवंटित 70,57,038 इक्विटी शेयर सहित) | 2,95,57,038 (₹ 10 प्रत्येक) | 50.02 | 2,95,57,038 (₹ 10 प्रत्येक) | 50.02 |
| 5 | भाग्यनगर गैस लिमिटेड (₹ 40/– प्रति शेयर के प्रीमियम पर आवंटित 2,11,50,000 इक्विटी शेयर सहित) | 4,36,50,000 (₹ 10 प्रत्येक) | 128.25 | 4,36,50,000 (₹ 10 प्रत्येक) | 128.25 |
| 6 | वडोदरा गैस लिमिटेड | 7,91,37,831 (₹ 10 प्रत्येक) | 79.14 | 7,91,37,831 (₹ 10 प्रत्येक) | 79.14 |
| 7 | तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड | 80,54,80,825 (₹ 10 प्रत्येक) | 805.48 | 80,54,80,825 (₹ 10 प्रत्येक) | 805.48 |
| 8 | तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड | 8,25,025 (यूएसडी 10 प्रत्येक) | 55.38 | 8,25,025 (यूएसडी 10 प्रत्येक) | 55.38 |
| | हानि क्षति के लिए प्रावधान (टिप्पणी सं. 48(I) देखें) | | (55.38) | | (55.38) |
| 9 | इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (₹ 1.76 करोड़ का अनुमानित निवेश शामिल है (पिछला वर्ष: ₹ 0.27) बिना किसी विचार के दी गई वित्तीय गारंटी के लिए गारंटी शुल्क के उचित मूल्य को दर्शाता है) | 22,23,60,000 (₹ 10 प्रत्येक) | 224.12 | 19,80,00,000 (₹ 10 प्रत्येक) | 198.27 |
| | **उप योग (ख)** | | **1,375.60** | | **1,321.75** |

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | राशि | शेयरों की संख्या | राशि |
| **(ग)** | **सहायक कंपनियों में इक्विटी शेयरों में** | | | | |
| | **उद्धृत लागत पर** | | | | |
| 1 | चाइना गैस होल्डिंग्स लिमिटेड (एचके डॉलर 1.15 प्रति शेयर के प्रीमियम पर प्राप्त) | 15,00,00,000 (एचके डॉलर 0.01 प्रत्येक) | 97.37 | 15,00,00,000 (एचके डॉलर 0.01 प्रत्येक) | 97.37 |
| 2 | पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (₹ 5/– प्रति शेयर के प्रीमियम पर आवंटित 1,00,00,000 इक्विटी शेयर सहित, 05 जुलाई 2017 को 1:1 बोनस जारी किया गया) | 18,75,00,000 (₹ 10 प्रत्येक) | 98.75 | 18,75,00,000 (₹ 10 प्रत्येक) | 98.75 |
| 3 | महानगर गैस लिमिटेड | 3,21,02,750 (₹ 10 प्रत्येक) | 32.10 | 3,21,02,750 (₹ 10 प्रत्येक) | 32.10 |
| 4 | इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (11 नवंबर 2017 को 5:1 के अनुपात में शेयर विभाजन) | 15,75,00,000 (₹ 2 प्रत्येक) | 31.50 | 15,75,00,000 (₹ 2 प्रत्येक) | 31.50 |
| | **गैर–उद्धृत, लागत पर** | | | | |
| 1 | ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड | 99,23,69,000 (₹ 10 प्रत्येक) | 992.37 | 99,23,69,000 (₹ 10 प्रत्येक) | 992.37 |
| 2 | फयूम गैस कंपनी (एलई 478.95 प्रति शेयर के प्रीमियम पर प्राप्त) | 19,000 (एलई 100 प्रत्येक) | 8.10 | 19,000 (LE 100 each) | 8.10 |
| 3 | ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड | 99,49,45,000 (₹ 10 प्रत्येक) | 994.95 | 99,49,45,000 (₹ 10 प्रत्येक) | 994.95 |
| 4 | रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड | 27,03,04,320 (₹ 10 प्रत्येक) | 270.30 | 27,03,04,320 (₹ 10 प्रत्येक) | 270.30 |
| 5 | ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड (₹ 0.96 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहीत) | 29,12,00,000 (₹ 10 प्रत्येक) | 319.05 | 29,12,00,000 (₹ 10 प्रत्येक) | 319.05 |
| 6 | एलएनजी जापोनिका शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड# | 260 (यूएसडी 1 प्रत्येक) | - | 260 (यूएसडी 1 प्रत्येक) | - |
| | एलएलसी की सदस्यता/भागीदारी हित में – गैर–उद्धृत | | | | |
| 1 | एलएलसी भारत एनर्जी ऑफिस (20% शेयरधारिता) | | 0.76 | | 0.76 |
| | **उप योग (ग)** | | **2,845.25** | | **2,845.25** |

# 31 मार्च 2024 को पूर्णांकित करने के कारण दर्शाई नहीं गई राशि ₹ 21,633 (पिछला वर्ष: ₹ 21,633) है।

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | राशि | शेयरों की संख्या | राशि |
| (घ) | **सहायक कंपनियों में** | | | | |
| | **इक्विटी शेयरों में** | | | | |
| | **उद्धृत, अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य** | | | | |
| 1 | गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड (₹ 15/– प्रति शेयर के प्रीमियम पर अर्जित 1,90,200 इक्विटी शेयर सहित) | 5,70,600 (₹ 10 प्रत्येक) | 9.30 | 5,70,600 (₹ 10 प्रत्येक) | 4.33 |
| 2 | ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (वित्त वर्ष 1999–2000 के दौरान ₹ 10/– के 3,42,66,845 शेयर 162.34 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर हासिल किए, वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान प्रत्येक ₹ 10/– के 1,71,33,422 बोनस शेयर प्राप्त हुए, वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान ₹ 10/– के 5,14,00,267 इक्विटी शेयरों को ₹ 5/– के इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया था तथा वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान विभाजन के बाद प्रत्येक ₹ 5/– के 1:1 इक्विटी शेयरों का बोनस जारी किया गया, इसके बाद, वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान 1:2 इक्विटी शेयरों का बोनस इश्यू प्राप्त हुआ है) | 30,84,01,602 (₹ 5 प्रत्येक) | 8,266.70 | 30,84,01,602 (₹ 5 प्रत्येक) | 4,658.41 |
| | **अन्य व्यापक आय के माध्यम से गैर–उद्धृत, उचित मूल्य** | | | | |
| 1 | साउथ ईस्ट एशिया गैस पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड | 8,347 (यूएसडी 1 प्रत्येक) | 253.70 | 8,347 (यूएसडी 1 प्रत्येक) | 185.50 |
| 2 | गुजरात स्टेट एनर्जी जेनरेशन लिमिटेड | 2,07,60,000 (₹ 10 प्रत्येक) | 4.53 | 2,07,60,000 (₹ 10 प्रत्येक) | 8.43 |
| 3 | इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड | 36,93,750 (₹ 10 प्रत्येक) | 12.65 | 36,93,750 (₹ 10 प्रत्येक) | 12.50 |
| 4 | सीईआईडी कंसल्टेंट्स एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड (₹ 555.70 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 88,386 (₹ 10 प्रत्येक) | 28.32 | 88,386 (₹ 10 प्रत्येक) | 19.37 |
| 5 | डुसेरे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (₹ 596.34 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 49,477 (₹ 10 प्रत्येक) | 3.94 | 49,477 (₹ 10 प्रत्येक) | 3.73 |
| 6 | पीआई बीम लैब्स प्राइवेट लिमिटेड (₹14,319.45 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 3,489 (₹ 10 प्रत्येक) | 19.38 | 3,489 (₹ 10 प्रत्येक) | 5.00 |
| 7 | जोंटा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड (₹ 9,018.78 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 5,537 (₹ 10 प्रत्येक) | 9.08 | 5,537 (₹ 10 प्रत्येक) | 5.00 |
| | **उप योग (घ)** | | **8,607.60** | | **4,902.27** |

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | राशि | शेयरों की संख्या | राशि |
| (ड.) | **सहायक कंपनियों में** | | | | |
| | **इक्विटी शेयरों में** | | | | |
| | **उद्धृत, अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य** | | | | |
| 1 | जेवी फूडवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड (₹ 5,524.49 प्रति शेयर के प्रीमियम पर 180 इक्विटी शेयर, ₹ 4,459,27 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अर्जित 2,909 इक्विटी शेयर और ₹ 2,461.32 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अर्जित 765 इक्विटी शेयर) | 3,854 (₹ 10 प्रत्येक) | - | 3,854 (₹ 10 प्रत्येक) | - |
| 2 | भगवानदास रिटेल प्राइवेट लिमिटेड (₹ 8,976 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अर्जित) | 467 (₹ 10 प्रत्येक) | 0.42 | 467 (₹ 10 प्रत्येक) | 0.42 |
| 3 | टैचे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (₹ 890.98 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अर्जित) | 1,307 (₹ 10 प्रत्येक) | - | 1,307 (₹ 10 प्रत्येक) | - |
| 4 | क्षुमत एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (₹ 5,990 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अर्जित) | 2,499 (₹ 10 प्रत्येक) | 1.50 | 2,499 (₹ 10 प्रत्येक) | 1.50 |
| 5 | सर्वोदय इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड (₹ 2,240.23 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अर्जित) | 5,555 (₹ 10 प्रत्येक) | 1.25 | 5,555 (₹ 10 प्रत्येक) | 1.25 |
| 6 | पर्सपियन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड (₹ 3,79,994.18 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अर्जित) | 52 (₹ 10 प्रत्येक) | 1.98 | 52 ((₹ 10 प्रत्येक) | 1.98 |

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | राशि | शेयरों की संख्या | राशि |
| 7 | टायचीजुनो स्पेशलिटी टायर्स प्राइवेट लिमिटेड<br>(₹ 13,418.57 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अर्जित) | 2,234<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 3.00 | 2,234<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 3.00 |
| 8 | वीडीटी पाइपलाइन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड<br>(₹ 22,490 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अर्जित)? | 1,111<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 2.50 | 1,111<br>(₹10 each) | 2.50 |
| 9 | फेदरडाइन प्राइवेट लिमिटेड<br>(₹ 8,490 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अर्जित) | 1,764<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1.50 | 1,764<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1.50 |
| 10 | आरडी ग्रो ग्रीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड<br>(₹ 752.72 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अर्जित) | 10,095<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 0.77 | 10,095<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 0.77 |
| 11 | जुनिक एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड<br>(₹ 8,387.14 प्रति शेयर के प्रीमियम पर प्राप्त) | 1,190<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1.00 | 1,190<br>(₹10 each) | 1.00 |
| 12 | वसीटार प्राइवेट लिमिटेड<br>(₹ 3,250 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अर्जित) | 4,907<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1.60 | 4,907<br>(₹10 each) | 1.60 |
| 13 | जियो क्लाइमेट रिस्क सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड<br>(₹ 17,990 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 1,111<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 2.00 | 1,111<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 2.00 |
| 14 | आईआरओवी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड<br>(₹ 15,740 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 1,904<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 3.00 | 1,904<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 3.00 |
| 15 | आर्कटुरस बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड<br>(₹ 1,037.14 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 9,549<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1.00 | 9,549<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1.00 |
| 16 | क्रिया लैब्स प्राइवेट लिमिटेड<br>(₹ 1,000 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अर्जित) | 5,940<br>(₹ 10 प्रत्येक) | - | 5,940<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 0.60 |
| 17 | क्वांटन पावरट्रेन प्राइवेट लिमिटेड<br>(₹ 1,249.26 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 27,794<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 3.50 | 27,794<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 3.50 |
| 18 | प्रायोगिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड<br>(₹ 286.30 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 20,248<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 0.60 | 20,248<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 0.60 |
| 19 | याली मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड<br>(₹ 11,728.21 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अर्जित) | 1,073<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1.26 | 1,073<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1.26 |
| 20 | सेलेक्ट्रिक ऑटोमोटिव ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड<br>(₹ 13,322.34 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 1,770<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 2.36 | 1,770<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 2.36 |
| 21 | ओरक्सा एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड<br>(₹ 3,631.33 प्रति शेयर के प्रीमियम पर प्राप्त) | 14,033<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 5.11 | 14,033<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 5.11 |
| 22 | क्लीनर्जी टेक सोल्यूशन्स प्राइवेट लि.<br>(₹ 3,865.97 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 1,290<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 0.50 | 1,290<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 0.50 |
| 23 | एलआर एनर्जी वृंदावन प्राइवेट लिमिटेड | 18,00,000<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1.80 | 18,00,000<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1.80 |
| 24 | कार्गोसाइट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड<br>(प्रति शेयर 48,901.09 के प्रीमियम पर प्राप्त) | 408<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 2.00 | 408<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 2.00 |
| 25 | जायमा एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड<br>(प्रति शेयर 31,509.87 के प्रीमियम पर हासिल किया गया) | 475<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1.50 | 475<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1.50 |
| 26 | गुड मूव लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड<br>(प्रति शेयर 3,769.86 के प्रीमियम पर प्राप्त) | 1,322<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 0.50 | 1,322<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 0.50 |
| 27 | उपक्रम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड<br>(प्रति शेयर ₹ 1,190.48 के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 12,495<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1.50 | | - |
| 28 | नवागती टेक प्राइवेट लिमिटेड<br>(प्रति शेयर ₹ 29,260.80 के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 341<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1.00 | | - |
| | **उप योग (ड.)** | | **43.15** | | **41.25** |

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | राशि | शेयरों की संख्या | राशि |
| (च) | **सहायक कंपनियों में इक्विटी शेयरों में गैर–उद्धृत, लागत पर** | | | | |
| 1 | ग्रीन फील्ड (बी) को–ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, मुंबई | | - | 40 (₹ 50 प्रत्येक) | - |
| 2 | एविलियन ग्रीनफील्ड्स को–ऑप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, मुंबई | | - | 5 (₹ 50 प्रत्येक) | - |
| 3 | सूरज हाइट्स ए को–ऑप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, मुंबई | | - | 15 (₹ 50 प्रत्येक) | - |
| | **उप योग (च)** | | **-** | | **-** |
| | **सकल योग (क+ख+ग+घ+ड.+च)** | | **17,513.91** | | **12,788.77** |

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|
| **प्रारंभिक शेष** | | **12,788.77** | | **12,120.92** |
| वर्ष के दौरान आवंटन | | 999.63 | | 1,066.71 |
| वर्ष के दौरान मानित निवेश | | 20.77 | | 14.37 |
| वर्ष के दौरान उचित मूल्य में परिवर्तन | | 3,704.74 | | (357.85) |
| वर्ष के दौरान हानि लाभ/(हानि) | | - | | (55.38) |
| **अंतिम शेष** | | **17,513.91** | | **12,788.77** |
| **टिप्पणियाँ:–** | | | | |
| उद्धृत निवेश की कुल राशि | | | | |
| – बही मूल्य (वाहक मूल्य पर) | | 8,535.72 | | 4,922.46 |
| – बाजार मूल्य | | 25,502.72 | | 20,578.25 |
| गैर–उद्धृत निवेश की कुल राशि (क्षति प्रावधान का सकल) | | 9,212.74 | | 8,100.86 |

क) सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/संबद्ध कंपनियों में पूर्वोक्त निवेशों में से कुछ शेयर गेल के साथ संयुक्त रूप से गेल अधिकारियों के नाम पर हैं।

ख) निवेश का मूल्यांकन टिप्पण सं.1 में दी गई लेखा नीति सं. 1.21 के अनुसार किया गया है।

ग) वर्ष के अंत तक निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि ₹ 234.55 करोड़ है (गत वर्ष ₹ 234.55 करोड़)

घ) सहायक, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के अलावा अन्य निवेशों का मूल्यांकन ओसीआई के माध्यम से प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में उचित मूल्य पर किया जाता है।

ड.) स्टार्ट–अप कंपनियों में किया गया निवेश और उसका उचित मूल्य शुरुआती 10 वर्षों के लिए बही मूल्य के बराबर माना जाता है।

## टिप्पण: 6 – व्यापार प्राप्तियां – गैर – वर्तमान

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|
| संबंधित पार्टियों से | | 331.80 | | 331.80 |
| अन्यों को | | 1,273.28 | | 1,324.46 |
| | | 1,605.08 | | 1,656.26 |
| घटा: अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान | | 560.31 | | 611.98 |
| **कुल** | | **1,044.77** | | **1,044.28** |

## टिप्पणः 6क – व्यापार प्राप्तियां – गैर – वर्तमान

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|
| संबंधित पार्टियों से | | 1,836.60 | | 2,736.24 |
| अन्यों को | | 7,854.52 | | 7,736.27 |
| | | 9,691.12 | | 10,472.51 |
| घटाः अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान | | 82.04 | | 106.21 |
| **कुल** | | **9,609.08** | | **10,366.30** |

## व्यापार प्राप्य का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|
| **गैर– वर्तमान** | | | | |
| अच्छी मानी गई – सुरक्षित | - | | - | |
| अच्छी मानी गई – असुरक्षित | 1,044.77 | | 1,044.28 | |
| व्यापार प्राप्तियां जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है | - | | - | |
| व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट हानि | 560.31 | | 611.98 | |
| | 1,605.08 | | 1,656.26 | |
| **घटाः संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान** | 560.31 | 1,044.77 | 611.98 | 1,044.28 |
| **वर्तमान** | | | | |
| अच्छी मानी गई – सुरक्षित | - | | - | |
| अच्छी मानी गई – असुरक्षित | 9,691.12 | | 10,472.51 | |
| व्यापार प्राप्तियां जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है | - | | - | |
| व्यापार प्राप्तियां – क्रेडिट हानि | - | | - | |
| | 9,691.12 | | 10,472.51 | |
| **घटाः अपेक्षित ऋण हानि का प्रावधान** | 82.04 | 9,609.08 | 106.21 | 10,366.30 |
| **कुल** | | **10,653.85** | | **11,410.58** |

## टिप्पणः 7 – ऋण – गैर– वर्तमान

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|
| **ऋणः** | | | | |
| **संबंधित पार्टियों के लिए** | | | | |
| अच्छी मानी गई – सुरक्षित | | | | |
| – सहायक कंपनियों को ऋण (टिप्पणी सं. 64 देखें) | | 5,011.52 | | 3,047.43 |
| कर्मचारियों के लिए | | | | |
| अच्छी मानी गई – सुरक्षित | 223.53 | | 211.30 | |
| {निदेशकों और अधिकारियों से बकाया राशि ₹ 1.00 करोड़ (गत वर्षः ₹ 1.00 करोड़)} | | | | |
| अच्छी मानी गई हैं – असुरक्षित | 77.96 | 301.49 | 58.33 | 269.63 |
| **कुल** | | **5,313.01** | | **3,317.06** |

## टिप्पण: 7क – ऋण – वर्तमान

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|
| ऋण: | | | | |
| संबंधित पार्टियों के लिए | | | | |
| अच्छी मानी गई – सुरक्षित | | | | |
| – सहायक कंपनियों को ऋण | | 20.00 | | - |
| कर्मचारियों के लिए | | | | |
| अच्छी मानी गई – सुरक्षित | 54.85 | | 51.69 | |
| {निदेशकों और अधिकारियों से बकाया राशि ₹ 0.21 करोड़ (गत वर्ष : ₹ 0.17 करोड़)} | | | | |
| अच्छी मानी गई हैं – असुरक्षित | 13.73 | 68.58 | 16.03 | 67.72 |
| **कुल** | | **88.58** | | **67.72** |

## टिप्पण: 8 – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां – गैर– वर्तमान

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|
| (अच्छी मानी गई – असुरक्षित) | | | | |
| व्युत्पन्न संविदाओं के लिए प्राप्य (हेज/नॉन–हेज) | | 249.64 | | 456.01 |
| आवंटन होने तक इक्विटी निवेश | | 5.32 | | 7.47 |
| वित्त पट्टा प्राप्य | | 2.83 | | - |
| सुरक्षा जमा: | | | | |
| अच्छी मानी गई – असुरक्षित | 59.42 | | 64.44 | |
| ऋण हानि | 11.33 | | 7.19 | |
| | 70.75 | | 71.63 | |
| **घटा: संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान** | 11.33 | 59.42 | 7.19 | 64.44 |
| **कुल** | | **317.21** | | **527.92** |

## टिप्पण: 8क – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां – वर्तमान

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|
| **(अच्छी मानी गई – असुरक्षित)** | | | | |
| व्युत्पन्न संविदाओं के लिए प्राप्य (हेज/नॉन–हेज) | | 413.71 | | 472.72 |
| **अन्य प्राप्तियां:** | | | | |
| **संबंधित पार्टियों से** | | | | |
| – सहायक कंपनियां | 49.92 | | 30.28 | |
| – संबद्ध कंपनियां | 1.96 | | 2.69 | |
| – संयुक्त उद्यम | 40.38 | 92.26 | 26.30 | 59.27 |
| **अन्यों से** | | 93.39 | | 356.21 |
| वित्त पट्टा प्राप्तियां | | 2.16 | | 2.13 |
| **प्राप्ति लाभांश** | | | | |
| – संबंधित पार्टियों से | | - | | 141.75 |
| प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नहीं | | 2.10 | | 17.33 |
| सुरक्षा जमा | | | | |
| अच्छी मानी गई – असुरक्षित | | 919.81 | | 750.94 |
| **कुल** | | **1,523.43** | | **1,800.35** |

## टिप्पणः 9 – गैर– वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|
| लंबित मांग की तुलना में अग्रिम आयकर | | | | |
| (अच्छी मानी गई – असुरक्षित) | 762.09 | | 458.77 | |
| संदिग्ध मानी गई – असुरक्षित | 3.66 | | 20.26 | |
| | 765.75 | | 479.03 | |
| **घटाः लंबित मांग की तुलना में संदिग्ध अग्रिम आयकर का प्रावधान** | 3.66 | 762.09 | 20.26 | 458.77 |
| अग्रिम कर | 2,710.91 | | 1,544.57 | |
| **घटाः कर के लिए प्रावधान** | 2,602.19 | 108.72 | 1,277.47 | 267.10 |
| **कुल** | | **870.81** | | **725.87** |

## टिप्पणः 10 – मांग सूची

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|
| कच्चा माल | | | | |
| गैस का स्टॉक | | 154.59 | | 15.88 |
| (कैलोरी मान के समायोजन के बाद) | | | | |
| कार्यशील प्रगति | | | | |
| प्रोसेस में स्टॉक | | 9.61 | | 17.45 |
| तैयार माल | | | | |
| पॉलिमर, एलपीजी और अन्य उत्पाद | | 711.64 | | 891.47 |
| बिक्री के लिए माल | | | | |
| तरलीकृत प्राकृतिक गैस सहित गैस का स्टॉक* | | 2,944.47 | | 2,737.66 |
| (कैलोरी मान के समायोजन के बाद) | | | | |
| भंडार और अतिरिक्त पुर्जे | | | | |
| भंडार और अतिरिक्त पुर्जे | 1,442.93 | | 1,599.23 | |
| **घटाः अप्रचलन/हानि का प्रावधान** | 17.78 | 1,425.15 | 24.54 | 1,574.69 |
| मार्गस्थ में | | | | |
| भंडार और अतिरिक्त पुर्जे | | 45.66 | | 44.12 |
| **कुल** | | **5,291.12** | | **5,281.27** |

*मार्गस्थ के ₹ 219.95 करोड़ (गत वर्षः ₹ 483.33 करोड़) शामिल हैं।
एनआरवी में मांग सूची की बट्टे खाते में डाली गई राशि और ₹ 104.86 करोड़ (गत वर्ष – 380.81) के व्यय के रूप में पहचानी गई मांग सूची का मूल्यांकन लेखा नीति सं. 1.8 के अनुसार किया जाता है।

## टिप्पणः 11 – नकद और नकद समकक्ष

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|
| **बैंकों में जमा शेष राशि** | | | | |
| – चालू खाता | | 81.66 | | 95.55 |
| – तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशियां | | 335.56 | | 77.22 |
| टीआरईपीएस/सीआरओएमएस | | 169.84 | | - |
| हाथ में नकद | | 0.02 | | 0.02 |
| **अग्रदाय अग्रिम** | | 1.22 | | 0.88 |
| अन्य (मार्गस्थ में प्रेषण) | | 0.29 | | 0.10 |
| **कुल** | | **588.59** | | **173.77** |

## टिप्पण: 11क – नकद और नकद समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|
| *अन्य बैंक शेष<br>(तीन महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली एफडी) | | 2.14 | | 2.76 |
| **निर्धारित खाते** | | | | |
| – चालू खाता – देय लाभांश | | 5.37 | | 134.01 |
| – अल्पावधि जमा – गैस पूल धनराशि (टिप्पण: सं. 37(I) देखें) {प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नहीं 1.91 करोड़ रुपए (गत वर्ष 2.23 करोड रुपए)} | | 97.70 | | 91.42 |
| अल्पावधि जमा राशि – अदालती मामले | | 9.44 | | - |
| **कुल** | | **114.65** | | **228.19** |

## टिप्पण: 12 – अन्य गैर– वर्तमान परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|
| पूंजी अग्रिम: | | | | |
| अच्छी मानी गई – असुरक्षित | 771.51 | | 601.69 | |
| संदिग्ध मानी गई – असुरक्षित | 0.35 | | 0.35 | |
| | 771.86 | | 602.04 | |
| घटा: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान | 0.35 | 771.51 | 0.35 | 601.69 |
| **पूंजी अग्रिम के अलावा अग्रिम:** | | | | |
| **सरकारी प्राधिकारियों के पास शेष राशि** | | | | |
| अच्छी मानी गई – असुरक्षित | | | | |
| वैट ऋण प्राप्य | | 0.79 | | 12.66 |
| **वसूली योग्य दावा** | | | | |
| अच्छी मानी गई – असुरक्षित | | - | | 10.55 |
| **संबंधित पार्टियों को अग्रिम** | | 248.22 | | 286.43 |
| {एक संबद्ध कंपनी को अग्रिम सहित ₹ 248.22 करोड़ (पिछला वर्ष: ₹ 286.43 करोड)} | | | | |
| **चुकौती** | | | | |
| पूर्व प्रदत्त व्यय | | **5.50** | | **5.29** |
| पूर्व प्रदत्त कर्मचारी व्यय | | 96.29 | | 87.86 |
| **कुल** | | **1,122.31** | | **1,004.48** |

## टिप्पण: 12क – अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|
| **पूंजी अग्रिम के अलावा अग्रिम:** | | | | |
| **सरकारी प्राधिकारियों के पास शेष** | | | | |
| अच्छी मानी गई – असुरक्षित | | | | |
| – सेनवैट ऋण प्राप्य | 0.71 | | 0.73 | |
| – जीएसटी प्राप्य | 612.06 | | 259.59 | |
| – वैट क्रेडिट प्राप्य | 67.04 | 679.81 | 25.52 | 285.84 |
| **वसूली योग्य दावा** | 370.33 | | 189.34 | |
| अच्छी मानी गई – असुरक्षित | 17.96 | | 20.68 | |
| संदिग्ध मानी गई – असुरक्षित | 388.29 | | 210.02 | |
| | 17.96 | 370.33 | 20.68 | 189.34 |
| घटा: संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान | | | | |

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|
| **अन्य अग्रिम** | | 132.64 | | 91.57 |
| (एक संबद्ध कंपनी को 38.2 करोड रुपए के अग्रिम सहित) | | | | |
| {गत वर्षः 38.2 करोड़ रुपए)} | | | | |
| **आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम** | | | | |
| अच्छी मानी गई – असुरक्षित | 61.11 | | 83.23 | |
| संदिग्ध मानी गई – असुरक्षित | 14.73 | | 20.07 | |
| | 75.84 | | 103.30 | |
| **घटाः संदिग्ध अग्रिमों का प्रावधान** | 14.73 | 61.11 | 20.07 | 83.23 |
| **कर्मचारियों को अग्रिम** | | | | |
| अच्छी मानी गई – असुरक्षित | | 1.03 | | 1.93 |
| **पूर्व भुगतानः** | | | | |
| पूर्वभुगतान व्यय | | 40.71 | | 171.08 |
| पूर्वभुगतान कर्मचारी व्यय | | 26.89 | | 12.80 |
| **कुल** | | **1,312.52** | | **835.79** |

## टिप्पणः 13 – इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|
| **इक्विटी शेयर पूंजी** | | | | |
| **प्राधिकृत** | | | | |
| प्रत्येक ₹ 10 के 10,00,00,00,000 इक्विटी शेयर | | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| **(पिछला वर्षः प्रत्येक ₹ 10 के 10,00,00,00,000 इक्विटी शेयर)** | | | | |
| **निर्गम, सदस्यता और पूर्ण प्रदत्त** | | | | |
| प्रत्येक ₹ 10 के 6,57,50,99,643 इक्विटी शेयर | | 6,575.10 | | 6,575.10 |
| (पिछला वर्षः प्रत्येक ₹ 10 के 6,57,50,99,643 इक्विटी शेयर) | | | | |
| **कुल** | | **6,575.10** | | **6,575.10** |

## वर्ष की शुरुआत और अंत में बकाया शेयरों का समाधान

| विवरण | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक | |
|---|---|---|---|---|
| | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| **वर्ष की शुरुआत में** | 6,57,50,99,643 | 6,575.10 | 4,44,03,85,225 | 4,440.39 |
| वर्ष के दौरान बोनस शेयर | - | - | 2,19,16,99,881 | 2,191.70 |
| वर्ष के दौरान जारी शेयरों की वापस खरीद | - | - | (5,69,85,463) | (56.99) |
| **वर्ष के अंत में बकाया** | **6,57,50,99,643** | **6,575.10** | **6,57,50,99,643** | **6,575.10** |

## संबंधित जानकारीः–

**क) 5ः से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण**

| शेयर धारक का नाम | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Numbers | Percentage of Holding | Numbers | Percentage of Holding |
| 1 | भारत के राष्ट्रपति (प्रवर्तक) | 3,38,75,76,864 | 51.52 | 3,38,75,80,047 | 51.52 |
| 2 | एलआईसी यूएलआईपी ग्रोथ फंड | 46,66,98,486 | 7.10 | 51,68,24,126 | 7.86 |

**ख) प्रमोटरों की शेयर धारिता का विवरण**

| 31 मार्च 2024 की समाप्ति पर प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर | | | | वर्ष के दौरान % परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | प्रमोटर का नाम | शेयरों की संख्या | % कुल शेयर | |
| 1 | भारत के राष्ट्रपति | 3,38,75,76,864 | 51.52 | 0.00% |

पृथक वित्तीय विवरण

| 31 मार्च 2024 की समाप्ति पर प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर | | | | वर्ष के दौरान % परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|
| **क्र.सं.** | **प्रमोटर का नाम** | **शेयरों की संख्या** | **% कुल शेयर** | |
| 1 | भारत के राष्ट्रपति | 3,38,75,80,047 | 51.52 | 0.07% |

ग) कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिसका सममूल्य मूल्य प्रति शेयर ₹ 10/– है। इक्विटी शेयरों के धारक समय–समय पर लाभांश प्राप्त करने के पात्र होते हैं और शेयरधारकों की बैठकों में अपनी हिस्सेदारी के अनुपात में मतदान के अधिकार के पात्र होते हैं।

घ) 4,77,40,994 शेयर (गत वर्षः 4,87,93,407) ग्लोबल डिपॉजिटरी प्राप्तियों के रूप में रखे गए हैं।

ड.) कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान जारी किए गए 2,19,16,99,881 बोनस शेयरों, और वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 2,25,50,70,933 बोनस शेयरों को छोड़कर, पिछले पांच वर्षों में नकद के अलावा कोई शेयर जारी नहीं किए हैं।

च) कंपनी ने 5,69,85,463 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर वापस खरीदे, जो चुकता शेयर पूंजी का 1.28ः है, जिसकी कुल राशि ₹ 1,082.72 करोड़ (करों को छोड़कर) है, जिसकी कीमत ₹ 190 प्रति इक्विटी शेयर है। वापस खरीदे गए इक्विटी शेयर 21 जून 2022 को समाप्त हो गए।

कंपनी ने 6,97,56,641 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर वापस खरीदे, जो चुकता शेयर पूंजी का 1.55ः है, जिसकी कुल राशि ₹ 1,046.35 करोड़ (करों को छोड़कर) है, जिसकी कीमत ₹ 150 प्रति इक्विटी शेयर है। वापस खरीदे गए इक्विटी शेयर 22 मार्च 2021 को समाप्त हो गए।

## टिप्पणः 14 – अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|
| क) प्रतिधारित आय | | | | |
| प्रारंभिक शेष | | 44,157.70 | | 41,904.72 |
| **जोड़ें**: वर्ष के लिए लाभ | | 8,836.48 | | 5,301.51 |
| **जोड़ें**: परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्माप लाभ/(हानि) (कर का निवल) | | 51.36 | | 34.94 |
| **घटा**: जारी बोनस शेयर | | - | | 15.09 |
| **घटा**: विनियोग से | | | | |
| – अंतिम लाभांश | - | | 438.34 | |
| – अंतरिम लाभांश | 3,616.30 | 3,616.30 | 2,630.04 | 3,068.38 |
| **उप योग (क)** | | **49,429.24** | | **44,157.70** |
| **ख) अन्य रिजर्व** | | | | |
| **सामान्य रिजर्व** | | | | |
| प्रारंभिक शेष | - | | 3,505.49 | |
| **घटा**: शेयरों का बायबैक (बायबैक कर और बायबैक खर्च सहित) | - | | 1,271.90 | |
| **घटा**: कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में अंतरित | - | | 56.98 | |
| **घटा**: जारी बोनस शेयर | - | - | 2,176.61 | - |
| **पूंजी रिडेम्पशन रिजर्व** | | | | |
| प्रारंभिक जमा | 126.74 | | 69.76 | |
| **जोड़ें**: वर्ष के दौरान सामान्य रिजर्व से अंतरण | - | 126.74 | 56.98 | 126.74 |
| **इक्विटी प्रतिभूतियों के एफवीटीओसीआई पर लाभ/(हानि)** | | | | |
| **प्रारंभिक जमा** | 4,302.18 | | 4,658.78 | |
| **जोड़ें**: वर्ष के लिए उचित मूल्य लाभ/(हानि) | 3,470.94 | 7,773.12 | (356.60) | 4,302.18 |
| **नकद प्रवाह हेज रिजर्व** | | | | |
| प्रारंभिक शेष | 491.95 | | 1,007.66 | |
| **जोड़ें**: वर्ष के लिए नकद प्रवाह हेज पर लाभ/(हानि) | (216.75) | 275.20 | (515.71) | 491.95 |
| **उप योग (ख)** | | **8,175.06** | | **4,920.87** |
| **सकल योग (क+ख)** | | **57,604.30** | | **49,078.57** |

i) वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹ 5.50 प्रति शेयर (गत वर्षः ₹ 4.00 प्रति शेयर) के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है।

**रिजर्व की प्रकृति और उद्देश्य**

**क. प्रतिधारित आय**

प्रतिधारित आय कंपनी की संचित आय को दर्शाती है। प्रतिधारित आय कंपनी का एक फ्री रिजर्व है और इसका उपयोग निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार बोनस शेयर जारी करने, शेयरों को वापस खरीदने और अन्य उद्देश्यों (जैसे लाभांश की घोषणा करने आदि) के लिए किया जाता है। इसमें परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्माप लाभ/(हानि) शामिल है जिसे बाद की अवधियों में लाभ एवं हानि विवरण के रूप में पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

**ख. पूंजी रिडेम्पशन रिजर्व**

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, पूंजी रिडेम्पशन रिजर्व तब बनाया जाता है जब कंपनी अपने शेयरों को आरक्षित या प्रतिभूति प्रीमियम पर मुफ्त में खरीदती है। खरीदे गए शेयरों के नाममात्र मूल्य के बराबर राशि को कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस आरक्षित निधि का उपयोग कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है।

**ग. इक्विटी लिखतों का उचित मूल्य लाभ/(हानि)**

यह रिजर्व कंपनी द्वारा अन्य संस्थाओं के इक्विटी लिखतों में किए गए निवेश के उचित मूल्य के उतार–चढ़ाव के संचयी प्रभाव को दर्शाता है। इस तरह के परिवर्तनों पर होने वाले संचयी लाभ या हानि को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से पहचाना जाता है और इस रिजर्व के तहत जमा किया जाता है। इसे बाद की अवधियों में लाभ एवं हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

**घ. नकद प्रवाह हेज रिजर्व**

नकद प्रवाह हेज रिजर्व नकद प्रवाह हेजेज के लिए दर्ज किए गए हेजिंग लिखतों के निर्दिष्ट हिस्से के उचित मूल्य में परिवर्तन पर उत्पन्न होने वाले लाभ/(हानि) के संचयी प्रभावी भाग को दर्शाता है। ऐसे परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले संचयी लाभ/(हानि) को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से पहचाना जाता है और इसे रिजर्व के तहत जमा किया जाता है। इस तरह के लाभ/(हानि) का उस अवधि में लाभ एवं हानि विवरण में पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा जिसमें हेज की गई वस्तु लाभ एवं हानि विवरण को प्रभावित करती है/होती है।

## टिप्पणः 15 – उधार – गैर– वर्तमान

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|
| **सुरक्षित ऋण** | | | | |
| **सावधि ऋणः** | | | | |
| **तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) से** | | 1,343.75 | | 768.75 |
| (वित्त वर्ष 2019–20, 2020–21 और 2023–24 के दौरान लिया गया ऋण संवितरण की तारीख से दो साल की मोहलत की समाप्ति के बाद 8 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जा सकता है। वित्त वर्ष 19–20 और 20–21 में लिए गए ऋण पर निश्चित ब्याज दर लागू होती है और वित्त वर्ष 23–24 में लिए गए ऋण पर फ्लोटिंग ब्याज दर लागू होती है) | | | | |
| (उधारकर्ता की जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा पाइपलाइन (कंप्रेसर स्टेशनों को छोड़कर) की धारा 2ख की सभी चल अचल परिसंपत्तियों (वर्तमान और भविष्य दोनों) पर प्रथम दृष्टिबंधक प्रभार, जिसमें इसकी स्पर लाइनें, संयंत्र और मशीनरी, पुर्जे, उपकरण, औजार और सहायक उपकरण और अन्य चल संपत्तियां वर्तमान और भविष्य दोनों शामिल हैं, जो उधारकर्ता या उधारकर्ता के किसी भी एजेंट के परिसर, गोदाम, स्टॉकयार्ड और गोदामों में पड़ी हैं या स्थापित की गई हैं या लाई जाने वाली हैं।) | | | | |
| **बैंकों से** | | | | |
| **एचडीएफसी बैंक** | | 1,333.33 | | 1,500.00 |
| (अधिस्थगन की समाप्ति के बाद 48 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाएगा और किस्त का पुनर्भुगतान 30 जून 2021 से शुरू होगा। ऋण पर फ्लोटिंग ब्याज दर लागू होती है।) | | | | |
| (केवल दहेज – विजयपुर पाइपलाइन चरण ।। (डीवीपीएल–।।) (झाबुआ और विजयपुर में कंप्रेसर स्टेशनों को छोड़कर) के संबंध में, चल परिसंपत्तियों और चल अचल परिसंपत्तियों पर पहले समान दृष्टि दृष्टिबंधक शुल्क के माध्यम से सुरक्षित) | | | | |
| **एचडीएफसी बैंक** | | 750.00 | | 1,500.00 |
| (अधिस्थगन की समाप्ति के बाद 16 समान तिमाही किस्तों में चुकौती और किस्त का पुनर्भुगतान 30 जून 2022 से शुरू होगा। ऋण पर फ्लोटिंग ब्याज दर लागू होती है। | | | | |
| पाता पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में उधारकर्ता के प्लांट और मशीनरी, जिसमें पाता में एलपीजी संयंत्र और दिबियापुर कंप्रेसर स्टेशन, जिलाः औरैया, उत्तर प्रदेश शामिल है, के सभी अधिकारों, स्वामित्व, सुख–सुविधाओं, ब्याज और लाभ पर पहला समरूप दृष्टिबंधक शुल्क। | | | | |

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|
| **बैंक ऑफ इंडिया से**<br>(अधिस्थगन की समाप्ति के बाद 15 समान तिमाही किस्तों में भुगतान किया जाएगा और किस्त की चुकौती 30 जून 2023 से शुरू होगी। ऋण पर फ्लोटिंग ब्याज दर लागू होती है।<br>(उधारकर्ता की जगदीशपुर–हल्दिया–बोकारो–धामरा पाइपलाइन (कंप्रेसर स्टेशनों को छोड़कर) की धारा 1 और धारा 3क की सभी चल अचल परिसंपत्तियों पर प्रथम दृष्टिबंधक प्रभार, जिसमें इसकी स्पर लाइनें, संयंत्र और मशीनरी, पुर्जे, उपकरण, औजार और सहायक उपकरण और अन्य चल संपत्तियां वर्तमान और भविष्य दोनों शामिल हैं, जो उधारकर्ता या उसके किसी भी एजेंट के परिसर, गोदाम, स्टॉकयार्ड और गोदामों में पड़ी हैं या स्थापित की गई हैं या लाई जाने वाली हैं।) | | 1,586.67 | | 2,493.33 |
| **पंजाब नेशनल बैंक से**<br>(ऋण 2 वर्ष की अधिस्थगन अवधि की समाप्ति के बाद 32 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है और किस्तों की अदायगी 31 दिसंबर 2025 से शुरू होगी। ऋण पर फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है।)<br>उधारकर्ता की सभी अधिकार, शीर्षक, सुख–सुविधाओं, ब्याज और लाभ सभी और एकल, चल अचल परिसंपत्तियों पर पहला समरूप दृष्टिबंधक प्रभार, जिसमें विजयपुर कोटा मुख्य पाइपलाइन, अम्बेवाड़ी उसर पाइपलाइन, वीडीपीएल–विजयपुर–चैनसा पाइपलाइन भाग–I, विजयपुर औरैया पाइप लाइन–उ.प्र. खंड एनडीवी019, मेन लाइन–एमपी मुख्य लाइन–36'' ''27.40 कि.मी. वीएपीएल एनडीवी017, मेन लाइन (ओडिशा), डीएपीएल, एनएचजे/005, (कंप्रेसर स्टेशनों को छोड़कर), तथा इसके संयंत्र और मशीनरी, पुर्जे, उपकरण, टूल और सहायक उपकरण शामिल हैं, और अन्य चल अचल परिसंपत्तियाँ, वर्तमान और भविष्य की दोनों, जो उधारकर्ता या उधारकर्ता के किसी एजेंट के परिसर, गोदाम, स्टॉकयार्ड और गोदामों में पड़ी हैं या स्थापित हैं या लाई जानी हैं। | | 3,500.00 | | - |
| **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से**<br>(ऋण को 2 वर्ष की अधिस्थगन अवधि की समाप्ति के बाद 32 बराबर तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है और किस्तों की अदायगी 31 अगस्त 2025 से शुरू होगी। ऋण पर फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है।)<br>सभी अधिकारों, शीर्षक, सुख–सुविधाओं, ब्याज और सभी और एकल में लाभ, उधारकर्ता की चल अचल संपत्तियों पर पहला समरूप दृष्टिबंधक प्रभार, जिसमें कोच्चि–कूटनाद–बैंगलोर–मैंगलोर पाइपलाइन (कंप्रेसर स्टेशनों को छोड़कर), इसकी स्पर लाइनें, संयंत्र और मशीनरी, स्पेयर, उपकरण, टूल और सहायक उपकरण और अन्य चल अचल परिसंपत्तियां, वर्तमान और भविष्य दोनों शामिल हैं, जो उधारकर्ता या उधारकर्ता के किसी भी एजेंट के परिसर, गोदाम, स्टॉकयार्ड और गोदामों में पड़ी हैं या स्थापित हैं या लाई जानी हैं। | | 1,476.00 | | - |
| **असुरक्षित ऋण** | | | | |
| **असुरक्षित बांड** | | | | |
| – बॉन्ड सीरीज 2027<br>गेल इंडिया लिमिटेड बांड – 2027 (श्रृंखला–I)। असुरक्षित, सूचीबद्ध, रेटेड, कर योग्य, गैर–संचयी, प्रतिदेय, गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर। | | 1,575.00 | | 1,575.00 |
| **कुल** | | **11,564.75** | | **7,837.08** |

## टिप्पणः 15 क उधार – वर्तमान

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|
| **असुरक्षित ऋण** | | | | |
| कार्यशील पूंजी मांग ऋण | | - | | 4,502.00 |
| बैंकों से अल्पावधि ऋण | | 2,900.00 | | - |
| **दीर्घावधि ऋणों की वर्तमान परिपक्वता** | | | | |
| **सावधि ऋण** | | | | |
| – एचडीएफसी बैंक | | 916.67 | | 916.67 |
| – तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) | | 125.00 | | 125.00 |
| – बैंक ऑफ इंडिया | | 906.66 | | 906.67 |
| **असुरक्षित सावधि ऋणः** | | | | |
| – केएफडब्ल्यू जर्मनी (सीमेंस सुविधा) | | - | | 21.32 |
| **कुल** | | **4,848.33** | | **6,471.66** |

## टिप्पणः 16 – अन्य वित्तीय देयताएं – गैर– वर्तमान

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|
| डेरेवेटिव संविदाओं के लिए देय (हेज/गैर–हेज) | | 37.97 | | 46.02 |
| ग्राहकों/ठेकेदारों/अन्य से जमा/प्रतिधारण राशि | | 31.43 | | 37.75 |
| गैस पूल मनी अनंतिम (टिप्पणी स. 37 (II) देखें) | | 581.33 | | 581.87 |
| अन्य देयताएं | | 67.16 | | 67.16 |
| **कुल** | | **717.89** | | **732.80** |

## टिप्पणः 16क – अन्य वित्तीय देयताएं – वर्तमान

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|
| डेरेवेटिव संविदाओं के लिए देय (हेज/गैर–हेज) | | 297.33 | | 273.98 |
| ग्राहकों/ठेकेदारों/अन्य से जमा/प्रतिधारण राशि | | 1,696.12 | | 1,389.46 |
| वित्तीय गारंटी दायित्व | | 298.34 | | 243.08 |
| **अन्य देनदारियां** | | | | |
| अर्जित ब्याज लेकिन बकाया नहीं | 64.78 | | 63.80 | |
| अदेय/गैर–दावा लाभांश | 5.37 | | 8.56 | |
| गैस पूल मनी | 190.34 | | 183.97 | |
| असंतुलन और बढ़ा हुआ शुल्क | 51.71 | | 13.14 | |
| पूंजीगत व्यय के लिए देय | 1,955.15 | | 1,062.35 | |
| पाइपलाइन शुल्क में समायोजन | 32.30 | | 32.30 | |
| देय ईएंडपी व्यय | 13.72 | | 91.26 | |
| कर्मचारी लाभ देय | 358.64 | | 181.05 | |
| अन्य देनदारियां | 151.24 | 2,823.25 | 144.79 | 1,781.22 |
| **कुल** | | **5,115.04** | | **3,687.74** |

## टिप्पणः 17 – प्रावधान – गैर– वर्तमान

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|
| कर्मचारी लाभ का प्रावधान | | 931.78 | | 797.32 |
| परित्याग लागत का प्रावधान | | 1.93 | | 1.94 |
| **कुल** | | **933.71** | | **799.26** |

भारतीय लेखा मानक 37 में अपेक्षित अनुसार प्रावधान में संचलन का प्रकटीकरण टिप्पण सं. 49 में दिया गया है।

## टिप्पण: 17क – प्रावधान– वर्तमान

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|
| कर्मचारी लाभ का प्रावधान | | 72.86 | | 48.20 |
| संभावित दायित्वों के लिए प्रावधान | | 992.29 | | 845.19 |
| **कुल** | | **1,065.15** | | **893.39** |

भारतीय लेखा मानक 37 में अपेक्षित अनुसार प्रावधान में संचलन का प्रकटीकरण टिप्पण सं. 49 में दिया गया है।

## टिप्पण: 18 – व्यापार देय राशि

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|
| सूक्ष्म और लघु उद्यमों को व्यापार देय' | | 329.47 | | 337.10 |
| संबंधित पक्षों को व्यापार देय | | 2,143.41 | | 2,662.94 |
| अन्य को व्यापार देय | | 4,246.04 | | 4,299.20 |
| **कुल** | | **6,718.92** | | **7,299.24** |

*सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के संबंध में प्रकटीकरण टिप्पण सं. 53 में दिया गया है

## टिप्पण: 19 – अन्य गैर– वर्तमान देयताएं

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|
| सरकारी अनुदान (टिप्पणी सं. 54 देखें) (जेएचबीडी पाइपलाइन परियोजना पर पूंजीगत सब्सिडी शामिल है) | | 4,387.53 | | 4,541.57 |
| **कुल** | | **4,387.53** | | **4,541.57** |

## टिप्पण: 19क – अन्य वर्तमान देयताएं

₹in crore

| विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|
| सांविधिक देय | | 717.79 | | 816.07 |
| अन्य देयताएं (टिप्पणी सं. 38 देखें) | | 87.63 | | 87.63 |
| ''सरकारी अनुदान (टिप्पणी सं. 54 देखें) (जेएचबीडी पाइपलाइन परियोजना पर पूंजीगत सब्सिडी शामिल है)'' | | 139.81 | | 123.46 |
| **कुल** | | **945.23** | | **1,027.16** |

## टिप्पण: 20 – आस्थगित कराधान (निवल)

**आय कर**

**समाप्त वर्ष के लिए आयकर व्यय के प्रमुख घटक हैं: –**

**क. लाभ एवं हानि विवरण:**

(₹ करोड़ में)

| (I) विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|
| **लाभ या हानि खंड** | | | | |
| **वर्तमान आयकर:** | | 2,602.20 | | 1,277.47 |
| वर्तमान आयकर शुल्क | | 1.06 | | (52.37) |
| गत वर्ष के वर्तमान आयकर के संबंध में समायोजन | | | | |
| आस्थगित कर अस्थायी मतभेदों की उत्पत्ति और उत्क्रमण से संबंधित | | 114.82 | | 57.20 |
| **लाभ या हानि विवरण में सूचित आय कर व्यय** | | **2,718.08** | | **1,282.30** |

(₹ करोड़ में)

| (II) | ओसीआई खंड | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित आस्थगित कर:** | | | | |
| | **ओसीआई के लिए जिसका लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकरण किया जाएगा** | | | | |
| | ओसीआई के लिए नकदी प्रवाह बचाव (लाभ)/हानि पर निवल संचलन | | 72.90 | | 173.45 |
| | **ओसीआई के लिए जिसका लाभ या हानि के लिए पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा** | | | | |
| | परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनः माप पर निवल (लाभ)/हानि | | (17.27) | | (11.75) |
| | एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों पर निवल (लाभ)/हानि* | | (233.81) | | 1.25 |
| | **ओसीआई पर लगाया जाने वाला आयकर** | | **(178.18)** | | **162.95** |

***टिप्पणः**—वित्त अधिनियम 2018 ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 112क/10(38) में संशोधन किया है ताकि प्रतिभूतियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ से आय पर कर शुरू किया जा सके। कंपनी ने एफवीटीओसीआई – इक्विटी प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण उत्पन्न होने वाली अप्राप्त हानि पर ₹ 233.81 करोड़ (गत वर्षः ₹ शून्य) आस्थगित कर देयता को स्वीकार किया है।

**ख. भारत की घरेलू कर दर से गुणा करके कर व्यय और लेखा लाभ का समाधान**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|
| **आयकर से पहले लेखांकन लाभ** | | 11,554.56 | | 6,583.81 |
| भारत की सांविधिक आयकर दर 25.168% पर (31 मार्च 2023% 25.168%) | | 2,908.05 | | 1,657.01 |
| पिछले वर्षों के संबंध में समायोजन – वर्तमान कर | | 1.06 | | (52.37) |
| कटौती के रूप में व्यय की अनुमति नहीं है | | 56.66 | | 53.65 |
| पिछले वर्षों के अन्य अस्थायी अंतर – आस्थति कर | | 4.15 | | (6.01) |
| कटौती योग्य आय | | (251.84) | | (369.99) |
| अन्य समायोजन | | - | | - |
| **आयकर की प्रभावी दर – 23.52% (31 मार्च 2023% 19.48%)** | | 2,718.08 | | 1,282.30 |
| लाभ और हानि विवरण में सूचित आयकर व्यय | | 2,718.08 | | 1,282.30 |
| **कुल** | | **2,718.08** | | **1,282.30** |

**आस्थगित कर**

**आस्थगित कर निम्नलिखित से संबंधित हैः**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | तुलन–पत्र | | लाभ या हानि विवरण | |
|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2023 तक | 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए | 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए |
| कर उद्देश्यों के लिए त्वरित मूल्यह्रास | 6,483.50 | 6,323.52 | 159.98 | 113.58 |
| अन्य देनदारियां | (2.00) | 6.32 | (8.32) | 2.50 |
| भारतीय लेखा मानक समायोजन | 368.08 | 179.09 | 188.99 | (194.48) |
| संदिग्ध ऋण, जमा, संभावित दायित्व आदि के लिए प्रावधान | (519.00) | (462.78) | (56.22) | (17.89) |
| कर्मचारी लाभ का प्रावधान | (227.18) | (201.18) | (26.00) | (25.43) |
| सरकारी अनुदान | (1,139.43) | (1,174.07) | 34.64 | 25.35 |
| धारा 43ख के तहत ब्याज अस्वीकृत | (8.19) | (8.13) | (0.06) | (8.13) |
| **निवल आस्थगित कर देयता** | **4,955.78** | **4,662.78** | **293.00** | **(104.50)** |

**तुलन–पत्र में निम्नानुसार दर्शाया गया हैः**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|
| आस्थगित कर परिसंपत्तियां | | 1,999.45 | | 1,932.97 |
| आस्थगित कर देयताएं | | 6,955.23 | | 6,595.75 |
| **निवल आस्थगित कर देयता** | | **4,955.78** | | **4,662.78** |

**आस्थगित कर देनदारियों का समाधान (निवल):**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|
| 1 "अप्रैल" के रूप में प्रारंभिक शेष राशि | | 4,662.78 | | 4,767.28 |
| लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त अवधि के दौरान कर (आय)/व्यय | | 114.82 | | 57.20 |
| ओसीआई कर में मान्यता प्राप्त अवधि के दौरान कर (आय)/व्यय | | 178.18 | | (161.70) |
| **आस्थगित कर देयता** | | **4,955.78** | | **4,662.78** |

**ख. तुलन–पत्र**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|
| आस्थगित कर देयताएंकर योग्य अस्थायी अंतर के कारण शुद्ध आस्थगित कर देयता | | 4,955.78 | | 4,662.78 |
| | | **4,955.78** | | **4,662.78** |

## टिप्पण: 21 – प्रचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|---|---|
| **क) उत्पादों की बिक्री** | | | | |
| गैस | | 1,13,991.97 | | 1,31,331.85 |
| पॉलिमर | | 7,690.17 | | 4,846.22 |
| एलपीजी | | 3,657.90 | | 4,297.62 |
| प्रोपेन/पेंटेन/एसबीपीएस/नेफ्था | | 624.37 | | 646.58 |
| कच्चा तेल | | 46.30 | | 24.77 |
| सीएनजी एवं पीएनजी | | 596.67 | | 478.07 |
| विद्युत | | 36.26 | | 44.11 |
| **ख) सेवा की बिक्री** | | | | |
| एलपीजी/ नेचुरल गैस ट्रांसमिशन | | 3,624.05 | | 2,290.93 |
| **ग) दूरसंचार सेवाओं से आय** | | 15.84 | | 15.77 |
| **कुल** | | **1,30,283.53** | | **1,43,975.92** |
| जोड़ें: अन्य परिचालन आय | | 354.58 | | 325.69 |
| **कुल** | | **1,30,638.11** | | **1,44,301.61** |

## टिप्पण: 22 – अन्य आय

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|---|---|
| **ब्याज पर** | | | | |
| – बैंकों में जमा | 51.10 | | 33.45 | |
| – आयकर/वैट रिफंड | 0.40 | | - | |
| – ग्राहकों से विलंबित भुगतान | 23.34 | | 5.69 | |
| – संयुक्त उपक्रमों, सहायक और सहयोगी कंपनियों आदि को ऋण | 176.88 | | 219.67 | |
| – कर्मचारियों को ऋण | 566.01 | | 389.60 | |
| – अन्य | 58.96 | | 28.46 | |
| | 15.38 | | 6.49 | |
| निर्माण अवधि के दौरान व्यय में स्थानांतरित (टिप्पण सं. – 28 देखें) | (7.00) | 885.07 | (3.59) | 679.77 |
| लाभांश आय | | | | |
| निवेश से लाभांश | | 316.33 | | 431.90 |
| संबंधित पार्टियों से लाभांश | | 681.38 | | 1,032.07 |
| अन्य गैर–प्रचालन आय | | | | |
| निवेश की बिक्री पर लाभ (म्यूचुअल फंड) | | 4.83 | | 6.81 |
| सरकारी अनुदान का परिशोधन | | 137.70 | | 100.79 |
| विदेशी मुद्रा लेनदेन पर शुद्ध लाभ और अनुवाद | | - | | 295.70 |
| वापस लिखा गया अतिरिक्त प्रावधान | | 120.34 | | 84.02 |
| वित्तीय गारंटी का परिशोधन दायित्व | | 11.66 | | 5.35 |

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|---|---|
| विविध आय | 52.70 | | 51.87 | |
| निर्माण अवधि के दौरान व्यय में स्थानांतरित (टिप्पणी संख्या – 28 देखें) | (2.12) | 50.58 | (3.58) | 48.29 |
| **कुल** | | **2,207.89** | | **2,684.70** |

## टिप्पण: 23 – व्यापार में तैयार माल के स्टॉक की सूची में (वृद्धि)/कमी, कार्यशील पूंजी

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|---|---|
| वर्ष के अंत में मांग सूची | | | | |
| चल रहा कार्य | | 9.61 | | 17.45 |
| तैयार माल | | 711.64 | | 891.47 |
| बिक्री के लिए माल | | 2,944.47 | | 2,737.66 |
| **कुल** | | **3,665.72** | | **3,646.58** |
| वर्ष की शुरुआत में मांग सूची:– | | | | |
| चल रहा कार्य | | 17.45 | | 6.98 |
| तैयार माल | | 891.47 | | 309.69 |
| बिक्री के लिए माल | | 2,737.66 | | 1,369.92 |
| **कुल** | | **3,646.58** | | **1,686.59** |
| | | | | |
| **व्यापार में स्टॉक की सूची में परिवर्तन, तैयार माल और डब्ल्यूआईपी** | | **(19.14)** | | **(1,959.99)** |

## टिप्पण: 24 – कर्मचारियों के लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|---|---|
| वेतन, मजदूरी और भत्ते | 1,836.92 | | 1,507.64 | |
| भविष्य और अन्य निधियों में योगदान (टिप्पण सं. 41 देखें) | 316.36 | | 300.01 | |
| कर्मचारी कल्याण व्यय | 233.90 | 2,387.18 | 153.27 | 1,960.92 |
| – कर्मचारी लाभ व्यय पूंजीगत कार्यशील पूंजी में अंतरित (संदर्भ टिप्पण सं. 28) | (141.05) | | (153.51) | |
| – प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए प्रतिपूर्ति | (173.97) | (315.02) | (90.03) | (243.54) |
| **कुल** | | **2,072.16** | | **1,717.38** |

## टिप्पण: 25 – वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|---|---|
| पर ब्याज | | | | |
| – सावधि ऋण | 725.29 | | 487.99 | |
| – बांड | 115.83 | | 32.31 | |
| – पट्टा देयता | 109.37 | | 76.29 | |
| – अन्य | 251.10 | | 109.77 | |
| पूंजीगत कार्य–प्रगति में अंतरित ब्याज और वित्त प्रभार (टिप्पणी सं. 28 देखें) | (504.08) | 697.51 | (392.21) | 314.15 |
| (लाभ)/डेरिवेटिव के उचित मूल्य में परिवर्तन पर हानि | | (0.63) | | (6.18) |
| उधार पर विदेशी मुद्रा लेनदेन पर शुद्ध (लाभ)/हानि | | 0.35 | | 3.75 |
| **कुल** | | **697.23** | | **311.72** |

## टिप्पण: 26 – मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|---|---|
| मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय | | 3,331.42 | | 2,517.96 |
| हानि क्षति | | 21.32 | | (3.54) |
| मूल्यह्रास और परिशोधन चल रहा पूंजीगत कार्य में स्थानांतरित (टिप्पण सं. 28 देखें) | | (21.92) | | (26.35) |
| **कुल** | | **3,330.82** | | **2,488.07** |

## टिप्पण: 27 – अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|---|---|
| भंडार और अतिरिक्त पुर्जों की खपत | | 496.88 | | 463.30 |
| बिजली, ईंधन और जल प्रभार | | | | |
| विद्युत प्रभार | 440.67 | | 360.79 | |
| ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैस | 4,173.57 | | 3,607.34 | |
| जल प्रभार | 26.89 | 4,641.13 | 23.66 | 3,991.79 |
| किराया | | 12.33 | | 16.72 |
| मरम्मत और रखरखाव | | | | |
| संयंत्र और मशीनरी | 492.33 | | 446.80 | |
| भवन | 61.53 | | 66.71 | |
| अन्य | 100.88 | 654.74 | 94.40 | 607.91 |
| बीमा | | 97.62 | | 116.62 |
| दरें और कर | | 13.58 | | 9.99 |
| विविध व्यय: | | | | |
| – यात्रा व्यय | | 161.48 | | 153.38 |
| – विज्ञापन और प्रचार | | 44.98 | | 37.35 |
| – वाहन किराया और चलने का खर्च | | 64.53 | | 61.66 |
| – सर्वेक्षण व्यय | | 24.37 | | 7.39 |
| – तेल एवं गैस उत्पादन व्यय | | 77.57 | | 66.79 |
| – कच्चे तेल पर रॉयल्टी (लाभ पेट्रोलियम में सरकार की हिस्सेदारी सहित | | 377.36 | | 456.92 |
| – परामर्श शुल्क | | 67.57 | | 54.08 |
| – अनुसंधान एवं विकास व्यय | | 20.36 | | 12.39 |
| – वित्तीय गारंटी पर संभावित हानि क्षति (टिप्पणी सं. 48 (II) देखें) | | 46.05 | | 46.62 |
| – निवेश पर हानि के लिए प्रावधान | | - | | 55.38 |
| – परिसंपत्तियों की बिक्री/बट्टे खाते में डाली गई हानि (शुद्ध) | | 23.52 | | 5.84 |
| – अशोध्य ऋण/दावे/अग्रिम/बट्टे खाते में डाली गई भण्डार | | 0.28 | | 1.12 |
| – संदिग्ध ऋण, अग्रिम, दावे और जमा के लिए प्रावधान | | 21.30 | | 24.89 |
| – प्रगति पर पूंजीगत कार्य पर हानि के लिए प्रावधान | | 175.32 | | 113.08 |
| – संभावित दायित्वों/आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान | | 159.96 | | 49.98 |
| – बिक्री और वितरण व्यय | | 128.35 | | 62.04 |
| – सुरक्षा व्यय | | 252.34 | | 232.81 |
| – कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (टिप्पणी सं. 30 देखें) | | 175.71 | | 99.10 |
| – कमोडिटी डेरिवेटिव पर हानि/(लाभ) (शुद्ध) | | (0.39) | | (114.93) |
| – गैस रखरखाव/ट्रांसमिशन हानि | | 154.83 | | 151.72 |
| – डेटा प्रोसेसिंग व्यय | | 61.91 | | 39.21 |
| – अन्य व्यय | | 149.63 | | 166.29 |
| – विदेशी मुद्रा लेनदेन पर हानि/(लाभ) और अनुवाद | | 15.36 | | - |

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|---|---|
| **लेखा परीक्षकों को भुगतान** | | | | |
| लेखापरीक्षा शुल्क | 0.86 | | 0.82 | |
| कर लेखापरीक्षा शुल्क | 0.11 | | 0.11 | |
| अन्य सेवाएं (प्रमाण–पत्र आदि जारी करने के लिए) | 0.43 | | 0.45 | |
| यात्रा और जेब से किया गया खर्च | 0.37 | 1.77 | 0.40 | 1.78 |
| निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय चल रहे पूंजीगत कार्य में स्थानांतरित (संदर्भ टिप्पण सं. 28) | | (34.42) | | (33.76) |
| **कुल** | | **8,086.02** | | **6,957.46** |

## टिप्पण: 28 – निर्माण अवधि के दौरान व्यय

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए | | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|---|---|
| कर्मचारियों का पारिश्रमिक और लाभ | | | | |
| वेतन, मजदूरी और भत्ते | 127.63 | | 137.32 | |
| भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान | 7.61 | | 8.93 | |
| कल्याण व्यय | 5.81 | 141.05 | 7.26 | 153.51 |
| ब्याज और वित्त प्रभार | | 504.08 | | 392.21 |
| मूल्यह्रास | | 21.92 | | 26.35 |
| विद्युत प्रभार | | 7.34 | | 3.41 |
| किराया | | 0.18 | | 1.81 |
| मरम्मत और रखरखाव | | | | |
| संयंत्र और मशीनरी | 4.88 | | 3.83 | |
| भवन | - | | 0.11 | |
| अन्य | 0.58 | 5.46 | 0.32 | 4.26 |
| दरें और कर | | 0.13 | | 0.08 |
| विविध व्यय: | | | | |
| – यात्रा व्यय | 10.48 | | 9.27 | |
| – विज्ञापन और प्रचार | - | | 0.37 | |
| – वाहन किराया और चलने का खर्च | 0.29 | | 2.08 | |
| – परामर्श शुल्क | 0.06 | | 0.71 | |
| – अन्य व्यय | 10.48 | 21.31 | 11.77 | 24.20 |
| आय | | | | |
| – ब्याज आय | 7.00 | | 3.59 | |
| – विविध आय | 2.12 | (9.12) | 3.58 | (7.17) |
| **निवल व्यय** | | **692.35** | | **598.66** |
| घटा: पूंजीगत चल रहे पूंजीगत कार्य के लिए आबंटित | | | | |
| क) कर्मचारी लाभ व्यय | | 141.05 | | 153.51 |
| ख) ब्याज और वित्त प्रभार | | 504.08 | | 392.21 |
| ग) मूल्यह्रास | | 21.92 | | 26.35 |
| घ) अन्य व्यय | | 34.42 | | 33.76 |
| | | 701.47 | | 605.83 |
| ड.) अन्य आय | | (9.12) | | (7.17) |
| **उप योग** | | **692.35** | | **598.66** |
| **कुल** | | **-** | | **-** |

## 29 आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं:

**I. आकस्मिक देयताएं:**

**क) कंपनी के खिलाफ दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:**

(i) परिसमाप्त नुकसान/कीमत में कमी अनुसूची, प्राकृतिक गैस की कीमत में अंतर आदि के कारण और प्राकृतिक गैस संचरण शुल्क आदि के लिए ग्राहकों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों आदि द्वारा ₹ 2,353.27 करोड़ (गत वर्ष: ₹ 2,118.27 करोड़) के नुकसान के कानूनी मामले।

(ii) ₹ 0.40 करोड़ (गत वर्ष: ₹ 0.40 करोड़) की आयकर मांगें और अपीलें लंबित हैं और 31 मार्च 2024 को आकस्मिक देयता के रूप में बंद कर दी गई हैं।

(iii) विवादित अप्रत्यक्ष कर मांगें इस प्रकार हैं:

**(₹ करोड़ में)**

| | विवरण | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2023** तक |
|---|---|---|---|
| 1 | सीमा शुल्करु | 657.42 | 1,560.81 |
| 2 | उत्पाद शुल्क* | 3,898.83 | 3,731.94 |
| 3 | बिक्री कर/वैट^ | 147.20 | 868.77 |
| 4 | प्रवेश कर | 0.85 | 0.80 |
| 5 | सेवा कर | 7.55 | 7.31 |
| 6 | जीएसटी | 13.81 | 0.85 |
| | **कुल** | **4,725.66** | **6,170.48** |

'इसमें कंपनी द्वारा निर्मित 'नेफ्था' के वर्गीकरण से संबंधित मामले में ब्याज और जुर्माना सहित ₹ 2,889 करोड़ के अंतर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की मांग शामिल है, जिसकी पुष्टि सीईएसटीएटी, दिल्ली द्वारा 30 नवंबर 2018 के आदेश द्वारा की गई है। कंपनी ने आदेश के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ₹ 20 करोड़ की राशि जमा करने और ₹ 132 करोड़ की सीमा तक सुरक्षा प्रदान करने की शर्तों के अनुपालन पर रोक लगा दी गई है। कंपनी ने कानूनी विशेषज्ञों से राय ली है और उनके अनुसार, कंपनी के पास मेरिट के साथ–साथ सीमा के मुद्दे दोनों पर एक ठोस मामला बनता है। मामला फिलहाल अदालत में लंबित है। तदनुसार, ब्याज और जुर्माने सहित ₹ 3,517 करोड़ (गत वर्ष: ₹ 3,391 करोड़) की राशि 31 मार्च 2024 तक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट की गई है।

(iv) ₹ 9.66 करोड़ (गत वर्ष: ₹ 14.01 करोड़) के विविध दावों में मुख्य रूप से विक्रेताओं द्वारा विलंबित भुगतान और उनके द्वारा उठाए गए नुकसान आदि के लिए दायर मध्यस्थता मामले शामिल हैं।

(v) कुछ ग्राहकों ने गैस की आपूर्ति नहीं करने के लिए शिप या पे–चार्ज/परिणामी नुकसान के खिलाफ ₹ 32,600 करोड़ (गत वर्ष: शून्य) की राशि के प्रति दावे प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से कंपनी को पिछले कुछ मामलों में मध्यस्थ न्यायाधिकरण से ₹ 31,829 करोड़ के लिए अनुकूल आदेश मिला था।

**ख. ऋण जुटाने के लिए कॉर्पोरेट गारंटी**

कंपनी ने ऋण जुटाने के लिए संबंधित पार्टियों की ओर से ₹ 4,604.51 करोड़ (गत वर्ष: ₹ 4,583.74 करोड़) की कॉर्पोरेट गारंटी जारी की है। इन कॉर्पोरेट गारंटियों के तहत 31 मार्च, 2024 तक बकाया ऋणों की राशि ₹ 1,918.82 करोड़ (गत वर्ष: ₹ 1,543.30 करोड़) है। इसके अलावा, कंपनी ने संबंधित पार्टियों की ओर से गैर–निधि आधारित सुविधाओं के लिए ₹ 12,079.30 करोड़ (गत वर्ष ₹ 13,048.56 करोड़) की कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान की है।

**II. प्रतिबद्धताएं:**

**क. पूंजीगत प्रतिबद्धता:**

31 मार्च 2024 को पूंजी खाते पर निष्पादित की जाने वाली संविदाओं की अनुमानित राशि (कर और अग्रिमों के निवल सहित) ₹ 11,484.02 करोड़ (गत वर्ष: ₹ 12,381.09 करोड़) है।

**(ख) पट्टा प्रतिबद्धताएं:**

कंपनी के पास विभिन्न पट्टा संविदाएं हैं जो अभी तक 31 मार्च 2024 तक शुरू नहीं हुई हैं। इन गैर–रद्द करने योग्य पट्टा संविदाओं के लिए भावी पट्टे के भुगतान इस प्रकार हैं:

**(₹ करोड़ में)**

| विवरण | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|
| एक वर्ष के भीतर | - | 111.71 |
| एक वर्ष के बाद लेकिन पांच वर्ष से अधिक नहीं | - | 1,481.31 |
| पांच वर्ष से अधिक | - | 345.42 |
| **कुल** | **-** | **1,938.45** |

**ग. अन्य प्रतिबद्धताएं:**

(i) कंपनी के पास सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों, संबद्ध कंपनियों और अन्य कंपनियों में ऋण के आगे निवेश और वितरण के लिए ₹ 4,680.01 करोड़ (गत वर्ष: ₹ 4,357.27 करोड़) की प्रतिबद्धता है।

(ii) ईएंडपी संयुक्त उद्यमों के संबंध में विभिन्न उत्पादन साझेदारी संविदाओं/राजस्व हिस्सेदारी संविदाओं के तहत संयुक्त रूप से नियंत्रित परिसंपत्तियों के संबंध में न्यूनतम कार्य कार्यक्रम के प्रति कंपनी द्वारा की गई प्रतिबद्धताएं ₹ 43.79 करोड़ (गत वर्ष ₹ 114.93 करोड़) हैं।

(iii) कंपनी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी), भारत सरकार द्वारा जगदीशपुर–हल्दिया–बोकारो–धामरा पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) के साथ छह भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) में नगर गैस वितरण (सीजीडी) परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अधिकृत किया गया है। इसके लिए न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) (उपलब्धि बनाम लक्ष्य) का विवरण निम्नानुसार है:

| एमडब्ल्यूपी लक्ष्य (पांच वर्ष) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| भौगोलिक क्षेत्र | समापन तारीख – संशोधित लक्ष्य तारीख | पीएनजीआरबी – एमडब्ल्यूपी कुल पाइपलाइन इंच कि.मी. में | 31 मार्च, 2024 तक संचयी उपलब्धि (पाइपलाइन इंच कि.मी. में) | पीएनजी कनेक्शन के लिए बुनियादी ढांचा (संख्या में) | 31 मार्च, 2024 तक संचयी उपलब्धि (संख्या में) |
| | | लक्ष्य | वास्तविक | लक्ष्य | वास्तविक |
| वाराणसी | 31 मार्च, 2025 | 1899 | 2350 | 40211 | 82749 |
| भुवनेश्वर | | 1513 | 1121 | 26900 | 60684 |
| कटक | | 1416 | 635 | 28959 | 28360 |
| पटना | | 2445 | 1934 | 50154 | 70636 |
| रांची | | 1800 | 1547 | 29962 | 57567 |
| जमशेदपुर | | 1282 | 634 | 24278 | 42952 |
| **कुल** | | **10355** | **8221** | **200464** | **342948** |

## 30 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) से संबंधित प्रकटीकरणः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, अपनी सीएसआर नीति के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करना आवश्यक है। सीएसआर व्यय का विवरण इस प्रकार हैः

**सी.एस.आर. व्यय के संबंध में प्रकटीकरण निम्नानुसार हैः**

**(₹ करोड़ में)**

| विवरण | 2023–24 | 2022–23 |
|---|---|---|
| i. **वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि** | | |
| वार्षिक सीएसआर आवंटन | 174.82 | 105.42 |
| गत वर्ष से अग्रेनीत राशि | - | - |
| खर्च करने के लिए अपेक्षित कुल राशि, 2% की दर से (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधान के अनुसार) | 150.77 | 165.05 |
| पिछले वर्षों से उपलब्ध राशि का समायोजन | 8.32 | 74.27 |
| वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व | 142.45 | 90.78 |
| (ii) किए गए व्यय की राशि | 175.71 | 99.10 |
| क. आगामी वर्षों के लिए समायोजन उपलब्ध है | 33.26 | 8.32 |
| (iii) वर्ष के अंत में कमी | - | - |
| (iv) पिछले वर्षों की कुल कमी | - | - |
| (v) कमी के कारण | लागू नहीं | लागू नहीं |
| (vi) सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति | नीचे 30 (II) के अनुसार | नीचे 30 (II) के अनुसार |
| (vii) संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरणः प्रासंगिक लेखा मानकों के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान | शून्य | शून्य |
| (viii) **सीएसआर व्यय के लिए प्रावधानों का संचलन** | | |
| प्रारंभिक शेष | 24.36 | 20.86 |
| वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान | 175.71 | 99.10 |
| वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि* | 163.26 | 95.60 |
| अंतिम शेष | 36.81 | 24.36 |

*भुगतान की गई राशि में पिछले वर्षों में सृजित देयता का भुगतान भी शामिल है।

ii. प्रमुख शीर्षों के तहत सीएसआर व्यय का ब्योरा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2023–24 | | | 2022–23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | नकद में | अभी भुगतान किया जाना है** | कुल | नकद में | अभी भुगतान किया जाना है** | कुल |
| (i) किन्हीं परिसंपत्तियों का निर्माण/अधिग्रहण | - | - | - | - | - | - |
| (ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए | | | | | | |
| आरोग्य (स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल और स्वच्छता) | 74.46 | 15.57 | 90.03 | 25.74 | 1.87 | 27.61 |
| कौशल (कौशल विकास और आजीविका पहल) | 6.84 | 0.95 | 7.79 | 5.28 | 0.70 | 5.98 |
| उज्ज्वल (शिक्षा केंद्रित पहल) | 22.60 | 1.89 | 24.49 | 11.29 | 1.18 | 12.47 |
| उन्नति (ग्रामीण विकास परियोजनाएं) | 12.36 | 0.92 | 13.28 | 1.19 | 0.64 | 1.83 |
| सशक्त (महिला अधिकारिता) | 6.03 | 2.10 | 8.13 | 30.40 | 1.39 | 31.79 |
| सक्षम (बुजुर्गों और दिव्यांगों की देखभाल) | 1.66 | 0.14 | 1.80 | 1.98 | 2.05 | 4.03 |
| हरित (हरित पहल) | 17.72 | 1.62 | 19.34 | 6.99 | 0.58 | 7.57 |
| अन्य – पीएम केयर, खेलकूद, आपदा प्रबंधन आदि को बढ़ावा देना | 2.82 | - | 2.82 | 1.12 | 1.72 | 2.84 |
| **कुल व्यय (ii)** | **144.49** | **23.19** | **167.68** | **83.99** | **10.13** | **94.12** |
| प्रभाव आकलन (iii) | - | - | - | 0.49 | - | 0.49 |
| क्षमता निर्माण/प्रशासन उपरि शीर्ष (पअ) | 6.85 | 1.18 | 8.03 | 4.49 | - | 4.49 |
| **कुल योग (i), (ii), (iii) और (iv)** | **151.34** | **24.37** | **175.71** | **88.97** | **10.13** | **99.10** |
| पिछले वर्षों की परियोजनाओं के लिए धनवापसी/समायोजन (अ) | - | - | - | - | - | - |
| **निवल राशि (i) से (iv) – (v)** | **151.34** | **24.37** | **175.71** | **88.97** | **10.13** | **99.10** |

**व्यय की गई देनदारियों हेतु किए गए प्रावधान

## 31. कंपनी द्वारा आय/परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार न किए गए दावे

i. कुछ ग्राहकों के संबंध में पोत या भुगतान शुल्क के संबंध में, मामला विचाराधीन/विवादाधीन होने के कारण, कंपनी दावा पत्र जारी कर रही है, जो कि 31 मार्च 2024 तक ₹ 1,744.84 करोड (गत वर्ष: ₹ 1,747.05 करोड़) की राशि है। इसके संबंध में जब भी मामला अंतिम रूप से तय हो जाएगा, आय को दर्ज किया जाएगा।

ii. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एंड एनजी) के दिशानिर्देशों के अनुसार उर्वरक कंपनियों द्वारा गैर–निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए एपीएम गैस के उपयोग हेतु कंपनी द्वारा प्रस्तुत चालानों की वसूली के लिए कुछ ग्राहकों के संबंध में न्यायालय में मामले लंबित होने के कारण, कंपनी ने उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर ₹ 1,704.56 करोड़ (गत वर्ष: ₹ 1,704.56 करोड़ रुपए) की राशि के दावे पत्र जारी किए हैं। इनके प्राप्त होने पर, आय को गैस पूल में अंतरित कर दिया जाएगा।

iii. कंपनी के एलएनजी आपूर्तिकर्ताओं में से एक ने वित्त वर्ष 2022–23 में कुछ मात्रा में आपूर्ति नहीं की। कंपनी ने इस स्थिति को हल करने के लिए मध्यस्थता के माध्यम से अपने संविदात्मक अधिकारों का पालन किया है, जो कि निर्णय के लिए लंबित है। उक्त मध्यस्थता से कंपनी पर होने वाले वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, का आकलन मध्यस्थता कार्यवाही के अंतिम परिणाम के बाद किया जाएगा।

## 32 मूल्य निर्धारण और टैरिफ

i. 1 अप्रैल 2002 से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की कीमतों को नियंत्रणमुक्त किया गया है और तेल विपणन कंपनियों द्वारा इन्हें निर्धारित आयात सममूल्य कीमतों के आधार पर तय किया जाता है। तथापि, मूल्य निर्धारण प्रणाली अनंतिम है और इसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) द्वारा अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। मूल्य निर्धारण पर प्रभाव, यदि कोई हो, का मामले को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही पता लगेगा।

ii. प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ समय–समय पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा जारी किए गए विभिन्न विनियमों के अधीन हैं। लाभ पर प्रभाव, यदि कोई हो, को पीएनजीआरबी के आदेशों द्वारा पाइपलाइन शुल्क में संशोधन के रूप में लगातार पहचाना जा रहा है।

iiii. कंपनी ने दादरी–बवाना–नंगल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (डीबीएनपीएल), चैनसा–झज्जर–हिसार प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (सीजेएचपीएल), कावेरी बेसिन, कोच्चि–कुट्टनाड–बेंगलुरु–मंगलुरु पाइपलाइन (केकेएमबीपीएल), कृष्णा गोदावरी बेसिन (केजी बेसिन) और दाभोल–बैंगलोर पाइपलाइन (डीबीपीएल) नेटवर्क के लिए पीएनजीआरबी द्वारा जारी अंतिम टैरिफ आदेश (आदेशों) के संबंध में पीएनजीआरबी द्वारा किए गए विभिन्न संशोधनों के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) के समक्ष अपील दायर की है। ये अंतिम अधिनिर्णय के लिए लंबित हैं।

iv. वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, कंपनी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की है जिसमें उपभोक्ताओं के लिए विपणन प्राकृतिक गैस के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ तय करने के पीएनजीआरबी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को अपने दिनांक 11 अप्रैल 2017 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया है। इस संबंध में, कंपनी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 12 मई 2017 को एक समीक्षा याचिका दायर की है जिसे माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और यह अंतिम निर्णय के लिए लंबित है।

v. पीएनजीआरबी ने 10 अप्रैल, 2024 की राजपत्र अधिसूचना सं. एफ. सं. पीएनजीआरबी/कॉम/ 11–पीपीपीएल (1)/2024 खंड–ए (ई–5022) के माध्यम से मौजूदा एलपीजी पाइपलाइन टैरिफ को 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया है।

**33.** 19 फरवरी 2014 को, पीएनजीआरबी ने विनियम 5क को सम्मिलित करके संशोधित संबद्ध आचार संहिता विनियमों को अधिसूचित किया, जिसमें कहा गया था कि प्राकृतिक गैस के विपणन और परिवहन दोनों में लगी एक यूनिट 31 मार्च 2017 को या उससे पहले एक अलग कानूनी यूनिट बनाएगी ताकि प्राकृतिक गैस के परिवहन की गतिविधि ऐसी अलग कानूनी यूनिट द्वारा की जाए और पहले उपयोग का अधिकार, हालांकि, ऐसी अलग कानूनी यूनिट की संबद्ध इकाई को उपलब्ध होगा। कंपनी ने उक्त पीएनजीआरबी विनियमन को एक रिट याचिका के माध्यम से माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है और यह अंतिम निर्णय के लिए लंबित है।

पीएनजीआरबी (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2022 दिनांक 17 नवंबर 2022 की अधिसूचना के अनुसरण में, और गेल के बाद के प्रस्तुतीकरण के अनुसार, टैरिफ आदेश दिनांक 22 मार्च 2023 और 24 मार्च 2023 के माध्यम से 1 अप्रैल 2023 से गेल की एकीकृत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (एकीकृत एचवीजे, डीयूपीएल–डीपीपीएल, डीबीपीएल, डीबीएनपीएल, सीजेएचपीएल, जेएचबीडीपीएल, दक्षिण गुजरात उप–नेटवर्क, ट्रॉम्बे और उरण–थाल–उसर उप–नेटवर्क शामिल) के लिए एकीकृत टैरिफ (स्तरीकृत और अंचल विभाजन) निर्धारित किया गया है।

**34** पीएनजीआरबी (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 2020 दिनांक 23 नवंबर 2020 की अधिसूचना के अनुसार और दिनांक 29 मार्च 2023 के टैरिफ आदेश द्वारा पीएनजीआरबी (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2008 में संशोधन ने राष्ट्रीय गैस ग्रिड सिस्टम (एनजीजीएस) के लिए 'एकीकृत टैरिफ' निर्धारित किया है, जो 1 अप्रैल, 2023 से लागू हो गया है। एनजीजीएस में नौ (09) कंपनियों की बारह (12) परस्पर संबद्ध प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शामिल हैं। इसके तहत, देश भर में और एनजीजीएस पर स्थित ग्राहकों/शिपर्स को एनजीजीएस पर एकीकृत प्रवेश बिंदु से एकीकृत निकास बिंदु तक गैस की आवाजाही के लिए समान लागू जोनल एकीकृत टैरिफ का भुगतान करना होगा। तथापि, गेल की राजस्व पात्रता अपने स्वीकृत अंचल एकीकृत टैरिफ और केजी–बेसिन टैरिफ के अनुसार होगी जो एनजीजीएस का हिस्सा हैं।

पीएनजीआरबी ने दिनांक 31.05.2023 के टैरिफ आदेश संदर्भ सं. टीओ/2023–24/02 के तहत अगरतला क्षेत्रीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क का संशोधित टैरिफ 1.02/एमएमबीटीयू की तुलना में 01.06.2023 से 2.06/एमएमबीटीयू निर्धारित किया है और दिनांक 27.12.2023 के टैरिफ आदेश संदर्भ सं. टीओ/2023–24/11 के तहत केजी–बेसिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क का संशोधित टैरिफ 16.14/एमएमबीटीयू की तुलना में 01.01.2024 से 8.40/एमएमबीटीयू निर्धारित किया है, जिससे ट्रांसमिशन राजस्व प्रभावित हुआ है।

**35** 1 जून 2023 को, कंपनी ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (समाधान योजना) द्वारा अनुमोदित दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के तहत कार्यान्वित कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के अनुसार गेल मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (जीएमपीएल) (जिसे पहले जेबीएफ पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। गेल ने समाधान योजना के अनुसार दावों के निपटान के लिए समाधान योजना के लिए 1 जून 2023 को कंपनी में ₹ 2,101 करोड़ (इक्विटी: 625 करोड़ और ऋण: ₹ 1,476 करोड़) डाले। तदनुसार, गेल के पक्ष में 62.50 करोड़ इक्विटी शेयर आवंटित किए गए और जेबीएफपीएल 1 जून 2023 से गेल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई। बाद में गेल ने 31 मार्च 2024 तक इक्विटी के रूप में ₹ 88 करोड़` और निवेश किए। वर्तमान में गेल के पास जीएमपीएल में 71.30 करोड़ इक्विटी शेयर हैं।

## 36 भूमि और निर्माण:

**I. 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कंपनी के नाम पर नहीं होने वाले भूमि स्वामित्व का विवरण**

| क्र. सं. | तुलन–पत्र में संबंधित लाइन | संपत्ति की मद का विवरण | सकल वहन मूल्य (करोड़ में) | (मालिक/मालिक के नाम) के नाम पर धारित अधिकार विलेख | क्या अधिकार विलेख धारक प्रमोटर*, निदेशक या रिश्तेदार# प्रमोटर/निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है | संपत्ति किस तारीख से धारित | कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण* (*विवाद होने पर भी बताएं) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | भूमि एसवी–6 – खजोद | 2.53 | डायमंड रिसर्च मर्केंटाइल सिटी लिमिटेड | नहीं | 15-07-07 | मामला सूरत नगर निगम के पास लंबित |
| 2 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | भूमि आईपी–2 अतिरिक्त सिलवासा | 0.06 | रमीलाबेन पाटकर/एसएलएओ | नहीं | 30-09-07 | मामला मुंबई, उच्च न्यायालय में लंबित है |
| 3 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | भूमि एसवी–13 – दापचेरी | - | डेयरी विकास बोर्ड, महाराष्ट्र | नहीं | 17-06-09 | मामला राजस्व प्राधिकारी, जिला कलेक्टर पालघर के पास लंबित |
| 4 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | मोरा एचएलपीएल पाइपलाइन (डीयूपीएल) में भूमि | 7.36 | गुजरात सरकार | नहीं | 03-07-22 | मामले को एसएलएओ के माध्यम से कलेक्टर सूरत के साथ उठाया जा रहा है। |
| 5 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | भूमि – एसवी स्टेशन.–2, प्रधानपुर | 0.08 | श्री राम खेलावन एवं अन्य (प्लॉट नं. 448) और श्री. राम सेवक एवं अन्य (प्लॉट नं. 446) | नहीं | 16-09-15 | डीएम कार्यालय, रायबरेली में लंबित |

| क्र. सं. | तुलन–पत्र में संबंधित लाइन | संपत्ति की मद का विवरण | सकल वहन मूल्य (करोड़ में) | (मालिक/मालिक के नाम) के नाम पर धारित अधिकार विलेख | क्या अधिकार विलेख धारक प्रमोटर*, निदेशक या रिश्तेदार# प्रमोटर/निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है | संपत्ति किस तारीख से धारित | कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण* (*विवाद होने पर भी बताए) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | भूमि – एसवी स्टेशन – 3, नारायणपुर | 0.12 | बहु किसान | नहीं | 16-09-15 | अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने के लिए एसएलएओ के पास लंबित है। |
| 7 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | भूमि – एसवी स्टेशन, – 4 महियामऊ दिबियापुर | 0.40 | बहु किसान | नहीं | 16-09-15 | अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने के लिए एसएलएओ के पास लंबित। |
| 8 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | भूमि एसवी–2 लाखाबावल, जामनगर, गुजरात | 4.56 | सरकारी भूमि | नहीं | 24-11-99 | अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने के लिए एसएलएओ के पास लंबित। |
| 9 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | फ्रीहोल्ड भूमि–एसवी 12 नैनोली क्षेत्र | 0.02 | महाराष्ट्र सरकार | नहीं | 08-08-08 | मामला ग्राम पंचायत नानोली, मावल, पुणे के पास लंबित |
| 10 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | फ्रीहोल्ड भूमि एसवी कोपर अलीबाग | 0.02 | आईपीसीएल | नहीं | 21-08-95 | मामला तहसीलदार और तलाटी, अलीबाग के पास लंबित |
| 11 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | धोकावाड़ा में फ्रीहोल्ड भूमि, तहसीलदार –अलीबाग | 0.00 | ओएनजीसी | नहीं | 26-10-99 | नाम हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है। |
| 12 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | भूमि आईपी–01–3, (भाग–3) सर्वेक्षण संख्या 37/21बी, पुर गांव, संगमेश्वर तहसील, रत्नागिरी जिला | 0.03 | बहु किसान | नहीं | 12-06-12 | बहु किसान – भूमि मालिक के साथ मामला उठाने के लिए एजेंसी की सेवाएं ली गईं |
| 13 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | भूमि आईपी–01–4, (भाग–4) सर्वेक्षण संख्या 14/14, पुर गांव, संगमेश्वर तहसील, रत्नागिरी जिला | 0.03 | बहु किसान | नहीं | 12-06-12 | बहु किसान – भूमि मालिक के साथ मामला उठाने के लिए एजेंसी की सेवाएं ली गईं |
| 14 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | भूमि आईपी–01–5, (भाग–5) सर्वेक्षण संख्या 37/28ए1, पुर गांव, संगमेश्वर तहसील, रत्नागिरी जिला | 0.01 | बहु किसान | नहीं | 12-06-12 | बहु किसान – भूमि मालिक के साथ मामला उठाने के लिए एजेंसी की सेवाएं ली गईं |
| 15 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | भूमि–एसवी–05जी, मारकाइम गांव के सर्वेक्षण संख्या 391/1 पर, पोंडा तालुका, मारकाइम कम्यूनिटीडा, गोवा | 0.64 | गोवा सरकार | नहीं | 30-05-11 | मामला गोवा सरकार के पास लंबित |
| 16 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | भूमि आईपी–। कोल्हापुर–डीबीपीएल–। आईपी–। गांव–पुर 8/11 (20 गुंथा)37/15 | 0.16 | बहु किसान | नहीं | 12-06-12 | बहु किसान – भूमि मालिक के साथ मामला उठाने के लिए एजेंसी की सेवाएं ली गईं |
| 17 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | भूमि आईपी–। कोल्हापुर–डीबीपीएल–। आईपी–। गांव–पुर 9/11 (42 गुंथा) 37/16 | 0.33 | बहु किसान | नहीं | 12-06-12 | बहु किसान – भूमि मालिक के साथ मामला उठाने के लिए एजेंसी की सेवाएं ली गईं |
| 18 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | भूमि आईपी–। कोल्हापुर–डीबीपीएल–। आईपी–। गांव–पुर 10/11 (9 गुंथा)37/19 | 0.07 | बहु किसान | नहीं | 12-06-12 | बहु किसान – भूमि मालिक के साथ मामला उठाने के लिए एजेंसी की सेवाएं ली गईं |
| 19 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | भूमि आईपी–। कोल्हापुर–डीबीपीएल–। आईपी–। गांव–पुर 11/11 (10 गुंथा)37/2 | 0.08 | बहु किसान | नहीं | 12-06-12 | मामला राज्य सरकार के पास लंबित |
| 20 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | भूमि रानासन गांव, तालुका और जिला गांधीनगर में | 0.00 | एकाधिक व्यक्ति | No | 01-02-03 | मामला राज्य सरकार के पास लंबित |

| क्र. सं. | तुलन–पत्र में संबंधित लाइन | संपत्ति की मद का विवरण | सकल वहन मूल्य (करोड़ में) | (मालिक/मालिक के नाम) के नाम पर धारित अधिकार विलेख | क्या अधिकार विलेख धारक प्रमोटर*, निदेशक या रिश्तेदार# प्रमोटर/निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है | संपत्ति किस तारीख से धारित | कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण* (*विवाद होने पर भी बताए) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | भूमि तारखंडा गांव, तालुका हलोल, जिला पंच महल, गुजरात में | 0.00 | एकाधिक व्यक्ति | नहीं | 22-09-05 | मामला राज्य सरकार के पास लंबित |
| 22 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | भूमि – सीजेपीएल कन्हाई गांव से हीरो होंडा, हरियाणा | 1.22 | भूमि हरियाणा सहकारी विकास परिषद की है | नहीं | 13-03-11 | मामला हरियाणा विकास प्राधिकरण के पास लंबित |
| 23 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | भूमि 4.57 हेक्टेयर जीआईडीसी, वाघोडिया | 0.25 | गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) | नहीं | 28-06-91 | मामला गुजरात सरकार के पास लंबित |
| 24 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | पट्टा धारित भूमि – खानो, गोवा | 0.64 | सरकारी भूमि | नहीं | 10-06-11 | मामला गोवा सरकार के पास लंबित |
| 25 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल– I– एसवी–14 पट्टा–सह–बिक्री | 0.01 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 02-02-11 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| 26 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल– I– एसवी–15 पट्टा–सह–बिक्री | 0.01 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 02-02-11 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| 27 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल– I –एसवी–17 पट्टा–सह–बिक्री | 0.00 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 20-03-11 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| 28 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल– I– एसवी–18 पट्टा–सह–बिक्री | 0.01 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 28-03-11 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| 29 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल– I– एसवी–21 पट्टा–सह–बिक्री | 0.08 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 28-03-11 | मामला केआईएडीबी के पास लंबित |
| 30 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल–I –एसवी–16 पट्टा–सह–बिक्री | 0.01 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 30-09-11 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| 31 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल–I –एसवी–20 पट्टा–सह–बिक्री | 0.02 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 14-10-11 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| 32 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल– I– आईपी–05 पट्टा–सह–बिक्री | 0.08 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 02-11-11 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| 33 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल– I– आईपी–06 पट्टा–सह–बिक्री | 0.03 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 13-03-12 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| 34 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल– I– एसवी–22 पट्टा–सह–बिक्री | 0.09 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 10-07-12 | मामला केआईएडीबी के पास लंबित |

| क्र. सं. | तुलन–पत्र में संबंधित लाइन | संपत्ति की मद का विवरण | सकल वहन मूल्य (करोड़ में) | (मालिक/मालिक के नाम) के नाम पर धारित अधिकार विलेख | क्या अधिकार विलेख धारक प्रमोटर*, निदेशक या रिश्तेदार# प्रमोटर/निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है | संपत्ति किस तारीख से धारित | कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण* (*विवाद होने पर भी बताएं) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल– I– एसवी–12 पट्टा–सह–बिक्री | 0.01 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 28-03-11 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| 36 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल– I– एसवी–11 पट्टा–सह–बिक्री | 0.00 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 22-06-11 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| 37 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल– I– आईपी–07 पट्टा–सह–बिक्री | 0.08 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 25-07-11 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| 38 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल– I– आईपी–03 पट्टा–सह–बिक्री | 0.06 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 02-11-11 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| 39 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल– I– एसवी–19 पट्टा–सह–बिक्री | 0.11 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 08-02-12 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| 40 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल– I– एसवी–13 पट्टा–सह–बिक्री | 0.04 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 13-03-12 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| 41 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | केआईएडीबी–पट्टा भूमि 02 वर्ष डीबीपीएल– I– आईपी–06 पट्टा–सह–बिक्री | 1.08 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 20-06-22 | मामला केआईएडीबी के पास लंबित |
| 42 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल– एसवी– 09– पट्टा–सह–बिक्री | 0.02 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 02-11-12 | मामला केआईएडीबी के पास लंबित |
| 43 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | पट्टा एसवी, गांव सिंहवासा, तहसील और जिला गुना, मध्य प्रदेश | 0.00 | सरकारी भूमि | नहीं | 14-12-95 | मामला राज्य सरकार के पास लंबित |
| 44 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | एसवी, गांव मंडोला, तहसील और जिला बारां, राजस्थान, 325205 | 0.00 | श्री बिशन लाल | नहीं | 05-04-07 | मामला राज्य सरकार के पास लंबित |
| 45 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | पट्टा–पी 25 मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर, मध्य प्रदेश | 0.12 | सरकारी भूमि | नहीं | 30-11-05 | पट्टा विलेख मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) के पास लंबित |
| 46 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | बुढ़ा तहसील बरद, शिवपुरी, मध्य प्रदेश | 0.14 | सरकारी भूमि | नहीं | 10-08-22 | मामला राज्य सरकार के पास लंबित |
| 47 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | पट्टा धारित भूमि सर्वेक्षण सं. 99,100, एलूर गांव, परावुर तालुक और सर्वेक्षण सं.205/37, वडावुकोड – पुथेनक्रूज, एर्नाकुलम, केरल | 4.79 | फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (फैक्ट) | नहीं | 08-03-11 | मामला फैक्ट के पास विचाराधीन |
| 48 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | पट्टा धारित भूमि – 30.00 हेक्टेयर– (90 वर्ष), उत्तर प्रदेश | 1.33 | वन विभाग | नहीं | 08-12-00 | मामला राज्य सरकार के पास समझौता के लिए लंबित |
| 49 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | भूमि–एसवी 27 सेल बोकारो, जेएचबीडीपीएल, झारखंड | 0.43 | सेल, बोकारो | नहीं | 28-08-19 | पट्टा करार का निष्पादन प्रक्रियाधीन |

| क्र. सं. | तुलन–पत्र में संबंधित लाइन | संपत्ति की मद का विवरण | सकल वहन मूल्य (करोड़ में) | (मालिक/मालिक के नाम) के नाम पर धारित अधिकार विलेख | क्या अधिकार विलेख धारक प्रमोटर*, निदेशक या रिश्तेदार# प्रमोटर/निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है | संपत्ति किस तारीख से धारित | कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण* (*विवाद होने पर भी बताएं) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | भूमि सीजीडी एमआरएस, डीसीयू, डीआरएस और सीएस प्लॉट नं. एनएस (पी), पटना | 0.24 | बिहार औद्योगिक–बियाडा | नहीं | 14-10-22 | मामला प्राधिकरण के पास समझौते के लिए लंबित |
| 51 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | भूमि कोको सीएनजी टाटीसिलवई, थाना सं. 173, रांची | 3.46 | झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जियाडा) | नहीं | 28-08-19 | मामला प्राधिकरण के पास समझौते के लिए लंबित |
| 52 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | भूमि कोको सीएनजी स्मार्ट सिटी एंड डीआरएस लतमा–243, रांची | 5.79 | रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरएससीसीएल) | नहीं | 29-09-23 | मामला प्राधिकरण के पास समझौते के लिए लंबित |
| 53 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | भूमि कोको सीएनजी खिरकियाघाट नमो घाट, वाराणसी | 4.48 | नगर निगम, वाराणसी | नहीं | 26-12-20 | मामला नगर निगम कार्यालय के पास पट्टा करार प्रारूप चरण में लंबित |
| 54 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | भूमि एक्सएलआरआई सोनारी, वार्ड सं. 06, खाता सं. 02, जमशेदपुर झारखंड सरकार | 7.01 | झारखंड सरकार | नहीं | 22-06-22 | मामला राज्य सरकार के पास समझौते के लिए लंबित |
| 55 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | भूमि शास्त्रीनगर, कदमा, वार्ड नं. 02, जमशेदपुर | 3.59 | झारखंड सरकार | नहीं | 22-06-22 | मामला राज्य सरकार के पास समझौते के लिए लंबित |
| 56 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | भूमि उलियान, कदमा, वार्ड नं. 02, जमशेदपुर | 4.27 | झारखंड सरकार | नहीं | 22-06-22 | मामला राज्य सरकार के पास समझौते के लिए लंबित |
| 57 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | भूमि सोनारी डीसीयू, वार्ड नं. 01, खाता नं. 622, जमशेदपुर | 3.19 | झारखंड सरकार | नहीं | 24-09-19 | मामला राज्य सरकार के पास समझौते के लिए लंबित |
| 58 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | भूमि जुगसलाई, वार्ड नं. 04, खाता नं. 02, जमशेदपुर | 2.15 | झारखंड सरकार | नहीं | 24-09-19 | मामला राज्य सरकार के पास समझौते के लिए लंबित |
| | | **कुल** | **61.35** | | | | |

**II.** वर्ष 1990 में, गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) ने वाघोडिया, गुजरात में एलपीजी रिकवरी की स्थापना के लिए 99 वर्षों के लिए कंपनी को 70.87 हेक्टेयर की लीजहोल्ड भूमि आवंटित की। निष्पादित पट्टा विलेख लगभग 66.30 हेक्टेयर भूमि के लिए है, जबकि गुजरात सरकार ने अभी तक शेष राशि जीआईडीसी को अंतरित नहीं की है। तदनुसार शेष भूमि का स्वामित्व विलेख कंपनी के पक्ष में नहीं बनाया गया है।

कंपनी शेष भूमि के नियमितीकरण के लिए जीआईडीसी और गुजरात सरकार के साथ मामले को उठा रही है। कंपनी ने उत्तर दिया है कि जीआईडीसी से कोई मांग न किए जाने पर कोई और राशि देय नहीं है। कंपनी की राय है कि चूंकि आवंटित भूमि के लिए राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और जीआईडीसी से कोई अतिरिक्त मांग नहीं है, अतः कंपनी की ओर से कोई देयता/आकस्मिक देयता नहीं बनती है।

**III.** सीएसआर गतिविधियों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि और भवनों का विवरण और सीएसआर व्यय के रूप में लेखा, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के तहत शामिल नहीं किया गया है, जो निम्नानुसार हैं:

**(₹ करोड़ में)**

| क्र.सं. | विवरण | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|
| (i) | उत्तर प्रदेश में फ्रीहोल्ड भूमि (3.28 एकड़) | 0.31 | 0.31 |
| (ii) | क्र.सं. 1 में उल्लिखित फ्रीहोल्ड भूमि पर निर्मित भवन।<br>(पूर्ण होने की तिथि – 27 जनवरी, 2017) | 4.44 | 4.44 |
| (iii) | मध्य प्रदेश में पट्टा धारित भूमि (2 हेक्टेयर) | 0.80 | 0.80 |
| (iv) | क्र.सं. 3 में उल्लिखित लीजहोल्ड भूमि पर निर्मित भवन।<br>(पूर्ण होने की तिथि – 13 फरवरी, 2015) | 6.51 | 6.51 |

**IV.** कंपनी ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के साथ एक स्थायी भूमि पट्टा समझौता किया है। किराया अर्ध–वार्षिक देय है, जो दिनांक 1 जनवरी, 2018 से संशोधन के अधीन है। तदनुसार, कंपनी ने पूर्व–संशोधित पट्टा समझौते के अनुसार 14 जुलाई 2024 तक किराया जमा कर दिया है। कंपनी ने उक्त भूमि के अधिकार विलेख को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए एक आवेदन भी प्रस्तुत किया है, जिसके लिए डीडीए से पुष्टि की प्रतीक्षा है।

V. प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए, कंपनी भूमि के उपयोग का अधिकार (आरओयू) प्राप्त करती है जिसके लिए आम तौर पर विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एसएलएओ) को अग्रिम भुगतान किया जाता है। उक्त अग्रिम एसएलएओ द्वारा एक अलग बैंक खाते के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। हालाँकि, कुछ मामलों में, केवाईसी उद्देश्यों के लिए, कंपनी के पैन नंबर का उपयोग किया गया है। ये बैंक खाते पूरी तरह से एसएलएओ के नियंत्रण में हैं। तदनुसार, इन खातों को जमा के अंतर्गत दिखाया गया है।

## 37. गैस पूल धनराशि:

I. बैंकों में निम्नलिखित अल्पकालिक जमा राशियों के संबंध में देयताएं निर्धारित शेष के रूप में रखी जाती हैं:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | बैंकों में अल्पावधि जमा में निर्धारित शेष (टिप्पण 11क देखें) * | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2023 तक |
| गैस पूल खाते के कारण देयता (एमओपीएनजी के निर्देशों के अनुसार अभिरक्षा के रूप में रखी गई) | 97.70 | 91.42 |

*निर्धारित शेष राशि, जिसमें बैंकों में अल्पकालिक जमा पर अर्जित ब्याज शामिल है, कंपनी से संबंधित नहीं है और कंपनी द्वारा इसे आय के रूप में हिसाब में नहीं लिया गया है।

II. "अन्य वित्तीय देनदारियों–गैर– वर्तमान " के तहत ₹ 581.33 करोड़ (पिछला वर्ष: ₹ 581.87 करोड़) की गैस पूल मनी (अनंतिम) दिखाई गई है जिसके अनुरूप डेबिट के साथ व्यापार प्राप्तियों के तहत ग्राहकों से उक्त राशि प्राप्त होने पर निवेश/भुगतान किया जाएगा।

**38** कंपनी अधिसूचित गैस आधारित बिजली संयंत्रों के क्षमता उपयोग के लिए भारत सरकार के निर्णय के अनुसार पूल ऑपरेटर के रूप में कार्य कर रही है। योजना, जो 31 मार्च 2017 तक लागू थी, में भारत सरकार के विद्युत क्षेत्र विकास निधि (पीएसडीएफ) से बिजली संयंत्रों को सहायता की परिकल्पना की गई थी। गैस की आपूर्ति अनंतिम/अनुमानित मूल्य के आधार पर थी, जिसका समाधान वास्तविक लागत के आधार पर किया जाना था। तदनुसार, वर्तमान देनदारियों में इस मद में 31 मार्च, 2024 को ₹ 87.63 करोड़ (गत वर्ष: ₹ 87.63 करोड़) उक्त विद्युत संयंत्रों और/अथवा भारत सरकार को देय हैं।

## 39. भारतीय लेखा मानक 115 – ग्राहकों के साथ संविदाओं से प्राप्त राजस्व

भारतीय लेखा मानक 115 ग्राहकों के साथ संविदाओं से होने वाले राजस्व के हिसाब से एक पांच–चरणीय मॉडल स्थापित करता है और यह आवश्यक है कि राजस्व को उस राशि पर मान्यता दी जाए जो उस प्रतिफल को दर्शाती है जिसके लिए कोई यूनिट ग्राहक को सामान या सेवाओं के हस्तांतरण के बदले में पात्र होने की उम्मीद करती है।

भारतीय लेखा मानक 115 को अपने ग्राहकों के साथ संविदा करने के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कंपनियों को निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। मानक संविदा प्राप्त करने की उत्तरोत्तर लागत और संविदा को पूरा करने से सीधे संबंधित लागत की गणना को भी निर्दिष्ट करता है। इसके अलावा, मानक को व्यापक प्रकटनों की आवश्यकता होती है।

**भारतीय लेखा मानक 115 के तहत अपेक्षित अनुसार राजस्व का पृथक्करण**
**31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए**

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं | विवरण | प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन | एलपीजी गैस ट्रांसमिशन | प्राकृतिक गैस व्यापार/विपणन | पेट्रो–केमिकल्स | एलपीजी और अन्य तरल हाइड्रोकार्बन | अन्य खंड | गैर–आवंटन योग्य | कुल 31 मार्च 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **राजस्व** | | | | | | | | |
| | प्रचालन से राजस्व | 9,431.18 | 725.06 | 1,06,759.49 | 7,753.03 | 4,287.79 | 1,680.64 | 0.92 | 1,30,638.11 |
| जोड़ें: | अंतर क्षेत्र बिक्री | 861.01 | 6.81 | 7,830.46 | 0.38 | 788.04 | 17.06 | - | 9,503.76 |
| | **कुल राजस्व** | **10,292.19** | **731.87** | **1,14,589.95** | **7,753.41** | **5,075.83** | **1,697.70** | **0.92** | **1,40,141.87** |
| 2 | **प्राथमिक भौगोलिक बाजार** | | | | | | | | |
| | घरेलू बिक्री | 10,292.19 | 731.87 | 1,07,378.47 | 7,699.80 | 5,075.83 | 1,651.40 | 0.92 | 1,32,830.48 |
| जोड़ें: | अंतर्राष्ट्रीय बिक्री | - | - | 7,211.48 | 53.61 | - | 46.30 | - | 7,311.39 |
| | **कुल राजस्व** | **10,292.19** | **731.87** | **1,14,589.95** | **7,753.41** | **5,075.83** | **1,697.70** | **0.92** | **1,40,141.87** |
| 3 | **राजस्व मान्यता का समय** | | | | | | | | |
| | बिंदु पर | - | - | 7,211.48 | 7,753.41 | 5,075.83 | 1,697.70 | - | 21,738.42 |
| जोड़ें: | समय के साथ | 10,292.19 | 731.87 | 1,07,378.47 | - | - | - | 0.92 | 1,18,403.45 |
| | **कुल राजस्व** | **10,292.19** | **731.87** | **1,14,589.95** | **7,753.41** | **5,075.83** | **1,697.70** | **0.92** | **1,40,141.87** |

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु (₹ करोड़ में)

| क्र.सं | विवरण | प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन | एलपीजी गैस ट्रांसमिशन | प्राकृतिक गैस व्यापार/विपणन | पेट्रो–केमिकल्स | एलपीजी और अन्य तरल हाइड्रोकार्बन | अन्य खंड | गैर–आवंटन योग्य | कुल 31 मार्च 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **राजस्व** | | | | | | | | |
| | प्रचालन से राजस्व | 6,168.28 | 715.96 | 1,25,877.44 | 4,916.12 | 4,946.82 | 1,675.29 | 1.72 | 1,44,301.63 |
| योग | अंतर क्षेत्र बिक्री | 492.79 | 5.66 | 9,412.91 | 1.14 | 623.15 | 26.32 | - | 10,561.97 |
| | **कुल राजस्व** | **6,661.07** | **721.62** | **1,35,290.35** | **4,917.26** | **5,569.97** | **1,701.61** | **1.72** | **1,54,863.60** |
| 2 | **प्राथमिक भौगोलिक बाजार** | | | | | | | | |
| | घरेलू बिक्री | 6,661.07 | 721.62 | 1,20,189.54 | 4,917.26 | 5,569.97 | 1,676.84 | 1.72 | 1,39,738.02 |
| योग | अंतर्राष्ट्रीय बिक्री | - | - | 15,100.81 | - | - | 24.77 | - | 15,125.58 |
| | **कुल राजस्व** | **6,661.07** | **721.62** | **1,35,290.35** | **4,917.26** | **5,569.97** | **1,701.61** | **1.72** | **1,54,863.60** |
| 3 | **राजस्व मान्यता का समय** | | | | | | | | |
| | बिंदु पर | - | - | 15,100.81 | 4,917.26 | 5,569.97 | 1,701.61 | - | 27,289.65 |
| **योग** | समय के साथ | 6,661.07 | 721.62 | 1,20,189.54 | - | - | - | 1.72 | 1,27,573.95 |
| | **कुल राजस्व** | **6,661.07** | **721.62** | **1,35,290.35** | **4,917.26** | **5,569.97** | **1,701.61** | **1.72** | **1,54,863.60** |

**टिप्पणः** 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई एकल ग्राहक कंपनी के कुल राजस्व के 10% या उससे अधिक का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

**व्यापार प्राप्य और संविदा शेषः**

निम्नलिखित तालिका ग्राहकों के साथ संविदाओं से प्राप्य और संविदा देयताओं के बारे में जानकारी प्रदान करती हैः

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|
| **व्यापार प्राप्य** | | |
| व्यापार प्राप्य (गैर–वर्तमान) | 1,044.77 | 1,044.28 |
| व्यापार प्राप्य (वर्तमान) | 9,605.51 | 10,364.15 |
| **संविदा परिसंपत्तियां** | | |
| संविदा परिसंपत्तियां (गैर–वर्तमान) | - | - |
| **संविदा परिसंपत्तियां (वर्तमान)** | 3.57 | 2.15 |
| संविदा देयताएं | | |
| संविदा देयताएं (गैर–वर्तमान) | 577.77 | 495.73 |
| संविदा देयताएं (वर्तमान) | 721.57 | 608.70 |

व्यापार प्राप्य आम तौर पर 0 से 30 दिनों तक की क्रेडिट शर्तों पर होते हैं। संविदा परिसंपत्तियां शहरी गैस वितरण व्यवसाय में घरेलू और वाणिज्यिक ग्राहकों को आपूर्ति की जाने वाली गैस का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसके लिए बाद की तारीख में चालान दिया जाएगा। संविदा देयताएं ग्राहकों द्वारा भुगतान किए गए अग्रिम हैं, जिसके लिए रिपोर्टिंग तिथि के बाद उत्पादों की आपूर्ति की जानी है।

(₹ करोड़ में)

| संविदा परिसंपत्तियों में परिवर्तन | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|
| वर्ष की शुरुआत में शेष राशि | 1,104.43 | 1,014.95 |
| **घटाः** मान्यता प्राप्त राजस्व जिसे वर्ष की शुरुआत में अग्रिम शेष में शामिल किया गया था | 608.70 | 585.24 |
| **योगः** वर्ष के दौरान राजस्व के रूप में मान्यता प्राप्त राशियों के अलावा, वर्ष के दौरान चालान–प्रक्रिया के कारण वृद्धि | 803.61 | 674.72 |
| **वर्ष के अंत में शेष राशि** | **1,299.34** | **1,104.43** |

प्रबंधन को उम्मीद है कि 31 मार्च 2024 को असंतोषजनक संविदा (आंशिक रूप से संतोषजनक) के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य के 56% को वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान ₹ 721.57 करोड़ को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाए और शेष 44% राशि अर्थात् ₹ 577.77 करोड़ 2025–26 में प्राप्त किए जाएंगे।

## 40. भारतीय लेखा मानक 116 – पट्टाः

I) पट्टेदार के रूप में कंपनीः

क) पट्टा देयताएंः

पट्टा देयताओं का मिलानः

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| प्रारंभिक शेष | 1,420.80 | **1,303.00** |
| **निम्न हेतु समायोजन** | | |
| वर्ष के दौरान जमा | 2,071.78 | 408.66 |
| वर्ष के दौरान विलोपन | - | - |
| ब्याज का प्रत्यायन | 109.37 | 76.29 |
| पट्टा देयताओं के पुनः दर्ज करने पर विदेशी मुद्रा हानि | 20.68 | 88.35 |
| वर्ष के दौरान भुगतान की गई पट्टा देयताएं | (824.85) | (427.25) |
| बट्टे खाते में डाली गई अतिरिक्त पट्टा देयताएं | (0.40) | (28.25) |
| **अंतिम शेष** | **2,797.38** | **1,420.80** |
| वर्तमान | 790.20 | 381.63 |
| गैर–वर्तमान | 2,007.18 | 1,039.17 |

**पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषणः**

**31 मार्च 2024 तक** (₹ करोड़ में)

| विवरण | 3 माह से कम | 3 से 12 माह | > 1 से 5 वर्ष | > 5 वर्ष | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| पट्टा देयताएं (चालू) | 257.17 | 533.03 | - | - | 790.20 |
| पट्टा देयताएं (गैर–वर्तमान ) | - | - | 1,598.87 | 408.31 | 2,007.18 |

**दिनांक 31 मार्च 2023 तक** (₹ करोड़ में)

| विवरण | 3 माह से कम | 3 से 12 माह | > 1 से 5 वर्ष | > 5 वर्ष | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| पट्टा देयताएं (चालू) | 92.27 | 289.36 | - | - | 381.63 |
| पट्टा देयताएं (गैर–वर्तमान ) | - | - | 1,005.14 | 34.03 | 1,039.17 |

**लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता–प्राप्त राशिः**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| उपयोग के अधिकार की संपत्ति पर मूल्यह्रास | 747.38 | 410.88 |
| पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय | 109.37 | 76.29 |
| अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय | 352.88 | 532.44 |
| कम मूल्य की संपत्ति पट्टों से संबंधित व्यय | - | 0.01 |
| परिवर्तनीय पट्टा भुगतान | - | - |
| **कुल** | **1,209.63** | **1,019.62** |

ख. उपयोग का अधिकार परिसंपत्तियां:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| **प्रारंभिक शेष** | **2,038.04** | **1,509.60** |
| योग: वर्ष के दौरान अतिरिक्त | 2,291.64 | 939.62 |
| घटा: वर्ष के दौरान विलोपन | 5.13 | 0.30 |
| घटा: वर्ष के लिए मूल्यह्रास | 747.38 | 410.88 |
| **अंतिम शेष** | **3,577.17** | **2,038.04** |

ii. पट्टेदार के रूप में कंपनी:

क. प्रचालन पट्टा

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| प्रचालन पट्टे से किराए की आय | 0.20 | 0.19 |

परिचालन पट्टों पर प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतान इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| 1 वर्ष के भीतर | 0.21 | 0.20 |
| एक वर्ष के बाद लेकिन पांच साल से अधिक नहीं | 1.20 | 1.15 |
| 5 वर्ष बाद | 8.21 | 8.46 |
| **कुल** | **9.62** | **9.81** |

ख) वित्त पट्टा

वित्त पट्टों के तहत भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान (एमएलपी) तथा निवल एमएलपी का वर्तमान मूल्य इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| **न्यूनतम पट्टा भुगतान प्राप्य** | | |
| 1 वर्ष के भीतर | 2.23 | 2.23 |
| एक वर्ष बाद लेकिन पांच वर्ष से अधिक नहीं | 5.39 | 7.63 |
| 5 वर्ष बाद | - | - |
| **कुल** | **7.62** | **9.86** |
| घटा: अनर्जित वित्त आय | 0.14 | 0.26 |
| **पट्टे में निवल निवेश** | **7.48** | **9.60** |
| **न्यूनतम पट्टा भुगतान प्राप्तियों का वर्तमान मूल्य** | | |
| 1 वर्ष के भीतर | 2.16 | 2.13 |
| एक वर्ष के बाद लेकिन पांच वर्ष से अधिक नहीं | 5.32 | 7.47 |
| **5 वर्ष बाद** | **-** | **-** |
| **कुल** | **7.48** | **9.60** |
| अनर्जित वित्त आय | | |
| 1 वर्ष के भीतर | 0.07 | 0.10 |
| एक वर्ष के बाद लेकिन पांच वर्ष से अधिक नहीं | 0.07 | 0.16 |
| 5 वर्ष बाद | - | - |
| **कुल** | **0.14** | **0.26** |

## 41. निर्दिष्ट व्यक्तियों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों का विवरण

(₹ करोड़ में)

| उधारकर्ता का प्रकार | 2023–24 | | 2022–23 | |
|---|---|---|---|---|
| | बकाया राशि | कुल का % | बकाया राशि | कुल का % |
| निदेशक | 0.44 | 0.01% | 0.37 | 0.01% |
| केएमपी | 0.78 | 0.01% | 0.65 | 0.02% |
| संबंधित पार्टी – सहायक कंपनी | 5,031.52 | 93.15% | 3,047.43 | 90.03% |

## 42 कर्मचारी लाभ पर भारतीय लेखा मानक 19 के तहत प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:

### I. परिभाषित अंशदान निधि

**क. कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ निधि**

वर्ष के दौरान, कंपनी ने सेवानिवृत्ति लाभ निधि (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली सहित) में योगदान के रूप में ₹ 114.67 करोड़ (गत वर्ष: ₹ 107.34 करोड़) की राशि का भुगतान किया है तथा इसे लाभ एवं हानि विवरण/सीडब्ल्यूआईपी में दर्ज किया गया है।

**ख. कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस–95)**

वर्ष के दौरान, कंपनी ने ईपीएस–95 में ₹ 4.99 करोड़ (गत वर्ष: ₹ 5.03 करोड़) का योगदान दिया है और लाभ एवं हानि विवरण/सीडब्ल्यूआईपी पर दर्ज किया है।

### II. परिभाषित लाभ योजनाएं:

**क. भविष्य निधि**

वर्ष के दौरान कंपनी ने पात्र कर्मचारियों के वेतन के पूर्व निर्धारित निश्चित प्रतिशत पर भविष्य निधि न्यास को ₹ 100.68 करोड़ (गत वर्ष: ₹ 89.75 करोड़) के अंशदान का भुगतान किया है और इसे लाभ एवं हानि/सीडब्ल्यूआईपी में दर्ज किया गया है। इसके अलावा, कंपनी का दायित्व भावी अवधि में सांविधि ब्याज दर के आधार पर निधि परिसंपत्ति में कमी, यदि कोई हो, का प्रावधान करना है।

**ख. ग्रेच्युटी:**

5 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान करने वाला प्रत्येक कर्मचारी कंपनी से अलग होने के समय अधिकतम ₹ 0.20 करोड़ की शर्त के अधीन सेवा के पूर्ण कार्यकाल के आधार पर ग्रेच्युटी राशि प्राप्त करने हेतु पात्र है।

**ग. सेवानिवृत्ति पश्चात की चिकित्सा योजना (पीआरएमएस)**

पीआरएमएस सेवानिवृत्ति कर्मचारियों और उनके पात्र आश्रित परिवार के सदस्यों को चिकित्सा कवरेज प्रदान करती है।

**घ. सेवानिवृत्ति लाभ (टीबी)**

सेवानिवृत्ति के समय, कर्मचारी को भारत में अपनी पसंद के स्थान पर बसने का अधिकार हैं और वे अपने अंतिम तैनाती स्थान से स्थानांतरण यात्रा भत्ता पाने के लिए पात्र हैं।

**ड. मृत कर्मचारियों के आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए राहत उपाय**

कंपनी सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में मृत कर्मचारियों के आश्रित परिवार के सदस्यों को बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा लाभ और आवासीय क्वार्टर सुविधाओं के लिए विभिन्न सहायता प्रदान करती है।

### III. अन्य दीर्घकालिक लाभ योजनाएँ:

**क. अर्जित अवकाश लाभ (ईएल)**

अर्जित अवकाश प्रति वर्ष 30 दिन अर्जित किया जाता है। अर्जित अवकाश सेवा के दौरान एक वर्ष में 5 के गुणक में किसी भी बार भुनाया जा सकता है, बशर्ते कि संबंधित कर्मचारी के खाते में न्यूनतम 15 दिन शेष हो। सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता पर नकद भुगतान 300 दिनों तक सीमित है।

**ख. अर्द्ध वेतन अवकाश (एचपीएल)**

एचपीएल प्रति वर्ष 20 दिन अर्जित किया जाता है। अनुपयुक्त एचपीएल को अधिवर्षिता के समय अनुमोदित कंपनी नियम के अनुसार भुनाया जा सकता है।

**ग. दीर्घ सेवा पुरस्कार (एलएसए)**

कंपनी की अनुमोदित नीति के अनुसार, कंपनी के साथ सेवा की निर्दिष्ट अवधि पूरी होने पर और सेवानिवृत्ति के समय भी, कर्मचारियों को पूरी की गई सेवा की अवधि के आधार पर मौद्रिक रूप से पुरस्कृत किया जाता है।

घ. **वित्तीय सहायता योजना (एफएएस)**

कंपनी द्वारा वित्तीय सहायता योजना अपने नियमित कर्मचारियों के कल्याण के लिए तैयार की गई है। कंपनी का दायित्व है कि वह सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु या स्थायी रूप से पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में एकमुश्त राशि प्रदान करे।

**IV. लाभ और हानि विवरण, तुलन–पत्र और अन्य व्यापक आय में मान्यता–प्राप्त विभिन्न परिभाषित लाभ योजनाओं का सारांश इस प्रकार है:**

| विवरण | ग्रेच्युटी | | पीआरएमएस | | भविष्य निधि | | सेवानिवृत्ति लाभ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वित्तपोषित | | वित्तपोषित | | वित्तपोषित | | गैर–वित्तपोषित | |
| | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 |
| **क. लाभ और हानि विवरण में मान्यता–प्राप्त व्यय** | | | | | | | | |
| वर्तमान सेवा लागत | 67.15 | 59.88 | 26.48 | 20.34 | 267.20 | 286.60 | 1.93 | 1.49 |
| पिछली सेवा लागत | - | - | - | - | | | - | - |
| लाभ दायित्व पर ब्याज | 26.64 | 26.95 | 38.29 | 34.69 | 295.48 | 274.13 | 1.49 | 1.54 |
| योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न | (55.70) | (29.95) | (51.72) | (36.20) | (29.55) | (200.79) | - | - |
| वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि | (54.94) | (46.09) | 10.70 | 1.20 | (76.44) | (106.56) | 3.37 | 1.91 |
| ग्रेच्युटी सीमा को ₹ 20 लाख तक बढ़ाने का प्रभाव वापस लिया गया | - | - | - | - | | | - | - |
| वित्त–पोषण के तहत ब्याज कर्मचारी के आवर्ती खाते में हस्तांतरित। | - | - | - | - | | | - | - |
| अन्य व्यापक आय | (82.84) | (46.91) | (4.95) | 0.21 | 198.78 | (28.36) | - | - |
| पीएंडएल विवरणी में स्वीकृत व्यय* | 65.98 | 57.69 | 28.70 | 38.53 | 257.90 | 281.73 | 6.79 | 4.94 |
| **ख. योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य और परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का समाधान** | | | | | | | | |
| वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 405.32 | 397.84 | 618.70 | 555.35 | 3,866.62 | 3,531.40 | 25.39 | 24.08 |
| वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 441.24 | 398.87 | 584.57 | 517.46 | 3,710.35 | 3,564.64 | - | - |
| अंतर | 35.92 | 1.03 | (34.13) | (37.89) | (156.26) | 33.24 | (25.39) | (24.08) |
| तुलन–पत्र में मान्यता–प्राप्त निवल परिसंपत्ति/(देयता) | 35.92 | 1.03 | (34.13) | (37.89) | (156.26) | 33.24 | (25.39) | (24.08) |
| **ग. परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन का समाधानः** | | | | | | | | |
| वर्ष की शुरुआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य | 397.84 | 392.44 | 555.35 | 485.92 | 3,531.40 | 3,188.64 | 24.08 | 23.99 |
| ब्याज लागत | 26.64 | 26.96 | 38.29 | 34.69 | 295.48 | 274.13 | 1.49 | 1.54 |
| वर्तमान सेवा लागत | 67.15 | 60.63 | 26.48 | 23.02 | 267.20 | 286.60 | 1.93 | 1.83 |
| पिछली सेवा लागत | - | - | - | 18.71 | | | - | - |
| भुगतान किया गया लाभ | (31.36) | (36.10) | (12.12) | (8.19) | (151.03) | (111.41) | (5.48) | (5.19) |
| निवल बीमांकिक (लाभ)/दायित्व पर हानि | (54.94) | (46.09) | 10.70 | 1.20 | (76.44) | (106.56) | 3.37 | 1.91 |
| वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य | 405.32 | 397.84 | 618.70 | 555.35 | 3,866.61 | 3,531.40 | 25.39 | 24.08 |
| **घ. योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन का समाधान** | | | | | | | | |
| वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 398.87 | 404.75 | 517.46 | 489.13 | 3,564.63 | 3,188.64 | - | - |
| योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ | 55.70 | 29.95 | 51.72 | 36.20 | 29.54 | 200.79 | - | - |
| नियोक्ता द्वारा योगदान | 18.03 | 0.27 | 27.51 | 0.32 | 267.20 | 286.60 | - | - |
| भुगतान किया गया लाभ | (31.36) | (36.10) | (12.12) | (8.19) | (151.03) | (111.41) | - | - |
| बीमांकिक लाभ/(हानि) | - | - | | - | | | - | - |

| विवरण | ग्रेच्युटी | | पीआरएमएस | | भविष्य निधि | | सेवानिवृत्ति लाभ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वित्तपोषित | | वित्तपोषित | | वित्तपोषित | | गैर–वित्तपोषित | |
| | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 |
| वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | 441.24 | 398.87 | 584.57 | 517.46 | 3,710.34 | 3,564.63 | - | - |
| **ड. तुलन–पत्र की तारीख को पूंजीगत बीमांकिक अनुमान** | | | | | | | | |
| छूट दर | 6.97% | 7.20% | 6.97% | 7.20% | 6.97% | 7.20% | 6.97% | 7.20% |
| योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ | 6.97% | 7.20% | 6.97% | 7.20% | 8.55% | 8.75% | - | - |
| लागत में वार्षिक वृद्धि | - | - | 10.00% | 10.00% | - | - | - | - |
| वेतन में वार्षिक वृद्धि | 10.00% | 10.00% | - | - | 10.00% | 10.00% | - | - |

* लाभ और हानि विवरण में दर्शाए गए व्यय में गेल गैस लिमिटेड को हस्तांतरित राशि शामिल नहीं है।

| विवरण | अर्जित अवकाश | | एचपीएल | | एलएसए | | मृतक कर्मचारी को लाभ | | एफएएस | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | गैर–वित्तपोषित | | गैर–वित्तपोषित | | गैर–वित्तपोषित | | गैर–वित्तपोषित | | गैर–वित्तपोषित | |
| | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 |
| **क. लाभ और हानि विवरण में व्यय को मान्यता दी गई** | | | | | | | | | | |
| वर्तमान सेवा लागत | 119.88 | 99.25 | 59.94 | 51.13 | 2.01 | 1.66 | - | - | - | - |
| पिछली सेवा लागत | - | - | - | - | - | - | - | 12.08 | 71.22 | - |
| लाभ दायित्व पर ब्याज | 30.07 | 25.51 | 20.03 | 19.31 | 1.65 | 1.74 | 0.87 | - | - | - |
| योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि | (12.71) | (16.02) | (39.67) | (37.88) | 2.20 | (0.63) | 2.06 | 1.44 | 4.70 | - |
| ग्रेच्युटी सीमा को ₹ 20 लाख तक बढ़ाने का प्रभाव वापस लिया गया | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| कर्मचारी आवर्ती खाते में हस्तांतरित निधि पर ब्याज | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| अन्य व्यापक आय | - | - | - | - | - | - | 2.06 | - | - | - |
| पीएंडएल विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय* | 137.24 | 108.74 | 40.30 | 32.57 | 5.86 | 2.77 | 0.87 | 13.52 | 75.92 | - |
| **ख. योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य और परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का मिलान** | | | | | | | | | | |
| वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य | 547.80 | 452.38 | 319.59 | 295.34 | 27.57 | 25.44 | 14.77 | 13.01 | 71.22 | - |
| वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| अंतर | (547.80) | (452.38) | (319.59) | (295.34) | (27.57) | (25.44) | (14.77) | (13.01) | (71.22) | - |
| तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त निवल परिसंपत्ति/(देयता) | (547.80) | (452.38) | (319.59) | (295.34) | (27.57) | (25.44) | (14.77) | (13.01) | (71.22) | - |
| **ग. परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन का मिलानः** | | | | | | | | | | |
| वर्ष की शुरुआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य | 452.38 | 372.37 | 295.34 | 276.00 | 25.44 | 25.93 | 13.01 | - | - | - |
| ब्याज लागत | 30.07 | 25.51 | 20.03 | 19.31 | 1.65 | 1.74 | 0.87 | - | 4.70 | - |
| वर्तमान सेवा लागत | 119.88 | 106.78 | 59.94 | 53.39 | 2.01 | 1.84 | - | - | - | - |
| पिछली सेवा लागत | - | - | - | - | - | - | - | 13.01 | 71.22 | - |
| भुगतान किया गया लाभ | (41.82) | (36.27) | (16.05) | (15.49) | (3.73) | (3.45) | (1.16) | (1.44) | (4.70) | - |
| दायित्व पर निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि) | (12.71) | (16.02) | (39.67) | (37.88) | 2.20 | (0.63) | 2.06 | 1.44 | - | - |

| विवरण | अर्जित अवकाश | | एचपीएल | | एलएसए | | मृतक कर्मचारी को लाभ | | एफएएस | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | गैर–वित्तपोषित | | गैर–वित्तपोषित | | गैर–वित्तपोषित | | गैर–वित्तपोषित | | गैर–वित्तपोषित | |
| | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 |
| वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य | 547.80 | 452.38 | 319.59 | 295.34 | 27.57 | 25.44 | 14.77 | 13.01 | 71.22 | - |
| **घ. योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन का समाधान** | | | | | | | | | | |
| वर्ष के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| योजनागत परिसंपत्ति पर संभावित लाभ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| नियोक्ता द्वारा अंशदान | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भुगतान किया गया लाभ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| बीमांकिक लाभ/(हानि) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ड. तुलन–पत्र तारीख को पूंजीगत बीमांकिक अनुमान** | | | | | | | | | | |
| छूट दर | 6.97% | 7.20% | 6.97% | 7.20% | 6.97% | 7.20% | 6.97% | 7.20% | 6.97% | 0.00% |
| योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| लागत में वार्षिक वृद्धि | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| वेतन में वार्षिक वृद्धि | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | - | - | - | - | - | - |

* लाभ और हानि विवरण में शामिल व्यय में गेल गैस लिमिटेड को हस्तांतरित राशि शामिल नहीं है।

**च. तुलन–पत्र में मान्यता–प्राप्त निवल परिसंपत्ति/(देयता) (अनुभव समायोजन प्रभाव सहित)**

**(₹ करोड़ में)**

| ग्रेच्युटी | 31 मार्च 2024 | 31 मार्च 2023 | 31 मार्च 2022 | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य | 405.32 | 397.84 | 392.44 | 388.16 | 370.06 |
| वर्ष के अंत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य | 441.24 | 398.87 | 404.75 | 405.48 | 389.43 |
| स्थिति {अधिशेष/(घाटा)} | 35.92 | 1.03 | 12.31 | 17.32 | 19.37 |
| योजनागत परिसंपत्तियों का अनुभव समायोजन (लाभ/(हानि)) | - | - | - | (0.55) | 3.15 |
| दायित्व का अनुभव समायोजन {(लाभ)/हानि} | (54.94) | (46.09) | (45.55) | (29.26) | (6.75) |

**(₹ करोड़ में)**

| पीआरएमएस | 31 मार्च 2024 | 31 मार्च 2023 | 31 मार्च 2022 | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य | 618.70 | 555.35 | 485.92 | 441.37 | 408.46 |
| वर्ष के अंत में संयंत्र संपत्ति का उचित मूल्य | 584.57 | 517.46 | 489.13 | 459.70 | 336.30 |
| स्थिति {अधिशेष/(घाटा)} | (34.13) | (37.89) | 3.21 | 18.33 | (72.16) |
| योजनागत परिसंपत्तियों का अनुभव समायोजन {लाभ/(हानि)} | - | - | - | 4.25 | - |
| दायित्व का अनुभव समायोजन {(लाभ)/हानि} | 10.70 | 1.20 | 2.53 | (8.30) | 24.91 |

**(₹ करोड़ में)**

| अर्जित अवकाश | 31 मार्च 2024 | 31 मार्च 2023 | 31 मार्च 2022 | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य | 547.80 | 452.38 | 372.37 | 306.94 | 252.62 |
| दायित्व का अनुभव समायोजन {(लाभ)/हानि} | (12.71) | (16.02) | (21.76) | 8.83 | 33.45 |

(₹ करोड़ में)

| सेवानिवृत्ति लाभ | 31 मार्च 2024 | 31 मार्च 2023 | 31 मार्च 2022 | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य | 25.39 | 24.08 | 23.99 | 21.81 | 18.90 |
| दायित्व का अनुभव समायोजन {(लाभ)/हानि} | 3.37 | 1.91 | 2.80 | 2.94 | 1.63 |

(₹ करोड़ में)

| एचपीएल | 31 मार्च 2024 | 31 मार्च 2023 | 31 मार्च 2022 | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य | 319.59 | 295.34 | 276.00 | 257.77 | 239.58 |
| दायित्व का अनुभव समायोजन {(लाभ)/हानि} | (39.67) | (37.88) | (33.47) | (9.28) | 20.67 |

(₹ करोड़ में)

| दीर्घ सेवा सम्मान | 31 मार्च 2024 | 31 मार्च 2023 | 31 मार्च 2022 | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य | 27.57 | 25.44 | 25.93 | 25.55 | 25.85 |
| दायित्व का अनुभव समायोजन {(लाभ)/हानि} | 2.20 | -0.63 | 0.63 | -1.32 | 1.80 |

(₹ करोड़ में)

| भविष्य निधि | 31 मार्च 2024 | 31 मार्च 2023 | 31 मार्च 2022 | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य | 3,866.61 | 3,531.40 | - | - | - |
| दायित्व का अनुभव समायोजन {(लाभ)/हानि} | (76.44) | (106.57) | - | - | - |

(₹ करोड़ में)

| मृतक कर्मचारी को लाभ | 31 मार्च 2024 | 31 मार्च 2023 | 31 मार्च 2022 | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य | 14.77 | 13.01 | - | - | - |
| दायित्व का अनुभव समायोजन {(लाभ)/हानि} | 2.06 | 1.44 | - | - | - |

(₹ करोड़ में)

| एफएएस | 31 मार्च 2024 | 31 मार्च 2023 | 31 मार्च 2022 | 31 मार्च 2021 | 31 मार्च 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य | 71.22 | - | - | - | - |
| दायित्व का अनुभव समायोजन {(लाभ)/हानि} | - | - | - | - | - |

**लागत की वृद्धि/कमी का प्रभाव**

(₹ करोड़ में)

| संवेदनशीलता विश्लेषण | ग्रेच्युटी वित्त पोषित | | | | पीआरएमएस वित्त पोषित | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023–24 | | 2022–23 | | 2023–24 | | 2022–23 | |
| | वृद्धि | कमी | वृद्धि | कमी | वृद्धि | कमी | वृद्धि | कमी |
| छूट दर (–/+ 0.5%) | 388.83 | 423.28 | 382.26 | 414.73 | 593.88 | 645.72 | 523.51 | 591.44 |
| संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन | -4.07% | 4.43% | -3.91% | 4.25% | -4.01% | 4.37% | -5.73% | 6.50% |
| वेतन वृद्धि (–/+ 0.5%) | 406.68 | 403.73 | 399.41 | 396.09 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन | 0.34% | -0.39% | 0.40% | -0.44% | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| कंपनी छोड़ने की दर (–/+ 0.5%) | 405.66 | 404.97 | 398.18 | 397.48 | 619.21 | 618.19 | 554.35 | 557.18 |

| संवेदनशीलता विश्लेषण | ग्रेच्युटी वित्त पोषित | | | | पीआरएमएस वित्त पोषित | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023–24 | | 2022–23 | | 2023–24 | | 2022–23 | |
| | वृद्धि | कमी | वृद्धि | कमी | वृद्धि | कमी | वृद्धि | कमी |
| संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन | 0.09% | -0.09% | 0.09% | -0.09% | 0.08% | -0.08% | -0.18% | 0.33% |
| मृत्यु दर (–/+ 10%) | 405.68 | 404.95 | 398.48 | 397.18 | 619.68 | 617.72 | 533.91 | 578.79 |
| संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन | 0.09% | -0.09% | 0.16% | -0.16% | 0.16% | -0.16% | -3.86% | 4.22% |

(₹ करोड़ में)

| संवेदनशीलता विश्लेषण | मृत कर्मचारी को लाभ गैर–वित्त पोषित | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2023–24 | | 2022–23 | |
| | वृद्धि | कमी | वृद्धि | कमी |
| छूट दर (–/+ 0.5%) | 14.17 | 15.41 | 12.50 | 13.56 |
| संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन | -4.01% | 4.37% | -3.91% | 4.25% |
| वेतन वृद्धि (–/+ 0.5%) | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| कंपनी छोड़ने की दर (–/+ 0.5%) | 14.78 | 14.75 | 13.02 | 13 |
| संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन | 0.08% | -0.08% | 0.09% | -0.09% |
| मृत्यु दर (–/+ 10%) | 14.79 | 14.74 | 13.03 | 12.99 |
| संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन | 0.16% | -0.16% | 0.16% | -0.16% |

(₹ करोड़ में)

| संवेदनशीलता विश्लेषण | सेवानिवृत्ति लाभ गैर–वित्त पोषित | | | | अर्जित अवकाश गैर–वित्त पोषित | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023–24 | | 2022–23 | | 2023–24 | | 2022–23 | |
| | वृद्धि | कमी | वृद्धि | कमी | वृद्धि | कमी | वृद्धि | कमी |
| छूट दर (–/+ 0.5%) | 23.95 | 26.99 | 22.97 | 25.27 | 514.97 | 584.08 | 425.97 | 481.48 |
| संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन | -5.67% | 6.30% | -4.60% | 4.98% | -5.99% | 6.62% | -5.84% | 6.43% |
| वेतन वृद्धि (–/+ 0.5%) | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 582.75 | 515.80 | 480.45 | 426.62 |
| संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | 6.38% | -5.84% | 6.21% | -5.69% |
| कंपनी छोड़ने की दर (–/+ 0.5%) | 25.35 | 25.42 | 24.06 | 24.10 | 547.01 | 548.59 | 451.80 | 452.96 |
| संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन | -0.14% | 0.14% | -0.08% | 0.08% | -0.14% | 0.14% | -0.13% | 0.13% |
| मृत्यु दर (–/+ 10%) | 25.36 | 25.42 | 24.06 | 24.11 | 547.38 | 548.22 | 451.81 | 452.94 |
| संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन | -0.13% | 0.13% | -0.10% | 0.10% | -0.08% | 0.08% | -0.12% | 0.13% |

(₹ करोड़ में)

| संवेदनशीलता विश्लेषण | एचपीएल गैर–वित्त पोषित | | | | दीर्घ सेवा सम्मान गैर–वित्त पोषित | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023–24 | | 2022–23 | | 2023–24 | | 2022–23 | |
| | वृद्धि | कमी | वृद्धि | कमी | वृद्धि | कमी | वृद्धि | कमी |
| छूट दर (–/+ 0.5%) | 305.34 | 335.03 | 282.31 | 309.40 | 26.38 | 28.88 | 23.96 | 27.08 |
| संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन | -4.46% | 4.83% | -4.41% | 4.76% | -4.34% | 4.72% | -5.84% | 6.43% |
| वेतन वृद्धि (–/+ 0.5%) | 334.46 | 305.70 | 308.90 | 282.64 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

| संवेदनशीलता विश्लेषण | एचपीएल | | | | दीर्घ सेवा सम्मान | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | गैर–वित्त पोषित | | | | गैर–वित्त पोषित | | | |
| | 2023–24 | | 2022–23 | | 2023–24 | | 2022–23 | |
| | वृद्धि | कमी | वृद्धि | कमी | वृद्धि | कमी | वृद्धि | कमी |
| संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन | 4.65% | -4.35% | 4.59% | -4.30% | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| कंपनी छोड़कर जाने की दर (–/+ 0.5%) | 319.34 | 319.85 | 295.12 | 295.55 | 27.55 | 27.60 | 25.41 | 25.47 |
| संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन | -0.08% | 0.08% | -0.07% | 0.07% | -0.08% | 0.08% | -0.13% | 0.13% |
| मृत्यु दर (–/+ 10%) | 319.41 | 319.78 | 295.05 | 295.62 | 27.55 | 27.60 | 25.41 | 25.47 |
| संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन | -0.06% | 0.06% | -0.10% | 0.10% | -0.10% | 0.10% | -0.12% | 0.13% |

(₹ करोड़ में)

| संवेदनशीलता विश्लेषण | एफएएस | | | |
|---|---|---|---|---|
| | गैर–वित्त पोषित | | | |
| | 2023–24 | | 2022–23 | |
| | वृद्धि | कमी | वृद्धि | कमी |
| छूट दर (–/+ 0.5%) | 68.43 | 74.25 | - | - |
| संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन | -3.91% | 4.25% | - | - |
| वेतन वृद्धि (–/+ 0.5%) | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - |
| संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन | लागू नहीं | लागू नहीं | - | - |
| कंपनी छोड़कर जाने की दर (–/+ 0.5%) | 71.28 | 71.16 | - | - |
| संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन | 0.09% | -0.09% | - | - |
| मृत्यु दर (–/+ 10%) | 71.34 | 71.10 | - | - |
| संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन | 0.16% | -0.16% | - | - |

(₹ करोड़ में)

| संवेदनशीलता विश्लेषण | भविष्य निधि | | | |
|---|---|---|---|---|
| | गैर–वित्त पोषित | | | |
| | 2023–24 | | 2022–23 | |
| | वृद्धि | कमी | वृद्धि | कमी |
| जीआरएसई पीएफ ट्रस्ट द्वारा दी गई पीएफ ब्याज दर ((–/+)0.5%) | 3,658.32 | 4,020.54 | 3416.06 | 3655.39 |
| संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन | -5.39% | 3.98% | -3.27% | 3.51% |

**(ii) ग्रेच्युटी ट्रस्ट की योजना परिसंपत्तियों के निवेश पैटर्न का विवरण**

| विवरण | (निवेश का %) | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च 2024 | 31 मार्च 2023 |
| केंद्र सरकार प्रतिभूतियाँ | 1.28 | 1.75 |
| राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ | 0.10 | 0.36 |
| पीएसयू बांड | - | - |
| निजी बांड | - | - |
| बीमा निवेश | 98.62 | 97.89 |
| **कुल** | **100.00** | **100.00** |

| संदर्भित मृत्यु दर तालिका | | आईएएलएम 2012–2015 अंतिम | आईएएलएम 2012–2014 अंतिम |
|---|---|---|---|
| | आयु | निकासी दर % | निकासी दर % |
| निकासी दर/कर्मचारी कारोबार दर | | **(2023-24)** | **(2022-23)** |
| | 30 वर्ष तक | 0.57% | 3% |
| | 44 वर्ष तक | 0.30% | 2% |
| | 44 वर्ष से ऊपर | 0% | 1% |

**टिप्पण:**

i. बीमांकिक मूल्यांकन में भावी वेतन वृद्धि, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों के अनुमानों को ध्यान में रखा जाता है।

ii. प्रबंधन ने बीमांकक द्वारा किए गए समग्र बीमांकिक मूल्यांकन पर भरोसा किया है।

## 43. 'उधार लागत' पर भारतीय लेखा मानक 23 के अनुसार प्रकटीकरण:

वर्ष के दौरान चल रहे पूंजीगत कार्य के लिए आवंटित राशि सहित परिसंपत्तियों में पूंजीकृत उधार लागत 504.08 करोड़ रुपए (पिछला वर्ष: 392.21 करोड़ रुपए) थी।

**44** "प्रचालन खंड" पर भारतीय लेखा मानक 108 के अनुपालन में, कंपनी ने अपने रिपोर्ट करने योग्य खंड के रूप में निम्नलिखित व्यवसाय क्षेत्र को अपनाया है:

I. ट्रांसमिशन सेवाएं
  - क. प्राकृतिक गैस
  - ख. एलपीजी

II. प्राकृतिक गैस विपणन

III. पेट्रोकेमिकल्स

IV. एलपीजी और अन्य तरल हाइड्रोकार्बन

V. अन्य खंड (गेलटेल, ईएंडपी, विद्युत उत्पादन और शहरी गैस वितरण शामिल हैं)

कंपनी में कोई भौगोलिक खंड नहीं हैं।

**31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए व्यवसाय खंडों के बारे में सूचना** (₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | खंड | ट्रांसमिशन सेवाएं | | प्राकृतिक गैस विपणन** | पेट्रो–केमिकल्स | एलपीजी और तरल हाइड्रोकार्बन | अन्य खंड* | गैर–आवंटन योग्य | कुल | उन्मूलन | समेकित कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्राकृतिक गैस** | एलपीजी | | | | | | | | |
| 1 | खंड राजस्व # | | | | | | | | | | |
| | बाहरी बिक्री/अन्य आय | 9,431.18 | 725.06 | 1,06,759.49 | 7,753.03 | 4,287.79 | 1,680.64 | 0.92 | 1,30,638.11 | - | 1,30,638.11 |
| | अंतर–खंड बिक्री | 861.01 | 6.81 | 7,830.46 | 0.38 | 788.04 | 17.06 | - | 9,503.76 | 9,503.76 | - |
| | **कुल राजस्व** | **10,292.19** | **731.87** | **1,14,589.95** | **7,753.41** | **5,075.83** | **1,697.70** | **0.92** | **1,40,141.87** | **9,503.76** | **1,30,638.11** |
| **2** | **खंड परिणाम** | | | | | | | | | | |
| | खंड परिणाम (ब्याज और कर पूर्व लाभ) | 4,510.11 | 317.06 | 6,067.30 | (136.64) | 769.53 | 370.92 | - | 11,898.28 | - | 11,898.28 |
| | गैर–आबंटित व्यय (निवल) | - | - | - | - | - | - | 1,529.27 | 1,529.27 | - | 1,529.27 |
| | **प्रचालन लाभ** | **4,510.11** | **317.06** | **6,067.30** | **(136.64)** | **769.53** | **370.92** | **(1,529.27)** | **10,369.01** | **-** | **10,369.01** |
| | ब्याज व्यय | - | - | - | - | - | - | 697.23 | 697.23 | - | 697.23 |
| | ब्याज/लाभांश आय | 10.60 | 2.57 | 173.94 | 12.69 | 2.64 | 2.96 | 1,677.38 | 1,882.78 | - | 1,882.78 |
| | कराधान के लिए प्रावधान | - | - | - | - | - | - | 2,718.08 | 2,718.08 | - | 2,718.08 |
| | **सामान्य गतिविधियों से लाभ/(हानि)** | **4,520.71** | **319.63** | **6,241.24** | **(123.95)** | **772.17** | **373.88** | **(3,267.20)** | **8,836.48** | **-** | **8,836.48** |
| | **निवल लाभ/(हानि)** | **4,520.71** | **319.63** | **6,241.24** | **(123.95)** | **772.17** | **373.88** | **(3,267.20)** | **8,836.48** | **-** | **8,836.48** |
| **3** | **अन्य सूचना** | | | | | | | | | | |
| | खंड परिसंपत्तियां | 63,843.83 | 1,029.48 | - | 14,522.84 | 1,755.43 | 3,425.48 | 24,951.38 | 1,09,528.44 | - | 1,09,528.44 |
| | खंड देयताएं | 18,727.04 | 147.91 | | 1,927.79 | 364.18 | 464.86 | 23,717.27 | 45,349.05 | - | 45,349.05 |
| | अचल संपत्ति प्राप्त करने की लागत | 4,016.65 | 56.32 | 1,995.70 | 3,475.20 | 347.35 | 435.13 | 76.73 | 10,403.08 | - | 10,403.08 |

| क्र. सं. | खंड | ट्रांसमिशन सेवाएं | | प्राकृतिक गैस विपणन** | पेट्रो–केमिकल्स | एलपीजी और तरल हाइड्रोकार्बन | अन्य खंड* | गैर–आवंटन योग्य | कुल | उन्मूलन | समेकित कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्राकृतिक गैस** | एलपीजी | | | | | | | | |
| | मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय | 1,652.31 | 83.31 | 688.66 | 557.55 | 101.23 | 183.05 | 64.71 | 3,330.82 | - | 3,330.82 |
| | मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय के अलावा गैर–नकद व्यय | 111.96 | 1.80 | 14.27 | 20.42 | 13.86 | 151.66 | 66.03 | 380.00 | - | 380.00 |

# खंड राजस्व में अन्य प्रचालन आय शामिल है।

* अन्य खंड में गेल टेल, ईएंडपी, शहरी गैस वितरण और बिजली उत्पादन शामिल हैं।

** प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन क्षेत्र में शामिल प्राकृतिक गैस विपणन की परिसंपत्तियां और देयताएं

**31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए व्यावसायिक क्षेत्रों के बारे में सूचना** (₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | खंड | ट्रांसमिशन सेवाएं | | प्राकृतिक गैस विपणन** | पेट्रो–रसायन | एलपीजी और तरल हाइड्रोकार्बन | अन्य खंड* | गैर–आवंटन योग्य | कुल | उन्मूलन | समेकित कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्राकृतिक गैस** | एलपीजी | | | | | | | | |
| 1 | खंड राजस्व # | | | | | | | | | | |
| | बाहरी बिक्री/अन्य आय | 6,168.28 | 715.96 | 1,25,877.44 | 4,916.12 | 4,946.82 | 1,675.29 | 1.72 | 1,44,301.63 | - | 1,44,301.63 |
| | अंतर–खंड बिक्री | 492.79 | 5.66 | 9,412.91 | 1.14 | 623.15 | 26.32 | - | 10,561.97 | 10,561.97 | - |
| | **कुल राजस्व** | **6,661.07** | **721.62** | **1,35,290.35** | **4,917.26** | **5,569.97** | **1,701.61** | **1.72** | **1,54,863.60** | **10,561.97** | **1,44,301.63** |
| 2 | **खंड परिणाम** | | | | | | | | | | |
| | खंड परिणाम (ब्याज और कर पूर्व लाभ) | 1,919.69 | 368.69 | 3,078.75 | (1,060.85) | 1,228.43 | 506.85 | - | 6,041.56 | - | 6,041.56 |
| | गैर–आबंटित व्यय (निवल) | - | - | - | - | - | - | 1,289.77 | 1,289.77 | - | 1,289.77 |
| | **प्रचालन लाभ** | **1,919.69** | **368.69** | **3,078.75** | **(1,060.85)** | **1,228.43** | **506.85** | **(1,289.77)** | **4,751.79** | **-** | **4,751.79** |
| | ब्याज व्यय | - | - | - | - | - | - | 311.72 | 311.72 | - | 311.72 |
| | ब्याज/लाभांश आय | 9.33 | 2.10 | 215.07 | 8.85 | 3.12 | 1.40 | 1,903.87 | 2,143.74 | - | 2,143.74 |
| | कराधान के लिए प्रावधान | - | - | - | - | - | - | 1,282.30 | 1,282.30 | - | 1,282.30 |
| | **सामान्य गतिविधियों से लाभ/(हानि)** | **1,929.02** | **370.79** | **3,293.82** | **(1,052.00)** | **1,231.55** | **508.25** | **(979.92)** | **5,301.51** | **-** | **5,301.51** |
| | **निवल लाभ/(हानि)** | **1,929.02** | **370.79** | **3,293.82** | **(1,052.00)** | **1,231.55** | **508.25** | **(979.92)** | **5,301.51** | **-** | **5,301.51** |
| 3 | **अन्य सूचना** | | | | | | | | | | |
| | खंड परिसंपत्तियां | 61,114.43 | 1,029.70 | - | 11,176.00 | 1,492.25 | 3,389.85 | 17,929.35 | 96,131.59 | - | 96,131.59 |
| | खंड देयताएं | 17,597.39 | 115.11 | - | 895.08 | 169.48 | 463.75 | 21,237.10 | 40,477.92 | - | 40,477.91 |
| | अचल संपत्ति प्राप्त करने की लागत | 5,388.41 | 41.12 | 382.35 | 1,276.00 | 88.03 | 479.35 | 127.02 | 7,782.28 | - | 7,782.28 |
| | मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय | 1,199.79 | 65.76 | 353.47 | 552.83 | 97.83 | 154.86 | 63.53 | 2,488.07 | - | 2,488.07 |
| | मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय के अलावा गैर–नकद व्यय | 114.71 | 1.17 | (84.52) | 37.68 | 6.84 | 3.30 | 0.80 | 79.98 | - | 79.98 |

# खंड राजस्व में अन्य प्रचालन आय शामिल है।

*अन्य खंड में गेल टेल, ईएंडपी, शहरी गैस वितरण और विद्युत सृजन शामिल है।

** प्राकृतिक गैस विपणन की परिसंपत्तियां और देयताएं प्राकृतिक गैस पारेषण खंड में शामिल हैं।

## 45. "संबंधित पार्टी प्रकटन"

भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार, संबंधित पार्टियों के साथ किए गए लेनदेन का प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:

**(I) संबंधित पक्षों की सूची जहां नियंत्रण और संबंध मौजूद है:**

| क्र.सं. | कंपनियों का नाम | संबंध |
|---|---|---|
| 1 | गेल गैस लिमिटेड | सहायक कंपनी |
| 2 | गेल ग्लोबल सिंगापुर प्रा. लि. | |
| 3 | गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक. | |
| 4 | गेल ग्लोबल यूएसए एलएनजी एलएलसी (गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक की 100% सहायक कंपनी) | |
| 5 | बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड सहायक | |
| 6 | कोंकण एलएनजी लिमिटेड | |
| 7 | त्रिपुरा प्राकृतिक गैस कंपनी लिमिटेड | |
| 8 | गेल मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड | |
| 9 | अवंतिका गैस लिमिटेड | संयुक्त उद्यम/संबद्ध |
| 10 | भाग्यनगर गैस लिमिटेड | |
| 11 | ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड | |
| 12 | सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड | |
| 13 | चाइना गैस होल्डिंग्स लिमिटेड | |
| 14 | फयूम गैस कंपनी | |
| 15 | ग्रीन गैस लिमिटेड | |
| 16 | इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड | |
| 17 | इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड | |
| 18 | महानगर गैस लिमिटेड | |
| 19 | महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड | |
| 20 | ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड | |
| 21 | पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड | |
| 22 | रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड | |
| 23 | तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड | |
| 24 | तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड | |
| 25 | वडोदरा गैस लिमिटेड | |
| 26 | एलएलसी भारत एनर्जी ऑफिस | |
| 27 | ओएनजीसी त्रिपुरा पॉवर कंपली लिमिटेड | |
| 28 | एलएनजी जापोनिका शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड | |
| 29 | आंध्र प्रदेश गैस डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड' | गेल गैस लिमिटेड का संयुक्त उद्यम (सहायक कंपनी) |
| 30 | गोवा नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड' | |
| 31 | हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड' | |
| 32 | पुरबा भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड' | |
| 33 | राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड' | |
| 34 | श्री संदीप कुमार गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक |
| 35 | श्री राकेश कुमार जैन, निदेशक (वित्त) | |
| 36 | श्री दीपक गुप्ता, निदेशक (परियोजना) | |
| 37 | श्री आयुष गुप्ता, निदेशक (मानव संसाधन) | |
| 38 | श्री संजय कुमार, निदेशक (विपणन) (15 जून 2023 से) | |
| 39 | श्री राजीव कुमार सिंघल, निदेशक (व्यापार विकास) (28 नवंबर 2023 से) | |
| 40 | श्री एम.वी. अय्यर, निदेशक (व्यापार विकास) (31 अक्तूबर 2023 तक) | |

| क्र.सं. | कंपनियों का नाम | संबंध |
|---|---|---|
| 41 | श्री अखिलेश जैन (स्वतंत्र निदेशक) | |
| 42 | श्री संजय कश्यप (स्वतंत्र निदेशक) | |
| 43 | श्री नंदगोपाल नारायणसामी (स्वतंत्र निदेशक) | |
| 44 | श्रीमती कंगाबम इनोचा देवी (स्वतंत्र निदेशक) | |
| 45 | श्री शेर सिंह (स्वतंत्र निदेशक) | |
| 46 | प्रो. डॉ. रविकांत कोल्हे (स्वतंत्र निदेशक) | |
| 47 | श्री महेश कुमार अग्रवाल (कंपनी सचिव) | |
| 48 | श्री आशीष जोशी (18.10.2023 से) (सरकार द्वारा नामित निदेशक) | |
| 49 | श्री कुशाग्र मित्तल (16.05.2023 से) (सरकार द्वारा नामित निदेशक) | |
| 50 | श्री प्रवीण मल खनूजा (17.10.2023 तक) (सरकार द्वारा नामित निदेशक) | |
| 51 | डॉ. नवनीत मोहन कोठारी (18.04.2023 तक) (सरकार द्वारा नामित निदेशक) | |
| 52 | गेल कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ निधि | |
| 53 | गेल (इंडिया) लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट | |
| 54 | गेल (इंडिया) लिमिटेड कर्मचारी मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी योजना | कर्मचारी लाभ ट्रस्ट |
| 55 | गेल सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना ट्रस्ट | |
| 56 | गेल चौरिटेबल एवं एजुकेशन ट्रस्ट | |

(ii) **सहायक कंपनियों के साथ अवधि के दौरान लेनदेन**

(₹ करोड़ में)

| लेनदेन की प्रकृति | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| प्राप्त निवल अग्रिम/एसडी | 1.88 | -4.06 |
| दावा वसूली/अग्रिम भुगतान शुद्ध लाभांश | - | -0.01 |
| लाभांश | 150.99 | 161.26 |
| वित्तीय गारंटी दायित्व (इंक)/व्यय | 57.57 | 5.20 |
| अंतर कॉर्पोरेट ऋण | 1,782.73 | 100.29 |
| ब्याज आय | 566.01 | 389.60 |
| निवेश | 964.06 | 958.75 |
| अन्य व्यय/प्रतिपूर्ति | 0.22 | 0.33 |
| अन्य आय/प्रतिपूर्ति | 135.93 | 163.91 |
| पूंजी प्रकृति के अन्य लेनदेन | 3.87 | - |
| वस्तुओं/सेवाओं की खरीद | 12,540.05 | 18,504.09 |
| पुनर्गैसीकरण सेवा | 418.92 | 392.19 |
| बिक्री/परिचालन आय | 8,340.74 | 14,607.76 |

(iii) **सहायक कंपनियों के साथ बकाया भोश**

(₹ करोड़ में)

| लेनदेन की प्रकृति | 31 मार्च, 2024 को | 31 मार्च, 2023 को |
|---|---|---|
| प्राप्त अग्रिम/एसडी नेट | 13.07 | 10.34 |
| वित्तीय गारंटी दायित्व (इंक)/व्यय | 296.73 | 242.84 |
| हुकिंग अप प्रभार | 40.73 | 32.79 |
| अंतर कार्पोरेट ऋण | 4,578.32 | 2,795.59 |
| ब्याज आय | 453.20 | 251.84 |
| निवेश | 4,390.31 | 3,427.71 |

(₹ करोड़ में)

| लेनदेन की प्रकृति | 31 मार्च, 2024 को | 31 मार्च, 2023 को |
|---|---|---|
| अन्य व्यय/प्रतिपूर्ति | 0.45 | 2.79 |
| अन्य आय/प्रतिपूर्ति | 51.08 | 30.89 |
| अधिमान शेयर | 252.00 | 252.00 |
| वस्तुओं/सेवाओं की खरीद | 970.42 | 1,106.30 |
| पुनर्गैसीकरण सेवा | 20.95 | 31.72 |
| बिक्री/परिचालन आय | 742.94 | 661.68 |

(IV) **संयुक्त उद्यमों/संबद्ध कंपनियों के साथ अवधि के दौरान लेनदेन**

(₹ करोड़ में)

| लेनदेन की प्रकृति | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| प्राप्त निवल अग्रिम/एसडी | -2.96 | 45.58 |
| दावा वसूली/ निवल अग्रिम भुगतान | -37.75 | -38.63 |
| लाभांश | 530.39 | 870.81 |
| वित्तीय गारंटी दायित्व (आय)/व्यय | 0.13 | - |
| निवेश | 53.85 | 113.27 |
| अन्य व्यय/प्रतिपूर्ति | 5.88 | 5.15 |
| अन्य आय/प्रतिपूर्ति | 70.98 | 77.32 |
| वस्तुओं/सेवाओं की खरीद | 30,884.34 | 35,357.08 |
| बिक्री/परिचालन आय | 18,047.02 | 19,448.10 |
| पट्टा देयताएँ | - | - |
| पट्टा देयताओं पर ब्याज | 29.16 | - |
| उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | - | - |
| उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास | 186.87 | - |

(V) **संयुक्त उद्यमों/संबद्ध कंपनियों के साथ बकाया शेष**

(₹ करोड़ में)

| लेनदेन की प्रकृति | 31 मार्च, 2024 को | 31 मार्च, 2023 को |
|---|---|---|
| प्राप्त अग्रिम/एसडी नेट | 57.06 | 60.02 |
| दावा वसूली/अग्रिम भुगतान निवल | 286.94 | 324.69 |
| लाभांश | - | 141.75 |
| वित्तीय गारंटी दायित्व (आय)/व्यय | 1.61 | 0.24 |
| हुकिंग अप प्रभार | 107.11 | 72.48 |
| निवेश | 4,220.85 | 4,167.00 |
| अन्य व्यय/प्रतिपूर्ति | 0.11 | 0.19 |
| अन्य आय/प्रतिपूर्ति | 44.75 | 31.54 |
| वस्तुओं/सेवाओं की खरीद | 1,152.03 | 1,467.49 |
| बिक्री/परिचालन आय | 1,425.47 | 2,406.68 |
| पट्टा देयताएँ | 408.03 | 593.65 |
| पट्टा देयताओं पर ब्याज | - | - |
| उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | 367.59 | 554.45 |
| उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास | - | - |

(VI) **ट्रस्टों के साथ लेनदेन और बकाया शेष**

**अवधि के दौरान ट्रस्टों के साथ लेनदेन (योगदान)** (₹ करोड़ में)

| लेनदेन की प्रकृति | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| गेल कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ निधि | 57.20 | 67.05 |
| गेल (इंडिया) लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट | 103.58 | 101.33 |
| गेल (इंडिया) लिमिटेड कर्मचारी मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी योजना | 26.48 | 34.94 |
| गेल सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना ट्रस्ट | 27.18 | 17.20 |

**अवधि के दौरान ट्रस्टों के साथ लेनदेन (योगदान)** (₹ करोड़ में)

| संबंधित पार्टी का नाम | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| गेल कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ निधि (भुगतान योग्य)/प्राप्य | 17.01 | (4.89) |
| गेल (इंडिया) लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट (भुगतान योग्य)/प्राप्य | (16.01) | (13.30) |
| गेल (इंडिया) लिमिटेड कर्मचारी मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी योजना (भुगतान योग्य)/प्राप्य | 63.71 | 58.82 |
| गेल सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना ट्रस्ट (भुगतान योग्य)/प्राप्य | (6.20) | 9.19 |

(VII) **मुख्य प्रबंधन कार्मिक की क्षतिपूर्ति**

**(क) कंपनी के पूर्ण कालिक निदेशक** (₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| अल्पावधि कर्मचारी लाभ | 4.99 | 4.03 |
| सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ | 0.64 | 0.50 |
| अन्य दीर्घावधि लाभ | 1.20 | 1.16 |

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| बकाया ऋण और अग्रिम | 1.21 | 1.17 |

**(ख) कंपनी के स्वतंत्र निदेशक** (₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| सिटिंग शुल्क | 0.49 | 0.51 |

**(VIII) सरकार से संबंधित संस्थाएँ जहाँ महत्वपूर्ण लेनदेन किए गए**

ऊपर बताए गए लेनदेन के अलावा, कंपनी का अन्य सरकारी संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

**सरकार का नाम:** भारत सरकार (केंद्र और राज्य सरकार)

**लेनदेन की प्रकृति:**

- उत्पादों और सेवाओं की बिक्री
- उत्पादों की खरीद
- कच्चे माल की खरीद
- रखरखाव और माल ढुलाई शुल्क आदि
- हुकअप प्रभार आदि

ये लेन–देन कंपनी के व्यवसाय के सामान्य क्रम में अन्य संस्थाओं के साथ तुलनात्मक शर्तों पर किए जाते हैं जो सरकार से संबंधित नहीं हैं।

## 46. "अन्य कंपनियों में हितों का प्रकटीकरण" पर भारतीय लेखा मानक 112 के तहत प्रकटीकरणः

**I. सहायक/संयुक्त उद्यम/संबद्ध कंपनी**

| क्र.सं. | कंपनियों का नाम | संबंध | स्वामित्व का अनुपात | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 31 मार्च 2024 को | 31 मार्च 2023 को |
| 1 | गेल गैस लिमिटेड | सहायक कंपनी | 100.00% | 100.00% |
| 2 | गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक. | सहायक कंपनी | 100.00% | 100.00% |
| 3 | गेल ग्लोबल सिंगापुर प्रा. लि. | सहायक कंपनी | 100.00% | 100.00% |
| 4 | त्रिपुरा प्राकृतिक गैस कंपनी लिमिटेड | सहायक कंपनी | 48.98% | 48.98% |
| 5 | बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड सहायक | सहायक कंपनी | 89.88% | 88.13% |
| 6 | कोंकण एलएनजी लिमिटेड | सहायक कंपनी | 93.50% | 93.50% |
| 7 | गेल मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड. | सहायक कंपनी | 100.00% | - |
| 8 | अवंतिका गैस लिमिटेड | संयुक्त उद्यम | 49.99% | 49.99% |
| 9 | भाग्यनगर गैस लिमिटेड | संयुक्त उद्यम | 48.73% | 48.73% |
| 10 | महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड | संयुक्त उद्यम | 22.50% | 22.50% |
| 11 | सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड | संयुक्त उद्यम | 25.00% | 25.00% |
| 12 | ग्रीन गैस लिमिटेड | संयुक्त उद्यम | 49.99% | 49.98% |
| 13 | इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड | संयुक्त उद्यम | 20.00% | 20.00% |
| 14 | तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड | संयुक्त उद्यम | 33.33% | 33.33% |
| 15 | वडोदरा गैस लिमिटेड' | संयुक्त उद्यम | 50.00% | 50.00% |
| 16 | तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड | संयुक्त उद्यम | 5.00% | 5.00% |
| 17 | महानगर गैस लिमिटेड | संबद्ध कंपनी | 32.50% | 32.50% |
| 18 | इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड | संबद्ध कंपनी | 22.50% | 22.50% |
| 19 | पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड | संबद्ध कंपनी | 12.50% | 12.50% |
| 20 | ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड | संबद्ध कंपनी | 70.00% | 70.00% |
| 21 | ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड '' | संबद्ध कंपनी | 49.21% | 49.21% |
| 22 | रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड | संबद्ध कंपनी | 14.30% | 14.72% |
| 23 | फयूम गैस कंपनी | संबद्ध कंपनी | 19.00% | 19.00% |
| 24 | चाइना गैस होल्डिंग्स लिमिटेड | संबद्ध कंपनी | 2.76% | 2.76% |
| 25 | ओएनजीसी त्रिपुरा पॉवर कंपली लिमिटेड | संबद्ध कंपनी | 26.00% | 26.00% |
| 26 | एलएलसी भारत एनर्जी ऑफिस | संबद्ध कंपनी | 20.00% | 20.00% |
| 27 | एलएनजी जापोनिका शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड | संबद्ध कंपनी | 26.00% | 26.00% |

* गेल गैस लिमिटेड की 17.07% (गत वर्षः 17.07%) धारिता सहित

** पूरी तरह प्रति शेयर कम की गई लागत के आधार पर धारिता 7.56% (गत वर्षः 7.56%) है।

इन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षित/गैर–लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपर्युक्त सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/संबद्ध कंपनियों के संबंध में वर्ष के लिए परिसंपत्तियों और देयताओं तथा आय एवं व्यय में कंपनी का हिस्सा निम्नानुसार हैः

| क्र.सं. | विवरण | 2023–24 | 2022–23 |
|---|---|---|---|
| **क.** | **तुलन–पत्र का सारांश** | | |
| 1 | **परिसंपत्तियां** | | |
| | गैर– वर्तमान संपत्तियां | 47,640.37 | 39,800.86 |
| | वर्तमान संपत्ति | 11,985.53 | 11,832.77 |
| | **कुल** | **59,625.90** | **51,633.63** |
| 2 | **देयताएं और प्रावधान** | | |
| | गैर– वर्तमान देयताएं | 24,376.01 | 21,605.93 |
| | वर्तमान देयताएं और प्रावधान | 15,540.19 | 13,650.35 |
| | **कुल** | **39,916.20** | **35,256.28** |

| क्र.सं. | विवरण | 2023–24 | 2022–23 |
|---|---|---|---|
| **ख. लाभ और हानि खाते का सार** | | | |
| 1 | आय | 52,077.33 | 63,483.40 |
| 2 | व्यय | 51,993.53 | 63,227.65 |
| **ग. आकस्मिक देयताएं (*)** | | 3,400.97 | 4,756.21 |

(*) कंपनी के पास उपलब्ध सूचना की सीमा तक

**II. संयुक्त रूप से नियंत्रित परिसंपत्तियां**

**प)** कंपनी के पास 10 ब्लॉक (गत वर्ष: 10 ब्लॉक) में नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी)/हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) के तहत प्रस्तावित ब्लॉकों में भागीदारी हित है, जिसके लिए कंपनी ने भारत सरकार तथा तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए अन्य भागीदारों के साथ क्रमशः एनईएलपी और एचईएलपी के लिए उत्पादन हिस्सेधारी संविदा(एं) पीएससी)/राजस्व हिस्सेदारी संविदा (आरएससी) की हैं। कंपनी 3 ब्लॉकों अर्थात् सीबी–ओएनएन–2010/11, सीबी–ओएनएचपी–2017/12 और आरजे–ओएनएचपी–2001/1 में प्रचालक है और यह शेष 7 ब्लॉकों में गैर–प्रचालक भागीदार है। व्यय, आय, परिसंपत्तियों और देयताओं को कंपनी द्वारा संबंधित ब्लॉकों के पीएससी/आरएससी में अपनी भागीदारी हित के आधार पर साझा किया जाता है।

**31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार ब्लॉकों का विवरण इस प्रकार है:**

| क्र.सं. | ईएंडपी ब्लॉक का नाम | भागीदारी हित | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1,2 | सीबी–ओएनएन–2000/1 और इसकी रिंग फेंस्ड संविदा | 50% | गैर–प्रचालक |
| 3 | एए–ओएनएन–2002/1 | 80% | गैर–प्रचालक |
| 4 | सीबी–ओएनएन–2003/2 | 20% | गैर–प्रचालक |
| 5 | सीबी–ओएनएन–2010/11 | 25% | प्रचालक |
| 6 | एए–ओएनएन–2010/2 | 20% | गैर–प्रचालक |
| 7 | जीके–ओएसएन–2010/1 | 10% | गैर–प्रचालक |
| 8 | सीबी–ओएनएन–2010/8 | 25% | गैर–प्रचालक |
| 9 | सीबी–ओएनएचपी–2017/12* | 100% | प्रचालक |
| 10 | आरजे–ओएनएचपी–2021/1 | 100% | प्रचालक |

* इस ब्लॉक का त्याग किया जा रहा है।

**ख) एनईएलपी/एचईएलपी ब्लॉकों के अलावा, कंपनी ने निम्नलिखित 3 ब्लॉकों में गैर–प्रचालक के रूप में कदम रखा है:–**

| क्र.सं. | ब्लॉक का नाम | भागीदारी हित |
|---|---|---|
| 1 | ए–1, म्यांमार* | 8.50% |
| 2 | ए–3, म्यांमार* | 8.50% |
| 3 | सीवाई–ओएस/2 | 25.00% |

*इसके अलावा, म्यांमार में अपतटीय डिलीवरी स्थल से लैंडफॉल स्थल तक गैस के परिवहन के उद्देश्य से म्यांमार में "वे अपतटीय पाइपलाइन" में कंपनी की 8.50% भागीदारी है।

**ग)** संयुक्त रूप से संचालित ब्लॉकों के संबंध में वर्ष के लिए परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय में कंपनी के भाग को कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है जो प्रचालक द्वारा प्रस्तुत गैर–लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण पर आधारित है और नीचे दिए गए हैं (अंतिम समायोजन उस वर्ष से लागू होते हैं जिसमें लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्राप्त होते हैं):

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2023–24 | 2022–23 |
|---|---|---|
| आय | 1,087.34 | 1,182.78 |
| व्यय (मूल्यह्रास और परिशोधन सहित) | 774.18 | 688.34 |
| कर पूर्व लाभ | 313.16 | 494.44 |
| कुल व्यापक आय | 313.16 | 494.44 |
| निवल परिसंपत्तियां | 1,434.81 | 1,533.68 |
| देयताएं | 198.16 | 195.46 |

उपर्युक्त में 31 मार्च 2024 तक (31 मार्च 2023 तक त्यागे गए 34 ईएंडपी ब्लॉकों सहित) त्यागे गए 35 ईएंडपी ब्लॉकों से संबंधित निम्नलिखित राशि शामिल है, जहां कंपनी गैर–प्रचालक थी।

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2023–24 | 2022–23 |
|---|---|---|
| आय | 46.07 | - |
| व्यय (मूल्य ह्रास और परिशोधन सहित) | 30.56 | 44.89 |
| अन्य परिसंपत्तियां | 3.28 | 3.32 |
| देयताएं | 65.42 | 93.29 |

घ) ईएंडपी संयुक्त उद्यमों के संबंध में विभिन्न उत्पादन हिस्सेदारी संविदा/राजस्व हिस्सेदारी संविदा के तहत प्रतिबद्ध न्यूनतम कार्य कार्यक्रम का हिस्सा ₹ 43.79 करोड़ (गत वर्ष: ₹ 114.93 करोड़) है।

**ङ) मात्रात्मक जानकारी:**

**(i) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कंपनी की हिस्सेदारी का विवरण:**

**क्रूड ऑयल ब्लॉक सीबी–ओएनएन–2000/1, सीबी–ओएनएन–2003/2 और सीबी–ओएनएन–2000/1 (आरएफसी):**

| विवरण | प्रारंभिक स्टॉक | | उत्पादन (उपचारित और संसाधित कच्चा तेल) | | बिक्री | | अंतिम स्टॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य* | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| कच्चा तेल | (मी.टन) | (₹ करोड़ में) | (मी.टन) | (₹ करोड़ में) | (मी.टन) | (₹ करोड़ में) | (मी.टन) | (₹ करोड़ में) |
| 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष | 707.53 | 1.91 | 10,555.24 | - | 10,537.64 | 44.57 | 725.13 | 1.74 |
| 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष | 215.68 | 0.70 | 6,293.76 | - | 5,801.91 | 24.77 | 707.53 | 1.91 |

*उत्पादन मूल्य प्रचालक द्वारा प्रदान नहीं किया गया

**कच्चे तेल का ब्लॉक सीबी–ओएनएन–2010–11 (गेल प्रचालित):**

| विवरण | प्रारंभिक स्टॉक | | उत्पादन (उपचारित और संसाधित कच्चा तेल) | | बिक्री | | अंतिम स्टॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य* | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| कच्चा तेल | (मी.टन) | (₹ करोड़ में) | (मी.टन) | (₹ करोड़ में) | (मी.टन) | (₹ करोड़ में) | (मी.टन) | (₹ करोड़ में) |
| 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष | 7.47 | 0.12 | 413.84 | - | 409.06 | 1.73 | 12.25 | 0.07 |
| 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष | - | - | 7.47 | - | - | - | 7.47 | 0.12 |

*प्रचालकों द्वारा उत्पादन मूल्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

**प्राकृतिक गैस ब्लॉक ए–1 और ए–3 (म्यांमार)**

| विवरण | प्रारंभिक स्टॉक | | उत्पादन | | बिक्री + आंतरिक खपत | | अंतिम स्टॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य* | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| प्राकृतिक गैस | (मिलियन एम³) | (₹ करोड़ में) | (मिलियन एम³) | (₹ करोड़ में) | (मिलियन एम³) | (₹ करोड़ में) | (मिलियन एम³) | (₹ करोड़ में) |
| 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष | 0.47 | 0.48 | 416.45 | - | 416.45 | 856.75 | 0.48 | 0.56 |
| 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष | 0.47 | 0.47 | 475.63 | - | 475.63 | 961.85 | 0.47 | 0.48 |

*उत्पादन मूल्य प्रचालक द्वारा प्रदान नहीं किया गया

**ii) प्रमाणित रिजर्व और प्रमाणित विकसित रिजर्व में कंपनी के हित की निवल मात्रा:**

| विवरण | प्रमाणित रिजर्व | | प्रमाणित विकसित रिजर्व | |
|---|---|---|---|---|
| | 2023–24 | 2022–23 | 2023–24 | 2022–23 |
| **कच्चा तेल ('000 मीट्रिक टन में)** | | | | |
| वर्ष की शुरुआत | 114.22 | 120.51 | 114.22 | 120.51 |
| जोड़ | - | - | - | - |
| विलोपन | - | - | - | - |

| विवरण | प्रमाणित रिजर्व | | प्रमाणित विकसित रिजर्व | |
|---|---|---|---|---|
| | 2023–24 | 2022–23 | 2023–24 | 2022–23 |
| उत्पादन | 10.90 | 6.29 | 10.90 | 6.29 |
| अंतिम शेष | 103.32 | 114.22 | 103.32 | 114.22 |
| प्राकृतिक गैस (मिलियन एम3 में) | | | | |
| **क) म्यांमार** | | | | |
| वर्ष की शुरुआत | 2,882.62 | 3,358.25 | 2,143.59 | 2,619.22 |
| जोड़ | 89.07 | | 828.09 | |
| विलोपन | | | | |
| उत्पादन | 416.45 | 475.63 | 416.45 | 475.63 |
| अंतिम शेष | 2,555.24 | 2,882.62 | 2,555.23 | 2,143.59 |
| **ख) भारत** | | | | |
| वर्ष की शुरुआत | 1,812.28 | 1,812.28 | - | - |
| जोड़ | - | - | - | - |
| विलोपन | - | - | - | - |
| उत्पादन | - | - | - | - |
| अंतिम शेष | 1,812.28 | 1,812.28 | - | - |
| **अंतिम शेष कुल (क+ख)** | **4,367.52** | **4,694.90** | **2,555.23** | **2,143.59** |

**टिप्पणियाँ:**

(i) कंपनी ईएंडपी ब्लॉकों में गैर–प्रचालक भागीदार है जिसके लिए आरक्षित निधियों को समाप्त कर दिया गया है।

(ii) प्रारंभिक तेल और गैस भंडार का मूल्यांकन विशेषज्ञ तृतीय पक्ष एजेंसी/ईएंडपी ब्लॉकों के संबंधित प्रचालकों द्वारा आंतरिक विशेषज्ञ मूल्यांकन के माध्यम से किया गया था। वर्ष के अंत में तेल भंडार का अनुमान प्रचालक से प्राप्त जानकारी/वर्ष के दौरान कमी के आधार पर लगाया जाता है। संबंधित ब्लॉक में नए महत्वपूर्ण डेटा या हाइड्रोकार्बन की खोज के रूप में संबंधित प्रचालक द्वारा किए गए तेल और गैस भंडार का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।

(iii) ईएंडपी ब्लॉकों का मूल्यांकन व्यक्तिगत रूप से हानि का पता लगाने के लिए किया जाता है।

**III.** शेष लागत वसूली में कंपनी का हिस्सा ₹ 310.41 करोड़ (गत वर्ष: ₹ 426.19 करोड़) है जिसे भविष्य के राजस्व से ईएंडपी ब्लॉकों से वसूला जाना है, जिनके पास उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं के अनुसार आरक्षित भंडार है।

## 47 लेखा मानक – परिसंपत्तियों की हानि – भारतीय लेखा मानक–36 और भारतीय लेखा मानक–109:

'भारतीय लेखा मानक–36, परिसंपत्तियों की हानि' और 'भारतीय लेखा मानक 109, वित्तीय लिखतों' के अनुपालन में कंपनी ने 31 मार्च 2024 को ईएंडपी, गेल टेल, पाइपलाइनों के लिए उपयोग का अधिकार (आरओयू) के संबंध में हानि का आकलन किया:

I. कंपनी ने तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड के संबंध में शून्य (गत वर्ष: ₹ 55.38 करोड़) की हानि का लेखा–जोखा रखा।

II. कंपनी ने गेल टेल की परिसम्पत्तियों के संबंध में ₹ 1.95 करोड़ (गत वर्ष हानि का प्रत्यावर्तन ₹ 4.26 करोड़) की हानि का लेखा–जोख रखा है।

III. कंपनी ने संयंत्र और मशीनरी के संबंध में ₹ शून्य (गत वर्ष: ₹ 0.72 करोड़) की हानि का लेखा–जोख रखा है।

IV. कंपनी ने अन्वेषण और उत्पादन व्यवसाय की उत्पादक संपत्ति के संबंध में ₹ 19.37 करोड़ (गत वर्ष: ₹ शून्य) की हानि का लेखा–जोख रखा।

V. कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 36 के प्रावधानों के अनुपालन में पाइपलाइनों के लिए आरओयू का हानि अध्ययन किया। आरओयू के संबंध में कोई हानि नहीं पाई गई।

**48.** वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि/वित्तीय गारंटी पर अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) पर भारतीय लेखा मानक 109 के अनुपालन में, कंपनी ने 31 मार्च 2024 तक इसके निम्नलिखित निवेशों/वित्तीय गारंटी के संबंध में मूल्यांकन किया:

**I.** वर्ष के दौरान, तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड में निवेश के उचित मूल्यांकन के आधार पर, कंपनी ने 'शून्य' (गत वर्ष: ₹ 55.38) हानि का प्रावधान किया है। 31 मार्च 2023 तक तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड में कंपनी के निवेश का वाहक मूल्य 'शून्य' है (गत वर्ष: शून्य)।

II. वर्ष के दौरान, गेल ग्लोबल यूएसए इंक (जीजीयूआई) के उचित मूल्यांकन के आधार पर, कंपनी ने जीजीयूआई की ओर से कंपनी द्वारा प्रदान की गई कॉर्पोरेट गारंटी की तुलना में ₹ 46.05 करोड़ (गत वर्षः ₹ 46.62 करोड़) की अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रदान की है।

**49.** "प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों" पर भारतीय लेखा मानक 37 के अनुपालन में, संभावित दायित्व के प्रावधान पर आवश्यक जानकारी निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

| प्रावधान | प्रारंभिक शेष | वर्ष के दौरान राशि में वृद्धि (ओसीआई सहित) | वर्ष के दौरान निरसन/समायोजित (ओसीआई सहित) | अंतिम शेष |
|---|---|---|---|---|
| कर्मचारी लाभ | 845.52 | 307.44 | (148.32) | 1,004.64 |
| परित्याग लागत की देयता | 1.94 | - | (0.01) | 1.93 |
| कानूनी और मध्यस्थता मामले (कर सहित) | 845.19 | 164.33 | (14.13) | 995.39 |
| **कुल** | **1,692.65** | **471.77** | **(162.46)** | **2,001.96** |

## 50. अप्रतिबंधित विदेशी मुद्रा जोखिम

(₹ करोड़ में)

| विवरण | मुद्राएं | 31 मार्च 2024 | 31 मार्च 2023 |
|---|---|---|---|
| उधार, उपार्जित ब्याज लेकिन देय नहीं* | यूएसडी | - | - |
| व्यापार देय/जमा और प्रतिधारण धनराशि | यूएसडी | 1,504.45 | 3,534.19 |
| | यूरो | 26.19 | 9.63 |
| | अन्य | 2.10 | 28.78 |
| व्यापार/अन्य प्राप्ति और बैंक शेष | यूएसडी | 922.81 | 581.49 |
| | यूरो | - | 1.14 |
| | अन्य | 2.34 | 0.06 |
| संविदाओं की अप्रयुक्त राशि | यूएसडी | 376.24 | 410.00 |
| | यूरो | 1,082.78 | 1,019.90 |
| | अन्य | 150.53 | 127.32 |
| एसईएजीपी से प्राप्त ऋण | अन्य | - | - |
| एसईएजीपी से पूंजी प्राप्त अंशदान | यूएसडी | 27.51 | 96.53 |

*विदेशी मुद्रा प्रवाह की तुलना में स्वाभाविक रूप से समायोजित की गई राशि शामिल नहीं है।

**51** कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186(4) के तहत कंपनी द्वारा दिए गए ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा का विवरण।

I. किए गए निवेश और दिए गए ऋणों का प्रकटीकरण संबंधित नोट सं. 5 और 7 के तहत किया जाता है।

II. (क) ऋण के संबंध में कंपनी द्वारा अपनी सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/संबद्ध कंपनियों की ओर से दी गई कॉर्पोरेट गारंटी इस प्रकार हैः

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं | कंपनी का नाम | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|
| 1 | गेल गैस लिमिटेड | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 2 | गेल ग्लोबल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड | 1,251.15 | 1,241.10 |
| 3 | गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक. | 583.87 | 579.18 |
| 4 | गेल ग्लोबल (यूएसए) एलएनजी एलएलसी | 750.69 | 744.66 |
| 5 | इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड कुल | 518.80 | 518.80 |
| | **कुल** | **4,604.51** | **4,583.74** |

ख) गैर–निधि आधारित सुविधाओं के संबंध में कंपनी द्वारा अपनी सहायक कंपनियों की ओर से दी गई कॉर्पोरेट गारंटी इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं | कंपनी का नाम | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|
| 1 | गेल गैस लिमिटेड | 2,380.80 | 2,832.00 |
| 2 | गेल ग्लोबल सिंगापुर प्रा. लिमिटेड | 1,668.20 | 1,654.80 |
| 3 | गेल ग्लोबल (यूएसए) एलएनजी एलएलसी | 7,640.77 | 8,142.52 |
| 4 | एलएनजी जापोनिका शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 389.53 | 419.24 |
| | **कुल** | **12,079.30** | **13,048.56** |

III. कंपनी द्वारा कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है।

**52.** मैसर्स पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) को पुनर्गैसीकरण क्षमता की बुकिंग के लिए वित्त वर्ष 2014–15 और वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान दो समान किस्तों में 561.80 करोड रुपए का ब्याज मुक्त अग्रिम दिया गया है। उक्त अग्रिम को पीएलएल के पुनर्गैसीकरण बिल के विरुद्ध 15 वर्षों के भीतर समायोजित किया जाना है। उपरोक्त अग्रिम में से, पीएलएल ने वर्ष के दौरान ₹ 38.2 करोड़ समायोजित किए हैं (गत वर्ष: ₹ 38.2 करोड़)। टिप्पण सं. 12 एवं 12क में ₹ 286.42 करोड़ (गत वर्ष: ₹ 324.63 करोड़) की शेष राशि अग्रिम के रूप में दर्ज की गई है।

**53** कुछ मामलों में, कंपनी को सूक्ष्म और लघु उद्यमों से "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006" के तहत उनकी स्थिति के बारे में सूचना मिली है। प्रथा के अनुसार, सभी आपूर्तिकर्ताओं को वैध चालान प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

| विवरण | वित्त वर्ष 2023–24 | वित्त वर्ष 2022–23 |
|---|---|---|
| **वर्ष के अंत में देय और भुगतान योग्य राशि** | | |
| – मूलधन* | 329.47 | 337.10 |
| – उपरोक्त मूलधन पर ब्याज | - | - |
| **देय तिथि के बाद वर्ष के दौरान किए गए भुगतान** | | |
| – मूलधन | - | - |
| – ब्याज | - | - |
| पहले से भुगतान किए गए मूलधन के लिए देय और देय ब्याज | - | - |
| कुल अर्जित ब्याज जिसका वर्ष के अंत में भुगतान नहीं किया गया | - | - |

* देयताएं और प्रावधान आदि शामिल हैं।

**54** आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए), भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आयोजित अपनी बैठक में जगदीशपुर–हल्दिया–बोकारो–धामरा पाइपलाइन परियोजना (जेएचबीडीपीएल) के निष्पादन के लिए कंपनी को ₹ 12,940 करोड़ के अनुमानित पूंजीगत लागत के 40% अर्थात ₹ 5,176 करोड़ की पूंजी अनुदान को मंजूरी दी। कंपनी को 31 मार्च 2024 तक पूंजीगत अनुदान के लिए ₹ 4,926.29 करोड़ (गत वर्ष: ₹ 4,926.29 करोड़) प्राप्त हुए हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी ने पूंजीकृत परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर ₹ 137.48 करोड़ (गत वर्ष: ₹ 100.67 करोड़) की पूंजीगत अनुदान राशि का परिशोधन किया है।

**55** अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में ₹ 155.08 करोड़ की राशि शामिल है, जो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 30 अप्रैल 2022 को जारी अधिसूचना सं. 22/2022–सीयूएस के अनुसार व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से प्राप्त तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) कार्गो के आयात पर वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान अनंतिम रूप से भुगतान किए गए सीमा शुल्क के कारण सीमा शुल्क विभाग से प्राप्तियां हैं।

## 56 वित्तीय जोखिम प्रबंधन:

कंपनी प्राकृतिक व्यापार जोखिमों के साथ–साथ वित्तीय साधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले कई वित्तीय जोखिमों के संपर्क में है, जिसमें वस्तु के मूल्यों से संबंधित बाजार जोखिम, विदेशी मुद्रा विनिमय और ब्याज दरों; ऋण जोखिम; और नकदी जोखिम शामिल है।

I. **बाजार जोखिम**

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिससे बाजार की कीमतों में बदलाव के कारण किसी वित्तीय साधन के भावी नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतार–चढ़ाव होगा। बाजार जोखिम में ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम, जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और वस्तु जोखिम शामिल हैं। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधन ऋण और उधार, जमा और व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं।

**क) ब्याज दर जोखिम**

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिससे बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण किसी वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा। बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के जोखिम के प्रति कंपनी का जोखिम प्राथमिक रूप से दीर्घकालिक घरेलू रुपया अवधि के ऋण और फ्लोटिंग ब्याज दरों के साथ विदेशी मुद्रा ऋण से संबंधित है। कंपनी अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार अपने ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करती है। बाजार ब्याज दर जोखिम को उचित डेरिवेटिव उत्पादों जैसे कि ब्याज दर अदला–बदली और पूर्ण मुद्रा अदला–बदली के माध्यम से हेजिंग द्वारा कम किया जाता है, जिसमें यह विनिमय करने के लिए सहमत होता है, निर्दिष्ट अंतराल पर, निश्चित और परिवर्तनीय दर ब्याज राशियों के बीच अंतर की गणना सहमत काल्पनिक मूल राशि के संदर्भ में की जाती है।

**ब्याज दर संवेदनशीलता**

अन्य सभी परिवर्तनों के स्थिर रहने के साथ, निम्न तालिका स्वैप संविदाओ के प्रभाव पर विचार करने के बाद, 31 मार्च 2024 को बकाया विदेशी मुद्रा ऋणों और बकाया उधारों के फ्लोटिंग दर हिस्से पर ब्याज दरों में यथोचित संभावित परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को प्रदर्शित करती है।

| विवरण | 31 मार्च 2024 | | | 31 मार्च 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | यूएस डॉलर (लिबोर) | | अन्य | यूएस डॉलर (लिबोर)* | | अन्य |
| वृद्धि/कमी (आधार अंक में) | शून्य | शून्य | शून्य | 10 | -10 | शून्य |
| कर–पूर्व लाभ पर प्रभाव (₹ करोड में) | शून्य | शून्य | | - | - | |

*लिबोर–लंदन इंटरबैंक प्रस्ताव दर

अन्य सभी परिवर्तनों को स्थिर रखते हुए, निम्नलिखित तालिका 31.03.2024 तक बकाया उधारों के फ्लोटिंग दर वाले हिस्से पर ब्याज दरों में यथोचित संभावित परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को प्रदर्शित करती है।

| विवरण | 31 मार्च 2024 | | | 31 मार्च 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ब्याज दर (आरबीआई रेपो दर)* | | अन्य | ब्याज दर (आरबीआई रेपो दर)* | | अन्य |
| वृद्धि/कमी (आधार अंक में) | +10 | -10 | शून्य | +10 | -10 | शून्य |
| कर–पूर्व लाभ पर प्रभाव (₹ करोड़ में) | -11.17 | 11.17 | | -7.32 | +7.32 | |

अन्य सभी परिवर्तनों को स्थिर रखने के साथ, निम्नलिखित तालिका 31 मार्च, 2024 को बकाया कॉरपोरेट संबद्ध आवधिक जमा योजना (सीएलटीडी) पर ब्याज दरों में एक संभावित बदलाव के प्रति संवेदनशीलता दर्शाती है, जो मुंबई इंटरबैंक प्रस्ताव दर (एमआईबीओआर) से जुड़ी हुई हैः –

| विवरण | 31 मार्च 2024 | | | 31 मार्च 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | रुपए (मिबोर) | | अन्य | रुपए (मिबोर) | | अन्य |
| वृद्धि/कमी (आधार अंक में) | +100 | -100 | शून्य | +100 | -100 | शून्य |
| कर–पूर्व लाभ पर प्रभाव (₹ करोड़ में) | +0.07 | -0.07 | | +0.77 | -0.77 | |

**ख) विदेशी मुद्रा जोखिम**

विदेशी मुद्रा जोखिम वह जोखिम है जिससे किसी वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा। कंपनी स्थानीय मुद्रा और विदेशी मुद्रा मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर में कारोबार करती है। कंपनी ने विदेशी मुद्रा ऋण प्राप्त किया है और विदेशी मुद्रा व्यापार देय और प्राप्य है और इसलिए, विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है। अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम को सादे वैनिला व्युत्पन्न उत्पादों जैसे कि विदेशी मुद्रा विकल्प संविदाओं, स्वैप संविदाओं या ऐसे जोखिमों से बचाव के लिए वायदा संविदाओं के माध्यम से कम कर सकती है। उचित मूल्य पर की गई यह विदेशी मुद्रा संविदा, कंपनी की अंतर्निहित अनुबंध आवश्यकता और जोखिम प्रबंधन रणनीति के आधार पर अलग–अलग परिपक्वता वाली हो सकती है।

**विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता**

अन्य सभी परिवर्तन स्थिर रहने पर निम्न तालिका कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा के प्रति अमेरिकी डॉलर, यूरो और अन्य मुद्राओं में संवेदनशीलता दर्शाती है। कंपनी के कर पूर्व लाभ पर प्रभाव विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव सहित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण है।

| विवरण | 31 मार्च 2024 | | | | 31 मार्च 2023 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | अमरीकी डालर | | अन्य मुद्रा | | अमरीकी डालर | | मुद्रा | |
| विनिमय दर में वृद्धि/कमी (%) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 1% | -1% | 1% | -1% |
| कर–पूर्व लाभ पर प्रभाव (₹ करोड़ में) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | -32.66 | +32.66 | -11.84 | +11.84 |

**ग) वस्तु मूल्य जोखिम**

कंपनी सतत आधार पर विपणन और अपनी आंतरिक खपत के लिए एलएनजी का आयात करती है और उस सीमा तक कीमत जोखिम का उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, जिस हद तक उसने भारत और विदेशों में ग्राहकों के साथ बैक टू बैक आधार पर अनुबंध किया है। तथापि, कंपनी मात्रा पर मूल्य जोखिम से प्रभावित होती है जो बैक टू बैक आधार पर अनुबंधित नहीं है। चूंकि अधिकांश एलएनजी खरीद और बिक्री अनुबंध प्राकृतिक गैस या कच्चे तेल आधारित सूचकांक पर आधारित होते हैं, ऐसे मूल्य जोखिम इन सूचकांकों में अस्थिरता से उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा, कंपनी के पास ई. एंड पी. ब्लॉक द्वारा उत्पादित एलपीजी/एलएचजी उत्पादों और क्रूड ऑयल एवं प्राकृतिक गैस की बिक्री हेतु इंडेक्श से संबंधित मूल्य एक्सपोजर है। इस सूचकांक से जुड़े मूल्य जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'प्राकृतिक गैस मूल्य जोखिम प्रबंधन नीति' के अनुरूप उपयुक्त डेरिवेटिव उत्पाद ले रही है।

**घ) इक्विटी मूल्य जोखिम**

कंपनी के सूचीबद्ध और गैर–सूचीबद्ध इक्विटी निवेश, इन निवेशों के भावी मूल्यों के बारे में अनिश्चितताओं से उत्पन्न होने वाले बाजार मूल्य जोखिम के प्रति अतिसंवेदनशील हैं। कंपनी नियमित आधार पर कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा निवेश की समीक्षा के माध्यम से इक्विटी मूल्य जोखिम का प्रबंधन करती है। कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी के सभी इक्विटी निवेश निर्णयों की समीक्षा और अनुमोदन करता है।

रिपोर्टिंग तिथि को गैर–सूचीबद्ध इक्विटी निवेशों में उचित मूल्य पर जोखिम ₹ 374.75 करोड़ (गत वर्षः ₹ 280.78 करोड) था।

रिपोर्टिंग तारीख को, उचित मूल्य पर सूचीबद्ध इक्विटी निवेशों का जोखिम ₹ 8276 करोड़ (गत वर्षः ₹ 4662.74 करोड़) था। स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध इक्विटी निवेशों के शेयर मूल्य में (+/–) 10% की भिन्नता के साथ कंपनी के ओसीआई और इक्विटी निवेश पर लगभग (+/–) ₹ 827.6 करोड़ (गत वर्षः ₹ 466.27 करोड़) का प्रभाव हो सकता है। इन परिवर्तनों का लाभ या हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**II. नकदी जोखिम**

नकदी जोखिम वह जोखिम है जब कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए धन का उपयुक्त स्रोत उपलब्ध नहीं हो सकता हो। कंपनी का उद्देश्य अपनी नकदी और संपार्श्विक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकदी का इष्टतम स्तर बनाए रखना है। कंपनी अपनी नकदी की स्थिति पर पूरी तरह से नजर रखती है और एक ठोस नकदी प्रबंधन प्रणाली को लागू करती है। यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार के माध्यम से ओवरड्राफ्ट सुविधा और दीर्घावधि उधार जैसी अपनी अल्पकालिक और दीर्घकालिक निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्रोत भी रखती है।

**नकदी जोखिम – 31 मार्च, 2024 को परिपक्वता रूपरेखा**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | मांग पर | 3 माह से कम | 3 से 12 माह | > 1 से 5 माह | झ 5 वर्ष | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उधार (गैर–वर्तमान) | - | - | - | 8,001.46 | 3,563.29 | 11,564.75 |
| उधार (वर्तमान) | - | 2,912.50 | 1,935.83 | - | - | 4,848.33 |
| व्यापार देय | - | 6,718.92 | | - | - | 6,718.92 |
| अन्य वित्तीय देयताएं (वर्तमान) | - | 5,115.04 | | - | - | 5,115.04 |
| अन्य वित्तीय देयताएं (गैर–वर्तमान) | - | - | - | 717.89 | - | 717.89 |
| **कुल** | **-** | **14,746.46** | **1,935.83** | **8,719.35** | **3,563.29** | **28,964.93** |

**नकदी जोखिम – 31 मार्च, 2023 तक परिपक्वता रूपरेखा**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | मांग पर | 3 माह से कम | 3 से 12 माह | > 1 से 5 माह | झ 5 वर्ष | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उधार (गैर–वर्तमान) | - | - | - | 6,735.00 | 1,102.08 | 7,837.08 |
| उधार (वर्तमान) | 4,502.00 | 12.50 | 1,957.16 | - | - | 6,471.66 |
| व्यापार देय | - | 7,299.25 | | - | - | 7,299.25 |
| अन्य वित्तीय देयताएं (वर्तमान) | - | 3,687.74 | | - | - | 3,687.74 |
| अन्य वित्तीय देयताएं (गैर–वर्तमान) | - | - | - | 732.80 | - | 732.80 |
| **कुल** | **4,502.00** | **10,999.49** | **1,957.16** | **7,467.80** | **1,102.08** | **26,028.53** |

**III. ऋण जोखिम**

ऋण जोखिम वह जोखिम है जिसमें ग्राहक या वित्तीय साधन भेजने वाली पार्टी देय राशि का भुगतान करने या भुगतान करने में विफल रहती है, जिससे कंपनी को वित्तीय नुकसान हो सकता है। इसे व्यवसाय करने के जोखिम–रिवार्ड संतुलन का एक हिस्सा माना जाता है और किसी भी व्यावसायिक समझौता करने पर उस सीमा तक विचार किया जाता है, जिस हद तक यह व्यवस्था कंपनी को ऋण जोखिम में डालती है। यह नकद और नकद समकक्षों, व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों, वित्तीय संस्थानों के पास जमा और मुख्य रूप से बकाया प्राप्तियों से संबंधित ग्राहकों के क्रेडिट एक्सपोजर से उत्पन्न हो सकता है। कंपनी द्वारा जारी गारंटी के संबंध में क्रेडिट एक्सपोजर भी मौजूद है। प्रत्येक खंड अपने स्वयं के ऋण जोखिम प्रबंधन और रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है।

कंपनी ने अपनी समूह कंपनियों की ओर से कॉर्पोरेट गारंटी जारी की है, विवरण के लिए टिप्पण सं. 50(II) देखें।

**व्यापार प्राप्तियां**

ग्राहक ऋण जोखिम प्रबंधन कंपनी की स्थापित नीति, प्रक्रियाओं और ग्राहक ऋण जोखिम प्रबंधन से संबंधित नियंत्रण के अधीन प्रत्येक व्यावसायिक इकाई द्वारा प्रबंधित किया जाता है। बकाया ग्राहक प्राप्तियों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को प्रमुख ग्राहकों के लिए व्यक्तिगत आधार पर हानि विश्लेषण किया जाता है।

व्यापार प्राप्ति के पुराना होने संबंधी अनुसूची:

**31 मार्च, 2024 को गैर–वर्तमान व्यापार प्राप्ति एजिंग अनुसूची:**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 माह से कम | 6 माह – 1 वर्ष | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | |
| (i) अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छी मानी गई | - | - | - | - | - | - |
| (ii) अविवादित व्यापार प्राप्य – संदिग्ध मानी गई | - | - | - | - | - | - |
| (iii) विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छी मानी गई | - | - | - | - | 1,044.77 | 1,044.77 |
| (iv) विवादित व्यापार प्राप्य – संदिग्ध मानी गई | - | - | - | - | 560.31 | 560.31 |
| **उप–योग** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1,605.08** | **1,605.08** |
| घटा: अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान | | | - | | - | (560.31) |
| **निवल राशि** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1,605.08** | **1,044.77** |

**31 मार्च, 2023 को गैर–वर्तमान व्यापार प्राप्ति एजिंग अनुसूची:**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 माह से कम | 6 माह – 1 वर्ष | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | |
| (i) अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छी मानी गई | - | - | - | - | - | - |
| (ii) अविवादित व्यापार प्राप्य – संदिग्ध मानी गई | - | - | - | - | - | - |
| (iii) विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छी मानी गई | 2.47 | - | 94.06 | 45.84 | 901.91 | 1,044.28 |
| (iv) विवादित व्यापार प्राप्य – संदिग्ध मानी गई | 1.26 | 7.63 | 4.61 | 3.37 | 595.11 | 611.98 |
| **उप–योग** | **3.73** | **7.63** | **98.67** | **49.21** | **1,497.02** | **1,656.26** |
| घटा: अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान | | | | | | (611.98) |
| **निवल राशि** | **3.73** | **7.63** | **98.67** | **49.21** | **1,497.02** | **1,044.28** |

**31 मार्च, 2024 को वर्तमान व्यापार प्राप्ति एजिंग अनुसूची:**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 माह से कम | 6 माह – 1 वर्ष | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | |
| (i) अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छी मानी गई | 9,322.02 | 288.64 | 39.46 | 21.52 | 19.48 | 9,691.12 |
| (ii) अविवादित व्यापार प्राप्य – संदिग्ध मानी गई | - | - | - | - | - | - |
| (iii) विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छी मानी गई | - | - | - | - | - | - |
| (iv) विवादित व्यापार प्राप्य – संदिग्ध मानी गई | - | - | - | - | - | - |
| **उप–योग** | **9,322.02** | **288.64** | **39.46** | **21.52** | **19.48** | **9,691.12** |
| घटा: अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान | | | | | | (82.04) |
| **निवल राशि** | **9,322.02** | **288.64** | **39.46** | **21.52** | **19.48** | **9,609.08** |

**31 मार्च, 2023 को वर्तमान व्यापार प्राप्य एजिंग शेड्यूलः**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 माह से कम | 6 माह – 1 वर्ष | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | |
| (i) अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छी मानी गई | 10,365.66 | 81.97 | - | 24.88 | - | 10,472.51 |
| (ii) अविवादित व्यापार प्राप्य – संदिग्ध मानी गई | - | - | - | - | - | - |
| (iii) विवादित व्यापार प्राप्य– अच्छी मानी गई | - | - | - | - | - | - |
| (iv) विवादित व्यापार प्राप्य– संदिग्ध मानी गई | - | - | - | - | - | - |
| **उप–योग** | **10,365.66** | **81.97** | **-** | **24.88** | **-** | **10,472.51** |
| घटाः अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान | | - | - | - | - | (106.21) |
| **निवल राशि** | **10,365.66** | **81.97** | **-** | **24.88** | **-** | **10,366.30** |

**अपेक्षित ऋण हानि**

निम्न तालिका में व्यापार प्राप्तियों के लिए संदिग्ध खातों संबंधी भत्तों में परिवर्तन का सारांश दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2024 | 31 मार्च 2023 |
|---|---|---|
| वर्ष का प्रारंभ | 718.19 | 705.10 |
| हानि के लिए प्रावधान/(उलटना) | | |
| वर्ष के दौरान एकत्र न की जा सकी प्राप्त राशियों को बट्टे खाते में डाला गया | (75.84) | 13.09 |
| अप्रयुक्त मात्रा को वापस लिखा गया | | |
| अन्य प्रावधान | - | - |
| **वर्ष के अंत में** | **642.35** | **718.19** |

**वित्तीय साधन और नकद जमा**

अधिशेष निधियों के निवेश और विदेशी मुद्रा लेनदेन के उद्देश्य से, बैंकों और वित्तीय संस्थानों में शेष राशि से क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन कंपनी के ट्रेजरी विभाग द्वारा अपने सूचीबद्ध बैंकों की अनुमोदित सीमाओं के अनुसार किया जाता है। विदेशी मुद्रा लेनदेन और अधिशेष निधि का निवेश केवल सूचीबद्ध बैंकों और लिक्विड और ओवरनाइट म्यूचुअल फंड के साथ किया जाता है। प्रबंधन द्वारा सभी बैंकों की क्रेडिट सीमा की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है।

IV. **पूंजी प्रबंधन**

पूंजी में कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए जारी पूंजी और अन्य सभी इक्विटी रिजर्व शामिल हैं। कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यह अपने व्यवसाय का समर्थन करने और शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करने के लिए एक ठोस ऋण रेटिंग और सुदृढ़ पूंजी अनुपात बनाए रखे।

कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक स्थितियों में बदलाव और वित्तीय अनुबंधों की आवश्यकताओं को देखते हुए समायोजन करती है। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों के लाभांश भुगतान को समायोजित कर सकती है, शेयरधारकों को पूंजी वापस कर सकती है, या नए शेयर जारी कर सकती है। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

## 57. लेखांकन वर्गीकरण और उचित मूल्य माप

कंपनी मूल्यांकन तकनीक द्वारा वित्तीय साधनों के उचित मूल्य के निर्धारण और निपटान के लिए निम्नलिखित पदानुक्रम का उपयोग करती है:

**स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर–समायोजित) कीमतें।**

**स्तर 2:** अन्य तकनीकें जिनके लिए सभी इनपुट जिनका रिकॉर्ड किए गए उचित मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं।

**स्तर 3:** तकनीक जो इनपुट का उपयोग करती है जिसका रिकॉर्ड किए गए उचित मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है जो देखने योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं होते हैं।

**31 मार्च 2024 तक,** कंपनी के पास वित्तीय स्थिति विवरण में उचित मूल्य पर निम्नलिखित वित्तीय साधन थे: (₹ करोड़ में)

| विवरण | वहन राशि | उचित मूल्य | | |
|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च 2024 | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 |
| **परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | | |
| **गैर – वर्तमान** | | | | |
| ऋण | 5,313.01 | - | - | 5,313.01 |
| **वर्तमान** | | | | |
| ऋण | 88.58 | - | - | 88.58 |
| **लाभ और हानि खाते के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | | |
| **गैर – वर्तमान** | | | | |
| व्युत्पन्न लिखत – उधार रुपए/यूएसडी स्वैप | 2.88 | | 2.88 | |
| अंतर्निहित व्युत्पन्न लिखतें | - | | - | |
| व्युत्पन्न लिखत – वस्तु | - | - | - | - |
| **वर्तमान** | | | | |
| व्युत्पन्न लिखत – उधार रुपए/यूएसडी स्वैप | 0.96 | - | 0.96 | |
| अंतर्निहित व्युत्पन्न लिखतें | 1.83 | | 1.83 | |
| **अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | | |
| **गैर – वर्तमान** | | | | |
| व्युत्पन्न लिखतें – वस्तु | 246.76 | | 246.76 | |
| निवेश | 8,650.75 | 8,276.00 | - | 374.75 |
| **वर्तमान** | | | | |
| व्युत्पन्न लिखतें – वस्तु | **410.92** | | **410.92** | |
| **परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं** | | | | |
| **गैर – वर्तमान** | | | | |
| ब्याज वाले ऋण और उधार | | | | |
| फिक्स्ड | 2,218.75 | | | 2,203.72 |
| फ्लोटिंग | 9,346.00 | | | 9,346.00 |
| **वर्तमान** | | | | |
| ब्याज वाले ऋण और उधार: | | | | |
| फिक्स्ड | 3,025.00 | | | 3,026.08 |
| **फ्लोटिंग** | **1,823.33** | | | **1,823.33** |
| **गैर – वर्तमान** | | | | |
| व्युत्पन्न लिखत – उधार रुपए/यूएसडी स्वैप | 37.93 | | 37.93 | |
| **वर्तमान** | | | | |
| व्युत्पन्न लिखत – उधार रुपए/यूएसडी स्वैप | 7.43 | | 7.43 | |
| अंतर्निहित व्युत्पन्न लिखतें | 0.03 | | 0.03 | |
| **लाभ और हानि खाते के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं** | | | | |
| **गैर – वर्तमान** | | | | |
| व्युत्पन्न लिखतें – वस्तु | 0.04 | | 0.04 | |
| **वर्तमान** | | | | |
| व्युत्पन्न लिखत – वस्तु | 289.87 | | 289.87 | |

**टिप्पणी:**

i) ब्याज वाले ऋणों और उधारों की वहन लागत उनके उचित बाजार मूल्य के लगभग बराबर है।

ii) व्यापार प्राप्य राशि, नकद और नकद समकक्ष, अन्य बैंक शेष, अन्य प्राप्य, व्यापार देय, ब्याज अर्जित एवं देय, अन्य देय और अन्य वित्तीय देयताओं को उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य के समान माना जाता है।

iii) ऋणों के संबंध में, उचित मूल्य की गणना वर्तमान उधार दर का उपयोग करके छूट वाले नकदी प्रवाह के आधार पर की गई थी। काउंटर पार्टी ऋण जोखिम सहित गैर–अवलोकन योग्य इनपुट के शामिल होने के कारण उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्यों के रूप में परिभाषित किया गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्यों को उस राशि में शामिल किया जाता है जिस पर उपकरण को मजबूरन या परिसमापन बिक्री के अलावा, इच्छुक पार्टियों के बीच वर्तमान लेनदेन में विनिमय किया जा सकता है।

**31 मार्च 2023** तक, कंपनी के वित्तीय स्थिति विवरण में उचित मूल्य पर निम्नलिखित वित्तीय साधन थे:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | वहन राशि | उचित मूल्य | | |
|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च 2024 | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 |
| **परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | | |
| **गैर – वर्तमान** | | | | |
| ऋण | 3,317.06 | - | - | 3,317.06 |
| **वर्तमान** | | | | |
| ऋण | 67.72 | - | - | 67.72 |
| **लाभ और हानि खाते के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | | |
| **गैर – वर्तमान** | | | | |
| व्युत्पन्न लिखत – उधार रुपए/यूएसडी स्वैप | 45.72 | - | 45.72 | |
| अंतर्निहित व्युत्पन्न लिखतें | 0.52 | | 0.52 | |
| **वर्तमान** | | | | |
| व्युत्पन्न लिखत – उधार रुपए/यूएसडी स्वैप | 7.48 | - | 7.48 | |
| अंतर्निहित व्युत्पन्न लिखतें | 0.52 | | 0.52 | |
| **अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | | |
| **गैर – वर्तमान** | | | | |
| व्युत्पन्न लिखतें – वस्तु | 455.50 | | 455.50 | |
| अंतर्निहित व्युत्पन्न लिखतें | - | | - | |
| निवेश | 4,943.51 | 4,662.74 | - | 280.77 |
| **वर्तमान** | | | | |
| व्युत्पन्न लिखतें – उधार | **-** | **-** | **-** | **-** |
| व्युत्पन्न लिखतें – वस्तु | 467.61 | - | 467.61 | - |
| **परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं** | | | | |
| **गैर – वर्तमान** | | | | |
| ब्याज वाले ऋण और उधार | | | | |
| फिक्स्ड | 2,343.75 | - | - | 2,306.55 |
| फ्लोटिंग | 5,493.33 | - | - | 5,493.33 |
| **वर्तमान** | | | | |
| ब्याज वाले ऋण और उधार: | | | | |
| फिक्स्ड | 146.32 | - | - | 147.20 |
| फ्लोटिंग | 1,823.33 | - | - | 1,823.33 |
| **अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां** | | | | |
| **वर्तमान** | | | | |
| व्युत्पन्न लिखत – वस्तु | **265.68** | **-** | **265.68** | **-** |

**टिप्पणी:**

i) ब्याज वाले ऋणों और उधारों की वहन लागत उनके उचित बाजार मूल्य के लगभग बराबर है।

ii) व्यापार प्राप्य राशि, नकद और नकद समकक्ष, अन्य बैंक शेष, अन्य प्राप्य, व्यापार देय, ब्याज अर्जित एवं देय, अन्य देय और अन्य वित्तीय देयताओं को उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य के समान माना जाता है।

iii) ऋणों के संबंध में, उचित मूल्य की गणना वर्तमान उधार दर का उपयोग करके छूट वाले नकदी प्रवाह के आधार पर की गई थी। काउंटर पार्टी ऋण जोखिम को शामिल करने वाले अप्राप्य इनपुट को शामिल करने के कारण उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्यों को उस राशि पर शामिल किया जाता है जिस पर लिखत बलात या परिसमापन बिक्री के अलावा इच्छुक पार्टियों के बीच मौजूदा लेनदेन में लिखत का आदान–प्रदान किया जा सकता है।

**मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण गैर–अवलोकन योग्य इनपुट के लिए विवरण**

निम्न तालिका वित्तीय लिखतों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली मूल्यांकन तकनीकों और इनपुट को दर्शाती है:

| विवरण | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|
| निवेश | जोखिम समायोजित छूट दर का उपयोग करते हुए रियायती नकदी प्रवाह विधि | |

निम्न तालिका स्तर 3 उचित मूल्यों के लिए प्रारंभिक शेष राशि का अंतिम शेष राशि से समाधान दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | वित्तीय वर्ष 2023–24 | वित्तीय वर्ष 2022–23 |
|---|---|---|
| **वर्ष की शुरुआत में शेष राशि** | **280.77** | **233.42** |
| योगः वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश | 2.50 | 9.05 |
| योगः अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त उचित मूल्य लाभ | 95.98 | 38.97 |
| घटाएंः अन्य व्यापक आय में मान्यता–प्राप्त उचित मूल्य हानि | 4.50 | 0.67 |
| **वर्ष के अंत तक शेष राशि** | **374.75** | **280.77** |

## 58. हेजिंग (बचाव) गतिविधियां और व्युत्पन्न

**युत्पन्न को हेजिंग लिखतों के रूप में नामित नहीं किया गया है**

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों, ब्याज दर जोखिमों और वस्तु मूल्य जोखिमों को हेज करने के लिए वायदा मुद्रा संविदा, ब्याज दर अदला–बदली, क्रॉस मुद्रा ब्याज दर अदला–बदली, वस्तु अदला–बदली संविदा का उपयोग करती है। प्रबंधन द्वारा हेजिंग लिखतों के रूप में निर्दिष्ट नहीं की गई व्युत्पन्न संविदाओं को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, जिस पर एक व्युत्पन्न संविदा की जाती है और बाद में प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर उचित मूल्य पर इसका पुनः माप किया जाता है। इस तरह की संविदाएं अंतर्निहित लेनदेन के जोखिम के अनुरूप अवधि के लिए की जाती हैं।

**हेजिंग लिखतों के रूप में नामित व्युत्पन्नः**

**नकद प्रवाह हेजेज**

कंपनी लिखित सिद्धांतों के साथ निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार हेजिंग लिखत करती है जो कंपनी की जोखिम प्रबंधन रणनीति के अनुरूप है। कंपनी ने कुछ व्युत्पन्न संविदाओं के लिए हेज लेखांकन लागू करने का निर्णय लिया है जो 01 अक्तूबर, 2017 के बाद दर्ज किए गए हेजिंग संबंध के योग्यता मानदंडों को पूरा करती हैं।

**विदेशी मुद्रा जोखिम**

विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं को नकद प्रवाह में हेजिंग लिखतों के रूप में नामित किया जाता है, जो कि अमेरिकी डॉलर में पूंजी खरीद की दृढ़ प्रतिबद्धता और मौजूदा उधारी अमरीकी डालर/जापानी येन आदि के लिए है।

**वस्तु मूल्य जोखिम**

कंपनी अपनी परिचालन गतिविधियों के रूप में निरंतर आधार पर प्राकृतिक गैस की खरीद और बिक्री करती है। पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक गैस/तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के मूल्यों में भारी उतार–चढ़ाव के कारण कंपनी ने आधार स्वैप सहित स्वैप लेनदेन के माध्यम से हेजिंग लिखत करने का निर्णय लिया है। इन अनुबंधों को प्राकृतिक गैस/तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की पूर्वानुमानित बिक्री और खरीद के नकदी प्रवाह बचाव में हेजिंग लिखत के रूप में नामित किया गया है।

नीचे दी गई तालिका तुलन–पत्र की तारीख के अनुसार हेजिंग लिखतों और हेज की गई मद (अंतर्निहित) की स्थिति को दर्शाती है।

**मार्च 2024 के लिए हेज लिखित से संबंधित विवरण** **ओसीआई के लिए डॉलर (+)/करोड़ (–)**

| नकद प्रवाह हेज | नाममात्र राशि/ हेजिंग लिखतों की मात्रा | हेजिंग लिखतों की वाहक राशि | | उचित मूल्य में परिवर्तन | तुलन–पत्र में संबंधित मद जहां हेजिंग लिखतों का प्रकटन किया जाता है |
|---|---|---|---|---|---|
| | | परिसंपत्ति (₹ करोड़) | देयताएं (₹ करोड़) | | |
| **वस्तु मूल्य जोखिम** | | | | | |
| वस्तु अदला–बदली – प्राकृतिक गैस/तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की अनुमानित खरीद और बिक्री | एमएमबीटीयू 4,20,19,213 और बैरल 64,34,045 | 657.68 | 289.91 | (289.65) | अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां – गैर– वर्तमान और वर्तमान (टिप्पणः 8 और 8ए) और अन्य वित्तीय देयताएं – गैर– वर्तमान और वर्तमान (टिप्पणः 16 और 16ए) |

**मार्च 2024 के लिए हेज मद से संबंधित विवरण** (₹ करोड़ में)

| | उचित मूल्य में बदलाव | नकद हेज प्रवाह रिजर्व में शेष राशि | | |
|---|---|---|---|---|
| | | हेज जारी रखने के लिए | हेजेज जिनकी अब जरूरत नहीं है | कुल शेष राशि |
| **वस्तु मूल्य जोखिम** | | | | |
| प्राकृतिक गैस/तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की अत्यधिक संभावित बिक्री और खरीद | 289.65 | (275.20) | - | (275.20) |

**मार्च 2023 के लिए हेज लिखित से संबंधित विवरण** **ओसीआई के लिए डॉलर (+)/करोड़ (–)**

| नकद प्रवाह हेज | नाममात्र राशि/हेजिंग लिखतों की मात्रा | हेजिंग लिखतों की वाहक राशि | | उचित मूल्य में परिवर्तन | तुलन–पत्र में संबंधित मद जहां हेजिंग लिखतों का प्रकटन किया जाता है |
|---|---|---|---|---|---|
| | | परिसंपत्ति (₹ करोड़) | देयताएं (₹ करोड़) | | |
| **वस्तु मूल्य जोखिम** | | | | | |
| वस्तु स्वैप – प्राकृतिक गैस/तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की अनुमानित खरीद और बिक्री | एमएमबीटीयू 2,57,65,737 बैरल 64,34,045 और 5,000 मी.टन | 923.10 | 265.68 | (689.14) | अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां – गैर– वर्तमान और वर्तमान (टिप्पण: 8 और 8ए) और अन्य वित्तीय देयताएं – गैर– वर्तमान और वर्तमान (टिप्पण: 16 और 16ए) |

**मार्च 2023 के लिए हेज लिखित से संबंधित विवरण** **ओसीआई के लिए डॉलर (+)/करोड़ (–)**
(₹ करोड़ में)

| | उचित मूल्य में बदलाव | नकद हेज प्रवाह रिजर्व में शेष राशि | | |
|---|---|---|---|---|
| | | हेज जारी रखने के लिए | हेजेज जिनकी अब जरूरत नहीं है | कुल शेष राशि |
| **वस्तु मूल्य जोखिम** | | | | |
| प्राकृतिक गैस/तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की अत्यधिक संभावित बिक्री और खरीद | 689.14 | (491.95) | - | (491.95) |

**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह बचाव आरक्षित निधि का समाधान**

(₹ करोड़ में)

| | 01 अप्रैल, 2023 को प्रारंभिक शेष राशि (लाभ/(हानि) (क) | वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्यता प्राप्त हेजिंग (लाभ/(हानि) (ख) | पर आय कर (ख) | लाभ एवं हानि विवरण के लिए पुनर्वर्गीकृत राशि के रूप में बचाव की गई मद ने लाभ या हानि को प्रभावित किया है (ग) | पर आय कर (ख) | लाभ एवं हानि विवरण में संबंधित मद जिसमें पुनर्वर्गीकरण समायोजन शामिल है | 31 मार्च, 2024 को अंतिम शेष (लाभ/(हानि) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **वस्तु मूल्य जोखिम** | | | | | | | |
| वस्तु स्वैप – प्राकृतिक गैस की अनुमानित खरीद और बिक्री | 491.95 | (276.36) | 69.56 | (13.29) | 3.34 | प्रचालन से राजस्व (सकल) टिप्पण 21 और व्यापार में स्टॉक की खरीद | 275.20 |
| **कुल** | **491.95** | **(276.36)** | **69.56** | **(13.29)** | **3.34** | | **275.20** |

**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह बचाव आरक्षित निधि का समाधान** (₹ करोड़ में)

| | 01 अप्रैल, 2022 को प्रारंभिक शेष राशि (लाभ/(हानि) (क) | वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्यता प्राप्त हेजिंग (लाभ/(हानि) (ख) | पर आय कर (ख) | लाभ एवं हानि विवरण के लिए पुनर्वर्गीकृत राशि के रूप में बचाव की गई मद ने लाभ या हानि को प्रभावित किया है (ग) | पर आय कर (ख) | लाभ एवं हानि विवरण में संबंधित मद जिसमें पुनर्वर्गीकरण समायोजन शामिल है | 31 मार्च, 2023 को अंतिम शेष (लाभ/(हानि) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **विदेशी मुद्रा जोखिम** | | | | | | | |
| वायदा अनुबंध – उधार | 0.01 | | | (0.02) | 0.01 | व्यय टिप्पण 24 के अंतर्गत वित्त लागत | - |

| | 01 अप्रैल, 2022 को प्रारंभिक शेष राशि (लाभ/(हानि) (क) | वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्यता प्राप्त हेजिंग (लाभ/(हानि) (ख) | पर आय कर (ख) | लाभ एवं हानि विवरण के लिए पुनर्वर्गीकृत राशि के रूप में बचाव की गई मद ने लाभ या हानि को प्रभावित किया है (ग) | पर आय कर (ख) | लाभ एवं हानि विवरण में संबंधित मद जिसमें पुनर्वर्गीकरण समायोजन शामिल है | 31 मार्च, 2023 को अंतिम शेष (लाभ/(हानि) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **वस्तु मूल्य जोखिम** | | | | | | | |
| वस्तु स्वैप – प्राकृतिक गैस की अनुमानित खरीद और बिक्री | 1,007.65 | (241.68) | 60.83 | (447.46) | 112.62 | प्रचालन (सकल) टिप्पणी 21 से राजस्व एवं व्यापार में स्टॉक की खरीद | 491.95 |
| **कुल** | **1,007.66** | **(241.68)** | **60.83** | **(447.48)** | **112.62** | **-** | **491.95** |

**59. सहायक कंपनियों/संबद्ध कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसार विवरण**

**भाग 'क': सहायक कंपनियां**

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | गेल ग्लोबल सिंगापुर प्रा. लिमिटेड (₹ करोड़ में) | गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक. (₹ करोड़ में) | गेल गैस लिमिटेड (₹ करोड़ में) | त्रिपुरा प्राकृतिक गैस कंपनी लिमिटेड (₹ करोड़ में) | कोंकण एलएनजी लिमिटेड (₹ करोड़ में) | बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड (₹ करोड़ में) | गेल मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सहायक कंपनी के वित्तीय वर्ष की समापन तारीख | 31 मार्च 2024 | 31 मार्च 2024 | 31 मार्च 2024 | 31 मार्च 2024 | 31 मार्च 2024 | 31 मार्च 2024 | 31 मार्च 2024 |
| 2 | (क) रिपोर्टिंग मुद्रा | यूएसडी | यूएसडी | ₹ | ₹ | ₹ | ₹ | ₹ |
| | (ख) प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार विनिमय दर | 83.40 | 83.40 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 3 | शेयर पूंजी | 41.94 | 179.17 | 2,050.32 | 30.00 | 1,139.00 | 745.88 | 713.00 |
| 4 | आरक्षित और अधिशेष | 41.05 | (287.29) | 1,082.31 | 206.10 | (1,066.27) | (30.34) | 2,857.51 |
| 5 | कुल परिसंपत्तियां | 322.56 | 1,277.41 | 6,006.59 | 318.18 | 4,672.14 | 921.52 | 4,694.31 |
| 6 | कुल देयताएं | 239.57 | 1,385.53 | 2,873.96 | 82.08 | 4,347.41 | 205.98 | 1,123.80 |
| 7 | निवेश | 38.55 | - | 413.57 | - | - | - | - |
| 8 | कारोबार | 6,230.89 | 6,206.24 | 10,944.12 | 282.22 | 406.87 | 29.91 | - |
| 9 | कर पूर्व लाभ | 12.80 | (13.33) | 428.67 | 48.92 | (328.20) | (14.62) | 258.27 |
| 10 | कराधान का प्रावधान | 2.05 | (0.31) | 110.74 | 8.01 | (79.05) | (3.95) | (63.38) |
| 11 | कर पश्चात् लाभ | 10.75 | (13.02) | 317.93 | 40.91 | (249.15) | (10.67) | 321.66 |
| 12 | शेयरधारिता का % | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 48.98% | 93.50% | 89.88% | 100.00% |

टिप्पण:

1 सहायक कंपनियों के नाम जिनका प्रचालन अभी शुरू होना है : गेल मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

2 सहायक कंपनियों के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन या बिक्री की गई है : शून्य

## संबद्ध कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसरण में विवरण

### भाग "ख": संबद्ध कंपनियां और संयुक्त उद्यम

(₹ करोड़ में)

| | विवरण | महानगर गैस लिमिटेड | इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड | सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड | ग्रीन गैस लिमिटेड | महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड | अवंतिका गैस लिमिटेड | भाग्यनगर गैस लिमिटेड | चाइना गैस होल्डिंग्स लिमिटेड | फयूम गैस कंपनी | पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र तिथि | 31 मार्च 2024 | 31 मार्च 2024 | 31 मार्च 2023 | 31 मार्च 2024 | 31 मार्च 2024 | 31 मार्च 2024 | 31 मार्च 2024 | 31 मार्च 2023 | 31 मार्च 2023 | 31 मार्च 2023 |
| 2 | वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित संबद्ध/संयुक्त उद्यमों के शेयरों की संख्या | 3,21,02,750 (₹.10 प्रत्येक) | 15,75,00,000 (₹.2 प्रत्येक) | 1,50,00,000 (₹.10 प्रत्येक) | 2,52,87,250 (₹.10 प्रत्येक) | 2,25,00,000 (₹.10 प्रत्येक) | 2,95,57,038 (₹.10 प्रत्येक) | 4,36,50,000 (₹.10 प्रत्येक) | 15,00,00,000 (एचकेएस डॉलर+ 0.01 प्रत्येक) | 19,000 (एलई 100 प्रत्येक) | 18,75,00,000 (₹.10 प्रत्येक) |
| 3 | संबद्ध/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि | 32.10 | 31.50 | 15.00 | 51.09 | 22.50 | 50.02 | 128.25 | 97.37 | 8.10 | 98.75 |
| 4 | धारिता : की सीमा | 32.50% | 22.50% | 25.00% | 49.98% | 22.50% | 49.99% | 48.73% | 2.76% | 19.00% | 12.50% |
| 5 | संयुक्त नियंत्रण/महत्वपूर्ण प्रभाव | संबद्ध | संबद्ध | संयुक्त उद्यम | संयुक्त उद्यम | संयुक्त उद्यम | संयुक्त उद्यम | संयुक्त उद्यम | निवेशिती के निदेशक मंडल या संबंधित शासी निकाय पर संयुक्त उद्यम प्रतिनिधित्व | संबद्ध | संबद्ध |
| 6 | समेकित न होने का कारण | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 7 | नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के रूप में शेयरधारिता के कारण निवल मूल्य* | 1,668.91 | 2,171.21 | 160.08 | 314.31 | 416.33 | 229.98 | 215.39 | 1,810.46 | 14.92 | 2,176.14 |
| 8 | वर्ष के लिए लाभ/हानि** | | | | | | | | | | |
| | (i) समेकन में विचार किया गया | 1,272.51 | 1,982.13 | 71.82 | 43.54 | 610.14 | 75.67 | 38.08 | (1,388.84) | 0.14 | 3,644.56 |
| | (ii) समेकन में विचार नहीं किया गया | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | विवरण | तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड | ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलिमर्स लिमिटेड | तापी पाइपलाइन्स कंपनी लिमिटेड | ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड | इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड | रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड | वडोदरा गैस लिमिटेड | ओएनजीसी त्रिपुरा पॉवर कंपनी लिमिटेड | एलएलसी भारत एनर्जी ऑफिस | जपोनिका शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र तिथि | 31 मार्च 2023 | 31 मार्च 2023 | 31 मार्च 2024 | 31 मार्च 2023 | 31 मार्च 2024 | 31 मार्च 2023 | 31 मार्च 2023 | 31 मार्च 2024 | 31 मार्च 2023 | 31 मार्च 2024 |
| 2 | वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित संबद्ध/संयुक्त उद्यमों के शेयरों की संख्या | 80,54,80,825 (₹.10 प्रत्येक) | 99,23,69,000 (₹.10 प्रत्येक) | 8,25,025 (USD 10 each) | 99,49,45,000 (₹.10 प्रत्येक) | 22,23,60,000 (₹.10 प्रत्येक) | 27,03,04,320 (₹.10 प्रत्येक) | 12,01,46,774 (₹.10 प्रत्येक) | 29,12,00,000 (₹.10 प्रत्येक) | 20% धारिता | 260 (यूएसडी 1 प्रत्येक) |
| 3 | संबद्ध/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि | 805.48 | 992.37 | 55.38 | 994.95 | 222.36 | 270.30 | 79.14 | 319.05 | 0.76 | - |
| 4 | धारिता : की सीमा | 33.33% | 70.00% | 5.00% | 49.21% | 20.00% | 14.30% | 32.93% | 26.00% | 20.00% | 26.00% |
| 5 | संयुक्त नियंत्रण/महत्वपूर्ण प्रभाव | संयुक्त उद्यम | संबद्ध | संयुक्त उद्यम | संबद्ध | संयुक्त उद्यम | संबद्ध | संयुक्त उद्यम | संबद्ध | संबद्ध | संबद्ध |
| 6 | समेकित न होने का कारण | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 7 | नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के रूप में शेयरधारिता के कारण निवल मूल्य* | 794.73 | 2,100.95 | 54.01 | (1,327.74) | 201.18 | 212.08 | 101.42 | 406.11 | 0.56 | 9.94 |
| 8 | वर्ष के लिए लाभ/हानि** | | | | | | | | | | |
| | (i) समेकन में विचार किया गया | (7.34) | (160.02) | 13.58 | (3,455.70) | 3.76 | 512.57 | 36.13 | 69.22 | (0.73) | 32.23 |
| | (ii) समेकन में विचार नहीं किया गया | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*अन्य व्यापक आय सहित कंपनी का कुल लाभ

टिप्पणः

1 संबद्ध कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका संचालन अभी शुरू होना है : क) तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड

2 संबद्ध कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन या बिक्री की गई है : शून्य

## 60 परिसंपत्तियों और देयताओं की पुष्टिः

I. व्यापार के कुछ शेष और अन्य प्राप्य, व्यापार और अन्य देय पुष्टि/समाधान के अधीन हैं। समायोजन, यदि कोई हो, उसकी पुष्टि/समाधान पर किया जाएगा, जिसका कोई भौतिक प्रभाव नहीं होगा।

II. प्रबंधन की राय में, अचल परिसंपत्तियों और गैर–वर्तमाल निवेशों के अलावा, परिसंपत्तियों का मूल्य, व्यापार के सामान्य कार्यों में प्राप्ति पर, उस मूल्य से कम नहीं होगा जिस पर ये तुलन–पत्र में दर्शाए गए हैं।

## 61. अनुसंधान और विकास/नवाचार पहलः

कंपनी ने अनुसंधान और विकास/नवाचार पहल के लिए निम्नलिखित राशि खर्च की है, विस्तृत विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2023–24 | 2022–23 |
|---|---|---|
| पूंजीगत व्यय | 229.84 | 168.32 |
| आवर्ती व्यय | 20.36 | 12.39 |
| **कुल** | **250.20** | **180.71** |

## 62. व्यापार देयताः

**31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार वर्तमान व्यापार देयता एजिंग शेड्यूलः**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | |
| (i) एमएसएमई | 329.47 | - | - | - | 329.47 |
| (ii) अन्य | 6,389.45 | - | - | - | 6,389.45 |
| (iii) विवादित बकाया – एमएसएमई | - | - | - | - | - |
| (iv) विवादित बकाया – अन्य | - | - | - | - | - |

**31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार वर्तमान व्यापार देयता एजिंग शेड्यूलः**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | |
| (i) एमएसएमई | 337.10 | - | - | - | 337.10 |
| (ii) अन्य | 6,962.14 | - | - | - | 6,962.14 |
| (iii) विवादित बकाया – एमएसएमई | - | - | - | - | - |
| (iv) विवादित बकाया – अन्य | - | - | - | - | - |

**31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार वर्तमान व्यापार देयता एजिंग शेड्यूलः**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | |
| (i) एमएसएमई | 180.02 | 0.93 | - | 0.06 | 181.01 |
| (ii) अन्य | 311.31 | 3.49 | 0.26 | 0.33 | 315.39 |
| (iii) विवादित बकाया – एमएसएमई | - | - | - | 1.33 | 1.33 |
| (iv) विवादित बकाया – अन्य | - | - | - | - | - |

**31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार वर्तमान व्यापार देयता एजिंग शेड्यूलः**

(₹ करोड़ में)

| विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | |
| (i) एमएसएमई | 161.91 | - | - | - | 161.91 |
| (ii) अन्य | 343.35 | - | - | - | 343.35 |
| (iii) विवादित बकाया – एमएसएमई | 1.33 | - | - | - | 1.33 |
| (iv) विवादित बकाया – अन्य | - | - | - | - | - |

**63** इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) की राय और कंपनी द्वारा किए गए तकनीकी विश्लेषण के आधार पर, प्राकृतिक गैस/एलपीजी/नगर गैस वितरण (सीजीडी) पाइपलाइनों के अवशिष्ट मूल्य को संशोधित कर 'शून्य' कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 174 करोड़ का अतिरिक्त मूल्यह्रास हुआ। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए अनुमानित प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।

**64** कंपनी ने अपनी एक सहायक कंपनी को दिए गए ऋण पर अर्जित ब्याज को दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए स्थगित कर दिया है, जो 01.04.2023 से देय था। इसके अलावा, मार्च 2023 तक अर्जित ब्याज की भुगतान शर्तें, जो पहले दिसंबर 2023 से देय थी, को भी दिसंबर 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

## 65. डिवीजन II से अनुसूची III के अनुसार प्रकटीकरण

**I. चल रहा पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी):**

**क) 31 मार्च, 2024 को सीडब्ल्यूआईपी एजिंग शेड्यूलः**

(₹ करोड़ में)

| चल रहा पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| सकल ब्लॉक (चल रही परियोजनाएं) | 8,366.89 | 4,950.96 | 1,053.46 | 1,909.02 | 16,280.33 |
| घटाः प्रावधान और हानि | - | - | - | - | 421.60 |
| निवल ब्लॉक (चल रही परियोजनाएं) | - | - | - | - | 15,858.73 |
| अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं | - | - | - | - | - |

**31 मार्च, 2024 को सीडब्ल्यूआईपी एजिंग शेड्यूलः**

(₹ करोड़ में)

| चल रहा पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| सकल ब्लॉक (चल रही परियोजनाएं) | 7,349.00 | 2,158.48 | 1,514.53 | 2,915.36 | 13,937.37 |
| घटाः प्रावधान और हानि | - | - | - | - | 274.89 |
| निवल ब्लॉक (चल रही परियोजनाएं) | - | - | - | - | 13,662.48 |
| अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं | - | - | - | - | - |

**ख. 31 मार्च, 2024 तक लागत बढ़ने वाली परियोजनाओं के लिए सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता अनुसूचीः**

(₹ करोड़ में)

| चल रहा पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) | निम्नलिखित वर्षों में पूरा किया जाना है | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक |
| केकेबीएमपीएल ।। | 450.00 | 550.00 | 1,037.03 | - |
| एकीकृत जेएचबीडीपीएल (बीजीपीएल सहित) | 418.00 | 334.00 | 717.79 | - |
| उसार में पीडीएचपीपी संयंत्र | 4,766.00 | 3,207.00 | 1,951.00 | - |
| 60 केटीए पोलीप्रोपीलीन संयंत्र | 686.96 | - | - | - |

**31 मार्च, 2023 तक लागत बढ़ने वाली परियोजनाओं के लिए सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता अनुसूची:**

(₹ करोड़ में)

| चल रहा पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) | निम्नलिखित वर्षों में पूरा किया जाना है | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक |
| केकेबीएमपीएल II | 415.00 | 1,986.69 | - | - |
| एकीकृत जेएचबीडीपीएल (बीजीपीएल सहित) | 936.30 | - | - | - |
| हरिद्वार–ऋषिकेश–देहरूदन पाइपलाइन (एचआरडीपीएल) | 21.84 | - | - | - |

**ग. 31 मार्च, 2024 तक अधिक समय लगने वाली परियोजनाओं के लिए सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता अनुसूची:**

(₹ करोड़ में)

| चल रहा पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) | निम्नलिखित वर्षों में पूरा किया जाना है | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक |
| एकीकृत जेएचबीडीपीएल (बीजीपीएल सहित) | 418.00 | 334.00 | 717.79 | - |
| धामरा–हल्दिया पाइपलाइन (डीएचपीएल) | 193.00 | 50.00 | 44.52 | - |
| श्रीकाकुलम–अंगुल पाइपलाइन (एसएपीएल) | 228.00 | 150.00 | 210.00 | 202.66 |
| केकेबीएमपीएल II | 450.00 | 550.00 | 1,037.03 | - |
| मुंबई नागपुर झारसुगुडा पाइपलाइन (एमएनजेपीएल) | 986.00 | 680.00 | 518.00 | 300.29 |
| उसार में पीडीएचपीपी संयंत्र | 4,766.00 | 3,207.00 | 1,951.00 | - |
| 60 केटीए पोलीप्रोपीलीन संयंत्र | 686.96 | - | - | - |

**31 मार्च, 2024 तक अधिक समय लगने वाली परियोजनाओं के लिए सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता अनुसूची:**

(₹ करोड़ में)

| चल रहा पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) | निम्नलिखित वर्षों में पूरा किया जाना है | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक |
| एकीकृत जेएचबीडीपीएल (बीजीपीएल सहित) | 936.30 | - | - | - |
| धामरा–हल्दिया पाइपलाइन (डीएचपीएल) | 468.58 | - | - | - |
| श्रीकाकुलम–अंगुल पाइपलाइन (एसएपीएल) | 1,324.04 | - | - | - |
| केकेबीएमपीएल II | 415.00 | 1,986.69 | - | - |
| मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा पाइपलाइन (एमएनजेपीएल) | 1,186.00 | 2,005.60 | - | - |
| हरिद्वार–ऋषिकेश–देहरादून पाइपलाइन (एचआरडीपीएल) | 21.84 | - | - | - |

## 66. बंद कंपनियों के साथ संबंध:

**31 मार्च, 2024 तक बंद पड़ी कंपनियों के साथ संबंधों का विवरण:**

| क्र. सं. | बंद कंपनी का नाम | बंद कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति | | | | | बंद कंपनियों के साथ संबंध, यदि कोई हो, का खुलासा किया जाए |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रतिभूतियों में निवेश (₹ करोड़ में) | प्राप्तियां (₹ करोड़ में) | देयताएं (₹ करोड़ में) | बंद कंपनी द्वारा धारित शेयर (₹ करोड़ में) | अन्य बकाया शेष (निर्दिष्ट किया जाए) (₹ करोड़ में) | |
| 1 | वीडियोकॉन पेट्रोलियम लिमिटेड | - | | 2.76 | - | - | विक्रेता |
| 2 | ल्यूर इन्फो सॉल्यूशन प्रा. लिमिटेड | - | 0.01 | - | - | - | विक्रेता |
| 3 | संस्कृति इंफ्रा डिजाइन (प्रा.) लिमिटेड | - | | 0.01 | - | - | विक्रेता |
| 4 | प्रेमी केमको (प्रा.) लिमिटेड | - | 0.06 | - | - | - | ग्राहक |

पृथक वित्तीय विवरण

| क्र. सं. | बंद कंपनी का नाम | बंद कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति | | | | | बंद कंपनियों के साथ संबंध, यदि कोई हो, का खुलासा किया जाए |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रतिभूतियों में निवेश (₹ करोड़ में) | प्राप्तियां (₹ करोड़ में) | देयताएं (₹ करोड़ में) | बंद कंपनी द्वारा धारित शेयर (₹ करोड़ में) | अन्य बकाया शेष (निर्दिष्ट किया जाए) (₹ करोड़ में) | |
| 5 | ए.वी.इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | - | 5.58 | - | - | - | विक्रेता |
| 6 | गुलब्रांडसेन प्राइवेट लिमिटेड | - | 0.43 | - | - | - | विक्रेता |
| 7 | प्रयाग पॉलीटेक प्रा. लिमिटेड | - | - | 0.01 | - | - | विक्रेता |
| 8 | गुलब्रांडसेन केमिकल्स प्रा. लिमिटेड | - | 0.00 | - | - | - | विक्रेता |
| 9 | एस्ट्रल ऑटो पार्ट्स प्रा. लिमिटेड | - | - | - | 5000 | - | शेयरधारक |
| 10 | राजदीप ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड | - | - | - | 3500 | - | शेयरधारक |
| 11 | डाटा नोवा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | - | - | - | 3000 | - | शेयरधारक |
| 12 | एस3 सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड | - | - | - | 2815 | - | शेयरधारक |
| 13 | अरिहंत सिक्योरिटीज लिमिटेड | - | - | - | 1500 | - | शेयरधारक |
| 14 | विक्रम टेक्सटाइल्स प्रा. लिमिटेड | - | - | - | 1062 | - | शेयरधारक |
| 15 | मनार लीजिंग एंड इंवेस्टमेंट्स प्रा. लि. | - | - | - | 1000 | - | शेयरधारक |
| 16 | रंक इस्पात प्रा. लिमिटेड | - | - | - | 1000 | - | शेयरधारक |
| 17 | दुर्गा प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड | - | - | - | 973 | - | शेयरधारक |
| 18 | जगत ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज लिमिटेड | - | - | - | 500 | - | शेयरधारक |
| 19 | देवेंद्र एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड | - | - | - | 500 | - | शेयरधारक |
| 20 | इंडेक्सको ट्रेडिंग ( प्रा.) लिमिटेड | - | - | - | 255 | - | शेयरधारक |
| 21 | कोठारी इंटरग्रुप लिमिटेड | - | - | - | 15 | - | शेयरधारक |

**31 मार्च, 2023 तक बंद पड़ी कंपनियों के साथ संबंधों का विवरण:**

| क्र. सं. | बंद कंपनी का नाम | बंद कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति | | | | | बंद कंपनियों के साथ संबंध, यदि कोई हो, का खुलासा किया जाए |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रतिभूतियों में निवेश (₹ करोड़ में) | प्राप्तियां (₹ करोड़ में) | देयताएं (₹ करोड़ में) | बंद कंपनी द्वारा धारित शेयर (₹ करोड़ में) | अन्य बकाया शेष (निर्दिष्ट किया जाए) (₹ करोड़ में) | |
| 1 | प्रेमी केमको (प्रा.) लिमिटेड | - | 0.06 | - | - | - | ग्राहक |
| 2 | गुलब्रांडसन केमिकल्स प्रा. लिमिटेड | - | 1.04 | - | - | - | ग्राहक |
| 3 | ए.वी. इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | - | 5.19 | - | - | - | ग्राहक |
| 4 | प्रयाग पॉलीटेक प्रा. लिमिटेड | - | - | 0.01 | - | - | ग्राहक |
| 5 | इको पैक प्रा. लिमिटेड | - | - | 0.01 | - | - | ग्राहक |
| 6 | ल्यूर इन्फो सॉल्यूशन प्रा. लिमिटेड | - | 0.01 | - | - | - | विक्रेता |
| 7 | संस्कृति इंफ्रा डिजाइन (प्रा.) लिमिटेड | - | - | 0.01 | - | - | विक्रेता |
| 8 | वीडियोकॉन पेट्रोलियम लिमिटेड | - | - | 6.55 | - | - | विक्रेता |
| 9 | अरिहंत सिक्योरिटीज लिमिटेड | - | - | - | 1500 | - | शेयरधारक |
| 10 | रीजेंट एक्जिम इंटरनेशनल लिमिटेड | - | - | - | 18300 | - | शेयरधारक |
| 11 | राजदीप ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड | - | - | - | 18000 | - | शेयरधारक |
| 12 | एस्ट्रल ऑटो पार्ट्स प्रा. लिमिटेड | - | - | - | 5019 | - | शेयरधारक |
| 13 | डाटा नोवा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | - | - | - | 3000 | - | शेयरधारक |
| 14 | विक्रम टेक्सटाइल्स प्रा. लिमिटेड | - | - | - | 1062 | - | शेयरधारक |
| 15 | इंडेक्सको ट्रेडिंग (प्रा.) लिमिटेड | | | | 255 | - | शेयरधारक |
| 16 | कोठारी इंटरग्रुप लिमिटेड | - | - | - | 15 | - | शेयरधारक |

## 67. जानबूझकर ऋण न चुकानेवाला:

31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 तक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा कंपनी को जानबूझकर ऋण न चुकाने वाला चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

## 68. बेनामी संपत्ति:

31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है। इसके अलावा, कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसके अलावा, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

## 69. वर्तमान परिसंपत्तियों के एवज में सुरक्षित उधार:

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने मौजूदा परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं लिया है। तदनुसार, कंपनी द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों के पास कोई तिमाही विवरणी/ वर्तमान संपत्ति का विवरण दाखिल नहीं किया गया है।

## 70. कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के साथ शुल्क या ऋण चुकाने का पंजीकरण:

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी ने सांविधिक तिथि पर या उससे पहले आरओसी के साथ शुल्क या संतुष्टि पंजीकृत की है और पंजीकरण में कोई देरी नहीं हुई है।

## 71. अनुपात विश्लेषण:

अनुपात विश्लेषण से संबंधित विवरण निम्नानुसार है:

| अनुपात | अंश | भाजक | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष | % अंतर | अंतर के कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्तमान अनुपात (समय में) | वर्तमान परिसंपत्तियां | चालू देयताएं | 0.92 | 0.92 | | - |
| ऋण इक्विटी अनुपात | कुल ऋण (पट्टा देयताओं सहित) | कुल इक्विटी (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर) | 0.29 | 0.22 | 32% | कंपनी ने वर्ष के दौरान नई उधारी ली है। |
| ऋण सेवा कवरेज अनुपात | ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय | ऋण सेवा = ब्याज भुगतान + मूलधन भुगतान + पट्टा देनदारियों का भुगतान | 3.31 | 3.91 | -15% | - |
| इक्विटी अनुपात पर प्रतिलाभ | कर पश्चात् निवल लाभ | औसत शेयरधारक की इक्विटी | 16.52% | 10.52% | 57% | चालू वर्ष के दौरान कर पश्चात लाभ ₹ 8,836.48 करोड़ है, जबकि गत वर्ष ₹ 5,301.51 करोड़ था। |
| मांग–सूची कारोबार अनुपात | बेचे गए माल की कीमत | मांग–सूची | 22.81 | 33.77 | -32% | चालू वर्ष के दौरान औसत मांग सूची ₹ 5,286.20 करोड़ है, जबकि गत वर्ष यह ₹ 4,148. 26 करोड़ थी तथा विक्रय की लागत ₹ 1,20,594.21 करोड़ है, जबकि गत वर्ष यह ₹ 1,40,090.78 करोड थी। |
| व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात | निवल ऋण बिक्री | औसत व्यापार प्राप्तियां | 11.80 | 14.56 | -19% | - |
| व्यापार देय कारोबार अनुपात | निवल ऋण खरीद | औसत व्यापार देय | 16.43 | 21.28 | -23% | - |
| निवल पूंजी कारोबार अनुपात | निवल बिक्री | कार्यशील पूंजी | (77.68) | (89.05) | 13% | - |

| अनुपात | अंश | भाजक | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष | % अंतर | अंतर के कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| निवल लाभ अनुपात | कर पश्चात निवल लाभ | कुल बिक्री | 6.79% | 3.68% | 84% | चालू वर्ष के दौरान कर पश्चात लाभ ₹ 8,836.48 करोड़' है, जबकि गत वर्ष ₹ 5,301.51 करोड़ था। |
| नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ | ब्याज और कर पूर्व आय | नियोजित पूंजी | 14.34% | 9.64% | 49% | चालू वर्ष के दौरान कर पश्चात लाभ ₹ 8,836.48 करोड़' है, जबकि गत वर्ष ₹ 5,301.51 करोड़ था। |
| निवेश पर प्रतिलाभ | निवेश से निवल आय | समापन निवेश | 20.26% | 16.85% | 20% | - |

**72.** गत वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है, जहां–कहीं भी वर्तमान वर्ष के लिए यह वर्गीकरण/प्रकटन के अनुरूप होना आवश्यक है।

**निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**

हस्ता./–
**एम.के. अग्रवाल**
कंपनी सचिव
(डीआईएन: 69402)

हस्ता./–
**आर.के. जैन**
निदेशक (वित्त)
(डीआईएन: 08788595)

हस्ता./–
**एस.के. गुप्ता**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 07570165)

हमारी समसंख्यक पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते **गांधी मिनोचा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म नं. 000458N
हस्ता./–
**भूपिन्द्र सिंह**
भागीदार
सदस्यता सं.: 092867

कृते **कीर्तन एंड पंडित एलएलपी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म नं.: 105215W/W100057
हस्ता./–
**चिराग गर्ग**
भागीदार
सदस्यता नं.: 540579

**स्थान: नई दिल्ली**
**दिनांक: 16 मई 2024**

# लाइसेंस क्षमता, स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन

| विवरण | वित्तीय वर्ष 2023–24 | | | | वित्तीय वर्ष 2022–23 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लाइसेंस क्षमता | स्थापित क्षमता | गैस थ्रूपुट | उत्पादन | लाइसेंस क्षमता | स्थापित क्षमता | गैस थ्रूपुट | उत्पादन |
| i) प्राकृतिक गैस (एमएमएससीएमडी) | 209.51 | 209.51 | 120.46 | | 206.03 | 206.03 | 107.28 | - |
| ii) एलपीजी (मी.टन)* | 9,52,685 | 9,86,276 | - | 6,94,176 | 9,52,685 | 9,86,276 | - | 6,89,855 |
| iii) प्रोपेन (मी.टन) | 2,57,100 | 2,57,100 | - | 2,22,019 | 2,57,100 | 2,57,100 | - | 1,64,886 |
| iv) एथिलीन (मी.टन)** | 8,50,000 | 8,96,000 | - | 8,04,847 | 8,50,000 | 8,96,000 | - | 4,59,613 |
| v) एचडीपीई/एलएलडीपीई (मी.टन)*** | 8,10,000 | 8,10,000 | - | 7,81,508 | 8,10,000 | 8,10,000 | - | 4,45,450 |
| vi) पेंटेन (मी.टन) | 55,182 | 57,545 | - | 25,309 | 55,182 | 57,545 | - | 22,575 |
| vii) नेफ्था (मी.टन) | 1,20,574 | 1,23,773 | - | 54,027 | 1,20,574 | 1,23,773 | - | 56,493 |
| viii) कच्चा तेल (मी.टन) | 11,168.80 | 11,168.80 | - | 10,969 | 11,829.70 | 11,829.70 | - | 6,293.76 |
| ix) सीएनजी एवं पीएनजी (*000 केजी)**** | 4,39,902 | 4,39,902 | - | 83,322 | 3,35,419 | 3,35,419 | - | 63,650 |
| x) सी2/सी3 (मी.टन)** | 21,94,594 | 21,94,594 | - | 9,49,083 | 21,94,594 | 21,94,594 | - | 5,33,527 |
| xi) ब्यूटेन–1 (मी.टन)** | 30,000 | 30,000 | - | 32,536 | 30,000 | 30,000 | - | 15,520 |

**टिप्पणियाँ :**

* उसर संयंत्र की क्षमता को छोड़कर

** आंतरिक रूप से खपत

*** एल पी वैक्स और पॉली लंप्स शामिल

**** सीएनजी और पीएनजी की यथानुपात चालू होने की तारीख के आधार पर लाइसेंस और स्थापित क्षमताएं

# मात्रात्मक सूचना

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | प्रारंभिक स्टॉक | | खरीद | | बिक्री | | आंतरिक खपत | | अंतिम स्टॉक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| 1. | प्राकृतिक गैस जिसमें एलएनजी और आरएलएनजी (एमएमएससीएम) शामिल हैं | | | | | | | | | | |
| | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष | 432.00 | 2,752.45 | 33,438.43 | 1,11,232.86 | 30,549.63 | 1,13,991.97 | 2,709.65 | 11,499.03 | 465.66 | 3,098.31 |
| | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष | 402.03 | 1,369.92 | 30,457.31 | 1,34,430.68 | 28,318.84 | 1,31,331.85 | 2,747.32 | 10,467.49 | 432.00 | 2,752.45 |
| 2. | एलपीजी (मी.टन) | | | | | | | | | | |
| | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष | 6,829.84 | 32.94 | | | 6,96,064.68 | 3,657.90 | - | | 6,663.13 | 27.97 |
| | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष | 2,927.01 | 5.77 | | | 6,86,939.64 | 4,297.62 | 50.47 | | 6,829.84 | 32.94 |
| 3. | पेंटेन (मी.टन) | | | | | | | | | | |
| | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष | 1,346.40 | 6.25 | | | 24,756.93 | 172.83 | 1,258.60 | | 770.46 | 3.37 |
| | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष | 207.04 | 0.36 | | | 20,774.32 | 165.71 | 723.17 | | 1,346.40 | 6.25 |
| 4. | प्रोपेन (मी.टन) | | | | | | | | | | |
| | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष | 2,701.51 | 12.05 | | | 34,393.39 | 193.84 | 1,87,053.36 | | 3,680.59 | 14.50 |
| | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष | 2,144.69 | 3.53 | | | 26,552.30 | 183.39 | 1,37,625.28 | | 2,701.51 | 12.05 |
| 5. | नेफ्था (मी.टन) | | | | | | | | | | |
| | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष | 832.91 | 3.59 | | | 54,356.59 | 257.70 | - | | 387.69 | 1.68 |
| | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष | 734.26 | 1.39 | | | 56,301.43 | 299.62 | | | 832.91 | 3.59 |
| 6. | पॉलिमर (मी.टन) | | | | | | | | | | |
| | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष | 71,208.80 | 749.93 | | | 7,86,683.74 | 7,206.93 | 4,447.20 | | 61,583.80 | 545.26 |
| | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष | 28,577.87 | 234.87 | | | 3,99,675.64 | 4,575.68 | 3,142.45 | | 71,208.80 | 749.93 |
| 7 | सी2/सी3 (मी.टन)* | | | | | | | | | | |
| | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष | 3,909.01 | 26.69 | | | - | | 9,45,666.84 | | 7,325.09 | 34.37 |
| | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष | 3,925.19 | 20.99 | | | | | 10,10,100.88 | | 3,909.01 | 26.69 |
| 8 | एथिलीन (मी.टन)* | | | | | | | | | | |
| | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष | 2,115.11 | 19.02 | | | - | | 8,00,940.95 | | 6,021.45 | 43.53 |
| | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष | 2,886.96 | 19.43 | | | | | 4,60,384.51 | | 2,115.11 | 19.02 |
| 9 | ब्यूटेन–1 (मी.टन)* | | | | | | | | | | |
| | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष | 988.21 | 9.04 | | | - | | 32,812.06 | | 712.46 | 6.73 |
| | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष | 939.55 | 8.89 | | | | | 15,471.27 | | 988.21 | 9.04 |
| 10 | कच्चा तेल (मी.टन) | | | | | | | | | | |
| | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष | 707.53 | 2.03 | | | 10,946.70 | 46.30 | - | | 737.38 | 1.81 |
| | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष | 215.68 | 0.70 | | | 5,801.91 | 24.77 | | | 707.53 | 2.03 |
| 11 | सीएनजी और पीएनजी ('000केजी) | | | | | | | | | | |
| | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष | 204.55 | 1.09 | - | - | 83,203.91 | 596.67 | | | 141.24 | 0.75 |
| | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष | 58.54 | 0.25 | 1,092.78 | 12.59 | 63,763.07 | 478.07 | | | 204.55 | 1.09 |
| 12 | विद्युत (केडब्ल्यूएच) | | | | | | | | | | |
| | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष | - | - | | | 14,57,50,797.00 | 36.26 | 1,88,97,883.00 | | | |
| | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष | - | - | | | 14,35,13,142.00 | 44.11 | 2,29,27,040.50 | | | |
| 13 | अन्य उत्पाद (मी.टन) | | | | | | | | | | |
| | 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष | 5,665.90 | 29.93 | | | 80,627.58 | 483.24 | 1,72,534.85 | | 5,276.34 | 32.42 |
| | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष | 2,205.96 | 13.76 | | | 40,417.85 | 268.21 | 10,299.57 | | 5,665.90 | 29.93 |

**टिप्पण:** (i) प्रारंभिक स्टॉक, खरीद, बिक्री और अंतिम स्टॉक के मिलान में अंतर माप सटीकता की सीमा के कारण है।

(ii) ईंधन और कच्चे माल के लिए उपयोग की जाने वाली प्राकृतिक गैस।

(*) पाता में अंतिम उत्पादों के निर्माण के लिए एथिलीन, ब्यूटेन–1 और सी2/सी3 की खपत आंतरिक रूप से की जाती है।

# सीएंडएजी की टिप्पणियाँ – पृथक वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा

**31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां**

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड के पृथक वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखांकन पर मानकों के अनुसार राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा दिनांक 16 मई 2024 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की एक पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजातों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसी कोई महत्वपूर्ण सूचना नहीं आई है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी टिप्पणी या अनुपूरकता उत्पन्न हो।

**कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**
**और उनकी ओर से**

**हस्ता./–**
**(एस. अह्लादिनी पांडा)**
**महालेखापरीक्षक**

**स्थानः** **नई दिल्ली**
**दिनांकः** **26.07.2024**

# समेकित वित्तीय विवरण

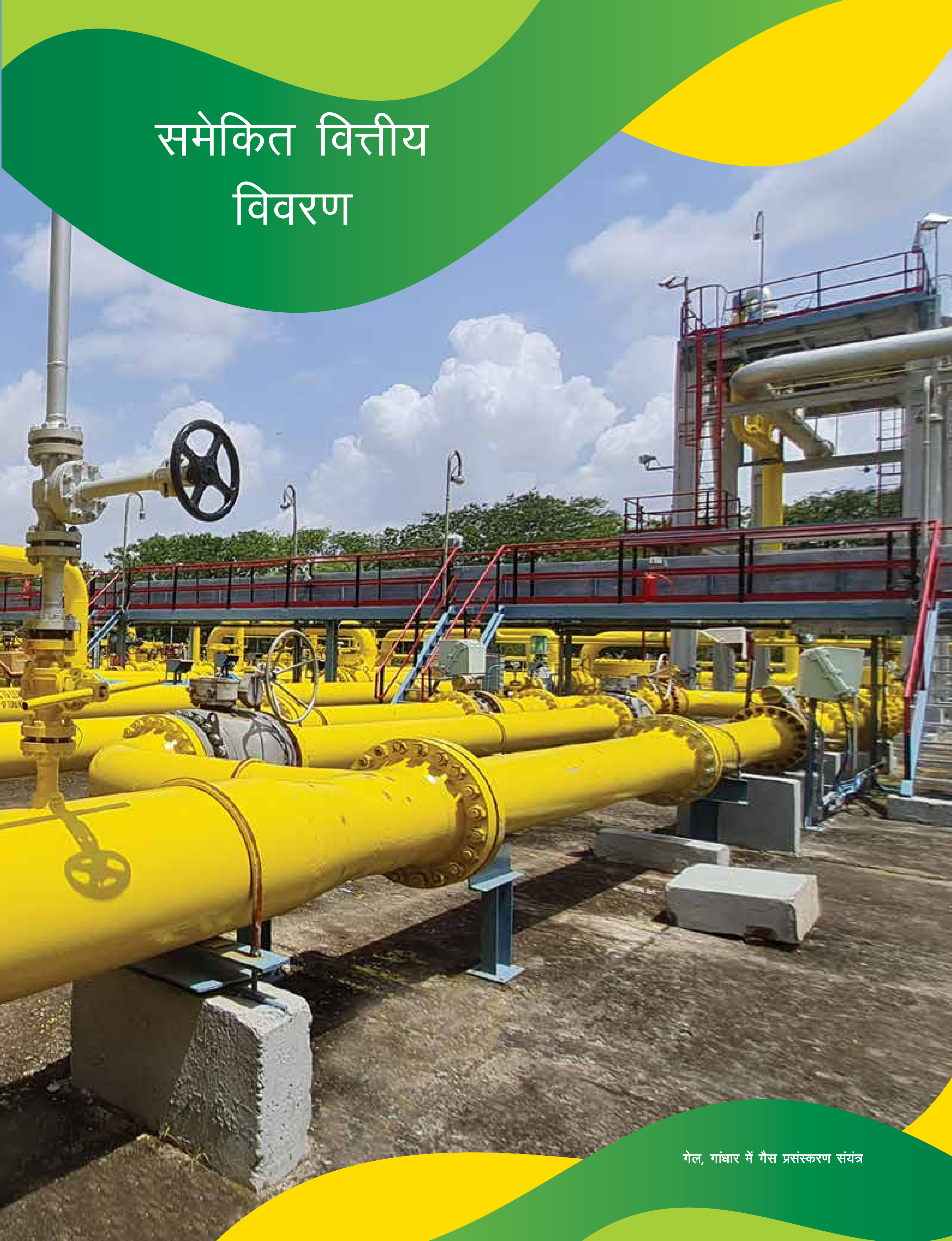

गेल, गांधार में गैस प्रसंस्करण संयंत्र

# स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोट

**गेल (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों के लिए**

**गेल (इंडिया) लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट**

**राय**

हमने गेल (इंडिया) लिमिटेड (इसमें आगे 'धारक कंपनी' के रूप में उल्लेख किया गया है) और इसकी सहायक कंपनियों (धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों का 'समूह' के रूप में उल्लेख किया गया है), इसकी सम्बद्ध कंपनियों तथा संयुक्त नियंत्रणाधीन कंपनियों जिन्हें दिनांक 31 मार्च, 2024 के समेकित तुलन–पत्र में शामिल किया गया है, के लाभ और हानि (अन्य प्रमुख आय सहित) के समेकित विवरण, इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण, उस समय समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह के समेकित विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य स्थितिमूलक सूचना (इसमें आगे समेकित वित्तीय विवरण के रूप में उल्लेख किया गया है) के सार सहित समेकित वित्तीय विवरण पर टिप्पणियों के साथ–साथ समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण में कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पठित और यथा–संशोधित धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में यथा–अपेक्षित स्वरूप में समूह, इसकी सम्बद्ध कंपनियों तथा संयुक्त नियंत्रणाधीन कंपनियों और सामान्यतः भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के कार्यों की दिनांक 31 मार्च, 2024 के अनुसार समेकित स्थिति, इनके समेकित निवल लाभ (अन्य प्रमुख आय सहित वित्तीय निष्पादन), इनकी इक्विटी में समेकित परिवर्तन और उस समय समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह के बारे में सूचना दी गई है और इस संबंध में सही तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाया गया है।

**राय का आधार**

हमने इस अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार इस समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के तहत निर्धारित किए गए हमारे उत्तरदायित्व का हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण खण्ड की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व में और उल्लेख किया गया है। हम इस अधिनियम और इसके नियमों के प्रावधानों के तहत समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के संबंध में नैतिक अपेक्षा के साथ–साथ भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी की गई नैतिक संहिता के अनुसार समूह, इसकी संबद्ध और संयुक्त नियंत्रणाधीन कंपनियों से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं तथा नैतिक संहिता के अनुसार अपने उत्तरदायित्व को पूरा किया है। हमारा मानना है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं वे समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय का आधार प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैरा 1 में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

ekey ij cy

1. हम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा जारी किए गए विभिन्न अंतिम परिवहन टैरिफ आदेशों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पण सं. 32(iii) पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिन्हें कंपनी द्वारा विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) में चुनौती दी गई है और कुछ ग्राहकों ने पीएनजीआरबी के इन आदेशों को न्यायालय में चुनौती दी है। मामला अंतिम रूप से तय होने पर समायोजन, यदि कोई हो, को लागू किया जाएगा।

2. हम कंपनी द्वारा निर्मित 'नेफ्था' के वर्गीकरण से संबंधित मामले में केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा अंतर राशि की मांग की पुष्टि करने वाले सीईएसटीएटी आदेश के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण ों के लिए टिप्पण सं. 30(i)(क)(iii) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें लागू दंड और उस पर ब्याज सहित ₹ 3,517 करोड़ शामिल हैं। मामले के गुण–दोष को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की है। प्राप्त कानूनी राय के आधार पर, कंपनी को अपने पक्ष में इस मामले में किसी भी संभावित निर्णय की उम्मीद नहीं है और तदनुसार आकस्मिक देयता के तहत इसे समाप्त कर दिया गया है।

   उपर्युक्त पैराओं में उल्लिखित मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं आया है।

**प्रमुख लेखापरीक्षा मामले**

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में समाधान किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक मामले के लिए, उस संदर्भ में हमारी लेखापरीक्षा ने मामले का कैसे समाधान किया, इसका विवरण दिया गया है। सामग्री सहित 'एक अन्य लेखा परीक्षक के काम का उपयोग' पर लेखांकन में मानक (एसए 600) की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, धारिता कंपनी के पृथक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से नीचे प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को पुनः प्रस्तुत किया गया है।

| क्र.सं. | मुख्य लेखापरीक्षा मामला | हमारी लेखापरीक्षा ने मुख्य लेखापरीक्षा मामले का कैसे समाधान किया |
|---|---|---|
| 1 | भारतीय लेखा मानक 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" को अपनाने के मद्देनजर राजस्व की पहचान और माप<br><br>हमने उपर्युक्त की मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचान की है क्योंकि राजस्व लेखा मानक के आवेदन में विशिष्ट प्रदर्शन दायित्वों की पहचान, पहचान किए गए प्रदर्शन दायित्वों के लेनदेन मूल्य का निर्धारण, आधार की उपयुक्तता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं, जो एक अवधि में मान्यता–प्राप्त राजस्व को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय लेखा मानक 115 में प्रकटीकरण शामिल हैं जिसमें अलग–अलग | çèkku y[kkijh{kk çfØ;k,<br><br>हमने भारतीय लेखा मानक 115 के तहत राजस्व लेखांकन मानक को अपनाने के प्रभाव की पहचान करने और लेखांकन नीति की उपयुक्तता की जाँच करने के लिए कंपनी की प्रक्रिया का आकलन किया। हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण शामिल था जो इस प्रकार है:<br>1. जहां–कहीं लागू था, भारतीय लेखा मानक 115 के कार्यान्वयन से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन का मूल्यांकन किया गया।<br>2. जारी और नए अनुबंधों का एक नमूना चुना गया, और विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान और लेनदेन मूल्य के निर्धारण से संबंधित आंतरिक |
| | राजस्व के संबंध में सूचनाओं का मिलान और वह अवधि जिसके दौरान तुलन–पत्र की तारीख के बाद शेष प्रदर्शन दायित्वों को पूरा किया जाएगा, शामिल है।<br><br>समेकित वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पण 21 और 39 देखें। | नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। हमने इन नियंत्रणों के संचालन के संबंध में जांच और अवलोकन, पुनः निष्पादन और साक्ष्य के निरीक्षण से संबंधित प्रक्रियाओं का संयोजन किया।<br>3 भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार राजस्व रिकॉर्डिंग और निपटान में प्रयुक्त अनुबंधों और संबंधित जानकारी से संबंधित प्रासंगिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की पहुंच और परिवर्तन प्रबंधन नियंत्रण का परीक्षण किया।<br><br>जारी और नए अनुबंधों का एक नमूना चुना गया और निम्नलिखित मूल प्रक्रियाओं का निष्पादन किया गया:<br>1. इन अनुबंधों में अलग–अलग निष्पादन दायित्वों को पढ़ा गया, विश्लेषण किया गया और पहचान की गई।<br>2. कंपनी द्वारा इन निष्पादन दायित्वों की तुलना की गई, उन्हें पहचाना गया और दर्ज किया गया।<br>3. राजस्व की गणना के लिए उपयोग किए गए लेनदेन मूल्य को सत्यापित करने और परिवर्तनीय विचार के अनुमान के आधार का परीक्षण करने के लिए किसी भी परिवर्तनीय विचार सहित लेनदेन मूल्य निर्धारित करने के लिए अनुबंधों की शर्तों पर विचार किया गया। |
| 2 | vfuf'pr dj fLFkfr;k vkj vkdfLed n;rkvk dk eY;kdu<br><br>कंपनी कई क्षेत्राधिकारों में काम करती है और अप्रत्यक्ष कर मामलों को छोड़कर व्यापार के सामान्य कार्यों के दौरान अनेक मामलों पर स्थानीय कर अधिकारियों और पीएनजीआरबी जैसे अन्य विनियामक प्राधिकारियों द्वारा आवधिक चुनौतियों के अधीन है। हमने उपर्युक्त की मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचान की है क्योंकि इनमें विवादास्पद मामलों को शामिल करते हुए वास्तविक अनिश्चित कर स्थिति और आकस्मिक देयताओं के संभावित परिणाम का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित लेखांकन और विसंगतियों पर प्रभाव पड़ता है।<br><br>समेकित वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पण 30(i) देखें। | geu bl lcèk e fuEufyf[kr y[kkijh{kk çfØ;k, ykx dh g%<br><br>1. प्रमुख कर मामलों और अन्य आकस्मिक देयताओं की जानकारी प्राप्त की।<br>2. कंपनी द्वारा प्राप्त प्रमुख पत्राचारों, बाहरी कानूनी राय/परामर्शों को पढ़ा और उनका विश्लेषण किया।<br>3. वर्तमान और आस्थगित कर शेष का आकलन करने में कंपनी द्वारा की गई प्रमुख मान्यताओं का मूल्यांकन किया और उन्हें चुनौती दी।<br>4. कानूनी वरीयता और अन्य न्यायिक निर्णयों पर विचार करके विवादित मामलों के संभावित परिणाम के कंपनी के अनुमान का आकलन किया और उसे चुनौती दी।<br>5. अनिश्चित कर स्थितियों और आकस्मिक देयताओं से संबंधित प्रस्तुति और विसंगतियों का आकलन और परीक्षण किया गया। |
| 3 | 0;RiUu yunu vkj cpko yunu dk y[kkdu<br><br>हमने उपर्युक्त मुख्य लेखापरीक्षा मामले की पहचान की है क्योंकि हेज (बचाव) लेखांकन ने वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, इसके लेखांकन की जटिलता, गणना और हेज संबंध स्थापित करने के लिए जटिल/कई धारणाओं को लिया गया है। इन व्युत्पन्न अनुबंधों से संबंधित मार्क से बाजार लाभ/हानि को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई है।<br><br>समेकित वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पण 59 देखें। | geu bl lcèk e fuEufyf[kr y[kkijh{kk çfØ;k, ykx dh g%<br><br>1. व्युत्पन्न लेनदेन की रिकॉर्डिंग और बचाव लेखांकन के आवेदन पर प्रबंधन के नियंत्रण की समझ प्राप्त की।<br>2. व्युत्पन्न लेनदेन की सटीकता और पूर्णता का परीक्षण किया।<br>3. हमने व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के मूल्यांकन के नमूने के आधार पर लागू और परीक्षण की गई मूल्यांकन पद्धतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने वाली मूल्यांकन रिपोर्ट पर भरोसा किया है।<br>4. मान्य है कि व्युत्पन्न वित्तीय लिखत नमूना आधार पर बचाव लेखांकन और बचाव प्रभावशीलता और गैर–प्रभावकारिता की परीक्षण सटीकता के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। |

| क्र.सं. | मुख्य लेखापरीक्षा मामला | हमारी लेखापरीक्षा ने मुख्य लेखापरीक्षा मामले का कैसे समाधान किया |
|---|---|---|
| 4 | **तकनीकी मापदंड और व्यापक लेन–देन एकीकृत प्रणाली तथा उसमें शामिल जटिलताओं के माध्यम से राजस्व और सूची को मापने के लिए प्राकृतिक गैस व्यापार और संचरण संपन्न किया गया।**<br>हमने उपर्युक्त मुख्य लेखापरीक्षा मामले की पहचान की है क्योंकि गैस–पाइपलाइनों के माध्यम से बेची गई और स्टॉक में प्राकृतिक गैस की मात्रा के निर्धारण में प्राकृतिक गैस के विभिन्न तकनीकी पहलुओं जैसे दबाव, तापमान आदि का उपयोग शामिल है, जो गैस पाइपलाइन पर स्थापित माप उपकरणों से प्राप्त होता है। हमें सूचित किया गया था कि कार्यप्रणाली मानक है और पूरे उद्योग में उपयोग की जाती है। इससे 31 मार्च, 2024 तक बेची गई प्राकृतिक गैस और पाइपलाइन में स्टॉक की मात्रा को मान्य करने की जटिलता बढ़ जाती है। | **हमने इस संबंध में निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं लागू की हैं:**<br>1. हमने अपने आईटी विशेषज्ञों की सहायता से, लेखांकन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आईटी प्रणाली द्वारा प्राप्त मात्रा की सटीकता और पूर्णता पर नियंत्रणों का परीक्षण किया है।<br>2. हमने प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है कि आईटी प्रणाली राजस्व और सूची माप के उद्देश्य से प्राकृतिक गैस की मात्रा को प्राप्त करने के लिए एक मानक पद्धति लागू करती है।<br>3. हमने प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए विभिन्न पहलुओं जैसे रूपांतरण कारक, मीटर रीडिंग इत्यादि को लागू करके मांग सूची के मूल्यांकन का सत्यापन किया है। |
| | समेकित वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पण 10 और 21 देखें। | |
| 5 | **कुछ सहायक कंपनियों में निवेश और अग्रिमों की वसूली योग्य राशि का मूल्यांकन**<br>कुछ सहायक कंपनियों में निवेश और अग्रिमों की वसूली योग्य राशियों के कंपनी के मूल्यांकन में उनके वसूली योग्य मूल्य और वाहक राशि की तुलना शामिल है। प्रबंधन भावी नकदी प्रवाह के प्रबंधन के अनुमानों के आधार पर वसूली योग्य राशि निर्धारित करता है। रियायती नकदी प्रवाह मॉडल में प्रयुक्त पूर्वोक्त मान्यताओं को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता होती है। भावी नकदी प्रवाह के पूर्वानुमान और छूट की अनिश्चितता के कारण, स्वाभाविक रूप से व्यक्तिपरक होने के कारण, इसमें प्रबंधन का निर्णय शामिल होता है और 31 मार्च, 2024 को कंपनी के निवेश के महत्व को देखते हुए हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना है।<br>समेकित वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पण 5 देखें। | **हमने इस संबंध में निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं लागू की हैं:**<br>1. हमने प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए भावी नकदी प्रवाह के पूर्वानुमानों का आकलन, अनुमानों का मूल्यांकन किया है और अनुमानों की तुलना बाहरी रूप से उपलब्ध उद्योग, आर्थिक और वित्तीय आंकड़ों से की है।<br>2. प्रबंधन की योजना को समझने और पूर्वव्यापी परीक्षण करके राजस्व वृद्धि और ईबीआईटीडीए मार्जिन जैसी प्रमुख व्यावसायिक मान्यताओं की तर्कसंगतता का आकलन किया।<br>3. हमने निवेश के उचित मूल्य के निर्धारण में कंपनी की मूल्यांकन पद्धति का मूल्यांकन किया है। यह आकलन करने में, हमने प्रबंधन द्वारा लगाए गए मूल्यांकन विशेषज्ञ की व्यावसायिक क्षमता, निष्पक्षता और क्षमताओं का भी आकलन किया।<br>4. हमारे आंतरिक मूल्यांकन विशेषज्ञों की सहायता से नकदी प्रवाह पूर्वानुमानों में अपनाई गई प्रमुख मान्यताओं की तर्कसंगतता का आकलन किया।<br>5. हमने पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी के निवेश के निष्पादन पर प्रबंधन के साथ विचार–विमर्श किया है ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि नकदी प्रवाह पूर्वानुमानों में उपयोग किए गए इनपुट और अनुमान उपयुक्त थे या नहीं।<br>6. प्रमुख मान्यताओं के आसपास प्रबंधन की संवेदनशीलता विश्लेषण का मूल्यांकन किया है। |
| 6 | **निष्पादन संबंधी वेतन के लिए प्रावधान**<br>वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए निष्पादन संबंधी वेतन का प्रावधान सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों (डीपीई) के आधार पर किया गया है। रेटिंग कारकों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना बाकी है। | **हमने इस संबंध में निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं लागू की हैं:**<br>1. हमने डीपीई द्वारा जारी परिपत्र की समीक्षा की है और वित्त वर्ष 2023–24 के लिए प्रबंधन द्वारा साझा की गई गणनाओं को सत्यापित किया है ताकि यह संतुष्ट हो सके कि परिपत्र में निर्धारित कार्यप्रणाली का पालन किया गया है और प्रावधान उचित है।<br>2. हमने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए गेल के समझौता–ज्ञापन (एमओयू) की स्व–मूल्यांकन रिपोर्ट का सत्यापन किया है, जहां वित्त वर्ष 2023–24 के लिए उपयोग की गई धारणाओं की तर्कसंगतता निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा रेटिंग को मंजूरी दी गई है।<br>3. हमने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए डीपीई द्वारा कंपनी के स्कोर और रेटिंग का उल्लेख करते हुए एमओयू रेटिंग भी प्राप्त की है। |

**समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी**

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशक की रिपोर्ट, निगमित शासन रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट और प्रबंधन चर्चा और वार्षिक रिपोर्ट का विश्लेषण शामिल है, लेकिन समेकित वित्तीय विवरण और उस पर हमारी रिपोर्ट शामिल नहीं है। निदेशक की रिपोर्ट, निगमित शासन रिपोर्ट, व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट की प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

**समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करेंगे।**

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी को पढ़ें, जब यह हमारे लिए उपलब्ध हो जाए और ऐसा करते हुए विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों के साथ असंगत है या हमारी जानकारी के दौरान प्राप्त की गई सूचना हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बताई गई प्रतीत होती है।

जब हम ऐसी अन्य सूचना पढ़ते हैं और यह जब भी हमें उपलब्ध कराई जाती है और यदि हम मानते हैं कि इसमें कोई भौतिक गलत विवरण है, तो हमें अभिशासन के प्रभार वाले लोगों को मामले से अवगत कराना आवश्यक होता है।

**समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी और जिन्हें नियंत्रण का प्रभार सौंपा गया है**

धारक कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 की आवष्यकता के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है, जो समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन सहित अन्य व्यापक आय, समेकित परिवर्तनों का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जिसमें यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) को शामिल करते हुए, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की अन्य व्यापक आय, इक्विटी में समेकित परिवर्तन और समूह का समेकित नकदी प्रवाह शामिल है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी, अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय लेना और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, तथा समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हों, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और सामग्री के गलत कथन, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, से मुक्त होते हैं, जिनका धारिता कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह और उसकी सम्बद्ध और संयुक्त नियंत्रित कंपनियों में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल भविष्य में कंपनी के बने रहने की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार हैं, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को बंद करने का इरादा न रखता हो, तब तक कंपनी के भविष्य मे बने रहने से संबंधित मामलों का निपटान करने, जैसा लागू हो, और भविष्य मे लेखांकन के बने रहने के आधार का उपयोग करने या कंपनी के संचालन को बंद करने, या ऐसा करने का कोई वास्तविक विकल्प न हो।

इस समूह और इसकी सम्बद्ध तथा संयुक्त नियंत्रणाधीन कंपनियों में शामिल की गई कंपनियों का संबंधित निदेशक मंडल इस समूह, इसकी सम्बद्ध तथा संयुक्त नियंत्रणाधीन कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए उत्तरदायी है।

**समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां**

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जो हमारी राय को प्रभावित करता है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित कोई लेखापरीक्षा हमेशा ही किसी महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगी जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें सामग्री माना जाता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हमः

- समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानते और उनका आकलन करते हैं, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करते हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री गलत कथन का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने की संभावना अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- हमने इस लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त की है ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रिया को निर्धारित किया जा सके जो इन परिस्थितियों में उपयुक्त है। इस अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हम इस संबंध में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी है कि क्या भारत में निगमित धारक कंपनी, इसकी सहायक कंपनी, इसकी सम्बद्ध और संयुक्त नियंत्रणाधीन कंपनी ने पर्याप्त रूप से समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और इस प्रकार के नियंत्रण की प्रचालन कारगरता की व्यवस्था कर रखी है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित विसंगतियों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।
- हमने लेखांकन की वर्तमान व्यवस्था का उपयोग करके और प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा के साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन और निदेशक मंडल की उपयुक्तता के संबंध में निर्णय लिया है कि क्या कार्यकलापों अथवा इन दशाओं से संबंधित ऐसी कोई प्रमुख अनिश्चितता मौजूद है जो वर्तमान कारोबार को जारी रखने के लिए इस समूह और इसकी सम्बद्ध तथा संयुक्त नियंत्रणाधीन कंपनियों की योग्यता के बारे में काफी संदेह पैदा कर सकती है। यदि हमारा निष्कर्ष यह है कि समेकित वित्तीय विवरण में ऐसी प्रमुख अनिश्चितता मौजूद है अथवा इस प्रकार की जानकारी हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त है तो हमसे यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इस प्रकार की संबंधित जानकारी के बारे में ध्यान आकर्षित करें। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में प्राप्त किए गए अद्यतन लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित है। तथापि भावी गतिविधियों अथवा दशाओं के कारण इस समूह और इसकी सम्बद्ध तथा संयुक्त नियंत्रणाधीन कंपनियों के वर्तमान कारोबार को भविष्य में बंद करना पड़ सकता है।
- हमने संबंधित जानकारी सहित समग्र विवरण, संरचना और समेकित वित्तीय विवरण की विषय–वस्तु का इसलिए मूल्यांकन किया है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण में निर्धारित लेन–देन तथा कार्यकलापों को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है जिससे सही विवरण प्राप्त किया जा सके।
- हमने इस समेकित वित्तीय विवरण के संबंध में अपनी राय व्यक्त करने के लिए इस समूह और इसकी सम्बद्ध तथा संयुक्त नियंत्रणाधीन कंपनियों के कारोबार कार्यकलाप अथवा कंपनियों की वित्तीय सूचना से संबंधित पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है। हम समेकित वित्तीय विवरण सहित इस प्रकार की कंपनियों जिनके लिए हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, के वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के निदेश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। इस समेकित वित्तीय विवरण में शामिल की गई अन्य कंपनियों जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों ने की है, वे स्वयं द्वारा की गई लेखापरीक्षा के निदेश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी रहेंगे। हम केवल अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए ही उत्तरदायी रहेंगे।

हमने धारक कंपनी और इस समेकित वित्तीय विवरण में शामिल की गई उन कंपनियों जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, के अभिशासन प्रभारी को आंतरिक नियंत्रण में किसी प्रमुख कमी जिसे हमने अपनी लेखा परीक्षा में निर्धारित किया है, सहित लेखा परीक्षा के नियोजित क्षेत्राधिकार तथा समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष के साथ–साथ अन्य मामलों से अवगत कराया है।

हमने अभिशासन प्रभारी को ऐसा विवरण प्रदान किया है जिसे हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के अनुरूप संकलित किया है और इसके साथ–साथ उन्हें ऐसे सभी संबंधों तथा मामलों से भी अवगत कराया है जो हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो संबंधित सुरक्षा उपायों पर प्रभाव डाल सकते हैं।

अभिशासन प्रभारी को सूचित किए गए मामलों के आधार पर हमने उन मामलों को निर्धारित किया है जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए ये प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हमने अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों का उल्लेख किया है जब तक कि कानून अथवा नियम के तहत इस प्रकार के मामले पर प्रतिबंध न लगाया गया हो अथवा अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में ऐसा करना हो, हमने यह निर्धारित किया है कि ऐसे मामले को अपनी रिपोर्ट में सूचित नहीं करना चाहिए क्योंकि इस प्रकार की सूचना से सार्वजनिक हित लाभ पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

**अन्य मामले**

हमने समेकित वित्तीय विवरण से संबंधित नोट में निम्नलिखित मामलों पर ध्यान दिया है :

1. हमने इस समेकित वित्तीय विवरण में शामिल की गई उन 7 (सात) सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है जिनके वित्तीय विवरण में दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार नीचे दिए गए ब्यौरे, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व और निवल नकदी प्रवाह जिस पर समेकित वित्तीय विवरण में विचार किया गया है, दर्शाए गए हैं।

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | कंपनी का नाम | कुल परिसंपत्तियां | प्रचालन से कुल राजस्व | निवल नकद अंतर्वाह/(बहिर्गमन) |
|---|---|---|---|---|
| i. | गेल ग्लोबल सिंगापुर प्रा. लिमिटेड | 322.56 | 6,230.89 | (0.92) |
| ii. | गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक. | 1,277.41 | 6,206.24 | (3.18) |
| iii. | गेल गैस लिमिटेड | 6,006.59 | 10,944.12 | 400.53 |
| iv. | बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड | 921.52 | 29.91 | 86.15 |
| v. | कोंकण एलएनजी लिमिटेड | 4,672.14 | 406.87 | (6.70) |
| vi. | त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड | 318.18 | 282.22 | (22.01) |
| vii. | गेल मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड | 4,694.31 | - | 33.58 |
| **कुल** | | 18,212.71 | 24,100.25 | 487.45 |

इस समेकित वित्तीय विवरण में दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी पद्धति का उपयोग करके निवल लाभ/हानि और विस्तृत आय के कंपनी के शेयर को भी शामिल किया गया है जिस पर ऐसी 5 (पांच) सम्बद्ध और 5 (पांच) संयुक्त उद्यम कंपनियों जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना की हमने लेखापरीक्षा नहीं की है, के समेकित वित्तीय विवरण में विचार किया गया है।

(₹ करोड़ में)

| क.सं. | कंपनी का नाम | वर्गीकरण | इक्विटी पद्धति का उपयोग करके अन्य विस्तृत आय सहित निवल लाभ/हानि में समूह का शेयर |
|---|---|---|---|
| i. | आवंतिका गैस लिमिटेड | संयुक्त उद्यम | 37.83 |
| ii. | भाग्यनगर गैस लिमिटेड | संयुक्त उद्यम | 18.56 |
| iii. | ग्रीन गैस लिमिटेड | संयुक्त उद्यम | 21.76 |
| iv. | इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड | संयुक्त उद्यम | 0.06 |
| v. | महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड | संयुक्त उद्यम | 137.28 |
| vi. | ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर्स लिमिटेड | सम्बद्ध | (112.01) |
| vii. | ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड | सम्बद्ध | 18.00 |
| viii. | इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड | सम्बद्ध | 445.98 |
| ix. | महानगर गैस लिमिटेड | सम्बद्ध | 413.57 |
| x. | एलएनजी जैपोनिका शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड | सम्बद्ध | 8.27 |
| d\|y | | | 989.30 |

इन वित्तीय विवरण की अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें धारक कंपनी के प्रबंधन ने अग्रेषित की है और इन समेकित वित्तीय विवरण के संबंध में हमारी राय इन सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम और सम्बद्ध कंपनियों के संदर्भ में जहां तक राषि और जानकारी शामिल की गई है तथा उपर्युक्त सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम और सम्बद्ध कंपनियों के बारे में इस अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) और (11) के अनुसार हमारी रिपोर्ट पूर्णतः अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

2. इस समेकित वित्तीय विवरण में दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए इक्विटी पद्धति का उपयोग करके निवल लाभ/(हानि) (अन्य विस्तृत आय सहित) में समूह के शेयर को भी शामिल किया गया है जो कि जिस पर ऐसी 6 (छह) सम्बद्ध और 4 (चार) संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरण में विचार किया है जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की गई है और जिन्हें धारक कंपनी के प्रबंधन ने हमें अग्रेषित किया है।

(₹ करोड़ में)

| क.सं. | कंपनी का नाम | वर्गीकरण | इक्विटी पद्धति का उपयोग करके अन्य विस्तृत आय सहित निवल लाभ/हानि में समूह का शेयर |
|---|---|---|---|
| i. | सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड | संयुक्त उद्यम | 17.96 |
| ii. | तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड | संयुक्त उद्यम | (2.45) |
| iii. | वडोदरा गैस लिमिटेड | संयुक्त उद्यम | 11.90 |
| iv. | तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड | संयुक्त उद्यम | - |
| v. | पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड | सम्बद्ध | 455.57 |
| vi. | रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड | सम्बद्ध | 65.59 |
| vii. | ओएनजीसी पेट्रो एडिशन लिमिटेड | सम्बद्ध | - |
| viii. | फयूम गैस कंपनी | सम्बद्ध | 3.30 |
| ix. | भारत एनर्जी ऑफिस एलएलसी | सम्बद्ध | (0.06) |
| x. | चाइना गैस होल्डिंग्स लिमिटेड | सम्बद्ध | (64.70) |
| d\|y | | | 487.11 |

ये वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना हमें धारक कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई है और समेकित वित्तीय विवरण के संबंध में हमारी जहां तक यह सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम और सम्बद्ध कंपनी की राशि तथा जानकारी के बारे में है और इस अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) और (11) के अनुसार हमारी रिपोर्ट जहां तक यह सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम और सम्बद्ध कंपनी के संबंध में है, पूर्णतः इसे गैर–लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना पर आधारित है।

3. समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए समूह के शुद्ध लाभ/(हानि) (अन्य व्यापक आय सहित) का हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना जाता है, 1 (एक) सहयोगी के संबंध में जिसका लेखापरीक्षित परिण ाम उसके संबंधित लेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित है, जो 31 दिसंबर 2023 तक उपलब्ध है। इसके अलावा, 3 (तीन) सहयोगियों और 1 (एक) संयुक्त उद्यम के संबंध में गैर–लेखापरीक्षित परिणाम 31 दिसंबर 2023 तक उपलब्ध हैं। इस तरह के विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | कंपनी का नाम | वर्गीकरण | परिणाम | लेखापरीक्षित/ गैर–लेखापरीक्षित | इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए अन्य व्यापक आय सहित शुद्ध लाभ/(हानि) में समूह का हिस्सा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एलएनजी जैपोनिका शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड | संबद्ध | December 31, 2023 | लेखापरीक्षित | 8.27 |
| 2 | चाइना गैस होल्डिंग्स लिमिटेड | संबद्ध | December 31, 2023 | गैर–लेखापरीक्षित | (64.70) |
| 3 | फयूम गैस कंपनी | संबद्ध | December 31, 2023 | गैर–लेखापरीक्षित | 3.30 |
| 4 | एलएलसी भारत एनर्जी ऑफिस | संबद्ध | December 31, 2023 | गैर–लेखापरीक्षित | (0.06) |
| 5 | तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड | संयुक्त उद्यम | December 31, 2023 | गैर–लेखापरीक्षित | - |
| d\|y | | | | | (53.19) |

इस तारीख (अर्थात 31 दिसंबर 2023) के बाद की अवधि के लिए कोई समायोजन नहीं किया गया है क्योंकि संबंधित कंपनी के प्रबंधन द्वारा सूचित कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं हुआ है।

4. धारक कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण में संयुक्त नियंत्रणाधीन प्रचालनों में आनुपातिक शेयर को शामिल करने के बारे में, कुल आनुपातिक शेयर में नकदी प्रवाह विवरण के घटकों तथा संबंधित जानकारी के साथ–साथ ₹ 1434.81 करोड़ की परिसम्पत्ति, ₹ 1985.16 करोड़ की देनदारी, ₹ 774.18 करोड़ के व्यय, ₹ 1087.34 करोड़ की आय को शामिल किया गया है। यह उपर्युक्त राशि इन कंपनियों के गैर–लेखा परीक्षित विवरण के आधार पर शामिल की गई है। प्रबंधन की यह राय है कि इसका धारक कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उपर्युक्त उल्लिखित लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण और गैर–लेखा परीक्षित प्रबंधन लेखाओं की स्थिति हमें दिनांक 10 मई, 2024 (अंतिम तारीख) तक प्रदान की गई सूचना पर आधारित है।

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पिछले संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिनांक 18 मई, 2023 के अनुसार समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर अपरिवर्तित राय व्यक्त की थी।

समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय और नीचे उल्लिखित अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट हमसे संबंधित उपर्युक्त मामलों के बारे में अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्यों और रिपोर्ट तथा प्रबंधन द्वारा सत्यापित वित्तीय विवरण तथा सूचना के आधार पर संशोधित नहीं की गई है।

**vU; dkuuh vkj fofu;ked vko';drkvk ij fjikVZ**

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(क11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के पैरा 3 (iii) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि धारिता कंपनी के पृथक वित्तीय विवरणों के संबंध में सीएआरओ रिपोर्ट के पैरा (प) (ग) में कोई योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी शामिल नहीं है, जो इन समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं। सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के संबंध में जिनके खातों की लेखापरीक्षा की जाती है, संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश (सीएआरओ)

में दी गई योग्यताएं या प्रतिकूल टिप्पणियां समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल कंपनियों की रिपोर्ट के साथ–साथ सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों जिनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट अंतिम तिथि तक उपलब्ध नहीं हैं, **अनुलग्नक "क"** में दी गई हैं।

2. जैसा कि इस अधिनियम की धारा 143(3) में अपेक्षित है, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और सहायक कंपनी, सम्बद्ध कंपनी और संयुक्त नियंत्रणाधीन कंपनी के अलग वित्तीय विवरण पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, क्योंकि अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी जिसका 'अन्य मामले' पैरा में उल्लेख किया गया है, हम यथा–उपयुक्त लागू सीमा तक यह सूचित करते हैं कि :

(क) हमने वे सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण की हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए अनिवार्य थे।

(ख) हमारी राय में उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने के संबंध में कानून द्वारा यथा–अपेक्षित उपयुक्त बही खाते रखे गए हैं जहां तक इन बही खातों की हमारी जांच तथा अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है।

(ग) समेकित तुलन–पत्र, लाभ और हानि (अन्य प्रमुख आय सहित) का समेकित विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण जिसका इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने के उद्देश्य के लिए रखी गई प्रासंगिक बही खातों के अनुरूप है।

(घ) हमारी राय में उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली 2015 यथा–संशोधित के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 133 के तहत यथा–विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है।

(ड.) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर.463(अ.) के अनुसार इस अधिनियम की धारा 164 की उप–धारा (2) के प्रावधान सरकारी कंपनी होने के कारण धारक कंपनी पर लागू नहीं होते। इसके अलावा, भारत में निगमित 5 (पांच) संयुक्त उद्यम और 4 (चार) संबद्ध कंपनियों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, अधिनियम की धारा 164(2), जहां कहीं लागू हो, के अनुसार भारत में शामिल संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में से कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2024 को निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं है।

(च) हम मौजूदा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता तथा इस प्रकार के नियंत्रण की प्रचालन कारगरता के संबंध में धारक कंपनी तथा भारत में निगमित सहायक कंपनियों, सम्बद्ध कंपनियों और संयुक्त नियंत्रणाधीन कंपनियों के अन्य लेखा परीक्षकों की राय पर विचार करने के बाद अपनी राय के बारे में **अनुलग्नक–ख** में एक रिपोर्ट इसके साथ संलग्न कर रहे हैं।

(छ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(अ) के अनुसार इस अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान सरकारी कंपनी होने के कारण धारक कंपनी पर लागू नहीं होते। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की आवश्यकता के अनुसार रिपोर्टिंग, धारिता कंपनी और उसकी 5 (पांच) सहायक कंपनियों पर लागू नहीं होती है। इसके अलावा, भारत में शामिल 5 (पांच) संयुक्त उद्यम और संबद्ध कंपनियों की रिपोर्ट के आधार पर, वर्ष के दौरान इस तरह के संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों और 4 (चार) संबद्ध कंपनियों द्वारा अपने निदेशकों को भुगतान प्रदान किया गया जो अधिनियम, जहां कहीं लागू हो, रिपोर्ट की गई सीमा तक प्रबंधकीय पारिश्रमिक अनुसूची ट के साथ पठित धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार था।

(ज) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना में तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों में कंपनी (लेखा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और अलग–अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और "अन्य मामले" पैरा में उल्लिखित सहायक कंपनियों, संबद्ध कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों की अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार के आधार पर:–

i. 31 मार्च, 2024 तक के समेकित वित्तीय विवरण में समूह, इसकी सम्बद्ध और संयुक्त नियंत्रणाधीन कंपनियों की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित विवादों के प्रभाव की जानकारी दी गई है – समेकित वित्तीय विवरण के टिप्पण 30(i)(क) का अवलोकन करें।

ii. समूह, इसकी सम्बद्ध कंपनियों और संयुक्त नियंत्रणाधीन कंपनियों ने यथा–लागू कानून अथवा लेखांकन मानकों में विचलन संविदा सहित दीर्घकालिक संविदाओं पर सुनिश्चित की जा सकने वाली सीमा तक संभावित प्रमुख हानि के लिए यथा–अपेक्षित प्रावधान किया है।

iii. समूह, भारत में निगमित इसकी सम्बद्ध कंपनियों तथा संयुक्त नियंत्रणाधीन कंपनियों ने निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित की जाने वाली अपेक्षित राशि को अंतरित करने में कोई विलम्ब नहीं किया है।

(iv) (क) धारिता कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों, संबद्ध और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के संबंधित प्रबंधन, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, जिनके वित्तीय विवरण अधिनियम के तहत लेखा–परीक्षित किए गए हैं और हमें प्रस्तुत किए गए हैं, ने हमें और अन्य ऐसी सहायक, संबद्ध और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के लेखापरीक्षक, जिन्होंने उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, किसी भी निधि के लिए अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधि से या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार की निधि से) धारिता कंपनी या ऐसी कोई सहायक, संबद्ध और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों या किसी अन्य व्यक्ति(यों) या कंपनी (कंपनियों) में, विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ धारिता कंपनी या ऐसी किसी सहायक कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या कंपनियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों ("अंतिम लाभार्थी")

या अंतिम लाभार्थियों की ओर से उधार नही लेगा या निवेश करेगा या कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

(ख) धारिता कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों, संबद्ध और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के संबंधित प्रबंधन, जिनके वित्तीय विवरण अधिनियम के तहत लेखा–परीक्षित किए गए हैं और हमें प्रस्तुत किए गए हैं, ने हमें और ऐसी सहायक कंपनियों, संबद्ध और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के अन्य लेखा परीक्षकों का प्रतिनिधित्व किया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, धारिता कंपनी या ऐसी किसी भी सहायक कंपनी, संबद्ध और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों द्वारा विदेशी कंपनियों ("वित्त–पोषण पार्टियां"), सहित किसी भी व्यक्ति(यों) या कंपनी (कंपनियों) से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि धारित कंपनी या ऐसी कोई भी सहायक, संबद्ध और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या कंपनियों में फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से उधार नहीं लेगा या निवेश करगा या कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

(ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें हमारे द्वारा निष्पादित परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है और जो सहायक कंपनियों, संबद्ध और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के लेखा परीक्षकों द्वारा निष्पादित की जाती हैं, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, के वित्तीय विवरणों की अधिनियम के तहत लेखापरीक्षा की गई है, हमारे या अन्य लेखा परीक्षकों के ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें या अन्य लेखा परीक्षकों को यह विश्वास हो गया हो कि नियम 11 (ड.) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

(v) क) भारत में निगमित धारिता कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों, सबद्ध और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों द्वारा वर्ष के दौरान घोषित या भुगतान किया गया लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है।

ख) 2 (दो) संयुक्त उद्यमों और 1 (एक) सहयोगी कंपनियों के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव रखा है जो संबंधित कंपनियों की आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू सीमा तक है।

vi. क) हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच शामिल थी और 5 (पांच) सहायक कंपनियों, 4 (चार) संबद्ध कंपनियों और 5 (पांच) संयुक्त उद्यमों के संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा की गई थी, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के तहत लेखापरीक्षा की गई है, 2 (दो) सहायक कंपनियों और 1 (एक) संयुक्त उद्यम के संबंध में नीचे उल्लिखित उदाहरणों को छोड़कर, कंपनी, सहायक कंपनियों, संबद्ध कंपनियों और संयुक्त उद्यमों ने अपने बही खातों को बनाए रखने के लिए एक लेखांकन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित हुई है। इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हम और ऊपर संदर्भित सहायक कंपनियों, संबद्ध कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के संबंधित लेखा परीक्षक ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला सामने नहीं आया है।

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | कंपनी का नाम | सीआईएन | सहायक / संबद्ध / संयुक्त उद्यम | लेखापरीक्षा रिपोर्ट की वह खंड संख्या जिसमें योग्य या प्रतिकूल टिप्पणी की गई है। |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आवंतिका गैस लिमिटेड | U40107MP2006PLC018684 | संयुक्त उद्यम | (vi) (क) |
| 2. | त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड | U23201TR1990SGC003451 | सहायक | (vi) |
| 3. | गेल मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड | U24290DL2008PLC423872 | सहायक | (vi) |

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारत में निगमित 3 (तीन) संबद्ध और 3 (तीन) संयुक्त उद्यमों के संबंध में जिनके वित्तीय विवरण/सूचना गैर–लेखापरीक्षित हैं जो समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं, इसलिए हम कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (छ) के तहत प्रावधान के तहत रिपोर्ट करने में असमर्थ हैं।

कृते **गांधी मिनोचा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 00458N

हस्ता./–
**भूपिन्दर सिंह**
भागीदार
सदस्यता सं.: 09286
यूडीआईएनः 24092867BKAATZ9496

**स्थानः नई दिल्ली**
**दिनांकः 16 मई, 2024**

कृते **कीर्तने एंड पंडित एलएलपी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म नं.: 105215W/W100057

हस्ता./–
**चिराग गर्ग**
भागीदार
सदस्यता नं.: 540579
यूडीआईएनः 24540579BKGSRG3233

# स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक – क

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर गेल (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों को समसंख्यक तारीख की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के "अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के पैरा 1 में संदर्भित।

कंपनियों (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश"/"सीएआरओ") के पैरा 3(गगप) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, हम कहते हैं कि:

i) नीचे उल्लिखित सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और संबद्ध कंपनियों की टिप्पणियां इस प्रकार हैं: –

| क्र. सं. | कंपनी का नाम | सीआईएन | धारिता/सहायक/ संबद्ध/ संयुक्त उद्यम | सीएआरओ रिपोर्ट की खंड संख्या जिनमें प्रतिकूल टिप्पणियां की गई हैं |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आवंतिका गैस लिमिटेड | U40107MP2006PLC018684 | संयुक्त उद्यम | (i) (क) |
| 2 | बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड | U40300WB2019GOI229618 | सहायक | (xvii) |
| 3 | भाग्यनगर गैस लिमिटेड | U40200TG2003PLC041566 | संयुक्त उद्यम | (i) (ग) और (xx) (ख) |
| 4 | ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलिमर्स लिमिटेड | U11101AS2007GOI008290 | संबद्ध | 1 (घ) |
| 5 | गेल गैस लिमिटेड | U40200DL2008GOI178614 | सहायक | (i) (क) और (ग) |
| 6 | इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड | U40300AS2018GOI018660 | संयुक्त उद्यम | (i) (ग) और (xiv) (ख) |
| 7 | कोंकण एलएनजी लिमिटेड | U11100DL2015PLC288147 | सहायक | (i) (ग), xvii और (xx) (ख) |
| 8 | इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड | L23201DL1998PLC097614 | संबद्ध | (i) (x), (vii) (क),(xiii), xiv (ख) |
| 9 | त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड | U23201TR1990SGC003451 | सहायक | (i) (ख) और (ग) और (vii) (क) |
| 10 | गेल मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड | U24290DL2008PLC423872 | सहायक | (i) (ग) और (xvii) |
| 11 | महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड | U11102PN2006PLC021839 | संयुक्त उद्यम | 1 (iii), और 20 (क) और (ख) |

ii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारत में निगमित और समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल निम्नलिखित कंपनियों के संबंध में, उनसे संबंधित सीएआरओ रिपोर्ट हमें अंतिम तिथि तक प्रदान नहीं की गई है।

| क्र.सं. | कंपनी का नाम | सीआईएन | धारिता/सहायक/ संबद्ध/संयुक्त उद्यम |
|---|---|---|---|
| 1. | सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड | U40200TG2003PLC041566 | संयुक्त उद्यम |
| 2. | पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड | L74899DL1998PLC093073 | संबद्ध |
| 3. | रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड | U24100DL2015PLC276753 | संबद्ध |
| 4. | तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड | U24120OR2015PLC019575 | संयुक्त उद्यम |
| 5. | वडोदरा गैस लिमिटेड | U40106GJ2013PLC076828 | संयुक्त उद्यम |
| 6. | महानगर गैस लिमिटेड | L40200MH1995PLC088133 | संबद्ध |
| 7. | ओएनजीसी पेट्रो एडिशन लिमिटेड | U23209GJ2006PLC060282 | संबद्ध |

कृते **गांधी मिनोचा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 00458N

हस्ता./–
**भूपिन्दर सिंह**
भागीदार
सदस्यता सं.: 09286
यूडीआईएन: 24092867BKAATZ9496

कृते **कीर्तने एंड पंडित एलएलपी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म नं.: 105215W/W100057

हस्ता./–
**चिराग गर्ग**
भागीदार
सदस्यता नं.: 540579
यूडीआईएन: 24540579BKGSRG3233

**स्थान: नई दिल्ली**
**दिनांक: 16 मई, 2024**

# स्वंतत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक–ख

**दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण पर गेल (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों को इसी तारीख को भेजी गई स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की 'अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट' के पैरा 2(च) में संदर्भित।**

**कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप–धारा 3 के खण्ड (पद्ध के तहत समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित रिपोर्ट**

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के संबंध में हमने गेल (इंडिया) लिमिटेड (इसमें आगे ''धारक कंपनी'' के रूप में उल्लेख किया गया है'), इसकी सहायक कंपनियों (धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों का एक साथ "समूह" के रूप में उल्लेख किया गया है), इसकी सम्बद्ध कंपनियों तथा संयुक्त नियंत्रणाधीन कंपनियों, जो इस तारीख को भारत में निगमित कंपनियां हैं, के समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

**आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व**

धारक कंपनी, इसकी सहायक कंपनी, इसकी सम्बद्ध कंपनी तथा संयुक्त नियंत्रणाधीन कंपनी जो भारत में निगमित कंपनी है, के संबंधित निदेशक मंडल भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए धारक कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड पर आधारित आंतरिक नियंत्रण से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करने तथा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार के उत्तरदायित्व ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण शामिल है, जो संबंधित कंपनी नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी तथा गलती को रोकने तथा उसका पता लगाने, लेखांकन रिकार्ड की उपयुक्तता तथा पूर्णता एवं यथा–समय विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करने सहित, इसके कारोबार के सुव्यवस्थित और कारगर प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे, जैसी कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अपेक्षा की गई है।

**लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व**

हमारा उत्तरदायित्व धारक कंपनी, इसकी सहायक कंपनी, इसकी सम्बद्ध कंपनी और संयुक्त नियंत्रणाधीन कंपनी जो भारत में निगमित है, के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में राय व्यक्त करना है। हमने यह लेखापरीक्षा आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग (मार्गदर्शक नोट) से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट और समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर यथा–लागू सीमा, दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए अनुसार है। इन मानकों और मार्गदर्शक नोट में यह अपेक्षा की गई है कि हमने नैतिक अपेक्षाओं तथा योजना का अनुपालन किया है और इस संबंध में प्रासंगिक आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की व्यवस्था की गई थी और उसका रखरखाव किया गया था तथा यदि वह नियंत्रण सभी संबंधित मामलों के लिए कारगर ढंग से कार्य कर रहा था।

हमारी लेखा परीक्षा में समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता और उनकी प्रचालन कारगरता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया का अनुपालन शामिल है। समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण समझबूझ प्राप्त करना और उस जोखिम का मूल्यांकन करना जिसमें पर्याप्त कमजोरी मौजूद है और इस जोखिम मूल्यांकन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन तथा प्रचालन कारगरता की जांच और मूल्यांकन करना शामिल है। प्रक्रिया का चयन किसी धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण समेकित वित्तीय विवरण में किसी महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिम के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षकों के निर्णय के आधार पर किया गया है।

हमारा यह विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखापरीक्षा साक्ष्य और नीचे अन्य मामले पैरा में यथा–उल्लिखित अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उनके द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में भारत में निगमित समूह, इसकी संबद्ध कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी लेखापरीक्षा राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और यथा–उपयुक्त हैं।

**वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्राय**

किसी कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में प्रासंगिक आश्वासन प्रदान करने और बाहय उद्देश्यों के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए निर्धारित की गई है। समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रिया शामिल है, जो –

(1) ऐसा रिकार्ड रखने से संबंधित है जिसमें कंपनी के लेन–देन और परिसंपत्तियों की स्थिति का ब्यौरा सही–सही और उपयुक्त रूप से दर्शाया गया है;

(2) इस संबंध में प्रासंगिक आश्वासन प्रदान करती है कि सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति प्रदान करने के लिए लेन–देन को अनिवार्य रूप से रिकार्ड किया जाता है और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किए जा रहे हैं।

(3) कंपनी की ऐसी परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग को रोकने अथवा स्थिति का समय पर पता लगाने, जिनका समेकित वित्तीय विवरण पर काफी प्रभाव पड़ सकता है, के बारे में प्रासंगिक आश्वासन प्रदान करती है।

**समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं**

नियंत्रण की अवहेलना से संभावित प्रबंधन में संघर्ष अथवा अनुपयुक्त प्रबंधन की किसी गलती अथवा धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण की संभावना सहित समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण इसका पता नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा, भावी अवधि के बारे में वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मूल्यांकन के बारे में कोई अनुमान भी जोखिम की शर्त के अधीन है क्योंकि स्थितियों में परिवर्तन होने अथवा नीतियों अथवा प्रक्रिया के अनुपालन की मात्रा के घटने–बढ़ने से समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है।

**राय**

हमारी राय में और हमें दी गई उत्कृष्ट सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार धारक कंपनी, इसकी सहायक, सम्बद्ध कंपनी और संयुक्त नियंत्रणाधीन कंपनी जो भारत में गठित कंपनियां हैं, में धारक कंपनी के मामले में संविदाओं को समय पर बंद करने को छोड़कर समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद हैं, तथा 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ

में ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए समूह, उसकी संबद्ध कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड के अनुसार आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है।

vU; ekeys

1. धारक कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उपयुक्तता और प्रचालन कारगरता पर इस अधिनियम की धारा 14(3)(i) के तहत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट जहां तक यह भारत में निगमित 5 (पांच) सहायक कंपनियों, 5 (पांच) संयुक्त उद्यमों और 4 (चार) सम्बद्ध कंपनियों से संबंधित है, भारत में निगमित ऐसी कंपनियों के लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

2. समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उपयुक्तता और प्रचालन कारगरता के बारे में इस अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट जहां तक भारत में निगमित उन 3 (तीन) संयुक्त उद्यमों और 3 (तीन) सम्बद्ध कंपनियों से संबंधित है जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की गई है और समूह, इसकी सम्बद्ध और संयुक्त नियंत्रणाधीन कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरणों के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उपयुक्तता तथा प्रचालन कारगरता पर हमारी राय प्रभावित नहीं हुई है क्योंकि समूह, इसकी सम्बद्ध और संयुक्त नियंत्रणाधीन कंपनियों का इन समेकित वित्तीय विवरणों में इन सम्बद्ध/संयुक्त उद्यम के संबंध में शामिल किए गए निवल लाभ/हानि (अन्य प्रमुख आय सहित) और अन्य विवरण में उलिखित शेयर समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में हमारी रिपोर्ट आशोधित नहीं है।

कृते **गांधी मिनोचा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 00458N

हस्ता./–
**भूपिन्दर सिंह**
भागीदार
सदस्यता सं.: 09286
यूडीआईएनः 24092867BKAATZ9496

कृते **कीर्तने एंड पंडित एलएलपी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म नं.: 105215W/W100057

हस्ता./–
**चिराग गर्ग**
भागीदार
सदस्यता नं.: 540579
यूडीआईएनः 24540579BKGSRG3233

**स्थानः नई दिल्ली**
**दिनांकः 16 मई, 2024**

ngjknu e vk;kftr ^Qkbusl uDLVtu lfeV^ dk nkjku ^,xst duDV] bukoV^ fo"k; ij xy dk ofj"B çc/ku dk lkFk funs'kd ¼foÙk½] Jh vkj-d- tu

# गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली

## 31 मार्च, 2024 के अनुसार समेकित तुलन–पत्र

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | टिप्पणी सं. | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | 31 मार्च, 2023 के अनुसार |
|---|---|---|---|---|
| | ifjlifRr;k | | | |
| 1 | xlj orleku ifjlifRr;k | | | |
| | क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियां | | | |
| | i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण | 2 | 47,956.66 | 44,651.29 |
| | ii) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य | 3 | 23,626.78 | 16,646.50 |
| | iii) अमूर्त परिसंपत्तियां | 4 | 3,135.35 | 2,856.29 |
| | iv) परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार | 2क | 4,096.49 | 2,189.29 |
| | ख) वित्तीय परिसंपत्तियां | | | |
| | i) इक्विटी पद्धति के अनुसार लेखांकित निवेश | 5 | 13,120.76 | 12,163.97 |
| | ii) अन्य निवेश | 5क | 8,789.28 | 5,084.35 |
| | iii) व्यापार प्राप्य | 6 | 1,049.69 | 1,047.98 |
| | iv) ऋण | 7 | 305.85 | 281.21 |
| | v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 8 | 329.36 | 550.82 |
| | ग) गैर–वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल) | 9 | 888.44 | 744.13 |
| | घ) अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां | 12 | 1,146.76 | 1,034.23 |
| | dly xlj&orleku ifjlifRr;k ¼1½ | | **1,04,445.42** | **87,250.06** |
| 2 | orleku ifjlifRr;k | | | |
| | क) माल सूची | 10 | 5,970.00 | 5,917.92 |
| | ख) वित्तीय परिसंपत्तियां | | | |
| | i) व्यापार प्राप्य | 6क | 9,580.27 | 10,679.61 |
| | ii) नकद और नकद समकक्ष | 11 | 1,146.03 | 243.77 |
| | iii) नकद और नकद समकक्ष के अलावा बैंक शेष | 11क | 566.10 | 859.20 |
| | iv) ऋण | 7क | 72.62 | 67.99 |
| | v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 8क | 1,540.36 | 1,823.79 |
| | घ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां | 12क | 1,396.43 | 938.41 |
| | dly orleku ifjlifRr;k ¼2½ | | **20,271.81** | **20,530.69** |
| | **कुल संपत्ति (1+2)** | | **1,24,717.23** | **1,07,780.75** |
| | bfDoVh vkj nl;rk,l | | | |
| 1 | bfDoVh | | | |
| | क) इक्विटी शेयर पूंजी | 13 | 6,575.10 | 6,575.10 |
| | ख) अन्य इक्विटी | 14 | 70,422.08 | 58,352.33 |
| | ग) गैर–नियंत्रक ब्याज | | 198.60 | 179.55 |
| | dly bfDoVh ¼1½ | | **77,195.78** | **65,106.98** |
| 2 | nl;rk,l | | | |
| | गैर–वर्तमान देयताएं | | | |
| | क) वित्तीय देयताएं | | | |
| | i) उधार | 15 | 12,806.02 | 8,879.69 |

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | टिप्पणी सं. | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | 31 मार्च, 2023 के अनुसार |
|---|---|---|---|---|
| | ii) पट्टा देयताएं | | 2,331.35 | 1,117.72 |
| | iii) अन्य वित्तीय देयताएं | 16 | 717.61 | 732.80 |
| | ख) प्रावधान | 17 | 942.05 | 809.13 |
| | ग) अनुबंध देयताएं | | 560.09 | 486.13 |
| | घ) आस्थगित कर देयताएं (निवल) | 20 | 4,135.70 | 4,395.09 |
| | ड.) अन्य गैर–वर्तमान देयताएं | 19 | 4,388.09 | 4,542.19 |
| | dqy xSj&orZeku ns;rk,a ¼2½ | | **25,880.91** | **20,962.75** |
| 3 | orZeku ns;rk,a | | | |
| | क) वित्तीय देयताएं | | | |
| | i) उधार | 15क | 5,801.98 | 7,395.21 |
| | ii) पट्टा देयताएं | | 854.42 | 423.56 |
| | iii) व्यापार देयताएं | | | |
| | –सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए देय | 18 | 375.79 | 344.29 |
| | –सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य देय | 18 | 6,263.88 | 6,799.27 |
| | iv) अन्य वित्तीय देयताएं | 16क | 5,473.80 | 4,039.67 |
| | ख) अन्य वर्तमान देयताएं | 19क | 1,082.74 | 1,169.19 |
| | ग) अनुबंध देयताएं | | 711.87 | 611.27 |
| | घ) प्रावधान | 17क | 1,076.06 | 928.56 |
| | dqy orZeku ns;rk,a ¼3½ | | **21,640.54** | **21,711.02** |
| | dqy bfDoVh ns;rk,a **(1+2+3)** | | **1,24,717.23** | **1,07,780.75** |

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और संलग्न नोट समेकित वित्तीय विवरण का एक अभिन्न भाग हैं।

funs'kd eMy ds fy, vkSj mudh vksj ls

| | | |
|---|---|---|
| हस्ता./– | हस्ता./– | हस्ता./– |
| ,e-d- vxzoky | vkj-d- tSu | ,l-d- xqIrk |
| कंपनी सचिव | निदेशक (वित्त) | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
| (डीआईएनः 69402) | (डीआईएनः 08788595) | (डीआईएनः 07570165) |

हमारी समसंख्यक पृथक रिपोर्ट के अनुसार

| | |
|---|---|
| कृते xka/kh feukpk ,.M dEiuh | कृते dhrZu ,.M iafMr ,y,yih |
| चार्टर्ड एकाउंटेंट्स | चार्टर्ड अकाउंटेंट्स |
| फर्म नं. 000458N | फर्म नं.: 105215W/W100057 |
| हस्ता./– | हस्ता./– |
| HkfiUnj flag | fpjkx xxZ |
| भागीदार | भागीदार |
| सदस्यता सं.: 092867 | सदस्यता नं.: 540579 |

LFkku% ubZ fnYyh
fnukad% 16 ebZ 2024

# गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली
## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ और हानि का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

| क.सं. | विवरण | टिप्पणी सं. | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | 31 मार्च, 2023 के अनुसार |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vk; | | | |
| | प्रचालन से राजस्व | 21 | 1,33,499.54 | 1,45,875.03 |
| | अन्य आय | 22 | 1,007.81 | 1,328.47 |
| | dqy vk; ¼1½ | | **1,34,507.35** | **1,47,203.50** |
| 2 | O;; | | | |
| | उपभोग की गई सामग्री की लागत | | 7,325.46 | 6,860.15 |
| | उत्पाद शुल्क | | 271.08 | 206.73 |
| | व्यापार में स्टॉक की खरीद | | 1,00,670.08 | 1,23,964.11 |
| | तैयार माल की सूची, व्यापार में स्टॉक और प्रगतिशील कार्य में परिवर्तन | 23 | (41.02) | (1,992.93) |
| | कर्मचारी लाभ व्यय | 24 | 2,273.69 | 1,846.00 |
| | वित्त लागत | 25 | 719.20 | 364.78 |
| | मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय | 26 | 3,672.00 | 2,701.57 |
| | vU; O;; | 27 | 8,703.93 | 7,504.77 |
| | dqy O;; ¼2½ | | **1,23,594.42** | **1,41,455.18** |
| 3 | lc) vkj l;Dr m|eksa dh ykHk@¼gkfu½ dk 'ks;j ls igys ykHk@¼gkfu½ ¼1&2½ | | **10,912.93** | **5,748.32** |
| 4 | वर्ष हेतु संयुक्त उद्यमों/सहायोगी कंपनियों में लाभ/(हानि) का शेयर (4) | | 1,682.08 | 1,508.06 |
| 5 | dj iwoZ ykHk@¼gkfu½ ¼3$4½ | | **12,595.01** | **7,256.38** |
| 6 | dj O;; ½ | | | |
| | orZeku dj | | | |
| | वर्तमान वर्ष | | 2,683.02 | 1,355.89 |
| | पूर्व वर्ष | | (2.39) | (52.01) |
| | आस्थगित कर | | 11.57 | 356.61 |
| | dqy dj O;; | | **2,692.20** | **1,660.49** |
| 7 | o"kZ ds fy, ykHk ¼5&6½ | | **9,902.81** | **5,595.89** |
| 8 | vU; O;kid vk; ¼vkslhvkb½ | | | |
| | enksa dks ykHk ;k gkfu esa iqu% oxhZÑr fd;k tk,xk ½ | | | |
| | विदेशी प्रचालनों के परिवर्तन पर विनिमय अंतर | | 47.35 | 187.17 |
| | आयकर प्रभाव : | | - | - |
| | | | **47.35** | **187.17** |
| | udn iokg gsft ykHk ¼$½@gkfu ¼&½ij fuoy iokg | | (289.65) | (689.16) |
| | इस पर आयकर प्रभाव | | 72.90 | 173.45 |
| | | | **(216.75)** | **(515.71)** |
| | निवल अन्य व्यापक आय को लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा | | **(169.40)** | **(328.54)** |
| | मदों को लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा : | | | |
| | निश्चित लाभ योजनाओं पर पुनः आंकलन लाभ (हानि) | | 68.76 | 46.84 |
| | इस पर आयकर प्रभाव | | (17.31) | (11.79) |
| | | | **51.45** | **35.05** |

(₹ करोड़ में)

| क.सं. | विवरण | टिप्पणी सं. | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | 31 मार्च, 2023 के अनुसार |
|---|---|---|---|---|
| | एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों पर निवल (हानि)/वृद्धि | | 3,701.62 | (357.85) |
| | इस पर आयकर प्रभाव | | (233.81) | 1.25 |
| | | | **3,467.81** | **(356.60)** |
| | वर्ष हेतु संबद्ध कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में अन्य व्यापक आय का शेयर | | (210.94) | 67.55 |
| | इस पर आयकर प्रभाव | | - | - |
| | | | **(210.94)** | **67.55** |
| | | | | |
| | fuoy vk;hvkb dk ykHk ;k gkfu eas iquZ oxhZÑr ugha fd;k tk,xk | | **3,308.32** | **(254.00)** |
| | o"kZ ds fy, vU; 0;kid vk;] dj dk fuoy ¼8½ | | **3,138.92** | **(582.54)** |
| | | | | |
| 9 | vof/k gsrq ¼ykHk vkj gkfu rFkk vU; 0;kid vk;½ ds fy, dqy 0;kid vk; ¼7$8½ ½ | | **13,041.73** | **5,013.35** |
| | o"kZ ds fy, ykHk | | **9,902.81** | **5,595.89** |
| | ds dkj.k % | | | |
| | मूल पीएटी के इक्विटी धारक | | 9,899.22 | 5,616.00 |
| | गैर–नियंत्रक ब्याज | | 3.59 | (20.11) |
| | o"kZ ds fy, dqy 0;kid vk; | | **3,138.92** | **(582.54)** |
| | ds dkj.k % | | | |
| | मूल कंपनी के इक्विटी धारक | | 3,138.87 | (582.59) |
| | गैर–नियंत्रक ब्याज | | 0.05 | 0.05 |
| | o"kZ ds fy, dqy 0;kid vk; | | **13,041.73** | **5,013.35** |
| | ds dkj.k % | | | |
| | मूल टीसीओआई के इक्विटी धारक | | 13,038.09 | 5,033.41 |
| | गैर–नियंत्रक ब्याज | | 3.64 | (20.06) |
| 10 | lrr iपkyu ds fy, ifr 'ks;j vk; ¼₹ eas½ | | | |
| | मूल कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण मूल | | 15.06 | 8.52 |
| | मूल कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण कम किए गए शेयर का मूल्य | | 15.06 | 8.52 |

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और संलग्न नोट समेकित वित्तीय विवरण का एक अभिन्न भाग हैं।

उपरोक्त अवधि के दौरान कोई परिचालन बंद नहीं किया गया है।

funs'kd eMy ds fy, vkj mudh vkj ls

| | | |
|---|---|---|
| हस्ता./– | हस्ता./– | हस्ता./– |
| ,e-ds- vxzoky | vkj-ds- tSu | ,l-ds- xqIrk |
| कंपनी सचिव | निदेशक (वित्त) | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
| (डीआईएनः 69402) | (डीआईएनः 08788595) | (डीआईएनः 07570165) |

हमारी समसंख्यक पृथक रिपोर्ट के अनुसार

| | |
|---|---|
| कृते xks/kh feukpk ,.M diuh | कृते dhrZu ,.M ikfMr ,y,yih |
| चार्टर्ड एकाउंटेंट्स | चार्टर्ड अकाउंटेंट्स |
| फर्म नं. 000458N | फर्म नं.: 105215W/W100057 |
| हस्ता./– | हस्ता./– |
| HkfiUnj flag | fpjkx xxZ |
| भागीदार | भागीदार |
| सदस्यता सं.: 092867 | सदस्यता नं.: 540579 |

LFkku% ubZ fnYyh

fnukad% 16 ebZ 2024

# 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण

## क. इक्विटी शेयर पूंजी

**31 मार्च, 2024 समाप्त वर्ष के लिए**

**मूल कंपनी के मालिकों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी प्रत्येक 10/– रूपए के निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त हेतु इक्विटी शेयर पूंजी**

| विवरण | टिप्पणी सं. | राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|
| 1 अप्रैल, 2023 के अनुसार | 13 | 6,575.10 |
| **31 मार्च, 2023 के अनुसार** | | **6,575.10** |

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

**मूल कंपनी के स्वामियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी प्रत्येक ₹10/– के निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त हेतु इक्विटी शेयर पूंजी**

| विवरण | टिप्पणी सं. | राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|
| 1 अप्रैल, 2022 के अनुसार | 13 | 4,440.39 |
| वर्ष के दौरान शेयरों की बॉयबैक* | | (56.99) |
| वर्ष के दौरान शेयरों का बोनस इश्यू # | | 2,191.70 |
| **31 मार्च, 2023 के अनुसार** | | **6,575.10** |

*वित्त वर्ष के 2022–23 के दौरान कंपनी ने ₹ 190 प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर 5,69,85,463 इक्विटी शेयर वापस खरीदे हैं।
# वित्त वर्ष के 2022–23 के दौरान कंपनी ने 1:2 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए हैं।

## ख. अन्य इक्विटी (टिप्पणी सं.14 देखें)

**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए** **(₹ करोड़ में)**

| विवरण | रिजर्व और अधिशेष | | | | | अन्य व्यापक आय | | | कुल | गैर–नियंत्रित ब्याज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रतिधारित प्राप्तियां | बांड ऋण मुक्ति रिजर्व | पूंजी रिजर्व | सामान्य रिजर्व | पूंजी ऋण मुक्ति रिजर्व | एफवीटीओसीआई इक्विटी शेयरों पर निवल (हानि)/लाभ | नकद प्रवाह हेजेज (हानि)/लाभ पर निवल संचलन | विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिजर्व | | |
| **1 अप्रैल, 2023 को शेष** | **52,168.96** | **-** | **984.24** | **-** | **126.74** | **4,205.44** | **491.95** | **375.00** | **58,352.33** | **179.55** |
| प्रारंभिक शेष में समायोजन'/एनसीआई में परिवर्तन | (115.76) | - | - | - | - | - | - | - | **(115.77)** | 15.41 |
| वर्ष के लिए लाभ | 9,899.22 | - | - | - | - | - | - | - | **9,899.22** | 3.59 |
| निश्चित लाभ योजनाओं पर पुनः आकलन लाभ (हानि) | (159.48) | - | - | - | - | - | - | - | **(159.48)** | 0.05 |
| अवधि के दौरान रिजर्व से अंतरित | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** | - |
| पूंजी रिजर्व का अंतरण | - | - | 2,764.69 | - | - | - | - | - | **2,764.69** | - |
| लाभांश | (3,617.33) | - | - | - | - | - | - | - | **(3,617.33)** | - |
| कारपोरेट लाभांश कर | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** | - |
| **वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों पर निवल लाभ/(हानि) | - | - | - | - | - | 3,467.82 | - | - | **3,467.82** | - |
| - नकद प्रवाह हेजेज लाभ/(हानि) पर निवल संचलन | - | - | - | - | - | - | (216.75) | - | **(216.75)** | - |
| - विदेशी प्रचालन के परिवर्तन पर विनिमय में भिन्नता | - | - | - | - | - | - | - | 47.35 | **47.35** | - |
| **31 मार्च, 2024 के अनुसार शेष** | **58,175.61** | **-** | **3,748.93** | **-** | **126.74** | **7,673.26** | **275.20** | **422.35** | **70,422.08** | **198.60** |

31 ekp] 2024 dks lekIr o"kZ dk fy, (₹ करोड़ में)

| विवरण | रिजर्व और अधिशेष | | | | | अन्य व्यापक आय | | | कुल | गैर–नियंत्रित ब्याज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रतिधारित प्राप्तियां | बांड ऋण मुक्ति रिजर्व | पूंजी रिजर्व | सामान्य रिजर्व | पूंजी ऋण मुक्ति रिजर्व | एफवीटीओसीआई इक्विटी शेयरों पर निवल (हानि)/लाभ | नकद प्रवाह हेजेज (हानि)/लाभ पर निवल संचलन | विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिजर्व | | |
| 1 अप्रैल, 2022 को शेष | **49,356.98** | **-** | **984.13** | **3,505.49** | **69.76** | **4,562.04** | **1,007.66** | **187.83** | **59,673.89** | **191.18** |
| प्रारंभिक शेष में समायोजन'ध्एनसीआई में परिवर्तन वर्ष के लिए लाभ | 178.16 | | | | | | | | **178.16** | 8.43 |
| वर्ष के लिए लाभ | 5,616.00 | | | | | | | | **5,616.00** | (20.11) |
| निश्चित लाभ योजनाओं पर पुनः आकलन लाभ (हानि) | 102.60 | | | | | | | | **102.60** | 0.05 |
| अवधि के दौरान रिजर्व से अंतरित | - | - | | (56.98) | 56.98 | | | | **-** | |
| शेयरों की बॉयबैक (बॉयबैक कर और व्यय सहित) | | | 0.11 | | | | | | **0.11** | |
| शेयरों का बोनस इश्यू | | | | (1,271.90) | | | | | **(1,271.90)** | |
| पूंजी रिजर्व का अंतरण | (15.08) | | | (2,176.61) | | | | | **(2,191.69)** | |
| लाभांश | (3,069.70) | | | | | | | | **(3,069.70)** | |
| o"kZ dk fy, vU; 0;kid vk;@¼gkfu½ | | | | | | | | | **-** | |
| -एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों पर निवल लाभ/(हानि) | | | | | | (356.60) | | | **(356.60)** | |
| -नकद प्रवाह हेजेज लाभ/(हानि) पर निवल संचलन | | | | | | | (515.71) | - | **(515.71)** | |
| -विदेशी प्रचालन के परिवर्तन पर विनिमय में भिन्नता | | | | | | | | 187.17 | **187.17** | |
| 31 ekp] 2023 dks vuqlkj 'ks"k | **52,168.96** | **-** | **984.24** | **-** | **126.74** | **4,205.44** | **491.95** | **375.00** | **58,352.33** | **179.55** |

funs'kd eMy dk fy, vkj mudh vkj ls

| | | |
|---|---|---|
| हस्ता./– | हस्ता./– | हस्ता./– |
| ,e-dk- vxzoky | vkj-dk- tSu | ,l-dk- xqIrk |
| कंपनी सचिव | निदेशक (वित्त) | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
| (डीआईएनः 69402) | (डीआईएनः 08788595) | (डीआईएनः 07570165) |

हमारी समसंख्यक पृथक रिपोर्ट के अनुसार

| | |
|---|---|
| कृते xks/kh feuk{kh ,.M daiuh | कृते dhrZu ,.M ikVZu ,y,yih |
| चार्टर्ड एकाउंटेंट्स | चार्टर्ड अकाउंटेंट्स |
| फर्म नं. 000458N | फर्म नं.: 105215W/W100057 |
| हस्ता./– | हस्ता./– |
| HkfiUnj flag | fpjkx xxZ |
| भागीदार | भागीदार |
| सदस्यता सं.: 092867 | सदस्यता नं.: 540579 |

LFkku% ubZ fnYyh
fnukad% 16 ebZ 2024

# गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

| विवरण | समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2024 | 31 मार्च, 2023 |
| | लेखा परीक्षित | लेखा परीक्षित |
| 1 कर पूर्व लाभ | 12,595.01 | 7,256.38 |
| 2 fuEu d fy, lek;ktu ½ | | |
| मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय | 3,672.00 | 2,701.57 |
| विदेशी मुद्रा ऋण/अग्रिम पर विनिमय दर में परिवर्तन | | - |
| वित्त लागत | 719.20 | 366.58 |
| निवेश पर लाभांश आय | (317.45) | (433.38) |
| ब्याज आय | (366.57) | (324.54) |
| निवेशों की बिक्री पर (लाभ)/हानि | (4.83) | (6.81) |
| कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान | (9.25) | 255.45 |
| संभावित दायित्वों के लिए प्रावधान | 149.32 | 45.96 |
| संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान | (73.48) | 12.69 |
| अन्य प्रावधान | (13.42) | 11.66 |
| सरकारी अनुदान का परिशोधन | (137.70) | (100.79) |
| वित्तीय गारंटी दायित्व का परिशोधन | (0.13) | (0.03) |
| परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि (निवल) | 27.27 | 21.33 |
| क्षति हानि/सीडब्ल्यूआईपी के लिए प्रावधान | 133.63 | 15.32 |
| वस्तु व्युत्पन्न (निवल) पर एमटीएम हानि | (0.39) | (114.93) |
| संयुक्त उद्यमों का लाभ/हानि का शेयर | (1,682.08) | (1,508.06) |
| हानि (निवल) के लिए प्रावधान/(रिवर्सल) | - | 49.14 |
| mi ;kx ½2½ | **2,096.12** | **991.16** |
| 3- dk;l'khy iath e ifjorlu l ipkyu ikl ykHk ½1$2½ | **14,691.13** | **8,247.54** |
| 4- dk;l'khy iath e ifjorlu ½udnh vkj udn led{k dk NkMdj½ | | |
| व्यापार और अन्य प्राप्य | 1,425.98 | (2,344.41) |
| माल–सूची | (45.31) | (2,341.05) |
| व्यापार और अन्य भुगतान योग्य राशि | (211.97) | 1,256.37 |
| dk;lxr iath e ifjorlu ½udn vkj udn led{kk dk NkMdj½ | **1,168.70** | **(3,429.09)** |
| 5 ipkyuk l mRiUu udnh **(3+4)** | **15,859.83** | **4,818.45** |
| 6 inRr iR;{k dj | (3,274.11) | (1,613.76) |
| ipkyu xfrfof/k;k l fuoy udn iokg **(5+6)** | **12,585.72** | **3,204.69** |
| [k½ fuo'k xfrfof/k;k l udnh iokg | | |
| स्थायी परिसंपत्तियों/सीडब्ल्यूआईपी की खरीद | (12,501.17) | (8,830.56) |
| स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री | 13.73 | 77.49 |
| सरकारी अनुदानों की प्राप्ति (पूंजी अनुदान) | (0.07) | (0.07) |
| म्यूचुअल फंड में निवेश | (12,236.00) | (11,113.00) |
| म्यूचुअल फंड की बिक्री | 12,240.83 | 11,119.81 |
| अन्य कंपनियों में निवेश/इक्विटी विधि मूल्यवृद्धि | 627.79 | 453.03 |
| अधिग्रहण, अर्जित नकदी का निवल योग | 2,764.69 | |
| प्राप्त/(दिया गया) ऋण | 11.25 | 233.85 |
| प्राप्त ब्याज | 346.33 | 127.70 |
| निवेश पर प्राप्त लाभांश | 459.20 | 291.63 |
| fuo'k xfrfof/k;k l fuoy udnh iokg | **(8,273.42)** | **(7,640.12)** |

| विवरण | समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2024 | 31 मार्च, 2023 |
| | लेखा परीक्षित | लेखा परीक्षित |
| x½ foRrh; xfrfof/k;ks a es a udnh izokg | | |
| उधार की चुकौती | (10,726.81) | (2,077.02) |
| अवधि के दौरान उधार | 13,059.91 | 10,521.60 |
| अनियंत्रित ब्याज में परिवर्तन | 16.38 | - |
| पट्टा देयताएं भुगतान | (788.17) | (312.88) |
| भुगतान किए गए पट्टा देयता पर ब्याज | (150.53) | (82.61) |
| शेयरों की वापस खरीद | | (1,328.88) |
| भुगतान किया गया लाभांश | **(3,620.53)** | **(3,069.25)** |
| वित्त लागत भुगतान | (1,247.64) | (678.90) |
| foRr xfrfof/k;ks a ls fuoy udnh izokg | **(3,457.39)** | **2,972.06** |
| | | |
| udnh vkSj udnh lerqY; es a fuoy of) (d+[k+x) | **854.91** | **(1,463.37)** |
| अवधि के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य | 243.77 | 1,519.80 |
| नकद और नकदी समकक्ष के संतुलन पर पर विनिमय दर परिवर्तन के प्रभाव | 47.35 | 187.34 |
| अवधि के समापन पर नकद और नकद समतुल्य | 1,146.03 | 243.77 |

टिप्पणी:

1- foÙkh; xfrfof/k;ks a ls fuoy udnh çokg es a fuEufyf[kr xSj&udn ifjorZu 'kkfey gS a &

| विवरण | 31 मार्च 2024 | 31 मार्च 2023 |
|---|---|---|
| विनिमय दर में परिवर्तन के कारण (लाभ)/हानि | (5.11) | (6.08) |
| अप्राप्त विनिमय (लाभ)/पट्टा देयताओं पर हानि | 20.68 | 88.35 |
| पट्टे के माध्यम से परिसंपत्तियों का अधिग्रहण (अपफ्रंट प्रीमियम का निवल) | 2,412.37 | 481.23 |

2. नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखा मानक 7 'नकदी प्रवाह विवरण' के अनुसार अप्रत्यक्ष प्रणाली का उपयोग करते हुए तैयार किया गया है।

3. वर्तमान अवधि के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप होने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पिछली अवधि के आंकड़ों को फिर से समूहित किया गया है।

4. नकद और नकद समकक्ष के लिए टिप्पणी सं. 11 देखें।

funs'kd eMy ds fy, vkSj mudh vksj ls

हस्ता./–
,e-d- vxzoky
कंपनी सचिव
(डीआईएन: 69402)

हस्ता./–
vkj-d- tSu
निदेशक (वित्त)
(डीआईएन: 08788595)

हस्ता./–
,l-d- xqIrk
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 07570165)

हमारी समसंख्यक पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते xks/kh feuk.kk ,.M daiuh
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म नं. 000458N
हस्ता./–
HkkfiUnj flag
भागीदार
सदस्यता सं.: 092867

कृते dhrZu ,.M ikfMr ,y,yih
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म नं.: 105215W/W100057
हस्ता./–
fpjkx xxZ
भागीदार
सदस्यता नं.: 540579

LFkku% ubZ fnYyh
fnukad% 16 ebZ 2024

# टिप्पणः 1कः कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

## d,ikjsV lwpuk

गेल (इंडिया) लिमिटेड ("गेल" या "कंपनी") भारत में स्थित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है (सीआईएनः L40200DL1984GOI018976) और इसे 16 अगस्त, 1984 को निगमित किया गया था। कंपनी के इक्विटी शेयर भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। कंपनी की ग्लोबल डिपॉजिटरी प्राप्तियां (जीडीआर) लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। 31 मार्च 2024 को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी पूंजी में भारत सरकार की हिस्सेदारी 51.52% है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 16, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली–110066 में स्थित है।

गेल भारत में सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली प्राकृतिक गैस प्रोसेसिंग और वितरण कंपनी है। कंपनी का एक विविध व्यापार पोर्टफोलियो है और प्राकृतिक गैस के सोर्सिंग और व्यापार, एलपीजी, तरल हाइड्रोकार्बन और पेट्रोरसायन के उत्पादन, पाइपलाइनों के माध्यम से प्राकृतिक गैस और एलपीजी के संचरण आदि में इसके भागीदारी हित हैं। गेल की भारत और विदेशों में तेल और गैस ब्लॉक, नवीकरणीय ऊर्जा, सीजीडी, सीबीजी और ग्रीन हाइड्रोजन में भी भागीदारी है।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों को 16 मई 2024 को निदेशक मंडल के एक संकल्प के अनुसार जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था।

## rS;kjh dk vk/kkj

कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण समय–समय पर यथा संशोधित और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों सहित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 के तहत कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड–एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों को लेखांकन के प्रोद्भवन के आधार पर भविष्य में बने रहने वाली कंपनी के रूप में तैयार किया गया है। कंपनी ने कुछ मदों को छोड़कर परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए ऐतिहासिक लागत आधार अपनाया है जिन्हें एक अलग आधार पर मापा गया है और इस तरह के आधार को प्रासंगिक लेखा नीति में प्रकट किया गया है।

वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (₹) में प्रस्तुत किए जाते हैं और मूल्यों को निकटतम करोड़ (दो दशमलव तक) तक पूर्णांकित किया जाता है, जब तक कि अन्यथा संकेत न दिया जाए।

## lesdu dk vk/kkj

समेकित वित्तीय विवरणों में गेल और संबद्ध कंपनियों के 31 मार्च, 2024 तक के वित्तीय विवरणों को शामिल किया गया है। नियंत्रण तब प्राप्त होता है जब समूह को निवेश प्राप्तकर्ता सहित अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय प्रतिलाभ की जानकारी हो या अधिकार हो तथा उसमें निवेशक पर अपने अधिकार के द्वारा उस प्रतिलाभ को प्रभावित करने की क्षमता हो। विशेष रूप से, समूह तभी किसी निवेशक को नियंत्रित करता है यदि उसे निम्नलिखित का अधिकार होः

- निवेशक पर अधिकार (अर्थात मौजूदा अधिकार जो उसे निवेशक की संगत गतिविधियों को निर्देशित करने की मौजूदा क्षमता देता है)
- निवेशक के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय प्रतिलाभ की जानकारी, या अधिकार, और
- निवेशक को अपने प्रतिलाभ पर प्रभाव डालने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने की क्षमता।

आम तौर पर, ऐसा माना जाता है कि मताधिकारों के बहुमत से ही नियंत्रण होता है। इस धारणा का समर्थन करने के लिए और जब समूह में मतदाता का बहुमत या निवेशक का समान अधिकार कम हो, तो समूह सभी संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों का यह आकलन करने में विचार करता है कि क्या इसमें किसी निवेशक के पास अधिकार है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैंः

- निवेशक की अन्य मतदाताओं के साथ संविदात्मक व्यवस्था
- अन्य संविदागत व्यवस्था से उत्पन्न होने वाले अधिकार
- समूह के मतदान अधिकार और संभावित मतदान अधिकार
- समूह के दूसरे मताधिकार धारकों की संख्या और विस्तार के अनुपात में मतदान अधिकारों की संख्या

समूह पुनः आकलन करता है कि क्या यह किसी निवेशक को नियंत्रित करता है अथवा नहीं, और यदि तथ्य और परिस्थितियां यह दर्शाती हैं कि नियंत्रण के एक या एक से अधिक घटकों में परिवर्तन हुआ है। किसी सहायक कंपनी का सुदृढ़ीकरण तब शुरू होता है जब समूह सहायक कंपनी पर नियंत्रण प्राप्त करता है और जब समूह सहायक कंपनी का नियंत्रण खो देता है। वर्ष के दौरान अर्जित या निपटान की गई सहायक कंपनी की परिसंपत्तियां, देयताएं, आय और व्यय को समूह द्वारा नियंत्रण प्राप्त किए जाने की तारीख से तब तक समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है, जब तक समूह का सहायक कंपनी पर नियंत्रण समाप्त नहीं हो जाता।

समूह और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को ऐसे लेनदेन के लिए समान लेखांकन नीतियों और समान परिस्थितियों में अन्य घटनाओं का उपयोग करके समेकित किया गया है। यदि आवश्यकता हो तो, सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों में समायोजन किया जाता है ताकि उनकी लेखांकन नीतियों का समूह की लेखांकन नीतियों के समान किया जा सके।

समेकन में प्रयुक्त सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण मूल वर्ष अर्थात 31 मार्च, 2024 को, टिप्पणी 29(ख) में उल्लिखित अनुसार को छोड़कर समान रिपोर्टिंग तारीख से निकाले जाते हैं।

## lesdu izfØ;k

क) कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरणों को आंतरिक–समूह बकाया राशि और इंट्रा–ग्रुप लेनदेन को पूरी तरह समाप्त करने के बाद परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय के बही खातों में जोड़कर क्रमानुसार जोड़ा जाता है जिससे परिणामस्वरूप वसूल नहीं किए गए लाभ या हानि होती है।

ख) प्रत्येक सहायक कंपनी में मूल निवेश का बही–खाता मूल्य और प्रत्येक सहायक कंपनी की इक्विटी के मूल भाग को समाप्त करना।

ग) समूह की संस्थाओं के बीच लेनदेन (इंट्राग्रुप लेनदेन से हुई लाभ या हानि को परिसंपत्तियों, जैसे मांग सूची और नियत परिसंपत्तियों के रूप में माना जाता है, को पूरी तरह समाप्त करना) से संबंधित पूर्ण इंट्राग्रुप परिसंपत्तियों और देयताओं, आय, व्यय और नकद प्रवाह समूह की संस्थाओं के बीच लेनदेन से संबंधित नकदी प्रवाह को हटाना। इंट्राग्रुप हानि उस हानि का संकेतक है जिसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता की आवश्यकता होती है। भारतीय लेखांकन मानक 12 आय कर अस्थायी अंतर पर लागू होता है जो आंतरिक लेनदेन से उत्पन्न लाभ और हानि के हटाने से उत्पन्न होते हैं।

घ) लाभ या हानि और अन्य व्यापक आय (ओसीआई) का प्रत्येक घटक समूह के मूल के इक्विटी धारकों और गैर–नियंत्रित हितों के लिए जिम्मेदार है, भले ही यह गैर–नियंत्रण वाले हितों में घाटा संतुलन होने के कारण होता है।

## lac) daifu;k vkSj la;qDr m|eksa esa fuos'k

संबद्ध कंपनी वह कंपनी है जिस पर समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। महत्वपूर्ण प्रभाव का अर्थ निवेशक की वित्तीय और परिचालन नीति के निर्णय में भाग लेने के अधिकार से है, लेकिन उन नीतियों पर उसका नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं होता।

संयुक्त उद्यम एक प्रकार की संयुक्त व्यवस्था है जिसके द्वारा जिन पार्टियों का व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण होता है, उनका संयुक्त उद्यम की निवल संपत्तियों पर अधिकार होता है। संयुक्त नियंत्रण एक करार के द्वारा नियंत्रण के लिए साझा होने की व्यवस्था है, जो तभी मौजूद होती है जब नियंत्रण के बारे में पार्टियां एकमत से सहमत हों।

अपनी संबद्ध कंपनी और संयुक्त उद्यम में समूह का निवेश इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए किया जाता है। इक्विटी विधि के तहत, संबद्ध कंपनी या संयुक्त उद्यम में निवेश शुरू में लागत पर आधारित होता है। अधिग्रहण की तारीख के बाद से संबद्ध कंपनी या संयुक्त उद्यम की निवल परिसंपत्तियों में समूह के शेयर में हुए परिवर्तनों को देखते हुए निवेश के बही मूल्य को समायोजित किया जाता है। संबद्ध कंपनी या संयुक्त उद्यम की साख को दीर्घावधि निवेश के रूप में बही मूल्य में शामिल किया गया है और इसे व्यक्तिगत हानि के तौर पर नहीं परखा जाता।

लाभ और हानि विवरण संबद्ध कंपनी या संयुक्त उद्यम के संचालन के परिणामों में समूह के शेयर को दर्शाता है। उन निवेशकों के ओसीआई में कोई भी परिवर्तन समूह के ओसीआई के शेयर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उन निवेशितियों के ओसीआई में कोई भी बदलाव समूह के ओसीआई के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा, जब सहयोगी या संयुक्त उद्यम की इक्विटी में सीधे तौर पर कोई बदलाव होता है, तो समूह इक्विटी में बदलाव के विवरण में किसी भी बदलाव के अपने हिस्से को पहचानता है, जब भी लागू हो, उसी का पालन तब किया जाता है जब पिछले वर्षों में समेकन की तारीख के बाद संयुक्त उद्यम/संबद्ध कंपनियों द्वारा प्रारंभिक वित्तीय को संशोधित किया जाता है। समूह और सबद्ध कंपनियों या संयुक्त उद्यम के बीच लेनदेन से होने वाले अवास्तविक लाभ और हानि को संबद्ध या संयुक्त उद्यम में हित की सीमा तक समाप्त कर दिया जाता है। किसी संबद्ध और संयुक्त उद्यम के लाभ या हानि में समूह की हिस्सेदारी का कुल योग लाभ और हानि विवरण में दर्शाया गया है।

समूह की सहायोगी कंपनी और संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणों को समूह के रूप में उसी रिपोर्टिंग अवधि के लिए तैयार किया जाता है, जैसे कि टिप्पणी 29 में उल्लेख किया गया है। जब कभी आवश्यक होता है, लेखांकन नीतियों में ऐसे समूह के अनुसार समायोजन किया जाता है।

## 1- egRoi.kZ ys[kkadu uhfr;k

### 1-1 ifjlaifÙk] la;a= vkSj midj.k ¼ihihÃ½

क) चालू परिसंपत्तियों के मामले में, जहां ठेकेदारों को अंतिम भुगतान अभी भी लंबित है, परिसंपत्तियों को अनंतिम आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। इसमें एक अनंतिम देयता दर्ज करना शामिल है, जिसमें अंतिम भुगतान के निपटान के बाद लागत और मूल्यह्रास में समायोजन किया जाता है।

ख) भंडारण और अतिरिक्त पुर्जे, जो पीपीई की परिभाषा को पूरा करते हैं, अर्थात जब कंपनी 12 महीने से अधिक अवधि के लिए उपयोग करने का इरादा रखती है।

ग) पीपीई के प्रमुख निरीक्षण और ओवरहाल पर व्यय को पूंजीकृत किया जाता है, जब यह पीपीई की मान्यता मानदंडों को पूरा करता है।

घ) संयंत्रों/सुविधाओं और विशिष्ट सॉफ्टवेयर से संबंधित तकनीकी जानकारी/लाइसेंस शुल्क जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग हैं, अंतर्निहित परिसंपत्ति के भाग के रूप में पूंजीकृत हैं।

ङ) पर्यावरणीय व्यय के संबंध में कॉर्पोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (सीईआर) दायित्व वाली परियोजनाएं जो सीधे परियोजनाओं के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें सरकारी एजेंसी द्वारा परियोजना के अनुमोदन पर अंतर्निहित परिसंपत्ति के भाग के रूप में मान्यता दी जाती है।

च) सड़क, पुल, बिजली ट्रांसमिशन लाइन आदि जैसी सक्षम परिसंपत्तियाँ जो पीपीई की मान्यता मानदंडों को पूरा करती हैं, उन्हें अंतर्निहित परिसंपत्ति के भाग के रूप में माना जाता है, यदि कंपनी सक्षम परिसंपत्तियों का उपयोग करने से दूसरों को प्रतिबंधित नहीं कर सकती है। यदि कंपनी सक्षम परिसंपत्तियों का उपयोग करने से दूसरों को प्रतिबंधित कर सकती है तो सक्षम परिसंपत्तियों को अलग से पूंजीकृत किया जाता है।

छ) भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन पर, कंपनी ने 01.04.2015 को मान्यता–प्राप्त अपने सभी पीपीई के वहन मूल्य को जारी रखने के लिए चुना है, जिसे पिछले जीएएपी के अनुसार मापा गया है और उस वहन मूल्य को पीपीई की मानी गई लागत के रूप में उपयोग किया गया है।

### 1-2 vewrZ ifjlaifÙk;k

क) अमूर्त परिसंपत्तियाँ जैसे उपयोग का अधिकार (आरओयू), सॉफ्टवेयर, लाइसेंस इत्यादि जो अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता मानदंडों को पूरा करती हैं, उन्हें अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

(ख) अनुसंधान चरण में किए गए व्यय को लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है और विकास चरण में, जब तक कि यह पूंजीगत प्रकृति का न हो, इसे भी लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

(ग) भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन पर, कंपनी ने 01.04.2015 को मान्यता–प्राप्त अपनी सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के वहन मूल्य को पिछले जीएएपी के अनुसार मापना जारी रखने और उस वहन मूल्य को अमूर्त परिसंपत्तियों की मानी गई लागत के रूप में उपयोग करने का चयन किया है।

### 1-3 izxfr;/khu iwathxr dk;Z

क) जब भी कार्य आरओयू प्राप्त होता है, तो फसल क्षतिपूर्ति का लेखा–जोखा वास्तविक भुगतान/अनुमानित देयता के आधार पर पूंजीगत कार्य–प्रगति के तहत किया जाता है।

ख) पूंजीगत कार्य–प्रगति में पारगमन में सामग्री/उपकरण/सेवाएं आदि सहित निर्माण भंडार शामिल हैं, जो परियोजनाओं में उपयोग के लिए साइट पर प्राप्त की जाती हैं।

ग) निर्माण अवधि के दौरान किए गए सभी राजस्व व्यय, जो विशेष रूप से परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं, पूंजीकृत हैं।

घ) पूंजीगत भंडार का मूल्यांकन भारित औसत लागत पर किया जाता है, और जहां भी आवश्यक होता है, वहां मूल्य में संभावित कमी के लिए विशिष्ट प्रावधान किए जाते हैं।

### 1-4 vUos"k.k vkSj fodkl ykxr

d½ कंपनी अन्वेषण, विकास और उत्पादन गतिविधियों के लिए संबंधित मेजबान सरकारों और विभिन्न निगमित निकाय के साथ उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी) और राजस्व साझेदारी संविदा (आरएससी) की प्रकृति में निगमित या गैर–निगमित संयुक्त उद्यमों के माध्यम से किए गए तेल और गैस अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों के लेखांकन के लिए सफल प्रयास पद्धति का पालन करती है, जिसमें अन्वेषण और मूल्यांकन लागतें निम्नानुसार शामिल हैं:

(i) भूगर्भीय और भूभौतिकीय (जीएंडजी) की लागत जिसमें भूकंपीय सर्वेक्षण शामिल हैं, अन्वेषण और मूल्यांकन प्रस्तावों के लिए सतही पट्टा किराया आदि को राजस्व व्यय के रूप में उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें ये खर्च की जाती हैं।

(ii) अन्वेषक/मूल्यांकन कुओं की लागत को कार्यशील पूंजी पर – विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां/कार्यशील पूंजी के रूप में लिया जाता है। इस तरह

के अन्वेषी कुओं को उस वर्ष में पूंजीकृत किया जाता है जिसमें उत्पादक संपत्ति बनाई जाती है। ऐसी लागतों को उस वर्ष के बट्टे खाते में डाल दिया जाता है जब शुष्क/त्यागा गया निर्धारित किया जाता है।

(iii) सभी "अन्वेषी कुओं की प्रगति" की लागत को लाभ एवं हानि विवरण में डेबिट किया जाता है, उन कुओं को छोड़कर जिनके लिए पर्याप्त मात्रा में भंडार के उचित संकेत मिले हों तथा उद्यम रिजर्व और आर्थिक और परियोजना की परिचालन व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए पर्याप्त प्रगति कर रहा हो।

[k½ mRiknu lifRr;k dk ithdj.k

उत्पादन संपत्तियों को "पूर्ण कुओं/उत्पादक कुओं" के रूप में पूंजीकृत किया जाता है जब क्षेत्र/फील्ड में कुएं प्रमाणित विकसित तेल और गैस भंडार की स्थापना पर व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार होते हैं।

उत्पादन संपत्तियों की लागत में सफल अन्वेषी कुओं, विकास कुओं की लागत, सहायक उपकरणों की प्रारंभिक मूल्यह्रास सुविधाएं और अनुमानित भविष्य परित्याग लागत शामिल है।

x½ mRiknu lifRr;k dk °kl

उत्पादन विधि की यूनिट (यूओपी)" का उपयोग करके उत्पादन परिसंपत्तियां समाप्त हो जाती हैं। सभी पूंजीगत लागत के लिए प्रभारित उत्पादन की कमी या यूनिट की गणना वर्ष के दौरान उत्पादन के अनुपात में वर्ष के अंत में प्रमाणित विकसित भंडार के रूप में की जाती है।

?k½ mRiknu lifÙk;k dh mRiknu ykxr

जैसा कि ऑपरेटर द्वारा दर्शाया गया है, उत्पादन लागत में कंपनी के हिस्से में मूल्यह्रास और सहायक उपकरण और सुविधाओं की लागू परिचालन लागत सहित कूप पूर्व शीर्ष और कूप पश्चात् शीर्ष व्यय शामिल हैं।

M-½ l;ä ipkyu d fy, y[kkdu

कंपनी उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) और राजस्व हिस्सेदारी संविदा के माध्यम से दर्ज किए गए संयुक्त प्रचालन में अपने हितों के संबंध में, वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों, देयताओं, आउटपुट की बिक्री से राजस्व, संयुक्त प्रचालन यूनिट के खर्चों में अपने आनुपातिक हिस्से को मान्यता देती है।

1-5 fon'kh eæk ykunu

क) कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया (₹) है।

ख) विदेशी मुद्रा में लेन–देन शुरू में लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर होते हैं।

ग) विदेशी मुद्राओं में नामित मौद्रिक मदें (जैसे नकदी, प्राप्य, ऋण, देय, आदि) जो रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया हैं, उन्हें उस तिथि को प्रचलित स्पॉट विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

घ) विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित गैर–मौद्रिक मदों (जैसे इक्विटी निवेश, संपत्ति संयंत्र और उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियां आदि) को उचित मूल्य पर मापी गई दरों के अलावा लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर लेखांकित किया जाता है।

ड.) निपटान या स्थानांतरण पर विनिमय अंतर के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि विवरण में विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव/वित्त लागत में शामिल किया जाता है।

च) विदेशी मुद्रा में उचित मूल्य पर मापी गई गैर–मौद्रिक वस्तुओं का विनिमय दरों का उपयोग उस तिथि पर किया जाता है जब उचित मूल्य निर्धारित किया जाता है। गैर–मौद्रिक वस्तुओं के परिवर्तन पर होने वाले लाभ या हानि को ऐसी वस्तु के उचित मूल्य के निर्धारण पर उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि के अनुरूप, या तो अन्य व्यापक आय या लाभ एवं हानि विवरण में, जैसा भी मामला हो, दर्ज किया जाता है।

1-6 mèkkj yu dh ykxr

योग्य परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से उधार ली गई निधियों के लिए उधार लेने की लागत को उन परिसंपत्तियों की लागत में तब तक जोड़ा जाता है जब तक कि परिसंपत्ति उपयोग के लिए तैयार न हो जाए। यह इन निधियों को अस्थायी रूप से निवेश करने से अर्जित किसी भी आय को घटाने के बाद किया जाता है। अन्य उधार लेने की लागतों को उस वर्ष में व्यय के रूप में माना जाता है जब वे खर्च की जाती हैं।

1-7 ljdkjh vunku

सरकारी अनुदान तब तक दर्ज नहीं किए जाते जब तक कि यह उचित आश्वासन न हो कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों को पूरा करेगी और अनुदान प्राप्त होगा। मूल्यह्रास योग्य संपत्तियों के लिए, संपत्ति की लागत को पूर्ण मूल्य पर दिखाया जाता है, और अनुदान को आस्थगित आय के रूप में दर्ज किया जाता है। इस आस्थगित आय को तब परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर लाभ एवं हानि विवरण में आय के रूप में मान्यता दी जाती है। गैर–मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों के लिए, सरकारी अनुदानों के लिए कुछ दायित्वों को पूरा करना भी आवश्यक हो सकता है। ऐसे मामलों में, अनुदान को उन अवधियों में लाभ या हानि माना जाता है जब इन दायित्वों को पूरा करने की लागत खर्च की जाती हैं।

1-8 eky lph

क) पाइपलाइनों में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और प्राकृतिक गैस के स्टॉक का मूल्यांकन लागत पर पहले आओ पहले पाओ (एफआईएफओ) के आधार पर या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है।

ख) कच्चे माल और तैयार माल का मूल्यांकन भारित औसत लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। तैयार माल में उत्पाद शुल्क और जहां भी लागू हो, रॉयल्टी शामिल है।

ग) निर्माणाधीन वस्तुओं का मूल्यांकन भारित औसत लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। इसका मूल्यांकन भारित औसत लागत पर किया जाता है जहां तैयार माल जिसमें इन्हें शामिल किया जाना है, को भारित औसत लागत पर या उससे ऊपर बेचे जाने की उम्मीद है।

घ) माल के उत्पादन में उपयोग के लिए भंडार और पुर्जे तथा अन्य सामग्री का मूल्यांकन भारित औसत लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। इसका मूल्यांकन भारित औसत लागत पर किया जाता है, जहां तैयार माल जिसमें उन्हें शामिल किया जाएगा, को/या उससे अधिक लागत पर बेचे जाने की उम्मीद है।

ड.) अधिशेष/अप्रचलित स्टोर और पुर्जों का मूल्यांकन लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

च) पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण में उपयोग के लिए रखे गए अधिशेष/अप्रचलित पूंजी भंडारों का मूल्यांकन लागत से कम या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

छ) पारगमन में आयातित एलएनजी का मूल्यांकन सीआईएफ मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो, पर किया जाता है।

ज) नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) का मूल्यांकन लागत पर पहले आओ पहले पाओ (एफआईएफओ) के आधार पर या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है।

## 1-9 jkTLo ekU;rk

कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 115 में परिवर्तन पर संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण को लागू किया है।

क) राजस्व की पहचान तब की जाती है जब वादा किए गए सामान या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहकों को हस्तांतरित कर दिया जाता है, जो उस राशि को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में कितना भुगतान करने की उम्मीद करती है।

ख) जहां निष्पादन दायित्व समय के साथ पूरा हो जाता है, कंपनी रिपोर्टिंग तिथि तक निष्पादन पूर्णता के आधार पर इनपुट/आउटपुट पद्धति का उपयोग करके राजस्व का पता लगाती है। जहां निष्पादन दायित्व किसी समय पर पूरा हो जाता है, कंपनी राजस्व को तब दर्ज करती है जब ग्राहक संविदा में वादा किए गए सामान और सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

ग) कंपनी सेवाओं की बिक्री के संबंध में राजस्व के लेखांकन में आउटपुट पद्धति का उपयोग करती है। आउटपुट पद्धति के उपयोग के लिए कंपनी को निष्पादन पूर्ण होने की तिथि उदाहरण के लिए कालातीत समय के आधार पर राजस्व की पहचान करने की आवश्यकता होती है। संविदा की अवधि के दौरान अनुमानों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है और कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समय के साथ पूरा हुए अपने निष्पादन दायित्वों की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को फिर से मापती है।

घ) कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में अपने अनुमानित लेनदेन मूल्य को अपडेट करती है, ताकि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूद परिस्थितियों और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान परिस्थितियों में बदलाव, दंड, छूट और क्षति आदि को निष्ठापूर्वक प्रस्तुत किया जा सके।

ड.) बीमा दावों का हिसाब बीमाकर्ताओं द्वारा स्वीकार किए गए दावों के आधार पर किया जाता है।

च) दावों (ग्राहकों से विलंबित वसूली पर ब्याज सहित) को तब हिसाब में लिया जाता है, जब इस बात की पर्याप्त निश्चितता हो कि दावा वसूली योग्य हैं।

छ) प्राकृतिक गैस के न्यूनतम गारंटीशुदा उठान (एमजीओ) के संबंध में देयता प्रदान नहीं की जाती है जहां इसे ग्राहकों से वसूली योग्य एमजीओ द्वारा सुरक्षित किया जाता है। वर्ष के दौरान एमजीओ के भुगतान/प्राप्तियों को प्राप्ति के आधार पर समायोजित किया जाता है।

ज) एलपीजी के परिवहन से संबंधित न्यूनतम प्रभार प्राप्ति के आधार पर दर्ज किए जाते हैं।

झ) ग्राहकों के साथ गैस बिक्री समझौते के अनुसार, गैस के वार्षिक उठान या भुगतान मात्रा (एटीओपीक्यू) के लिए प्राप्त राशि का हिसाब वसूली के आधार पर किया जाता है और देयता के रूप में दिखाया जाता है जब तक कि संविदा के अनुसार ग्राहक को गैस की डिलीवरी नहीं की जाती है।

ञ) लाभांश को तब मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, यह संभव है कि लाभांश से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और लाभांश की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

ट) लाभांश को तब दर्ज किया जाता है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है। इस बात की संभावना हो कि लाभांश से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और लाभांश की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता हो।

ठ) कंपनी अपने सीजीडी ग्राहकों को हुकिंग–अप सुविधा प्रदान करती है, जिसके लिए अग्रिम प्राप्त राशि को संविदा देयताओं के अंतर्गत दर्शाया जाता है तथा हुकिंग–अप सुविधा के चालू होने की तिथि से संविदा अवधि के दौरान आय के रूप में परिशोधित किया जाता है।

## 1-10 eY;°kl@ifj'kks/ku

### d½ lEifÙk l;a= vkSj midj.k ¼ihihÃ½

i. पीपीई पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में निर्दिष्ट तरीके और उपयोगी जीवन के अनुसार, सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) पर आनुपातिक आधार पर (खरीदी गई परिसंपत्तियों के लिए मासिक आनुपातिक) प्रदान किया जाता है, नीचे उल्लिखित परिसंपत्तियों को छोड़कर जहां बाहरी/आंतरिक तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर अलग–अलग उपयोगी जीवन लिया गया है:

| विवरण | वर्ष |
|---|---|
| कर्मचारियों के उपयोग के लिए प्रदान किया गया फर्नीचर | 6 वर्ष |
| कर्मचारियों के उपयोग के लिए प्रदान किए गए बिजली के उपकरण | 4 वर्ष |
| कर्मचारियों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराए गए मोबाइल फोन | 2 वर्ष |

ii. पीपीई की मूल लागत में मूल्य समायोजन के कारण मूल्यह्रास भावी रूप से लगाया जाता है।

iii. पट्टा धारित परिसंपत्तियों पर निर्मित अचल परिसंपत्तियों के मामले में अनुसूची II या पट्टा अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास किया जाता है।

iv. पीपीई के अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास के तरीकों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो उसे भावी रूप से समायोजित किया जाता है। यदि पिछले अनुमानों से महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं तो भविष्य की अवधि के लिए मूल्यह्रास/परिशोधन संशोधित किया जाता है।

v. कंपनी ने तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर प्राकृतिक गैस/एलपीजी/सीजीडी नेटवर्क पाइपलाइनों के मामले को छोड़कर, परिसंपत्तियों की लागत के 5% पर पीपीई के अवशिष्ट मूल्य पर विचार किया है, अवशिष्ट मूल्य को 'शून्य' माना जाता है।

### [k½ vewrZ ifjlEifÙk;k

i. उपयोग का अधिकार (आरओयू) अनिश्चित काल तक बना रहता है (जिस अवधि के लिए उनसे शुद्ध नकदी प्रवाह उत्पन्न करने की उम्मीद की जाती है, इस तथ्य को देखते हुए कि इन अधिकारों का उपयोग संबंधित पाइपलाइनों के जीवन के बाद भी किया जा सकता है) परिशोधन नहीं किया जाता है, लेकिन वार्षिक हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

ii. सॉफ्टवेयर और लाइसेंस आदि वाली अमूर्त परिसंपत्तियां पूंजीकरण की तारीख से उपयोगी जीवन पर स्ट्रेट

लाइन पद्धति (एसएलएम) पर परिशोधित की जाती हैं, जिसे 5 वर्ष/वास्तविक उपयोग जीवन से अधिक नहीं माना जाता है।

iii. परिसंपत्तियों की हानि, यदि कोई हो, के बाद उसके शेष उपयोगी जीवन पर परिसंपत्तियों की संशोधित वहन राशि पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

x½ mi;kx dk vf/kdkj okyh ifjlEifÙk;k ¼iVVk /kkfjr ifjlEifÙk;k½

उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों का मूल्यह्रास पट्टा अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति से किया जाता है। यदि पट्टा धारित परिसंपत्तियों का स्वामित्व पट्टा अवधि के अंत में कंपनी को हस्तांतरित हो जाता है, तो संपत्ति के उपयोगी जीवन के दौरान इसका मूल्यह्रास किया जाता है। भूमि से संबंधित उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास नहीं किया जाता है, लेकिन यदि कोई हानि होती है, तो उसके लिए जाँच की जाती है।

?k½ miHkksäkvksa ds ifjlj esa LFkkfir iwathxr ifjlEifÙk lqfoèkk,a

जिस भूमि का स्वामित्व कंपनी के पास नहीं है, उस भूमि पर उपभोक्ताओं के परिसर में स्थापित पूंजीगत परिसंपत्ति सुविधाओं का कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।। में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन के अनुसार एसएलएम आधार पर मूल्यह्रास किया गया है।

## 1-12 deZpkjh ykHk

(क) सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ उस लेखा अवधि में दर्ज किए जाते हैं जब कर्मचारी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

(ख) भविष्य निधि में कंपनी का योगदान इस उद्देश्य के लिए स्थापित एक अलग ट्रस्ट को भेजा जाता है, जो पात्र कर्मचारी के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत पर आधारित होता है और लाभ और हानि विवरण/सीडब्ल्यूआईपी में डेबिट किया जाता है। इसके अलावा, कंपनी भविष्य की अवधि में ब्याज की सांविधिक दर को पूरा करने के लिए निधि परिसंपत्तियों में किसी भी कमी के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार प्रावधान करती है, जिसकी भरपाई कंपनी द्वारा भविष्य निधि ट्रस्ट को की जाती है।

(ग) परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत कर्मचारी लाभ, जैसे कि सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना (पीआरएमएस), ग्रेच्युटी, टर्मिनल लाभ और मृतक कर्मचारियों के परिवारों के लिए सहायता, की गणना वर्ष के अंत में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की जाती है। संबंधित योजनागत परिसंपत्तियों से अधिक बीमांकिक देयता को वर्ष के दौरान मान्यता दी गई है।

(घ) अन्य दीर्घकालिक लाभों, जैसे अवकाश नकदीकरण, वित्तीय सहायता योजनाएं और दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार के लिए कर्मचारी लाभ की गणना वर्ष के अंत में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की जाती है।

(ङ.) पुनर्मापन, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानि शामिल हैं, तुलन–पत्र में दर्ज किए जाते हैं और जिस वर्ष वे घटित होते हैं, उस वर्ष लाभ और हानि विवरण या अन्य व्यापक आय के माध्यम से प्रतिधारित आय में समायोजित किए जाते हैं। इन पुनर्मापन को बाद की अवधियों में लाभ और हानि विवरण में वापस नहीं लाया जाता है।

(च) कंपनी में कर्मचारी पेंशन लाभ के लिए एक परिभाषित अंशदान योजना भी है, जिसमें एक अलग ट्रस्ट या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में अंशदान किया जाता है।

## 1-13 xSj&foÙkh; ifjlEifRr;ksa dh gkfu

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर नकद उत्पादन इकाई की वहन राशि की समीक्षा की जाती है। यदि आंतरिक/बाह्य कारकों के आधार पर हानि का कोई संकेत मिलता है, तो हानि को स्वीकार किया जाता है जहां परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है।

## 1-14 çkoèkku] vkdfLed nkf;Ro,a] vkdfLed ifjlEifÙk;ka vkSj iwathxr çfrc)rk,a

(क) प्रावधान को मान्यता तब दी जाती है, जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कंपनी के पास वर्तमान में कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व हो, जिसका विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता हो, तथा यह संभावना हो कि दायित्व का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभ के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी।

(ख) प्रावधान के रूप में मान्यता–प्राप्त राशि, दायित्व के आसपास के जोखिमों और अनिश्चितताओं पर विचार करते हुए, रिपोर्टिंग तिथि पर वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक विचार का सबसे अच्छा अनुमान है।

(ग) जब किसी प्रावधान को निपटाने के लिए आवश्यक कुछ या सभी आर्थिक लाभ को किसी तीसरे पक्ष से वसूल किए जाने की उम्मीद होती है, तो प्राप्य को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह लगभग निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी और प्राप्य की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय प्रतिपूर्ति, यदि कोई हो, को शुद्ध लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

(घ) आकस्मिक देयताएं संभावित दायित्व हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक भावी घटनाओं के घटने या न घटने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। जहां यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, दायित्व को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के कम होने की संभावना दूर न हो। आकस्मिक देयताओं का खुलासा प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है।

(ङ.) विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस (एससीएन) को आम तौर पर दायित्व नहीं माना जाता है। हालांकि, जब एससीएन के खिलाफ मांग नोटिस जारी किए जाते हैं और कंपनी द्वारा विवादित माना जाता है, तो उन्हें विवादित दायित्वों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(च) आकस्मिक परिसंपत्तियां संभावित परिसंपत्तियां हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा वित्तीय विवरणों में तब किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है। इनका लगातार मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में विकास उचित रूप से परिलक्षित हो।

(छ) माप में अनुमान की पर्याप्त डिग्री को शामिल करने वाले प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभावित होता है कि संसाधनों की कमी होगी। प्रत्येक मामले में ₹ 5 लाख से अधिक की आकस्मिक देयताओं/परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण लेखा टिप्पणी के माध्यम से किया जाता है, केवल तब जब निपटा/प्राप्ति की दूर-दूर तक संभावना न हो।

(ज) पूंजीगत लेखाओं पर निष्पादित किए जाने वाले शेष संविदाओं की अनुमानित राशि (कर और अग्रिमों को छोड़कर) का प्रकटीकरण प्रत्येक मामले में ₹ 5 लाख से अधिक है।

## 1-15 vk; ij dj

### d½ orZeku dj

वर्तमान कर के लिए प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूलतः अधिनियमित हैं।

लाभ एवं हानि के बाहर मान्यता-प्राप्त वस्तुओं से संबंधित वर्तमान कर को या तो अन्य व्यापक आय या अन्य इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

### [k½ vkLFkfxr dj

आस्थगित कर की गणना तुलन-पत्र पद्धति का उपयोग करके परिसंपत्तियों और देयताओं के कर मूल्यों और उनकी रिपोर्ट की गई राशियों के बीच सभी अस्थायी अंतरों पर की जाती है। यह गणना कर दरों और कानूनों पर आधारित होती है जो रिपोर्टिंग तिथि तक प्रभावी या सहमत हो चुके होते हैं।

लाभ और हानि विवरण के बाहर मान्यता-प्राप्त वस्तुओं से संबंधित आस्थगित कर को भी इस विवरण के बाहर, या तो अन्य व्यापक आय में या इक्विटी में, दर्ज किया जाता है।

यदि आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को समायोजित करने का कानूनी अधिकार है तो उन्हें जोड़ा जाता है।

## 1-16 udn vkj udn led{k

नकद और नकद समकक्ष में बैंक में नकदी, हाथ में नकदी, टीआरईपीएस/सीआरओएमएस और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली अल्पकालिक जमा राशियां शामिल होती हैं, जिनमें मूल्य हानि का जोखिम न्यूनतम होता है।

## 1-17 [kM fjikÉVx

कंपनी का प्रबंधन संसाधन आवंटन के बारे में निर्णय लेने और प्रदर्शन का आकलन करने के लिए अपने व्यावसायिक खंडों के परिचालन परिणामों की निगरानी करता है। खंड प्रदर्शन का मूल्यांकन लाभ या हानि के आधार पर किया जाता है और इसे वित्तीय विवरणों वित्तीय विवरणों में लाभ या हानि की तरह ही मापा जाता है।

उत्पादों/सेवाओं की प्रकृति के आधार पर प्रचालन खंडों की पहचान की गई है।

क) खंड राजस्व में खंड से सीधे संबंधित या खंड को सौंपे गए सभी राजस्व शामिल हैं, जिसमें खंडों के बीच लेनदेन से प्राप्त राजस्व भी शामिल है।

ख) खंड के परिणाम निर्धारित करने के लिए उन व्ययों पर विचार किया जाता है जो सीधे तौर पर पहचाने जा सकते हैं/खंडों के लिए आवंटित किए जा सकते हैं।

ग) ऐसे व्यय जो सम्पूर्ण कंपनी से संबंधित हों तथा जिन्हें विशिष्ट खंडों को नहीं सौंपा जा सकता हो, उन्हें गैर-आबंटनीय व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

घ) वह आय जो संपूर्ण कंपनी से संबंधित होती है और जिसे विशिष्ट खंडों को नहीं सौंपा जा सकता, उसे गैर-आबंटन योग्य आय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ड.) खंड परिसंपत्तियों में सीडब्ल्यूआईपी और देयताएं शामिल हैं जो सीधे तौर पर प्रत्येक खंड से जुड़ी हैं। गैर-आबंटन योग्य परिसंपत्तियाँ और देयताएं वे हैं जो पूरी कंपनी से संबंधित हैं और उन्हें किसी विशिष्ट खंड को नहीं सौंपा जा सकता है।

## 1-18 çfr 'k;j vk;

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरधारकों को देय कर पश्चात् निवल लाभ को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर कम की गई आय की गणना वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और संभावित प्रति शेयर कम की गई आय के योग से कर पश्चात् समायोजित निवल लाभ को विभाजित करके की जाती है।

## 1-19 udnh çokg dh fooj.kh

नकदी प्रवाह की विवरणी भारतीय लेखा मानक 7, 'नकद प्रवाह का विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

## 1-20 mfpr eY; ekiu

कंपनी प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर उचित मूल्य पर डेरिवेटिव और विशिष्ट निवेशों (सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों को छोड़कर) सहित वित्तीय साधनों को मापती है।

वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर मापी गई या प्रकट की गई सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को उचित मूल्य पदानुक्रम में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण इनपुट के निम्नतम स्तर पर आधारित है जो समग्र उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:

(i) स्तर 1 – समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर-समायोजित) बाजार मूल्य।

(ii) स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीकें जो उचित मूल्य माप के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विचार योग्य इनपुट का उपयोग करती हैं।

(iii) स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीकें जो उचित मूल्य माप के लिए अवलोकनीय इनपुट का उपयोग करती हैं, जिनका उपयोग तब किया जाता है जब इनपुट विचार योग्य उपलब्ध नहीं होते हैं।

तुलन-पत्र पर नियमित रूप से पहचानी जाने वाली परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए, कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यह देखने के लिए जाँच करती है कि क्या उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तरों के बीच कोई स्थानांतरण हुआ है। यह सबसे कम स्तर के इनपुट के आधार पर वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन करके किया जाता है जो समग्र उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के लिए, कंपनी परिसंपत्तियों और देयताओं को उनकी प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों के साथ-साथ उचित मूल्य पदानुक्रम में उनके स्तर के आधार पर वर्गीकृत करती है।

## 1-21 foÙkh; lk/ku

वित्तीय साधन एक ऐसा अनुबंध है जिसके परिणामस्वरूप किसी कंपनी के पास वित्तीय परिसंपत्ति होती है, तथा दूसरी कंपनी के पास वित्तीय देयता या इक्विटी साधन होता है।

¼d½ foÙkh; ifjlaifÙk;k

d½ oxÊdj.k

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को अपने प्रबंधन के तरीके, व्यापार मॉडल और नकदी प्रवाह की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत करती है। उन्हें परिशोधित लागत, अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य और लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य के द्वारा मापा जाता है।

[k½ çkjfHkd ekU;rk vkj eki

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ एवं हानि विवरण, लेनदेन लागत जो वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है, के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं की जाती है।

x½ ckn dh eki

बाद के माप के प्रयोजनों के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

**i.** ifj'kksf/kr ykxr ij foÙkh; ifjlaifRr;k

डेरिवेटिव और विशिष्ट निवेशों को छोड़कर, एक वित्तीय परिसंपत्ति को परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि इसे संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के उद्देश्य से एक व्यवसाय मॉडल में रखा जाता है। वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह उत्पन्न करती हैं जो केवल बकाया राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान होता है।

**ii-** vU; O;kid vk; ds ek/;e ls mfpr ewY; ij foÙkh; ifjlaifRr;k

डेरिवेटिव और विशिष्ट निवेशों को छोड़कर, किसी वित्तीय परिसंपत्ति को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि इसे ऐसे व्यवसाय मॉडल में रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करना और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचना दोनों है। परिसंपत्ति की शर्तों के परिणामस्वरूप निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह होता है जो केवल बकाया राशि पर मूलधन और ब्याज भुगतान होता है। कंपनी ने अपने व्यवसाय मॉडल के आधार पर अन्य व्यापक आय में अपने इक्विटी निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन प्रस्तुत करने का एक अपरिवर्तनीय विकल्प भी बनाया है।

**iii.** ykHk ,oa gkfu fooj.k ds ek/;e ls mfpr ewY; ij foÙkh; ifjlaifRRk;k

किसी वित्तीय परिसंपत्ति जिसमें डेरिवेटिव शामिल हैं जिसे उपर्युक्त किसी भी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया गया है, का बाद में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्यांकन किया जाता है।

?k½ ekU;rk jí djuk

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को प्राथमिक रूप से तब अमान्य कर दिया जाता है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो जाते हैं या कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया हो।

M-½ lgk;d daifu;ksa] la;qä m|eksa vkSj lac) daifu;ksa esa fuos'k

i. कंपनी अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और संबद्ध कंपनियों में किए गए निवेश को लागत के आधार पर दर्ज करती है। यह हानि के संकेतों की जांच करती है और यदि कोई संकेत मिलता है, तो यह उचित मूल्य के आधार पर निवेश का मूल्यांकन करती है।

ii. जब कंपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और संबद्ध कंपनियों की ओर से वित्तीय गारंटी जारी करती है, तो यह शुरू में वित्तीय गारंटी को उनके उचित मूल्यों पर मापती है। इसके बाद, वह गारंटी को निम्न में से, जो भी अधिक हो, उस पर मापती है:

- भारतीय लेखा मानक 109 की हानि आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित हानि भत्ते की राशि, और
- शुरू में मान्यता प्राप्त राशि, भारतीय लेखा मानक 115 'ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व' के अनुसार मान्यता प्राप्त किसी भी संचयी आय को घटाकर, यदि लागू हो।

iii. कंपनी वित्तीय गारंटी के आरंभिक उचित मूल्य को वित्तीय गारंटी दायित्व के रूप में दर्ज की गई संगत देयता के साथ कथित निवेश के रूप में मान्यता देती है। इस तरह के कथित निवेश को सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों में निवेश की वहन मूल्य राशि में जोड़ा जाता है। वित्तीय गारंटी दायित्व को वित्तीय गारंटी की शेष अवधि में लाभ और हानि विवरण में अन्य आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

p½ vU; foÙkh; ifjlaifRr;ksa dh gkfu

कंपनी व्यापार प्राप्तियों, अनुबंध राजस्व प्राप्तियों और पट्टा प्राप्तियों सहित वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल का उपयोग करके हानि का आकलन करती है।

¼[k½ foÙkh; nsr;k,a

d½ oxÊdj.k

कंपनी सभी वित्तीय देयताओं को परिशोधित लागत पर मापी गई देयताओं के रूप में वर्गीकृत करती है, सिवाय उन देयताओं के जो लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी जाती हैं। इस श्रेणी में आने वाली वित्तीय देयताओं, जिसमें डेरिवेटिव भी शामिल हैं, को बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है।

[k½ çkjfHkd ekU;rk vkj eki

सभी वित्तीय देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। ऋण, उधार और देयताओं के लिए, यह राशि किसी भी सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत के लिए समायोजित की जाती है। कंपनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार और अन्य देयताएं, ऋण और उधार (बैंक ओवरड्राफ्ट सहित) और व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण शामिल हैं।

x½ ckn dh eki

वित्तीय देयताओं की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है, जैसा कि नीचे वर्णित है

**i.** ifj'kksèku ykxr ij foÙkh; ns;rk,¡

प्रारंभिक मान्यता के बाद, ब्याज वाले ऋण और उधार को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ और हानि विवरणी में दर्ज किया जाता है जब देयताओं को और साथ ही ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता नहीं दी जाती है।

परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम के साथ–साथ ईआईआर का हिस्सा होने वाली फीस या लागतों पर विचार करके की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि विवरणी में वित्त लागत के रूप में दर्ज किया जाता है।

**ii-** ykHk ,oa gkfu fooj.k ds ekè;e ls mfpr eY; ij foÙkh; ns;rkvksa

लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में व्यापार के लिए धारित वित्तीय देयताएं और लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देयताएं शामिल हैं। वित्तीय देयताओं को व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं। इस श्रेणी में ऐसे डेरिवेटिव वित्तीय उपकरण शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 के तहत हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया गया है। अंतर्निहित डेरिवेटिव को भी यहाँ वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग उपकरण के रूप में नामित न किया जाए।

व्यापार के लिए धारित देयताओं पर लाभ या हानि को लाभ एवं हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

?k½ ekU;rk gVkuk

वित्तीय दायित्व की मान्यता तब समाप्त हो जाती है जब दायित्व समाप्त हो जाता है, रद्द हो जाता है या समय–सीमा समाप्त हो जाती है।

¼x½ vUrfufgr MfjofV0l

क) यदि किसी हाइब्रिड अनुबंध में ऐसा होस्ट है जो भारतीय लेखा मानक 109 के अंतर्गत एक परिसंपत्ति है, तो कंपनी अंतर्निहित डेरिवेटिव को अलग नहीं करती है। इसके बजाय, यह भारतीय लेखा मानक 109 की वर्गीकरण आवश्यकताओं को पूरे हाइब्रिड अनुबंध पर लागू करती है।

ख) यदि हाइब्रिड संविदा होस्ट है जो भारतीय लेखा मानक 109 के अंतर्गत एक परिसंपत्ति नहीं है, तो कंपनी होस्ट से अंतर्निहित डेरिवेटिव को अलग करती है और उचित मूल्य पर उपायों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता–प्राप्त उचित मूल्य में परिवर्तन के साथ मापती है, और केवल तभी जब:

(i) अंतर्निहित डेरिवेटिव की आर्थिक विशेषताएं और जोखिम होस्ट की आर्थिक विशेषताओं और जोखिमों से संबंधित नहीं हैं।

(ii) अंतर्निहित डेरिवेटिव के समान शर्तों वाला एक अलग साधन किसी डेरिवेटिव की परिभाषा को पूरा करेगा; तथा

(iii) लाभ या हानि में मान्यता–प्राप्त उचित मूल्य में परिवर्तन के साथ हाइब्रिड अनुबंध को उचित मूल्य पर नहीं मापा जाता है।

¼?k½ foÙkh; lkèkuksa dk lek;kstu

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को समायोजित किया जाता है और शुद्ध राशि को तुलन–पत्र में रिपोर्ट किया जाता है यदि मान्यता–प्राप्त राशियों को समायोजित करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है, और परिसंपत्तियों को प्राप्त करने तथा देयताओं का एक–साथ निपटान करने के लिए निवल आधार पर निपटान करने की इच्छा हो।

¼M-½ MfjofVo foÙkh; lkèku vkj cpko ys[kkdu

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और वस्तु मूल्य जोखिम के विरुद्ध बचाव के लिए वायदा मुद्रा संविदा, ब्याज दर स्वैप, क्रॉस–मुद्रा ब्याज दर स्वैप और वस्तु स्वैप संविदा जैसे डेरिवेटिव वित्तीय साधनों का उपयोग करती है।

क) डेरिवेटिव संविदाएं जिन्हें हेजिंग लिखतों के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है

i. भारतीय लेखा मानक 109 के तहत जिन डेरिवेटिव्स को हेजिंग लिखतों के रूप में नामित नहीं किया गया है, उन्हें शुरू में उस तारीख को उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है जिस दिन एक डेरिवेटिव संविदा की जाती है और बाद में उसे उचित मूल्य पर फिर से मापा जाता है। डेरिवेटिव्स को वित्तीय परिसंपत्तियों को तब दर्ज किया जाता है जब उचित मूल्य सकारात्मक होता है और वित्तीय देयताओं के रूप में जब उचित मूल्य नकारात्मक होता है।

ii. डेरिवेटिव के उचित मूल्य में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को सीधे लाभ एवं हानि विवरणी में लिखा जाता है।

ख) बचाव लिखतों के रूप में नामित डेरिवेटिव संविदाएं

i. विदेशी मुद्रा और वस्तु हेज लेनदेन से होने वाले जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए भारतीय लेखा मानक 109 के तहत हेजिंग उपकरण के रूप में नामित डेरिवेटिव्स को नकदी प्रवाह हेज के रूप में दर्ज किया जाता है।

ii. कंपनी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों का पालन करते हुए हेजिंग लिखतों का उपयोग करती है। ये नीतियाँ लिखित सिद्धांत प्रदान करती हैं जो कंपनी की जोखिम प्रबंधन रणनीति के अनुरूप होती हैं।

iii. हेज लिखित को संविदा की शुरुआत में बचाव के रूप में नामित और प्रलेखित किया जाता है। उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन शुरुआत में और निरंतर आधार पर किया जाता है। नामित हेजिंग लिखतों के उचित मूल्य में परिवर्तन का प्रभावी हिस्सा "नकद प्रवाह बचाव रिजर्व" के तहत "अन्य व्यापक आय" में दर्ज किया जाता है। अप्रभावी हिस्से को तुरंत लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है। नकद प्रवाह हेज रिजर्व में राशियों को उसी अवधि में लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, जब हेज वस्तु लाभ और हानि विवरण को प्रभावित करती है। यदि हेज वस्तु गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों या देयताओं की लागत को प्रभावित करती है, तो नकद प्रवाह हेज रिजर्व को उन गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों या देयताओं की प्रारंभिक वहन राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

iv. यदि हेजिंग संबंध अब हेज लेखांकन के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो हेज लेखांकन को संभावित रूप से बंद कर दिया जाता है। यदि हेजिंग लिखित समाप्त हो जाती है या बेच दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है या उसका प्रयोग किया जाता है, तो नकद प्रवाह हेजिंग रिजर्व में मान्यता–प्राप्त हेजिंग लिखितों पर संचयी लाभ या हानि नकद प्रवाह हेजिंग रिजर्व में रहती है, जब तक कि हेज प्रभावी नहीं था। नकद प्रवाह हेजिंग रिजर्व में पहले से मान्यता–प्राप्त संचयी लाभ या हानि को अंतर्निहित लेनदेन होने पर लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित कर दिया जाता है। यदि पूर्वानुमानित लेन–देन अब होने की उम्मीद नहीं है, तो नकदी प्रवाह हेजिंग रिजर्व में जमा राशि को लाभ एवं हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

## 1-22 0;kolkf;d l;kstu

क) व्यावसायिक संयोजनों का लेखा–जोखा अधिग्रहण लेखांकन पद्धति का उपयोग करके किया जाता है, सामान्य नियंत्रण लेनदेन के अलावा, जिनका लेखा ब्याज पूलिंग पद्धति का उपयोग करके किया जाता है, जिसका लेखा–जोखा वहन मूल्यों पर किया जाता है।

ख) अधिग्रहण की लागत को हस्तांतरित परिसंपत्तियों, जारी किए गए इक्विटी उपकरणों और उनके अधिग्रहण की तिथि पर ग्रहण की गई देयताओं के उचित मूल्य पर मापा जाता है, अर्थात जिस तिथि को नियंत्रण प्राप्त किया जाता है। हस्तांतरित किए जाने वाले आकस्मिक प्रतिलाभ को उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और अधिग्रहण की लागत के भाग के रूप में शामिल किया जाता है। लेन–देन से संबंधित लागतों को उस अवधि में व्यय किया जाता है, जिसमें लागतें खर्च की जाती हैं।

ग) प्रत्येक व्यावसायिक संयोजन के लिए, समूह चुनता है कि अधिग्रहणकर्ता में गैर–नियंत्रक हितों को उचित मूल्य पर या अधिग्रहणकर्ता की पहचान योग्य शुद्ध परिसंपत्तियों के आनुपातिक हिस्से पर मापा जाए।

घ) व्यावसायिक संयोजन पर उत्पन्न होने वाले सौदेबाजी खरीद पर लाभ, अधिग्रहित शुद्ध पहचान योग्य परिसंपत्तियों और ग्रहण की गई देयताओं के उचित मूल्य से अधिक होने के कारण और हस्तांतरित प्रतिफल और गैर–नियंत्रक हितों के लिए मान्यता प्राप्त राशि, और किसी भी पिछले हित को पूंजी आरक्षित के रूप में मान्यता दी जाती है।

## 1-23 iê

कंपनी संविदा की शुरुआत में यह मूल्यांकन करती है कि क्या यह पट्टा है या इसमें पट्टा शामिल है। इसका मतलब है कि यह जाँच करना कि क्या संविदा भुगतान के बदले में किसी निश्चित अवधि के लिए किसी विशिष्ट परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देती है।

### ,d iênkj ds :i e

### d½ iê dh igpku djuk

कंपनी अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टों को छोड़कर सभी पट्टों के लिए एक सुसंगत मान्यता और माप दृष्टिकोण का उपयोग करती है। यह पट्टा भुगतान करने के लिए पट्टा देयताओं और अंतर्निहित परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार के लिए उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को मान्यता देती है।

### [k½ mi;kx dk vf/kdkj ifjlEifÙk ¼vkjvk;w½ dh çkjfEHkd ekU;rk

कंपनी पट्टा आरंभ तिथि पर उपयोग का अधिकार (आरओयू) परिसंपत्ति को मान्यता देती है, जो तब होता है जब अंतर्निहित परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है। आरओयू परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मापा जाता है, किसी भी संचित मूल्यह्रास और हानि को घटाया जाता है, और पट्टा देयताओं के किसी भी पुनर्मूल्यांकन के लिए समायोजित किया जाता है।

### x½ mi;kx dk vf/kdkj ifjlEifÙk ¼vkjvk;w½ ds ckn ds eki

आरओयू परिसंपत्तियों को पट्टे की शुरुआत से लेकर परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन या पट्टे की अवधि के अंत तक सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके परिशोधित किया जाता है। यदि पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति का स्वामित्व पट्टे के अंत में कंपनी को हस्तांतरित हो जाता है या यदि पट्टे में कोई खरीद विकल्प शामिल है जिसका कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने की संभावना है, तो मूल्यह्रास परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर आधारित होता है। इसके अतिरिक्त, आरओयू परिसंपत्ति को समय–समय पर किसी भी हानि से घटाया जाता है और पट्टे की देयता के कुछ पुनर्मापों के लिए समायोजित किया जाता है।

### iêk nkf;Ro dh çkjfEHkd eku;rk

पट्टा देयताओं को शुरू में पट्टा अवधि में भुगतान किए जाने वाले पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। पट्टा देयताओं के मापन में शामिल पट्टा भुगतान में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. निश्चित भुगतान, जिसमें महत्वपूर्ण निश्चित भुगतान शामिल है

ii. परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो एक सूचकांक या दर पर निर्भर करता है

iii. अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने वाली राशियां; और

iv. एक खरीद विकल्प, विस्तार विकल्प और शीघ्र समाप्ति के लिए दंड के तहत प्रति शेयर मूल्य केवल तभी होता है जब कंपनी उन विकल्पों का प्रयोग करने के लिए पूरी तरह से निश्चित हो।

### ?k½ ckn e iêk nkf;Ro dk eku

पट्टा देयताओं को बाद में ब्याज की वृद्धि को दर्शाने के लिए बढ़ाया जाता है और पट्टा भुगतान के लिए कम किया जाता है। इसके अलावा, पट्टा देयताओं की वाहक राशि का पुनः मूल्यांकन किया जाता है कि क्या पट्टा अवधि में कोई आशोधन, परिवर्तन किया गया है (उदाहरण के लिए, इस तरह के पट्टा भुगतानों को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सूचकांक या दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप भविष्य के भुगतान में परिवर्तन) या अंतर्निहित परिसंपत्ति को खरीदने के विकल्प के मूल्यांकन में परिवर्तन किया गया है।

### M-½ vYidkfyd iê vkj de eY; dh ifjlEifÙk ds iê

कंपनी अपने अल्पकालिक पट्टों पर अल्पकालिक पट्टा मान्यता छूट लागू करती है (अर्थात् वे पट्टे जिनकी पट्टे की अवधि शुरू होने की तारीख से 12 महीने या उससे कम है और जिसमें खरीद विकल्प शामिल नहीं है)। यह कम मूल्य की परिसंपत्तियां मान्यता छूट के पट्टे को भी लागू करती हैं।

अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टों पर पट्टा भुगतान को लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

### ,d iênkj dk :i esa

जिन पट्टों में कंपनी किसी परिसंपत्ति सभी जोखिमों और स्वामित्व प्रदान करने को पर्याप्त रूप से अंतरित नहीं करती है, उन्हें परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रचालन पट्टे से किराया आय को पट्टा अवधि में सीधी रेखा आधार पर मान्यता दी जाती है।

पट्टों को वित्तीय पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब कंपनी से पट्टेदार को स्वामित्व अंतरण के सभी जोखिम और अवार्ड पर्याप्त रूप से होते हैं। वित्त पट्टों के तहत पट्टेदारों से देय राशि को प्राप्ति के रूप में दर्ज किया जाता है और वित्त पट्टा आय को लेखा अवधि के लिए आवंटित किया जाता है ताकि पट्टे के संबंध में बकाया निवल निवेश पर वापसी की निरंतर आवधिक दर को दर्शाया जा सके।

### vuqeku vkSj iwokZuqeku

#### iênkj dk :i esa NwV nj dk fuèkkZj.k

कंपनी पट्टे में शामिल ब्याज दर को आसानी से निर्धारित नहीं कर सकती है, इसलिए, यह पट्टा देयताओं को मापने के लिए अपनी वृद्धिशील उधार दर (आईबीआर) का उपयोग करती है। कंपनी अपनी वृद्धिशील उधार दर का अनुमान लगाती है, जो ब्याज की वह दर है जिसे कंपनी को समान आर्थिक वातावरण में, बाजार ब्याज दरों जैसे अवलोकनीय इनपुट का उपयोग करके पट्टा भुगतान के बराबर राशि उधार लेने के लिए चुकानी होगी।

## 1-24 pkyw cuke xSj&pkyw

कंपनी तुलन–पत्र में परिसंपत्तियों और देयताओं को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर चालू या गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत करती है:

¼d½ fdlh ifjlEifRr dks pkyw rc ekuk tkrk gS tc ;g%

i. सामान्य परिचालन अवधि में प्राप्त, बेची या उपभोग की जाने वाली अपेक्षित परिसंपत्तियाँ हो।

ii. मुख्य रूप से व्यापारिक उद्देश्यों के लिए रखी गई परिसंपत्तियाँ हो।

iii. रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त होने की अपेक्षित परिसंपत्तियाँ हो।

iv. नकद या नकद समतुल्य, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयताओं का निपटान करने के लिए उपयोग करने से प्रतिबंधित न किया गया हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

¼[k½ fdlh nkf;Ro dks pkyw ekuk tkrk gS tc%

i. सामान्य प्रचालन अवधि में इसका निपटारा होने की उम्मीद हो।

ii. यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखा गया हो।

iii. इसका निपटान रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर किया जाना हो, या

iv. रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए दायित्व के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देयताओं को गैर–चालू देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

## 1-25 gky dh ys[kkdu ?kks"k.kk,a & ekud tkjh fd, x, ysfdu vHkh rd çHkkoh ugha gSa

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) नए भारतीय लेखा मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन जारी करता है। अब तक, 1 अप्रैल 2024 से लागू होने वाले नए या संशोधित मानकों के बारे में एमसीए द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

# टिप्पण : 1ख : महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, अनुमान और पूर्वानुमान

कंपनी के पृथक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो पृथक वित्तीय विवरणियों की तिथि पर राजस्व, व्यय, परिसंपत्ति और देयताओं की रिपोर्ट की गई मात्रा को प्रभावित करते हैं। अनुमान और पूर्वानुमानों का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है तथा ये प्रबंधन के अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित होते हैं, जिनमें भावी घटनाओं की अपेक्षाएं शामिल होती हैं जिन्हें परिस्थितियों में उचित माना जाता है। इन अनुमानों और पूर्वानुमानों के बारे में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिनके लिए भावी अवधि में प्रभावित परिसंपत्तियों या देयताओं की अग्रेनीत राशि के समायोजन की आवश्यकता होती है।

विशेष रूप से, कंपनी ने उन क्षेत्रों की पहचान की है जहां महत्वपूर्ण निर्णयों, अनुमानों और मान्यताओं की आवश्यकता होती है। इन क्षेत्रों में से प्रत्येक के बारे में अधिक जानकारी और वे विभिन्न लेखा नीतियों को कैसे प्रभावित करते हैं, नीचे दी गई हैं तथा ये वित्तीय विवरणियों से संबंधित टिप्पणियों में भी शामिल हैं। अनुमानों में परिवर्तन की भी संभावित रूप से गणना की जाती है।

## 1- vf/kfu.k;

कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निर्णय लिए हैं, जिनका पृथक वित्तीय विवरणियों में शामिल राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है:

### 1-1 vkdfLedrk,

आकस्मिक देयताएं और परिसंपत्तियां जो कंपनी के खिलाफ दावे के संबंध में व्यवसाय के सामान्य कार्यों से उत्पन्न हो सकती हैं जिनमें विधि, ठेकेदार, भूमि तक पहुंच और अन्य दावे शामिल होते हैं। उनकी प्रकृति से, आकस्मिकताओं का समाधान तभी होगा जब एक या अधिक अनिश्चित भावी घटनाएँ घटित होंगी या घटित होने से रह जाएंगी। आकस्मिकताओं के अस्तित्व और संभावित मात्रा के आकलन में स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण निर्णय लेने और भावी घटनाओं के परिणाम के बारे में अनुमानों का उपयोग शामिल है।

## 2- vuqeku vkSj iwokZuqeku

रिपोर्टिंग तिथि पर भविष्य और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख धारणाएं, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देयताओं की अग्रेनीत राशियों के समायोजन का व्यापक जोखिम शामिल है, नीचे दी गई हैं। कंपनी वित्तीय विवरण तैयार करते समय उपलब्ध मापदंडों पर अपनी मान्यताओं और अनुमानों को निर्धारित करती है। तथापि, मौजूदा परिस्थितियों और भावी विकास के बारे में धारणाएं बाजार परिवर्तन या कंपनी के नियंत्रण से परे उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं। ऐसे परिवर्तन होने पर इन्हें अनुमानों में दर्शाया जाता है।

### 2-1 x|j&foÙkh; ifjlifRRk;k dh gkfu

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यांकन करती है कि क्या कोई संकेत है कि कोई परिसंपत्ति खराब हो सकती है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, भावी नकदी प्रवाह के अनुमान को कर–पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है। उचित मूल्य निर्धारित करने में, हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी भी लेन–देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है।

### 2-2 ifjHkkf"kr ykHk ;ktuk,

परिभाषित लाभ योजना की लागत और अन्य रोजगार के बाद के लाभ और इस तरह के दायित्व का वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। किसी बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ बनाना शामिल है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर, भावी वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और भावी पेंशन वृद्धि का निर्धारण शामिल है। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, परिभाषित लाभ दायित्व इन मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है।

### 2-3 foÙkh; fy[krk dk mfpr eY; ekiu

जब तुलन–पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्यों को सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर नहीं मापा जा सकता है, तो उनके उचित मूल्य को डीसीएफ मॉडल को शामिल करते हुए मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। इन मॉडलों के इनपुट, जहां संभव हो, हाल के बाजार उद्धृत मूल्यों से लिए जाते हैं, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, वहां उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए कुछ हद तक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। निर्णयों में नकदी जोखिम, ऋण जोखिम और अस्थिरता जैसे सूचना शामिल होते हैं। इन धारणाओं के बारे में अनुमानों में परिवर्तन वित्तीय लिखतों के रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं।

### 2-4 foÙkh; ifjlifRr;k dh gkfu

वित्तीय परिसंपत्तियों के हानि प्रावधान चूक के जोखिम और अपेक्षित हानि दरों की धारणाओं पर आधारित हैं। कंपनी इन अनुमानों को बनाने और कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार स्थितियों के साथ–साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भावी अनुमानों के आधार पर, हानि गणना के लिए इनपुट का चयन करने में निर्णय का उपयोग करती है। सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों या संबद्ध कंपनियों में निवेश पर हुई हानि का हिसाब रियायती नकदी प्रवाह/ निवल संपत्ति मूल्य पद्धति, बाहरी एजेंसियों की मूल्यांकन रिपोर्ट, निवेशकर्ता कंपनी के पिछले इतिहास आदि को ध्यान में रखकर लगाया जाता है।

# गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली

## टिप्पणः 2 – 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

¼₹ djksM+ esa½

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | | संचित मूल्यह्रास | | | | हानि | | | | निवल ब्लॉक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 अप्रैल 2023 को | वर्ष के दौरान में वृद्धि | एयूसी से अधिग्रहण | वर्ष के दौरान बिक्री/निपटान | 31 मार्च 2024 को | 1 अप्रैल 2023 को | वर्ष के लिए | वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन | 31 मार्च 2024 को | 1 अप्रैल 2023 को | वर्ष के लिए | वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन | 31 मार्च 2024 को | 31 मार्च 2024 को |
| lEifÙk] la;a= vkSj midj.k | | | | | | | | | | | | | | |
| भूमि : फ्रीहोल्ड | 760.01 | 21.47 | 31.98 | - | 813.46 | - | - | - | - | - | | | - | 813.46 |
| भवन : कार्यालय/अन्य | 1,425.38 | 68.59 | 122.79 | (2.73) | 1,614.03 | 303.29 | 56.11 | (0.98) | 358.42 | - | 0.72 | | 0.72 | 1,254.89 |
| भवन : आवासीय | 367.41 | 2.53 | 0.40 | (0.48) | 369.86 | 88.34 | 10.78 | (0.08) | 99.04 | - | | | - | 270.82 |
| बंक हाउस | 3.68 | 0.26 | - | (0.03) | 3.91 | 2.95 | 0.43 | (0.03) | 3.35 | - | | | - | 0.56 |
| संयंत्र और मशीनरी | 53,587.92 | 411.83 | 5,284.81 | (105.17) | 59,179.39 | 12,663.92 | 2,496.80 | (42.33) | 15,118.39 | 317.65 | (58.85) | (20.77) | 238.03 | 43,822.97 |
| रेलवे लाइन और साइडिंग | 6.87 | 0.54 | - | - | 7.41 | 2.17 | 1.28 | - | 3.45 | - | | | - | 3.96 |
| विद्युत उपकरण | 522.36 | 31.25 | 30.79 | (14.52) | 569.88 | 309.02 | 56.62 | (11.31) | 354.33 | 0.03 | | | 0.03 | 215.52 |
| फर्नीचर और फिक्स्चर | 188.89 | 31.55 | 1.43 | (6.00) | 215.87 | 91.46 | 19.55 | (4.88) | 106.13 | - | 0.13 | | 0.13 | 109.61 |
| कार्यालय उपकरण | 376.20 | 35.49 | 12.29 | (22.42) | 401.56 | 240.37 | 42.23 | (20.58) | 262.02 | 0.01 | | | 0.01 | 139.53 |
| अन्य उपकरण | 285.97 | 40.07 | 10.94 | (22.04) | 314.94 | 154.62 | 45.57 | (19.95) | 180.24 | 0.02 | | | 0.02 | 134.68 |
| परिवहन उपकरण | 13.26 | 2.83 | - | (0.05) | 16.04 | 6.38 | 1.14 | - | 7.52 | - | 0.01 | | 0.01 | 8.51 |
| Ã,Mh ifjlEifRr;k | | | | | | | | | | | | | | |
| उत्पादक संपत्ति | 2,638.71 | 52.91 | 0.98 | 20.69 | 2,713.29 | 1,348.54 | 151.20 | 15.17 | 1,514.91 | - | 19.37 | | 19.37 | 1,179.01 |
| सहायता उपकरण और सुविधाएं | 6.24 | - | - | - | 6.24 | 2.84 | 0.26 | - | 3.10 | - | | | - | 3.14 |
| d;y | **60,182.90** | **699.32** | **5,496.41** | **(152.75)** | **66,225.88** | **15,213.90** | **2,881.97** | **(84.97)** | **18,010.90** | **317.71** | **(38.62)** | **(20.77)** | **258.32** | **47,956.66** |

* परिसंपत्तियों की क्षति के लिए टिप्पण सं. 47 देखें

# गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली

## टिप्पणः 2 – 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

¼₹ djkM+ e½

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | | संचित मूल्यह्रास | | | | हानि* | | | | निवल ब्लॉक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 अप्रैल 2023 को | वर्ष के दौरान में वृद्धि | एयूसी से अधिग्रहण | वर्ष के दौरान बिक्री/ निपटान | 31 मार्च 2024 को | 1 अप्रैल 2023 को | वर्ष के लिए | वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन | 31 मार्च 2024 को | 1 अप्रैल 2023 को | वर्ष के लिए | वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन | 31 मार्च 2024 को | 31 मार्च 2024 को |
| laifÙk] la;= vkj midj.k | | | | | | | | | | | | | | |
| भूमि : फ्रीहोल्ड | 633.76 | 21.41 | 104.84 | - | 760.01 | - | - | - | - | - | | | - | 760.01 |
| भवन : कार्यालय/अन्य | 1,190.45 | 10.56 | 226.85 | (2.48) | 1,425.38 | 264.03 | 39.83 | (0.57) | 303.29 | - | | | - | 1,122.09 |
| भवन : आवासीय | 362.43 | 2.84 | 2.57 | (0.43) | 367.41 | 77.54 | 10.88 | (0.08) | 88.34 | - | | | - | 279.07 |
| बंक हाउस | 3.75 | 0.08 | - | (0.15) | 3.68 | 2.63 | 0.46 | (0.14) | 2.95 | - | | | - | 0.73 |
| संयंत्र और मशीनरी | 48,295.45 | 497.74 | 4,940.43 | (145.70) | 53,587.92 | 10,693.36 | 2,012.37 | (41.81) | 12,663.92 | 412.07 | (94.42) | | 317.65 | 40,606.35 |
| रेलवे लाइन और साइडिंग | 6.70 | 0.17 | - | - | 6.87 | 0.88 | 1.29 | - | 2.17 | - | | | - | 4.70 |
| विद्युत उपकरण | 447.94 | 43.41 | 38.87 | (7.86) | 522.36 | 264.84 | 51.38 | (7.20) | 309.02 | 0.03 | | | 0.03 | 213.31 |
| फर्नीचर और फिक्स्चर | 170.06 | 22.80 | 6.56 | (10.53) | 188.89 | 83.87 | 16.90 | (9.31) | 91.46 | - | | | - | 97.43 |
| कार्यालय उपकरण | 333.05 | 30.59 | 35.83 | (23.27) | 376.20 | 220.30 | 41.69 | (21.62) | 240.37 | 0.01 | | | 0.01 | 135.82 |
| अन्य उपकरण | 256.91 | 42.49 | 5.00 | (18.43) | 285.97 | 132.68 | 38.56 | (16.62) | 154.62 | 0.02 | | | 0.02 | 131.33 |
| परिवहन उपकरण | 9.45 | 3.86 | - | (0.05) | 13.26 | 5.67 | 0.74 | (0.03) | 6.38 | - | | | - | 6.88 |
| Ã ,M ih ifj laifRRk;k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - |
| उत्पादक संपत्ति | 2,011.31 | 26.66 | 514.23 | 86.51 | 2,638.71 | 1,157.04 | 137.28 | 54.22 | 1,348.54 | - | | | - | 1,290.17 |
| सहायता उपकरण और सुविधाएं | 6.24 | - | - | - | 6.24 | 2.42 | 0.43 | (0.01) | 2.84 | - | | | - | 3.40 |
| **dqy** | **53,727.50** | **702.61** | **5,875.18** | **(122.39)** | **60,182.90** | **12,905.26** | **2,351.81** | **(43.17)** | **15,213.90** | **412.13** | **(94.42)** | | **317.71** | **44,651.29** |

* परिसंपत्तियों की क्षति के लिए टिप्पण सं. 47 देखें

## टिप्पण: 2क – 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए उपयोग का अधिकार

¼₹ djksM+ esa½

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | | संचित मूल्यह्रास | | | | निवल ब्लॉक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 अप्रैल 2023 को | वर्ष के दौरान जोड़ | एयूसी से अधिग्रहण | वर्ष के दौरान बिक्री/निपटान | 31 मार्च 2024 को | 1 अप्रैल 2023 को | वर्ष के लिए | वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन | 31 मार्च 2024 को | 31 मार्च 2024 को |
| i;Dr ifjlEifRr;ksa dk vf/kdkj | | | | | | | | | | |
| भूमि : लीजहोल्ड | 926.47 | 347.71 | 49.72 | (27.37) | 1,296.53 | 77.06 | 40.57 | (0.09) | 117.54 | 1,178.99 |
| भवन : लीजहोल्ड | 98.46 | 40.00 | - | (11.00) | 127.46 | 53.51 | 23.34 | (9.44) | 67.41 | 60.05 |
| संयंत्र और मशीनरी: लीज़होल्ड | 1,800.56 | 2,350.03 | - | (28.49) | 4,122.10 | 560.98 | 749.06 | (3.13) | 1,306.91 | 2,815.19 |
| वाहन: लीजहोल्ड | 104.80 | 18.30 | - | (11.13) | 111.97 | 49.45 | 28.57 | (8.31) | 69.71 | 42.26 |
| dqy | **2,930.29** | **2,756.04** | **49.72** | **(77.99)** | **5,658.06** | **741.00** | **841.54** | **(20.97)** | **1,561.57** | **4,096.49** |

## टिप्पण: 2क – 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए उपयोग का अधिकार

¼₹ djksM+ esa½

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | | संचित मूल्यह्रास | | | | निवल ब्लॉक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 अप्रैल 2023 को | वर्ष के दौरान जोड़ | एयूसी से अधिग्रहण | वर्ष के दौरान बिक्री/निपटान | 31 मार्च 2024 को | 1 अप्रैल 2023 को | वर्ष के लिए | वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन | 31 मार्च 2024 को | 31 मार्च 2024 को |
| i;Dr ifjlEifRr;ksa dk vf/kdkj | | | | | | | | | | |
| भूमि : लीजहोल्ड | 405.65 | 533.00 | 5.12 | (17.30) | 926.47 | 54.13 | 34.54 | (11.61) | 77.06 | 849.41 |
| भवन : लीजहोल्ड | 79.23 | 25.33 | - | (6.10) | 98.46 | 37.50 | 22.68 | (6.67) | 53.51 | 44.95 |
| संयंत्र और मशीनरी: लीज़होल्ड | 1,414.88 | 388.16 | - | (2.48) | 1,800.56 | 202.32 | 361.16 | (2.51) | 560.98 | 1,239.58 |
| वाहन: लीजहोल्ड | 39.56 | 69.20 | - | (3.96) | 104.80 | 20.00 | 33.40 | (3.95) | 49.45 | 55.35 |
| dqy | **1,939.32** | **1,015.69** | **5.12** | **(29.84)** | **2,930.29** | **313.95** | **451.78** | **(24.74)** | **741.00** | **2,189.29** |

## टिप्पणः 3 – 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए कार्यशील पूंजी

¼₹ djkM e½

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | | प्रावधान और हानि | | | निवल ब्लॉक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 अप्रैल 2023 को | वर्ष के दौरान जमा/समायोजन | वर्ष के दौरान पूंजीकरण | सेवानिवृत्ति/स्थानांतरण | 31 मार्च 2024 को | 1 अप्रैल 2023 को | वर्ष के लिए | 31 मार्च 2024 को | 31 मार्च 2024 को |
| d- er| | | | | | | | | | |
| लाइनपाइप निर्माण और संबंधित सुविधाएं | 9,849.69 | 5,489.80 | (5,032.41) | 1,096.41 | 11,403.49 | 119.79 | 28.20 | 147.99 | 11,255.50 |
| प्रेषण/प्राप्ति टर्मिनल | 0.83 | 1.58 | (0.07) | - | 2.34 | - | - | - | 2.34 |
| कंप्रेसर स्टेशन | 1.38 | 16.60 | (12.15) | - | 5.83 | - | - | - | 5.83 |
| दूरसंचार/टेलीसुपरवाइजरी प्रणाली | 1.46 | - | (1.42) | - | 0.04 | - | - | - | 0.04 |
| अन्य | 854.12 | 1,068.27 | (720.39) | (0.19) | 1,201.81 | - | - | - | 1,201.81 |
| पेट्रोकेमिकल | 886.64 | 4,592.81 | (4.68) | - | 5,474.77 | - | - | - | 5,474.77 |
| अन्वेषण प्रक्रियाधीन वेल | 252.72 | 11.09 | (0.34) | - | 263.47 | 141.97 | 63.45 | 205.42 | 58.05 |
| विकास प्रक्रियाधीन वेल | 326.48 | 147.97 | (0.64) | - | 473.81 | - | 59.79 | 59.79 | 414.02 |
| रेलवे साइडिंग | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| भवन | 9.29 | 771.69 | (3.90) | - | 777.08 | 5.28 | - | 5.28 | 771.80 |
| लाइनपाइप, स्टॉक/ मार्गस्थ में पूंजीगत वस्तुएं | 4,736.01 | 34.63 | (17.75) | (1,110.47) | 3,642.42 | 7.85 | (4.73) | 3.12 | 3,639.30 |
| [k- ver| | 2.77 | 800.55 | - | - | 803.32 | - | - | - | 803.32 |
| d|y | **16,921.39** | **12,934.99** | **(5,793.75)** | **(14.25)** | **24,048.38** | **274.89** | **146.71** | **421.60** | **23,626.78** |

## टिप्पणः 3 – 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए कार्यशील पूंजी

¼₹ djkM e½

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | | प्रावधान और हानि | | | निवल ब्लॉक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 अप्रैल 2023 को | वर्ष के दौरान जमा/समायोजन | वर्ष के दौरान पूंजीकरण | सेवानिवृत्ति/स्थानांतरण | 31 मार्च 2024 को | 1 अप्रैल 2023 को | वर्ष के लिए | 31 मार्च 2024 को | 31 मार्च 2024 को |
| d- er| | | | | | | | | | |
| लाइनपाइप निर्माण और संबंधित सुविधाएं | 9,840.04 | 5,396.10 | (5,366.07) | (20.38) | 9,849.69 | 11.05 | 108.73 | 119.79 | 9,729.90 |
| प्रेषण/प्राप्ति टर्मिनल | 42.08 | 4.04 | (45.29) | - | 0.83 | - | - | - | 0.83 |
| कंप्रेसर स्टेशन | 4.37 | 3.20 | (6.19) | - | 1.38 | - | - | - | 1.38 |
| दूरसंचार/टेलीसुपरवाइजरी प्रणाली | 2.03 | 0.07 | (0.64) | - | 1.46 | - | - | - | 1.46 |
| अन्य | 508.18 | 518.56 | (172.54) | (0.08) | 854.12 | - | - | - | 854.12 |
| पेट्रोकेमिकल | 248.11 | 638.65 | (0.12) | - | 886.64 | - | - | - | 886.64 |
| अन्वेषण प्रक्रियाधीन वेल | 258.06 | 2.18 | (7.52) | - | 252.72 | 191.20 | (49.24) | 141.97 | 110.75 |
| विकास प्रक्रियाधीन वेल | 592.95 | 240.24 | (506.71) | - | 326.48 | 14.19 | (14.19) | - | 326.48 |
| Hkou | 13.06 | 70.13 | (73.90) | - | 9.29 | 5.28 | - | 5.28 | 4.01 |
| लाइनपाइप, स्टॉक/ मार्गस्थ में पूंजीगत वस्तुएं | 4,207.34 | 558.89 | (23.13) | (7.09) | 4,736.01 | 6.44 | 1.41 | 7.85 | 4,728.16 |
| [k- ver| | 2.34 | 0.46 | (0.03) | - | 2.77 | - | - | - | 2.77 |
| d|y | **15,718.56** | **7,432.52** | **(6,202.14)** | **(27.55)** | **16,921.39** | **228.16** | **46.71** | **274.89** | **16,646.50** |

## टिप्पणः 4 – 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए अमूर्त परिसंपत्तियां

¼₹ djksM+ esa½

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | | संचित मूल्यह्रास और क्षति | | | | निवल ब्लॉक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 अप्रैल 2023 को | वर्ष के दौरान जमा | एयूसी से अधिग्रहण | वर्ष के दौरान बिक्री/निपटान | 31 मार्च 2024 को | 1 अप्रैल 2023 को | वर्ष के लिए | वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन | 31 मार्च 2024 को | 31 मार्च 2024 को |
| vewrZ ifjlaifRr | | | | | | | | | | |
| संपत्ति के उपयोग का अधिकार | 2,816.43 | 36.12 | 236.90 | - | 3,089.45 | 0.22 | (0.22) | - | - | 3,089.45 |
| सॉफ्टवेयर/लाइसेंस | 196.99 | 13.68 | 10.72 | (0.32) | 221.07 | 156.91 | 18.56 | (0.30) | 175.17 | 45.90 |
| dqy | **3,013.42** | **49.80** | **247.62** | **(0.32)** | **3,310.52** | **157.13** | **18.34** | **(0.30)** | **175.17** | **3,135.35** |

## fVIi.kh 4 & 31 ekpZ 2023 dks lekIr vof/k ds fy, vewrZ ifjlaifÙk;k3

¼₹ djksM+ esa½

| विवरण | सकल ब्लॉक | | | | | संचित मूल्यह्रास और क्षति | | | | निवल ब्लॉक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 अप्रैल 2023 को | वर्ष के दौरान जमा | एयूसी से अधिग्रहण | वर्ष के दौरान बिक्री/निपटान | 31 मार्च 2024 को | 1 अप्रैल 2023 को | वर्ष के लिए | वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन | 31 मार्च 2024 को | 31 मार्च 2024 को |
| vewrZ ifjlaifRr | | | | | | | | | | |
| संपत्ति के उपयोग का अधिकार | 2,483.86 | 14.30 | 318.71 | (0.44) | 2,816.43 | 0.22 | - | - | 0.22 | 2,816.21 |
| सॉफ्टवेयर/लाइसेंस | 186.55 | 0.51 | 10.23 | (0.30) | 196.99 | 133.58 | 23.63 | (0.30) | 156.91 | 40.08 |
| dqy | **2,670.41** | **14.81** | **328.94** | **(0.74)** | **3,013.42** | **133.80** | **23.63** | **(0.30)** | **157.13** | **2,856.29** |

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

## टिप्पणी : 5– इक्विटी पद्धति के अनुसार लेखांकित निवेश

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | | 31 मार्च, 2023 के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | राशि | शेयरों की संख्या | राशि |
| (d) | संयुक्त उद्यम कंपनियों में :<br>अनुद्धृत निवेश (इक्विटी शेयर) | | | | |
| 1 | -सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड | 1,50,00,000<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 160.08 | 1,50,00,000<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 148.27 |
| 2 | -ग्रीन गैस लिमिटेड<br>(इसमें ₹ 83.39 प्रति शेयर प्रीमियम पर प्राप्त 5,000 इक्विटी शेयर, ₹ 115 प्रति शेयर प्रीमियम पर प्राप्त 22,40,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं) | 2,52,87,250<br>(₹ 10 प्रत्येक)) | 314.31 | 2,30,47,250<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 265.14 |
| 3 | -महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड | 2,25,00,000<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 416.33 | 2,25,00,000<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 319.55 |
| 4 | - अवंतिका गैस लिमिटेड<br>(₹ 29/– प्रति शेयर के प्रीमियम में आबंटित 70,57,038 इक्विटी शेयरों सहित) | 2,95,57,038<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 229.99 | 2,95,57,038<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 194.67 |
| 5 | - भाग्यनगर गैस लिमिटेड<br>(₹ 40/– प्रति शेयर के प्रीमियम में आबंटित 2,11,50,000 इक्विटी शेयरों सहित) | 4,36,50,000<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 215.39 | 4,36,50,000<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 196.83 |
| 6 | - वडोदरा गैस लिमिटेड | 12,01,46,774<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 154.00 | 12,01,46,774<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 135.56 |
| 7 | - तालचर फर्टीलाइजर्स लिमिटेड | 80,54,80,825<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 794.73 | 80,54,80,825<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 808.88 |
| 8 | - तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड<br>(हानि के प्रावधान के लिए टिप्पण सं. 47 देखें) | 8,25,025<br>(प्रत्येक 10 अमेरिकी डॉलर) | - | 8,25,025<br>(प्रत्येक 10 अमेरिकी डॉलर) | - |
| 9 | - इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड | 22,23,60,000<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 201.18 | 19,80,00,000<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 196.78 |
| | गेल गैस लिमिटेड के माध्यम से | | | | |
| 10 | -आंध्र प्रदेश गैस डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 9,85,70,849<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 56.58 | 9,85,70,849<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 70.73 |
| 11 | -राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड | 650,00,000<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 86.28 | 650,00,000<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 76.99 |
| 12 | -हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड | 2,22,00,000<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 47.07 | 2,22,00,000<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 22.96 |
| 13 | -गोवा नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड | 4,00,00,000<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 39.25 | 4,00,00,000<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 38.10 |
| 14 | -पूरबा भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड | 3,16,96,600<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 31.81 | 3,16,96,600<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 30.95 |
| | dqy ¼d½ | | 2,747.00 | | 2,505.41 |
| ([k) | lac) daifu;ksa esa %<br>उद्धृत निवेश (इक्विटी शेयर) | | | | |
| 1 | -चाइना गैस होल्डिंग लिमिटेड चीन<br>(प्रति शेयर एचके डॉलर 1.15 प्रति शेयर) | 15,00,00,000<br>(एचके डालर 0.01 प्रत्येक) | 1,618.24 | 15,00,00,000<br>(एचके डालर 0.01 प्रत्येक) | 1,816.23 |
| 2 | -इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड<br>(11 नवम्बर, 2017 को 5:1 के अनुपात में विभाजित शेयर) | 15,75,00,000<br>(₹ 2 प्रत्येक) | 2,167.51 | 15,75,00,000<br>(₹ 2 प्रत्येक) | 1,784.80 |
| 3 | -पेट्रोनेट एलएनजी लि0 (पीएलएल)<br>(05 जुलाई, 2017 को प्रति शेयर ₹ 5/– के प्रीमियम पर 1,00,00,000 इक्विटी शेयर सहित, 1:1 बोनस जारी हैं) | 18,75,00,000<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 2,176.14 | 18,75,00,000<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1,908.07 |
| 4 | -महानगर गैस लिमिटेड | 3,21,02,750<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1,667.32 | 3,21,02,750<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1,343.62 |

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | | 31 मार्च, 2023 के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | राशि | शेयरों की संख्या | राशि |
| | vu)'r fuo'k ¼bfDoVh “k;j½ | | | | |
| 1 | -ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड | 99,49,45,000 (₹ 10 प्रत्येक) | - | 99,49,45,000 (₹ 10 प्रत्येक) | - |
| 2 | -फेयम गैस कंपनी (प्रति शेयर 478.95 एलई के प्रीमियम पर प्राप्त) | 19,000 (100 एलई प्रत्येक) | 14.92 | 19,000 (100 एलई प्रत्येक) | 15.10 |
| 3 | -ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीकर लिमिटेड | 99,23,69,000 (₹ 10 प्रत्येक) | 2,100.95 | 99,23,69,000 (₹ 10 प्रत्येक) | 2,236.37 |
| 4 | -रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड | 27,03,04,320 (₹ 10 प्रत्येक) | 212.08 | 27,03,04,320 (₹ 10 प्रत्येक) | 142.86 |
| 5 | ओएनजीसी त्रिपुरा पॉवर कंपनी लिमिटेड (प्रति शेयर ₹ 0.96 के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 29,12,00,000 (₹ 10 प्रत्येक) | 406.10 | 29,12,00,000 (₹ 10 प्रत्येक) | 408.89 |
| 6 | एनएनजी जापोनिका शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 260 (1 यूएसडी प्रत्येक) | 9.94 | 260 (1 यूएसडी प्रत्येक) | 2.53 |
| | ,y,ylh dh lnL;rk@Hkkxhnkjh fgr e & xj&m)'r | | | | |
| 1 | एलएलसी भारत ऊर्जा कार्यालय (20% भागीदारी हित) | (20% भागीदारी हित) | 0.56 | (20% भागीदारी हित) | 0.09 |
| | dy ¼[k½ | | **10,373.76** | | **9,658.56** |
| | bfDoVh i)fr d vulkj ys[kkfdr dy fuo'k ¼d+[k½ | | **13,120.76** | | **12,163.97** |

## टिप्पणी 5क –अन्य गैर–वर्तमान निवेश

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | | 31 मार्च, 2023 के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | राशि | शेयरों की संख्या | राशि |
| (d) | m)'r bfDoVh “k;j ¼vkvkblh d ek/;e l mfpRk eY;½ | | | | |
| 1 | -गुजरात इंडस्ट्रिज पावर कंपनी लिमिटेड (₹ 15/– रूपए प्रति शेयर के प्रीमियम पर प्राप्त ₹ 1,90,200 के इक्विटी शेयर सहित) | 5,70,600 (₹ 10 प्रत्येक) | 9.30 | 5,70,600 (₹ 10 प्रत्येक) | 4.33 |
| 2 | -ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (1999–2000 के दौरान ₹ 10/– के 3,42,66,845 शेयर ₹ 162.34 प्रति शेयर मूल्य पर प्राप्त, वर्ष 2006–07 के दौरान प्रत्येक ₹ 10/– के 1,71,33,422 बोनस शेयर प्राप्त, वर्ष 2010–11 के दौरान प्रत्येक ₹ 10/– के 5,14,00,267 इक्विटी शेयरों को प्रत्येक ₹ 5/– के इक्विटी शेयरों में तथा ₹ 5/– के जारी 1:1 बोनस में बांटा गया, इसके बाद वर्ष 2016–17 के दौरान 1:2 इक्विटी शेयरों के बोनस इश्यू प्राप्त हुए हैं)। | 30,84,01,602 (₹ 5 प्रत्येक) | 8,266.70 | 30,84,01,602 (₹ 5 प्रत्येक) | 4,658.41 |
| ([k) | vu)'r bfDoVh “k;j ¼vklhvkb d ek/;e l mfpr eY;½ | | | | |
| 1 | -साउथ ईस्ट एशिया गैस पाइपलाइन लिमिटेड | 8,347 (1 यूएसडी प्रत्येक) | 253.70 | 8,347 (1 यूएसडी प्रत्येक) | 185.50 |
| 2 | -गुजरात स्टेट एनर्जी जेनरेशन लिमिटेड | 2,07,60,000 (₹ 10 प्रत्येक) | 4.53 | 2,07,60,000 (₹ 10 प्रत्येक) | 8.43 |
| 3 | -नेचुरल गैस कंपनी 'नेट गैस'' | 30,00,000 (100 एलई प्रत्येक) | 38.53 | 30,00,000 (100 एलई प्रत्येक) | 40.83 |
| 4 | -इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड | 36,93,750 (₹ 10 प्रत्येक) | 12.65 | 36,93,750 (₹ 10 प्रत्येक) | 12.50 |
| 5 | सीईआईडी कंसल्टेंट्स एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड (₹ 555.70 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 88,386 (₹ 10 प्रत्येक) | 28.32 | 88,386 (₹ 10 प्रत्येक) | 19.37 |
| 6 | डुसेरे टेक्नोलाजिज प्रा. लिमिटेड (₹ 596.34 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 49,477 (₹10 each) | 3.94 | 49,477 (₹10 each) | 3.73 |

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | | 31 मार्च, 2023 के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | राशि | शेयरों की संख्या | राशि |
| 7 | पीआई बीम लैब्स प्राइवेट लिमिटेड<br>(प्रति शेयर ₹ 14,319.45 के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 3,489<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 19.38 | 3,489<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 5.00 |
| 8 | जोंटा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड<br>(प्रति शेयर ₹ 9,018.78 के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 5,537<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 9.08 | 5,537<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 5.00 |
| (x) | अनुद्धृत वरीयता शेयर | | | | |
| 1 | –आंध्र प्रदेश गैस डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड (एपीजीडीसीएल) ₹ 10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 9% संचयी अनिवार्य परिवर्तनीय वरीयता शेयर | 10,00,00,000<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 100.00 | 10,00,00,000<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 100.00 |
| (?k) | &,QohVhvkl hvkbl &LVkVl vi dkifu;ka ea vu)r bfDoVh 'kş;j | | | | |
| 1 | –जेवी फूडवर्क्स प्रा. लिमिटेड<br>(₹ 5,524.49 प्रति शेयर के प्रीमियम पर 180 इक्विटी शेयर अधिग्रहित किए गए और ₹ 4,459.27 प्रति शेयर के प्रीमियम पर 2,909 इक्विटी शेयर अधिग्रहित किए गए) | 3,854<br>(₹ 10 प्रत्येक) | - | 3,854<br>(₹ 10 प्रत्येक) | - |
| 2 | –भगवानदास रिटेल प्रा. लिमिटेड<br>(₹ 8,976 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 467<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 0.42 | 467<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 0.42 |
| 3 | टाचे टेक्नोलॉजिज प्रा. लिमिटेड<br>(₹ 890.98. प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 1,307<br>(₹ 10 प्रत्येक) | - | 1,307<br>(₹ 10 प्रत्येक) | - |
| 4 | क्षुमत एनर्जी प्रा. लिमिटेड<br>(₹ 5,990 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 2,499<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1.50 | 2,499<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1.50 |
| 5 | सर्वोदय इंफोटेक प्रा. लिमिटेड<br>(₹ 2,240.23 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 5,555<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1.25 | 5,555<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1.25 |
| 6 | –परसेपियन इनोवेशंस प्रा. लिमिटेड<br>(₹ 3,79,994.18 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 52<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1.98 | 52<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1.98 |
| 7 | टिचीजुनो स्पेशियलिटी टायर्स प्रा. लिमिटेड<br>(₹ 13,418.57 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 2,234<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 3.00 | 2,234<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 3.00 |
| 8 | वीडीटी पाइपलाइन सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड<br>(₹ 22,490 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 1,111<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 2.50 | 1,111<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 2.50 |
| 9 | फेदरडाइन प्राइवेट लिमिटेड<br>(₹ 8,490 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 1,764<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1.50 | 1,764<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1.50 |
| 10 | आरडी ग्रो ग्रीन इंडिया प्रा0 लिमिटेड<br>(₹ 752.72 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 10,095<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 0.77 | 10,095<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 0.77 |
| 11 | जुनिक एनर्जिज प्रा. लिमिटेड<br>(₹ 8,387.14 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 1,190<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1.00 | 1,190<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1.00 |
| 12 | वासिटर्स प्रा. लिमिटेड<br>(₹ 3,250 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 4,907<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1.60 | 4,907<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1.60 |
| 13 | जिओ क्लाइमेट रिस्क सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड<br>(₹ 17,990 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 1,111<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 2.00 | 1,111<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 2.00 |
| 14 | आईआरओवी टेक्नोलॉजी प्रा0 लि0<br>(₹ 15,740 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 1,904<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 3.00 | 1,904<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 3.00 |
| 15 | आर्कटरस बिजनेस सॉल्यूशन प्रा. लिमिटेड<br>(₹ 1,037.14 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 9,549<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1.00 | 9,549<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1.00 |
| 16 | क्रिया लेब्स प्रा. लिमिटेड<br>(₹ 1,000 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 5,940<br>(₹ 10 प्रत्येक) | - | 5,940<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 0.60 |
| 17 | क्वानटिओन पावरट्रेन प्रा. लिमिटेड<br>(₹ 1,249.26 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 27,794<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 3.50 | 27,794<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 3.50 |

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | | 31 मार्च, 2023 के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | राशि | शेयरों की संख्या | राशि |
| 18 | प्रायोगिक टेक्नोलॉजी प्रा. लिमिटेड<br>(₹ 286.30 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 20,248<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 0.60 | 20,248<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 0.60 |
| 19 | याली मोबिलिटी प्रा. लिमिटेड<br>(₹ 11,728.21 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 1,073<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1.26 | 1,073<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1.26 |
| 20 | सेलेट्रिक ऑटोमोटिव ड्राइव्य प्रा. लिमिटेड<br>(₹ 13,322.34 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 1,770<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 2.36 | 1,770<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 2.36 |
| 21 | ओरक्सा एनर्जिज प्रा. लिमिटेड<br>(₹ 3,631.33 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 14,033<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 5.11 | 14,033<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 5.11 |
| 22 | क्लीनर्जी टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (प्रति शेयर ₹ 14,319.45 के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 1,290<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 0.50 | 1,290<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 0.50 |
| 23 | एलआर एनर्जी वृंदावन प्रा. लिमिटेड | 18,00,000<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1.80 | 18,00,000<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1.80 |
| 24 | कार्गोसाइट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड<br>(₹ 48,901.09 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 408<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 2.00 | 408<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 2.00 |
| 25 | जायमा एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड<br>(₹ 31,509.87 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 475<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1.50 | 475<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1.50 |
| 26 | गुड मूव लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड<br>(प्रति शेयर 3,769.86 के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 1,322<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 0.50 | 1,322<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 0.50 |
| 27 | उपक्रम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड<br>(प्रति शेयर ₹ 1,190.48 के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 8,311<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1.50 | - | - |
| 28 | नवगति टेक प्राइवेट लिमिटेड<br>(प्रति शेयर ₹ 29,260.80 के प्रीमियम पर अधिग्रहित) | 341<br>(₹ 10 प्रत्येक) | 1.00 | - | - |
| | mi ;kx ¼d vkj [k½ | | **8,789.28** | | **5,084.35** |

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | | 31 मार्च, 2023 के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | राशि | शेयरों की संख्या | राशि |
| **(M-)** | लागत पर गैर–उद्धृत इक्विटी शेयर (सहकारी समितियां) | | | | |
| 1 | – ग्रीन फील्ड (बी) को–ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, मुंबई | - | - | 40<br>(₹ 50 प्रत्येक) | - |
| 2 | – एविलियन ग्रीनफील्ड्स को–ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, मुंबई | - | - | 5<br>(₹ 50 प्रत्येक) | - |
| 3 | – सूरज हाइट्स ए को–ऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, मुंबई | - | - | 15<br>(₹ 50 प्रत्येक) | - |
| | mi ;kx ¼M-½ | - | - | | - |
| | dqy vU; fuos'k | | 8,789.28 | | 5,084.35 |

fVIif.k;k %

| | | |
|---|---|---|
| उद्धृत निवेशों की औसत राशि | | |
| –बही मूल्य (वहन मूल्य पर) | 15,905.21 | 11,515.46 |
| –बाजार मूल्य | 25,502.72 | 20,578.25 |
| अनुद्धृत निवेश की औसत राशि (वहन मूल्य पर) | 6,004.83 | 5,732.86 |

क) सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/संबद्ध कंपनियों में से, कुछ शेयर गेल सहित संयुक्त रूप से गेल कर्मचारियों के नाम पर हैं।

ख) निवेश का मूल्य लेखांकन नीति सं. 1.21 के अनुसार टिप्पणी सं.1 में दिया गया है।

ग) सहायक कंपनी, सम्बद्ध और संयुक्त उद्यमों के अलावा निवेश का मूल्य प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को ओसीआई के जरिए उचित मूल्य पर लगाया गया है।

घ) स्टार्ट–अप कंपनियों में किया गया निवेश और उसका उचित मूल्य, आरंभिक 10 वर्षों के लिए बही मूल्य के बराबर माना जाता है, बशर्ते कि इसमें कोई बड़ा परिवर्तन न हो।

## टिप्पणी 6 –व्यापार प्राप्तियां – गैर –वर्तमान

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | | 31 मार्च, 2023 के अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| | संबंधित पार्टियों से | | 331.84 | | 331.84 |
| | अन्य से | | 1,284.85 | | 1,333.18 |
| | | | 1,616.69 | | 1,665.02 |
| | घटाएं : संभावित ऋण हानि के लिए प्रावधान | | 567.00 | | 617.04 |
| | d।y | | **1,049.69** | | **1,047.98** |

## टिप्पणी 6क –व्यापार प्राप्तियां – वर्तमान

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | | 31 मार्च, 2023 के अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| | संबंधित पार्टियों से | | 1,096.32 | | 2,085.83 |
| | अन्य से | | 8,568.73 | | 8,702.00 |
| | | | 9,665.05 | | 10,787.83 |
| | घटाएं : संभावित ऋण हानि के लिए प्रावधान | | 84.78 | | 108.22 |
| | d।y | | **9,580.27** | | **10,679.61** |

0;kikj çkI; dk cdvi

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | | 31 मार्च, 2023 के अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| | गैर–वर्तमान | | | | |
| | सही माने गए – सुरक्षित | - | | - | |
| | संदिग्ध माने गए – असुरक्षित | 1,049.69 | | 1,047.98 | |
| | व्यापार प्राप्तियां जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है | - | | - | |
| | व्यापार प्राप्य – ऋण क्षति | 567.00 | | 617.04 | |
| | | **1,616.69** | | **1,665.02** | |
| | घटाएं : संभावित ऋण हानि के लिए प्रावधान | 567.00 | **1,049.69** | 617.04 | **1,047.98** |
| | वर्तमान | | | | |
| | सही माने गए – सुरक्षित | - | | - | |
| | संदिग्ध माने गए – असुरक्षित | 9,665.05 | | 10,787.83 | |
| | व्यापार प्राप्तियां जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है | | | | |
| | व्यापार प्राप्य – ऋण क्षति | | | | |
| | | **9,665.05** | | **10,787.83** | |
| | घटाएं : संभावित ऋण हानि के लिए प्रावधान | 84.78 | **9,580.27** | 108.22 | **10,679.61** |
| | d।y | | **10,629.96** | | **11,727.59** |

## टिप्पणी 7 – ऋण – गैर–वर्तमान

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | | 31 मार्च, 2023 के अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| | ऋण : | | | | |
| | संबंधित पक्षकारों को | | | | |
| | असुरक्षित, सही माने गए | | | | |
| | –सम्बद्ध कंपनियों को ऋण | | - | | - |
| | –संयुक्त उद्यमों को ऋण (असुरक्षित सही माने गए) | | 3.75 | | **11.45** |
| | कर्मचारियों को | | | | |
| | –सुरक्षित, सही माने गए | 224.14 | | 211.43 | |
| | (निदेशकों और अधिकारियों से देय ₹ 1.00 करोड़ सहित) (गत वर्ष: ₹ 1.00 करोड़) | | | | |
| | –असुरक्षित, सही माने गए | 77.96 | 302.10 | 58.33 | 269.76 |
| | d।y | | **305.85** | | **281.21** |

## टिप्पणी 7क– ऋण – वर्तमान

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | | 31 मार्च, 2023 के अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| | _.k ½ | | | | |
| | संबंधित पक्षकारों को | | | | |
| | – संयुक्त उद्यम | | 3.75 | | - |
| | कर्मचारियों को | | | | |
| | –सुरक्षित | 54.87 | | 51.72 | |
| | (निदेशकों और अधिकारियों से देय ₹ 0.21 करोड़ सहित) | | | | |
| | (गत वर्ष: ₹ 0.17 करोड़) | | | | |
| | - असुरक्षित | 14.00 | 68.87 | 16.27 | 67.99 |
| | dqy | | **72.62** | | **67.99** |

## टिप्पणी 8 – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां – गैर वर्तमान

## (अरक्षित को अच्छी मानी जाएं अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो)

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | | 31 मार्च, 2023 के अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| | व्युत्पन्न संविदाओं के लिए प्राप्य (हेज युक्त/गैर–हेज युक्त) | | 249.64 | | 456.01 |
| | इक्विटी निवेश लंबित आबंटन | | - | | 21.38 |
| | वित्त पट्टा प्राप्य | | 5.32 | | 7.47 |
| | बारह माह से अधिक बैंक जमा के साथ शेष राशि | | 0.26 | | - |
| | अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | | 2.83 | | - |
| | Hkxrku dh xbZ lqj{kk tek jkf'k½ | | | | |
| | – असुरक्षित, अच्छी मानी गईं | 71.31 | | 65.96 | |
| | – असुरक्षित, संदिग्ध मानी गईं | 11.33 | | 7.19 | |
| | | 82.64 | | 73.15 | |
| | घटा : संदिग्ध जमाराशियों के लिए प्रावधान | 11.33 | 71.31 | 7.19 | 65.96 |
| | dqy | | **329.36** | | **550.82** |

**टिप्पणी 8क– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां – वर्तमान**

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | | 31 मार्च, 2023 के अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0;qRiUu lafonkvksa ds fy, izkI; ¼gst ;qDr@xSj&gst ;qDr½ | | | | |
| | अन्य प्राप्य : | | 413.71 | | 472.72 |
| | lacf/kr i{kdkjksa ls | | | | |
| | –सम्बद्ध कंपनियों से | | | | |
| | –संयुक्त उद्यमों से | 1.96 | | 2.69 | |
| | | 90.46 | 92.42 | 69.27 | 71.96 |
| | अन्य से | | 93.70 | | 360.20 |
| | वित्त पट्टा प्राप्य | | 2.16 | | 2.13 |
| | प्राप्त लाभांश | | | | |
| | – संबंधित पार्टियों से | | - | | 141.75 |
| | lqj{kk tek jkf'k | | | | |
| | अच्छी मानी गईं – असुरक्षित | | 928.58 | | 751.96 |
| | – ब्याज प्रोद्भूत लेकिन देय नहीं | | 9.79 | | 23.07 |
| | dqy | | **1,540.36** | | **1,823.79** |

## टिप्पणी 9 – गैर–वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | | 31 मार्च, 2023 के अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| | लंबित मांग की तुलना में अग्रिम आय कर | | | | |
| | –असुरक्षित अच्छी मानी गईं | 762.09 | | 458.77 | |
| | –असुरक्षित संदिग्ध मानी गईं | 3.66 | | 20.26 | |
| | | 765.75 | | 479.03 | |
| | घटाएं : लंबित मांग की तुलना में संदिग्ध अग्रिम आय कर के लिए प्रावधान | 3.66 | 762.09 | 20.26 | 458.77 |
| | अग्रिम कर | 2,813.77 | | 1,782.10 | |
| | घटाएं : कर के लिए प्रावधान (एमएटी ऋण पात्रता का निवल) | 2,687.42 | 126.35 | 1,496.74 | 285.36 |
| | d\|y | | **888.44** | | **744.13** |

## टिप्पणी 10 – माल सूची

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | | 31 मार्च, 2023 के अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| | dPpk eky | | | | |
| | गैस का स्टॉक (कैलोरीफिक मान के समायोजन पश्चात) | | 154.59 | | 15.88 |
| | iØh;k/khu dk;l | | | | |
| | कच्चा स्टॉक | | 9.61 | | 17.45 |
| | r\|;kj eky | | | | |
| | पॉलीमर/एलपीजी और अन्य उत्पाद | | 711.64 | | 891.47 |
| | 0;kikj e, LVkd% | | | | |
| | तरलीकृत प्राकृतिक गैस सहित गैस का स्टॉक' (कैलोरीफिक मूल्य के समायोजन के बाद) | | 3,583.97 | | 3,333.92 |
| | HkMkj vkj vfrfjDr i\|tl | | | | |
| | भंडार और अतिरिक्त पुर्जे | 1,482.30 | | 1,639.62 | |
| | घटाएं : अप्रचलन/हानि के लिए प्रावधान | 17.78 | 1,464.52 | 24.54 | 1,615.08 |
| | ekxLFk e | | | | |
| | भंडार और अतिरिक्त पुर्जे | | 45.67 | | 44.12 |
| | d\|y | | **5,970.00** | | **5,917.92** |

(*मार्गस्थ में ₹ 219.95 करोड़ सहित (गत वर्ष: ₹ 483.33 करोड़)

एनआरवी में मांग सूची की बट्टे खाते में डाली गई राशि और व्यय ₹ 104.86 करोड़ (गत वर्ष – ₹ 380.84 करोड़) माना गया।

लेखांकन नीति सं. 1.8 के अनुसार माल सूची का मूल्यांकन किया जाता है।

## टिप्पणी 11– नकद और नकद समकक्ष

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | | 31 मार्च, 2023 के अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| | **बैंकों में शेष राशि** | | | | |
| | –चालू खातों में | | 115.37 | | 141.03 |
| | –तीन माह से कम मूल परिपक्वता के साथ जमा | | 854.29 | | 99.41 |
| | टीआरईपीएस/सीआरओएमएस | | 169.84 | | - |
| | हाथ में नकदी | | 5.02 | | 2.35 |
| | अग्रदाय अग्रिम | | 1.22 | | 0.88 |
| | अन्य (जमा मार्गस्थ में) | | 0.29 | | 0.10 |
| | **कुल** | | **1,146.03** | | **243.77** |

## टिप्पणी 11क – नकद और नकद समकक्ष के अलावा बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | | 31 मार्च, 2023 के अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| | अन्य बैंक शेष (तीन माह से अधिक मूल परिपक्वता वाले स्थायी जमा) | | 317.85 | | 561.59 |
| | fu/kkfjr [kkr% | | | | |
| | –चालू खाता – भुगतान योग्य लाभांश | | 5.37 | | 134.01 |
| | –अल्पावधि जमा – गैस पूल धनराशि (अर्जित ब्याज सहित लेकिन ₹ 1.91 करोड़ देय नहीं) (गत वर्ष: ₹ 2.23 करोड़) (पृथक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 37(ii) देखें) | | 97.70 | | 91.42 |
| | –अल्पावधि जमा – कोर्ट केस | | 34.14 | | - |
| | –अन्य (ग्रुप कंपनियों द्वारा) | | 111.04 | | 72.18 |
| | d.y | | **566.10** | | **859.20** |

## टिप्पणी 12 – अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | | 31 मार्च, 2023 के अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| | ithxr vfxe% | | | | |
| | –असुरक्षित, अच्छी मानी गईं | 793.32 | | 601.69 | |
| | –असुरक्षित, संदिग्ध मानी गईं | 7.73 | | 0.35 | |
| | | 801.05 | | 602.04 | |
| | घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान | 7.73 | 793.32 | 0.35 | 601.69 |
| | vfxe] ithxr vfxek d vykok% | | | | |
| | ljdkjh ikf/kdkfj;k d ikl 'k"k | | | | |
| | असुरक्षित, अच्छी मानी गईं : | | | | |
| | oV _.k ikI; | 0.79 | | 12.66 | |
| | बिक्री कर/न्यायालय मामले | 0.37 | 1.16 | 1.10 | 13.76 |
| | वसूली योग्य दावे | | | | |
| | & vljf{kr vPNh ekuh xb | - | - | 10.55 | 10.55 |
| | अन्य अग्रिम (एक सम्बद्ध के लिए ₹ 248.23 करोड़ के अग्रिम सहित) (गत वर्ष ₹ 286.43 करोड़.) | | 248.21 | | 296.64 |
| | iol Hkxrku | | | | |
| | पूर्व भुगतान व्यय | | 6.45 | | 22.46 |
| | पूर्व भुगतान कर्मचारी व्यय (कर्मचारियों को ऋण) | | 97.62 | | 89.13 |
| | d.y | | **1,146.76** | | **1,034.23** |

## टिप्पणी 12क– अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | | 31 मार्च, 2023 के अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| | ljdkjh ikf/kdkfj;k d ikl 'k"k | | | | |
| | असुरक्षित, अच्छी मानी गईं : | | | | |
| | सेनवैट ऋण प्राप्य | 0.71 | | 0.73 | |
| | जीएसटी प्राप्य | 624.65 | | 265.59 | |
| | वैट ऋण प्राप्य | 67.05 | 692.41 | 25.52 | 291.84 |
| | olyh ;kX; nko | | | | |
| | –असुरक्षित अच्छी मानी गईं : | 394.15 | | 197.89 | |
| | –असुरक्षित अच्छी मानी गईं : | 17.96 | | 20.68 | |

| क्र. सं. | विवरण | | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | | 31 मार्च, 2023 के अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | 412.11 | | 218.57 | |
| | घटाएं : संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान | 17.96 | 394.15 | 20.68 | 197.89 |
| | vU; vfxze | | 127.63 | | 115.90 |
| | (एक सम्बद्ध के लिए ₹ 38.20 करोड़ के अग्रिम सहित) | | | | |
| | (गत वर्षः ₹ 38.20 करोड़) | | | | |
| | vkifrdrkvk@lfonkdkjk dk vfxze | | | | |
| | –असुरक्षित अच्छी मानी गईं | 65.86 | | 84.81 | |
| | –असुरक्षित संदिग्ध मानी गईं | 17.49 | | 22.83 | |
| | | 83.35 | | 107.64 | |
| | घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान | 17.49 | 65.86 | 22.83 | 84.81 |
| | depkfj;k dk vfxze | | | | |
| | अच्छी मानी गईं – असुरक्षित | | 1.03 | | 1.93 |
| | पूर्व भुगतान | | | | |
| | पूर्व भुगतान व्यय | | 88.45 | | 233.22 |
| | पूर्व भुगतान कर्मचारी लाभ | | 26.90 | | 12.82 |
| | dy | | **1,396.43** | | **938.41** |

## टिप्पणी 13 – इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | | 31 मार्च, 2023 के अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| | 'k;j ith | | | | |
| | अधिकृत | | | | |
| | प्रत्येक ₹ 10/– के 500,00,00,000 इक्विटी शेयर' | | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| | ¼xr o"k iR;d ₹ 10@& d 500]00]00]000 bfDoVh 'k;j½ | | | | |
| | जारी, अभिदत्त और पूर्ण प्रदत्त | | | | |
| | प्रत्येक ₹ 10/– के 6,57,50,99,643 इक्विटी शेयर | | 6,575.10 | | 6,575.10 |
| | (गत वर्ष प्रत्येक ₹ 10/– के 4,44,03,85,225 इक्विटी शेयर) | | | | |
| | dy | | **6,575.10** | | **6,575.10** |

## वर्ष के आरंभ में और अंत में बकाया शेयरों का मिलान

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च, 2023 के अनुसार | | 31 मार्च, 2022 के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| | o"k d vkjHk e | 6,57,50,99,643 | 6,575.10 | 4,44,03,85,225 | 4,440.39 |
| | वर्ष के दौरान बोनस शेयर | - | - | 2,19,16,99,881 | 2,191.70 |
| | वर्ष के दौरान बोनस शेयरों की वापस खरीद | - | - | (5,69,85,463) | (56.98) |
| | o"k d vr e cdk;k | **6,57,50,99,643** | **6,575.10** | **6,57,50,99,643** | **6,575.10** |

## संबंधित सूचना :–

d½ diuh e 5% l vf/kd 'k;j /kkfjr dju oky 'k;j/kkjdk dk C;kjk

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च, 2023 के अनुसार | | 31 मार्च, 2022 के अनुसार | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | प्रतिशत धारिता | संख्या | प्रतिशत धारित |
| i) | भारत के राष्ट्रपति (प्रमोटर) | 3,38,75,76,864 | 51.52 | 3,38,75,80,047 | 51.52 |
| ii) | एलआईसी यूलिप ग्रोथ फंड | 46,66,98,486 | 7.10 | 51,68,24,126 | 7.86 |

[k½ iekVjk dh 'k;j/kkfjrk dk fooj.k

| क्र.सं. | 31 मार्च 2024 की समाप्ति पर प्रमोटरों द्वारा धारिता शेयर | | | वर्ष के दौरान % परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|
| | प्रमोटर का नाम | संख्या | कुल शेयरों का % | |
| 1 | भारत के राष्ट्रपति | 3,38,75,76,864 | 51.52 | 0.00% |

| क्र.सं. | 31 मार्च 2024 की समाप्ति पर प्रमोटरों द्वारा धारिता शेयर | | | वर्ष के दौरान % परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|
| | प्रमोटर का नाम | संख्या | कुल शेयरों का % | |
| 1 | भारत के राष्ट्रपति | 3,38,75,80,047 | 51.52 | 0.07% |

ग) कंपनी में ₹ 10/– प्रति शेयर के समकक्ष मूल्य वाले केवल एक वर्ग के इक्विटी शेयर ही हैं। इक्विटी शेयरों के धारक समय–समय पर घोषित अनुसार लाभांश प्राप्त करने के पात्र हैं तथा शेयरधारकों की बैठकों में उनके शेयर धारण के अनुपात में मताधिकारों के लिए पात्र हैं।

घ) 4,77,40,994 शेयर (गत वर्षः 4,87,93,407) वैश्विक भंडार प्राप्तियों के रूप में धारित हैं।

ड.) कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान जारी किए गए 2,19,16,99,881 बोनस शेयरों और वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान जारी किए गए 2,25,50,70,933 बोनस शेयरों को छोड़कर, तत्काल पूर्ववर्ती पांच वर्षों में नकदी के अलावा किसी अन्य प्रतिलाभ के लिए कोई शेयर जारी नहीं किया है।

च) कंपनी ने 5,69,85,463 पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयर वापस खरीदे, जो भुगतान की गई शेयर पूंजी का 1.28% प्रतिनिधित्व करते हैं, कुल राशि ₹ 1,082.72 करोड़ (करों को छोड़कर) ₹ 190 प्रति इक्विटी शेयर पर। वापस खरीदे गए इक्विटी शेयर 21 जून 2022 को समाप्त हो गए। कंपनी ने 6,97,56,641 पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों को वापस खरीदा, जो भुगतान की गई शेयर पूंजी का 1.55% प्रतिनिधित्व करते हुए कुल राशि ₹ 1,046.35 करोड़ (करों को छोड़कर) ₹ 150 प्रति इक्विटी शेयर पर खरीदा गया। वापस खरीदे गए इक्विटी शेयर 22 मार्च 2021 को समाप्त हो गए।

## टिप्पणी 14 – अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | | 31 मार्च, 2023 के अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| | d½ ifr/kkfjr vk; ikjfHkd 'ks"k | **52,168.96** | | **49,356.98** | |
| | योग : अवधि के लिए लाभ | 9,899.22 | | 5,616.00 | |
| | योग : परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः माप | (159.49) | | 102.60 | |
| | घटाएं : जारी बोनस शेयर | - | 61,908.69 | 15.08 | 55,060.50 |
| | ;kx% ledu ij leg dk ifu;ks dh ifr/kkfjr vk; dk lek;kstu | | (115.76) | | 178.16 |
| | योग : इक्विटी शेयरों के एफवीटीओसीआई पर निवल लाभ/(हानि) (कर का निवल) इक्विटी प्रतिभूतियों के एफवीटीओसीआई पर लाभ/(हानि) से पुनर्वर्गीकृत' | | - | | - |
| | ?kVk,a% bfDoVh 'ks;jksa dh ,QohVhvkslhvkbZ ij orZeku dj ij fuoy ykHk@¼gkfu½ | | - | | - |
| | घटाएं : विनियोजन से | | | | |
| | –बॉन्ड विमोचन रिजर्व में/(से) अंतरण | - | | - | |
| | –सामान्य रिजर्व में अंतरण | - | | - | |
| | –अंतिम लाभांश | 1.03 | | 439.66 | |
| | –लाभांश | 3,616.30 | 3,617.33 | 2,630.04 | 3,069.70 |
| | योग : विनियोजन | | | | |
| | –बांड विमोचन रिजर्व से अंतरण | | - | | - |
| | dqy ¼d½ | | **58,175.60** | | **52,168.96** |

| क्र.सं. | विवरण | | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | | 31 मार्च, 2023 के अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| | [k½ vU; fjtoZ | | | | |
| | – iwathxr fjtoZ | | | | - |
| | – प्रारंभिक शेष | 984.24 | | 984.13 | |
| | – अवधि के दौरान अंतरण | 2,764.69 | 3,748.93 | 0.11 | 984.24 |
| | बॉन्ड विमोचन रिजर्व | | | | |
| | प्रारंभिक शेष | | | - | |
| | योग : प्रतिधारित आय से विनियोजन | - | | - | |
| | घटाएं: प्रतिधारित आय से अंतरण | - | - | - | - |
| | – iwathxr foekspu fjtoZ | | | | |
| | – प्रारंभिक शेष | 126.74 | | 69.76 | |
| | – वर्ष के दौरान सामान्य रिजर्व से अंतरण | - | 126.74 | 56.98 | 126.74 |
| | – fons'kh eqnzk ifjorZu fjtoZ | | | | |
| | –प्रारंभिक शेष | 375.00 | | 187.83 | |
| | –अवधि के दौरान एफसीटीआर | 47.35 | 422.35 | 187.17 | 375.00 |
| | – lkekU; fjtoZ | | | | |
| | – प्रारंभिक शेष | - | | 3,505.49 | |
| | घटाएं: शेयरों की वापस खरीद (वापस खरीद कर और वापस खरीद व्यय सहित) | - | | 1,271.90 | |
| | घटाएं: पूंजीगत विमोचन रिजर्व में अंतरित | - | | 56.98 | |
| | घटाएं: जारी बोनस शेयर | - | - | 2,176.61 | - |
| | – bfDoVh ifrHkwfr;ksa dh ,QohVhvkslhvkbZ ij ykHk@¼gkfu½ | | | | |
| | – प्रारंभिक शेष | 4,205.44 | | 4,562.04 | |
| | – वर्ष के लिए उचित मूल्य लाभ/(हानि) | 3,467.82 | | (356.60) | |
| | – घटाएं: प्रतिधारित आय को अंतरित इक्विटी शेयरों की एफवीटीओसीआई पर निवल लाभ/(हानि)' | | 7,673.26 | - | 4,205.44 |
| | – नकदी प्रवाह हेज रिजर्व | | | | |
| | – प्रारंभिक शेष | 491.95 | | 1,007.66 | |
| | – वर्ष के लिए नकदी प्रवाह हेज पर लाभ/(हानि) | (216.75) | 275.20 | (515.71) | 491.95 |
| | mi ;ksx ¼x½ | | **12,246.48** | | **6,183.37** |
| | dqy ;ksx ¼d$[k$x½ | | **70,422.08** | | **58,352.33** |

i) वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹ 5.50 प्रति शेयर (गत वर्ष: ₹ 4.00 प्रति शेयर) के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है।

fjtoZ dh çÑfr vkSj mís';

d- ifr/kkfjr vk;

प्रतिधारित आय कंपनी की संचित आय को दर्शाती है। प्रतिधारित आय कंपनी का एक फ्री रिजर्व है और इसका उपयोग निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार बोनस शेयर जारी करने, शेयरों को वापस खरीदने और अन्य उद्देश्यों (जैसे लाभांश की घोषणा करने आदि) के लिए किया जाता है। इसमें परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्माप लाभ/(हानि) शामिल है जिसे बाद की अवधियों में लाभ एवं हानि विवरण के रूप में पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

[k- iwath fjMEi'ku fjtoZ

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, पूंजी रिडेम्पशन रिजर्व तब बनाया जाता है जब कंपनी अपने शेयरों को आरक्षित या प्रतिभूति प्रीमियम पर मुफ्त में खरीदती है। खरीदे गए शेयरों के नाममात्र मूल्य के बराबर राशि को कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस आरक्षित निधि का उपयोग कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है।

x- bfDoVh fy[krksa dk mfpr eY;

यह रिजर्व कंपनी द्वारा अन्य संस्थाओं के इक्विटी लिखितों में किए गए निवेश के उचित मूल्य में उतार–चढ़ाव के संचयी प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे परिवर्तनों पर होने वाले संचयी लाभ या हानि को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से पहचाना जाता है और इस रिजर्व के तहत संचित किया जाता है। इसे बाद की अवधि में लाभ और हानि विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

?k- udn izokg gst fjtoZ

नकद प्रवाह हेज रिजर्व, नकद प्रवाह हेज के लिए दर्ज किए गए हेजिंग लिखतों के निर्दिष्ट हिस्से के उचित मूल्य में परिवर्तन पर होने वाले लाभ/(हानि) के संचयी प्रभावी हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे परिवर्तनों पर होने वाले संचयी लाभ/(हानि) को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से पहचाना जाता है और इस रिजर्व के तहत संचित किया जाता है। ऐसे लाभ/(हानि) को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा जिसमें हेज की गई वस्तु होती है/यह लाभ और हानि के विवरण को प्रभावित करता है।

M- fons'kh eqnzk ifjorZu fjtoZ

यह रिजर्व भारतीय रुपए के अलावा अन्य कार्यात्मक मुद्रा रखने वाली समूह संस्थाओं पर लागू समेकन प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर के संचयी प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है, और भारतीय लेखा मानक 21 "विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव" के अनुसार विदेशी परिचालन के निपटान तक रखता है। .

p- iwath HkaMkj

पूंजी रिजर्व व्यावसायिक संयोजनों के माध्यम से बनाया गया था और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार इसका उपयोग किया जाएगा।

## टिप्पण: 15 – उधार – गैर–वर्तमान

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | | 31 मार्च, 2023 के अनुसार |
|---|---|---|---|---|
| lqjf{kr _.k | | | | |
| सावधि ऋण: | | | | |
| rsy m\|ksx fodkl cksMZ ¼vksvkÃMhch½ ls | | 1,343.75 | | 768.75 |
| (वित्त वर्ष 2019–20, 2020–21 और 2023–24 के दौरान लिया गया ऋण संवितरण की तारीख से दो साल की अवधि की समाप्ति के बाद 8 समान वार्षिक किश्तों में चुकाया जा सकता है। वित्त वर्ष 19–20 और 20–21 में लिए गए ऋण पर निश्चित ब्याज दर लागू होती है और वित्त वर्ष 23–24 में लिए गए ऋण पर अस्थिर ब्याज दर लागू होती है) (उधारकर्ता की जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा पाइपलाइन (कंप्रेसर स्टेशनों को छोड़कर) की धारा 2ख की सभी चल अचल संपत्तियों (वर्तमान और भविष्य दोनों) पर प्रथम दृष्टिबंधक प्रभार, जिसमें इसकी स्पर लाइनें, संयंत्र और मशीनरी, पुर्जे, उपकरण, औजार और सहायक उपकरण और अन्य चल संपत्तियां वर्तमान और भविष्य दोनों शामिल हैं, जो उधारकर्ता या उधारकर्ता के किसी भी एजेंट के परिसर, गोदाम, स्टॉकयार्ड और गोदामों में पड़ी हैं या स्थापित की गई हैं या लाई जानी हैं।) | | | | |
| cSadksa ls | | | | |
| ,pMh,Qlh cSad | | 1,333.33 | | 1,500.00 |
| (अधिस्थगन की समाप्ति के बाद 48 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाएगा और किस्त का पुनर्भुगतान 30 जून 2021 से शुरू होगा। ऋण पर फ्लोटिंग ब्याज दर लागू होती है।) | | | | |
| (केवल दहेज – विजयपुर पाइपलाइन चरण ।। (डीवीपीएल–।।) (झाबुआ और विजयपुर में कंप्रेसर स्टेशनों को छोड़कर) के संबंध में, चल संपत्तियों और चल अचल संपत्तियों पर पहले समान दृष्टि दृष्टिबंधक शुल्क के माध्यम से सुरक्षित) | | | | |
| ,pMh,Qlh cSad | | 750.00 | | 1,500.00 |
| (अधिस्थगन की समाप्ति के बाद 16 समान तिमाही किस्तों में चुकौती और किस्त का पुनर्भुगतान 30 जून 2022 से शुरू होगा। ऋण पर फ्लोटिंग ब्याज दर लागू होती है। पाता पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में उधारकर्ता के प्लांट और मशीनरी, जिसमें पाता में एलपीजी संयंत्र और दिबियापुर कंप्रेसर स्टेशन, जिला: औरैया, उत्तर प्रदेश शामिल है, के सभी अधिकारों, स्वामित्व, समस्त सुविधाएं, ब्याज और लाभ पर पहला समरूप दृष्टिबंधक शुल्क। | | | | |
| cSad vkWQ bafM;k | | 1,586.67 | | 2,493.33 |
| (अधिस्थगन की समाप्ति के बाद 15 समान तिमाही किस्तों में भुगतान किया जाएगा और किस्त की चुकौती 30 जून 2023 से शुरू होगी। ऋण पर फ्लोटिंग ब्याज दर लागू होती है। | | | | |

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | | 31 मार्च, 2023 के अनुसार |
|---|---|---|---|---|
| जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा पाइपलाइन (कंप्रेसर स्टेशनों को छोड़कर) की धारा 1 और धारा 3क के संबंध में, सभी अधिकारों, शीर्षक, सुख सुविधाओं, ब्याज तथा लाभ पर सभी और एकल में पहला समरूप दृष्टिबंधक प्रभार, जिसमें इसकी स्पर लाइनें, संयंत्र और मशीनरी, पुर्जे, उपकरण, टूल और सहायक उपकरण और अन्य चल अचल संपत्तियां वर्तमान और भविष्य दोनों शामिल हैं, जो उधारकर्ता या उधारकर्ता के किसी भी एजेंट के परिसर, गोदाम, स्टॉकयार्ड और गोदामों में पड़ी हैं या स्थापित की गई हैं या लाई जाने वाली हैं। | | | | |
| i tkc u'kuy cd | | 3,500.00 | | - |
| (2 वर्ष की स्थगन अवधि की समाप्ति के बाद 32 समान तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है और किस्तों का पुनर्भुगतान 31 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। ऋण पर ब्याज दर अस्थिर है।) | | | | |
| विजयपुर कोटा मेन पाइपलाइन, अम्बेवाड़ी उसर पाइपलाइन, वीडीपीएल–विजयपुर–छाइंसा पाइपलाइन भाग–I, विजयपुर औरैया पाइप लाइन–यूपी सेक्शन एनडीवी019, मुख्य लाइन–एमपी मुख्य लाइन–36" 27.40 किमी वीएपीएल एनडीवी017, मुख्य लाइन (ओडिशा), डीएपीएल, एनएचजे/005, (कंप्रेसर स्टेशनों को छोड़कर) से संबंधित उधारकर्ता की सभी चल अचल संपत्तियां के संबंध में सभी अधिकारों, शीर्षक, सुख सुविधाएं, ब्याज तथा लाभ पर सभी और एकल में पहला समरूप दृष्टिबंधक प्रभार, जिसमें इसकी स्पर लाइनें, संयंत्र और मशीनरी, पुर्जे, उपकरण, टूल और सहायक उपकरण और अन्य चल अचल संपत्तियां वर्तमान और भविष्य दोनों शामिल हैं, जो उधारकर्ता या उधारकर्ता के किसी भी एजेंट के परिसर, गोदाम, स्टॉकयार्ड और गोदामों में पड़ी हैं या स्थापित की गई हैं या लाई जाने वाली हैं। | | | | |
| lVy cd v,Q bfM;k | | 1,476.00 | | - |
| (2 वर्ष की अधिस्थगन अवधि की समाप्ति के बाद 32 बराबर तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है और किस्तों की अदायगी 31 अगस्त 2025 से शुरू होगी। ऋण पर फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है।) | | | | |
| कोच्चि कूटनाद बैंगलोर मैंगलोर पाइपलाइन (कंप्रेसर स्टेशनों को छोड़कर) से संबंधित उधारकर्ता की सभी चल अचल संपत्तियां के संबंध में सभी अधिकारों, शीर्षक, सुख सुविधाएं, ब्याज तथा लाभ पर सभी और एकल में पहला समरूप दृष्टिबंधक प्रभार, जिसमें इसकी स्पर लाइनें, संयंत्र और मशीनरी, पुर्जे, उपकरण, टूल और सहायक उपकरण और अन्य चल अचल संपत्तियां वर्तमान और भविष्य दोनों शामिल हैं, जो उधारकर्ता या उधारकर्ता के किसी भी एजेंट के परिसर, गोदाम, स्टॉकयार्ड और गोदामों में पड़ी हैं या स्थापित की गई हैं या लाई जाने वाली हैं। | | | | |
| leg dafu;ka }kjk vU; m/kkj | | 1,241.27 | | 1,042.61 |
| असुरक्षित ऋण | | | | |
| असुरक्षित बांड | | | | |
| – बॉन्ड सीरीज 2027 | | 1,575.00 | | 1,575.00 |
| गेल इंडिया लिमिटेड बांड – 2027 (श्रृंखला–I)। असुरक्षित, सूचीबद्ध, रेटेड, कर योग्य, गैर–संचयी, प्रतिदेय, गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर। | | | | |
| cdk@foÙkh; lLFkkuka ls lkof/k _.k | | | | |
| केएफडब्ल्यू जर्मनी (सीमेंस सुविधा) | | - | | - |
| (मार्च 2014 से शुरू होकर 20 अर्धवार्षिक समान किस्तों में चुकाया जाएगा) ऋण पर ब्याज की एक निश्चित दर लागू होती है) | | | | |
| dqy | | **12,806.02** | | **8,879.69** |

## टिप्पण: 15क उधार – वर्तमान

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | | 31 मार्च, 2023 के अनुसार |
|---|---|---|---|---|
| v lqjf{kr _.k | | | | |
| ekax ij _.k dh pqdkrh | | | | |
| cSdksa ls | | | | |
| कार्यशील पूंजी मांग ऋण | | - | | 4,502.00 |
| lkofèk _.k | | | | |
| cSdksa ls | | | | |
| एचडीएफसी बैंक से अल्पावधि ऋण | | 2,900.00 | | - |
| समूह कंपनियों द्वारा अन्य अल्पावधि उधार | | 849.58 | | 878.06 |
| nh?kkZofèk dsa _.kksa dh orZeku ifjiDork% | | | | |
| lqjf{kr lkofèk _.k% | | | | |
| & ,pMh,Qlh cSd | | 916.67 | | 916.67 |
| – तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) | | 125.00 | | 125.00 |
| – बैंक ऑफ इंडिया | | 906.67 | | 906.67 |
| v lqjf{kr lkofèk _.k% | | | | |
| – केएफडब्ल्यू जर्मनी (सीमेंस सुविधा) | - | - | 21.32 | 21.32 |
| समूह कंपनियों द्वारा रक्षित अल्पावधि ऋण | | - | | - |
| leg dEifu;ksa ds m/kkj dh orZeku ifjiDork | | 104.06 | | 45.49 |
| dqy | | 5,801.98 | | 7,395.21 |

## टिप्पण: 16 – अन्य वित्तीय देयताएं – गैर–वर्तमान

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | | 31 मार्च, 2023 के अनुसार |
|---|---|---|---|---|
| व्युत्पन्न संविदाओं के लिए देय (हेज/गैर–हेज) | | 37.97 | | 46.02 |
| ग्राहकों/ठेकेदारों/अन्य से जमा/प्रतिधारण राशि | | 31.51 | | 37.75 |
| गैस पूल मनी अनंतिम (टिप्पण सं. 37(ii) देखें | | 581.33 | | 581.87 |
| अन्य देयताएं | | 66.80 | | 67.16 |
| dqy | | **717.61** | | **732.80** |

## टिप्पण: 16क – अन्य वित्तीय देयताएं – वर्तमान

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | | 31 मार्च, 2023 के अनुसार |
|---|---|---|---|---|
| व्युत्पन्न संविदाओं के लिए देय (हेज/गैर–हेज) | | 297.33 | | 273.98 |
| ग्राहकों/ठेकेदारों/अन्य से जमा/प्रतिधारण राशि | | 2,066.06 | | 1,736.86 |
| वित्तीय गारंटी बाध्यताएं | | 1.67 | | 0.58 |
| vU; ns;rk,s | | | | |
| ब्याज अर्जित लेकिन देय नहीं | 64.32 | | 63.80 | |
| अदेय/गैर–दावा लाभांश | 5.37 | | 8.56 | |
| गैस पूल मनी | 190.34 | | 183.97 | |
| असंतुलन और बढ़ा हुआ शुल्क | 51.71 | | 13.14 | |
| देय पूंजीगत व्यय | 2,201.50 | | 1,290.25 | |
| पाइपलाइन शुल्क में समायोजन | 32.30 | | 32.30 | |
| देय ईएंडपी व्यय | 13.72 | | 91.26 | |
| देय कर्मचारी लाभ | 358.86 | | 181.25 | |
| अन्य देयताएं | 190.62 | 3,108.74 | 163.72 | 2,028.25 |
| dqy | | **5,473.80** | | **4,039.67** |

## टिप्पण: 17 – प्रावधान – गैर–वर्तमान

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | | 31 मार्च, 2023 के अनुसार |
|---|---|---|---|---|
| कर्मचारी लाभ का प्रावधान | | 934.43 | | 799.68 |
| परित्याग लागत का प्रावधान | | 7.62 | | 9.45 |
| dqy | | **942.05** | | **809.13** |

## टिप्पणः 17क – प्रावधान– वर्तमान

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | | 31 मार्च, 2023 के अनुसार |
|---|---|---|---|---|
| कर्मचारी लाभ का प्रावधान | | 72.93 | | 74.75 |
| संभावित दायित्वों के लिए प्रावधान | | 1,003.13 | | 853.81 |
| d|y | | **1,076.06** | | **928.56** |

भारतीय लेखा मानक 37 में अपेक्षित प्रावधान में बदलाव का प्रकटन टिप्पण सं. 50 में दिया गया है।

## टिप्पणः 18 – व्यापार देय राशि

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | | 31 मार्च, 2023 के अनुसार |
|---|---|---|---|---|
| सूक्ष्म और लघु उद्यमों को व्यापार देय | | 375.79 | | 344.29 |
| संबंधित पक्षों को व्यापार देय | | 1,151.99 | | 1,539.51 |
| अन्य को व्यापार देय | | 5,111.89 | | 5,259.76 |
| d|y | | **6,639.67** | | **7,143.56** |

'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के संबंध में प्रकटन टिप्पण सं. 54 में दिया गया है।

## टिप्पणः 19 – अन्य गैर – वर्तमान देयताएं

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | | 31 मार्च, 2023 के अनुसार |
|---|---|---|---|---|
| सरकारी अनुदान (जेएचबीडी पाइपलाइन परियोजना पर पूंजीगत सब्सिडी शामिल है नोट सं. 55 देखें) | | 4,388.09 | | 4,542.19 |
| d|y | | **4,388.09** | | **4,542.19** |

## टिप्पणः 19ए – अन्य गैर – वित्तीय देयताएं – चालू

(₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | | 31 मार्च, 2023 के अनुसार |
|---|---|---|---|---|
| सांविधिक देय | | 854.32 | | 956.89 |
| अन्य देयताएं | | 88.55 | | 88.77 |
| सरकारी अनुदान<br>(जेएचबीडी पाइपलाइन परियोजना पर पूंजीगत सब्सिडी शामिल है<br>(टिप्पण सं. 55 देखें) | | 139.87 | | 123.53 |
| d|y | | **1,082.74** | | **1,169.19** |

## टिप्पणः 20 – आस्थगित कराधान

vk; dj

lekIr o"k dk fy, vk;dj 0;; dk çe|[k ?kVd g% &

d- ykHk vkj gkfu dk fooj.k%

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | | 31 मार्च, 2023 के अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| **(I)** | ykHk ;k gkfu [kM | | | | |
| | वर्तमान आयकरः | | 2,683.02 | | 1,355.89 |
| | गत वर्ष के वर्तमान आयकर के संबंध में समायोजन | | (2.39) | | (52.01) |
| | आस्थगित कर | | | | |
| | अस्थायी मतभेदों की उत्पत्ति और उत्क्रमण से संबंधित | | **11.57** | | **356.61** |
| | ykHk ;k gkfu fooj.k e lfpr vk;dj 0;; | | **2,692.20** | | **1,660.49** |

समेकित वित्तीय विवरण

| क्र. सं. | विवरण | | 31 मार्च, 2024 के अनुसार | | 31 मार्च, 2023 के अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| (II) | ओसीआई खंड | | | | |
| | o"kZ ds nkSjku vkbZlhvkbZ esa ekU;rk çkIr oLrqvksa ls lacaf/kr vkLFkfxr dj% | | | | |
| | ओसीआई के लिए जिसका लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकरण किया जाएगा | | | | |
| | ओसीआई के लिए नकदी प्रवाह बचाव (लाभ)/हानि पर निवल संचलन | | 72.90 | | 173.45 |
| | vkbZlhvkbZ ds fy, ftlds ykHk ;k gkfu ds fy, iquoZxhZ;dj.k ugha fd;k tk,xk | | | | |
| | परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनः माप पर निवल (लाभ)/हानि | | (17.31) | | (11.79) |
| | एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों पर निवल (लाभ)/हानि' | | (233.81) | | 1.25 |
| | vkbZlhvkbZ ij yxk;k tkus okyk vk;dj | | **(178.22)** | | **162.91** |

*fVIi.kh&वित्त अधिनियम 2018 ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 112क/10(38) में संशोधन किया है ताकि प्रतिभूतियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ से आय पर कर लगाया जा सके। कंपनी ने पूंजीगत लाभ शीर्ष के अंतर्गत भविष्य की कर योग्य आय की एफवीटीओसीआई–इक्विटी प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण उत्पन्न अप्राप्त लाभ पर ₹ 233.81 करोड़ ( गत वर्ष: शून्य) की आस्थगित कर देयता को स्वीकार कर लिया है।

## [k- rqyu&i=

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|---|
| | vkLFkfxr dj ns;rk,a | | | | |
| | कर योग्य अस्थायी अंतर के कारण शुद्ध आस्थगित कर देयता | | 4,135.70 | | 4,395.09 |
| | dqy | | **4,135.70** | | **4,395.09** |

## टिप्पण: 21 – प्रचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|---|
| | d½ mRiknksa dh fcØh | | | | |
| | गैस | | 1,05,599.29 | | 1,22,110.27 |
| | पॉलिमर | | 7,690.17 | | 4,846.22 |
| | एलपीजी | | 3,657.90 | | 4,297.62 |
| | प्रोपेन/पेंटेन/एसबीपीएस/नेफ्था | | 624.37 | | 646.58 |
| | कच्चा तेल | | 135.48 | | 109.96 |
| | नगर गैस | | 11,659.47 | | 11,084.81 |
| | विद्युत | | 36.26 | | 44.11 |
| | [k½ lsok dh fcØh | | | | - |
| | एलपीजी ट्रांसमिशन/आरएलएनजी शिपर्स शुल्क | | 3,710.86 | | 2,375.96 |
| | x½ njlapkj lsokvksa ls vk; | | 15.84 | | 15.77 |
| | dqy | | **1,33,129.64** | | **1,45,531.30** |
| | tksM+% vU; ifjpkyu vk; | | 369.90 | | 343.73 |
| | कुल | | **1,33,499.54** | | **1,45,875.03** |

## टिप्पण: 22 – अन्य आय

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|---|
| | C;kt ij % | | | | |
| | – बैंकों में जमा | 84.15 | | 57.63 | |
| | – आयकर/वैट रिफंड | 23.34 | | 5.69 | |
| | – ग्राहकों से विलंबित भुगतान | 176.88 | | 219.67 | |
| | – संयुक्त उपक्रमों और सहयोगी कंपनियों आदि को ऋण | - | | - | |
| | – कर्मचारियों को ऋण | 58.96 | | 28.46 | |
| | – अन्य | 29.83 | | 16.68 | |
| | घटाएं: निर्माण अवधि के दौरान व्यय में स्थानांतरित (टिप्पण सं. – 28 देखें) | 7.00 | 366.16 | 3.59 | 324.54 |
| | निवेश से लाभांश | | 317.45 | | 433.38 |

| क्र.सं. | विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|---|
| | निवेश की बिक्री पर लाभ (म्यूचुअल फंड) | | 4.83 | | 6.81 |
| | सरकारी अनुदान का परिशोधन | | 140.43 | | 103.47 |
| | विदेशी मुद्रा लेनदेन पर शुद्ध लाभ और अनुवाद | | - | | 295.70 |
| | वापस लिखा गया अतिरिक्त प्रावधान | | 133.97 | | 115.44 |
| | वित्तीय गारंटी का परिशोधन दायित्व | | 0.13 | | 0.03 |
| | विविध आय | 46.96 | | 52.68 | |
| | घटाएं: निर्माण अवधि के दौरान व्यय में स्थानांतरित (टिप्पणी संख्या – 28 देखें) | 2.12 | 44.84 | 3.58 | 49.10 |
| | dy | | **1,007.81** | | **1,328.47** |

## टिप्पण: 23 – व्यापार में तैयार माल के स्टॉक, कार्यशील पूंजी की सूची में (वृद्धि)/कमी

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|---|
| | o"k d vr e ekx lph | | | | |
| | चल रहा कार्य | | 9.61 | | 17.45 |
| | तैयार माल | | 711.64 | | 891.47 |
| | बिक्री के लिए माल | | 3,584.00 | | 3,333.75 |
| | dy | | **4,305.25** | | **4,242.67** |
| | o"k dh 'k#vkr e ekx lph%& | | | | |
| | चल रहा कार्य | | 17.45 | | 6.98 |
| | तैयार माल | | 891.47 | | 309.69 |
| | बिक्री के लिए माल | | 3,333.75 | | 1,872.19 |
| | dy | | **4,242.67** | | **2,188.86** |
| | घटा: टैंक में अधिशेष एलएनजी को उबालना | | (21.56) | | (60.88) |
| | fcØh d fy, eky] r;kj eky vkj MCY;vkbih dh ekx lph e ifjorlu | | **(41.02)** | | **(1,992.93)** |

## टिप्पण: 24 – कर्मचारियों के लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|---|
| | वेतन, मजदूरी और भत्ते | 1,919.20 | | 1,645.06 | |
| | भविष्य और अन्य निधियों में योगदान | 323.08 | | 306.57 | |
| | कर्मचारी कल्याण व्यय | 238.40 | 2,480.68 | 177.19 | 2,128.82 |
| | ?kVk | | | | |
| | –कर्मचारी लाभ व्यय पूंजीगत कार्यशील पूंजी में अंतरित (संदर्भ टिप्पण सं. 28) | 150.24 | | 192.79 | |
| | –प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए प्रतिपूर्ति | 56.75 | 206.99 | 90.03 | 282.82 |
| | dy | | **2,273.69** | | **1,846.00** |

## टिप्पण: 25 – वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|---|
| | ब्याज पर | | | | |
| | – सावधि ऋण | 723.55 | | 544.91 | |
| | – बांड | 115.83 | | 32.31 | |
| | – पट्टा देयता | 150.53 | | 82.61 | |
| | – अन्य | 409.06 | | 149.55 | |
| | पूंजीगत कार्य–प्रगति में अंतरित ब्याज और वित्त प्रभार (संदर्भ टिप्पण सं. 28) | (679.49) | 719.48 | (442.17) | 367.21 |
| | (लाभ)/डेरिवेटिव के उचित मूल्य में परिवर्तन पर हानि | | (0.63) | | (6.18) |
| | उधार पर विदेशी मुद्रा लेनदेन पर शुद्ध (लाभ)/हानि | | 0.35 | | 3.75 |
| | dy | | **719.20** | | **364.78** |

## टिप्पण: 26 – मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|---|
| | मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय | | 3,741.85 | | 2,827.22 |
| | हानि क्षति (टिप्पण सं. 2–3 देखें) | | (39.48) | | (94.42) |
| | घटा: मूल्यह्रास और परिशोधन चल रहा पूंजीगत कार्य में स्थानांतरित (टिप्पण सं. 28 देखें) | | 30.37 | | 31.23 |
| | d\|y | | **3,672.00** | | **2,701.57** |

## टिप्पण: 27 – अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|---|
| | भंडार और अतिरिक्त पुर्जों की खपत | | 508.92 | | 479.47 |
| | बिजली, ईंधन और जल प्रभार | | | | |
| | विद्युत प्रभार | 525.59 | | 460.17 | |
| | ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैस | 4,203.87 | | 3,634.11 | |
| | जल प्रभार | 27.24 | 4,756.70 | 23.69 | 4,117.97 |
| | किराया | | 32.03 | | 38.18 |
| | मरम्मत और रखरखाव | | | | |
| | संयंत्र और मशीनरी | 650.41 | | 561.44 | |
| | भवन | 61.80 | | 66.89 | |
| | अन्य | 133.28 | 845.49 | 105.19 | 733.52 |
| | बीमा | | 139.70 | | 141.96 |
| | दरें और कर | | 47.04 | | 37.59 |
| | विविध व्यय: | | | | |
| | – यात्रा व्यय | | 167.41 | | 159.92 |
| | – विज्ञापन और प्रचार | | 46.11 | | 38.99 |
| | – वाहन किराया और संचालन व्यय | | 90.97 | | 89.12 |
| | – सर्वेक्षण व्यय | | 24.48 | | 7.51 |
| | – तेल एवं गैस उत्पादन व्यय | | 77.57 | | 66.79 |
| | – कच्चे तेल पर रॉयल्टी (लाभ पेट्रोलियम में सरकार की हिस्सेदारी सहित) | | 377.36 | | 456.92 |
| | – परामर्श शुल्क | | 69.57 | | 59.74 |
| | – अनुसंधान एवं विकास व्यय | | 20.36 | | 12.39 |
| | – हानि सीडब्ल्यूआईपी/निवेश के लिए प्रावधान | | - | | 49.14 |
| | – परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि (शुद्ध)/बट्टे खाते में डालना | | 27.27 | | 21.33 |
| | – बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण/दावे/अग्रिम/भंडार | | 0.28 | | 1.12 |
| | – संदिग्ध ऋणों, अग्रिमों, दावों और जमा राशियों के लिए प्रावधान | | 23.06 | | 24.50 |
| | – भंडार और पूंजीगत वस्तुओं के प्रगतिरत पूंजीगत कार्य/ अप्रचलन पर हानि की क्षतिपूर्ति के लिए प्रावधान | | 175.32 | | 113.08 |
| | – संभावित बाध्यताएं/आकस्मिक खर्च के लिए प्रावधान | | | | |
| | – बिक्री और वितरण व्यय | | 162.43 | | 50.85 |
| | – सुरक्षा व्यय | | 194.43 | | 101.12 |
| | – कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय | | 274.32 | | 252.59 |
| | – कमोडिटी डेरिवेटिव (नेट) पर एमटीएम हानि | | 186.60 | | 105.34 |
| | – कमोडिटी डेरिवेटिव (नेट) पर एमटीएम हानि | | (0.39) | | (114.93) |
| | – गैस रखरखाव/ट्रांसमिशन हानि | | 154.83 | | 151.72 |
| | – डेटा प्रोसेसिंग व्यय | | 61.92 | | 39.22 |
| | – अन्य व्यय | | 274.38 | | 301.51 |
| | विदेशी प्रचालन से संबंधित संचयी विनिमय अंतर का पुनर्वर्गीकरण | | 16.04 | | (0.12) |

| क्र.सं. | विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|---|
| | लेखापरीक्षकों को भुगतान | | | | |
| | लेखापरीक्षा शुल्क | 1.33 | | 1.28 | |
| | कर लेखापरीक्षा शुल्क | 0.14 | | 0.14 | |
| | अन्य सेवाएं (प्रमाण–पत्र आदि जारी करने के लिए) | 0.53 | | 0.50 | |
| | यात्रा और जेब से किया गया खर्च | 0.43 | 2.43 | 0.48 | 2.40 |
| | घटाः निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय चल रहे पूंजीगत कार्य में स्थानांतरित (संदर्भ टिप्पण सं. 28) | | 52.70 | | 34.17 |
| | d\|y | | **8,703.93** | | **7,504.77** |

## टिप्पणः 28 – निर्माण अवधि के दौरान व्यय

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | | 31 मार्च 2024 तक | | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|---|---|
| | कर्मचारियों का पारिश्रमिक और लाभ | | | | |
| | वेतन, मजदूरी और भत्ते | 136.81 | | 176.60 | |
| | भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान | 7.61 | | 8.93 | |
| | कल्याण व्यय | 5.82 | 150.24 | 7.27 | 192.80 |
| | ब्याज और वित्त प्रभार | | 679.49 | | 442.17 |
| | मूल्यह्रास | | 30.37 | | 31.23 |
| | विद्युत, ईंधन और जल प्रभार | | | | |
| | विद्युत प्रभार | 8.17 | 8.17 | 3.41 | 3.41 |
| | बीमा | | - | | 0.01 |
| | किराया | | 0.29 | | 1.81 |
| | मरम्मत और रखरखाव | | | | |
| | संयंत्र और मशीनरी | 5.51 | | 3.83 | |
| | भवन | 0.05 | | 0.11 | |
| | अन्य | 2.58 | 8.14 | 0.32 | 4.26 |
| | दरें और कर | | 0.13 | | 0.08 |
| | विविध व्ययः | 10.48 | | 9.27 | |
| | – यात्रा व्यय | - | | 0.37 | |
| | – विज्ञापन और प्रचार | 0.29 | | 2.08 | |
| | – वाहन किराया और संचालन व्यय | 0.17 | | 0.71 | |
| | – अन्य व्यय | 25.03 | 35.97 | 12.17 | 24.60 |
| | घटाः – ब्याज आय | 7.00 | | 3.59 | |
| | – विविध आय | 2.12 | 9.12 | 3.58 | 7.17 |
| | fuoy 0;; | | **903.68** | | **693.20** |
| | घटाः पूंजीगत चल रहे पूंजीगत कार्य के लिए आबंटित | | | | |
| | क) कर्मचारी लाभ व्यय | | 150.24 | | 192.80 |
| | ख) ब्याज और वित्त प्रभार | | 679.49 | | 442.17 |
| | ग) मूल्यह्रास | | 30.37 | | 31.23 |
| | घ) अन्य व्यय | | 52.70 | | 34.17 |
| | घटाः | | | | |
| | ड.) अन्य आय | | 9.12 | | 7.17 |
| | mi ;kx | | **903.68** | | **693.20** |
| | d\|y | | - | | - |

# 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण दर्शाने वाली टिप्पणियां

29- समेकित वित्तीय विवरण में कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रम कंपनियों तथा सम्बद्ध कंपनियों के लेखाओं का निम्नानुसार समेकन दर्शाया गया है, जिसमें भारतीय लेखा मानक 112 के अधीन अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाओं सहित आंशिक रूप में स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और संबद्ध कंपनियों की वित्तीय जानकारी का सारांश शामिल होता

d½ leg lpuk

| क्र.सं. | कंपनियों का नाम | निगमन का देश | मुख्य कार्यकलाप | संबंध | 31 मार्च, 2024 को स्वामित्व का समानुपात | 31 मार्च, 2023 को स्वामित्व का समानुपात |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गेल गैस लिमिटेड (देखें' 1) | भारत | नगर गैस | सहायक कंपनी | 100.00% | 100.00% |
| 2 | गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक. (देखे' 2) | यूएसए | ईएंडपी | सहायक कंपनी | 100.00% | 100.00% |
| 3 | गेल ग्लोबल (सिंगापुर) प्रा. लिमिटेड | सिंगापुर | एलएनजी ट्रेडिंग | सहायक कंपनी | 100.00% | 100.00% |
| 4 | त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड | भारत | नगर गैस | सहायक कंपनी | 48.98% | 48.98% |
| 5 | बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड | भारत | नगर गैस | सहायक कंपनी | 89.88% | 88.13% |
| 6 | कोंकण एलएनजी लिमिटेड | भारत | एलएनजी टर्मिनल | सहायक कंपनी | 93.50% | 93.50% |
| 7 | गेल मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड | भारत | पेट्रोकेमिकल्स | सहायक कंपनी | 100.00% | - |
| 8 | अवंतिका गैस लिमिटेड | भारत | नगर गैस | संयुक्त उपक्रम | 49.99% | 49.99% |
| 9 | भाग्यनगर गैस लिमिटेड | भारत | नगर गैस | संयुक्त उपक्रम | 48.73% | 48.73% |
| 10 | महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड | भारत | नगर गैस | संयुक्त उपक्रम | 22.50% | 22.50% |
| 11 | सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड | भारत | नगर गैस | संयुक्त उपक्रम | 25.00% | 25.00% |
| 12 | ग्रीन गैस लिमिटेड | भारत | नगर गैस | संयुक्त उपक्रम | 49.99% | 49.98% |
| 13 | इन्द्रप्रस्थ गैस ग्रिड लिमिटेड | भारत | गैस पारेषण | संयुक्त उपक्रम | 20.00% | 20.00% |
| 14 | तालचर फट्रिलाइजर्स लिमिटेड | इस्ले आफ मैन | उर्वरक | संयुक्त उपक्रम | 33.33% | 33.33% |
| 15 | वडोदरा गैस लिमिटेड (देखें' 3) | भारत | नगर गैस | संयुक्त उपक्रम | 50.00% | 50.00% |
| 16 | तापी पाइपलाइंस कंपनी लिमिटेड | भारत | गैस पाइपलाइन | संयुक्त उपक्रम | 5.00% | 5.00% |
| 17 | महानगर गैस लिमिटेड | भारत | नगर गैस | संबद्ध कंपनी | 32.50% | 32.50% |
| 18 | इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड | भारत | नगर गैस | संबद्ध कंपनी | 22.50% | 22.50% |
| 19 | पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड | भारत | एलएनजी टर्मिनल | संबद्ध कंपनी | 12.50% | 12.50% |
| 20 | ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड | भारत | पेट्रोरसायन | संबद्ध कंपनी | 70.00% | 70.00% |
| 21 | ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड (देखें' 4) | भारत | पेट्रोरसायन | संबद्ध कंपनी | 49.21% | 49.21% |
| 22 | रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड | भारत | उर्वरक | संबद्ध कंपनी | 14.30% | 14.72% |
| 23 | फेयम गैस कंपनी | मिश्र | नगर गैस | संबद्ध कंपनी | 19.00% | 19.00% |
| 24 | चाइना गैस होल्डिंग लिमिटेड | बरमूडा | नगर गैस | संबद्ध कंपनी | 2.76% | 2.76% |
| 25 | ओएनजीसी त्रिपुरा पॉवर कंपनी लिमिटेड | भारत | विद्युत | संबद्ध कंपनी | 26.00% | 26.00% |
| 26 | एलएलसी भारत एनर्जी ऑफिस | रूस | एलएनजी ट्रेडिंग | संबद्ध कंपनी | 20.00% | 20.00% |
| 27 | एलएनजी जापोनिका शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड | साइप्रस | एलएनजी पोत किराए पर लेना | संबद्ध कंपनी | 26.00% | 26.00% |

*1: गेल गैस लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण में शहरी गैस वितरण के व्यापार में संलग्न संयुक्त उद्यम कंपनियों जैस आंध्र प्रदेश गैस डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड, वडोदरा गैस लिमिटेड, राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड, हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड, गोवा नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड तथा पूर्वा भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड में क्रमशः 50%, 17.07%, 50%, 50%, 50% और 26% हित शामिल हैं।

*2: गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक. के समेकित वित्तीय विवरण में इसकी 100% सहायक कंपनी, गेल ग्लोबल (यूएसए) एलएनजी एलएलसी, जिसका प्राथमिक व्यवसाय एलएनजी नवाचार है, शामिल है।

*3: गेल द्वारा वीजीएल की 32.93% इक्विटी धारिता है और 17.07% गेल गैस लिमिटेड के माध्यम से धारित की जाती है।

*4: पूरी तरह से कम किए गए शेयर मूल्य के आधार पर 7.56% धारिता।

[k½ सभी समूह कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के खाते मूल कंपनी (31 मार्च, 2024) के समान तिथि तक तैयार किए जाते हैं। हालाँकि, फयूम गैस कंपनी, चाइना गैस होल्डिंग लिमिटेड, तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड, एलएनजी जैपोनिका शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एलएलसी भारत एनर्जी ऑफिस के लिए, स्थानीय कानूनी आवश्यकताओं के कारण खाते 31 दिसंबर, 2023 तक तैयार किए जाते हैं। ये कंपनियाँ समेकन के समय तक वित्तीय विवरण प्रदान नहीं कर सकीं, इसलिए 31 दिसंबर, 2023 तक की जानकारी का उपयोग किया गया। इस तिथि के बाद की अवधि के लिए कोई समायोजन (लाभांश और अंतर समूह लेनदेन को छोड़कर) नहीं किया गया है।

x½ संयुक्त उद्यमों/संबद्ध कंपनियों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय 10 मई, 2024 तक उपलब्ध गैर–लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और प्रासंगिक लेखों पर टिप्पणियों को ध्यान में रखा गया है, अर्थात सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड, तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, वडोदरा गैस लिमिटेड, तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड, ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड, रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड, चाइना गैस होल्डिंग्स लिमिटेड, एलएलसी भारत एनर्जी ऑफिस, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड और फयूम गैस कंपनी।

?k½ मुख्यतः गैर–नियंत्रण हित वाली आंशिक तौर पर स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के बारे में सूचना नीचे दी गई है।

निम्नलिखित तालिका समूह के भीतर किसी भी उन्मूलन से पहले महत्वपूर्ण गैर–नियंत्रक हितों वाली सहायक कंपनियों के बारे में जानकारी का सारांश दिया गया है।

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

| विवरण | त्रिपुरा नेचुरल गैस लिमिटेड | बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड | कोंकण एलएनजी लिमिटेड |
|---|---|---|---|
| d½ x|j&fu;=d fgr }kjk /kkfjr bfDoVh C;kt dk vuqikr | 51.02% | 10.12% | 6.50% |
| [k½ vkf'kd LokfeRo okyh lgk;d daiuh dh foRrh; lpuk dk lkj | | | |
| r|yu&i= | | | |
| गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां | 174.01 | 788.26 | 3,865.54 |
| वर्तमान परिसंपत्तियां (नकद और नकद समकक्ष के अलावा) | 142.35 | 34.42 | 806.29 |
| नकद और नकद समकक्ष | 1.82 | 98.83 | 0.31 |
| गैर–वर्तमान देयताएं | 37.06 | 146.22 | 4,090.36 |
| वर्तमान देयताएं | 45.02 | 59.76 | 257.05 |
| इक्विटी | 236.10 | 715.54 | 324.73 |
| गैर–नियंत्रक हित के कारण | 120.46 | 72.38 | 21.11 |
| ykHk vkj gkfu | | | |
| राजस्व | 282.22 | 29.91 | 406.87 |
| व्यय | 233.30 | 44.52 | 735.07 |
| कर–पूर्व लाभ/(हानि) | 48.92 | (14.62) | (328.20) |
| आय कर व्यय | 8.01 | (3.95) | (79.05) |
| कर पश्चात लाभ/(हानि) | 40.91 | (10.67) | (249.15) |
| अन्य व्यापक आय | 0.10 | - | - |
| कुल व्यापक लाभ/(हानि) | 41.01 | (10.67) | (249.15) |
| गैर–नियंत्रक ब्याज के कारण | 20.92 | (1.08) | (16.20) |
| गैर–नियंत्रक ब्याज कों भगतान किया लाभांश | 1.04 | - | - |
| lf{kIr udn iokg lpuk | | | |
| प्रचालन गतिविधियां | 6.15 | (11.21) | 122.30 |
| गतिविधियों की जांच | (21.48) | (149.18) | (54.95) |
| वित्तीय गतिविधियां | (6.68) | 246.53 | (74.04) |
| नकद और नकद समकक्षों में निवल वृद्धि/(कमी) | (22.01) | 86.15 | (6.69) |

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

| विवरण | त्रिपुरा नेचुरल गैस लिमिटेड | बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड | कोंकण एलएनजी लिमिटेड |
|---|---|---|---|
| d½ x|j&fu;=d fgr }kjk /kkfjr bfDoVh C;kt dk vu|ikr | 51.02% | 11.87% | 6.50% |
| [k½ vkf'kd LokfeRo okyh lgk;d d|iuh dh foRrh; l|puk dk lkj | | | |
| r|yu&i= | | | |
| गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां | 157.38 | 646.34 | 3,383.68 |
| वर्तमान परिसंपत्तियां (नकद और नकद समकक्ष के अलावा) | 101.69 | 25.60 | 1,014.71 |
| नकद और नकद समकक्ष | 23.83 | 12.68 | 7.01 |
| गैर–वर्तमान देयताएं | 38.49 | 150.62 | 3,630.99 |
| वर्तमान देयताएं | 47.30 | 55.96 | 452.53 |
| इक्विटी | 197.11 | 478.05 | 321.88 |
| गैर–नियंत्रक हित के कारण | 100.57 | 56.74 | 20.93 |
| ykHk vkj gkfu | | | |
| राजस्व | 263.59 | 10.99 | 400.86 |
| व्यय | 234.01 | 26.15 | 580.44 |
| कर–पूर्व लाभ / (हानि) | 29.58 | (15.17) | (179.58) |
| आय कर व्यय | 9.33 | (4.27) | 268.68 |
| कर पश्चात लाभ / (हानि) | 20.25 | (10.89) | (448.26) |
| अन्य व्यापक आय | 0.09 | - | 0.02 |
| कुल व्यापक लाभ / (हानि) | 20.34 | (10.89) | (448.24) |
| गैर–नियंत्रक ब्याज के कारण | 10.38 | (1.29) | (29.14) |
| गैर–नियंत्रक ब्याज को भुगतान किया गया लाभांश | 1.32 | - | - |
| संक्षिप्त नकद प्रवाह सूचना | | | |
| प्रचालन गतिविधियां | 19.28 | (85.23) | 85.83 |
| गतिविधियों की जांच | (24.67) | (360.03) | (205.38) |
| वित्तीय गतिविधियां | (6.63) | 393.28 | 126.54 |
| नकद और नकद समकक्षों में निवल वृद्धि / (कमी) | (12.02) | (51.97) | 6.99 |

M-½ l;ä m|ek vkj lc) difu;k dh lf{kIr foÙkh; tkudkjh uhps nh xbZ gSA

d½ 31 ekpZ 2024 d vuqlkj l;Dr m|ek dh foRrh; lpuk dk lkj

(₹ करोड़ में)

| विवरण | कुल | सेंट्रल यूपी गैस लि० | ग्रीन गैस लिमिटेड | महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड | अवंतिका गैस लिमिटेड | भाग्यनगर गैस लिमिटेड | तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड | तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड | वडोदरा गैस लिमिटेड | इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लेखाओं की स्थिति | | गैर–लेखापरीक्षित | लेखापरीक्षित | लेखापरीक्षित | लेखापरीक्षित | गैर–लेखापरीक्षित | गैर–लेखापरीक्षित | गैर–लेखापरीक्षित | गैर–लेखापरीक्षित | लेखापरीक्षित |
| ifjlEifRr;k | | | | | | | | | | |
| **xSj&orZeku ifjlEifRr;k** | **17,799.73** | **589.18** | **1,164.80** | **2,606.90** | **574.81** | **995.07** | **5,244.56** | **809.98** | **448.12** | **5,366.31** |
| orZeku ifjlEifRr;k | | | | | | | | | | |
| नकद और नकद समकक्ष | 836.05 | 20.65 | 75.41 | 119.06 | 56.17 | 18.59 | 145.99 | 124.63 | 12.84 | 262.71 |
| अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां (नकद और नकद समकक्ष को छोड़कर) | 2,020.63 | 190.72 | 128.83 | 313.29 | 90.69 | 63.77 | 739.82 | 148.19 | 96.38 | 248.94 |
| **dqy orZeku ifjlEifRr;k** | **2,856.68** | **211.37** | **204.24** | **432.35** | **146.86** | **82.36** | **885.81** | **272.82** | **109.22** | **511.65** |
| ns;rk,a | | | | | | | | | | |
| xSj&orZeku ns;rk,a | | | | | | | | | | |
| गैर–वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार के अलावा तथा अन्य देय और प्रावधान) | 4,794.19 | - | 375.00 | 524.47 | 28.69 | 472.50 | 2,706.45 | - | 39.58 | 647.50 |
| अन्य गैर–वर्तमान देयताएं | 4,491.44 | 35.14 | 73.30 | 200.89 | 59.90 | 43.81 | 427.24 | - | 36.27 | 3,614.89 |
| **dqy xSj&orZeku ns;rk,** | **9,285.63** | **35.14** | **448.30** | **725.36** | **88.59** | **516.31** | **3,133.69** | **-** | **75.85** | **4,262.39** |
| orZeku ns;rk, | | | | | | | | | | |
| वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार के अलावा तथा अन्य देय तथा प्रावधान) | 1,731.96 | 95.16 | 236.40 | 286.79 | 141.71 | 73.27 | 611.73 | 2.68 | 131.27 | 152.95 |
| अन्य वर्तमान देयताएं | 716.96 | 29.95 | 55.47 | 176.75 | 31.30 | 45.85 | 0.51 | - | 42.22 | 334.91 |
| **dqy orZeku ns;rk,** | **2,448.92** | **125.11** | **291.87** | **463.54** | **173.01** | **119.12** | **612.24** | **2.68** | **173.49** | **487.86** |
| इक्विटी | 8,800.05 | 640.30 | 628.87 | 1,850.35 | 460.06 | 442.00 | 2,384.44 | 1,080.12 | 308.00 | 1,005.91 |
| समूह के मालिकाना ब्याज का प्रतिशत | | 25.00% | 49.99% | 22.50% | 49.99% | 48.73% | 33.33% | 5.00% | 32.93% | 20.00% |
| संयुक्त उद्यम/संबद्ध कंपनी में हित | 2,487.46 | 160.08 | 314.34 | 416.33 | 229.98 | 215.39 | 794.73 | 54.01 | 101.42 | 201.18 |
| संयुक्त उद्यम में ब्याज की अग्रेनीत राशि | 2,487.46 | 160.08 | 314.34 | 416.33 | 229.98 | 215.39 | 794.73 | 54.01 | 101.42 | 201.18 |
| राजस्व | 6,360.05 | 690.40 | 894.92 | 2,993.55 | 724.28 | 566.62 | - | - | 490.28 | - |
| ब्याज आय | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| मूल्यहास | 300.12 | 30.89 | 53.93 | 112.07 | 25.88 | 63.98 | 0.58 | - | 12.45 | 0.34 |
| वित्त लागत | 120.40 | 0.19 | 35.88 | 31.61 | 4.46 | 40.07 | - | - | 8.19 | - |
| आय कर व्यय | 302.30 | 24.59 | 15.25 | 207.73 | 30.55 | 10.55 | 0.04 | - | 13.14 | 0.45 |
| अन्य व्यय (निवल) | 4,774.44 | 562.83 | 746.32 | 2,032.02 | 587.56 | 413.93 | 6.72 | 5.78 | 420.35 | (1.07) |
| **o"kZ dk fy, ykHk** | **862.77** | **71.91** | **43.53** | **610.12** | **75.83** | **38.08** | **(7.34)** | **(5.78)** | **36.14** | **0.28** |
| अन्य समग्र आय | (0.24) | (0.10) | - | 0.02 | (0.15) | - | - | - | (0.01) | - |
| वर्ष के लिए संयुक्त उद्यम/संबद्ध कंपनियो के लाभ में समूह की हिस्सेदारी | 242.71 | 17.98 | 21.76 | 137.28 | 37.91 | 18.56 | (2.45) | (0.29) | 11.90 | 0.06 |
| वर्ष के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी/ओसीआई में समूह की हिस्सेदारी | (0.10) | (0.02) | - | - | (0.08) | - | - | - | - | - |
| समेकन समायोजन | (32.70) | - | (0.01) | - | - | - | (11.70) | 0.29 | 0.23 | (21.51) |
| संयुक्त उद्यम कंपनी के मान्यता–प्राप्त लाभ में समूह की हिस्सेदारी | 209.91 | 17.96 | 21.75 | 137.28 | 37.83 | 18.56 | (14.15) | - | 12.13 | (21.45) |
| संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश | 49.74 | 6.15 | 0.58 | 40.50 | 2.51 | - | - | - | - | - |

क) 31 मार्च, 2023 के अनुसार संयुक्त उद्यमों की वित्तीय सूचना का सार

(₹ करोड़ में)

| विवरण | कुल | सेंट्रल यूपी गैस लि0 | ग्रीन गैस लिमिटेड | महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड | अवंतिका गैस लिमिटेड | भाग्यनगर गैस लिमिटेड | तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड | तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड | वडोदरा गैस लिमिटेड | इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लेखाओं की स्थिति | | गैर–लेखापरीक्षित | लेखापरीक्षित | लेखापरीक्षित | लेखापरीक्षित | गैर–लेखापरीक्षित | गैर–लेखापरीक्षित | गैर–लेखापरीक्षित | गैर–लेखापरीक्षित | लेखापरीक्षित |
| ifjlEifRr;k | | | | | | | | | | |
| xSj&orZeku ifjlEifRr;k | **13,546.59** | **582.43** | **1,122.90** | **2,138.44** | **524.72** | **1,046.28** | **2,699.19** | **769.33** | **423.31** | **4,239.99** |
| orZeku ifjlEifRr;k | | | | | | | | | | |
| नकद और नकद समकक्ष | 668.78 | 26.13 | 57.91 | 94.23 | 16.43 | 14.61 | 141.03 | 162.95 | 0.40 | 155.09 |
| अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां (नकद और नकद समकक्ष को छोड़कर) | 1,312.65 | 126.17 | 123.65 | 211.53 | 93.08 | 50.96 | 401.14 | 134.42 | 88.37 | 83.33 |
| dqy orZeku ifjlEifRr;k | **1,981.43** | **152.30** | **181.56** | **305.76** | **109.51** | **65.57** | **542.17** | **297.37** | **88.77** | **238.42** |
| nkf;Ro | | | | | | | | | | |
| xSj&orZeku nkf;Ro | | | | | | | | | | |
| गैर–वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार के अलावा तथा अन्य देय और प्रावधान) | 1,965.73 | - | 418.97 | 425.28 | 49.95 | 535.00 | 489.93 | - | 46.60 | - |
| अन्य गैर–वर्तमान देयताएं | 3,066.49 | 31.48 | 72.96 | 181.72 | 52.87 | 31.05 | - | - | 22.45 | 2,673.96 |
| dqy xSj&orZeku nkf;Ro | **5,032.22** | **31.48** | **491.93** | **607.00** | **102.82** | **566.05** | **489.93** | **-** | **69.05** | **2,673.96** |
| orZeku nkf;Ro | | | | | | | | | | |
| वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार के अलावा तथा अन्य देय तथा प्रावधान) | 1,390.39 | 77.16 | 221.71 | 250.23 | 112.35 | 113.12 | 323.71 | 0.16 | 121.38 | 170.57 |
| अन्य वर्तमान देयताएं | 1,016.36 | 33.00 | 60.34 | 166.75 | 29.65 | 28.76 | 0.84 | - | 50.53 | 646.49 |
| dqy orZeku nkf;Ro | **2,406.75** | **110.16** | **282.05** | **416.98** | **142.00** | **141.88** | **324.55** | **0.16** | **171.91** | **817.06** |
| इक्विटी | 8,085.56 | 593.08 | 530.49 | 1,420.22 | 389.41 | 403.92 | 2,426.87 | 1,066.54 | 271.13 | 983.90 |
| समूह के मालिकाना ब्याज का प्रतिशत | | 25.00% | 49.98% | 22.50% | 49.99% | 48.73% | 33.33% | 5.00% | 32.93% | 20.00% |
| संयुक्त उद्यम/संबद्ध कंपनी में हित | 2,272.72 | 148.27 | 265.14 | 319.55 | 194.67 | 196.83 | 808.88 | 53.33 | 89.28 | 196.78 |
| संयुक्त उद्यम में ब्याज की अग्रेनीत राशि | 2,272.72 | 148.27 | 265.14 | 319.55 | 194.67 | 196.83 | 808.88 | 53.33 | 89.28 | 196.78 |
| राजस्व | - | | | | | | | | | |
| ब्याज आय | 5,813.47 | 746.91 | 879.39 | 2,700.19 | 631.92 | 436.11 | - | - | 418.95 | - |
| मूल्यह्रास | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| वित्त लागत | 224.39 | 26.71 | 44.09 | 93.03 | 21.63 | 27.66 | 0.61 | - | 10.66 | - |
| आय कर व्यय | 88.88 | 0.24 | 21.63 | 22.80 | 3.79 | 34.66 | - | - | 5.76 | - |
| अन्य व्यय (निवल) | 195.73 | 29.22 | 6.48 | 144.82 | 13.41 | 5.77 | - | - | (3.64) | (0.33) |
| o"kZ dk fy, ykHk | **4,692.84** | **605.38** | **789.67** | **2,018.46** | **534.15** | **364.50** | **(33.18)** | **3.45** | **417.43** | **(7.02)** |
| अन्य समग्र आय | 611.64 | 85.36 | 17.53 | 421.09 | 58.93 | 3.52 | 32.57 | (3.45) | (11.26) | 7.35 |
| वर्ष के लिए संयुक्त उद्यम/संबद्ध कंपनियो के लाभ में समूह की हिस्सेदारी | 0.30 | 0.10 | 0.01 | 0.22 | 0.03 | (0.06) | - | - | - | - |
| वर्ष के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी/ओसीआई में समूह की हिस्सेदारी | 164.46 | 21.34 | 8.76 | 94.74 | 29.46 | 1.72 | 10.85 | (0.17) | (3.71) | 1.47 |
| समेकन समायोजन | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | (0.03) | - | - | - | - |
| संयुक्त उद्यम कंपनी के मान्यता–प्राप्त लाभ में समूह की हिस्सेदारी | (0.22) | - | - | 0.18 | - | - | - | - | (0.13) | (0.27) |
| संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश | 164.30 | 21.36 | 8.77 | 94.97 | 29.47 | 1.69 | 10.85 | (0.17) | (3.84) | 1.20 |
| क्पअपकमदके तमबमपअमक तिवउ श्रवपदज टमदजनतमे | 29.30 | 4.50 | 2.30 | 22.50 | - | - | - | - | - | - |

क) 31 मार्च, 2024 के अनुसार संबद्ध कंपनी की वित्तीय सूचना का सार (₹ करोड़ में)

| विवरण | कुल | चाइना गैस होल्डिंग लि0 | महानगर गैस लिमिटेड | इंन्द्रप्रस्त गैस लिमिटेड | पेट्रोनेट एलएनजी लि0 | फेयम गैस | ओएनजीसी पेट्रो एडिशन लि0 | ब्रह्मपुत्र कैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड | रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि0 | ओएनजीसी त्रिपुरा पॉवर कंपनी लिमिटेड | एलएलसी भारत एनर्जी ऑफिस | एनएनजी जापोनिका शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लेखाओं की स्थिति | गैर–लेखापरीक्षित | गैर–लेखापरीक्षित | गैर–लेखापरीक्षित | लेखापरीक्षित | लेखापरीक्षित | गैर–लेखापरीक्षित | गैर–लेखापरीक्षित | गैर–लेखापरीक्षित | गैर–लेखापरीक्षित | लेखापरीक्षित | गैर–लेखापरीक्षित | गैर–लेखापरीक्षित |
| ifjlifRr;k | | | | | | | | | | | | |
| xSj&orZeku ifjlifRr;k | **1,76,419.77** | **1,07,508.99** | **5,473.69** | **9,856.52** | **12,636.14** | **3.42** | **26,991.84** | **6,342.26** | **5,249.56** | **2,355.85** | **1.50** | **1,060.52** |
| orZeku ifjlifRr;k | | | | | | | | | | | | |
| नकद और नकद समकक्ष | 13,945.76 | 11,698.75 | 129.37 | 219.04 | 1,723.37 | 25.76 | 8.82 | 36.41 | 100.75 | 3.20 | 0.29 | 63.09 |
| अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां (नकद और नकद समकक्ष को छोड़कर) | 64,005.99 | 40,178.12 | 1,778.23 | 4,144.40 | 11,167.98 | 223.29 | 2,681.68 | 1,641.56 | 1,697.02 | 490.04 | 3.67 | 16.78 |
| dqy orZeku ifjlifRr;k | **77,951.75** | **51,876.87** | **1,907.60** | **4,363.44** | **12,891.35** | **249.05** | **2,690.50** | **1,677.97** | **1,797.77** | **493.24** | **3.96** | **79.87** |
| nkf;Ro | | | | | | | | | | | | |
| xSj&orZeku nkf;Ro | | | | | | | | | | | | |
| गैर–वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार के अलावा तथा अन्य देय और प्रावधान) | 59,320.92 | 35,528.92 | 2.66 | 21.62 | - | - | 19,122.93 | 323.90 | 3,516.01 | 803.85 | 1.03 | - |
| अन्य गैर–वर्तमान देयताएं | 11,530.25 | 2,717.58 | 543.74 | 468.49 | 3,979.58 | 0.01 | 53.98 | 3,597.87 | 28.61 | 140.19 | 0.20 | 1,033.96 |
| dqy xSj&orZeku nkf;Ro | **70,851.17** | **38,246.50** | **546.40** | **490.11** | **3,979.58** | **0.01** | **19,176.91** | **3,921.77** | **3,544.62** | **944.04** | **1.23** | **1,033.96** |
| orZeku nkf;Ro | | | | | | | | | | | | |
| गैर–वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार के अलावा तथा अन्य देय और प्रावधान) | 52,949.25 | 33,974.58 | 1,311.07 | 2,453.46 | 734.30 | 26.45 | 12,110.59 | 734.38 | 1,309.22 | 294.27 | 0.93 | - |
| अन्य वर्तमान देयताएं | 29,341.63 | 21,559.00 | 388.71 | 1,626.57 | 3,404.49 | 147.46 | 1,092.95 | 362.72 | 710.41 | 48.83 | 0.49 | 68.19 |
| dqy orZeku nkf;Ro | **82,290.88** | **55,533.58** | **1,699.78** | **4,080.03** | **4,138.79** | **173.91** | **13,203.54** | **1,097.10** | **2,019.63** | **343.10** | **1.42** | **68.19** |
| इक्विटी | 94,242.59 | 58,640.32 | 5,130.21 | 9,633.36 | 17,409.12 | 78.55 | (2,698.11) | 3,001.36 | 1,483.07 | 1,561.91 | 2.80 | 38.24 |
| समूह के स्वामित्व का हित | | 2.76% | 32.50% | 22.50% | 12.50% | 19.00% | 49.21% | 70.00% | 14.30% | 26.00% | 20.00% | 26.00% |
| संबद्ध कंपनियों में हित | 9,036.07 | 1,618.24 | 1,667.32 | 2,167.51 | 2,176.14 | 14.92 | (1,327.74) | 2,100.95 | 212.08 | 406.10 | 0.56 | 9.94 |
| संबद्ध कंपनियों में ब्याज की अग्रेनीत राशि | 9,036.07 | 1,618.24 | 1,667.32 | 2,167.51 | 2,176.14 | 14.92 | (1,327.74) | 2,100.95 | 212.08 | 406.10 | 0.56 | 9.94 |
| राजस्व | 1,89,406.01 | 90,419.23 | 6,914.35 | 15,456.53 | 52,729.33 | 132.34 | 14,307.32 | 2,978.55 | 4,912.61 | 1,547.30 | 8.45 | 216.72 |
| ब्याज आय | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| मूल्यहास | 3,871.61 | - | 283.87 | 413.96 | 775.82 | - | 1,497.87 | 385.14 | 300.52 | 214.43 | - | - |
| वित्त लागत | 5,994.37 | 2,206.59 | 13.30 | 9.17 | 289.67 | - | 2,860.42 | 31.99 | 484.68 | 98.27 | 0.28 | 45.63 |
| आय कर व्यय | 1,930.10 | 1,088.54 | 445.23 | 559.10 | 1,218.92 | 6.47 | (1,380.68) | (44.22) | - | 36.46 | 0.28 | - |
| अल्स व्यय (निवल) | 1,70,411.44 | 83,263.30 | 4,895.58 | 12,831.92 | 46,919.67 | 108.53 | 14,785.82 | 2,765.86 | 3,668.98 | 1,163.56 | 8.22 | 139.29 |
| o"kZ dk fy, ykHk | **9,043.35** | **5,202.17** | **1,276.37** | **1,985.07** | **3,651.45** | **17.35** | **(3,456.10)** | **(160.22)** | **458.42** | **69.16** | **(0.32)** | **31.80** |
| अन्य व्यापक आय | (7,559.45) | (7,546.69) | (3.86) | (2.94) | (6.89) | - | 0.41 | 0.20 | 0.26 | 0.06 | - | - |
| वर्ष के लिए सहयोगी कंपनी के लाभ में समूह की हिस्सेदारी | 1,436.07 | 143.56 | 414.82 | 446.64 | 456.43 | 3.30 | - | (112.15) | 65.55 | 17.98 | (0.06) | (0.06) |
| वर्ष के लिए सहयोगी कंपनी के ओसीआई में समूह की हिस्सेदारी | (210.87) | (208.26) | (1.25) | (0.66) | (0.86) | - | - | 0.14 | - | 0.02 | - | - |
| समायोजन का समेकन | (40.22) | (45.66) | 0.02 | (0.27) | - | (3.29) | - | 4.78 | 3.66 | - | 0.54 | 0.54 |
| सहयोगी कंपनी के मान्यता प्राप्त लाभों में समूह की हिस्सेदारी | 1,184.98 | (110.36) | 413.59 | 445.71 | 455.57 | 0.01 | - | (107.23) | 69.21 | 18.00 | 0.48 | 0.48 |
| सहयोगी कंपनी से प्राप्त लाभांश | 479.68 | 87.63 | 89.89 | 63.00 | 187.50 | 0.18 | - | 28.18 | - | 23.30 | - | - |

क) 31 मार्च, 2024 के अनुसार संबद्ध कंपनी की वित्तीय सूचना का सार

(₹ करोड़ में)

| विवरण | कुल | चाइना गैस होल्डिंग लि0 | महानगर गैस लिमिटेड | इंन्द्रप्रस्त गैस लिमिटेड | पेट्रोनेट एलएनजी लि0 | फेयम गैस | ओएनजीसी पेट्रो एडिशन लि0 | ब्रह्मपुत्र कैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड | रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि0 | ओएनजीसी त्रिपुरा पॉवर कंपनी लिमिटेड | एलएलसी भारत एनर्जी ऑफिस | एनएनजी जापोनिका शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लेखाओं की स्थिति | गैर–लेखापरीक्षित | गैर–लेखापरीक्षित | गैर–लेखापरीक्षित | लेखापरीक्षित | लेखापरीक्षित | गैर–लेखापरीक्षित | गैर–लेखापरीक्षित | गैर–लेखापरीक्षित | गैर–लेखापरीक्षित | लेखापरीक्षित | गैर–लेखापरीक्षित | गैर–लेखापरीक्षित |
| ifjlifRr;k | | | | | | | | | | | | |
| **xj&orZeku ifjlifRr;k** | **1,70,159.47** | **1,05,340.17** | **4,026.09** | **8,395.97** | **10,905.52** | **6.18** | **26,770.16** | **6,538.66** | **5,654.51** | **2,519.65** | **2.56** | **1,109.13** |
| orZeku ifjlifRr;k | | | | | | | | | | | | |
| नकद और नकद समकक्ष | 14,212.73 | 13,616.42 | 117.90 | 105.61 | 62.66 | 19.60 | 3.66 | 9.65 | 237.93 | 37.61 | 1.69 | 31.68 |
| अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां (नकद और नकद समकक्ष को छोड़कर) | 58,599.09 | 34,020.37 | 1,888.32 | 4,122.28 | 11,784.31 | 212.08 | 2,800.92 | 2,093.45 | 1,194.54 | 479.89 | 2.93 | 9.12 |
| **dqy orZeku ifjlifRr;k** | **72,811.82** | **47,636.79** | **2,006.22** | **4,227.89** | **11,846.97** | **231.68** | **2,804.58** | **2,103.10** | **1,432.47** | **517.50** | **4.62** | **40.80** |
| nf;rk,i | | | | | | | | | | | | |
| xSj&orZeku nf;rk,i | | | | | | | | | | | | |
| गैर–वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार के अलावा तथा अन्य देय और प्रावधान) | 59,216.16 | 35,158.23 | 1.05 | 43.05 | - | - | 19,034.83 | 184.60 | 3,765.62 | 1,026.89 | 1.89 | - |
| अन्य गैर–वर्तमान देयताएं | 12,109.51 | 2,729.60 | 335.87 | 416.77 | 4,587.53 | - | 39.52 | 3,854.63 | 29.68 | 115.50 | 0.41 | 1,073.31 |
| **dqy xSj&orZeku nf;rk,i** | **71,325.67** | **37,887.83** | **336.92** | **459.82** | **4,587.53** | **-** | **19,074.35** | **4,039.23** | **3,795.30** | **1,142.39** | **2.30** | **1,073.31** |
| orZeku nf;rk,i | | | | | | | | | | | | |
| गैर–वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यापार के अलावा तथा अन्य देय और प्रावधान) | 44,865.61 | 29,801.31 | 1,198.88 | 2,790.93 | 861.00 | - | 8,647.93 | 550.06 | 740.29 | 274.33 | 0.88 | - |
| अन्य वर्तमान देयताएं | 18,468.38 | 10,809.19 | 362.29 | 1,440.66 | 2,039.40 | 158.40 | 1,231.66 | 857.65 | 1,527.00 | 41.66 | 0.47 | 66.90 |
| **dqy orZeku nf;rk,i** | **63,333.99** | **40,610.50** | **1,561.17** | **4,231.59** | **2,900.40** | **158.40** | **9,879.59** | **1,407.71** | **2,267.29** | **315.99** | **1.35** | **66.90** |
| इक्विटी | 99,584.66 | 65,805.53 | 4,134.22 | 7,932.45 | 15,264.56 | 79.46 | 620.80 | 3,194.82 | 970.51 | 1,578.77 | 3.54 | 9.72 |
| समूह के स्वामित्व का हित | | 2.76% | 32.50% | 22.50% | 12.50% | 19.00% | 49.21% | 70.00% | 14.72% | 26.00% | 20.00% | 26.00% |
| संबद्ध कंपनियों में हित | 9,963.74 | 1,816.23 | 1,343.62 | 1,784.80 | 1,908.07 | 15.10 | 305.50 | 2,236.37 | 142.86 | 410.48 | 0.71 | 2.53 |
| संबद्ध कंपनियों में ब्याज की अग्रेनीत राशि | 9,963.74 | 1,816.23 | 1,343.62 | 1,784.80 | 1,908.07 | 15.10 | 305.50 | 2,236.37 | 142.86 | 410.48 | 0.71 | 2.53 |
| राजस्व | 1,98,367.45 | 91,507.29 | 6,920.96 | 15,603.02 | 59,899.35 | 159.70 | 14,593.05 | 3,486.82 | 4,565.79 | 1,631.47 | - | 48.62 |
| ब्याज आय | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| मूल्यहास | 3,829.55 | - | 231.14 | 362.10 | 764.34 | - | 1,605.71 | 361.83 | 290.18 | 214.25 | - | - |
| वित्त लागत | 5,205.60 | 1,541.32 | 9.39 | 10.59 | 330.51 | - | 2,754.80 | 4.09 | 453.21 | 101.20 | 0.49 | 10.25 |
| आय कर व्यय | 3,609.52 | 1,380.85 | 265.49 | 482.75 | 1,094.38 | 6.79 | 281.49 | 56.11 | 5.83 | 35.59 | 0.24 | - |
| अल्स व्यय (निवल) | 1,77,978.63 | 82,386.71 | 5,624.89 | 13,360.34 | 54,522.32 | 131.90 | 14,106.54 | 2,937.38 | 3,807.97 | 1,100.21 | 0.37 | 29.45 |
| **o"kZ dk fy, ykHk** | **7,974.32** | **6,011.18** | **790.05** | **1,640.86** | **3,325.82** | **21.01** | **(4,155.49)** | **127.41** | **8.60** | **205.98** | **(1.10)** | **8.92** |
| अन्य व्यापक आय | 2,487.91 | 2,492.40 | (1.26) | 0.55 | (4.36) | - | 1.09 | (0.73) | 0.19 | 0.03 | - | - |
| वर्ष के लिए सहयोगी कंपनी के लाभ में समूह की हिस्सेदारी | 1,355.39 | 165.91 | 256.77 | 369.19 | 415.73 | 3.99 | - | 89.19 | 1.27 | 53.56 | (0.22) | (0.22) |
| वर्ष के लिए सहयोगी कंपनी के ओसीआई में समूह की हिस्सेदारी | 67.46 | 68.79 | (0.41) | 0.12 | (0.54) | - | - | (0.51) | - | 0.01 | - | - |
| समायोजन का समेकन | 374.29 | 350.44 | - | - | 30.33 | (6.05) | - | - | 0.03 | - | (0.46) | (0.46) |
| सहयोगी कंपनी के मान्यता प्राप्त लाभों में समूह की हिस्सेदारी | 1,797.14 | 585.14 | 256.36 | 369.31 | 445.52 | (2.06) | - | 88.68 | 1.30 | 53.57 | (0.68) | (0.68) |
| सहयोगी कंपनी से प्राप्त लाभांश | 841.49 | 83.18 | 81.86 | 291.37 | 215.62 | 0.22 | - | 148.86 | - | 20.38 | - | - |

,Q½ समूह को गैर–लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के अनुसार 31 मार्च 2024 को 4,279.43 करोड़ रूपए (गत वर्ष 2,578.88 करोड़ रुपए) की राशि ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लि0 के संबंध में हानि का शेयर अमान्य है।

t½ महत्वपूर्ण निर्णय एवं अनुमान को समेकित किया गया है।

क) समूह के त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड (टीएनजीसीएल)में 48.98% इक्विटी शेयर हैं परंतु भारतीय लेखा मानक 110 'समेकित वित्तीय विवरण' के तहत किए गए नियंत्रण मूल्यांकन के आधार पर टीएनजीसीएल को कंपनी की सहायक कंपनी माना जाता है क्योंकि टीएनजीसीएल की संगत गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त एवं प्रभावशाली मतदान हित है।

ख) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड (बीसीपीएल) समूह में कंपनी का 70% इक्विटी शेयर है, परंतु भारतीय लेखा मानक 110 'समेकित वित्तीय विवरण' के तहत किए गए नियंत्रण मूल्यांकन के आधार पर बीसीपीएल को कंपनी की एक सहयोगी कंपनी माना गया है क्योंकि कंपनी के पास बीसीपीएल की संगत गतिविधियों के प्रबंधन पर पूर्ण अधिकार नहीं है, परंतु कंपनी इसके प्रबंधन में भाग लेने के साथ ही संगत गतिविधियों के निर्णय लेने में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है।

ग) समूह के पास बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड (बीजीसीएल) में 89.88% इक्विटी शेयर हैं परंतु भारतीय लेखा मानक 110 'समेकित वित्तीय विवरण' के तहत किए गए नियंत्रण मूल्यांकन के आधार पर बीजीसीएल को एक सहायक कंपनी माना गया है क्योंकि बीजीसीएलकी संगत गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त एवं प्रभावशाली मतदान हित है।

घ) समूह के चाइना गैस होल्डिंग लिमिटेड में 2.76% इक्विटी शेयर हैं, परंतु भारतीय लेखा मानक 28 'संबद्ध कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश' के अनुसार किए गए सहयोगी कंपनी मूल्यांकन के आधार पर समूह का कंपनी के निदेशक मंडल

## 30½ vkdfLed n;rk,¡ vkj çfrc)rk,¡

### I- vkdfLed n;rk,¡

क) कंपनी के खिलाफ दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:

(i) आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों आदि द्वारा परिसमाप्त क्षति/मूल्य कटौती अनुसूची, प्राकृतिक गैस मूल्य अंतर आदि के कारण ₹ 2,353.27 करोड़ (गत वर्ष: ₹ 2,118.27 करोड़) के दावे के लिए कानूनी मामले और ग्राहकों द्वारा प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन शुल्क आदि के लिए।

(ii) ₹ 0.40 करोड़ (गत वर्ष: ₹ 0.40 करोड़) की आयकर मांगें और अपीलें लंबित हैं और 31 मार्च 2024 को आकस्मिक देयता के रूप में बंद कर दी गई हैं।

(iii) विवादित अप्रत्यक्ष कर मांगें इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं | विवरण | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|
| 1 | सीमा शुल्क | 657.42 | 1560.81 |
| 2 | उत्पाद शुल्क* | 3,898.83 | 3,731.94 |
| 3 | बिक्री कर/वैट | 147.20 | 868.77 |
| 4 | प्रवेश कर | 0.85 | 0.80 |
| 5 | सेवा कर | 7.55 | 7.31 |
| 6 | जीएसटी | 13.81 | 0.85 |
| | dqy | **4,725.66** | **6170.48** |

*इसमें कंपनी द्वारा निर्मित 'नेफ्था' के वर्गीकरण से संबंधित मामले में ब्याज और जुर्माने सहित ₹ 2,889 करोड़ की अंतर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की मांग शामिल है, जिसकी सीईएसटीएटी, दिल्ली के आदेश दिनांक 30 नवंबर 2018 द्वारा पुष्टि की गई है। कंपनी ने आदेश के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ₹ 20 करोड़ की राशि जमा करने और ₹ 132 करोड़ की सीमा तक सुरक्षा प्रस्तुत करने की शर्तों के अनुपालन पर स्थगन दिया गया है। कंपनी ने कानूनी विशेषज्ञ से राय प्राप्त की है और उनके अनुसार, कंपनी के पास योग्यता के साथ–साथ सीमा के आधार पर यह एक अच्छा मामला है। मामला न्यायालय में लंबित है। तदनुसार, 31 मार्च 2024 तक ब्याज और जुर्माने सहित ₹ 3,517 करोड़ (गत वर्ष: ₹ 3,391 करोड़) की राशि का आकस्मिक देयता के रूप में खुलासा किया गया है।

(iv) ₹ 9.66 करोड़ (गत वर्ष: ₹ 14.01 करोड़) के विविध दावों में मुख्य रूप से देरी से भुगतान और उनके द्वारा किए गए नुकसान आदि के लिए विक्रेताओं द्वारा दायर मध्यस्थता मामले शामिल हैं।

(v) कुछ ग्राहकों ने गैस की आपूर्ति नहीं करने के लिए जहाज या भुगतान शुल्क/परिणामी नुकसान के लिए ₹ 32,600 शून्य (गत वर्ष: ₹ शून्य) की राशि के प्रति दावे प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से पूर्व में कंपनी को मध्यस्थ न्यायाधिकरण से कुछ मामलों में ₹ 31,829 करोड़ के लिए अनुकूल आदेश प्राप्त हुआ था।

(vi) समूह कंपनियों की उनके लेखापरीक्षित/गैर–लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर आकस्मिक देयताओं में हिस्सेदारी इस प्रकार है: –

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | 2023–24 | 2022–23 |
|---|---|---|---|
| क) | सहायक कंपनियां | 643.49 | 1,564.68 |
| ख) | संयुक्त उद्यम | 36.17 | 34.55 |
| ग) | संबद्ध कंपनियां | 2,721.31 | 3,156.98 |

ख) ऋण जुटाने के लिए कॉर्पोरेट गारंटी

कंपनी ने ऋण जुटाने के लिए संबंधित पक्षों की ओर से 4,604.51 करोड़ (गत वर्ष: ₹ 4,583.74 करोड़) की कॉर्पोरेट गारंटी जारी की है। इन कॉर्पोरेट गारंटियों के विरुद्ध 31 मार्च 2024 तक बकाया ऋण की राशि ₹ 1918.82 करोड़ (गत वर्ष: ₹ 1,543.30 करोड़) है। इसके अलावा, कंपनी ने संबंधित पक्षों की ओर से गैर–निधि आधारित सुविधाओं के लिए ₹₹ 12,079.30 करोड़ (गत वर्ष: ₹ 13,048.56 करोड़) की कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान की है।

### II- çfrc)rk,¡

¼d½ iwathxr çfrc)rk,¡

31 मार्च 2024 को पूंजी खाते पर निष्पादित की जाने वाली संविदाओं की अनुमानित राशि (कर और अग्रिमों के निवल सहित) ₹ 11,484.02 करोड़ (गत वर्ष: ₹ 12,381.09 करोड़) है।

¼[k½ समूह कंपनियों के लेखापरीक्षित/गैर–लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर प्रदान नहीं किए गए पूंजी खाते पर निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि में कंपनी का हिस्सा:–

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | 2023–24 | 2022–23 |
|---|---|---|---|
| क) | सहायक कंपनियां | 2,295.10 | 2,920.69 |
| ख) | संयुक्त उद्यम | 3,525.97 | 3936.66 |
| ग) | संबद्ध कंपनियां | 860.15 | 916.74 |

¼x½ iêk çfrc)rk,¡

कंपनी के पास विभिन्न पट्टा संविदाएं हैं जो अभी तक 31 मार्च 2024 तक शुरू नहीं हुई हैं। इन गैर–रद्द करने योग्य पट्टा संविदाओं के लिए भावी पट्टे के भुगतान इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|
| एक वर्ष के भीतर | - | 111.71 |
| एक वर्ष के बाद लेकिन पांच वर्ष से अधिक नहीं | - | 1,481.31 |
| पांच वर्ष से अधिक | - | 345.42 |
| dqy | **-** | **1,938.45** |

¼?k½ vU; çfrc)rk,¡

क. कंपनी के पास सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों, संबद्ध कंपनियों और अन्य कंपनियों में ऋण के आगे निवेश और वितरण के लिए ₹ 4,680.01 करोड़ (गत वर्षः ₹ 4,357.27 करोड) की प्रतिबद्धता है।

ख. ईएंडपी संयुक्त उद्यमों के संबंध में विभिन्न उत्पादन साझाकरण अनुबंधों/राजस्व साझाकरण अनुबंधों के तहत संयुक्त रूप से नियंत्रित परिसंपत्तियों के संबंध में न्यूनतम कार्य कार्यक्रम के प्रति कंपनी द्वारा की गई प्रतिबद्धताएं ₹ 43.79 करोड़ हैं (गत वर्षः ₹.93 करोड़)।

ग. कंपनी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी), भारत सरकार द्वारा जगदीशपुर–हल्दिया–बोकारो–धामरा पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) के साथ छह भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) में नगर गैस वितरण (सीजीडी) परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अधिकृत किया गया है। इसके लिए न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) (उपलब्धि बनाम लक्ष्य) का विवरण निम्नानुसार हैः

| | एमडब्ल्यूपी लक्ष्य (पांच वर्ष) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| भौगोलिक क्षेत्र | समापन तारीख – संशोधित लक्ष्य तारीख | पीएनजीआरबी – एमडब्ल्यूपी कुल (पाइपलाइन इंच कि. मी. में | 31 मार्च, 2024 तक संचयी उपलब्धि (पाइपलाइन इंच कि.मी. में) | पीएनजी कनेक्शन के लिए बुनियादी ढांचा (संख्या में) | 31 मार्च, 2024 तक संचयी उपलब्धि |
| वाराणसी | | 1,899 | 2,350 | 40,211 | 82,749 |
| भुवनेश्वर | | 1,513 | 1,121 | 26,900 | 60,684 |
| कटक | 31 मार्च 2025 | 1,416 | 635 | 28,959 | 28,360 |
| पटना | | 2,445 | 1,934 | 50,154 | 70,636 |
| राँची | | 1,800 | 1,547 | 29,962 | 57,567 |
| जमशेदपुर | | 1,282 | 634 | 24,278 | 42,952 |
| dqy | | **10,355** | **8,221** | **2,00,464** | **3,42,948** |

## 31½ dEiuh }kjk nkok dk vk;@ifjlaifRr ds :i esa Lohdkj ugÈ fd;k x;k

i. कुछ ग्राहकों के संबंध में पोत या भुगतान शुल्क के संबंध में, मामला विचाराधीन/विवादाधीन होने के कारण, कंपनी दावा पत्र जारी कर रही है, जो कि 31 मार्च 2024 तक ₹ 1,744.84 करोड (गत वर्षः ₹ 1,747.05 करोड़) की राशि है। इसके संबंध में जब भी मामला अंतिम रूप से तय हो जाएगा, आय को मान्यता दी जाएगी।

ii. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एंड एनजी) के दिशानिर्देशों के अनुसार उर्वरक कंपनियों द्वारा गैर–निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए एपीएम गैस के उपयोग हेतु कंपनी द्वारा प्रस्तुत चालानों की वसूली के लिए कुछ ग्राहकों के संबंध में न्यायालय में मामले लंबित होने के कारण, कंपनी ने उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर ₹ 1,704.56 करोड़ (गत वर्षः 1,704.56 करोड़ रुपए) की राशि के दावे पत्र जारी किए हैं। इनके प्राप्त होने पर, आय को गैस पूल में अंतरित कर दिया जाएगा।

iii. कंपनी के एलएनजी आपूर्तिकर्ताओं में से एक ने वित्त वर्ष 2022–23 में कुछ मात्रा की आपूर्ति नहीं की। कंपनी ने इस स्थिति को हल करने के लिए मध्यस्थता के माध्यम से अपने संविदात्मक अधिकारों का पालन किया है, जो कि निर्णय के लिए लंबित है। उक्त मध्यस्थता से कंपनी पर होने वाले वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, का आकलन मध्यस्थता कार्यवाही के अंतिम परिणाम के बाद किया जाएगा।

## 32½ eY; fuèkkj.k vkj VfjQ

i. 1 अप्रैल 2002 से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की कीमतों को नियंत्रणमुक्त किया गया है और तेल विपणन कंपनियों द्वारा इन्हें निर्धारित आयात सममूल्य कीमतों के आधार पर तय किया जाता है। तथापि, मूल्य निर्धारण प्रणाली अनंतिम है और इसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) द्वारा अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। मूल्य निर्धारण पर प्रभाव, यदि कोई हो, का मामले को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही पता लगेगा।

ii. प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ समय–समय पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा जारी किए गए विभिन्न विनियमों के अधीन हैं। लाभ पर प्रभाव, यदि कोई हो, को पीएनजीआरबी के आदेशों द्वारा पाइपलाइन शुल्क में संशोधन के रूप में लगातार पहचाना जा रहा है।

iii. कंपनी ने दादरी–बवाना–नंगल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (डीबीएनपीएल), चैनसा–झज्जर–हिसार प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (सीजेएचपीएल), कावेरी बेसिन, कोच्चि–कुट्टनाड–बेंगलुरु–मंगलुरु पाइपलाइन (केकेएमबीपीएल), कृष्णा गोदावरी बेसिन (केजी बेसिन) और दाभोल–बैंगलोर पाइपलाइन (डीबीपीएल) नेटवर्क के लिए पीएनजीआरबी द्वारा जारी अंतिम टैरिफ आदेश (आदेशों) के संबंध में पीएनजीआरबी द्वारा किए गए विभिन्न संशोधनों के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) के समक्ष अपील दायर की है। ये अंतिम अधिनिर्णय के लिए लंबित हैं।

iv. वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, कंपनी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की है जिसमें उपभोक्ताओं के लिए विपणन प्राकृतिक गैस के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ तय करने के पीएनजीआरबी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को अपने दिनांक 11 अप्रैल 2017 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया है। इस संबंध में, कंपनी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 12 मई 2017 को एक समीक्षा याचिका दायर की है जिसे माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और यह अंतिम निर्णय के लिए लंबित है।

v. पीएनजीआरबी ने राजपत्र अधिसूचना फाइल सं. पीएनजीआरबी/कॉम/11–पीपीपीएल(1)/2024 खंड–I (ई–5022) दिनांक 10 अप्रैल, 2024 के जरिए मौजूदा एलपीजी पाइपलाइन टैरिफ निर्धारण विनियमों की वैधता को 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया है।

33½ 19 फरवरी 2014 को, पीएनजीआरबी ने विनियम 5क को सम्मिलित करके संशोधित संबद्ध आचार संहिता विनियमों को अधिसूचित किया, जिसमें कहा गया था कि प्राकृतिक गैस के विपणन और परिवहन दोनों में लगी एक यूनिट 31 मार्च 2017 को या उससे पहले एक अलग कानूनी यूनिट बनाएगी ताकि प्राकृतिक गैस के परिवहन की गतिविधि ऐसी अलग कानूनी यूनिट द्वारा की जाए और पहले उपयोग का अधिकार, हालांकि, ऐसी अलग कानूनी यूनिट की संबद्ध इकाई को उपलब्ध होगा। कंपनी ने उक्त पीएनजीआरबी विनियमन को एक रिट याचिका के माध्यम से माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है और यह अंतिम निर्णय के लिए लंबित है।

पीएनजीआरबी (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2022 दिनांक 17.11.2022 की अधिसूचना के अनुसरण में, और गेल के बाद के प्रस्तुतीकरण के अनुसार, टैरिफ आदेश दिनांक 22.03.2023 और 24.03.2023 के माध्यम से 1 अप्रैल 2023 से गेल की एकीकृत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (एकीकृत एचवीजे, डीयूपीएल–डीपीपीएल, डीबीपीएल, डीबीएनपीएल, सीजेएचपीएल, जेएचबीडीपीएल, दक्षिण गुजरात उप–नेटवर्क, ट्रॉम्बे और उरण–थाल–उसर उप–नेटवर्क शामिल) के लिए एकीकृत टैरिफ (स्तरीकृत और अंचल विभाजन) निर्धारित किया गया है।

34½ पीएनजीआरबी (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 2020 दिनांक 23.11.2020 की अधिसूचना के अनुसार और दिनांक 29 मार्च 2023 के टैरिफ आदेश द्वारा पीएनजीआरबी (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2008 में संशोधन ने राष्ट्रीय गैस ग्रिड सिस्टम (एनजीजीएस) के लिए 'एकीकृत टैरिफ' निर्धारित किया है, जो 1 अप्रैल, 2023 से लागू हो गया है। एनजीजीएस में नौ (09) कंपनियों की बारह (12) परस्पर संबद्ध प्राकृतिक गैस पाइपलाइन शामिल हैं। इसके तहत, देश भर में और एनजीजीएस पर स्थित ग्राहकों/शिपर्स को एनजीजीएस पर एकीकृत प्रवेश बिंदु से एकीकृत निकास बिंदु तक गैस की आवाजाही के लिए समान लागू जोनल एकीकृत टैरिफ का भुगतान करना होगा। तथापि, गेल की राजस्व पात्रता अपने स्वीकृत अंचल एकीकृत टैरिफ और केजी–बेसिन टैरिफ के अनुसार होगी जो एनजीजीएस का हिस्सा हैं।

पीएनजीआरबी ने दिनांक 31.05.2023 के टैरिफ आदेश संदर्भ सं. टीओ/2023–24ए02 के तहत अगरतला क्षेत्रीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क का संशोधित टैरिफ 1.02/एमएमबीटीयू के स्थान पर 01.06.2023 से 2.06/एमएमबीटीयू निर्धारित किया है और टैरिफ आदेश संदर्भ संख्या टीओ/2023–24/11 दिनांक 27.12.2023 के तहत केजी–बेसिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क का संशोधित टैरिफ 16.14/एमएमबीटीयू के स्थान पर 01.01.2024 से 8.40/एमएमबीटीयू निर्धारित किया है, जिससे ट्रांसमिशन राजस्व प्रभावित हुआ है।

35½ 1 जून 2023 को, मूल कंपनी ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदित दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के तहत कार्यान्वित कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया ('समाधान योजना') के अनुसार गेल मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ('जीएमपीएल') (जिसे पहले 'जेबीएफ पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड' के रूप में जाना जाता था) का अधिग्रहण पूरा कर लिया। मूल कंपनी ने समाधान योजना के अनुसार दावों के निपटान के लिए समाधान योजना की दिशा में 1 जून 2023 को जीएमपीएल में ₹ 2,101 करोड़ (इक्विटी: ₹ 625 करोड़ और ऋण: ₹ 1,476 करोड़) डाले। तदनुसार, मूल कंपनी के पक्ष में 62.50 करोड़ इक्विटी शेयर आवंटित किए गए और जीएमपीएल 15.04.2018 से मूल कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई। 1 जून 2023 के बाद मूल कंपनी ने 31 मार्च 2024 तक इक्विटी के रूप में ₹ 88 करोड़ और डाले। वर्तमान में मूल कंपनी के पास 71.30 करोड़ इक्विटी शेयर हैं।

अधिग्रहण की तिथि से, गेल मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने समेकित वित्तीय विवरणों में प्रचालन से राजस्व में शून्य राशि, कर पूर्व लाभ/(हानि) ₹ (15.39) करोड़ और कर पश्चात लाभ/(हानि) ₹ 48 करोड़ का योगदान दिया।

Hkkjrh; y[kk ekud 103 0;olk; la;kstu ds vuqlkj çdVhdj.k

अधिग्रहण की तिथि पर अर्जित पहचान योग्य परिसंपत्तियों और ग्रहण की गई देयताओं का उचित मूल्य नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

| | विवरण | अधिग्रहण तिथि पर उचित मूल्य |
|---|---|---|
| A- | ifjlEifRr;k¡ | |
| ¼1½ | xSj&orZeku lEifRr | |
| (क) | संपत्ति, संयंत्र और उपकरण | 3.70 |
| (ख) | लीजहोल्ड भूमि (आरओयू) | 113.51 |
| (ग) | पूंजीगत कार्य प्रगति पर | 4,304.86 |
| (घ) | अन्य अमूर्त संपत्ति | |
| (ड.) | अन्य गैर–वर्तमान संपत्ति | |
| (च) | गैर–चालू कर संपत्ति (शुद्ध) | |
| (छ) | आस्थगित कर परिसंपत्ति | 453.87 |
| | | **4,875.95** |
| ¼2½ | pkyw ifjlEifRr;k¡ | |
| (क) | मांग–सूची | |
| (ख) | वित्तीय संपत्ति | |
| | (i) व्यापार प्राप्य | |
| | (ii) नकद और नकद समकक्ष | 2,101.04 |
| | (iii) अन्य वित्तीय संपत्ति | |
| (ग) | अन्य चालू परिसंपत्तियां | 1.78 |
| | | **2,102.82** |
| | dqy ifjlEifRr;k¡ ¼d½ | **6,978.77** |
| (1) | गैर–वर्तमान देयताएँ | |
| (क) | वित्तीय देयताएँ | |

(₹ करोड़ में)

| | विवरण | अधिग्रहण तिथि पर उचित मूल्य |
|---|---|---|
| | (i) गैर–वर्तमान वित्तीय देयताएँ– अन्य | 1,511.21 |
| | | **1,511.21** |
| **(3)** | pky n; rk, | |
| (क) | वित्तीय देयताएँ | |
| | (i) उधार | 1,996.20 |
| | (ii) अन्य वित्तीय देयताएँ | 81.33 |
| | (iii) चालू पट्टा देयताएँ | 0.03 |
| (ख) | अन्य चालू देयताएँ | 0.31 |
| | | **2,077.87** |
| | dy n; rk, ¼[k½ | **3,589.08** |
| | igpku ;kX; 'k) ifj lifÙk;k dk mfpr eY; ¼x&d&[k½ | **3,389.69** |
| | भुगतान किया गया प्रतिफल | 625.00 |
| | गैर–नियंत्रक हित | - |
| | xj&fu;=d fgrk lfgr Hkxrku fd;k x;k çfrQy [k] | **625.00** |
| | ith vkjf{kr ¼x&?k½ & vU; bfDoVh d ek/;e l lh/k eU;r&çkIr | **2,764.69** |

## 36½ Hkfe vkj fuek.k%

31 मार्च 2024 तक मूल कंपनी के नाम पर निष्पादन के लिए लंबित शीर्षक विलेख निम्नानुसार हैं:

| क्र. सं. | तुलन–पत्र में संबंधित लाइन | संपत्ति की मद का विवरण | सकल वहन मूल्य (करोड़ में) | (मालिक/मालिक के नाम) के नाम पर धारित अधिकार विलेख | क्या अधिकार विलेख धारक प्रमोटर*, निदेशक या रिश्तेदार# प्रमोटर/निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है | संपत्ति किस तारीख से धारित | कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण* (*विवाद होने पर भी बताएं) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | भूमि एसवी–6 – खजोद | 2.53 | डायमंड रिसर्च मर्केंटाइल सिटी लिमिटेड | नहीं | 15-07-2007 | मामला सूरत नगर निगम के पास लंबित |
| 2 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | भूमि आईपी–2 अतिरिक्त सिलवासा | 0.06 | रमीलाबेन पाटकर/ एसएलएओ | नहीं | 30-09-2007 | मामला मुंबई, उच्च न्यायालय में लंबित है |
| 3 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | भूमि एसवी–13 – दापचेरी | - | डेयरी विकास बोर्ड, महाराष्ट्र | नहीं | 17-06-2009 | मामला राजस्व प्राधिकारी, जिला कलेक्टर पालघर के पास लंबित |
| 4 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | मोरा एचएलपीएल पाइपलाइन (डीयूपीएल) में भूमि | 7.36 | गुजरात सरकार | नहीं | 3-7-2022 | मामले को एसएलएओ के माध्यम से कलेक्टर सूरत के साथ उठाया जा रहा है। |
| 5 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | भूमि – एसवी स्टेशन–2, प्रधानपुर | 0.08 | श्री राम खेलावन एवं अन्य (प्लॉट नं. 448) और श्री राम सेवक एवं अन्य (प्लॉट नं. 446) | नहीं | 16-09-2015 | डीएम कार्यालय, रायबरेली में लंबित |
| 6 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | भूमि – एसवी स्टेशन – 3, नारायणपुर | 0.12 | बहु किसान | नहीं | 16-09-2015 | अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने के लिए एसएलएओ के पास लंबित है। |
| 7 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | भूमि – एसवी स्टेशन, – 4 महियामऊ दिबियापुर | 0.40 | बहु किसान | नहीं | 16-09-2015 | अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने के लिए एसएलएओ के पास लंबित। |
| 8 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | भूमि एसवी–2 लाखाबावल, जामनगर, गुजरात | 4.56 | सरकारी भूमि | नहीं | 24-11-1999 | अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने के लिए एसएलएओ के पास लंबित। |
| 9 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | फ्रीहोल्ड भूमि–एसवी 12 नैनोली क्षेत्र | 0.02 | महाराष्ट्र सरकार | नहीं | 08-08-2008 | मामला ग्राम पंचायत नानोली, मावल, पुणे के पास लंबित |
| 10 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | फ्रीहोल्ड भूमि एसवी कोपर अलीबाग | 0.02 | आईपीसीएल | नहीं | 21-08-1995 | मामला तहसीलदार और तलाटी, अलीबाग के पास लंबित |
| 11 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | धोकावाड़ा में फ्रीहोल्ड भूमि, तहसीलदार –अलीबाग | 0.00 | ओएनजीसी | नहीं | 26-10-1999 | नाम हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है। |

| क्र. सं. | तुलन–पत्र में संबंधित लाइन | संपत्ति की मद का विवरण | सकल वहन मूल्य (करोड़ में) | (मालिक/मालिक के नाम) के नाम पर धारित अधिकार विलेख | क्या अधिकार विलेख धारक प्रमोटर*, निदेशक या रिश्तेदार# प्रमोटर/निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है | संपत्ति किस तारीख से धारित | कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण* (*विवाद होने पर भी बताएं) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | भूमि आईपी–01–3, (भाग–3) सर्वेक्षण संख्या 37/21बी, पुर गांव, संगमेश्वर तहसील, रत्नागिरी जिला | 0.03 | बहु किसान | नहीं | 12-06-2012 | बहु किसान – भूमि मालिक के साथ मामला उठाने के लिए एजेंसी की सेवाएं ली गईं |
| 13 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | भूमि आईपी–01–4, (भाग–4) सर्वेक्षण संख्या 14/14, पुर गांव, संगमेश्वर तहसील, रत्नागिरी जिला | 0.03 | बहु किसान | नहीं | 12-06-2012 | बहु किसान – भूमि मालिक के साथ मामला उठाने के लिए एजेंसी की सेवाएं ली गईं |
| 14 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | भूमि आईपी–01–5, (भाग–5) सर्वेक्षण संख्या 37/28ए1, पुर गांव, संगमेश्वर तहसील, रत्नागिरी जिला | 0.01 | बहु किसान | नहीं | 12-06-2012 | बहु किसान – भूमि मालिक के साथ मामला उठाने के लिए एजेंसी की सेवाएं ली गईं |
| 15 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | भूमि–एसवी–05जी, मारकाइम गांव के सर्वेक्षण संख्या 391/1 पर, पोंडा तालुका, मारकाइम कम्यूनिटीडा, गोवा | 0.64 | गोवा सरकार | नहीं | 30-05-2011 | मामला गोवा सरकार के पास लंबित |
| 16 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | भूमि आईपी–। कोल्हापुर–डीबीपीएल–। आईपी–। गांव–पुर 8/11 (20 गुंथा)37/15 | 0.16 | बहु किसान | नहीं | 12-06-2012 | बहु किसान – भूमि मालिक के साथ मामला उठाने के लिए एजेंसी की सेवाएं ली गईं |
| 17 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | भूमि आईपी–। कोल्हापुर–डीबीपीएल–। आईपी–। गांव–पुर 9/11 (42 गुंथा) 37/16 | 0.33 | बहु किसान | नहीं | 12-06-2012 | बहु किसान – भूमि मालिक के साथ मामला उठाने के लिए एजेंसी की सेवाएं ली गईं |
| 18 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | भूमि आईपी–। कोल्हापुर–डीबीपीएल–। आईपी–। गांव–पुर 10/11 (9 गुंथा)37/19 | 0.07 | बहु किसान | नहीं | 12-06-2012 | बहु किसान – भूमि मालिक के साथ मामला उठाने के लिए एजेंसी की सेवाएं ली गईं |
| 19 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | भूमि आईपी–। कोल्हापुर–डीबीपीएल–। आईपी–। गांव–पुर 11/11 (10 गुंथा)37/2 | 0.08 | बहु किसान | नहीं | 12-06-2012 | बहु किसान – भूमि मालिक के साथ मामला उठाने के लिए एजेंसी की सेवाएं ली गईं |
| 20 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | भूमि रानासन गांव, तालुका और जिला गांधीनगर में | 0.00 | एकाधिक व्यक्ति | नहीं | 01-02-2003 | मामला राज्य सरकार के पास लंबित |
| 21 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | भूमि तारखंडा गांव, तालुका हलोल, जिला पंच महल, गुजरात में | 0.00 | एकाधिक व्यक्ति | नहीं | 22-09-2005 | मामला राज्य सरकार के पास लंबित |
| 22 | सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | भूमि – सीजेपीएल कन्हाई गांव से हीरो होंडा, हरियाणा | 1.22 | भूमि हरियाणा सहकारी विकास परिषद की है | नहीं | 13-03-2011 | मामला हरियाणा विकास प्राधिकरण के पास लंबित |
| 23 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | भूमि 4.57 हेक्टेयर जीआईडीसी, वाघोडिया | 0.25 | गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) | नहीं | 28-06-1991 | मामला गुजरात सरकार के पास लंबित |
| 24 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | पट्टा धारित भूमि – खानो, गोवा | 0.64 | सरकारी भूमि | नहीं | 10-06-2011 | मामला गोवा सरकार के पास लंबित |
| 25 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल–।– एसवी–14 पट्टा–सह–बिक्री | 0.01 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 02-02-2011 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| 26 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल–।–एसवी–15 पट्टा–सह–बिक्री | 0.01 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 02-02-2011 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| 27 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल–।–एसवी–17 पट्टा–सह–बिक्री | 0.00 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 20-03-2011 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| 28 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल–।–एसवी–18 पट्टा–सह–बिक्री | 0.01 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 28-03-2011 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |

| क्र. सं. | तुलन–पत्र में संबंधित लाइन | संपत्ति की मद का विवरण | सकल वहन मूल्य (करोड़ में) | (मालिक/मालिक के नाम) के नाम पर धारित अधिकार विलेख | क्या अधिकार विलेख धारक प्रमोटर*, निदेशक या रिश्तेदार# प्रमोटर/ निदेशक या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है | संपत्ति किस तारीख से धारित | कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण* (*विवाद होने पर भी बताएं) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल– I–एसवी–21 पट्टा–सह–बिक्री | 0.08 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 28-03-2011 | मामला केआईएडीबी के पास लंबित |
| 30 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल– I–एसवी–16 पट्टा–सह–बिक्री | 0.01 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 30-09-2011 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| 31 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल– I–एसवी–20 पट्टा–सह–बिक्री | 0.02 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 14-10-2011 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| 32 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल– I–आईपी–05 पट्टा–सह–बिक्री | 0.08 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 02-11-2011 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| 33 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल– I–आईपी–06 पट्टा–सह–बिक्री | 0.03 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 13-03-2012 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| 34 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल– I–एसवी–22 पट्टा–सह–बिक्री | 0.09 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 10-07-2012 | मामला केआईएडीबी के पास लंबित |
| 35 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल– I–एसवी–12 पट्टा–सह–बिक्री | 0.01 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 28-03-2011 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| 36 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल– I–एसवी–11 पट्टा–सह–बिक्री | 0.00 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 22-06-2011 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| 37 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल– I–आईपी–07 पट्टा–सह–बिक्री | 0.08 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 25-07-2011 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| 38 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल– I–आईपी–03 पट्टा–सह–बिक्री | 0.06 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 02-11-2011 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| 39 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल– I–एसवी–19 पट्टा–सह–बिक्री | 0.11 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 08-02-2012 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| 40 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल– I–एसवी–13 पट्टा–सह–बिक्री | 0.04 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 13-03-2012 | केआईएडीबी के निर्देशों के अनुसार कुल स्टेशन सर्वेक्षण ड्राइंग के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया |
| 41 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | केआईएडीबी–पट्टा भूमि 02 वर्ष डीबीपीएल– I–आईपी–06 पट्टा–सह–बिक्री | 1.08 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 20-06-2022 | मामला केआईएडीबी के पास लंबित |
| 42 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | केआईएडीबी–पट्टा भूमि 10 वर्ष डीबीपीएल–एसवी–09– पट्टा–सह–बिक्री | 0.02 | कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) | नहीं | 02-11-2012 | मामला केआईएडीबी के पास लंबित |
| 43 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | पट्टा एसवी, गांव सिंहवासा, तहसील और जिला गुना, मध्य प्रदेश | 0.00 | सरकारी भूमि | नहीं | 14-12-1995 | मामला राज्य सरकार के पास लंबित |
| 44 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | एसवी, गांव मंडोला, तहसील और जिला बारां, राजस्थान, 325205 | 0.00 | श्री बिशन लाल | नहीं | 05-04-2007 | मामला राज्य सरकार के पास लंबित |
| 45 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | पट्टा–पी 25 मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर, मध्य प्रदेश | 0.12 | सरकारी भूमि | नहीं | 30-11-2005 | पट्टा विलेख मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) के पास लंबित |
| 46 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | बुढ़ा तहसील बरद, शिवपुरी, मध्य प्रदेश | 0.14 | सरकारी भूमि | नहीं | 10-08-2022 | मामला राज्य सरकार के पास लंबित |

| क्र. सं. | तुलन–पत्र में संबंधित लाइन | संपत्ति की मद का विवरण | सकल वहन मूल्य (करोड़ में) | (मालिक/मालिक के नाम) के नाम पर धारित अधिकार विलेख | क्या अधिकार विलेख धारक प्रमोटर*, निदेशक या रिश्तेदार# प्रमोटर/निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है | संपत्ति किस तारीख से धारित | कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण* (*विवाद होने पर भी बताएं) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | पट्टा धारित भूमि सर्वेक्षण सं. 99,100, एलूर गांव, परावुर तालुक और सर्वेक्षण सं.205/37, वडावुकोड–पुथेनक्रूज, एर्नाकुलम, केरल | 4.79 | फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (फैक्ट) | नहीं | 08-03-2011 | मामला फैक्ट के पास विचाराधीन |
| 48 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | पट्टा धारित भूमि – 30.00 हेक्टेयर–(90 वर्ष), उत्तर प्रदेश | 1.33 | वन विभाग | नहीं | 08-12-2000 | मामला राज्य सरकार के पास समझौता के लिए लंबित |
| 49 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | भूमि–एसवी 27 सेल बोकारो, जेएचबीडीपीएल, झारखंड | 0.43 | सेल, बोकारो | नहीं | 28-08-2019 | पट्टा करार का निष्पादन प्रक्रियाधीन |
| 50 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | भूमि सीजीडी एमआरएस, डीसीयू, डीआरएस और सीएस प्लॉट नं. एनएस (पी), पटना | 0.24 | बिहार औद्योगिक–बियाडा | नहीं | 14-10-2022 | मामला प्राधिकरण के पास समझौते के लिए लंबित |
| 51 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | भूमि कोको सीएनजी टाटीसिलवई, थाना सं. 173, रांची | 3.46 | झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जियाडा) | नहीं | 28-08-2019 | मामला प्राधिकरण के पास समझौते के लिए लंबित |
| 52 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | भूमि कोको सीएनजी स्मार्ट सिटी एंड डीआरएस लतमा–243, रांची | 5.79 | रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरएससीएल) | नहीं | 29-09-2023 | मामला प्राधिकरण के पास समझौते के लिए लंबित |
| 53 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | भूमि कोको सीएनजी खिरकियाघाट नमो घाट, वाराणसी | 4.48 | नगर निगम, वाराणसी | नहीं | 26-12-2020 | मामला नगर निगम कार्यालय के पास पट्टा करार प्रारूप चरण में लंबित |
| 54 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | भूमि एक्सएलआरआई सोनारी, वार्ड सं. 06, खाता सं. 02, जमशेदपुर झारखंड सरकार | 7.01 | झारखंड सरकार | नहीं | 22-06-2022 | मामला राज्य सरकार के पास समझौते के लिए लंबित |
| 55 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | भूमि शास्त्रीनगर, कदमा, वार्ड नं. 02, जमशेदपुर | 3.59 | झारखंड सरकार | नहीं | 22-06-2022 | मामला राज्य सरकार के पास समझौते के लिए लंबित |
| 56 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | भूमि उलियान, कदमा, वार्ड नं. 02, जमशेदपुर | 4.27 | झारखंड सरकार | नहीं | 22-06-2022 | मामला राज्य सरकार के पास समझौते के लिए लंबित |
| 57 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | भूमि सोनारी डीसीयू, वार्ड नं. 01, खाता नं. 622, जमशेदपुर | 3.19 | झारखंड सरकार | नहीं | 24-09-2019 | मामला राज्य सरकार के पास समझौते के लिए लंबित |
| 58 | उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | भूमि जुगसलाई, वार्ड नं. 04, खाता नं. 02, जमशेदपुर | 2.15 | झारखंड सरकार | नहीं | 24-09-2019 | मामला राज्य सरकार के पास समझौते के लिए लंबित |
| | | d्y | **61.35** | | | | |

ii. वर्ष 1990 में, गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) ने वाघोडिया, गुजरात में एलपीजी रिकवरी की स्थापना के लिए 99 वर्षों के लिए कंपनी को 70.87 हेक्टेयर की लीजहोल्ड भूमि आवंटित की। निष्पादित पट्टा विलेख लगभग 66.30 हेक्टेयर भूमि के लिए है, जबकि गुजरात सरकार ने अभी तक शेष राशि जीआईडीसी को अंतरित नहीं की है।

कंपनी शेष भूमि के नियमितीकरण के लिए जीआईडीसी और गुजरात सरकार के साथ मामले को उठा रही है। कंपनी ने उत्तर दिया कि जीआईडीसी से कोई मांग न किए जाने पर कोई और राशि देय नहीं है। कंपनी की राय है कि चूंकि आवंटित भूमि के लिए राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और जीआईडीसी से कोई अतिरिक्त मांग नहीं है, अतः कंपनी की ओर से कोई देयता/आकस्मिक देयता नहीं बनती है।

iii. सीएसआर गतिविधियों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि और भवनों का विवरण और सीएसआर व्यय के रूप में लेखा, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के तहत शामिल नहीं किया गया है, जो निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|---|
| 1 | उत्तर प्रदेश में फ्रीहोल्ड भूमि (3.28 एकड़) | 0.31 | 0.31 |
| 2 | क्र.सं. 1 में उल्लिखित फ्रीहोल्ड भूमि पर निर्मित भवन।<br>(पूर्ण होने की तिथि – 27 जनवरी, 2017) | 4.44 | 4.44 |
| 3 | मध्य प्रदेश में पट्टा धारित भूमि (2 हेक्टेयर) | 0.80 | 0.80 |
| 4 | क्र.सं. 3 में उल्लिखित लीजहोल्ड भूमि पर निर्मित भवन।<br>(पूर्ण होने की तिथि – 13 फरवरी, 2015) | 6.51 | 6.51 |

iv. कंपनी ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के साथ एक स्थायी भूमि पट्टा समझौता किया है। किराया अर्ध–वार्षिक देय है, जो दिनांक 1 जनवरी, 2018 से संशोधन के अधीन है। तदनुसार, कंपनी ने पूर्व–संशोधित पट्टा समझौते के अनुसार 14 जुलाई 2024 तक किराया जमा कर दिया है। कंपनी ने उक्त भूमि के अधिकार विलेख को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए एक आवेदन भी प्रस्तुत किया है, जिसके लिए डीडीए से पुष्टि की प्रतीक्षा है।

v. प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए, कंपनी भूमि के उपयोग का अधिकार (आरओयू) प्राप्त करती है जिसके लिए आम तौर पर विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एसएलएओ) को अग्रिम भुगतान किया जाता है। उक्त अग्रिम एसएलएओ द्वारा एक अलग बैंक खाते के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। हालाँकि, कुछ मामलों में, केवाईसी उद्देश्यों के लिए, कंपनी के पैन नंबर का उपयोग किया गया है। ये बैंक खाते पूरी तरह से एसएलएओ के नियंत्रण में हैं। तदनुसार, इन खातों को जमा के अंतर्गत दिखाया गया है।

## 37) गैस पूल धनराशि:

i. बैंकों में निम्नलिखित अल्पकालिक जमा राशियों के संबंध में देयताएं निर्धारित शेष के रूप में रखी जाती हैं:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | बैंकों में अल्पावधि जमा में निर्धारित शेष (टिप्पण 11क देखें) * | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2023 तक |
| गैस पूल खाते के कारण देयता (एमओपीएनजी के निर्देशों के अनुसार अभिरक्षा के रूप में रखी गई) | 97.70 | 91.42 |

*निर्धारित शेष राशि, जिसमें बैंकों में अल्पकालिक जमा पर अर्जित ब्याज शामिल है, कंपनी से संबंधित नहीं है और इसे आय के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

ii. "अन्य वित्तीय देयताओं–गैर–वर्तमान" के तहत ₹ 581.33 करोड़ (पिछला वर्षः ₹ 581.87 करोड़) की गैस पूल धनराशि (अनंतिम) दिखाई गई है जिसके अनुरूप डेबिट के साथ व्यापार प्राप्तियों के तहत ग्राहकों से उक्त राशि प्राप्त होने पर निवेश/भुगतान किया जाएगा।

38½ कंपनी अधिसूचित गैस आधारित बिजली संयंत्रों के क्षमता उपयोग के लिए भारत सरकार के निर्णय के अनुसार पूल ऑपरेटर के रूप में कार्य कर रही है। योजना, जो 31 मार्च 2017 तक लागू थी, में भारत सरकार के विद्युत क्षेत्र विकास निधि (पीएसडीएफ) से बिजली संयंत्रों को सहायता की परिकल्पना की गई थी। गैस की आपूर्ति अनंतिम/अनुमानित मूल्य के आधार पर थी, जिसका समाधान वास्तविक लागत के आधार पर किया जाना था। तदनुसार, वर्तमान देयताओं में इस मद में 31 मार्च, 2024 को ₹ 87.63 करोड़ रुपए (गत वर्षः ₹ 87.63 करोड़ रुपए) उक्त विद्युत संयंत्रों और/अथवा भारत सरकार को देय हैं।

## 39) इंड एएस 115 – ग्राहकों के साथ संविदाओं से प्राप्त राजस्व

इंड एएस 115 ग्राहकों के साथ संविदाओं से होने वाले राजस्व के हिसाब से एक पांच–चरणीय मॉडल स्थापित करता है और यह आवश्यक है कि राजस्व को उस राशि पर मान्यता दी जाए जो उस प्रतिफल को दर्शाती है जिसके लिए कोई यूनिट ग्राहक को सामान या सेवाओं के हस्तांतरण के बदले में पात्र होने की उम्मीद करती है।

इंड एएस 115 को अपने ग्राहकों के साथ संविदा करने के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संस्थाओं को निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। मानक संविदा प्राप्त करने की उत्तरोत्तर लागतों और संविदा को पूरा करने से सीधे संबंधित लागतों की गणना को भी निर्दिष्ट करता है। इसके अलावा, मानक को व्यापक प्रकटनों की आवश्यकता होती है।

Hkkjrh; y[kk ekud 115 d rgr vi{kk vuqlkj jktLo dk iFkôj.k
31 ekpl 2024 dk lekIr o"kl d fy,

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं | विवरण | प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन | एलपीजी गैस ट्रांसमिशन | प्राकृतिक गैस व्यापार/विपणन | पेट्रो–केमिकल्स | एलपीजी और अन्य तरल हाइड्रोकार्बन | सिटी गैस | अन्य खंड | गैर–आवंटन योग्य | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jktLo | | | | | | | | | |
| | संचालन से राजस्व | 9,427.81 | 725.07 | 99,480.99 | 7,753.03 | 4,287.79 | 10,738.75 | 1,085.19 | 0.91 | 1,33,499.54 |
| | जोड़ें: अंतर क्षेत्र बिक्री | 861.01 | 6.80 | 27,952.97 | 0.38 | 788.04 | 1,112.94 | 17.06 | 0.01 | 30,739.21 |
| | dqy jktLo | **10,288.82** | **731.87** | **1,27,433.96** | **7,753.41** | **5,075.83** | **11,851.69** | **1,102.25** | **0.92** | **1,64,238.75** |
| 2 | çkFkfed Hkkxkfyd ckTkj | | | | | | | | | |
| | अंतर्राष्ट्रीय बिक्री | - | - | 7,211.48 | 53.61 | - | - | 46.30 | - | - |
| | घरेलू बिक्री | 10,288.82 | 731.87 | 1,20,222.48 | 7,699.80 | 5,075.83 | 11,851.69 | 1,055.95 | 0.92 | 1,64,238.75 |
| | dqy jktLo | **10,288.82** | **731.87** | **1,27,433.96** | **7,753.41** | **5,075.83** | **11,851.69** | **1,102.25** | **0.92** | **1,64,238.75** |
| 3 | jktLo ekU;rk dk le; | | | | | | | | | |
| | बिंदु पर | - | - | 7,211.48 | 7,753.41 | 5,075.83 | - | 46.30 | - | - |
| | समय के साथ | 10,288.82 | 731.87 | 1,20,222.48 | - | - | 11,851.69 | 1,055.95 | 0.92 | 1,64,238.75 |
| | dqy jktLo | **10,288.82** | **731.87** | **1,27,433.96** | **7,753.41** | **5,075.83** | **11,851.69** | **1,102.25** | **0.92** | **1,64,238.75** |

31 ekpZ 2024 dks lekIr o"kZ ds fy, ¼₹ djksM+ esa½

| क्र. सं | विवरण | प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन | एलपीजी गैस ट्रांसमिशन | प्राकृतिक गैस व्यापार/विपणन | पेट्रो–केमिकल्स | एलपीजी और अन्य तरल हाइड्रोकार्बन | सिटी गैस | अन्य खंड | गैर–आवंटन योग्य | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jktLo | | | | | | | | | |
| | संचालन से राजस्व | 6,168.28 | 715.96 | 1,16,652.21 | 4,916.12 | 4,946.82 | 11,279.11 | 1,194.82 | 1.71 | 1,45,875.03 |
| | जोड़ें: अंतर क्षेत्र बिक्री | 492.79 | 5.66 | 42,415.70 | 1.14 | 623.15 | 7.58 | 18.74 | 0.01 | 43,564.77 |
| | **dqy jktLo** | **6,661.07** | **721.62** | **1,59,067.91** | **4,917.26** | **5,569.97** | **11,286.69** | **1,213.56** | **1.72** | **1,89,439.80** |
| 2 | çkFkfed HkkSxksfyd cktkj | | | | | | | | | |
| | अंतर्राष्ट्रीय बिक्री | - | - | 15,100.81 | - | - | - | 24.77 | - | 15,125.58 |
| | घरेलू बिक्री | 6,661.07 | 721.62 | 1,43,967.10 | 4,917.26 | 5,569.97 | 11,286.69 | 1,188.79 | 1.72 | 1,74,314.22 |
| | **dqy jktLo** | **6,661.07** | **721.62** | **1,59,067.91** | **4,917.26** | **5,569.97** | **11,286.69** | **1,213.56** | **1.72** | **1,89,439.80** |
| 3 | jktLo ekU;rk dk le; | | | | | | | | | |
| | बिंदु पर | - | - | 15,100.81 | 4,917.26 | 5,569.97 | - | 24.77 | - | 15,125.58 |
| | समय के साथ | 6,661.07 | 721.62 | 1,43,967.10 | - | - | 11,286.69 | 1,188.79 | 1.72 | 1,74,314.22 |
| | **dqy jktLo** | **6,661.07** | **721.62** | **1,59,067.91** | **4,917.26** | **5,569.97** | **11,286.69** | **1,213.56** | **1.72** | **1,89,439.80** |

fVIi.kh 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई एकल ग्राहक कंपनी के कुल राजस्व के 10% या उससे अधिक का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

## व्यापार प्राप्य और संविदा शेष:

निम्नलिखित तालिका ग्राहकों के साथ संविदाओं से प्राप्य और संविदा देयताओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|
| व्यापार प्राप्य (गैर–वर्तमान) | 1049.69 | 1,047.98 |
| व्यापार प्राप्य (वर्तमान) | 9580.27 | 10,679.61 |
| संविदा परिसंपत्तियां | | |
| बिना बिल वाले प्राप्य | 3.57 | 2.51 |
| संविदा देयताएं | | |
| –ग्राहकों से अग्रिम | 1271.96 | 1,097.4 |

व्यापार प्राप्तियां ब्याज रहित होती हैं और आम तौर पर 0 से 30 दिनों की अवधि के क्रेडिट शर्तों पर होती हैं। (इसकी एक समूह कंपनी कोंकण एलएनजी लिमिटेड को छोड़कर, जो 30 से 90 दिनों की अवधि के क्रेडिट शर्तों का पालन करती है) अनुबंध परिसंपत्तियां नगर गैस वितरण व्यवसाय में घरेलू और वाणिज्यिक ग्राहकों को आपूर्ति की गई गैस का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसके लिए बाद की तिथि पर चालान किया जाएगा। अनुबंध देयताएं ग्राहकों द्वारा भुगतान की गई अग्रिम राशि हैं, जिसके लिए रिपोर्टिंग तिथि के बाद उत्पादों की आपूर्ति की जानी है।

(₹ करोड़ में)

| संविदा परिसंपत्तियों में परिवर्तन | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|
| वर्ष की शुरुआत में शेष राशि | 1097.4 | 1,034.94 |
| ?kVk मान्यता प्राप्त राजस्व जिसे वर्ष की शुरुआत में अग्रिम शेष में शामिल किया गया था | 608.70 | 585.24 |
| tksM+ वर्ष के दौरान राजस्व के रूप में मान्यता प्राप्त राशियों को छोड़कर, वर्ष के दौरान चालान–प्रक्रिया के कारण वृद्धि | 783.26 | 647.70 |
| वर्ष के अंत में शेष राशि | 1271.96 | 1,097.40 |

प्रबंधन को उम्मीद है कि 31 मार्च 2024 को असंतोषजनक संविदा (आंशिक रूप से संतोषजनक) के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य के 56% को वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान ₹ 721.57 करोड़ को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाए। शेष 44% राशि अर्थात् ₹ 577.77 करोड़ 2025–26 में प्राप्त किए जाएंगे।

### 40- Hkkjrh; ys[kk ekud 116 & iêk

iêVsnkj ds :i esa dEiuh

d- iêk nk;rk,¡

iêk nk;rkvksa dk lek/kku

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|
| प्रारंभिक शेष | 1,551.42 | 1,385.54 |
| dsfy, lek;kstu | | |
| वर्ष के दौरान जमा | 2,412.37 | 481.23 |
| वर्ष के दौरान विलोपन | | |
| ब्याज का प्रत्यायन | 150.08 | 82.27 |
| पट्टा देयताओं के पुनः दर्ज करने पर विदेशी मुद्रा हानि | | |
| वर्ष के दौरान भुगतान की गई पट्टा देयताएं | (854.81) | (395.99) |
| बट्टे खाते में डाली गई अतिरिक्त पट्टा देयताएं | | |
| **vfUre 'ks"k** | **3,185.79** | **1,541.33** |
| वर्तमान | 854.42 | 423.56 |
| गैर–वर्तमान | 2,331.35 | 1,117.72 |

iêk nk;rkvksa dk ifjiDork fo'ys"k.k

31 ekpZ 2024 rd

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 3 माह से कम | 3 से 12 माह | झ 1 से 5 वर्ष | झ 5 वर्ष | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| पट्टा देयताएं (वर्तमान) | 273.56 | 577.26 | 3.51 | 0.07 | 854.42 |
| पट्टा देयताएं (गैर–वर्तमान) | 4.43 | 9.42 | 1,746.58 | 570.96 | 2,331.35 |

31 ekp 2024 rd

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 3 माह से कम | 3 से 12 माह | झ 1 से 5 वर्ष | झ 5 वर्ष | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| पट्टा देयताएं (वर्तमान) | 101.04 | 316.85 | 2.10 | 3.58 | 423.56 |
| पट्टा देयताएं (गैर–वर्तमान) | 5.53 | 11.67 | 1,035.78 | 64.74 | 1,117.72 |

ykHk ,o gkfu fooj.k e ekU;rk&çkIr jkf'k%

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| उपयोग के अधिकार की संपत्ति पर मूल्यह्रास | 835.63 | 444.25 |
| पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय | 149.57 | 82.32 |
| अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय | 360.05 | 539.74 |
| कम मूल्य की संपत्ति पट्टों से संबंधित व्यय | 0.01 | 0.02 |
| परिवर्तनीय पट्टा भुगतान | 12.99 | 46.21 |
| dqy | **1,358.26** | **1,112.53** |

[k- mi;kx dk vfèkdkj ifjlifÙk;k%

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| प्रारंभिक शेष | 2,302.48 | 1,624.75 |
| tkM% वर्ष के दौरान अतिरिक्त | 2,690.67 | 1,012.30 |
| ?kVk% वर्ष के दौरान विलोपन | 13.48 | 3.27 |
| ?kVk% वर्ष के लिए मूल्यह्रास | 839.27 | 442.58 |
| vfre 'k"k | **4,137.62** | **2,188.97** |

II- dinh iêkdkj ds :i e%

d- ipkyu iVVk

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| प्रचालन पट्टे से किराए की आय | 0.20 | 0.19 |

ifjpkyu iêk ij çkI; U;ure iêk Hkqxrku bl çdkj g%

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| 1 वर्ष के भीतर | 0.21 | 0.20 |
| एक वर्ष के बाद लेकिन पांच साल से ज्यादा नहीं | 1.20 | 1.15 |
| 5 वर्ष बाद | 8.21 | 8.46 |
| dqy | **9.62** | **9.81** |

[k½ foÙk iêk

वित्त पट्टों के तहत भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान (एमएलपी) तथा निवल एमएलपी का वर्तमान मूल्य इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| U;ure iêk Hkqxrku çkI; | | |
| 1 वर्ष के भीतर | 2.23 | 2.23 |
| एक वर्ष बाद लेकिन पांच वर्ष से ज्यादा नहीं | 5.39 | 7.63 |
| 5 वर्ष बाद | - | - |
| dqy | **7.62** | **9.86** |
| घटा: अनर्जित वित्त आय | 0.14 | 0.26 |
| iêk e fuoy fuos'k | **7.48** | **9.60** |
| U;ure iVVk Hkqxrku çkfIr;k dk orZeku eY; | | |
| 1 वर्ष के भीतर | 2.16 | 2.13 |
| एक वर्ष के बाद लेकिन पांच वर्ष से अधिक नहीं | 5.32 | 7.47 |
| 5 वर्ष बाद | - | - |
| dqy | **7.48** | **9.60** |
| vuftZr foÙk vk; | | |
| 1 वर्ष के भीतर | 0.07 | 0.10 |
| एक वर्ष के बाद लेकिन पांच वर्ष से अधिक नहीं | 0.07 | 0.16 |
| 5 वर्ष बाद | - | - |
| dqy | **0.14** | **0.26** |

41½ *mèkkj ykxr* ij Hkkjrh; ys[kk ekud 23 ds vuqlkj çdVhdj.k%

वर्ष के दौरान चल रहे पूंजीगत कार्य के लिए आवंटित राशि सहित परिसंपत्तियों में पूंजीकृत उधार लागत ₹ 679.49 करोड़ (गत वर्ष: ₹ 442.17 करोड़) थी।

42½ "प्रचालन क्षेत्र" पर इंड एएस 108 के अनुपालन में, कंपनी ने अपने रिपोर्ट करने योग्य क्षेत्र के रूप में निम्नलिखित व्यवसाय क्षेत्र को अपनाया है: –

(i) ट्रांसमिशन सेवाएं

क) प्राकृतिक गैस

ख) एलपीजी

(ii) प्राकृतिक गैस ट्रेडिंग

(iii) पेट्रोरसायन

(iv) एलपीजी और अन्य तरल हाइड्रोकार्बन

(v) नगर गैस वितरण

(vi) अन्य खंड (गेलटेल, ईएंडपी, और विद्युत उत्पादन शामिल हैं)

कंपनी में कोई भौगोलिक खंड नहीं हैं।

31 ekp 2024 dks lekIr foÙkh; o"kZ ds fy, 0;kikj [kMks ds ckjs e lpuk

(₹ करोड़ में)

| क. सं. | खंड | संचरण सेवाएं* | | प्राकृतिक गैस विपणन* | पेट्रोकेमिकल्स | एलपीजी और तरल हाइड्रोकार्बन | नगर गैस | अन्य खंड** | गैर–आबंटन योग्य | कुल | हटाया गया | कुल समेकित |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्राकृतिक गैस | एलपीजी | टिप्पणी 1 | | | टिप्पणी 2 | | | | | |
| 1 | jkt Lo# | | | | | | | | | | | |
| | बाह्य बिक्री/अन्य आय | 9,427.81 | 725.07 | 99,480.99 | 7,753.03 | 4,287.79 | 10,738.75 | 1,085.19 | 0.91 | 1,33,499.54 | - | 1,33,499.54 |
| | अंतर–खंड बिक्री | 861.01 | 6.80 | 27,952.97 | 0.38 | 788.04 | 1,112.94 | 17.06 | 0.01 | 30,739.21 | 30,739.21 | - |
| | d|y jktLo | **10,288.82** | **731.87** | **1,27,433.96** | **7,753.41** | **5,075.83** | **11,851.69** | **1,102.25** | **0.92** | **1,64,238.75** | **30,739.21** | **1,33,499.54** |
| 2 | ifj.kke | | | | | | | | | | | |
| | खंड परिणाम (ब्याज और कर–पूर्व लाभ) | 4,510.11 | 317.06 | 6,166.76 | 125.45 | 769.53 | 560.65 | 318.88 | - | 12,768.44 | - | 12,768.44 |
| | गैर–आबंटित व्यय (निवल) | - | - | - | - | - | | - | 138.25 | 138.25 | - | 138.25 |
| | i|pkyu ykHk | **4,510.11** | **317.06** | **6,166.76** | **125.45** | **769.53** | **560.65** | **318.88** | **(138.25)** | **12,630.19** | **-** | **12,630.19** |
| | ब्याज आय | - | - | - | - | - | - | - | 719.20 | 719.20 | - | 719.20 |
| | ब्याज/लाभांश से आय | - | - | - | - | - | - | - | 684.02 | 684.02 | - | 684.02 |
| | कराधान के लिए प्रावधान | - | - | - | - | - | - | - | 2,692.20 | 2,692.20 | - | 2,692.20 |
| | lkekU; xfrfof/k;ka ls ykHk@¼gkfu½ | **4,510.11** | **317.06** | **6,166.76** | **125.45** | **769.53** | **560.65** | **318.88** | **(2,865.63)** | **9,902.81** | **-** | **9,902.81** |
| | असाधारण मदें | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | समाप्त प्रचालन | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | fuoy ykHk@¼gkfu½ | **4,510.11** | **317.06** | **6,166.76** | **125.45** | **769.53** | **560.65** | **318.88** | **(2,865.63)** | **9,902.81** | **-** | **9,902.81** |
| 3 | vU; lpuk | | | | | | | | | | | |
| | खंड परिसंपत्तियां' | 69,245.35 | 1,029.48 | - | 19,215.84 | 1,755.43 | 7,930.57 | 1,858.30 | - | 1,01,034.97 | - | 1,01,034.97 |
| | गैर–आबंटित परिसंपत्तियां | - | - | - | - | - | | - | 23,682.26 | 23,682.26 | - | 23,682.26 |
| | d|y ifjlaifRr;k | **69,245.35** | **1,029.48** | **-** | **19,215.84** | **1,755.43** | **7,930.57** | **1,858.30** | **23,682.26** | **1,24,717.23** | **-** | **1,24,717.23** |
| | खंड देयताएं' | 18,519.57 | 147.91 | - | 1,468.17 | 364.18 | 1,175.91 | 284.31 | - | 21,960.05 | - | 21,960.05 |
| | गैर–आबंटित देयताएं | - | - | - | - | - | - | - | 25,561.40 | 25,561.40 | - | 25,561.40 |
| | d|y n;rk,a | **18,519.57** | **147.91** | **-** | **1,468.17** | **364.18** | **1,175.91** | **284.31** | **25,561.40** | **47,521.45** | **-** | **47,521.45** |
| | स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु लागत | 4,016.65 | 56.32 | 2,677.08 | 8,103.10 | 347.35 | 1,602.78 | 169.67 | 76.74 | 17,049.69 | - | 17,049.69 |
| | मूल्यह्रास | 1,652.30 | 83.31 | 885.85 | 557.86 | 101.23 | 169.53 | 160.36 | 64.70 | 3,675.14 | - | 3,675.14 |
| | मूल्यह्रास के अलावा गैर–नकद व्यय | 111.96 | 1.80 | 14.27 | 24.17 | 13.86 | 4.27 | 151.63 | 66.03 | 387.99 | - | 387.99 |

fVIi.k% 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएस) अधिनियम के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, कुल आय में जीएसटी शामिल नहीं है।

# अन्य प्रचालन आय सहित खंड राजस्व

* गैस पारेषण व्यवसाय में शामिल गैस व्यवसाय की परिसंपत्तियां और देयताएं

** अन्य खंड में गेलटेल, ईएंडपी और विद्युत उत्पादन शामिल है

टिप्पणियां (समेकन के समय उपलब्ध सूचना तक सीमित)

1. सहायक कंपनी गेल ग्लोबल सिंगापुर प्रा. लि., गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक., और कोंकण एलएनजी लिमिटेड शामिल हैं।
2. सहायक कंपनियां गेल गैस लिमिटेड और त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड शामिल हैं।
3. अंतरखंड राजस्व में सहायक कंपनियों द्वारा अपने संबंधित खंड में प्रचालन करने वाली मूल इकाई को की गई बिक्री शामिल है।

31 ekp] 2023 dks lekIr foÙkh; o"kZ gsrq 0;kikj [kaMokj ckjs esa lwpuk

(₹ करोड़ में)

| क. सं. | खंड | संरक्षण सेवाएं* प्राकृतिक गैस | संरक्षण सेवाएं* एलपीजी | प्राकृतिक गैस विपणन* टिप्पणी 1 | पेट्रोकेमिकल्स | एलपीजी और तरल हाइड्रोकार्बन | नगर गैस टिप्पणी 2 | अन्य खंड** | गैर–आबंटन योग्य | कुल | हटाया गया | कुल समेकित |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jktLo# | | | | | | | | | | | |
| | बाह्य बिक्री/अन्य आय | 6,168.28 | 715.96 | 1,16,652.21 | 4,916.12 | 4,946.82 | 11,279.11 | 1,194.82 | 1.71 | 1,45,875.03 | - | 1,45,875.03 |
| | अंतर–खंड बिक्री | 492.79 | 5.66 | 42,415.70 | 1.14 | 623.15 | 7.58 | 18.72 | 0.01 | 43,564.77 | 43,564.77 | - |
| | **dqy jktLo** | **6,661.07** | **721.62** | **1,59,067.91** | **4,917.26** | **5,569.97** | **11,286.69** | **1,213.56** | **1.72** | **1,89,439.80** | **43,564.77** | **1,45,875.03** |
| 2 | ifj.kke | | | | | | | | | | | |
| | खंड परिणाम (ब्याज और कर–पूर्व लाभ) | 1,919.69 | 368.69 | 3,226.79 | (1,060.85) | 1,228.43 | 429.19 | 513.72 | - | 6,625.66 | - | 6,625.66 |
| | गैर–आबंटित व्यय (निवल) | - | - | - | - | - | | - | (237.58) | (237.58) | - | (237.58) |
| | **iapkyu ykHk** | **1,919.69** | **368.69** | **3,226.79** | **(1,060.85)** | **1,228.43** | **429.19** | **513.72** | **237.58** | **6,863.24** | **-** | **6,863.24** |
| | ब्याज आय | - | - | - | - | - | - | - | 364.78 | 364.78 | - | 364.78 |
| | ब्याज/लाभांश से आय | - | - | - | - | - | - | - | 757.92 | 757.92 | - | 757.92 |
| | कराधान के लिए प्रावधान | - | - | - | - | - | - | - | 1,660.49 | 1,660.49 | - | 1,660.49 |
| | lkekU; xfrfof/k;ksa ls ykHk@¼gkfu½ | **1,919.69** | **368.69** | **3,226.79** | **(1,060.85)** | **1,228.43** | **429.19** | **513.72** | **(1,029.77)** | **5,595.89** | **-** | **5,595.89** |
| | असाधारण मदें | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | समाप्त प्रचालन | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | fuoy ykHk@¼gkfu½ | **1,919.69** | **368.69** | **3,226.79** | **(1,060.85)** | **1,228.43** | **429.19** | **513.72** | **(1,029.77)** | **5,595.89** | **-** | **5,595.89** |
| 3 | vU; lwpuk | | | | | | | | | | | |
| | खंड परिसंपत्तियां | 66,251.91 | 1,029.70 | - | 11,176.00 | 1,492.25 | 7,001.88 | 2,014.36 | - | 88,966.10 | - | 88,966.10 |
| | गैर–आबंटित परिसंपत्तियां | - | - | - | - | - | | - | 18,814.65 | 18,814.65 | - | 18,814.65 |
| | **dqy ifjlEifÙk;k** | **66,251.91** | **1,029.70** | **-** | **11,176.00** | **1,492.25** | **7,001.88** | **2,014.36** | **18,814.65** | **1,07,780.75** | **-** | **1,07,780.75** |
| | खंड देयताएं | 17,157.44 | 115.11 | - | 895.08 | 169.48 | 1,111.27 | 298.36 | - | 19,746.74 | - | 19,746.74 |
| | गैर–आबंटित देयताएं | - | - | - | - | - | - | - | 22,927.03 | 22,927.03 | - | 22,927.03 |
| | **dqy ns;rk,a** | **17,157.44** | **115.11** | **-** | **895.08** | **169.48** | **1,111.27** | **298.36** | **22,927.03** | **42,673.77** | **-** | **42,673.77** |
| | स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु लागत | 5,388.41 | 41.12 | 799.54 | 1,276.00 | 88.03 | 1,279.28 | 257.10 | 127.02 | 9,256.50 | - | 9,256.50 |
| | मूल्यह्रास | 1,199.79 | 65.76 | 451.00 | 552.83 | 97.83 | 134.37 | 136.49 | 63.50 | 2,701.57 | - | 2,701.57 |
| | मूल्यह्रास के अलावा गैर–नकद व्यय | 114.71 | 1.17 | (84.52) | 37.68 | 6.84 | 15.97 | 3.29 | 0.80 | 95.94 | - | 95.94 |

fVIi.kh 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएस) अधिनियम के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, कुल आय में जीएसटी शामिल नहीं है।

# अन्य प्रचालन आय सहित खंड राजस्व

* गैस पारेषण व्यवसाय में शामिल गैस व्यवसाय की परिसंपत्तियां और देयताएं

** अन्य खंड में गेलटेल, ईएंडपी और विद्युत उत्पादन शामिल है

टिप्पणियां (समेकन के समय उपलब्ध सूचना तक सीमित)

1. सहायक कंपनी गेल ग्लोबल सिंगापुर प्रा. लि., गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक. शामिल हैं।
2. सहायक कंपनियां गेल गैस लिमिटेड और त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड शामिल हैं।
3. अंतरखंड राजस्व में सहायक कंपनियों द्वारा अपने संबंधित खंड में प्रचालन करने वाली मूल इकाई को की गई बिक्री शामिल है।

43½ "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" पर भारतीय लेखा मानक 24 के अनुपालन में संबंधित पक्षों का नाम, संबंध की प्रकृति और उसके साथ किए गए लेनदेन का विवरण नीचे दिया गया है।

¼A½ lcf/kr i{kk dh lph tgk fu;=.k vkj lc/k ektn g%

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | कंपनियों का नाम | संबंध |
|---|---|---|
| 1 | गेल गैस लिमिटेड | सहायक कंपनी |
| 2 | गेल ग्लोबल (सिंगापुर) प्रा. लि. | |
| 3 | गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक. | |
| 4 | गेल ग्लोबल यूएसए एलएनजी एलएलसी (गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक की 100% सहायक कंपनी) | |
| 5 | बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड सहायक | |
| 6 | कोंकण एलएनजी लिमिटेड | |
| 7 | त्रिपुरा प्राकृतिक गैस कंपनी लिमिटेड | |
| 8 | गेल मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड | |
| 9 | अवंतिका गैस लिमिटेड | संयुक्त उद्यम/संबद्ध |
| 10 | भाग्यनगर गैस लिमिटेड | |
| 11 | ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड | |
| 12 | सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड | |
| 13 | चाइना गैस होल्डिंग्स लिमिटेड | |
| 14 | फयूम गैस कंपनी | |
| 15 | ग्रीन गैस लिमिटेड | |
| 16 | इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड | |
| 17 | इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड | |
| 18 | महानगर गैस लिमिटेड | |
| 19 | महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड | |
| 20 | ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड | |
| 21 | पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड | |
| 22 | रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड | |
| 23 | तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड | |
| 24 | तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड | |
| 25 | वडोदरा गैस लिमिटेड | |
| 26 | एलएलसी भारत एनर्जी ऑफिस | |
| 27 | ओएनजीसी त्रिपुरा पॉवर कंपली लिमिटेड | |
| 28 | एलएनजी जापोनिका शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड | |
| 29 | आंध्र प्रदेश गैस डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड | गेल गैस लिमिटेड का संयुक्त उद्यम (सहायक कंपनी) |
| 30 | गोवा नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड | |
| 31 | हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड | |
| 32 | पुरबा भारती गैस प्राइवेट लिमिटेड | |
| 33 | राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड | |
| 34 | श्री संदीप कुमार गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक | मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक |
| 35 | श्री राकेश कुमार जैन, निदेशक (वित्त) | |
| 36 | श्री दीपक गुप्ता, निदेशक (परियोजना) | |
| 37 | श्री आयुष गुप्ता, निदेशक (मानव संसाधन) | |
| 38 | श्री संजय कुमार, निदेशक (विपणन) (15 जून 2023 से) | |
| 39 | श्री राजीव कुमार सिंघल, निदेशक (व्यापार विकास) (28 नवंबर 2023 से) | |
| 40 | श्री एम. वी. अय्यर, निदेशक (व्यापार विकास) (31 अक्तूबर 2023 तक) | |

| क्र.सं. | कंपनियों का नाम | संबंध |
|---|---|---|
| 41 | श्री अखिलेश जैन (स्वतंत्र निदेशक) | |
| 42 | श्री संजय कश्यप (स्वतंत्र निदेशक) | |
| 43 | श्री नंदगोपाल नारायणसामी (स्वतंत्र निदेशक) | |
| 44 | श्रीमती कंगबाम इनाओचा देवी (स्वतंत्र निदेशक) | |
| 45 | श्री शेर सिंह (स्वतंत्र निदेशक) | |
| 46 | प्रो. डॉ. रविकांत कोल्हे (स्वतंत्र निदेशक) | |
| 47 | श्री महेश कुमार अग्रवाल (कंपनी सचिव) | |
| 48 | श्री आशीष जोशी (18.10.2023 से)(सरकार द्वारा नामित निदेशक) | |
| 49 | श्री कुशाग्र मित्तल (16.05.2023 से)(सरकार द्वारा नामित निदेशक) | |
| 50 | श्री प्रवीण मल खनूजा (17.10.2023 तक)(सरकार द्वारा नामित निदेशक) | |
| 51 | डॉ. नवनीत मोहन कोठारी (18.04.2023 तक)(सरकार द्वारा नामित निदेशक) | |
| 52 | गेल कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ निधि | कर्मचारी लाभ ट्रस्ट |
| 53 | गेल (इंडिया) लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट | |
| 54 | गेल (इंडिया) लिमिटेड कर्मचारी मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी योजना | |
| 55 | गेल सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना ट्रस्ट | |
| 56 | गेल चौरिटेबल एवं शिक्षा ट्रस्ट | |

¼ii½ lgk;d daifu;ks ds lkFk vof/k ds nkjku ysunsu

| ysunsu dh ç—fr | 31 ekp] 2024 dks lekIr o"k ds fy, | 31 ekp] 2023 dks lekIr o"k ds fy, |
|---|---|---|
| प्राप्त अग्रिम/सुरक्षा जमा (निवल) | 1.88 | (4.06) |
| दावा वसूली/अग्रिम भुगतान (निवल) | - | (0.01) |
| लाभांश | 150.99 | 161.26 |
| वित्तीय गारंटी दायित्व (आय)/व्यय | 57.57 | 5.20 |
| अंतर कॉर्पोरेट ऋण | 1,782.73 | 100.29 |
| ब्याज आय | 566.01 | 389.60 |
| निवेश | 964.06 | 958.75 |
| अन्य व्यय/प्रतिपूर्ति | 0.22 | 0.33 |
| अन्य आय/प्रतिपूर्ति | 135.93 | 163.91 |
| पूंजी प्रकृति के अन्य लेनदेन | 3.87 | - |
| वस्तुओं/सेवाओं की खरीद | 12,540.05 | 18,504.09 |
| पुनर्गैसीकरण सेवा | 418.92 | 392.19 |
| बिक्री/प्रचालन आय | 8,340.74 | 14,607.76 |

¼iii½ lgk;d daifu;ks ds lkFk cdk;k 'ks"k

(₹ करोड़ में)

| ysunsu dh ç—fr | 31 ekp] 2024 dks lekIr o"k ds fy, | 31 ekp] 2023 dks lekIr o"k ds fy, |
|---|---|---|
| प्राप्त अग्रिम/सुरक्षा जमा (निवल) | 13.07 | 10.34 |
| वित्तीय गारंटी दायित्व (इंक)/व्यय | 296.73 | 242.84 |
| हुकिंग अप प्रभार | 40.73 | 32.79 |
| अंतर कार्पोरेट ऋण | 4,578.32 | 2,795.59 |
| ब्याज आय | 453.20 | 251.84 |
| निवेश | 4,390.31 | 3,427.71 |
| अन्य व्यय/प्रतिपूर्ति | 0.45 | 2.79 |
| अन्य आय/प्रतिपूर्ति | 51.08 | 30.89 |
| अधिमान शेयर | 252.00 | 252.00 |

| yunu dh ç—fr | 31 ekp] 2024 dk lekIr o'k d fy, | 31 ekp] 2023 dk lekIr o'k d fy, |
|---|---|---|
| वस्तुओं/सेवाओं की खरीद | 970.42 | 1,106.30 |
| पुनर्गैसीकरण सेवा | 20.95 | 31.72 |
| बिक्री/प्रचालन आय | 742.94 | 661.68 |

¼IV½ l;Dr m|e@lc) difu;k d lkFk vof/k d nkjku yunu

(₹ करोड़ में)

| yunu dh ç—fr | 31 ekp] 2024 dk lekIr o'k d fy, | 31 ekp] 2023 dk lekIr o'k d fy, |
|---|---|---|
| प्राप्त अग्रिम/सुरक्षा जमा (निवल) | (2.96) | 45.58 |
| दावा वसूली/अग्रिम भुगतान (निवल) | (37.75) | (38.63) |
| लाभांश | 530.39 | 870.81 |
| वित्तीय गारंटी दायित्व (आय)/व्यय | 0.13 | - |
| निवेश | 53.85 | 113.27 |
| अन्य व्यय/प्रतिपूर्ति | 5.88 | 5.15 |
| अन्य आय/प्रतिपूर्ति | 70.98 | 77.32 |
| वस्तुओं/सेवाओं की खरीद | 30,884.34 | 35,357.08 |
| बिक्री/परिचालन आय | 18,047.02 | 19,448.10 |
| पट्टा देनदारियां | - | - |
| पट्टा देयताओं पर ब्याज | 29.16 | - |
| उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | - | - |
| उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास | 186.87 | - |

¼V½ l;Dr m|e@lc) difu;k d ikl cdk;k 'k"k

(₹ करोड़ में)

| yunu dh ç—fr | 31 ekp] 2024 dk lekIr o'k d fy, | 31 ekp] 2023 dk lekIr o'k d fy, |
|---|---|---|
| प्राप्त अग्रिम/सुरक्षा जमा (निवल) | 57.06 | 60.02 |
| दावा वसूली/अग्रिम भुगतान (निवल) | 286.94 | 324.69 |
| लाभांश | - | 141.75 |
| वित्तीय गारंटी दायित्व (आय)/व्यय | 1.61 | 0.24 |
| हुकिंग अप प्रभार | 107.11 | 72.48 |
| निवेश | 4,220.85 | 4,167.00 |
| अन्य व्यय/प्रतिपूर्ति | 0.11 | 0.19 |
| अन्य आय/प्रतिपूर्ति | 44.75 | 31.54 |
| वस्तुओं/सेवाओं की खरीद | 1,152.03 | 1,467.49 |
| बिक्री/प्रचालन आय | 1,425.47 | 2,406.68 |
| पट्टा देनदारियां | 408.03 | 593.65 |
| पट्टा देयताओं पर ब्याज | | |
| उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति | 367.59 | 554.45 |
| उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास | | |

¼VI½ l;Dr m|e@lc) difu;k d ikl cdk;k 'k"k
vof/k d nkjku VªLVk d lkFk yunu ¼;kxnku½

(₹ करोड़ में)

| yunu dh ç—fr | 31 ekp] 2024 dk lekIr o'k d fy, | 31 ekp] 2023 dk lekIr o'k d fy, |
|---|---|---|
| गेल कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ निधि | 57.20 | 67.05 |
| गेल (इंडिया) लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट | 103.58 | 101.33 |
| गेल (इंडिया) लिमिटेड कर्मचारी मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी योजना | 26.48 | 34.94 |
| गेल सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना ट्रस्ट | 27.18 | 17.20 |

vof/k d nkjku VLVk d lkFk yunu ¼;kxnku½

(₹ करोड़ में)

| yunu dh ç–fr | 31 ekp] 2024 dk lekIr o"k d fy, | 31 ekp] 2023 dk lekIr o"k d fy, |
|---|---|---|
| गेल कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ निधि (देय)/प्राप्य | 17.01 | (4.89) |
| गेल (इंडिया) लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट (देय)/प्राप्य | (16.01) | (13.30) |
| गेल (इंडिया) लिमिटेड कर्मचारी मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी योजना (देय)/प्राप्य | 63.71 | 58.82 |
| गेल सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना ट्रस्ट (देय)/प्राप्य | (6.20) | 9.19 |

¼VII½ e[; ic/ku dkfe'd dk evkotk

¼d½ diuh d i.kdkfyd fun'kd

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| अल्पावधि कर्मचारी लाभ | 4.99 | 4.03 |
| सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ | 0.64 | 0.50 |
| अन्य दीर्घावधि लाभ | 1.20 | 1.16 |

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| बकाया ऋण और अग्रिम | 1.21 | 1.17 |

¼[k½ diuh d Lor= fun'kd

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---|---|
| सिटिंग शुल्क | 0.49 | 0.51 |

¼VIII½ ljdkj l lcf/kr lLFkk,; tgk egRoi.k yunu fd, x,

ऊपर बताए गए लेनदेन के अलावा, कंपनी का अन्य सरकारी संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

ljdkj dk uke% भारत सरकार (केंद्र और राज्य सरकार)

yunu dh ç–fr%

- उत्पादों और सेवाओं की बिक्री
- उत्पादों की खरीद
- कच्चे माल की खरीद
- रखरखाव और माल ढुलाई शुल्क, आदि।

ये लेन–देन कंपनी के व्यवसाय के सामान्य क्रम में अन्य संस्थाओं के साथ तुलनात्मक शर्तों पर किए जाते हैं जो सरकार से संबंधित नहीं हैं।

44½ मूल कंपनी और भारत सरकार के बीच एक समझौता–ज्ञापन (एमओयू) किया गया है, जो मूल कंपनी के लिए विभिन्न निष्पादन मानकों को निर्धारित करता है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियां, पूंजीगत कार्य में किया जा रहा परिवर्तन, पूंजीगत अग्रिम आदि पर किए गए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में से एक मापदंड है। इस संबंध में, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान मूल कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों द्वारा किए गए कैपेक्स व्यय तथा इसके संयुक्त उद्यमों और संबद्ध कंपनियों द्वारा और इसके आनुपातिक भाग के रूप में किए गए समान कैपेक्स का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | कंपनी/सहायक कंपनी का नाम | 31.03.2024 को गेल का शेयर (%) | वित्त वर्ष 2023–24 का कैपेक्स | वित्त वर्ष 2023–24 का आनुपातिक कैपेक्स |
|---|---|---|---|---|
| d | xy ¼bfM;k½ fyfeVM | | 10,425.90 | 10,425.90 |
| [k | lgk;d difu;k | | | |
| 1 | गेल गैस लिमिटेड | 100.00 | 591.50 | 591.50 |
| 2 | गेल मैंगलोर पेट्रोकेमिकल लिमिटेड | 100.00 | 433.79 | 433.79 |
| 3 | कोंकण एलएनजी लिमिटेड | 93.50 | 319.70 | 319.70 |
| 4 | बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड | 89.88 | 137.73 | 137.73 |
| 5 | त्रिपुरा प्राकृतिक गैस कंपनी लिमिटेड | 48.98 | 28.44 | 28.44 |

| क्र.सं. | कंपनी/सहायक कंपनी का नाम | 31.03.2024 को गेल का शेयर (%) | वित्त वर्ष 2023–24 का कैपेक्स | वित्त वर्ष 2023–24 का आनुपातिक कैपेक्स |
|---|---|---|---|---|
| x | l;Dr m|e ,o lc) difu;k | | | |
| 1 | ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड | 70.00 | 198.09 | 138.66 |
| 2 | अवंतिका गैस लिमिटेड | 49.99 | 80.89 | 40.44 |
| 3 | भाग्यनगर गैस लिमिटेड | 48.73 | 16.35 | 7.97 |
| 4 | सेंट्रल यू.पी. गैस लिमिटेड | 25.00 | 80.55 | 20.14 |
| 5 | ग्रीन गैस लिमिटेड | 49.99 | 106.25 | 53.11 |
| 6 | इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड | 20.00 | 1,120.25 | 224.05 |
| 7 | महाराष्ट्र प्राकृतिक गैस लिमिटेड | 22.50 | 587.77 | 132.25 |
| 8 | तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड | 33.33 | 2,548.17 | 849.31 |
| 9 | वडोदरा गैस लिमिटेड | 32.93 | 37.21 | 12.25 |
| 10 | इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड | 22.50 | 1,310.24 | 294.80 |
| 11 | महानगर गैस लिमिटेड | 32.50 | 851.45 | 276.72 |
| 12 | पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड | 12.50 | 793.67 | 99.21 |
| 13 | ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड | 49.21 | 273.29 | 134.49 |
| 14 | ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी | 26.00 | 27.92 | 7.26 |
| 15 | रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कंपनी लिमिटेड | 14.30 | 29.68 | 4.24 |
| | dy ithxr 0;; | | | **14,231.96** |

45½ सहायक कंपनियों/संबद्ध कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के रूप में समेकित उद्यमों के बारे में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।।। के अंतर्गत अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी नीचे दी गई है:

diuh vf/kfu;e] 2013 dh vuqlph III }kjk ;Fkkif{kr vfrfjDr tkudkjh

| क्र. सं. | कंपनी का नाम (शेयर का%) | 31 मार्च, 2024 को स्वामित्व हित का अनुपात | निवल परिसंपत्ति* (अर्थात कुल परिसम्पत्ति से कुल देयताएं घटाएं) | | लाभ या हानि का शेयर** | | अन्य व्यापक व्यय में शेयर (ओसीआई) | | कुल व्यापक आय में शेयर | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | समेकित निवल परिसम्पत्ति के % के रूप में | राशि (₹ करोड़) | समेकित लाभ या हानि के % के रूप में | राशि (₹ करोड़) | समेकित ओआईसी के % के रूप में | राशि (₹ करोड़) | कुल व्यापक आय के % के रूप में | राशि (₹ करोड़) |
| **1** | xy iFkd | | **83.14%** | **64,179** | **89.26%** | **8,836** | **106.92%** | **3,306** | **93.13%** | **12,142** |
| **2** | lgk;d difu;k | | | | | | | | | |
| **A)** | Hkkjrh; | | | | | | | | | |
| i) | गेल गैस लिमिटेड | **100.00%** | 4.06% | 3,133 | 3.21% | 318 | 0.00% | - | 2.44% | 318 |
| ii) | त्रिपुरा नेचुरल गैस लिमिटेड | **48.98%** | 0.31% | 236 | 0.41% | 41 | 0.00% | 0 | 0.31% | 41 |
| iii) | बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड | **89.88%** | 0.93% | 716 | -0.11% | (11) | 0.00% | - | -0.08% | (11) |
| iv) | कोंकण एलएनजी लिमिटेड | **93.50%** | 0.42% | 325 | -2.52% | (249) | 0.00% | - | -1.91% | (249) |
| v) | गेल मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड | **100.00%** | 4.63% | 3,571 | 3.25% | 322 | 0.00% | - | 2.47% | 322 |
| **B)** | fons'kh | | | | | | | | | |
| i) | गेल ग्लोबल सिंगापुर पीटीई. लि. | **100.00%** | 0.11% | 83 | 0.11% | 11 | -0.10% | (3) | 0.06% | 8 |
| ii) | गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक. | **100.00%** | -0.14% | (108) | -0.13% | (13) | 0.00% | - | -0.10% | (13) |
| **3** | lHkh lgk;d difu;k e vYire fgr | | **0.26%** | **199** | **0.04%** | **4** | **0.00%** | **-** | **0.03%** | **4** |
| **4** | lc) difu;k ¼bfDoVh i)fr d vuqlkj fuos'k½ | | | | | | | | | |
| **A)** | Hkkjrh; | | | | | | | | | |
| i) | महानगर गैस लिमिटेड | **32.50%** | इक्विटी पद्धति | इक्विटी पद्धति | 4.19% | 415 | -0.04% | (1) | 3.17% | 414 |

| क्र. सं. | कंपनी का नाम (शेयर का%) | 31 मार्च, 2024 को स्वामित्व हित का अनुपात | निवल परिसंपत्ति* (अर्थात कुल परिसम्पत्ति से कुल देयताएं घटाएं) | | लाभ या हानि का शेयर** | | अन्य व्यापक व्यय में शेयर (ओसीआई) | | कुल व्यापक आय में शेयर | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | समेकित निवल परिसम्पत्ति के % के रूप में | राशि (₹ करोड़) | समेकित लाभ या हानि के % के रूप में | राशि (₹ करोड़) | समेकित ओआईसी के % के रूप में | राशि (₹ करोड़) | कुल व्यापक आय के % के रूप में | राशि (₹ करोड़) |
| ii) | पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड | **32.50%** | इक्विटी पद्धति | इक्विटी पद्धति | 4.61% | 456 | -0.03% | (1) | 3.49% | 456 |
| iii) | ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड | **70.00%** | इक्विटी पद्धति | इक्विटी पद्धति | -1.13% | (112) | 0.00% | 0 | -0.86% | (112) |
| iv) | इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड | **22.50%** | इक्विटी पद्धति | इक्विटी पद्धति | 4.51% | 447 | -0.02% | (1) | 3.42% | 446 |
| v) | ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड | **49.21%** | इक्विटी पद्धति | इक्विटी पद्धति | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| vi) | रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड | **14.30%** | इक्विटी पद्धति | इक्विटी पद्धति | 0.66% | 66 | 0.00% | - | 0.50% | 66 |
| vii) | ओएनजीसी त्रिपुरा पॉवर कंपनी लिमिटेड | **26.00%** | इक्विटी पद्धति | इक्विटी पद्धति | 0.18% | 18 | 0.00% | 0 | 0.14% | 18 |
| viii) | एलएलसी भारत ऊर्जा कार्यालय | **20.00%** | इक्विटी पद्धति | इक्विटी पद्धति | 0.00% | 0 | 0.00% | - | 0.00% | 0 |
| **B)** | fon'kh | | | | | | | | | |
| i) | फेयम गैस | **19.00%** | इक्विटी पद्धति | इक्विटी पद्धति | 0.03% | 3 | 0.00% | - | 0.03% | 3 |
| ii) | चाइना गैस होल्डिंग लिमिटेड | **2.76%** | इक्विटी पद्धति | इक्विटी पद्धति | 1.45% | 144 | -6.74% | (208) | -0.50% | (65) |
| iii) | एलएनजी जापोनिका शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड | **26.00%** | इक्विटी पद्धति | इक्विटी पद्धति | 0.08% | 8 | 0.00% | - | 0.06% | 8 |
| **5** | l;Dr m|e | | | | | | | | | |
| **A)** | Hkkjrh; | | | | | | | | | |
| i) | भाग्यनगर गैस लिमिटेड | **48.73%** | इक्विटी पद्धति | इक्विटी पद्धति | 0.19% | 19 | 0.00% | - | 0.14% | 19 |
| ii) | सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड | **25.00%** | इक्विटी पद्धति | इक्विटी पद्धति | 0.18% | 18 | 0.00% | 0 | 0.14% | 18 |
| iii) | ग्रीन गैस लिमिटेड | **49.99%** | इक्विटी पद्धति | इक्विटी पद्धति | 0.22% | 22 | 0.00% | - | 0.17% | 22 |
| iv) | महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड | **22.50%** | इक्विटी पद्धति | इक्विटी पद्धति | 1.39% | 137 | 0.00% | - | 1.05% | 137 |
| v) | अवंतिका गैस लिमिटेड | **49.99%** | इक्विटी पद्धति | इक्विटी पद्धति | 0.38% | 38 | 0.00% | 0 | 0.29% | 38 |
| vi) | तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड | **33.33%** | इक्विटी पद्धति | इक्विटी पद्धति | -0.02% | (2) | 0.00% | - | -0.02% | (2) |
| vii) | वडोदरा गैस लिमिटेड | **50.00%** | इक्विटी पद्धति | इक्विटी पद्धति | 0.12% | 12 | 0.00% | - | 0.09% | 12 |
| viii) | इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड | **20.00%** | इक्विटी पद्धति | इक्विटी पद्धति | 0.00% | 0 | 0.00% | - | 0.00% | 0 |
| **B)** | fon'kh | | | | | | | | | |
| i) | तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड | **5.00%** | इक्विटी पद्धति | इक्विटी पद्धति | 0.00 | 0 | 0.00% | - | 0.00 | 0 |

* समूह कंपनियों में निवल परिसंपत्तियों पर सहायक कंपनियों की कुल निवल परिसंपत्तियों के आधार पर विचार किया जाता है और समूह कंपनियां, यदि कोई हैं, के बीच सामान्य लेन–देन को हटाए बिना सकल आधार पर विचार किया जाता है।

** मूल कंपनी से लाभ का अंश समेकन से संबंधित लेन–देन को हटाकर समेकन समायोजन करने के बाद दर्शाया जाता है।

## 46½ lgk;d dEifu;k¡ vkSj l;qDr miØe@lgc) dEifu;ksa ds lEcU/k esa ys[kkvksa esa fuEufyf[kr fof'k"V fVIif.k;ksa dks izdVhdj.k fd;k x;k g%

### I) xSy xSl fyfeVsM

क) कंपनी प्राधिकार प्रदान किए जाने के अनुसार न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 9वें, 10वें और 11वें सीजीडी बोली दौर में पीएनजीआरबी द्वारा दिए गए 11 भौगोलिक क्षेत्रों में पूंजी परियोजनाओं के लिए निर्माण गतिविधियाँ कर रही है। गैस स्रोत से संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों तक पाइपलाइन कनेक्टिविटी की उपलब्धता में देरी और विभिन्न प्राधिकारियों से अनुमति न मिलने को ध्यान में रखते हुए, 7 भौगोलिक क्षेत्रों में प्राधिकार प्रदान करने के अनुसार एमडब्ल्यूपी लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी है। इस संबंध में, कंपनी को पीएनजीआरबी से कोई नोटिस नहीं मिला है। इसलिए, 31 मार्च, 2024 तक कुल ₹ 15.97 करोड़ के एमडब्ल्यूपी लक्ष्यों को पूरा नहीं करने के लिए जुर्माना, (गत वर्षः ₹ 4.72 करोड़) आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

ख) आंध्र प्रदेश गैस वितरण निगम लिमिटेड (एपीजीडीसी) गेल गैस लिमिटेड (गेल गैस) और आंध्र प्रदेश गैस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड की 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) है। एपीजीडीसी ने परियोजना को पूरा करने में विभिन्न चुनौतियों के कारण चालू वित्त वर्ष के दौरान केएसपीएल परियोजना के अपने प्राधिकार को लौटा दिया है। इसके अलावा, एपीजीडीसी ने पीएनजीआरबी से अनुरोध किया था कि इस लाइन की फिर से बोली लगाते समय एपीजीडीसी द्वारा किए गए निवेश को भी ध्यान में रखा जाए ताकि परियोजना में किए गए निवेश को वापस पाया जा सके क्योंकि यह जनता का पैसा है। पीएनजीआरबी ने एक प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेंसी फर्म द्वारा विधिवत प्रमाणित, पाइपलाइन के उद्देश्य के लिए फिट रिपोर्ट के साथ बिछाई गई पाइपलाइन का एक विस्तृत स्थान प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। प्रभाव आकलन (पाइपलाइन के उद्देश्य के लिए फिट रिपोर्ट) की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, पीएनजीआरबी एनजीपीएल प्राधिकार विनियमन के विनियम 5(1) के अनुसार पीएनजीआरबी ने सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है और यह प्रक्रिया चल रही है। तदनुसार, कंपनी पाइपलाइन के प्रभाव आकलन के पूरा होने और पीएनजीआरबी के बाद के निर्देशों जैसी भविष्य की घटनाओं के परिणामों के आधार पर भारतीय लेखा मानक की आवश्यकता के अनुसार हानि (केएसपीएल परियोजना के लिए एपीजीडीसी में किए गए शुद्ध निवेश से भविष्य के नकदी प्रवाह का एक विश्वसनीय अनुमान प्राप्त करने) के उद्देश्य से अपने निवेश का मूल्यांकन करेगी । 31 मार्च, 2024 को समाप्त चालू वित्त वर्ष के लिए, गेल के समेकित वित्तीय विवरणों ने एपीजीडीसी में किए गए ₹ 156.58 करोड़ (गत वर्षः ₹ 170.73 करोड़) के अपने निवेश का खुलासा किया, जो इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश की मूल लागत को दर्शाता है।

### II) xSy Xykscy ¼;w,l,½ bad-

क) दिसंबर 2023 के दौरान, कंपनी ने +70,000,000 तक के उधार के लिए एक बैंक के साथ क्रेडिट सुविधा समझौता किया ('न्यू लाइन ऑफ क्रेडिट'), जो 13 दिसंबर, 2024 को परिपक्व होगा। न्यू लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत उधार पर एक महीने के एसओएफआर (31 मार्च, 2024 को 5.34%) प्लस 1.25% ब्याज अर्जित हुआ और मासिक भुगतान किया जाना था। न्यू लाइन ऑफ क्रेडिट की गारंटी पैरेंट द्वारा 0.075% की वार्षिक फीस के लिए दी जाती है, जिसकी बकाया मूलधन और परिपक्वता के माध्यम से अतिदेय ब्याज के आधार पर गणना की जाती है। 31 मार्च, 2024 को न्यू लाइन ऑफ क्रेडिट पर बकाया राशि +66,050,000 है।

निम्नलिखित तालिका में 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण व्यवस्था (लाइन ऑफ क्रेडिट) शेष को दर्शाया गया हैः–

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2024 (यूएसडी डॉलर में) | 2023 (यूएसडी डॉलर में) |
|---|---|---|
| लाइन ऑफ क्रेडिट | 66,050,000 | 64,500,000 |
| कार्यगत पूंजी ऋण व्यवस्था | 35,817,772 | 42,947,145 |
| लाइन ऑफ क्रेडिट | 101,867,772 | 107,447,145 |

### III) egkuxj xSl fyfeVsM

अप्रैल 2014 में, गेल (इंडिया) लिमिटेड ने ओएनजीसी से उरण ट्रॉम्बे नेचुरल गैस पाइपलाइन (यूटीएनजीपीएल) का उपयोग करने के लिए परिवहन शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा। यह मांग पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा 30 दिसंबर, 2013 को लिए गए निर्णय पर आधारित थी, जिसने ओएनजीसी की पाइपलाइन के लिए एक सामान्य वाहक के रूप में शुल्क निर्धारित किया था। नवंबर 2008 से जुलाई 2021 तक की अवधि के लिए गेल द्वारा उठाई गई कुल मांग ₹ 331.80 करोड़ थी। कंपनी ने अनुबंध की शर्तों के आधार पर गेल की मांग से असहमति जताई – समझौते के अनुसार, परिवहन शुल्क यूटीएनजीपीएल को सामान्य वाहक के रूप में उपयोग करने के लिए तीसरे पक्ष के उपयोगकर्ता द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए, न कि ओएनजीसी द्वारा अपनी गैस के परिवहन के लिए। कंपनी ने फरवरी 2015 में पीएनजीआरबी के समक्ष अपील दायर की, जिसे अक्तूबर 2015 में खारिज कर दिया गया था।

कंपनी ने नवंबर 2015 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। न्यायालय ने कंपनी को नवंबर 2016 में पीएनजीआरबी के अपीलीय प्राधिकारी होने के नाते विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) में अपील दायर करने की सलाह दी। मामले की सुनवाई एपीटीईएल ने की और सितंबर 2019 में तकनीकी आधार पर इसे वापस पीएनजीआरबी को भेज दिया। मार्च 2020 में पीएनजीआरबी ने एक आदेश पारित किया जिसमें कंपनी और गेल को विवादित परिवहन शुल्क ओएनजीसी को चुकाने का निर्देश दिया। कंपनी ने अप्रैल 2020 में पीएनजीआरबी के आदेश के खिलाफ एपीटीईएल के समक्ष अपील दायर की। इस मामले की सुनवाई अप्रैल 2022 में पीएनजीआरबी ने की और सितंबर 2022 में एक आदेश पारित कर कंपनी को यूटीएनजीपीएल के लिए पीएनजीआरबी द्वारा तय परिवहन शुल्क के अनुसार 2014 से 2021 की अवधि के लिए विवादित परिवहन शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया। कंपनी ने पीएनजीआरबी के सितंबर 2022 के आदेश को चुनौती देते हुए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट दायर की थी। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 13 दिसंबर, 2022 के अपने आदेश के तहत पीएनजीआरबी के आदेश के खिलाफ वसूली पर रोक लगा दी है और कंपनी को 15 फरवरी, 2023 तक गेल के पास ₹ 50 करोड़ जमा करने का निर्देश दिया है, जिसे 14 फरवरी, 2023 को गेल के पास जमा कर दिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई 22 जुलाई, 2024 को पुनर्निर्धारित की है।

प्राप्त कानूनी राय के आधार पर, कंपनी का मानना है कि उसके पास एक मजबूत मामला है और उसे संसाधनों के किसी भी बहिर्वाह की उम्मीद नहीं है। इसलिए, किसी भी प्रावधान को मान्यता नहीं दी गई है।

### IV) vks,uthlh iSVªks ,fM'kal fyfeVsM

क) कंपनी ने दहेज, गुजरात में स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में एक पेट्रोरसायन परिसर स्थापित किया है। गत कुछ वर्षों में बाजार के उतार–चढ़ाव में बदलाव को देखते हुए, घरेलू बाजार में पेट्रोरसायन उत्पादों की मांग बढ़ी है। इसलिए, कंपनी अपने अधिकांश उत्पादों को घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में बेच रही है। तथापि, एसईजेड से डीटीए को उत्पादों की बिक्री पर मूल सीमा शुल्क लागू होता है जिसका

सीधा असर कंपनी के मुनाफे पर पड़ रहा है। इसलिए, निदेशक मंडल ने एसईजेड से स्वैच्छिक निकासी के लिए आवेदन करने की मंजूरी दे दी है।

ख) विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने क्षेत्र की अधिसूचना रद्द करने, सभी लागू शुल्कों और करों का भुगतान करने, जिसे अंतिम निकास की तिथि के आधार पर अंतिम रूप दिया जा सकता है और एसईजेड अधिनियम और अन्य नियमों के सभी प्रावधानों का अनुपालन करने के अधीन एसईजेड से बाहर निकलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ये गतिविधियाँ/अनुमोदन प्रक्रिया चल रही है। यूनिट अभी भी एसईजेड के अधीन है और अंतिम निकास की मंजूरी के प्रस्ताव पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली से अधिसूचना रद्द करने की मंजूरी के अधीन विचार किया जाएगा।

ग) एसईजेड से बाहर निकलने से एकमुश्त लागत के साथ–साथ भविष्य के मार्जिन में महत्वपूर्ण सुधार आने की उम्मीद है। उपर्युक्त अनुमान अनंतिम हैं तथा इसमें अदालत और अधिकारियों के समक्ष लंबित विवादित मांग भी शामिल है। एसईजेड से बाहर निकलने की वास्तविक लागत और यह कितनी होगी, यह अधिकारियों द्वारा दी गई मंजूरी की शर्तों पर निर्भर करता है। चूंकि एसईजेड से बाहर निकलने के लिए आवश्यक मंजूरी और मूल्यांकन अभी भी समीक्षाधीन हैं और बाहर निकलने का निर्णय स्वैच्छिक है, इसलिए प्रबंधन का मानना है कि अंतिम निर्णय केवल तभी लिया जा सकता है जब ये शर्तें और नियम पता चल जाएं। इसलिए, कंपनी ने अपने खातों में अनुमानित एकमुश्त लागत या अनुमानित भविष्य के लाभों को दर्ज नहीं किया है।

घ) कंपनी को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात ₹ 34,557 मिलियन का शुद्ध घाटा हुआ है (31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 41,544 मिलियन) और 31 मार्च, 2024 तक संचयी घाटा ₹ 1,67,625 मिलियन तक पहुँच गया है। 31 मार्च, 2024 तक ₹ 1,05,130 मिलियन (31 मार्च, 2023 को ₹ 70,750 मिलियन) की नकारात्मक कार्यशील पूंजी है। निर्धारित चुकौती के आधार पर, इन वित्तीय विवरणों की तिथि से 12 महीनों के भीतर ₹ 54,027 मिलियन की चुकौती की जानी है।

मूल्यांकनः प्रबंधन ने उपर्युक्त परिचालन स्थितियों और संकेतकों का आकलन किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है जो नकदी प्रवाह पूर्वानुमानों और योजना प्रबंधन के आधार पर कंपनी की चालू के भविष्य में बने रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सके।

उपशमन योजनाः मुनाफे में सुधार के लिए कंपनी लगातार अपने प्रचालन की समीक्षा कर रही है। इसने निम्नलिखित उपाय किए हैं जिससे लाभप्रदता में सुधार होगाः–

1) प्रमुख कारोबार गतिविधि के बाद दक्षता और उत्पादन में वृद्धि।

2) उत्पाद मिश्रण को अधिकतम करने और नेट बैक में सुधार के लिए प्रयास जारी रखना।

3) एसईजेड क्षेत्र से बाहर निकलने से घरेलू बिक्री से शुद्ध लाभ में सुधार होगा।

4) फीड और गैस की कीमतों में अपेक्षित कमी।

fu"d"k% योजनाओं के आधार पर, प्रबंधन ने कंपनी के भविष्य में बने रहने की क्षमता पर निष्कर्ष निकाला है और उस आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

**V) cgei= Ødj ,M ikyhej fyfeVM**

d½ **i¡thxr lfClMh%** बीसीपीएल द्वारा असम राज्य में लागू किए जा रहे एजीसीपी की स्थापना के लिए भारत सरकार के अनुमोदन के आधार पर, ₹ 5239.45 करोड़ की पूंजीगत सब्सिडी के खिलाफ, कंपनी को 31 मार्च, 2024 तक ₹ 5221.33 करोड़ की पूंजीगत सब्सिडी प्राप्त हुई है। पूंजीगत सब्सिडी पर अर्जित ब्याज को पूंजीगत सब्सिडी का हिस्सा माना गया है और प्राप्त होने वाली पूंजीगत सब्सिडी से समायोजित किया गया है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कोई पूंजीगत सब्सिडी जारी नहीं की गई। प्राप्त होने वाली पूंजीगत सब्सिडी की शेष राशि ₹ 18.12 करोड़ है और परियोजना से संबंधित अनुबंध बंद होने/निपटानों से उत्पन्न होने वाली किसी भी परियोजना देनदारी के मामले में इसकी मांग की जाएगी। भारत सरकार से प्राप्त पूंजीगत सब्सिडी को भारतीय लेखा मानक 20 के संदर्भ में आस्थगित आय माना गया है और इसे पेट्रोकेमिकल परिसर के उपयोगी जीवन पर लाभ और हानि के विवरण में आय के रूप में दर्ज किया गया है। तदनुसार, चालू वित्त वर्ष में ₹ 211.65 करोड़ की राशि (गत वर्ष ₹ 211.65 करोड़) को अन्य आय के रूप में लाभ और हानि के विवरण में स्थानांतरित कर दिया गया है और पूंजीगत सब्सिडी खाते में शेष राशि को 'गैर–वित्तीय देयता' के तहत वर्गीकृत 'सरकारी अनुदान' के रूप में अग्रेनीत किया गया है।

[k½ **jktLo vunku**

¼i½ **QhM LV,d lfClMh%**

फीडस्टॉक सब्सिडी को बीसीपीएल द्वारा कार्यान्वित असम गैस क्रैकर परियोजना (एजीसीपी) के 10% की न्यूनतम कर पश्चात परियोजना आईआरआर बनाए रखने के लिए संयंत्र संचालन के 15 वर्षों की अवधि हेतु सीसीईए द्वारा अनुमोदित किया गया था। कार्यप्रणाली के अनुसार, ₹ 525.00 करोड़ (गत वर्ष ₹ 563.00 करोड़) की राशि का फीडस्टॉक सब्सिडी के रूप में वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 'अन्य प्रचालन आय' के तहत संचयी आधार पर हिसाब लगाया गया है। अब तक बीसीपीएल को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से फीडस्टॉक सब्सिडी के रूप में ₹ 3436.92 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें 2022–23 के दावे की सब्सिडी भी शामिल है।

¼ii½ **iokRrj vk|kfxd vkj fuos'k loèku uhfr ¼,uÃvkÃvkÃihih½ lfClMh**

कंपनी एनईआईआईपी (पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति) के तहत पंजीकृत है और विभिन्न सब्सिडी योजनाओं के लिए पात्र है। तदनुसार, कंपनी ने प्रोद्भवन आधार पर विभिन्न योजनाओं के तहत निम्नलिखित पात्र सब्सिडी का हिसाब लगाया है।

| विवरण | प्रारंभिक प्राप्त दावा | वर्तमान वर्ष के दौरान लगाया गया हिसाब | वर्तमान वर्ष के दौरान लगाया गया हिसाब | वर्ष के दौरान खर्च किए गए/बट्टे खाते में डाली गई राशि | प्राप्त अंतिम दावे |
|---|---|---|---|---|---|
| भाड़ा सब्सिडी | 101.43 | - | - | - | 101.43 |
| बीमा सब्सिडी | 57.12 | 30.25 | - | | 87.37 |
| कुल योग | 158.55 | 30.25 | - | - | 188.80 |

चालू वित्त वर्ष में सब्सिडी के लिए राशि ₹ 30.25 करोड़ के दावे को संबंधित व्यय (गत वित्तीय वर्षः 25.82 करोड़) के साथ समायोजित किया गया है। इसके अलावा, उपर्युक्त कुल प्राप्य दावे में से ₹ 30.25 करोड़ की राशि जमा करने के लिए लंबित है।

एनईआईआईपी योजना के दिशा–निर्देशों और प्रबंधन मूल्यांकन के अनुसार, दावों की प्राप्ति लगभग निश्चित है और 12 महीनों के भीतर उनका निपटान कर दिया जाना अपेक्षित है।

¼iii½ ctVh; lgk;rk ;ktuk ¼,lch,l½%

दिनांक 25.04.2007 की अधिसूचना सं. 20/2007–सीई के अनुसार समय–समय पर संशोधित, एनईआर में पात्र यूनिटें उत्पाद शुल्क रिफंड का लाभ उठा रही थीं। बीसीपीएल जीएसटी में परिवर्तन तक इस योजना के तहत पात्र था। एनईआर में पात्र उद्योगों को विशेष लाभ योजना के तहत जारी रखने के लिए, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने दिनांक 27 नवंबर, 2017 की अधिसूचना परिपत्र स. 1060/9/2017–सीएक्स के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड की दिनांक 05 अक्तूबर, 2017 की अधिसूचना जारी की है ताकि एनईआर में सभी पात्र यूनिटों को लाभ दिया जा सके। योजना के तहत, बीसीपीएल प्राथमिक तैयार माल की आपूर्ति पर बजटीय सहायता की पात्र है। तदनुसार, बीसीपीएल ने बजटीय सहायता योजना के तहत जीएसटी रिफंड के लिए ₹ 38.43 करोड़ (पिछला वित्तीय वर्ष: ₹ 56.91 करोड़) का दावा प्रस्तुत किया है और इसे "अन्य प्रचालन आय" के रूप में मान्यता दी गई है।

**VI)** xhu xl fyfeVM

हम टॉरेंट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा ग्रीन गैस लिमिटेड पर ₹ 531.85 लाख के दावे और तत्पश्चात ग्रीन गैस लिमिटेड द्वारा टॉरेंट प्रोजेक्ट लिमिटेड पर ₹ 1030.82 लाख के प्रतिदावे के संबंध में टिप्पणी सं. 33 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, हालांकि मामला मध्यस्थ द्वारा तय किया गया है, लेकिन टीपीएल द्वारा सभी मध्यस्थता अवार्ड के लिए वाणिज्यिक न्यायालय लखनऊ के समक्ष अपील दायर की गई है।

**VII.** HkkX;uxj xl fyfeVM

क) कंपनी से पीएनजीआरबी द्वारा प्रदान की संविदा शर्तों के अनुसार पाइपलाइन द्वारा गैस आपूर्ति के न्यूनतम आवासीय कनेक्शन पूरा किया जाना अपेक्षित है। न्यूनतम संख्या में कनेक्शन पूरा करने में विफल रहने पर कंपनी पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिसके लिए कंपनी ने पीएनजीआरबी को बैंक गारंटी प्रदान की है। कंपनी को न्यूनतम कनेक्शन में विलंब के लिए नोटिस मिला है। इस स्तर पर न्यूनतम संख्या में कनेक्शन न किए जाने की स्थिति में प्रभारों का मापन नहीं किया जा सकता और कंपनी ने संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष यह मुद्दा उठाया है कि विलंब के विविध कारण हैं और उनमें से अधिकांश पर कंपनी का नियंत्रण नहीं है।

ख) काकीनाडा में नगर गैस वितरण कार्यकलापों के संबंध में, पीएनजीआरबी ने प्राधिकार में निर्धारित महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त न किए जाने पर मई, 2013 में पीबीजी पर ₹ 1,33,54,500 का दावा किया। इसको चुनौती देते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में तत्काल रिट याचिका दायर की गई, जिसपर 'स्टे' लगा दिया गया। यह मामला न्यायाधीन है।

ग) बीजीएल ने स्वतः संज्ञान लेते हुए नवम्बर 2015 में माननीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय में पीएनजीआरबी के खिलाफ रिट याचिका दायर करते हुए गैर–कार्यनिष्पादन की अप्रत्याशित स्थितियों के आधार पर उन्हें क्रमशः हैदराबाद और विजयवाड़ा के संबंध में जारी किए गए ₹ 10,00,00,000 और ₹ 4,00,00,000 के पीबीजी की वसूली पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया। यह मामला न्यायाधीन है।

घ) बीजीएल ने विजयवाड़ा के विद्याधरापुरम, गवरनरपेट–।। और इब्राहिमपट्टनम डिपो तथा हैदराबाद में संचालित मेधकल, हाकिमपेट और छावनी डिपो में संचालित की जा रही बसों के लिए विविध मात्रा में सीएनजी आपूर्ति हेतु एपीएसआरटीसी के साथ करार किया है (इसके बाद टीएसआरटीसी के लिए वैध)।

**VIII)** Q;e xl diuh

कंपनी के खिलाफ एक ग्राहक द्वारा गैस विस्तार और कनेक्शन कार्यों के कार्यान्वयन में देरी के परिणामस्वरूप मुआवजे के लिए उसके दावे के संबंध में एक अदालती मामला दायर किया गया था जिसे न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया खारिज कर दिया गया था और निर्णय सं. 72/57 जे के तहत एक अपील की गई थी, जिसका फेयम शुगर कंपनी द्वारा दायर मूल मुकदमे को खारिज करने वाले प्रथम डिग्री के समर्थन में फैसला सुनाया गया था, साथ ही कंपनी द्वारा दायर उप–मुकदमे और कैसेशन अपील सं. 9983/91 जे को खारिज कर दिया गया था और अभी भी कैसेशन न्यायालय में है, और कंपनी के प्रबंधन और उसके कानूनी सलाहकार की राय के अनुसार, मामले की स्थिति इस तथ्य के आधार पर कंपनी के पक्ष में है कि देरी का कारण अप्रत्याशित घटना है जिसने अनुबंध के कार्यान्वयन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

**IX.** dkd.k ,y,uth fyfeVM

d½ ,e,lbMhlh,y dk cdk;k jkf'k dk Hkxrku

एमएसईडीसीएल से प्राप्त पत्र के अनुसार ₹ 3.75 करोड़ की बकाया राशि लंबित है। आरजीपीपीएल और एमएसईडीसीएल के बीच दिनांक 10.04.2007 को हस्ताक्षरित पीपीए के अनुसार, एमएसईडीसीएल को शिरल पंप हाउस की जलापूर्ति से संबंधित बिजली शुल्क वहन करना था। उक्त पीपीए 19.05.2032 तक वैध है जिसे मैसर्स एमएसईडीसीएल ने बंद कर दिया था, इसका कारण केएलएल को ज्ञात नहीं है। विवाद (बकाया राशि का) पीपीए और बिजली उत्पादन कंपनी से संबंधित है जो अभी भी उसी नाम (अर्थात आरजीपीपीएल) में अस्तित्व में है। एमएसईडीसीएल ने दिनांक 25.05.2022 के अपने प्रस्ताव में सूचित किया कि नए बिजली आपूर्ति कनेक्शन के लिए बकाया राशि विलय हटाने के बाद आवंटित क्षेत्र पर विचार करते हुए आनुपातिक रूप से वसूल की जाएगी। नए कनेक्शन जारी करने के लिए शर्त का पालन किया जाना है। नया कनेक्शन पाने के लिए केएलएल के हिस्से के अनुपात में अप्रैल 2022 तक की बकाया राशि का भुगतान विरोध स्वरूप किया गया था। बकाया राशि पर चर्चा और समाधान के लिए एमएसईडीसीएल (रत्नागिरी) के एसई कार्यालय में कई दौरे किए गए। इसके अलावा, 25.09.2023 को केएलएल में एमएसईडीसीएल–रत्नागिरी सर्कल के नए एसई की शिष्टाचार दौरे के दौरान सीईओ–केएलएल के कार्यालय में बकाया राशि के मुद्दे पर चर्चा की गई। इसके बाद, 09.11.2023 को एसई कार्यालय में अनुवर्ती बैठक आयोजित की गई, जिसमें केएलएल को मामले के शीघ्र समाधान के लिए सकारात्मक आश्वासन मिला। मार्च 2024 में, केएलएल–इलेक्ट्रिकल ने एसई के कार्यालय से एक बैठक के लिए अनुरोध किया था, लेकिन उनकी पूर्व प्रतिबद्धता के कारण, उनके बीच बैठक नहीं हुई, और मई 2024 के पहले सप्ताह में आगे की बैठक होनी निश्चित हुई है।

[k½ ,evkbMhlh dk Hkfe d mi&foHkktu d fy, Hkxrku

आरजीपीपीएल ने एनसीएलएटी के 28.02.2018 के आदेश के अनुसार विलय हटाने के मद्देनजर कंपनी के पक्ष में भूखंड के उप–विभाजन के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) के साथ एक आवेदन दायर किया था। उक्त आवेदन के जवाब में एमआईडीसी द्वारा आरजीपीपीएल को दिनांक 29.10.2020 के अपने पत्र के माध्यम से निम्नलिखित मांगें उठाई गई हैं।

i) आरजीपीपीएल से कंपनी को भूमि के उप–विभाजन के लिए अंतर प्रीमियम के रूप में ₹ 0.80 करोड़।

ii) दाभोल पावर कंपनी (डीपीसी) से आरजीपीपीएल को भूखंड के गत हस्तांतरण के लिए अंतर प्रीमियम के रूप में ₹ 9.09 करोड़।

iii) 2013 से 2020 तक वार्षिक पट्टा किराया ₹ 7/– की दर से।

आरजीपीपीएल ने दिनांक 21.12.2020 के अपने पत्र द्वारा क्र.सं. (ii) के अनुसार मांग का विरोध किया है। केएलएल ने दिनांक 11.05.2021 के अपने पत्र के माध्यम से एमआईडीसी से अनुरोध किया है कि वह आरजीपीपीएल के पत्र दिनांक 21.12.2020 के निर्णय के अनुरूप क्र.सं. (i) में प्रस्तुत मांग पर विचार करे और आरजीपीपीएल से भूमि हस्तांतरण के लिए लागू शुल्क के लिए न्यायोचित मांग को सीधे कंपनी के समक्ष उठाए। केएलएल को एमआईडीसी से दिनांक 24.03.2022 के पत्र सं. एमआईडीसी/आरओआर/ डीबीएल/ए–1/बी–02315/2022 दिनांक 24.03.2022 के माध्यम से क्र.सं. (i) के अनुसार शुल्क और कंपनी को क्र.सं. (ii) के समानुपातिक शुल्क की मांग प्राप्त हुई। तदनुसार, ₹ 3,49,64,208/– की राशि का भुगतान किया गया और 28.03.2022 को भूमि उप–विभाजन आदेश प्राप्त हुआ। यह एमएसईडीसीएल से बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की पूर्व शर्तों में से एक थी। 05.09.2022 तक, केएलएल और आरजीपीपीएल दोनों द्वारा हस्ताक्षर करने के लिए आरजीपीपीएल के साथ कानूनी रूप से सत्यापित 'डीड ऑफ असाइनमेंट' साझा किया गया है। आरजीपीपीएल के अनुरोध के अनुसार, सीमाओं का संयुक्त रूप से सत्यापन कर लिया गया है, लेकिन विलेख पर हस्ताक्षर अभी होने हैं।

**47) लेखा मानक – परिसंपत्तियों की हानि – भारतीय लेखा मानक 36 :–**

'भारतीय लेखा मानक–36, परिसंपत्तियों की हानि' और भारतीय लेखा मानक 109, वित्तीय लिखतों' के अनुपालन में, कंपनी ने पाइपलाइनों और स्टार्ट अप कंपनियों के लिए ईएंडपी, गेल टेल, संयंत्र और मशीनी, उपयोग के अधिकार (आरओयू) की परिसंपत्तियों के संबंध में 31 मार्च, 2024 तक हानि का आकलन किया:

I. कंपनी ने तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड के संबंध में ₹ शून्य (गत वर्ष: ₹ 55.38) की हानि का हिसाब लगाया।

II. कंपनी ने गेल टेलीकॉम की परिसंपत्तियों के संबंध में ₹ 1.95 करोड़ (गत वर्ष: ₹ 4.26 करोड़ की हानि का प्रतिवर्तन) की हानि का हिसाब लगाया।

III. कंपनी ने संयंत्र और मशीनरी के संबंध में ₹ शून्य (गत वर्ष: ₹ 0.72 करोड़) की हानि का हिसाब लगाया।

IV. कंपनी ने अन्वेषण और उत्पादन व्यवसाय की उत्पादक संपत्ति के संबंध में ₹ 19.37 करोड़ (गत वर्ष: ₹ शून्य) की हानि का हिसाब लगाया।

V. कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 36 के प्रावधानों के अनुपालन में पाइपलाइनों के लिए आरओयू का हानि अध्ययन किया। आरओयू के संबंध में कोई हानि नहीं पाई गई।

VI. कोंकण एलएनजी लिमिटेड ने पीपीई और सीडब्ल्यूआईपी के संबंध में ₹ 73.87 करोड़ (गत वर्ष: ₹ 122.30 करोड़) की हानि की भरपाई की है।

VII. गेल मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (जीएमपीएल) ने ₹ 273.66 करोड़ की हानि की भरपाई की है। हालांकि, इसका समेकित वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। चूंकि उक्त हानि जीएमपीएल के अधिग्रहण से पहले की अवधि से संबंधित है।

48½ 'प्रति शेयर आय' पर भारतीय लेखा मानक – 33 के अनुपालन में मूल और कम की गई ईपीएस राशि की गणना मूल कंपनी के इक्विटी धारकों को वर्ष के लिए देय लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। कम की गई ईपीएस की गणना मूल कंपनी के इक्विटी धारकों को वर्ष के लिए देय लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से और सभी कम किए गए संभावित इक्विटी शेयरों को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने पर जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

निम्नलिखित मूल और कम की गई ईपीएस गणना में प्रयुक्त आय और शेयर डेटा को दर्शाता है:

| विवरण | 2023–24 | 2022–23 |
|---|---|---|
| सतत प्रचालन से कर पश्चात शुद्ध लाभ (₹ करोड़) | 9899.22 | 5616.00 |
| बंद प्रचालन से कर पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि) (₹ करोड़) | - | - |
| डिनोमिनेटर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (₹ करोड़) | 657.51 | 659.41 |
| प्रत्येक इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य | 10 | 10 |
| सतत प्रचालन से प्रति शेयर आय (मूल और कम किया गया शेयर मूल्य) (₹) | 15.06 | 8.52 |
| बंद प्रचालन से प्रति शेयर आय कम किया गया शेयर मूल्य) (₹) | | - |
| सतत और बंद प्रचालन से प्रति शेयर आय (मूल और कम किया गया शेयर मूल्य) (₹) | 15.06 | 8.52 |

49½ वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि/अपेक्षित ऋण हानि पर भारतीय लेखा मानक 109 के अनुपालन में (ईसीएल) वित्तीय गारंटी पर, कंपनी ने 31 मार्च 2024 तक अपने निम्नलिखित निवेशों/वित्तीय गारंटियों के संबंध में एक आकलन किया है:

I. वर्ष के दौरान, तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड में निवेश के उचित मूल्यांकन के आधार पर, कंपनी ने ₹ शून्य (गत वर्ष: ₹ 49.14 करोड़) की हानि के लिए प्रावधान किया है। 31 मार्च 2023 तक तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड में कंपनी के निवेश का वहन मूल्य ₹ शून्य (गत वर्ष: ₹ शून्य) है।

II. वर्ष के दौरान, गेल ग्लोबल यूएसए इंक. (जीजीयूआई) के उचित मूल्यांकन के आधार पर, कंपनी ने जीजीयूआई की ओर से कंपनी द्वारा प्रदान की गई कॉर्पोरेट गारंटी के खिलाफ ₹ 46.05 करोड़ (गत वर्ष: ₹ 46.62 करोड़) की अपेक्षित क्रेडिट हानि का प्रावधान किया है।

50½ "प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों" पर भारतीय लेखा मानक 37 के अनुपालन में, धारिता कंपनी के संबंध में संभावित दायित्वों के प्रावधान पर आवश्यक सूचना निम्नानुसार है:–

(₹ करोड़ में)

| प्रावधान | प्रारंभिक शेष | वर्ष के दौरान वृद्धि (ओसीआई सहित) | वर्ष के दौरान भरपाई/समायोजन (ओसीआई सहित) | अंतिम शेष |
|---|---|---|---|---|
| कर्मचारी लाभ | 845.52 | 307.44 | (148.32) | 1,004.64 |
| परित्याग लागत के लिए दायित्व | 1.94 | - | (0.01) | 1.93 |
| कानूनी और मध्यस्थता मामले (कर सहित) | 845.19 | 164.33 | (14.13) | 995.39 |
| **dy** | **1,692.65** | **471.77** | **(162.46)** | **2,001.96** |

51½ g t u fd, x, fon'kh enk tkf[ke (₹ करोड़ में)

| विवरण | मुद्रा | 31 मार्च 2024 | 31 मार्च 2023 |
|---|---|---|---|
| प्रोद्भूत ब्याज सहित उधार लेकिन देय नहीं * | अमरीकी डॉलर | - | - |

| विवरण | मुद्रा | 31 मार्च 2024 | 31 मार्च 2023 |
|---|---|---|---|
| व्यापार प्राप्य/जमा और प्रतिधारण राशियां | अमरीकी डॉलर | 1,504.45 | 3,534.19 |
| | यूरो | 26.19 | 9.63 |
| | अन्य | 2.10 | 28.78 |
| व्यापार/अन्य प्राप्य और बैंक शेष | अमरीकी डॉलर | 922.81 | 581.49 |
| | यूरो | - | 1.14 |
| | अन्य | 2.34 | 0.06 |
| अनुबंधों की गैर–कार्यान्वित राशि, जिसका कार्यान्वयन किया जाना शेष है | अमरीकी डॉलर | 376.24 | 410.00 |
| | यूरो | 1,082.78 | 1,019.90 |
| | अन्य | 150.53 | 127.32 |
| एसईएजीपी से प्राप्य ऋण | अन्य | - | - |
| एसईएजीपी से प्राप्त पूंजीगत अंशदान | अमरीकी डॉलर | 27.51 | 96.53 |

*इसमें ऐसी धनराशि शामिल नहीं है, जो स्वाभाविक रूप से आने वाली विदेशी मुद्रा द्वारा संतुलित हो जाता है।

52½ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अधीन कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों, निवेश, गारंटी और प्रतिभूति का ब्यौरा।

क. किए गए निवेश और ऋणों को संबंधित टिप्पणी सं. 5 और 7 के अधीन प्रकट किया गया है।

ख. कॉरपोरेट गारंटी

(i) कंपनी द्वारा अपनी निम्न सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/संबद्ध कंपनियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न नगर गैस परियोजनाओं के लिए बैंकों को दी गई कार्यनिष्पादन गारंटी के लिए कॉरपोरेट गारंटी का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

| क.सं. | कंपनी का नाम | 31 मार्च, 2024 को | 31 मार्च, 2023 को |
|---|---|---|---|
| 1 | गेल गैस लिमिटेड | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 2 | गेल ग्लोबल सिंगापुर प्रा. लिमिटेड | 1,251.15 | 1,241.10 |
| 3 | गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक. | 583.87 | 579.18 |
| 4 | गेल ग्लोबल (यूएसए) एलएनजी एलएलसी | 750.69 | 744.66 |
| 5 | इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड | 518.80 | 518.80 |
| | dqy | **4,604.51** | **4,583.74** |

(ii) कंपनी द्वारा अपनी सहायक कंपनियों की ओर से प्रदत्त कॉरपोरेट गारंटी का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

| क. सं. | कंपनी का नाम | 31 मार्च, 2024 को | 31 मार्च, 2023 को |
|---|---|---|---|
| 1 | गेल गैस लिमिटेड | 2,380.80 | 2,832.00 |
| 2 | गेल ग्लोबल सिंगापुर प्रा. लिमिटेड | 1,668.20 | 1,654.80 |
| 3 | गेल ग्लोबल (यूएसए) एलएनजी एलएलसी | 7,640.77 | 8,142.52 |
| 4 | एलएनजी जैपोनिका शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 389.53 | 419.24 |
| | dqy | **12,079.30** | **13,048.56** |

ग. कंपनी द्वारा कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है।

53½ मैसर्स पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) को रिगैसिफिकेशन क्षमता की बुकिंग हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 और वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान दो समान किस्तों में ₹ 561.80 करोड़ की ब्याज मुक्त अग्रिम राशि प्रदान की गई है। उपर्युक्त अग्रिम को पीएलएल के रिगैसिफिकेशन चालानों के लिए 15 वर्षों के भीतर समायोजित किया जाएगा। उपर्युक्त अग्रिम धनराशि में से, पीएलएल ने वर्ष के दौरान ₹ 38.2 करोड़ (गत वर्ष: ₹ 38.2 करोड़) का समायोजन किया है। ₹ 286.42 करोड़ की शेष राशि (गत वर्ष: ₹ 324.63 करोड़) को टिप्पणी सं.12 और 12क में अग्रिम के तौर पर दर्शाया गया है।

54½ कुछ मामलों में, कंपनी को 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' के अंतर्गत उनकी स्थिति के संबंध में सूक्ष्म और लघु उद्यमों से जानकारी मिली है। परम्परा के अनुसार, वैध चालान प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर सभी आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान कर दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

| विवरण | वित्त वर्ष 2023–24 | वित्त वर्ष 2022–23 |
|---|---|---|
| n; vkj o"k dh lekfIr ij Hkxrku dh tku okyh jkf'k | | |
| – मूल राशि* | 329.47 | 337.10 |
| – उपर्युक्त मूल राशि पर ब्याज | - | - |
| fu;r rkjh[k ds ckn o"k ds nkjku fd;k x;k Hkxrku | | |
| – मूल राशि | - | - |
| – ब्याज | - | - |
| पहले ही भुगतान की गई मूल धनराशियों या देय और भुगतान किया जाने वाला ब्याज | - | - |
| कुल प्रोद्भूत और वर्ष की समाप्ति पर भुगतान न किया गया ब्याज | - | - |

*देयताएं और प्रावधान इत्यादि सहित।

55½ आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए), भारत सरकार ने अपनी दिनांक 21 सितम्बर, 2016 को आयोजित बैठक में कंपनी को जगदीशपुर–हल्दिया–बोकारो–धमरा पाइपलाइन परियोजना (जेएचबीडीपीएल) के कार्यान्वयन हेतु ₹ 12,940 करोड़ की अनुमानित लागत का 40% पूंजीगत अनुदान अर्थात ₹ 5,176 करोड़ के अनुदान का अनुमोदन प्रदान किया। कंपनी को 31 मार्च, 2024 तक ₹ 4,926.29 करोड़ (गत वर्ष: ₹ 4,926.29 करोड़) का पूंजीगत अनुदान प्राप्त हुआ है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने पूंजीकृत परिसम्पत्तियों की उपयोगिता अवधि के आधार पर ₹ 137.48 करोड़ (गत वर्ष: ₹ 100.67 करोड़) के पूंजीगत अनुदान का ऋण चुकाया है।

56½ अन्य चालू परिसंपत्तियों में ₹ 155.08 करोड़ की राशि शामिल है, जो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 30 अप्रैल 2022 की अधिसूचना सं. 22/2022–सीयूएस के अनुसार व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से प्राप्त तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) कार्गो के आयात पर वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान अनंतिम रूप से भुगतान किए गए सीमा शुल्क के कारण सीमा शुल्क विभाग से प्राप्तियां हैं।

57½ foRrh; tksf[ke izca/ku

कंपनी को प्राकृतिक व्यवसाय के जोखिम से उत्पन्न विभिन्न वित्तीय जोखिमों के साथ–साथ वस्तु की कीमतों, विदेशी मुद्रा विनिमय और ब्याज दरों से संबंधित बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और नकदी जोखिम सहित इसके वित्तीय साधनों के उपयोग के जोखिम का सामना करना पड़ता है।

d½ cktkj tksf[ke

बाजार जोखिम ऐसा जोखिम है जिसमें बाजार की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों के कारण वित्तीय लिखत के भावी नकद प्रवाह के उचित मूल्य में भी उतार–चढ़ाव होंगे। बाजार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम शामिल हैं: ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और वस्तु जोखिम। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में ऋण और उधार, जमा तथा व्युत्पन्न वित्तीय लिखित शामिल हैं।

¼i½ C;kt nj tksf[ke

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में बाजार की ब्याज दर में परिवर्तन के कारण संवेदनशील होता है। कंपनी अपने ब्याज

दर जोखिम का प्रबंधन अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार करती है। बाजार ब्याज दर जोखिम को उचित डेरिवेटिव उत्पादों जैसे ब्याज दर स्वैप और पूर्ण मुद्रा स्वैप के माध्यम से हेजिंग करके कम किया जाता है, जिसमें यह निर्दिष्ट अंतराल पर, एक सहमत–अनुमानित मूल राशि के संदर्भ में गणना की गई निश्चित और परिवर्तनीय दर ब्याज राशियों के बीच अंतर का आदान–प्रदान करने के लिए सहमत होता है।

C;kt nj lonu'khyrk

निम्नलिखित तालिका दर्शाती है कि ब्याज दरों में परिवर्तन 31 मार्च 2024 तक फ्लोटिंग रेट फॉरेक्स ऋण और उधार की लागत को कैसे प्रभावित कर सकता है। यह स्वैप अनुबंधों के प्रभाव को ध्यान में रखता है, यह मानते हुए कि अन्य सभी कारक समान रहते हैं।

xsy dk fy,%

| विवरण | 31 मार्च, 2024 | | | 31 मार्च, 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | अमरीकी डॉलर (लिबोर)* | | अन्य | अमरीकी डॉलर (लिबोर)* | | अन्य |
| वृद्धि/कमी (मूल बिंदु में) | शून्य | शून्य | शून्य | 10 | -10 | शून्य |
| कर पूर्व लाभ पर प्रभाव ¼₹ djksM+ esa½ | शून्य | शून्य | | - | - | |

*लिबोर–लंदन इंटरबैंक प्रस्ताव दर

अन्य सभी परिवर्तनों के स्थिर होने पर, निम्न तालिका स्वैप संविदाओं के प्रभाव पर विचार करने के बाद, 31 मार्च, 2024 को भारतीय रुपए के ऋणों और बकाया उधारों के अस्थिर दर हिस्से पर ब्याज दरों में यथोचित संभावित परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता दर्शाती है।

| विवरण | 31 मार्च, 2024 | | | 31 मार्च, 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ब्याज दर (आरबीआई रेपो रेट)* | | अन्य | ब्याज दर (आरबीआई रेपो रेट)* | | अन्य |
| वृद्धि/कमी (मूल बिंदु में) | +10 | -10 | शून्य | +10 | -10 | Nil |
| कर पूर्व लाभ पर प्रभाव (₹ करोड़ में) | -11.17 | 11.17 | | -7.32 | +7.32 | |

अन्य सभी परिवर्तनों के स्थिर होने पर, निम्न तालिका कारपोरेट लिंक्ड जमा योजना (सीएलटीडी) पर ब्याज दरों में संभव परिवर्तन के उतार–चढ़ाव की संवेदनशीलता, 31 मार्च, 2024 तक बकाया जो मुंबई इंटरबैंक प्रस्ताव दर (एमआईईबीओआर) से जुड़े हैं, को दर्शाती है:–

| विवरण | 31 मार्च, 2024 | | | 31 मार्च, 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ₹ (एमआई बीओआर) | | अन्य | ₹ (एमआई बीओआर) | | अन्य |
| वृद्धि/कमी (एमआई बीओआर) 100 बीपीएस द्वारा | +100 | -100 | शून्य | +100 | -100 | शून्य |
| कर पूर्व लाभ पर प्रभाव (₹ करोड़ रूपएं) | +0.07 | -0.07 | | +0.77 | -0.77 | |

dk,y,y dk fy,

| विवरण | 31 मार्च, 2024 | | | 31 मार्च, 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ₹ | | अन्य | ₹ | | अन्य |
| वृद्धि/कमी (मूल बिंदु में) | +10 | -10 | शून्य | + 10 | -10 | शून्य |
| कर पूर्व लाभ पर प्रभाव (₹ करोड़ में) | +18.25 | -25.79 | | 4.00 | -4.00 | |

¼ii½ fon'kh enk tkf[ke

विदेशी मुद्रा जोखिम वह जोखिम है जिसमें विदेशी मुद्रा दरों में होने वाले बदलावों के कारण वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भावी नकदी प्रवाह में संवेदनशील हो जाता है। कंपनी स्थानीय मुद्रा में और विदेशी मुद्रा में, मुख्यतः अमेरिकी डॉलर में व्यापार करती है। कंपनी ने विदेशी मुद्रा ऋण और विदेशी मुद्रा व्यापार का भुगतान एवं प्राप्तियां प्राप्त की हैं और इसलिए उसे विदेशी मुद्रा जोखिम हो सकता है। अपने बोर्ड की अनुमोदित नीति के अनुसार, कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम को साधारण व्युत्पन्न उत्पादों जैसे कि विदेशी मुद्रा विकल्प संविदा, स्वैप अनुबंध या ऐसे जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए भावी अनुबंधों के माध्यम से कम कर सकती है। उचित मूल्य पर किए गए इन विदेशी मुद्रा संविदाओं की अंतर्निहित संविदा की आवश्यकता और कंपनी की जोखिम प्रबंधन कार्यनीति के आधार पर अलग–अलग परिपक्वता हो सकती है।

fon'kh enk lonu'khyrk

निम्न तालिका कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा में अमेरिकी डॉलर, यूरो और अन्य मुद्राओं में संवेदनशीलता को दर्शाती है, जबकि अन्य सभी परिवर्तन स्थिर हैं। कंपनी के कर–पूर्व लाभ पर प्रभाव मौद्रिक परिसम्पत्ति के उचित मूल्य और विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न सहित देयताओं में परिवर्तन के कारण है।

xsy dk fy,%

| विवरण | 31 मार्च, 2024 | | | | 31 मार्च, 2023 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | अमरीकी डॉलर (लिबोर) | | अन्य | | अमरीकी डॉलर (लिबोर)* | | अन्य | |
| विनिमय दर (प्रतिशत) में वृद्धि/कमी | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 1% | -1% | 1% | -1% |
| कर पूर्व लाभ पर प्रभाव (₹ करोड़ में) | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | -32.66 | +32.66 | -11.84 | +11.84 |

thth,lih,y dk fy,

| विवरण | 31 मार्च, 2024 | | | | 31 मार्च, 2023 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ईजीपी | | एसजीडी | | ईजीपी | | एसजीडी | |
| विनिमय दर (प्रतिशत) में वृद्धि/कमी | 53% | -53% | 4% | -4% | 68% | -68% | 1% | -1% |
| कर पूर्व लाभ पर प्रभाव (₹ करोड़ में) | 0.53 | (0.53) | 0.04 | (0.04) | 0.67 | (0.67) | 0.01 | (0.01) |

¼iii½ oLrq eY; tkf[ke

कंपनी विपणन और अपनी आंतरिक खपत के आधार पर एलएनजी पर आयात करती है तथा भारत और विदेश में ग्राहकों को कीमतों में हुए उतार–चढ़ाव के बैक टू बैक प्रभाव से बचा कर रखा जाता है। हालांकि, मात्रा पर मूल्य जोखिम के सम्पर्क में है जो बैक टू बैक आधार पर अनुबंधित नहीं होता। चूंकि अधिकतर एलएनजी खरीद और बिक्री अनुबंध प्राकृतिक गैस या कच्चे तेल आधारित सूचकांक पर आधारित होते हैं, ऐसे मूल्य जोखिम इन सूचकांकों में अस्थिरता से उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा, कंपनी के पास एलपीजी/एलएचसी उत्पादों की बिक्री और ईएंडपी ब्लॉकों से उत्पादित कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की बिक्री पर सूचकांक से जुड़ी कीमत जोखिम है। इस सूचकांक से जुड़ी कीमत जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित वस्तु मूल्य जोखिम प्रबंधन नीति के अनुरूप उचित डेरेवेटिव उत्पाद ले रही है।

¼iv½ bfDoVh eY; tkf[ke

कंपनी के सूचीबद्ध और गैर–सूचीबद्ध इक्विटी निवेश इन निवेशों के भावी मूल्यों के बारे में अनिश्चितता से उत्पन्न बाजार मूल्य जोखिम के प्रति अतिसंवेदनशील होते हैं। कंपनी नियमित आधार पर कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा निवेश की समीक्षा के माध्यम से इक्विटी मूल्य जोखिम का प्रबंधन करती है। कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी के सभी इक्विटी निवेश निर्णयों की समीक्षा करता है और स्वीकृति प्रदान करता है।

सूचित तारीख को, उचित मूल्य पर गैर–सूचीबद्ध न किया गया इक्विटी निवेश 374.75 करोड़ (गत वर्षः 280.78 करोड़) था।

सूचित तारीख को, उचित मूल्य पर सूचीबद्ध इक्विटी निवेश का जोखिम ₹ 8276 करोड़ (गत वर्षः ₹ 4662.74 करोड़) था। स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध इक्विटी निवेश के शेयर मूल्य में (+/-) 10 प्रतिशत की विविधता ओसीआई पर लगभग (+/-) ₹ 827.6 करोड़ (गत वर्षः ₹ 466.27 करोड़) और कंपनी के इक्विटी निवेश पर प्रभाव हो सकता है। इन परिवर्तनों का लाभ या हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[k½ udnh tkf[ke

नकदी जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए वित्तपोषण के उपयुक्त स्रोत उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। कंपनी का उद्देश्य नकदी और अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकदी का इष्टतम स्तर बनाए रखना है। कंपनी अपनी नकदी की स्थिति पर नजर रखती है और एक सुदृढ़ नकद प्रबंधन प्रणाली स्थापित करती है। यह अपनी अल्पावधि और दीर्घकालिक निधि आवश्यकताओं जैसे ओवरड्राफ्ट सुविधा और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के माध्यम से दीर्घकालिक उधार लेने के वित्तपोषण के पर्याप्त स्रोत भी रखता है।

udnh tkf[ke & 31 ekp 2024 d vu|lkj ifjiDork :ij[kk

xy d fy, (₹ करोड़ में)

| विवरण | मांग पर | 3 माह से कम | 3 से 12 माह | > 1 से 5 वर्ष | > 5 वर्ष | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उधार (गैर–वर्तमान) | - | - | - | 8,001.46 | 3,563.29 | 11,564.75 |
| उधार (वर्तमान) | - | 2,912.50 | 1,935.83 | - | - | 4,848.33 |
| व्यापार देय | - | 6,718.92 | | - | - | 6,718.92 |
| अन्य वित्तीय देयताएं (वर्तमान) | - | 5,115.04 | | - | - | 5,115.04 |
| अन्य वित्तीय देयताएं (गैर–वर्तमान) | - | - | - | 717.89 | - | 717.89 |
| **dy** | **-** | **14,746.46** | **1,935.83** | **8,719.35** | **3,563.29** | **28,964.93** |

udnh tkf[ke & 31 ekp 2023 d vu|lkj ifjiDork :ij[kk (₹ करोड़ में)

| विवरण | मांग पर | 3 माह से कम | 3 से 12 माह | > 1 से 5 वर्ष | > 5 वर्ष | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| उधार (गैर–वर्तमान) | - | - | - | 6,735.00 | 1,102.08 | 7,837.08 |
| उधार (वर्तमान) | 4,502.00 | 12.50 | 1,957.16 | - | - | 6,471.66 |
| व्यापार देय | - | 7,299.25 | | - | - | 7,299.25 |
| अन्य वित्तीय देयताएं (वर्तमान) | - | 3,687.74 | | - | - | 3,687.74 |
| अन्य वित्तीय देयताएं (गैर–वर्तमान) | - | - | - | 732.80 | - | 732.80 |
| **dy** | **4,502.00** | **10,999.49** | **1,957.16** | **7,467.80** | **1,102.08** | **26,028.53** |

xy xl d fy, (₹ करोड़ में)

| विवरण | मांग पर | 3 माह से कम | 3 से 12 माह | > 1 से 5 वर्ष | 5 वर्ष से अधिक | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ब्याज–युक्त ऋण और उधार | - | - | 104.07 | 624.29 | 461.11 | 1189.47 |
| व्यापार और अन्य देय | - | 880.36 | - | - | - | 880.36 |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 200.69 | 169.00 | 95.01 | - | - | 464.70 |
| पट्टा देयताएं* | - | 11.35 | 28.56 | 20.91 | 18.52 | 79.33 |

(₹ करोड़ में)

| 31 मार्च 2023 को | मांग पर | 3 माह से कम | 3 से 12 माह | > 1 से 5 वर्ष | 5 वर्ष से अधिक | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ब्याज–युक्त ऋण और उधार | - | - | 45.50 | 805.37 | 81.24 | 932.11 |
| व्यापार और अन्य देय | - | 711.98 | - | - | - | 711.98 |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 181.04 | 182.54 | 87.72 | - | - | 451.30 |
| पट्टा देयताएं* | - | 9.09 | 22.58 | 33.23 | 31.44 | 96.34 |

*भारतीय लेखा मानक 107 के प्रावधानों के अनुसार, पैरा 39(क) और (ख) द्वारा यथा अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण में दर्शाई गई अनुबंधात्मक राशियां अनुबंधात्मक बिना छूट प्राप्त नकदी प्रवाह अर्थात सकल वित्त पट्टा देयताएं हैं (वित्त प्रभारों को घटाए जाने से पूर्व)। ऐसी बिना छूट प्राप्त नकदी प्रवाह तुलन–पत्र में शामिल राशि से भिन्न होता है क्योंकि तुलन–पत्र में दर्शाई गई राशि बिना छूट प्राप्त नकदी प्रवाह पर आधारित होती है।

thth,lih,y ds fy,

udnh tksf[ke & ifjiDork :ijs[kk

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 1 वर्ष से कम | 1 और 5 वर्ष के बीच | कुल |
|---|---|---|---|
| foRr o"kZ 2023&24 ds fy, | | | |
| व्यापार और आय देय | 239.20 | | 239.20 |
| पट्टा देयताएं | 0.35 | | 0.35 |
| उधार | | | |
| dqy xSj NwV ikIr foRrh; ns;rk,a | **239.55** | | **239.55** |
| foRr o"kZ 2022&23 ds fy, | | | |
| व्यापार और आय देय | 368.31 | - | 368.31 |
| पट्टा देयताएं | 1.31 | 0.35 | 1.66 |
| उधार | | | |
| dqy fcuk NwV ikIr foRrh; ns;rk,a | **369.62** | **0.35** | **369.97** |

Vh,uthlh,y ds fy,

(₹ करोड़ में)

| 31 मार्च 2024 को | मांग पर | 3 माह से कम | 3 से 12 माह | 1 से 5 वर्ष | >5 वर्ष | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ब्याज–युक्त ऋण और उधार–देय ब्याज | - | - | - | - | - | - |
| ब्याज–युक्त ऋण और उधार–देय मूलधन | - | - | - | - | - | - |
| व्यापार और अन्य देय | - | 6.30 | - | - | - | 6.30 |
| देय व्यय | | 4.50 | - | - | - | 4.50 |
| पूंजी व्यय के लिए देयता | | 1.09 | | | | 1.09 |
| प्रतिभूति जमा (मुख्य उद्योग उपभोक्ताओं से) | 0.90 | - | - | - | - | 0.90 |
| ग्राहकों से एकत्र किया गया प्रतिभूति जमा | 18.23 | - | - | - | - | 18.23 |
| संविदाकारों से एकत्र प्रतिभूति जमा | - | - | 5.48 | - | - | 5.48 |
| धरोहर राशि जमा (ईएमडी) | - | - | 12.18 | - | - | 12.18 |
| प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि (आपूर्तिकर्ता) | - | - | 1.79 | - | - | 1.79 |
| dqy | **19.13** | **11.89** | **19.44** | **-** | **-** | **50.45** |

(₹ करोड़ में)

| 31 मार्च 2024 को | मांग पर | 3 माह से कम | 3 से 12 माह | 1 से 5 वर्ष | >5 वर्ष | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ब्याज–युक्त ऋण और उधार–देय ब्याज | - | - | - | - | - | - |
| ब्याज–युक्त ऋण और उधार–देय मूलधन | - | - | - | - | - | - |
| व्यापार और अन्य देय | - | 7.43 | - | - | - | 7.43 |
| देय व्यय | | 4.01 | - | - | - | 4.01 |
| पूंजी व्यय के लिए देयता | | 0.90 | - | - | - | 0.90 |
| प्रतिभूति जमा (मुख्य उद्योग उपभोक्ताओं से) | 0.56 | - | - | - | - | 0.56 |
| ग्राहकों से एकत्र किया गया प्रतिभूति जमा | 16.79 | - | - | - | - | 16.79 |
| संविदाकारों से एकत्र प्रतिभूति जमा | - | - | 7.10 | - | - | 7.10 |
| धरोहर राशि जमा (ईएमडी) | - | - | 0.14 | - | - | 0.14 |
| प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि (आपूर्तिकर्ता) | - | - | 1.69 | - | - | 1.69 |
| dqy | **17.35** | **12.33** | **8.93** | **-** | **-** | **29.67** |

x½ _.k tksf[ke & /kkfjrk daiuh ds lEcU/k esa

क्रेडिट जोखिम वह जोखिम है जिसमें ग्राहक या वित्तीय साधन भेजने वाली पार्टी देय राशि का भुगतान करने या भुगतान करने में विफल हो सकती है, जिससे कंपनी को वित्तीय नुकसान हो सकता है। इसे व्यवसाय करने के जोखिम–रिवार्ड संतुलन का एक हिस्सा माना जाता है और किसी भी व्यावसायिक अनुबंध में प्रवेश करने पर उस सीमा तक विचार किया जाता है, जिस हद तक यह व्यवस्था कंपनी को क्रेडिट जोखिम में डालती है। यह नकद और नकद समकक्षों, व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों, वित्तीय संस्थानों के पास जमा और मुख्य रूप से बकाया प्राप्तियों से संबंधित ग्राहकों के क्रेडिट एक्सपोजर से उत्पन्न हो सकता है। कंपनी द्वारा जारी गारंटी के संबंध में क्रेडिट एक्सपोजर भी मौजूद है। प्रत्येक खंड अपने स्वयं के क्रेडिट जोखिम प्रबंधन और रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार होता है।

कंपनी ने अपनी समूह कंपनियों की ओर से कॉर्पोरेट गारंटी जारी की है, विवरण के लिए टिप्पण सं. 50 (ख) देखें।

ikfIr ;kX; 0;kikj

ग्राहक ऋण जोखिम का प्रबंधन कंपनी की स्थापित नीति, प्रक्रियाओं और ग्राहक ऋण जोखिम प्रबंधन से संबंधित प्रत्येक व्यवसाय यूनिट द्वारा किया जाता है। बकाया ग्राहक प्राप्तियों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। प्रमुख ग्राहकों के लिए व्यक्तिगत आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को हानि विश्लेषण किया जाता है।

0;kikj çkI; ,Çtx 'kMîy

i½ xj&or eku 0;kikj çkI; ,Çtx 'kMîy

31 ekp] 2024 dh fLFkfr d vu lkj xj&pky 0;kikj çkI; ,Çtx 'kMîy

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया विवरण | | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6 माह से कम | 6 माह से 1 वर्ष | 1–2 वर्ष | 2–2 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | |
| (i) | अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छी मानी गईं | - | - | 3.53 | 0.75 | 0.63 | 4.91 |
| (ii) | अविवादित व्यापार प्राप्य – संदिग्ध मानी गईं | - | - | 1.49 | 0.64 | 0.76 | 2.89 |
| (iii) | विवादित व्यापार प्राप्य– अच्छी मानी गईं | - | - | - | - | 1,044.77 | 1,044.77 |
| (iv) | विवादित व्यापार प्राप्य– संदिग्ध मानी गईं | - | - | - | - | 564.12 | 564.12 |
| | mi&;kx | - | - | 5.02 | 1.39 | 1,610.28 | 1,616.69 |
| | ?kVk% vif{kr _.k gkfu d fy, çkoèkku | - | - | - | - | - | (567.00) |
| | ;kx | **-** | **-** | **5.02** | **1.39** | **1610.28** | **1,049.69** |

31 ekp] 2023 dh fLFkfr d vu lkj xj&pky 0;kikj çkI; ,Çtx 'kMîy

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया विवरण | | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6 माह से कम | 6 माह से 1 वर्ष | 1–2 वर्ष | 2–2 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | |
| (i) | अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छी मानी गईं | - | - | 2.72 | 0.48 | 0.49 | 3.69 |
| (ii) | अविवादित व्यापार प्राप्य – संदिग्ध मानी गईं | - | - | 0.37 | 0.23 | 0.65 | 1.25 |
| (iii) | विवादित व्यापार प्राप्य– अच्छी मानी गईं | 2.47 | - | 94.06 | 45.84 | 901.92 | 1,044.29 |
| (iv) | विवादित व्यापार प्राप्य– संदिग्ध मानी गईं | 1.26 | 7.63 | 4.61 | 3.40 | 598.89 | 615.79 |
| | mi&;kx | **3.73** | **7.63** | **101.76** | **49.95** | **1,501.95** | **1,665.02** |
| | ?kVk% vif{kr _.k gkfu d fy, çkoèkku | - | - | - | - | - | (617.04) |
| | ;kx | **3.73** | **7.63** | **101.76** | **49.95** | **1501.95** | **1,047.98** |

ii½ or eku 0;kikj çkI; ,Çtx 'kMîy

31 ekp] 2024 dk or eku 0;kikj çkI; ,Çtx 'kMîy%

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया विवरण | | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6 माह से कम | 6 माह से 1 वर्ष | 1–2 वर्ष | 2–2 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | |
| (i) | अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छी मानी गईं | 9,286.21 | 294.93 | 41.45 | 22.51 | 19.48 | 9,664.58 |
| (ii) | अविवादित व्यापार प्राप्य – संदिग्ध मानी गईं | 0.11 | 0.40 | - | - | - | 0.51 |
| (iii) | विवादित व्यापार प्राप्य– अच्छी मानी गईं | - | - | - | - | - | - |
| (iv) | विवादित व्यापार प्राप्य– संदिग्ध मानी गईं | - | - | - | - | - | - |
| | mi&;kx | 9,286.32 | 295.33 | 41.45 | 22.51 | 19.48 | 9,665.09 |
| | ?kVk% vif{kr _.k gkfu d fy, çkoèkku | - | - | - | - | - | (84.82) |
| | ;kx | **9,286.32** | **295.33** | **41.45** | **22.51** | **19.48** | **9,580.27** |

31 ekpZ 2024 dks orZeku 0;kikj çkI; ,çtx 'kMîy½

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया विवरण | | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6 माह से कम | 6 माह से 1 वर्ष | 1–2 वर्ष | 2–2 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | |
| (i) | अविवादित व्यापार प्राप्य – अच्छी मानी गई | 10,639.24 | 87.45 | 0.24 | 24.88 | 38.03 | 10,789.84 |
| (ii) | अविवादित व्यापार प्राप्य – संदिग्ध मानी गई | 0.05 | 0.25 | - | - | - | 0.30 |
| (iii) | विवादित व्यापार प्राप्य– अच्छी मानी गई | - | - | - | - | - | - |
| (iv) | विवादित व्यापार प्राप्य– संदिग्ध मानी गई | - | - | - | - | - | - |
| | mi&;ksx | 10,639.29 | 87.70 | 0.24 | 24.88 | 38.03 | 10,790.14 |
| | ?kVk% vif{kr _.k gkfu ds fy, çkoèkku | - | - | - | - | - | (110.53) |
| | ;ksx | **10,639.29** | **87.70** | **0.24** | **24.88** | **38.03** | **10,679.61** |

lHkkfor _.k gkfu

निम्नलिखित तालिका में व्यापार प्राप्तियों के लिए संदिग्ध लेखाओं के छूट में परिवर्तन को संक्षेप में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31 मार्च, 2024 | 31 मार्च, 2023 |
|---|---|---|
| वर्ष का प्रारंभ | 725.26 | 712.57 |
| क्षति/(प्रत्यावर्तन) के लिए प्रावधान | | |
| गैर–संग्रह के रूप में वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई प्राप्तियां | (73.48) | 12.69 |
| वापिस की गई अप्रयुक्त राशि | | |
| अन्य प्रावधान | - | - |
| o"kZ dh lekfIr | **651.78** | **725.26** |

foRrh; fyf[kr vkj udn tek

बैंकों और वित्तीय संस्थानों में तुलन–पत्र से ऋण जोखिम का प्रबंधन कंपनी के निधि विभाग द्वारा प्रबंधित अधिशेष निधि और विदेशी मुद्रा लेनदेन के उद्देश्य से अपने पैनलबद्ध बैंक की अनुमोदित सीमा के अनुसार किया जाता है। विदेशी मुद्रा लेनदेन और अधिशेष निधियों का निवेश केवल पैनलबद्ध बैंकों के साथ किया जाता है। सभी बैंकों की ऋण सीमाओं की प्रबंधन द्वारा नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है।

?k½ iwath izcU/ku

पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य के लिए, पूंजी में निर्गम पूंजी और कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए अन्य सभी इक्विटी रिजर्व शामिल हैं। कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वह अपने व्यवसाय का समर्थन करने और शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करने के लिए ठोस ऋण दर और उचित पूंजी अनुपात बनाए रखे।

कंपनी अपनी पूंजी मूलसंरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक स्थितियों में परिवर्तनों और वित्तीय करारों की आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजन करती है। पूंजी मूलसंरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों के लाभांश भुगतान को समायोजित कर सकती है, शेयरध ाारकों को पूंजी वापस कर सकती है या नए शेयर जारी कर सकती है। रिपोर्टिंग वर्षों के दौरान उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किए गए थे।

## 58½ ys[kk oxhZdj.k vkSj mfpr eY; eki

मूल्यांकन तकनीक द्वारा वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य निर्धारित करने और प्रकट करने के लिए कंपनी निम्नलिखित पदानुक्रम का उपयोग करती है:

Lrj 1% समान परिसम्पत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (बिना समायोजित) कीमतें।

Lrj 2% अन्य तकनीकें, जिनके लिए सभी इनपुट, जिनका दर्ज किए गए उचित मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता हो।

Lrj 3% ऐसी तकनीकें जो इनपुट का उपयोग करती हैं, जिनका दर्ज किए गए उचित मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और जो प्रत्यक्ष बाजार डेटा पर आधारित न हो।

xSy ds fy,

(₹ करोड़ में)

| विवरण | अग्रेनीत राशि | उचित मूल्य | | |
|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2024 | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 |
| ifj'kksf/kr ykxr ij foRrh; ifjlEifRr;k¡ % | | | | |
| xSj&orZeku | | | | |
| ऋण | 5,313.01 | - | - | 5,313.01 |

(₹ करोड़ में)

| विवरण | अग्रेनीत राशि | उचित मूल्य | | |
|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2024 | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 |
| orleku | | | | |
| ऋण | 88.58 | - | - | 88.58 |
| ykHk ,oa gkfu [kkrs ds tfj, mfpr eY; ij foRrh; ifjlEifRr;k% | | | | |
| xSj&orleku | | | | |
| व्युत्पन्न इंस्ट्रूमेंट्स – उधार रुपए/अमरीकी डॉलर स्वैप | 2.88 | | 2.88 | |
| अंतर्निहित व्युत्पन्न इंस्ट्रूमेंट्स | - | | - | |
| व्युत्पन्न इंस्ट्रूमेंट्स – वस्तु | - | - | - | - |
| orleku | | | | |
| व्युत्पन्न इंस्ट्रूमेंट्स – उधार रुपए/अमरीकी डॉलर स्वैप | 0.96 | - | 0.96 | |
| अंतर्निहित व्युत्पन्न इंस्ट्रूमेंट्स | 1.83 | | 1.83 | |
| vU; 0;kid vk; ds tfj, mfpr eY; ij foRrh; ifjlifRr;k % | | | | |
| xSj&orleku | | | | |
| व्युत्पन्न इंस्ट्रूमेंट्स – वस्तु | 246.76 | | 246.76 | |
| निवेश | 8,650.75 | 8,276.00 | - | 374.75 |
| orleku | | | | |
| व्युत्पन्न इंस्ट्रूमेंट्स – वस्तु | 410.92 | | 410.92 | |
| परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं: | | | | |
| xSj&orleku | | | | |
| C;kt ;qDr _.k vkSj m/kkj% | | | | |
| स्थायी | 2,218.75 | | | 2,203.72 |
| अस्थायी | 9,346.00 | | | 9,346.00 |
| orleku | | | | |
| ब्याज युक्त ऋण और उधार: | | | | |
| स्थायी | 3,025.00 | | | 3,026.08 |
| अस्थायी | 1,823.33 | | | 1,823.33 |
| xSj&orleku | | | | |
| व्युत्पन्न इंस्ट्रूमेंट्स – उधार रुपए/अमेरिकी डॉलर स्वैप | 37.93 | | 37.93 | |
| orleku | | | | |
| व्युत्पन्न इंस्ट्रूमेंट्स – उधार रुपए/अमेरिकी डॉलर स्वैप | 7.43 | | 7.43 | |
| अंतर्निहित व्युत्पन्न इंस्ट्रूमेंट्स | 0.03 | | 0.03 | |
| vU; 0;kid vk; ds tfj, mfpr eY; ij foRrh; ns;rk,a % | | | | |
| xSj&orleku | | | | |
| व्युत्पन्न इंस्ट्रूमेंट्स – वस्तु | 0.04 | | 0.04 | |
| orleku | | | | |
| व्युत्पन्न इंस्ट्रूमेंट्स – वस्तु | 289.87 | | 289.87 | |

fVIi.kh%

1. ब्याज–आधारित ऋण और उधार लेने की वहन लागत लगभग उनके उचित बाजार मूल्य के बराबर है।
2. व्यापार प्राप्तियां, नकद और समकक्ष, अन्य बैंक शेष, अन्य प्राप्तियां, व्यापार देय, अन्य देयताओं और अन्य वित्तीय देयताओं की अग्रेषित राशि को उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य के समान माना जाता है।
3. ऋण के संबंध में, उचित मूल्य की गणना वर्तमान ऋण दर का उपयोग करके नकदी प्रवाह के आधार पर की जाती है। काउंटर पार्टी क्रेडिट जोखिम सहित अनावश्यक इनपुट को शामिल करने के कारण उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य उस राशि को दर्शाता है जिसके लिए उन्हें इच्छुक क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच चालू लेनदेन में कारोबार किया जा सकता है, न कि जबरन बिक्री या परिसमापन में।

31 मार्च, 2023 तक, कंपनी के वित्तीय विवरण में उचित मूल्य पर निम्नलिखित वित्तीय उपकरण दर्ज थे:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | अग्रेनीत राशि | उचित मूल्य | | |
|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2024 | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 |
| ifj'kkf/kr ykxr ij foÙkh; ifjlaifÙk;k¡ | | | | |
| xSj&orZeku | | | | |
| ऋण | 3,317.06 | - | - | 3,317.06 |
| orZeku | | | | |
| ऋण | 67.72 | - | - | 67.72 |
| ykHk vkSj gkfu [kkrs ds ek/;e ls mfpr eY; ij foÙkh; ifjlaifÙk;k¡ | | | | |
| xSj&orZeku | | | | |
| व्युत्पन्न उपकरण – उधार ₹/अमेरिकी डॉलर स्वैप | 45.72 | - | 45.72 | |
| अंतर्निहित व्युत्पन्न उपकरण | 0.52 | | 0.52 | |
| orZeku | | | | |
| व्युत्पन्न उपकरण – उधार ₹/अमेरिकी डॉलर स्वैप | 7.48 | - | 7.48 | |
| अंतर्निहित व्युत्पन्न उपकरण | 0.52 | | 0.52 | |
| vU; 0;kid vk; ds ek/;e ls mfpr eY; ij foÙkh; ifjlaifÙk;k¡ | | | | |
| xSj&orZeku | | | | |
| व्युत्पन्न उपकरण – वस्तु | 455.50 | | 455.50 | |
| अंतनिर्हित व्युत्पन्न उपकरण | - | | - | |
| निवेश | 4,943.51 | 4,662.74 | - | 280.77 |
| orZeku | | | | |
| व्युत्पन्न उपकरण – उधार | - | - | - | - |
| व्युत्पन्न उपकरण – वस्तु | 467.61 | - | 467.61 | - |
| ifj'kkf/kr ykxr ij foÙkh; nkf;Ro,¡ | | | | |
| xSj&orZeku | | | | |
| ब्याज–युक्त ऋण और उधारः | | | | |
| स्थायी | 2,343.75 | - | - | 2,306.55 |
| अस्थायी | 5,493.33 | - | - | 5,493.33 |
| orZeku | | | | |
| ब्याज–युक्त ऋण और उधारः | | | | |
| स्थायी | 146.32 | - | - | 147.20 |
| अस्थायी | 1,823.33 | - | - | 1,823.33 |
| ykHk vkSj gkfu ds ek/;e ls mfpr eY; ij foÙkh; nkf;Ro,¡ [kkrk¡ | | | | |
| xSj&orZeku | | | | |
| व्युत्पन्न उपकरण – उधार ₹/अमेरिकी डॉलर स्वैप | - | | - | |
| orZeku | | | | |
| व्युत्पन्न उपकरण – उधार | - | - | - | - |
| व्युत्पन्न उपकरण – उधार ₹/अमेरिकी डॉलर स्वैप | - | - | - | - |
| vU; 0;kid vk; ds ek/;e ls mfpr eY; ij foÙkh; nkf;Ro,¡ | | | | |
| orZeku | | | | |
| व्युत्पन्न उपकरण – उधार | - | - | - | - |
| व्युत्पन्न उपकरण – वस्तु | 265.68 | - | 265.68 | - |

fVIi.kh¡

i) ब्याज–आधारित ऋण और उधार लेने की लागत लगभग उनके उचित बाजार मूल्य के बराबर है।

ii) व्यापार प्राप्तियां, नकद और समकक्ष, अन्य बैंक शेष, अन्य प्राप्तियां, व्यापार देय, अन्य देयताओं और अन्य वित्तीय देयताओं की अग्रेषित राशि को उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य के समान माना जाता है।

iii) ऋण के संबंध में, उचित मूल्य की गणना वर्तमान ऋण दर का उपयोग करके नकदी प्रवाह के आधार पर की जाती है। काउंटर पार्टी क्रेडिट जोखिम सहित अनावश्यक इनपुट को शामिल करने के कारण उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य को उस राशि में शामिल किया गया है, जिस पर प्रणाली को मौजूदा लेन–देन में बाध्यकारी या परिसम्पत्ति बिक्री के अलावा इच्छुक पार्टियों के बीच आदान–प्रदान किया जा सकता है।

eY;kdu d fy, egRoi.k xj&voykdu ;kX; buiV d fy, fooj.k

निम्न तालिका वित्तीय लिखतों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली मूल्यांकन तकनीकों और इनपुट को दर्शाती है:

| विवरण | 31 मार्च 2024 तक | 31 मार्च 2023 तक |
|---|---|---|
| निवेश | जोखिम समायोजित छूट दर का उपयोग करते हुए रियायती नकदी प्रवाह विधि | |

निम्न तालिका स्तर 3 उचित मूल्यों के लिए प्रारंभिक शेष राशि का अंतिम शेष राशि से समाधान दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | वित्तीय वर्ष 2023–24 | वित्तीय वर्ष 2022–23 |
|---|---|---|
| o"k dh 'k#vkr e 'k"k jkf'k | **280.77** | **233.42** |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश | 2.50 | 9.05 |
| जोड़ें: अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त उचित मूल्य लाभ | 95.98 | 38.97 |
| घटाएं: अन्य व्यापक आय में मान्यता–प्राप्त उचित मूल्य हानि | 4.50 | 0.67 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री | - | 0 |
| o"k d vr rd 'k"k jkf'k | **374.75** | **280.77** |

Vh,uthlh,y d fy,

31 मार्च, 2024 तक कंपनी के पास वित्तीय स्थिति विवरण के अनुसार उचित मूल्य पर निम्नलिखित वित्तीय साधन थे:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | अग्रेनीत राशि | उचित मूल्य | उचित मूल्य | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2024 | 31 मार्च, 2024 | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 |
| ifj'kf/kr ykxr ij foRrh; ifjlifRr;k ¼ | | | | | |
| xj&orекu | | | | | |
| ऋण और प्राप्तियां | | | | | |
| अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां | | | | | |
| orЕku | | | | | |
| व्यापार प्राप्तियां | 13.95 | 13.95 | | | |
| नकद और नकद समकक्ष | 1.82 | 1.82 | | | |
| अन्य बैंक शेष | 122.11 | 122.11 | | | |
| ऋण | 0.22 | 0.22 | | | |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | | | | | |
| dy | **138.09** | **138.09** | | | |
| ifj'kf/kr ykxr ij foRrh; n;rk,¼ | | | | | |
| xj&orекu | | | | | |
| उधार | | | | | |
| अन्य वित्तीय देयताएं | | | | | |
| orЕku | | | | | |
| व्यापार देय | | | | | |
| (प) लघु और सूक्ष्म उद्यमों के देय कुल बकाया | 2.08 | 2.08 | | | |
| (पप) उपरोक्त के अलावा देय कुल बकाया | 8.46 | 8.46 | | | |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 27.64 | 27.64 | | | |
| dy | **38.18** | **38.18** | | | |

व्यापार प्राप्तियां, नकद और नकद समकक्ष, अन्य बैंक शेष, ऋण, बैंक जमा, व्यापार देय और अन्य वित्तीय देयताओं की अग्रेषित राशि को उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य के समान माना जाता है।

31 ekp] 2023 तक कंपनी के पास वित्तीय स्थिति विवरण के अनुसार उचित मूल्य पर निम्नलिखित वित्तीय साधन थेः

(₹ करोड़ में)

| विवरण | अग्रेनीत राशि | उचित मूल्य | उचित मूल्य | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2024 | 31 मार्च, 2024 | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 |
| ifj'kkf/kr ykxr ij foRrh; ifjlifRr;k¡% | | | | | |
| x|j&or|eku | | | | | |
| ऋण और प्राप्तियां | | | | | |
| अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां | | | | | |
| or|eku | | | | | |
| व्यापार प्राप्तियां | 17.205 | 17.205 | | | |
| नकद और नकद समकक्ष | 23.827 | 23.827 | | | |
| अन्य बैंक शेष | 69.121 | 69.121 | | | |
| ऋण | 0.2425 | 0.2425 | | | |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | | | | | |
| d|y | **110.4** | **110.4** | | | |
| ifj'kkf/kr ykxr ij foRrh; n|;rk,¡% | | | | | |
| x|j&or|eku | | | | | |
| उधार | | | | | |
| अन्य वित्तीय देयताएं | | | | | |
| or|eku | | | | | |
| व्यापार देय | | | | | |
| (प) लघु और सूक्ष्म उद्यमों के देय कुल बकाया | 2.26 | 2.26 | | | |
| (पप) उपरोक्त के अलावा देय कुल बकाया | 9.13 | 9.13 | | | |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 27.17 | 27.17 | | | |
| d|y | **38.56** | **38.56** | | | |

व्यापार प्राप्तियां, नकद और नकद समकक्ष, अन्य बैंक शेष, ऋण, बैंक जमा, व्यापार देय और अन्य वित्तीय देयताओं की अग्रेषित राशि को उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य के समान माना जाता है।

x|y x|l d| fy,

कंपनी के पास वित्तीय स्थिति विवरण के अनुसार उचित मूल्य पर निम्नलिखित वित्तीय लिखत थेः

31 ekp] 2023 rd

(₹ करोड़ में)

| वित्तीय परिसंपत्तियां | अग्रेनीत राशि | उचित मूल्य | | |
|---|---|---|---|---|
| | | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 |
| ifj'kkf/kr ykxr ij foRrh; ifjlifRr;k¡ | | | | |
| ऋण | 7.50 | - | - | - |
| व्यापार प्राप्तियां | 758.83 | | | |
| नकद और नकद समकक्ष | 407.85 | | | |
| नकद और नकद समकक्ष के अलावा शेष | 1.82 | | | |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 78.32 | | | |
| लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर | | | | |
| ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर | | | | |
| d|y foÙkh; ifjlifRr;k | **1254.31** | | | |
| परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं | | | | |
| उधार | 1189.47 | | | |
| व्यापार देय | 880.36 | | | |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 544.03 | | | |
| ykHk vkj gkfu d| ek/;e l| mfpr eY; ij | | | | |
| d|y foÙkh; n|;rk,| | **2613.86** | | | |

31 ekp] 2023 rd

(₹ करोड़ में)

| वित्तीय परिसंपत्तियां | अग्रेनीत राशि | उचित मूल्य | | |
|---|---|---|---|---|
| | | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 |
| ifj'kkf/kr ykxr ij foRrh; ifjlaifRr;ka | | | | |
| ऋण | 11.25 | - | - | - |
| व्यापार प्राप्तियां | 955.03 | - | - | - |
| नकद और नकद समकक्ष | 7.32 | - | - | - |
| नकद और नकद समकक्ष के अलावा शेष | 50.77 | | | |
| अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां | 83.51 | - | - | - |
| लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर | - | - | - | - |
| ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर | - | - | - | - |
| dqy foÙkh; ifjlaifRr;k | **1107.87** | **-** | **-** | **-** |
| परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं | | | | |
| उधार | 932.11 | - | - | - |
| व्यापार देय | 711.98 | - | - | - |
| अन्य वित्तीय देयताएं | 496.80 | - | - | - |
| लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर | – | - | - | - |
| dqy foÙkh; ns;rk,a | **2140.89** | **-** | **-** | **-** |

कोंकण एलएनजी लिमिटेड के लिए

31 ekp] 2023 rd

(₹ करोड़ में)

| वित्तीय परिसम्पत्तियां | अग्रेनीत राशि 31.03.2023 | उचित मूल्य | | |
|---|---|---|---|---|
| | | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 |
| mfpr eY; ij foRrh; ifjlaifRr;ka ¼ | | | | |
| कर्मचारियों को ऋण | 0.65 | - | - | 0.65 |
| कर्मचारियों को दिए गए ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज | 0.03 | | | 0.03 |
| प्रतिभूति जमा | 3.38 | | | 3.38 |
| dqy | **4.06** | | | **4.06** |
| mfpr eY; ij foRrh; nu;rk,a¼ | | | | |
| उधार | 4013.07 | | | 4013.07 |
| उधार पर प्रोद्भूत ब्याज – संबंधित पक्ष | 364.30 | | | 364.30 |
| अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं | 96.26 | | | 96.26 |
| dqy | **4473.63** | | | **4473.63** |

31 ekp 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान स्तर 1 और स्तर 2 के बीच कोई स्थानांतरण नहीं हुआ है।

31 ekp] 2023 rd

(₹ करोड़ में)

| वित्तीय परिसम्पत्तियां | अग्रेनीत राशि 31.03.2023 | उचित मूल्य | | |
|---|---|---|---|---|
| | | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 |
| mfpr eY; ij foRrh; ifjlaifRr;ka ¼ | | | | |
| कर्मचारियों को ऋण | 0.12 | - | - | 0.12 |
| कर्मचारियों को दिए गए ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज | 0.03 | - | - | 0.03 |
| प्रतिभूति जमा | 1.38 | - | - | 1.38 |
| dqy | **1.53** | **-** | **-** | **1.53** |
| mfpr eY; ij foRrh; nu;rk,a¼ | | | | |
| उधार | 3,813.07 | - | - | 3,813.07 |
| उधार पर प्रोद्भूत ब्याज – संबंधित पक्ष | 251.84 | - | - | 251.84 |
| अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं | 71.37 | - | - | 71.37 |
| dqy | **4,136.28** | - | - | **4,136.28** |

31 ekp! 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान स्तर 1 और स्तर 2 के बीच कोई स्थानांतरण नहीं हुआ है।

## 59½ gf t x xfrfof/k;k vkj ;kfxd

यौगिक हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित नहीं हैं

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों, ब्याज दर के जोखिम और वस्तु मूल्य जोखिमों को संभालने के लिए आगे मुद्रा संविदा, ब्याज दर स्वैप, क्रॉस मुद्रा ब्याज दर और वस्तु स्वैप संविदा का उपयोग करती है। यौगिक संविदा प्रबंधन द्वारा नामित नहीं हैं क्योंकि हेजिंग उपकरणों को प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य पर पहचाना जाता है जिस पर एक यौगिक संविदा की जाती है और बाद में प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इसे उचित मूल्य पर पुनः मापा जाता है। अंतर्निहित लेनदेन के सम्पर्क के अनुरूप इन अवधियों के लिए संविदाएं की जाती हैं।

;kfxd gf t x midj.kk d : Ik e ukfer%

udn iokg gt l

कंपनी लिखित सिद्धांतों के साथ निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार हेजिंग लिखित करती है जो कंपनी की जोखिम प्रबंधन कार्यनीति के अनुरूप हैं। कंपनी ने कुछ यौगिक संविदाओं के लिए हेज लेखांकन लागू करने का निर्णय लिया है जो 01 अक्तूबर, 2017 को दर्ज हेजिंग संबंध के योग्य मानदंडों को पूरा करता है।

fon'kh enk tkf[ke

विदेशी मुद्रा अग्रेषण संविदाओं को अमेरीकी डालर और मौजूदा उधार उदाहरण के लिए अमेरिकी डॉलर/जापानी येन इत्यादि में पूंजीगत खरीद की दृढ़ प्रतिबद्धता के नकद प्रवाह हेजेज में हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित किया गया है।

oLr eY; tkf[ke

कंपनी अपनी प्रचालन गतिविधियों के रूप में निरंतर आधार पर प्राकृतिक गैस खरीदती है और बेचती है। गत कुछ वर्षों में प्राकृतिक गैस की कीमतों में महत्वपूर्ण अस्थिरता होने से आधार स्वैप सहित स्वैप लेनदेन के माध्यम से हेजिंग उपकरण लेने हेतु कंपनी ने निर्णय लिया है। इन संविदाओं को पूर्वानुमानित बिक्री और प्राकृतिक गैस की खरीद के नकद प्रवाह हेजेज में हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित किया गया है।

नीचे दी गई तालिका में तुलन–पत्र की तिथि के रूप में हेजिंग उपकरणों और हेज की गई मदों (अंतर्निहित) की स्थिति दिखाई गई है।

vkl hvkbl d fy, MfcV ¼+½@ØfMV ¼–½

ekpl 2024 d fy, gt fyf[kr l lcf/kr fooj.k

(₹ करोड़ में)

| नकद प्रवाह हेज | नाममात्र राशि/ हेजिंग लिखतों की मात्रा | हेजिंग लिखतों की वाहक राशि | | उचित मूल्य में परिवर्तन | तुलन–पत्र में संबंधित मद जहां हेजिंग लिखतों का प्रकटन किया जाता है |
|---|---|---|---|---|---|
| | | परिसंपत्ति (₹ करोड़) | देयताएं (₹ करोड़) | | |
| oLr eY; tkf[ke | | | | | |
| वस्तु अदला–बदली – प्राकृतिक गैस की अनुमानित खरीद और बिक्री | एमएमबीटीयू 4,20,19,213 और बैरल 64,34,045 | 657.68 | 289.91 | (289.65) | अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां – गैर–वर्तमान और वर्तमान (टिप्पणः 8 और 8क) और अन्य वित्तीय देयताएं – गैर वर्तमान और वर्तमान (टिप्पणः 16 और 16क) |

vkl hvkbl d fy, MfcV ¼+½@ØfMV ¼–½

ekpl 2024 d fy, gt fyf[kr l lcf/kr fooj.k

(₹ करोड़ में)

| | उचित मूल्य में परिवर्तन | नकद हेज प्रवाह रिजर्व में शेष | | |
|---|---|---|---|---|
| | | निरंतर हेजेज के लिए | हेजेज के लिए अब लागू नहीं है | कुल योग |
| oLr eY; tkf[ke | | | | |
| पेट्रोलियम गैस/तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की अत्यधिक संभावित पूर्वानुमानित बिक्री और खरीद | 289.65 | (275.20) | - | (275.20) |

vk lhvkbZ d fy, MfcV ¼+½@ØfMV ¼–½

ekp 2024 d fy, gt fyf[kr l lcf/kr fooj.k

(₹ करोड़ में)

| नकद प्रवाह हेज | नाममात्र राशि/ हेजिंग लिखतों की मात्रा | हेजिंग लिखतों की वाहक राशि परिसंपत्ति (₹ करोड़) | देयताएं (₹ करोड़) | उचित मूल्य में परिवर्तन | तुलन–पत्र में संबंधित मद जहां हेजिंग लिखतों का प्रकटन किया जाता है |
|---|---|---|---|---|---|
| oLrq eY; tkf[ke | | | | | |
| वस्तु अदला–बदली – प्राकृतिक गैस की अनुमानित खरीद और बिक्री | एमएमबीटीयू 2,57,65,737 बैरल 68,10,990 और मी.टन 5,000 | 923.10 | 265.68 | (689.14) | अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां – गैर–वर्तमान और वर्तमान (टिप्पण: 8 और 8क) और अन्य वित्तीय देयताएं – गैर वर्तमान और वर्तमान (टिप्पण: 16 और 16क) |

vk lhvkbZ d fy, MfcV ¼+½@ØfMV ¼–½

ekp 2024 d fy, gt fyf[kr l lcf/kr fooj.k

(₹ करोड़ में)

| | उचित मूल्य में परिवर्तन | नकद हेज प्रवाह रिजर्व में शेष निरंतर हेजेज के लिए | हेजेज के लिए अब लागू नहीं है | कुल शेष |
|---|---|---|---|---|
| oLrq eY; tkf[ke | | | | |
| अत्यधिक संभावित पूर्वानुमानित बिक्री और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का क्रय और विक्रय | 689.14 | (491.95) | - | (491.95) |

31 ekp 2024 dk lekIr o"k d fy, udn iokg gt fjtoZ dk lekèku (₹ करोड़ में)

| | 01 अप्रैल, 2023 को प्रारंभिक शेष राशि (लाभ/(हानि) (क) | वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्यता प्राप्त हेजिंग (लाभ/(हानि) (ख) | पर आय कर (ख) | लाभ एवं हानि विवरण के लिए पुनर्वर्गीकृत राशि के रूप में बचाव की गई मद ने लाभ या हानि को प्रभावित किया है (ग) | पर आय कर (ग) | लाभ एवं हानि विवरण में संबंधित मद जिसमें पुनर्वर्गीकरण समायोजन शामिल है | 31 मार्च, 2024 को अंतिम शेष (लाभ/(हानि) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oLrq eY; tkf[ke | | | | | | | |
| वस्तु अदला–बदली – प्राकृतिक गैस की अनुमानित खरीद और बिक्री | 491.95 | (276.36) | 69.56 | (13.29) | 3.34 | संचालन से राजस्व (सकल) टिप्पण 21 और व्यापार में स्टॉक की खरीद | 275.20 |
| dqy | **491.95** | **(276.36)** | **69.56** | **(13.29)** | **3.34** | | **275.20** |

31 ekp 2023 dk lekIr o"k d fy, udn iokg gt fjtoZ dk lekèku

(₹ करोड़ में)

| | 01 अप्रैल, 2023 को प्रारंभिक शेष राशि (लाभ/(हानि) (क) | वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्यता प्राप्त हेजिंग (लाभ/(हानि) (ख) | पर आय कर (ख) | लाभ एवं हानि विवरण के लिए पुनर्वर्गीकृत राशि के रूप में बचाव की गई मद ने लाभ या हानि को प्रभावित किया है (ग) | पर आय कर (ग) | लाभ एवं हानि विवरण में संबंधित मद जिसमें पुनर्वर्गीकरण समायोजन शामिल है | 31 मार्च, 2024 को अंतिम शेष (लाभ/(हानि) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fon'kh eqæk tkf[ke | | | | | | | |
| वायदा अनुबंध – उधार | 0.01 | | | (0.02) | 0.01 | व्यय टिप्पण 24 के अंतर्गत वित्त लागत | - |
| oLrq eY; tkf[ke | | | | | | | |

| | 01 अप्रैल, 2023 को प्रारंभिक शेष राशि (लाभ/(हानि) (क) | वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्यता प्राप्त हेजिंग (लाभ/(हानि) (ख) | पर आय कर (ख) | लाभ एवं हानि विवरण के लिए पुनर्वर्गीकृत राशि के रूप में बचाव की गई मद ने लाभ या हानि को प्रभावित किया है (ग) | पर आय कर (ग) | लाभ एवं हानि विवरण में संबंधित मद जिसमें पुनर्वर्गीकरण समायोजन शामिल है | 31 मार्च, 2024 को अंतिम शेष (लाभ/(हानि) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वस्तु अदला–बदली – प्राकृतिक गैस की अनुमानित खरीद और बिक्री | 1,007.65 | (241.68) | 60.83 | (447.46) | 112.62 | प्रचालन से राजस्व (सकल) टिप्पण 21 और व्यापार में स्टॉक की खरीद | 491.95 |
| dqy | **1,007.66** | **(241.68)** | **60.83** | **(447.48)** | **112.62** | **-** | **491.95** |

60½ ifj lifÙk;k vkj n;rkvk dh if"V½

i. व्यापार प्राप्य और देय राशियों के लिए शेष राशि की पुष्टि प्राप्त हो गई है। ये पुष्टिकरण सुलह और परिणामी समायोजन के अधीन हैं, जो प्रबंधन की राय में महत्वपूर्ण नहीं हैं।

ii. प्रबंधन की राय में, अचल परिसंपत्तियों और गैर–चालू निवेशों के अलावा, परिसंपत्ति का मूल्य, व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में वसूली पर, उस मूल्य से कम नहीं होगा जिस पर ये तुलन–पत्र में बताए गए हैं।

61½ 0;kikj n;

d½ 31 ekp 2024 dk orZeku 0;kikj n; ,Çtx 'kMîy

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | भुगतान की देय तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | |
| (i) | एमएसएमई | 375.76 | 0.03 | - | - | 375.79 |
| (ii) | अन्य | 6,256.99 | 3.61 | 2.80 | 0.15 | 6,263.55 |
| (iii) | विवादित बकाया – एमएसएमई | - | - | - | - | - |
| (iv) | विवादित बकाया – अन्य | - | - | 0.02 | 0.31 | 0.33 |
| | dqy | **6,632.76** | **3.64** | **2.82** | **0.45** | **6,639.67** |

[k½ 31 ekp 2024 dk orZeku 0;kikj n; ,Çtx 'kMîy

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | भुगतान की देय तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | |
| (i) | एमएसएमई | 344.28 | 0.02 | - | - | 344.30 |
| (ii) | अन्य | 6,795.45 | 2.18 | 1.28 | 0.03 | 6,798.94 |
| (iii) | विवादित बकाया – एमएसएमई | - | - | - | - | - |
| (iv) | विवादित बकाया – अन्य | - | - | 0.02 | 0.30 | 0.32 |
| | dqy | **7,139.73** | **2.20** | **1.30** | **0.33** | **7,143.56** |

x½ 31 ekp 2024 dk fcy u fd, x, 0;kikj n; ,Çtx 'kMîy

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | भुगतान की देय तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | |
| (i) | एमएसएमई | 213.52 | 0.93 | - | 0.06 | 214.51 |
| (ii) | अन्य | 365.02 | 3.49 | 0.26 | 0.33 | 369.10 |
| (iii) | विवादित बकाया – एमएसएमई | - | - | - | 1.33 | 1.33 |
| (iv) | विवादित बकाया – अन्य | - | - | - | - | - |
| | dqy | **578.54** | **4.42** | **0.26** | **1.72** | **584.94** |

fVIi.k½ देय गैर–बिल व्यापार का विवरण इंट्रा–ग्रुप देय राशि की समाप्ति पर विचार किए बिना संकलित किया गया है।

?k½ 31 ekp] 2024 dk fcy u fd, x, 0;kikj ns; ,Çtx 'kMî~y

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | भुगतान की देय तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | |
| (i) | एमएसएमई | 4.05 | - | - | - | 4.05 |
| (ii) | अन्य | 57.94 | - | - | - | 57.94 |
| (iii) | विवादित बकाया – एमएसएमई | - | - | - | - | - |
| (iv) | विवादित बकाया – अन्य | - | - | - | - | - |

fVIi.kh ns; xSj&fcy 0;kikj dk fooj.k bVk&xzi ns; jkf'k dh lekfIr ij fopkj fd, fcuk lsdfyr fd;k x;k gSA

62½ fMohtu II ls vuqlwph III rd dh vuqlkj çdVhdj.k

i. कार्यशील पूंजी (सीडब्ल्यूआईपी)

d- 31 ekp] 2024 dk lhMCY;wvkÃih ,Çtx 'kMî~y

(₹ करोड़ में)

| (सीडब्ल्यूआईपी) | कार्यशील पूंजी | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | |
| सकल ब्लॉक (प्रगति पर परियोजनाएं) | 9,522.92 | 5,952.32 | 1,637.76 | 6,916.77 | 24,029.77 |
| घटाः प्रावधान और हानि | - | - | - | - | 421.60 |
| निवल ब्लॉक (चल रही परियोजनाएं) | - | - | - | - | 23,608.17 |
| अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं | - | - | - | 15.30 | 15.30 |

31 ekp] 2024 dk lhMCY;wvkÃih ,Çtx 'kMî~y

(₹ करोड़ में)

| कायशील पूंजी (सीडब्ल्यूआईपी) | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| सकल ब्लॉक (प्रगति पर परियोजनाएं) | 8,653.93 | 2879.84 | 1,862.80 | 3552.12 | 16,931.69 |
| घटाः प्रावधान और हानि | - | - | - | - | 287.96 |
| निवल ब्लॉक (चल रही परियोजनाएं) | | | | | 16,643.73 |
| अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं | - | - | - | - | - |

[k- 31 ekp] 2024 rd ykxr c<us okyh ifj;kstukvksa ds fy, lhMCY;wvkÃih iw.kZrk vuqlwph

(₹ करोड़ में)

| (सीडब्ल्यूआईपी) | कार्यशील पूंजी | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक |
| केकेबीएमपीएल II | 450.00 | 550.00 | 1,037.03 | - |
| एकीकृत जेएचबीडीपीएल (बीजीपीएल सहित) | 418.00 | 334.00 | 717.79 | - |
| उसार में पीडीएचपीपी संयंत्र | 4,766.00 | 3,207.00 | 1,951.00 | - |
| 60 केटीए पॉलीप्रोपाइलीन संयंत्र | 686.96 | - | - | - |

31 ekp] 2024 rd ykxr c<us okyh ifj;kstukvksa ds fy, lhMCY;wvkÃih iw.kZrk vuqlwph

(₹ करोड़ में)

| प्रगत्यधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) | कार्यशील पूंजी | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक |
| केकेबीएमपीएल II | 415.00 | 1,986.69 | - | - |
| हरिद्वार–ऋषिकेश–देहरादून पाइपलाइन (एचआरडीपीएल) | 21.84 | - | - | - |
| एकीकृत जेएचबीडीपीएल (बीजीपीएल सहित) | 936.30 | | | - |

x- 31 ekp] 2024 rd vfèkd le; yxu okyh ifj;kstukvk dk fy, lhMCY;vkÃih i.kZrk vuqlph%

(₹ करोड़ में)

| (सीडब्ल्यूआईपी) | कार्यशील पूंजी | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक |
| एकीकृत जेएचबीडीपीएल (बीजीपीएल सहित) | 418.00 | 334.00 | 717.79 | - |
| धामरा–हल्दिया पाइपलाइन (डीएचपीएल) | 193.00 | 50.00 | 44.52 | - |
| श्रीकाकुलम–अंगुल पाइपलाइन (एसएपीएल) | 228.00 | 150.00 | 210.00 | 202.66 |
| केकेबीएमपीएल ।। | 450.00 | 550.00 | 1,037.03 | - |
| मुंबई नागपुर झारसुगुडा पाइपलाइन (एमएनजेपीएल) | 986.00 | 680.00 | 518.00 | 300.29 |
| उसार में पीडीएचपीपी संयंत्र | 4,766.00 | 3,207.00 | 1,951.00 | - |
| 60 केटीए पॉलीप्रोपाइलीन संयंत्र | 686.96 | - | - | - |

31 ekp] 2023 rd vfèkd le; yxu okyh ifj;kstukvk dk fy, lhMCY;vkÃih i.kZrk vuqlph%

(₹ करोड़ में)

| प्रगत्यधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) | कार्यशील पूंजी | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक |
| एकीकृत जेएचबीडीपीएल (बीजीपीएल सहित) | 936.30 | - | - | - |
| धामरा–हल्दिया पाइपलाइन (डीएचपीएल) | 468.58 | - | - | - |
| श्रीकाकुलम–अंगुल पाइपलाइन (एसएपीएल) | 1,324.04 | - | - | - |
| केकेबीएमपीएल ।। | 415.00 | 1986.69 | - | - |
| मुंबई नागपुर झारसुगुडा पाइपलाइन (एमएनजेपीएल) | 1,186.00 | 2,005.60 | - | - |
| हरिद्वार–ऋषिकेश–देहरादून पाइपलाइन (एचआरडीपीएल) | 21.84 | - | - | - |

fVIIk.kh% 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 तक सहायक कंपनियों द्वारा किसी भी ऐसे सीडब्ल्यूआईपी का खुलासा नहीं किया गया है, जिसका पूरा होना विलंबित हो या जिसकी लागत उसकी मूल योजना की तुलना में अधिक हो गई हो।

ii½ fodklk/khu vewrZ lifÙk;k%

क) 31 ekp 2024 rd विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति एजिंग शेड्यूल: (₹ करोड़ में)

| विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां | की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | |
| सकल ब्लॉक (प्रगति पर परियोजनाएं) | 0.55 | 0.60 | 1.96 | 0.22 | 3.32 |
| घटा: प्रावधान और हानि | - | - | - | - | - |
| निवल ब्लॉक (चल रही परियोजनाएं) | - | - | - | - | 3.32 |
| अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं | - | - | - | - | - |

ख) 31 ekp 2023 तक विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति एजिंग शेड्यूल: (₹ करोड़ में)

| विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां | की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 वर्ष से कम | 1–2 वर्ष | 2–3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | |
| सकल ब्लॉक (प्रगति पर परियोजनाएं) | 0.60 | 1.96 | 0.22 | - | 2.77 |
| घटा: प्रावधान और हानि | - | - | - | - | - |
| निवल ब्लॉक (चल रही परियोजनाएं) | | | | | 2.77 |
| अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं | - | - | - | - | - |

63½ cn dEifu;k dk lkFk lcèk%

31 ekp] 2024 तक बंद पड़ी कंपनियों के साथ संबंधों का विवरण:

| क्र. सं. | बंद कंपनी का नाम | बंद कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति | | | | | बंद कंपनियों के साथ संबंध, यदि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रतिभूतियों में निवेश (₹ करोड़ में) | प्राप्तियां (₹ करोड़ में) | देयताएं (₹ करोड़ में) | बंद कंपनी द्वारा धारित शेयर (₹ करोड़ में) | अन्य बकाया शेष (₹ करोड़ में) | |
| 1 | वीडियोकॉन पेट्रोलियम लिमिटेड | - | | 2.76 | - | - | विक्रेता |
| 2 | ल्यूर इंफो सॉल्यूशन प्रा. लिमिटेड | - | 0.01 | - | - | - | विक्रेता |
| 3 | संस्कृति इंफ्रा डिजाइन (प्रा.) लिमिटेड | - | | 0.01 | - | - | विक्रेता |

| क्र. सं. | बंद कंपनी का नाम | बंद कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति | | | | | बंद कंपनियों के साथ संबंध, यदि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रतिभूतियों में निवेश | प्राप्तियां | देयताएं | बंद कंपनी द्वारा धारित शेयर | अन्य बकाया शेष | |
| | | (₹ करोड़ में) | (₹ करोड़ में) | (₹ करोड़ में) | (₹ करोड़ में) | (₹ करोड़ में) | |
| 4 | प्रेमी केमको (प्रा.) लिमिटेड | | 0.06 | | | | ग्राहक |
| 5 | ए.वी.इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | | 5.58 | | | | ग्राहक |
| 6 | गुलब्रांडसेन प्राइवेट लिमिटेड | | 0.43 | | | | ग्राहक |
| 7 | प्रयाग पॉलीटेक प्राइवेट लिमिटेड | | | 0.01 | | | ग्राहक |
| 8 | गुलब्रांडसेन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड | | 0.00 | | | | ग्राहक |
| 9 | एस्ट्रल ऑटो पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | | | | 5000 | | शेयरधारक |
| 10 | राजदीप ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड | | | | 3500 | | शेयरधारक |
| 11 | डाटा नोवा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | | | | 3000 | | शेयरधारक |
| 12 | एस3 सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड | | | | 2815 | | शेयरधारक |
| 13 | अरिहंत सिक्योरिटीज लिमिटेड | | | | 1500 | | शेयरधारक |
| 14 | विक्रम टेक्सटाइल्स प्रा. लिमिटेड | | | | 1062 | | शेयरधारक |
| 15 | मनार लीजिंग एंड इंवेस्टमेंट्स प्रा. लि. | | | | 1000 | | शेयरधारक |
| 16 | रैंक इस्पात प्रा. लिमिटेड | | | | 1000 | | शेयरधारक |
| 17 | दुर्गा प्रोसेसर्स प्रा. लिमिटेड | | | | 973 | | शेयरधारक |
| 18 | जगत ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज लिमिटेड | | | | 500 | | शेयरधारक |
| 19 | देवेंद्र एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड | | | | 500 | | शेयरधारक |
| 20 | इंडेक्सको ट्रेडिंग (प्रा.) लिमिटेड | | | | 255 | | शेयरधारक |
| 21 | कोठारी इंटरग्रुप लिमिटेड | | | | 15 | | शेयरधारक |
| 22 | भास्कर इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड | | 0.06 | | | | ग्राहक |
| 23 | देवास टेक्नो प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड | | 0.05 | | | | ग्राहक |
| 24 | भट्टर मेटल्स प्रा. लिमिटेड | | 0.02 | | | | ग्राहक |
| 25 | प्रसांडी स्किल्स टेक प्रा. लिमिटेड | | | 0.05 | | | विक्रेता |

31 ekp] 2023 rd बंद पड़ी कंपनियों के साथ संबंधों का विवरण:

| क्र. सं. | बंद कंपनी का नाम | बंद कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति | | | | | बंद कंपनियों के साथ संबंध, यदि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रतिभूतियों में निवेश | प्राप्तियां | देयताएं | बंद कंपनी द्वारा धारित शेयर | अन्य बकाया शेष | |
| | | (₹ करोड़ में) | (₹ करोड़ में) | (₹ करोड़ में) | (₹ करोड़ में) | (₹ करोड़ में) | |
| 1 | प्रेमी केमको (प्रा.) लिमिटेड | - | 0.06 | - | - | - | ग्राहक |
| 2 | गुलब्रांडसन केमिकल्स प्रा. लिमिटेड | - | 1.04 | - | - | - | ग्राहक |
| 3 | ए.वी. इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | - | 5.19 | - | - | - | ग्राहक |
| 4 | प्रयाग पॉलीटेक प्रा. लिमिटेड | - | - | 0.01 | - | - | ग्राहक |
| 5 | इको पैक प्रा. लिमिटेड | - | - | 0.01 | - | - | ग्राहक |
| 6 | ल्यूर इन्फो सॉल्यूशन प्रा. लिमिटेड | - | 0.01 | - | - | - | विक्रेता |
| 7 | संस्कृति इंफ्रा डिजाइन (प्रा.) लिमिटेड | - | - | 0.01 | - | - | विक्रेता |
| 8 | वीडियोकॉन पेट्रोलियम लिमिटेड | - | - | 6.55 | - | - | विक्रेता |
| 9 | अरिहंत सिक्योरिटीज लिमिटेड | - | - | - | 1500 | - | शेयरधारक |
| 10 | रीजेंट एक्जिम इंटरनेशनल लिमिटेड | - | - | - | 18300 | - | शेयरधारक |
| 11 | राजदीप ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड | - | - | - | 18000 | - | शेयरधारक |
| 12 | एस्ट्रल ऑटो पार्ट्स प्रा. लिमिटेड | - | - | - | 5019 | - | शेयरधारक |
| 13 | डाटा नोवा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | - | - | - | 3000 | - | शेयरधारक |
| 14 | विक्रम टेक्सटाइल्स प्रा. लिमिटेड | - | - | - | 1062 | - | शेयरधारक |
| 15 | इंडेक्सको ट्रेडिंग (प्रा.) लिमिटेड | - | - | - | 255 | - | शेयरधारक |
| 16 | कोठारी इंटरग्रुप लिमिटेड | - | - | - | 15 | - | शेयरधारक |
| 17 | भास्कर इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड | - | 0.07 | - | - | - | ग्राहक |
| 18 | देवास टेक्नो प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड | - | 0.07 | - | - | - | ग्राहक |
| 19 | प्रसांडी स्किल्स टेक प्रा. लिमिटेड | - | - | 0.12 | - | - | विक्रेता |

प्राप्त सूचना के अनुसार सहायक कंपनियों द्वारा बंद कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया गया है और संबद्ध/संयुक्त उद्यमों द्वारा बंद कंपनियों के साथ कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया गया है।

64½ tkuc>dj pddrk ¼/kkjd dEiuh dk lcèk e½

31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 तक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा कंपनी को जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

65½ cukeh lEifÙk ¼/kkjd dEiuh dk lcèk e½

31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 तक कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है। इसके अलावा, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

66½ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी कंपनी अधिनियम के डिवीजन II–इंड एएस अनुसूची III पर मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुसार समेकित स्तर पर छूट के रूप में प्रकटीकरण समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

67½ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) की राय और कंपनी द्वारा किए गए तकनीकी विश्लेषण के आधार पर, प्राकृतिक गैस/एलपीजी/नगर गैस वितरण (सीजीडी) पाइपलाइनों के अवशिष्ट मूल्य को संशोधित कर 'शून्य' कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 174 करोड़ का अतिरिक्त मूल्यह्रास हुआ। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए अनुमानित प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।

68½ गत वर्ष (पीवाई) के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप करने के लिए जहां–कहीं आवश्यक हो, पुनः समूहित किया गया है। पुनर्वर्गीकृत/पुनर्वर्गीकृत प्रमुख मदें निम्नानुसार हैं:

fun'kd eMy dh fy, vkj mudh vkj ls

| | | |
|---|---|---|
| हस्ता./– | हस्ता./– | हस्ता./– |
| ,e-d- vxoky | vkj-d- tSu | ,l-d- xIrk |
| कंपनी सचिव | निदेशक (वित्त) | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
| (डीआईएनः 69402) | (डीआईएनः 08788595) | (डीआईएनः 07570165) |

हमारी समसंख्यक पृथक रिपोर्ट के अनुसार

| | |
|---|---|
| कृते xk/kh feukpk ,UM dEiuh | कृते dhrZu ,UM ifMr ,y,yih |
| चार्टर्ड एकाउंटेंट्स | चार्टर्ड अकाउंटेंट्स |
| फर्म नं. 000458N | फर्म नं.: 105215W/W100057 |
| हस्ता./– | हस्ता./– |
| HkfiUnj flag | fpjkx xxZ |
| भागीदार | भागीदार |
| सदस्यता सं.: 092867 | सदस्यता नं.: 540579 |

LFkku% ubZ fnYyh
fnukad% 16 ebZ 2024

# सीएंडएजी की टिप्पणियाँ – समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा

**31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु गेल (इंडिया) लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां**

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षिक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उनके द्वारा 16 मई 2024 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के अंतर्गत पूरक लेखापरीक्षा की है। हमने गेल (इंडिया) लिमिटेड और अनुलग्नक–क में सूचीबद्ध सहायक कंपनियों, संबद्ध कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के पृथक वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है, लेकिन उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अनुलग्नक–ख में सूचीबद्ध सहायक कंपनियों, संबद्ध कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा नहीं की है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 139(5) और 143(6)(क) निजी कंपनियों के रूप में अनुलग्नक–ग में सूचीबद्ध सहायक, संयुक्त उद्यम, संबद्ध कंपनी और संबंधित कानूनों के तहत विदेशों में निगमित कंपनियों पर उनके सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और पूरक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए लागू नहीं होती हैं। तदनुसार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने इन कंपनियों के लिए न तो सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की है और न ही इनकी पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य पत्रों को देखे बिना, स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्यतया सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों की चयनित जांच तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, ऐसा कोई उल्लेखनीय तथ्य मेरी जानकारी में नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करता हो या उसका पूरक हो।

Ñrs Hkkjr ds fu;=d ,oa egkys[kkijh{kd
vkSj mudh vkSj ls

gLrk-@&
¼,l- vºykfnuh ikMk½
egkys[kkijh{kd ¼Åtkz½

LFkku% ubZ fnYYkh
fnukad% 26-07-2024

vu|yXud&d

गेल (इंडिया) लिमिटेड के नियंत्रणाधीन सहायक, संबद्ध कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की सूची जिनकी वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई।

| क्र.सं. | संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी का नाम | कंपनी का प्रकार |
|---|---|---|
| 1. | गेल गैस लिमिटेड | सहायक कंपनी |
| 2. | बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड | सहायक कंपनी |
| 3. | कोंकण एलएनजी लिमिटेड | सहायक कंपनी |
| 4. | गेल मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड | सहायक कंपनी |
| 5. | महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड | संयुक्त उद्यम |
| 6. | ग्रीन गैस लिमिटेड | संयुक्त उद्यम |
| 7. | तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड | संयुक्त उद्यम |
| 8. | इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड | संयुक्त उद्यम |
| 9. | इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड | संबद्ध कंपनी |
| 10. | ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड | संबद्ध कंपनी |
| 11. | ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड | संबद्ध कंपनी |

vu|yXud&[k

गेल (इंडिया) लिमिटेड की सहायक कंपनियों, संबद्ध कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों की सूची, जिनके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नहीं की गई थी:

| क्र.सं. | संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी का नाम | कंपनी का प्रकार |
|---|---|---|
| 1. | त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड | सहायक कंपनी |
| 2. | आवंतिका गैस लिमिटेड | संयुक्त उद्यम |
| 3. | सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड | संयुक्त उद्यम |
| 4. | वडोदरा गैस लिमिटेड | संयुक्त उद्यम |
| 5. | भाग्यनगर गैस लिमिटेड | संयुक्त उद्यम |
| 6. | ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड | संबद्ध कंपनी |
| 7. | रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड | संबद्ध कंपनी |

vu|yXud&x

सभी सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/संबद्ध कंपनियों की सूची, जिन पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) और 143(6)(क) लागू नहीं होती है।

¼i½ futh dEifu;k

| क्र.सं. | संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी का नाम | कंपनी का प्रकार |
|---|---|---|
| 1. | महानगर गैस लिमिटेड | संबद्ध कंपनी |
| 2. | पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड | संबद्ध कंपनी |
| 3. | वडोदरा गैस लिमिटेड | संयुक्त उद्यम |

¼ii½ fon'kks esa fuxfer dEifu;k

| क्र.सं. | संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी का नाम | कंपनी का प्रकार |
|---|---|---|
| 1. | गेल ग्लोबल यूएसए इंक. | सहायक कंपनी |
| 2. | गेल ग्लोबल सिंगापुर प्रा. लिमिटेड | सहायक कंपनी |
| 3. | तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड | संयुक्त उद्यम |
| 4. | फेयम गैस | संबद्ध कंपनी |
| 5. | चाइना गैस होल्डिंग लिमिटेड | संबद्ध कंपनी |
| 6. | एलएलसी भारत एनर्जी ऑफिस | संबद्ध कंपनी |
| 7. | एलएनजी जापोनिका शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड | संबद्ध कंपनी |

# ukV~l

# ukV~l

# शब्दकोष

| गैस उद्योग से संबंधित विशिष्ट शब्दावली | |
|---|---|
| बीजीपीएल | बरौनी–गुवाहाटी पाइपलाइन |
| सीबीजी | कंप्रेस्ड बॉयो–गैस |
| सीबीएम | कोल बेड मीथेन |
| सीजेपीएल | चैनसा–झझर–हिसार पाइपलाइन नेटवर्क |
| सीजीडी | नगर गैस वितरण |
| सीएनजी | कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस |
| डीबीपीएल | दाभोल–बेंगलुरू पाइपलाइन नेटवर्क |
| डीयूपीएल | दाहेज उरन पनवेल पाइपलाइन |
| डीजीएच | हाइड्रोकार्बन महानिदेशक |
| डीवीपीएल | दाहेज–विजयपुर पाइपलाइन |
| ईएंडपी | अन्वेषण और उत्पादन |
| ईएसए | बाहय संरक्षा लेखापरीक्षा |
| जीआरईपी | गैस पुनर्वास तथा विस्तार परियोजना |
| जीपीयू | गैस प्रोसेसिंग इकाई |
| जीटीआई | गेल प्रशिक्षण संस्थान |
| एचडीपीई | उच्च घनत्व का पॉलीइथिलीन |
| एचवीजे | हजीरा विजयपुर जगदीशपुर |
| जेएचबीडीपीएल | जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन |
| जेएलपीएल | जामनगर–लोनी पाइपलाइन |
| केकेबीएमपीएल | कोच्चि–कूटानाड–बेंगलोर–मंगलोर पाइपलाइन |
| केटीए | किलो टन प्रति वर्ष |
| एलएलडीपीई | लीनियर निम्न घनत्व पॉलीइथिलीन |
| एलएचसी | तरल हाइड्रोकार्बन |
| एलएनजी | तरलीकृत प्राकृतिक गैस |
| एलपीजी | तरलीकृत पेट्रोलियम गैस |
| एमडीपीई | मध्यम घनत्व का पॉलीइथिलीन |
| एमएनजेपीएल | मुंबई नागपुर झारसुगुडा पाइपलाइन |
| एमएमबीटीयू | मिलियन मीट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट |
| एमएमएससीएमडी | मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रतिदिन |
| एमएमटी | मीट्रिक मिलियन टन |
| एमएमटीपीए | मीट्रिक मिलियन टन प्रति वर्ष |
| एमओपीएंड एनजी | पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय |
| एमओयू | समझौता ज्ञापन |
| एमएससीएम | मिलियन मानक घन मीटर |
| एमएसडब्ल्यू | नगरपालिका ठोस अपशिष्ट |
| एमटी | मीट्रिक टन |
| एनईएलपी | नई अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति |
| ओएंडएम | प्रचालन और अनुरक्षण |
| ओएलएचसी | अन्य तरल हाइड्रोकार्बन |
| पीई | पॉली–इथिलीन |
| पीएलएफ | प्लांट लोड फैक्टर |
| पीएनजी | पाइप्ड प्राकृतिक गैस |
| पीएनजीआरबी | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड |
| पीपीए | पाइपलाइन पूर्ववर्ती करार |
| एसबीपी साल्वेंट | विशेष ब्वायलिंग प्वाइंट साल्वेंट |
| टीपीए | टन प्रति वर्ष |
| टीपीडी | टन प्रति दिवस |
| टीएसए | टर्मिनल सेवा करार |
| टीएसओ | ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर |
| वीएसपीएल | विजाग–सिकन्दराबाद पाइपलाइन |

| सामान्य संक्षिप्त शब्द | |
|---|---|
| बीडी | व्यापार विकास |
| बीआईएस | व्यवसाय सूचना प्रणाली |
| सीएसआर | निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व |
| सीपीएसई | केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम |
| डीपीई | लोक उद्यम विभाग |
| ईआरपी | इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग |
| एचआर | मानव संसाधन |
| एचएसई | स्वास्थ्य, संरक्षा और पर्यावरण |
| एचआरडी | मानव संसाधन विकास |
| जेवीसी | संयुक्त उद्यम कंपनियां |
| एलओआई | आशय–पत्र |
| एमडब्ल्यू | मेगा वाट |
| पीएसयू | सार्वजनिक क्षेत्र इकाई |
| क्यूसी | गुणवत्ता चक्र |
| एससीएडीए | पर्यवेक्षीय नियंत्रण और आंकड़ा अधिग्रहण |
| टीक्यूएम | समग्र गुणवत्ता प्रबंधन |

| वित्तीय शर्तें | |
|---|---|
| सीएजीआर | मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर |
| कैपेक्स | पूंजीगत व्यय |
| ईबीआईडीटीए | ब्याज, मूल्यहास, कर और परिशोधन पूर्व आय |
| ईडी | उत्पाद शुल्क |
| ईपीएस | प्रति शेयर आय |
| जीडीपी | सकल घरेलू उत्पाद |
| एनएसई | नेशनल स्टॉक एक्सचेंज |
| पीएटी | कर पश्चात लाभ |
| पीबीआईटीए | ब्याज, मूल्यहास, कर तथा परिशोधन पूर्व लाभ |
| पीबीआईटी | ब्याज और कर पूर्व लाभ |
| पीबीटी | कर पूर्व लाभ |
| आरओसीई | नियोजित पूंजी पर प्रतिफल |
| आरओआईसी | निवेश की गई पूंजी पर प्रतिफल |
| आरओएनडब्ल्यू | नेट वर्थ पर लौटें |

गेल (इंडिया) लिमिटेड

# गेल की उपस्थिति

जून 2024

भारत का प्राकृतिक **गैस** लीडर

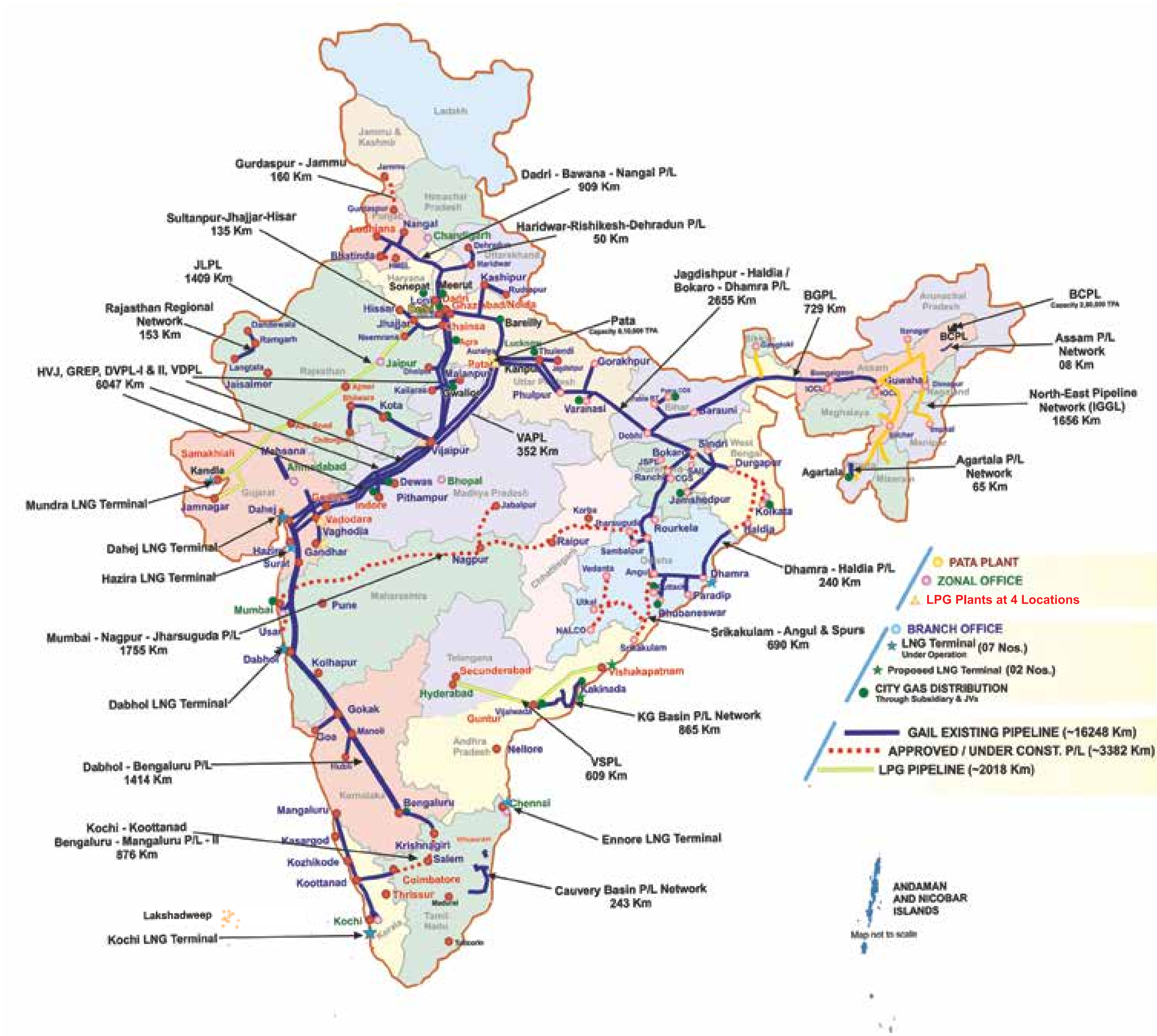

# नया भारत नई ऊर्जा

ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बारे में दुनिया की बढ़ती चिंताओं के कारण विश्व स्तर पर सतत ऊर्जा के लिए ठोस बदलाव की आवश्यकता है। ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी होने के नाते, गेल ने स्वच्छ और किफायती ईंधन पर ध्यान केंद्रित करके भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में प्राकृतिक गैस नेटवर्क का विस्तार करने के लिए गेल के चल रहे प्रयासों के ठोस परिणाम सामने आ रहे हैं, जिसमें नगर गैस वितरण (सीजीडी) नए कस्बों और शहरों तक पहुंच रहा है। सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप, गेल घरेलू स्तर पर उत्पादित पेट्रोकेमिकल्स की उपलब्धता के लिए भी प्रयास कर रहा है।

कंपनी ने पवन, सौर, सीबीजी, इथेनॉल, कोयला गैसीकरण, एलएनजी खुदरा और हाइड्रोजन में निवेश करके अपनी ऊर्जा बॉस्केट का विस्तार किया है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को हरित भविष्य दिया जा सके। इस 'हरित ऊर्जा के साथ सामंजस्य' के साथ, गेल एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए एक नए युग का सूत्रपात कर रहा है।

**गेल (इंडिया) लिमिटेड**

**पंजीकृत कार्यालय :** 16, भीकाएजी कामा प्लेस, आर. के. पुरम, नई दिल्ली–110066
वेबसाइट : www.gailonline.com